त्रयोदश माला, खंड 15, अंक 21

शुक्रवार, 23 मार्च, 2001
2 चैत्र, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

FOR REFERENCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...51...
Date... 6.2.02

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 15 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 21, शुक्रवार, 23 मार्च, 2001/2 चैत्र, 1923 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	361 से 380 (22.3.2001)	1-21
	381 से 400 (23.3.2001)	21-45
अतारांकित प्रश्न संख्या	3743 से 3965 (22.3.2001)	46-264
	3966 से 4172 (23.3.2001)	265-462
स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि		463
सभा पटल पर रखे गए पत्र		463-470
राज्य सभा से संदेश		470-472
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति		473
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
तेरहवां प्रतिवेदन		474
लोक लेखा समिति		
उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन		474
याचिका समिति		
सातवां प्रतिवेदन		474
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति		
पांचवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश		475
रक्षा संबंधी स्थायी समिति		
दसवां प्रतिवेदन		475
शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति		
सत्रहवां प्रतिवेदन		475
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति		
चौथा प्रतिवेदन		476
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) झारखंड में रांची में एक बाईपास का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता		
	श्री राम टहल चौधरी	476

विषय	कॉलम
(दो) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अपर इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना के लिए तीसरी नहर प्रणाली (थर्ड केनाल सिस्टम) का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री बिक्रम केशरी देव	476
(तीन) महाराष्ट्र में पचौरा-जामनेर संकरी (नैरोगेज) लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता	
श्री वाई.जी. महाजन	477
(चार) मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच जिलों में कम शक्ति वाले ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	477
(पांच) मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले की लघु सिंचाई परियोजनाओं का नवीकरण करने के लिए सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	478
(छह) कर्नाटक में कुछ दंत चिकित्सा कालेजों की मान्यता को समाप्त किए जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार	478
(सात) पीतल उद्योग में लगे श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद तक गैस पाइपलाइन का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	479
(आठ) तमिलनाडु से युवाओं के मालदीव में अवैध आप्रवासन की जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	479
(नौ) उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से कालिंदी एक्सप्रेस में शायिकाएँ बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री बलराम सिंह यादव	479
(दस) इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन जंक्शन और सिविल लाइंस के बीच आम रास्ते को पुनः खोले जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश पासी	480
(ग्यारह) तमिलनाडु में अराक्कोनम जंक्शन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. एस. जगतरक्षकन	480
(बारह) उड़ीसा में महानदी बेसिन में अन्वेषण परियोजना को बंद किए जाने के ऑयल इंडिया लि. के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रसन्न आचार्य	480
(तेरह) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय पांच और ठेका श्रम अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री भान सिंह भौरा	481
(चौदह) पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	481
(पन्द्रह) महाराष्ट्र में शोलापुर जिले में कुर्दवाड़ी रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	482

लोक सभा

शुक्रवार, 23 मार्च 2001/2 चैत्र, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(इस समय श्री के.एच. मुनियप्पा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस चले जाइए। आज शहीदी दिवस है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अंतिम दिन भी आप अध्यक्षपीठ से सहयोग करना नहीं चाहते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 का कार्यान्वयन

***361. श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त नीति को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि जुटाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त धनराशि जुटाई गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र समिति-2000 का उद्देश्य वस्त्र उद्योग को विश्व व्यापी रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए सुदृढ़ बनाना है और इस प्रयोजन के लिए उद्देश्य और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं साथ ही ध्यान दिये जाने योग्य थ्रस्ट क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। इसका प्रयोजन अन्य उपायों के साथ-साथ उद्योग के सभी विनिर्माण क्षेत्रों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुकर बनाने तथा बढ़ावा देने; कच्चे माल के आधार को बढ़ाने; उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने; हथकरघा उद्योग में मूल्य वर्द्धित उत्पादन तथा बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान निर्माण के कमजोर क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के उपाय और कार्यक्रम बनाना है।

कुछ कार्यक्रम पहले से ही शुरू कर दिये गए हैं और नीति के क्रियान्वयन के लिए कुछ उपाय किये गए हैं जबकि अन्य उपायों को आगामी वर्ष में अथवा 10वीं योजना अवधि में किए जाने का प्रस्ताव है। जो कार्य पहले से शुरू कर दिये गये हैं उनमें से मुख्यतः कपास की बढ़ी हुई उपज और कच्चे माल की उत्पादकता बढ़ाने तथा इसके प्रसंस्करण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन, हथकरघा क्षेत्र के परंपरागत ज्ञान, कौशल और क्षमताएं बनाये रखने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए दीन दयाल हथकरघा योजना तथा अत्याधुनिक विनिर्माण क्षमता में निवेश बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शामिल है।

वर्ष 2001-2002 में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन, एकीकृत अपैरल पार्कों की स्थापना मुख्यतः वस्त्र और अपैरल निर्यातोन्मुख क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास, बुनाई क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम तथा आधुनिक प्रसंस्करण सदनों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई करना शामिल है। इन योजनाओं को शुरू करने के लिए वस्त्र मंत्रालय की वार्षिक योजना 2001-2002 में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2001-2002 में राजकोषीय रियायतों की घोषणा की गई है जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत शामिल मशीनों के मूल्य ह्रास की दर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना तथा ऐसी जटिल वस्त्र मशीनों के सीमा शुल्क में कटौती करना जिनसे कोई घरेलू प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्ष 2001-2002 के लिए योजना बजट में 650 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई व्यवस्था की गई है जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये और कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 25 करोड़ रुपये शामिल है। परिधान क्षेत्र के अनारक्षण की भी घोषणा की गई है। आशा है कि इन उपायों से निजी क्षेत्र से निधियां जुटाकर निदेश को बढ़ाया जा सकेगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट

*362. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट बहुत पहले प्राप्त हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं;

(घ) कितनी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) विनिवेश आयोग ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह सिफारिश की कि फिलहाल कोई विनिवेश नहीं किया जाए। तथापि, आयोग ने सिफारिश की कि इन संगठनों को विनिवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले प्रबंधकीय पुनर्संरचना के साथ पुनर्संरचना के विकल्पों का अध्ययन करना चाहिए।

मैसर्स आई.सी.आई.सी.आई. और एस.बी.आई. कैपिटल मार्किट, को केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया ताकि विनिवेश के लिए अधिक संसाधन जुटाने में उन्हें समर्थ बनाया जा सके। इसके बाद मैसर्स आई.सी.आई.सी.आई. और एस.बी.आई. कैप को एनटीपीसी तथा पीजीसीआईएल, दोनों के लिए पुनर्संरचना के एक उपयुक्त मॉडल का सुझाव देने हेतु संयुक्त अध्ययन शुरू करने के लिए भी नियुक्त किया गया है। परामर्शदाताओं की रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त होनी है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पाकिस्तान द्वारा "बैलिस्टिक मिसाइल" का निर्माण

*363. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने कम दूरी की 300 किलोमीटर तक मार करने वाली तथा 106 किलोमीटर प्रति मिनट की गति की एक ऐसी नई "बैलिस्टिक मिसाइल" का निर्माण किया है जो अपने लक्ष्य को तीन मिनट से कुछ अधिक समय में ही भेद सकती है;

(ख) क्या पाकिस्तान इस मिसाइल के माध्यम से अनेक भारतीय शहरों पर हमला करने में सक्षम है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से निवारक उपाय किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) पाकिस्तान के पास 300 कि.मी. की दूरी तक मार करने वाले चीनी मूल के 84 एम 11 प्रक्षेपास्त्र हैं। पाकिस्तान ने इस प्रक्षेपास्त्र का नाम हत्फ-2 रखा है। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें भी आई हैं कि 300 कि.मी. की दूरी तक मार करने वाले और प्रति मिनट 100 कि.मी. की गति वाले हैदर-1 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण शीघ्र ही किया जाने वाला है। तथापि, प्रेस रिपोर्टों में उल्लिखित गति बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रतीत होती है क्योंकि आज तक यह गति केवल प्रयोगात्मक यानों में प्राप्त की गई है।

सरकार ने इसका अथवा ऐसी अन्य गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*364. **श्री किरीट सोमैया** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में सरकार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और वर्ष 2001-2002 में कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषण से चलाई जा रही परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवेश की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यटन क्षेत्र के लिए वर्तमान आवंटन पर्याप्त है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में धन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पर्यटन क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान क्रमशः 39.95 करोड़ रुपए, 40.45 करोड़ रुपए और 52.40 करोड़ रुपये है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्वतः प्रक्रिया के माध्यम से 100 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश (एफ डी आई) का संवर्धन करने के अनुसार नीति में आगे लचीलापन लाने से, देश में समग्र सीधे विदेशी निवेश (एफडीआई) के वर्ष 2001-2002 के दौरान बढ़ने की आशा है।

(ख) पर्यटन के क्षेत्र में स्थितिवार शत-प्रतिशत वित्तपोषण से चलाई जा रही सीधे विदेशी निवेश की परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं। यह सच है कि आवंटन उपयुक्त नहीं है।

(घ) अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निजी निवेश को उत्साहित किए जाने के अलावा बाह्य सहायता और संयुक्त संवर्धन तथा स्मारकों के रखरखाव आदि में निजी क्षेत्र को शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

पर्यटन क्षेत्र में देश में शत-प्रतिशत वित्तपोषण से चलाई जा रही सीधे विदेशी निवेश की स्थिति-वार परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अवस्थिति
1	2	3
1.	सेंटोक इंडिया ऑपरेशंस प्रा. लि., बेल्जियम	मुम्बई
2.	कार्डमम टूअर्स (इं.) प्रा. लि., बेल्जियम	डिंडीगुल, तमिलनाडु
3.	ओयसिस डाइवर्स, कनाडा	अंडमान और निकोबार
4.	गैलरी होटल्स (इं.) प्रा. लि., फ्रांस	पांडिचेरी
5.	पपमेरनिकल हैल्थ फूड प्रा. लि., जर्मनी	गोवा
6.	मोरगन फाउंडेशन एफ वी, जर्मनी	पांडिचेरी
7.	पीटर एंड फ्रैड्स क्लासिक एडवन्चर, जर्मनी	गोवा
8.	जियोरगन सीरूबेल, जर्मनी	गोवा
9.	इलिया एडानेफ, जर्मनी	अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश)
10.	मैसर्स पीजा हट इंटरनेशनल, हांगकांग	दिल्ली
11.	होलिडे इन्न (एशिया पेसिफिक) लि., हांगकांग	नई दिल्ली
12.	रौट मोरेनो, इटली	उत्तर प्रदेश
13.	मैत्रेय रिजार्ट्स प्रा. लि., इटली	कोयम्बतूर (तमिलनाडु)
14.	किची इमेमोटो, जापान	नई दिल्ली
15.	हनियांग इंडिया प्रा. लि., साउथ कोरिया	चेन्नई
16.	क्योंगबाकगांग होटल प्रा. लि., साउथ कोरिया	चेन्नई
17.	मैरिओट होटल्स आईएनसी, मारीशस	उल्लेख नहीं
18.	एम एम होटल्स प्रा. लि., मारीशस	मुम्बई
19.	सेजुली प्रापर्टी एंड विनियोग लि., मारीशस	मुम्बई
20.	क्लब कार्पोरेशन आफ अमेरिका, मारीशस	उल्लेख नहीं
21.	प्रोवेंडर लिमिटेड, मारीशस	गोवा
22.	जी पी एस इन्वेस्टमेंट्स लि., मारीशस	चेन्नई
23.	जी पी एस इन्वेस्टमेंट्स लि., मारीशस	जयपुर
24.	जी पी एस इन्वेस्टमेंट्स लि., मारीशस	केरल
25.	जी पी एस इन्वेस्टमेंट्स लि., मारीशस	मुम्बई
26.	ए टी डी इंडिया होल्डिंग्स लि., मारीशस	मुम्बई
27.	इंटरनेशनल वैब ट्रेवल प्रा. लि., मारीशस	नई दिल्ली
28.	हाई होटल्स इंडिया प्रा. लि., (न्यूयार्क)	उल्लेख नहीं
29.	गोल्डन फालकोन होटल्स इंडिया प्रा. लि. (एन आर आई)	तिरूवनन्तपुरम (केरल)
30.	मैसर्स क्रिसेंट आटो रेंटल सर्विस, दुबई	चेन्नई
31.	जाम्बा इंटरटेनमेंट प्रा. लि., यू एस ए	बंगलौर
32.	रैंडेजवस रेस्टोरंट प्रा. लि., आस्ट्रेलिया	बंगलौर
33.	हाई होटल्स इंडिया प्रा. लि., होलैंड	उल्लेख नहीं
34.	होटल प्रापर्टीज लि., सिंगापुर	उल्लेख नहीं
35.	मैसर्स टोटल इंटेग्रेटेड डिजाइन इंडिया, सिंगापुर	दिल्ली
36.	कोमलाज रेस्टोरेंट्स (प्रा.) लि., सिंगापुर	चेन्नई
37.	स्टार क्रूज प्रा. लि., सिंगापुर	मुम्बई
38.	मैसर्स सोटकूवोनी ट्रेवल कार्पोरेशन, स्विट्जरलैंड	मुम्बई
39.	इंसटोन इंडिया प्रा. लि., यू.के.	उल्लेख नहीं
40.	इयान वेस्ट, यू. के.	कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
41.	मार्टिन होवोर्ड एसोसिएट्स लि., यू. के.	उल्लेख नहीं
42.	मोड आपारेल्स प्रा. लि., यू. के.	नई दिल्ली
43.	वारनर ब्रदर इंटरनेशनल, यू एस ए	उल्लेख नहीं
44.	वर्ल्ड रिक्रीयशन सेंटर, आई एन सी, यू एस ए	दिल्ली
45.	आर ई जेड सोल्यूसंस आई एन सी, यू एस ए	उल्लेख नहीं
46.	नटराज रमैया, यू एस ए	चेन्नई
47.	मैक्डोनाल्ड्स इंडिया प्रा. लि., यू एस ए	नई दिल्ली
48.	कास्टो ट्रेवल्स आई एन सी, यू एस ए	नई दिल्ली
49.	अरेरंग होटल्स प्रा. लि.	तमिलनाडु

स्रोत : एफ आई पी बी

[हिन्दी]

रेल टिकटों की कालाबाजारी

*365. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल टिकटों की कालाबाजारी में संलिप्त दलालों और रेल अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ के कारण रेल यात्रियों को टिकट प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन में कितने छापे मारे गए और इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार अवैध आरक्षण को रोकने के लिए वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से *(घ) कुछ मामले ध्यान में आए हैं, विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय* रेल पर मारे गए छापों की संख्या इस प्रकार है:

रेलवे	मारे गए छापों की संख्या		
	1998	*1999*	*2000*
मध्य	3932	3360	2729
पूर्व	1904	2071	2573
उत्तर	1579	1521	1626
पूर्वोत्तर	2146	2795	3230
पूर्वोत्तर सीमा	794	946	1082
दक्षिण	8369	8821	8971
दक्षिण मध्य	5032	4743	3999
दक्षिण पूर्व	1725	1748	1695
पश्चिम	6358	6504	6485
जोड़	31839	32249	32390

इन जांचों के परिणामस्वरूप विभिन्न अनियमितताओं के लिए 8505 व्यक्ति पकड़े गए हैं और कानून के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। अवैध आरक्षणों की जांच करने के लिए विभिन्न अनुदेशों और निर्धारित प्रक्रियाओं को कड़ाई से लागू किया जाता है। इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी अपेक्षित होता है कर्मचारियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखने की बेहतर प्रणाली, लाइन लगवाने, खरीदे गए टिकटों की परख जांच, छद्म जांच आदि जैसी आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

जुबली पेट्रोल पम्प योजना

*366. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जुबली पेट्रोल पम्पों के लिए भूमि खरीदने में विभिन्न तेल कम्पनियों को कई लाख रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा "जुबली पेट्रोल पम्प" योजना आरम्भ करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे घाटे के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) तेल कम्पनियों ने यह सूचित किया है कि उन्होंने जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों की खरीद में कोई हानि नहीं उठाई है।

राजमार्गों पर जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों की योजना अनेक सहबद्ध सुविधाओं के साथ पर्यटकों और ट्रक चालकों जैसे यात्रियों की मांग को *पूरा करने के लिए आरम्भ की गई थी। जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र योजना* के बदले पुनर्विचार करने पर नवम्बर, 2000 में यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं के साथ नियमित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाए।

[अनुवाद]

"फास्ट ट्रैक डी-रजिस्ट्रेशन स्कीम"

*367. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फास्ट ट्रैक डी-रजिस्ट्रेशन स्कीम" के अन्तर्गत पंजीकरण समाप्त करने के लिए कितनी निजी और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों ने आवेदन किया है;

(ख) क्या सरकार ने इन कम्पनियों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/निजी पार्टियों द्वारा दिए गए ऋण के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो इन पंजीकरण समाप्त कम्पनियों से धनराशि की वसूली करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा किस तरीके से की जाएगी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनियों के डी-रजिस्ट्रेशन के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत निष्क्रिय कम्पनियों के नामों को रजिस्टर से हटाने का प्रावधान है। फास्ट ट्रैक सैक्शन 560 स्कीम के अन्तर्गत 16,416 कम्पनियों ने स्कीम के अन्तर्गत आवेदन किया था (14,871 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों तथा 1,545 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों ने)।

(ख) से (घ) जी, नहीं। इस स्कीम में ऐसा कभी परिकल्पित नहीं किया गया। तथापि, स्कीम के अन्तर्गत नामों को हटाने हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में कम्पनियों को सांविधिक लेखापरीक्षक से इस बारे में एक प्रमाण पत्र फाइल करना अपेक्षित था कि कम्पनी के पास बैंकों/वित्तीय संस्थानों का कोई उधार नहीं है। कम्पनियों के नामों को हटाने हेतु निदेशकों से हलफनामे ले लिये गए हैं कि वे संयुक्त रूप से व अनेक प्रकार से किसी भी ऋण के लिए जवाबदेय हैं जो स्कीम के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के बाद सामने आ सकते हैं। निष्क्रिय पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के मामले में, जिनकी कोई परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं और कम्पनियां कोई कारोबार नहीं कर रही हैं, लघु शेयरधारकों के संरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं

*368. श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लम्बी दूरी की सभी रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) अनेक प्रकार की दवाइयों वाले समुन्नत प्राथमिक चिकित्सा बक्सों और अपेक्षित बचाव उपकरणों के रूप में बेहतर चिकित्सा सहायता की व्यवस्था के लिए एक सौ बासठ लंबी दूरी की गाड़ियों को चिह्नित किया गया है। अब तक 86 गाड़ियों में समुन्नत प्राथमिक चिकित्सा बक्सों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों से सीधे सम्पर्क में आने वाले कमचारियों को भी प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित किया जा रहा है जिन्हें निश्चित समयावधि में निर्धारित अनुसूची के अनुसार पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इनरॉन को गारंटी

*369. श्री ताराचंद भगोरा :
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इनरॉन को गारंटी देने के संबंध में समाचारपत्रों में प्रकाशित विभिन्न समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इनरॉन और महाराष्ट्र सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की व्यवहार्यता की जाँच की थी;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष थे;

(घ) क्या विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था पर इस समझौते के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बताया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) डाभोल विद्युत परियोजना के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी), एनरॉन पावर कारपोरेशन एंड जनरल इलैक्ट्रिक कारपोरेशन के बीच 20.6.92 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापनों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा जाँच की जानी अपेक्षित नहीं है। बहरहाल, सी.ई.ए. ने डाभोल परियोजना को 26.11.93 को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टी.ई.सी.) प्रदान की।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक ने अप्रैल-जुलाई, 1993 के दौरान सूचित किया था कि वे निम्नलिखित कारणों से इस परियोजना का वित्त पोषण नहीं कर सकते :

- यह परियोजना इतनी बड़ी है कि एम.एस.ई.बी. प्रणाली को बेसलोड आपरेशन नहीं किया जा सकता।
- यह महाराष्ट्र विद्युत विकास के लिए न्यूनतम लागत श्रेणी का एक भाग नहीं है।

विश्व बैंक की उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अक्तूबर, 1993 में चरण-I को चरण-II से अलग किया और तदनुसार विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत किए गए टी.ई.सी. में भी यह अनुबद्ध किया गया है कि परियोजना का चरण-II महाराष्ट्र सरकार/एम.एस.ई.बी. द्वारा सारी विद्युत की खपत महाराष्ट्र प्रणाली में किया जाना सुनिश्चित किए जाने के बाद अथवा महाराष्ट्र के बाहर के निकायों के समझौता किए जाने के बाद ही आरम्भ किया जा सकेगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1995-96 में गठित वार्ता समिति/विशेषज्ञ समिति ने पाया कि एम.एस.ई.बी. के लोड अध्ययनों से एम.एस.ई.बी. के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता का पता चला है और इसलिए समिति ने पूरी परियोजना के लिए 90 प्रतिशत लोड फैक्टर की सिफारिश घटी हुई दरों पर अतिरिक्त ऊर्जा का लाभ होगा। वार्ता समिति/विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने चरण-II का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया।

[अनुवाद]

नई वस्त्र नीति

*370. श्री जी.एस. बसवराज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई वस्त्र नीति 'मल्टी फाइबर' समझौते के अन्तर्गत मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करने में विफल रही है;

(ख) क्या यह पर्याप्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुनर्गठन के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के उन्नयन में भी असफल रही है;

(ग) क्या नई नीति में विश्व में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है; और

(च) आम बजट 2001-02 का वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विवरण संलग्न है।

विवरण

मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यू आर एस) की क्रमिक समाप्ति और आयात शुल्कों को कम करना एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का हिस्सा है जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत को पूरा करना है।

2.11.2000 को सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 का लक्ष्य उद्योग को मजबूत करना तथा विश्वास के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए इसे तैयार करना है। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में प्रौद्योगिकीय उन्नयन का वस्त्र उद्योग में सरलीकरण और संवर्द्धन, गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि, कच्चे माल आधार का सुदृढ़ीकरण, प्रसंस्करण, बुनाई व परिधान निर्माण के कमजोर क्षेत्रों का आधुनिकीकरण है। इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उपाय जैसे उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), कपास की उपज, उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन एवं हथकरघा क्षेत्र की परम्परागत कौशल एवं क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। परिधान क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया गया है। एक वस्त्र पैकेज की बुनाई तथा परिधान बनाने वाले क्षेत्रों में निवेश एवं वृद्धि का संवर्द्धन करने के लिए नयी योजनाओं व कार्यक्रमों के साथ 2001-2002 के लिए बजट में घोषणा की गयी है। वित्तीय रियायत भी दी गयी है जिससे क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश बढ़ने की आशा है।

2001-2002 के लिए बजट का आम तौर पर वृद्धि में सहायक के रूप में स्वागत किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को घाटा

***371. श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) को भारी घाटा होता रहा है और आने वाले वर्षों में और घाटा होने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, नहीं। एनटीपीसी 1982 में इसकी पहली यूनिट के व्यावसायिक प्रचालन होने के बाद से लाभ कमा रही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार आने वाले वर्षों में इसमें कोई निवल घाटा होने की संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

फतेहपुर सीकरी का "हेरिटेज सिटी" के रूप में विकास

***372. श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के सुझाव के अनुसार फतेहपुर सीकरी का विकास "हेरिटेज सिटी" के रूप में करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निदेश दिया है कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके फतेहपुर सीकरी को एक दाय नगर के रूप में विकसित करने के वास्ते एक प्रस्ताव पेश करें। इस मामले में प्रारंभिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में प्रकोष्ठों की स्थापना करना

***373. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए उच्च न्यायालयों को अपने न्यायालयों में प्रकोष्ठ स्थापित करने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या देश के सभी उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान के लिए ऐसे प्रकोष्ठों की स्थापना कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लंबित मामलों के निपटान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने 2001 की सिविल अपील सं. 1071 में यह सुझाव दिया है कि "यह बात विचार की जाने योग्य है कि क्या उन उच्च न्यायालयों में जिनमें दीर्घकालीन लंबित मामले एक विक्षोभकारी समस्या है, उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायमूर्ति के ध्यान में लाए जाने हेतु ऐसे मामलों को चुनने के लिए एक कक्ष स्थापित किया जा सकता है जिससे कि वह इस विषय में समुचित कार्रवाई कर सके।"

अतः इस पर उच्च न्यायालय को ही आवश्यक कार्रवाई करना है।

(घ) और (ङ) लंबित मामलों को निपटाने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

लाल किले में क्वार्टरों का आगे किराये पर दिया जाना

***374. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लाल किले के भीतर बने कई क्वार्टर सेना द्वारा सिविलियनों को आगे किराये पर दिए गए हैं, जैसाकि 26 दिसम्बर, 2000 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैन्य कर्मियों द्वारा क्वार्टरों को आगे किराये पर दिए जाने से किले में सुरक्षा संबंधी पहलुओं के बारे में गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) सेना ने लाल किले के अंदर कोई सरकारी मकान आगे किराए पर नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक जांच की जाती है कि वहां पर सरकारी मकान आगे किराए पर न दिए जाएं।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य

***375. श्री रामजीलाल सुमन :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में देश की वार्षिक विद्युत उपयोग दर 8 प्रतिशत होने का अनुमान है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और क्या सरकार ने विद्युत की माँग की तुलना में आपूर्ति की कमी का अनुमान लगाकर वार्षिक विद्युत उत्पादन दर बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हाँ, तो आगामी वर्षों में वार्षिक विद्युत उत्पादन की दर बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए सरकार की योजना क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 16वें इलैक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण ने भारत के लिए 1999-2000 से 2004-2005 तक वार्षिक ऊर्जा खपत का निम्नानुसार अनुमान लगाया है :

अवधि	ऊर्जा उपभोग मि.यू. में	गत वर्ष में बढ़ोत्तरी
1999-2000	358202.82	–
2000-01	382974.45	6.%
20001-02	409809.05	7.0%
2002-03	438037.02	6.8%
2003-04	467758.81	6.7%
2004-05	499103.41	6.7%

यह अनुमान लगाया गया है कि देश में 2012 तक विद्युत की पूरी माँग की पूर्ति के लिए ऊर्जा आवश्यकता 975222 मि.यू. होगी और शिखर माँग 157107 मै.वा. होगी। इस माँग को पूरा करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2011-12) के अंत तक लगभग 100000 मे.वा. की अतिरिक्त क्षमता स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। 10वीं तथा 11वीं योजना अवधियों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा लगभग 1,06,000 मे.वा. की कुल क्षमता वाली परियोजनाओं की सूची को अंतरिम रूप से अभिज्ञात किया है।

विद्युत की उपलब्धता तथा उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए तथा देश में उपलब्ध विद्युत संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन करने के लिए अलग से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(क) क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का त्वरित कार्यान्वयन।

(ख) निवेश प्रक्रिया का उदारीकरण।

(ग) ऊर्जा संरक्षण तथा माँग पक्ष प्रबंधन के लिए उपायों को बढ़ावा देना।

(घ) विद्यमान पुरानी उत्पादन यूनिटों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण।

(ङ) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (ए.जी.एस.पी.) के तहत ताप विद्युत केन्द्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण को सुधारने के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋण संवितरण।

(च) अंतर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय विद्युत अंतरण को बढ़ावा देना।

(छ) विद्युत प्रणाली में संचारण, परिणमन क्षमता का विस्तारण तथा वोल्टता सुधारने के लिए शंट केपेसिटरों का अधिष्ठापन।

(ज) संचारण एवं वितरण हानियों में कटौती।

उप संचारण एवं वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के सहयोग के लिए भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) शुरू किया है।

सरकार ने राज्यों में विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विद्युत क्षेत्र सुधारों पर एक राष्ट्रीय आम सहमति की भी पहल की है तथा विकसित की है। 3 मार्च, 2001 को नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र सुधारों पर मुख्य मंत्रियों तथा राज्य विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें सुधारों में तेजी लाने तथा विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति की बहाली के लिए अनेक संकल्प किए गए।

[अनुवाद]

पोत परिवहन टर्मिनलों की उत्पादकता

***376. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न पत्तनों के पोत परिवहन टर्मिनलों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या शीघ्र लदान न होने के कारण माल को गोदी में ही पड़ा रहने दिया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1999-2000 में विभिन्न पत्तनों पर उत्पादकता में किस सीमा तक सुधार हुआ है;

(ङ) क्या पत्तनों में माल की निकासी के लिए अतिरिक्त क्षमता में भी सहायता मिलेगी; और

(च) सरकार द्वारा देश में सभी पोत परिवहन टर्मिनलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) मोटे तौर पर विभिन्न पत्तनों की उत्पादकता में जलयानों का कम प्री-बर्थिंग डिटेंशन और टर्न-राउंड समय तथा अधिक आउटपुट प्रति पोत बर्थदिवस शामिल है। सरकार बेहतर उत्पादकता स्तर प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है जैसे कि पत्तनों को संवर्धित वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करना, बेहतर उपस्करों का अधिग्रहण करना, आंकड़ों और उत्पादकता मानदंडों में संशोधन करना और पत्तनों को आधुनिक बनाना।

(ख) सामान्यतया, यदि कार्गो पत्तन/गोदियों में पड़ा रहता है तो यह विलंब अक्सर उन कारणों की वजह से होता है जो पत्तन प्रबंध के नियंत्रण में नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महापत्तनों के कार्यनिष्पादन का मापन कतिपय चुनिंदा संकेतकों के संदर्भ में किया जाता है जैसेकि औसत प्री-बर्थिंग प्रतीक्षा, समय, औसत टर्न-राउंड समय और पोत बर्थदिवस का आउटपुट। निम्नलिखित तालिका में पिछले तीन वर्षों के दौरान इन चुनिंदा संकेतकों के आधार पर पत्तनों का कार्यनिष्पादन दर्शाया गया है :

क्रम सं.	संकेतक	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनंतिम)
1.	औसत प्री-बर्थिंग प्रतीक्षा समय (दिवस)	2.3	2.0	1.8
2.	औसत टर्न-राउंड समय	6.3	5.7	4.7
3.	आउटपुट प्रति पोत बर्थ दिवस (टन में)	4912	5167	5337

(ङ) जी हाँ।

(च) उत्पादकता बढ़ाने और शीघ्र प्रबंधन निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(i) पत्तन न्यासों को 50 करोड़ रु. लागत की नई स्कीमों और 100 करोड़ रु. तक की लागत वाली एक प्रतिस्थापन स्कीम को अनुमोदन प्रदान करने के लिए संवर्धित वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इससे विभिन्न पत्तन विकास परियोजनाओं को शीघ्रता से अनुमोदित और कार्यान्वित किया जा सकेगा।

(ii) पुराने, न सुधारे जाने योग्य उपस्कर और बेड़े को बेचने की प्रक्रिया सरल और कारगर बना दी गई है।

(iii) महापत्तनों द्वारा उपस्कर/फ्लोटिंग क्राफ्ट का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया सरल बना दी गई है।

(iv) श्रमिक उत्पादकता सुधारने के लिए आंकड़ों, उत्पादकता मानदंडों और अलाभकारी पद्धतियों में संशोधन करना।

(v) प्रबंधन और प्रचालनों में सुधार लाने के लिए चुनिंदा पत्तनों में इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज स्थापित करना।

(vi) निगमीकरण के जरिए महापत्तनों का संरचनात्मक पुनर्गठन।

(vii) बेहतर प्रबंधन और प्रचालनात्मक तकनीक के लिए सरकार द्वारा घोषित संयुक्त उद्यमों की भागीदारी संबंधी नीति के तहत विदेशी पत्तनों और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

(viii) निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए बी.ओ.टी. (निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण) परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और विभिन्न कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं का विकास करना।

[अनुवाद]

रेशम के धागे और रेशम उत्पादकों का आयात

*377. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर.एस. पाटील :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और आज की तिथि तक रेशम के धागे और अन्य रेशम उत्पादों का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) क्या इस प्रकार के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयातित रेशम यार्न और अन्य रेशम उत्पादों की कुल मात्रा के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गये हैं :

(मात्रा टन में)

वर्ष	आयात			
	रॉ सिल्क	सिल्क यार्न डयूपियन	स्पन सिल्क यार्न	न्वाइल यार्न
1997-98	2346	373	31	161
1998-99(अ)	2824	492	19	26
1999-2000(अ)	6936	768	26	39
2000-2001(अ)	3266 (अप्रैल-नवंबर)	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

(ख) और (ग) इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि शुल्क छूट योजना (डीईएस) के अंतर्गत छोड़कर आयात की अनुमति नहीं दी जाए। देश में बढ़िया किस्म की रेशम की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण अपरिष्कृत रेशम के आयात की अनुमति, निर्यात दायित्व के साथ डीईएस के अंतर्गत तथा आयातित मदों के मूल्य से पांच गुणा अभ्यर्जित एसआईएल के सीआईएफ मूल्य की शर्त पर विशेष आयात लाइसेंस (एसआईएल) के अंतर्गत दी जाती है। इस प्रकार आयात से न केवल देश में अनुपलब्ध कोटि की रेशम की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपितु मांग-पूर्ति में अंतर को दूर करने में भी सहायता मिली है। इसका घरेलू रेशम उत्पादन क्षेत्र पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाओं के बारे में जांच आयोग

*378. श्री चिंतामन वनगा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं के कारणों की जाँच करने के लिए कितने जांच आयोग गठित किए गए;

(ख) ऐसे प्रत्येक जांच आयोग के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अब तक इन सभी सिफारिशों को लागू कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सिफारिश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) 1998-99 से 2000-2001 (28.02.2001 तक) तक की अवधि के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए तीन जांच आयोगों का गठन किया गया था। इन रेल दुर्घटनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	दुर्घटना की तारीख	स्थान	हताहत		कारण
			मारे गए	घायल	
1998-99	26.11.1998	खन्ना-चावापायल	212	138	जांच हो रही है।
1999-2000	2.8.1999	गैसल	286	359	जांच पूरी हो गई है।
2000-2001 (28.2.2001 तक)	2.12.2000	सराय बंजारा-साधूगढ़	45	149	जांच हो रही है।

उपर्युक्त दुर्घटनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

खन्ना-चावापायल दुर्घटना की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जी.सी. गर्ग की अध्यक्षता में गठित गर्ग आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस दुर्घटना की न्यायिक जांच का कार्य प्रगति पर है और आयोग से अपना कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

गैसल त्रासदी की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जी.एन.रे. की अध्यक्षता में गठित रे आयोग ने हाल ही में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है। रे आयोग के निष्कर्षों के अनुसार गैसल दुर्घटना "रेल कर्मचारियों की गलती के कारण" हुई। रे आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए संबंधित विभागों को कह दिया गया है। ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा।

. सराय बंजारा-साधूगढ़ पर हुई हाल ही की त्रासदी की जांच न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद की अध्यक्षता में गठित न्यायिक आयोग द्वारा की जाएगी। साधूगढ़ दुर्घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विवरण

दुर्घटना का विवरण	कारण
1. 26.11.1998 को उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के खन्ना-चावापायल खंड पर 2903 अप गोल्डन टैम्पल मेल और 3152 डाउन जम्मू-तवी एक्सप्रेस के बीच टक्कर	गर्ग आयोग द्वारा जांच की जा रही है।
2. 2.8.1999 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार मंडल के गैसल स्टेशन पर 5610 अप अवध-असम एक्सप्रेस और 4056 डाउन ब्रह्मपुत्र मेल के बीच टक्कर	रेल कर्मचारियों की गलती।
3. 2.12.2000 को उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के सराय बंजारा-साधूगढ़ खंड पर पटरी से उतरी हुई डाउन अजीतवाल-न्यूबोंगाईगांव फूडग्रेन स्पेशल गुड्स मालगाड़ी के साथ 3005 अप हावड़ा-अमृतसर मेल की टक्कर	न्यायिक आयोग गठित किया गया है।

[अनुवाद]

घरेलू वस्त्र उद्योग पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि का प्रभाव

*379. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ब्रांड नाम वाले और ट्रेड नाम वाले सिले-सिलाये वस्त्रों पर हाल ही में बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क के सम्भावित प्रभावों का आंकलन करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) हाल में बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क के कारण सिले-सिलाये वस्त्र उद्योग के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) सरकार का सिले-सिलाये वस्त्र उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने और उसे प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) उद्योग के अनेक क्षेत्रों में पंजीकृत ब्रांड के परिधानों पर 16 प्रतिशत उत्पादक शुल्क लगाने के आशय के वर्ष 2001-2002 के बजट प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं।

(घ) परिधान उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 2001-2002 के बजट में "वस्त्र पैकेज" की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत अपैरल पार्कों की स्थापना, मुख्यतः वस्त्र और अनुमोदित निर्यातोन्मुख क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास करना शामिल है।

[अनुवाद]

वित्तीय संकट

*380. **श्री समर चौधरी :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल को पिछले कई वर्षों से वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान यात्री किराए और मालभाड़ा दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई;

(घ) क्या मालभाड़े से प्राप्त धनराशि में से काफी बड़ी धनराशि यात्री सेवाओं पर खर्च की जा रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या मालभाड़ा यातायात, जो भारतीय रेल की आय का मुख्य स्रोत है, परिवहन के अन्य साधनों की ओर उन्मुख हो रहा है; और

(च) यदि हाँ, तो मालभाड़े से प्राप्त धनराशि का उपयोग यात्री सेवाओं पर खर्च न हो, इस हेतु रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) हाल ही के वर्षों में, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् रेलों के खर्च में आमदनी से अधिक वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप रेलों की योजना के लिए वित्त व्यवस्था करने से संबंधित संसाधनों के आंतरिक सृजन में भारी कमी आई है। रेलें 1997-98 से 1999-2000 के दौरान रेलवे आरक्षित निधि से भारी निकासी करके और उसके बाद लाभांश के एक भाग के भुगतान को मुल्तवी करके ही अपनी योजना गतिविधियों का न्यूनतम स्तर बरकरार रख सकी हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किराए और मालभाड़े में की गई वृद्धि विभिन्न श्रेणियों और पण्यों के लिए भिन्न-भिन्न है जो गमन दूरी

पर निर्भर है। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के बजट अनुमानों में किरायों और मालभाड़े में की गई औसत समग्र वृद्धि निम्नानुसार है :

	1998-99	1999-2000	2000-01
यात्री	6%	2%	–
माल	–	3%	2%

(घ) से (च) अधिकांश उद्योगों में क्रॉस-सब्सिडी का कुछ तत्व मौजूद रहता है और भारतीय रेल भी इसका अपवाद नहीं है। जहां तक भारतीय रेल का संबंध है, अपने वाणिज्यिक परिचालनों के साथ-साथ इसे विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करना अपेक्षित होता है। सरकार के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को देखते हुए यात्री किरायों में वृद्धि पर अंकुश रखा गया है। ऐसे ही कारणों से माल यातायात की कुछ वस्तुओं की ढुलाई लागत से कम दर पर की जाती है। माल संचलन में रेल परिवहन के बाजार हिस्से में कमी का एक प्रमुख कारण माल यातायात के लिए किया जाने वाला क्रॉस-सब्सिडाइजेशन है। क्रॉस-सब्सिडाइजेशन में कमी करने के लिए लगातार कार्रवाई की गई है। विगत तीन वर्षों में रेलवे ने ही माल दरों में मामूली सी वृद्धि अर्थात् निवेश लागत में अनुमानित 9% की वृद्धि की तुलना में औसतन दो-तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग, लागत पर नियंत्रण और यात्रियों की संख्या में वृद्धि की उच्च दर हासिल करके यात्री यातायात से राजस्व में वृद्धि करके यात्री गाड़ी सेवाओं में हानियों में कमी करने के लिए उपाय भी किए गए हैं।

[अनुवाद]

निवेशकों को समय-पूर्व धनराशि की वापस अदायगी

***381. श्री रामप्रसाद सिंह :**
श्रीमती कांति सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई वित्तीय संस्थाओं, जैसे आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., यू.टी.आई. ने एकपक्षीय रूप से निवेशकों को भुगतान तिथि के पूर्व ही धनराशि की वापसी अदायगी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है और क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों को उनके द्वारा किए गए मूल अनुबंध का उल्लंघन करके इस प्रकार की अनुचित गतिविधियों में लिप्त होने से रोकने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हाँ। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई और यूटीआई जैसी कुछ वित्तीय संस्थाओं ने संबंधित विवरणिका (प्रास्पेक्टस) में दी गई निर्गमों (इश्यू) की शर्तों के अनुसार समयपूर्व मोचन का विकल्प चुना है।

(ग) से (ङ) जी, हाँ। वित्तीय संस्थाओं ने समयपूर्व मोचन के विकल्प का प्रयोग किया है, जो निर्गम दस्तावेज में दी गई शर्तों के अनुसार है और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संविदा की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य उसके द्वारा उधार ली गई राशि को आगे उधार देना और उधार लेने तथा उधार देने की दरों के बीच अन्तर में से उचित मार्जिन प्राप्त करना है। जब कोई बांड उभय-विकल्प के साथ जारी किया जाता है, तब जारीकर्ता और निवेशक को बांडों को पूर्व निर्धारित तारीखों पर समय से पहले मोचन का अधिकार होता है।

[अनुवाद]

नए कार निर्माताओं पर निवेश सीमा

***382. श्री किरीट सोमैया :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद यात्री कार विनिर्माण के क्षेत्र में आने की योजना बनाने वाले नए विनिर्माताओं पर न्यूनतम निवेश की कोई सीमा न लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वैकल्पिक ईंधन और उपस्करों को प्रोत्साहन देकर बढ़ रहे उत्सर्जन स्तर पर रोक लगाने के लिए भारी प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद ऑटोमोबाइल उद्योग को बचाने के लिए अन्य क्या सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) ऑटो नीति तैयार की जा रही है तथा अंतिम रूप दिए जाने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

मूल्यवर्धित वस्तुओं के लिए प्रोत्साहन

***383. श्री पी.सी. थामस :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रबरवुड के संबंध में मूल्यवर्धन की स्थिति क्या है और मूल्यवर्धित वस्तुओं के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के रबरवुड तथा अन्य मूल्यवर्धित वस्तुओं का निर्यात हुआ;

(ग) मूल्यवर्धित वस्तुओं के लिए दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार, भावी आयात-निर्यात नीति में मूल्यवर्धित कृषि-निर्यात के लिए विशिष्ट पहल करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक

*384. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी बाजार के हतोत्साहित वातावरण में उत्साह का संचार करने की दृष्टि से सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए प्रदत्त-पूंजी क्षेत्र में निवेश की वर्तमान 40 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में इस सीमा को बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस सीमा को बढ़ाए जाने से पूंजी बाजार को कहां तक लाभ पहुंचने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) बजट भाषण, 2001-02 में की गई घोषणा के अनुसरण में, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा पोर्टफोलियो निवेश, जिसके लिए विशेष प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कंपनी के आम निकाय द्वारा विशेष संकल्प तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, की कुल उच्चतम सीमा किसी भारतीय कंपनी की निर्गत एवं चुकता पूंजी के 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2001 को "फेमा" विनियम में संशोधन किए गए हैं तथा 8 मार्च, 2001 को सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

पोर्टफोलियो निवेश की बढ़ी हुई उच्चतम सीमा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने वाली कंपनी विशेष को समग्र एफआईआई पोर्टफोलियो निवेश नीति के अन्तर्गत उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों में वृद्धि करना और इसके द्वारा भारतीय पूंजी बाजार को सशक्त बनाना है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

*385. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राज्यवार कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ख) क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने का निर्णय लेते समय औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखती है;

(ग) यदि हाँ, तो देश भर में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए कुल निवेश की तुलना में, केरल में निवेश की गई धनराशि का अनुपात कितना है;

(घ) क्या यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्यमों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए अतिरिक्त पूंजीनिवेश का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह ब्यौरा इन उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय के अनुसार है।

(ख) से (च) दिनांक 31.3.2000 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 240 उपक्रमों में किया गया कुल पूंजी निवेश 2,52,554 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 2254 करोड़ रुपए की राशि केरल स्थित पांच केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में निवेशित की गई थी। केरल में पूंजी निवेश कुल पूंजी निवेश का 0.89 प्रतिशत था। केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निवेश संबंधी निर्णय आर्थिक सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते हैं, ताकि उत्पादन की निम्नतम लागत, कच्ची सामग्री की उपलब्धता के निश्चित स्रोत, अवस्थापना सैंबंधी सुविधाएं तथा अबाधित प्रचालन के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकें। अतः, खासकर आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास ही वाणिज्यिक उद्यमों में केन्द्रीय पूंजी निवेश का एकमात्र उद्देश्य नहीं है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान पूंजी निवेश		
	1999-2000	1998-99	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1275	29	–
असम	–	20	29

1	2	3	4
बिहार	106	127	96
हरियाणा	61	66	50
हिमाचल प्रदेश	613	914	796
कर्नाटक	376	—	21
केरल	74	38	32
मध्य प्रदेश	15	14	13
महाराष्ट्र	401	102	131
मेघालय	609	894	202
उड़ीसा	—	—	53
पंजाब	—	1	43
राजस्थान	32	3	2
तमिलनाडु	131	14	25
उत्तर प्रदेश	—	—	139
पश्चिम बंगाल	746	—	1039
दिल्ली	4299	2896	4490
गोवा	—	—	3

[हिन्दी]

10वें वित्त आयोग का प्रभाव

*386. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण विभिन्न पिछड़े और अल्प-विकसित राज्यों की अर्थव्यवस्था पर प्रशासनिक व्यय का भार बढ़ गया है;

(ख) क्या प्रशासनिक व्यय में बढ़ोत्तरी होने के कारण राज्यों के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों की अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण विभिन्न पिछड़े तथा अल्पविकसित राज्यों की अर्थव्यवस्था पर प्रशासनिक व्यय का भार नहीं बढ़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता। 10वें वित्त आयोग की अवधि में 226,643.30 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 434,905.40 करोड़ रुपए करते हुए 11वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के तहत् केन्द्र से राज्यों को होने वाले अंतरण में वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पुनरुद्धार

*387. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" के पुनरुद्धार के संबंध में दो विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है;

(ग) क्या सी.सी.आई. के पुनरुद्धारार्थ, इसके अतिरिक्त अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के संदर्भाधीन है और इसे रुग्ण घोषित कर दिया गया है। बीआईएफआर के दिनांक 28.07.2000 के निदेशों के अनुसरण में, सरकार ने सी.सी.आई. के पुनरुद्धार की संभाव्यता पर विचार किया है और बीआईएफआर को अपने दृष्टिकोण से अवगत करा दिया है कि कंपनी की सभी इकाइयों की अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से बिक्री की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। दो विशेषज्ञों द्वारा तैयार पुनरुद्धार योजना, सरकार द्वारा पहले से ही विचार की जा चुकी योजना के समरूप है। बीआईएफआर, कंपनी के भविष्य के संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। बीआईएफआर एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है।

[अनुवाद]

"भारत सहस्राब्दि जमा योजना"

*388. **श्री चिंतामन वनगा** :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अक्तूबर, 2000 में अनिवासी भारतीयों और विदेशी निगमित निकायों के लिए "भारत सहस्त्राब्दि जमा योजना" (इण्डिया मिलेनियम डिपॉजिट स्कीम) शुरू की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के माध्यम से संग्रहीत धनराशि का भारतीय स्टेट बैंक ने किन-किन क्षेत्रों में निवेश किया है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने इस जमा राशि का उपयोग, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करके और आधार संरचना क्षेत्र के लिए अग्रिम राशि संदाय करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों में अभी तक कितना निवेश किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) भारत सहस्त्राब्दि जमा योजना (आई.एम.डी.एस.) के माध्यम से 25,716 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की गई थी। जुटाई गई राशि निम्नलिखित रूप में सरकारी प्रतिभूतियों और आधारभूत सुविधा क्षेत्र, आदि में लगायी गई है :

(i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित राशि – 10,286 करोड़ रुपए

(ii) व्यवस्थाओं के अनुसार संग्रहणकर्ता बैंकों को उधार दी गई राशि – 12,023 करोड़ रुपए

(iii) परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु प्रयुक्त राशि – 3,407 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क का अपवंचन

*389. **श्री पी.आर. खुंटे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कार्यरत भारतीय-स्वामित्व वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने भारी मात्रा में उत्पाद-शुल्क का अपवंचन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :

1. कांसेप्ट फार्मास्युटिकल्स नेपाल लिमिटेड, मकवानपुर, नेपाल–वित्तीय सहयोग।
2. डाबर नेपाल प्रा. लिमिटेड, परसा, नेपाल–वित्तीय सहयोग।
3. चौधरी एल्डर लेबोरेट्रीज प्रा. लिमिटेड, सुंसारी, नेपाल–वित्तीय सहयोग।
4. जे.जे. फार्मास्युटिकल्स, नेपालगंज, नेपाल–वित्तीय सहयोग।

(ख) और (ग) चूंकि नेपाल एक अलग देश (विदेशी राज्य क्षेत्र) है, अतः इन कंपनियों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण तथा इसका अपवंचन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पश्चिमी देशों में शाकाहारी रेस्तरां खोलना

*390. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी देशों में भारतीय शाकाहारी "स्नैक्स" अधिकाधिक पसंदीदा खाद्य पदार्थ बनते जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन देशों को इस प्रकार के "स्नैक्स" का निर्यात करने की किसी योजना पर विचार किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिमी देशों में शाकाहारी रेस्तरां की शृंखलाएं स्थापित करने के लिए व्यवसायी वर्ग को भी शामिल करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हाँ।

(ख) पकाने के लिए तैयार उत्पादों और स्नैक्स के निर्यात यूएसए, यूके और अन्य यूरोपीय देशों सहित विभिन्न बाजारों को पहले से ही किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) विदेश में रेस्तरों की शृंखलाएं स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र स्वतन्त्र हैं। सरकार के पास पश्चिमी देशों में शाकाहारी रेस्तराओं की शृंखलाओं को स्थापित करने में व्यापारियों को सम्मिलित करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बीमा-क्षेत्र का विनियमन

*391. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति**
श्री शिवाजी माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीमा-क्षेत्र के विनियमन संबंधी सलाहकार-दल की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) बीमा विनियमन संबंधी सलाहकार दल का गठन भारतीय रिजर्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानदंड और संहिता संबंधी स्थायी

समिति द्वारा किया गया था। इसका अधिदेश भारत में बीमा विनियमन के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति स्थापित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना था। इस सलाहकार दल ने सूचित किया है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा बनाए गए विनियम कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हैं।

(ग) इन सिफारिशों को, जो परामर्शी स्वरूप की हैं, आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अंतर्गत और विनियम बनाते समय आईआरडीए द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

किसानों को ऋण दिया जाना

*392. **श्री रघुनाथ झा :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्ना उत्पादकों के ऋण आवेदनों को सीधे नहीं ले रही है और उन्हें संबंधित चीनी मिलों के माध्यम से अपने आवेदन देने पड़ रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) यह प्रश्न संभवतया चीनी विकास निधि से किसानों के लिए ऋण मंजूर करने से संबंधित है।

चीनी विकास निधि अधिनियम के अधीन चीनी विकास निधि का सृजन किया गया है, जिसमें चीनी उद्योग के विकास से संबंधित गतिविधियों और इससे सम्बद्ध मामलों अथवा इसके प्रासंगिक खर्चों का वित्त पोषण करने की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार चीनी विकास निधि से चीनी उपक्रमों के लिए उनके संबंधित क्षेत्रों में गन्ने का विकास करने हेतु ऋण मंजूर करती है।

किसानों को समय से ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों का एक बहु-एजेंसी नेटवर्क मौजूद है।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों की शाखाएं

*393. **श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान आज तक, देश में विदेशी बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार, देश में विदेशी बैंकों को और अधिक शाखाएं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठए गए हैं; और

(घ) देश के व्यापार और उद्योग की उन्नति में ये बैंक कितना योगदान दे रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कैलेण्डर वर्ष 2000 में देश में विदेशी बैंकों की सात शाखाएं खोली गई थीं और जनवरी तथा फरवरी 2001 में विदेशी बैंकों की छह शाखाएं खोली गई जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष 2000		वर्ष 2001 (फरवरी 2001 तक)	
बैंक का नाम	शाखा का स्थान	बैंक का नाम	शाखा का स्थान
1. सिटी बैंक एन.ए.	मुम्बई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ौदा, जयपुर	1. सिटी बैंक एन.ए.	कोयम्बतूर लुधियाना
2. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन	अहमदाबाद	2. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन	चंडीगढ़
3. स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	अहमदाबाद	3. ए.बी.एन. एमरो बैंक	हैदराबाद कलकत्ता
		4. बैंक ऑफ नोवा स्काटिया	हैदराबाद

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में शाखाएं खोलने के लिए विदेशी बैंकों से प्राप्त अनुरोधों पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है: (i) बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता, (ii) अंतर्राष्ट्रीय और अपने देश में रैंकिंग, (iii) कोटि-निर्धारण (रेटिंग), (iv) अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति, (v) दोनों देश के बीच आर्थिक और राजनैतिक संबंध, (vi) बैंक को अपने देश के नियामक के समेकित पर्यवेक्षण के अधीन होना चाहिए। इन अनुरोधों पर प्रत्येक वर्ष विदेशी बैंकों की 12 शाखा लाइसेंस जारी करने की विदेश व्यापार संगठन की समग्र प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भी विचार किया जाता है।

(घ) विदेशी बैंक व्यापार और उद्योग को ऋण और अग्रिम प्रदान कर रहे हैं। 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार 29,507 करोड़ रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों के कुल अग्रिमों की राशि 35,617 करोड़ रुपए थी जो 20.71 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। इन अग्रिमों का लगभग 75 प्रतिशत उन क्षेत्रों को है, जो निर्यात को छोड़कर व्यापार और उद्योग के द्योतक हैं।

[हिन्दी]

गैर-बैंककारी कम्पनियां

*394. डा. बलिराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां कार्य कर रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों ने इन कंपनियों में धनराशि जमा की तथा राज्यवार कुल कितनी राशि जमा की गई;

(ग) इन कंपनियों में से ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है जो उनमें जमा की गई राशि को हड़प कर गायब हो गईं;

(घ) ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार यथानिर्धारित दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार भारत में कार्यरत गैर-बैंकिंग कंपनियों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनी वार्षिक विवरणियों में दिनांक 31.3.1998 और 31.3.1999 को जमाखातों की संख्या और जुटाई गई सार्वजनिक जमाराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

समाप्त वर्ष	जमाखातों की संख्या	श्रेणी 'क'* में सूचना देने वाली कंपनियों की संख्या	जुटाई गई सार्वजनिक जमा राशि (करोड़ रुपए)
31.3.1998	1,03,67,221	1288	7903.20
31.3.1999	71,15,300	899	3732.16

* जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनियां

जमाराशि के राज्य-वार ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक दिनांक 31.3.2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आंकड़े समेकित कर रहा है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 फरवरी, 2000 से आगे गायब हो गई सभी गैर-बैंकिंग कंपनियों (वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो अपने पंजीकृत पते पर नहीं पाई गई हैं या जहां गैर-बैंकिंग कंपनियों को भेजे गए पत्र बिना वितरित हुए वापस आ गए) के नामों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु सूचित किया है। संबंधित राज्य सरकारों को सूचित गायब हुई गैर-बैंकिंग कंपनियों के नाम, जो तत्काल उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित राज्य सरकारों को ऐसी कंपनियों के नामों की सिफारिश करता है जिनके विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों के तहत कार्रवाई करने के अलावा उपयुक्त आपराधिक कार्रवाई की जा सके।

(ङ) जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यसंचालन को सुचारू एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से व्यापक विनियामक ढांचा बनाया गया है। विनियामक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्ति का रख-रखाव, शुद्ध लाभ को कम से कम 20 प्रतिशत आरक्षित निधि में अन्तरित करना और भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना शामिल है। सरकार ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में 'वित्तीय कंपनी विनियम विधेयक, 2000 को पुरः स्थापित किया है। माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने यह विधेयक स्थायी वित्त समिति को भेज दिया है।

विवरण-I

दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार भारत में कार्यरत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या
गुजरात, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली	1481
कर्नाटक	624
मध्य प्रदेश	588
उड़ीसा	62
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12852
पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़	1667
तमिलनाडु पाण्डिचेरी	2646
पूर्वोत्तर राज्य	272
आन्ध्र प्रदेश	1524
राजस्थान	614
जम्मू व कश्मीर	149
उत्तर प्रदेश	1475
महाराष्ट्र एंड गोवा	5090
दिल्ली एंड हरियाणा	7397
बिहार	507
केरल लक्षद्वीप	451
अखिल भारत	37399

विवरण-II

संबंधित राज्य सरकारों को भेजे गये उन गैर-बैंकिंग कंपनियों के नाम जो विभाग में उपलब्ध पते पर नहीं पाई गईं

भुवनेश्वर क्षेत्र

1. आल्विन एंड हाउसिंग फाइनांस लि., बालासौर
2. सिटी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस लि., भुवनेश्वर
3. समालस्वरी जनरल फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट लि., साम्बलपुर
4. सुपर फाइनांस डेवलपमेंट लि. संकल्प फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट लि., कटक
5. संकल्प फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट लि., क्योंझर
6. मिलान इंडिया इन्वेस्टमेंट लि., कटक
7. कैपिटल चैम्बर फाइनांशियलस लि., कटक
8. मेमोरियल एग्रो प्रोजेक्टस लि., साम्बलपुर
9. जीवन विकास जनरल फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
10. सेवक फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि.

गुवाहाटी क्षेत्र

11. असम आलबटरोस इस्टेट एंड फाइनांस लि., करीमगंज
12. बोहागी फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट लि., गुवाहाटी
13. इंडो प्रभात इन्वेस्टमेंट लि.
14. कलोंग वैली फाइनांस इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि.
15. करबी ट्रेड इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., तिनसुकिया
16. कुमेरू फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि., गुवाहाटी
17. महारथी फाइनांस एंड हायर प्रचेज (प्रा.) लि., नौगांव
18. कर्मभूमि जनरल एंड हाउसिंग फाइनांस लि., कामरूप
19. बेनीसन फाइनांस लि., गुवाहाटी
20. एबीबी सक्योरिटीज एंड फाइनांस लि., गुवाहाटी
21. रत्नायोगी फाइनांस एंड ट्रेडिंग प्रा. लि., नौगांव
22. पबरन फाइनांस प्राइवेट लि., नौगांव
23. पंचशील इन्वेस्टमेंट एंड फिनट्रेड प्रा. लि., नौगांव

भोपाल क्षेत्र

24. मिराज एक्जिम एंड फिनवेस्ट लि., भोपाल
25. निरपेक्ष होम फाइनांस लि., भोपाल
26. ओसियन फिनट्रेट (प्रा.) लि., भोपाल
27. रिजेन्सी फिनट्रेड प्रा. लि., भोपाल
28. सैकरूपा फिनलीज लि., भोपाल
29. इमेज फिनलीज प्रा. लि., इंदौर
30. क्षिप्रा लीज एंड फाइनांसियल प्रा. लि., इंदौर
31. मिंटो यस्टर फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., इन्दौर
32. नासा फाइनांस प्रा. लि., इंदौर
33. पारा फाइनांस प्रा. लि., इंदौर
34. पीक गैन फिनसेक प्रा. लि., इंदौर
35. प्रियंका फिनकैप प्रा. लि., इंदौर
36. राम फिनकैप प्रा. लि., इन्दौर
37. सौकार इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कं. प्रा. लि. 10, पालडनका, इंदौर
38. स्टीन फाइनांस प्रा. लि., इंदौर
39. सुल फिनसैक प्रा. लि., इंदौर
40. सुशमिता फिनसैक प्रा. लि., इंदौर
41. टोरेंशियल फाइनसेक प्रा. लि., इंदौर
42. वाइनर्स फाइनवेस्ट (आई) लि., इंदौर
43. पदमावती होल्डिंग लि., उज्जैन
44. सन मनी केयर गीव एंड टेक मनी प्रा. लि., उज्जैन
45. जय लाहारी फाइनेंस प्रा. लि., रायपुर
46. महानदी फार्मस एंड फाइनेंस एंड लीजिंग प्रा. लि., रायपुर
47. श्यामबाबा फाइनेंस प्रा. लि., रायपुर
48. मेहर कमर्शियल एंड फाइनेंस कं. लि., बिलासपुर
49. जन भक्ती फाइनेंस लीजिंग एंड हाउसिंग लि., जबलपुर
50. मध्य क्षेत्र लीजिंग लि., जबलपुर
51. मालवा फाइनकैप लि., गुणा (म.प्र.)
52. साइफको फाइनवेस्ट लि., ग्वालियर
53. तरण अंगद लीजिंग प्रा. लि., ग्वालियर
54. सागर फिन लि., सागर
55. महाकाली जनरल फाइनेंस एंड लीजिंग प्रा. लि., भोपाल
56. सेनेटोरियल इंडिया लीजिंग एंड फाइनेंस लि., भोपाल
57. आईटीएल फाइनवेस्ट लि., इंदौर
58. सुखमनी इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., इंदौर
59. यार्ड सेक्युरिटीज प्रा. लि., इंदौर

60. सोनाली रिसोर्सेस प्रा. लि., ग्वालियर
61. स्ट्रैटवे मार्केटिंग प्रा. लि., कटनी-483 501
62. अंजूली फाइनसेक (प्रा.) लि., इंदौर
63. अनमोल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., इंदौर
64. भाग्यरेखा कैपिटल मार्केट (प्रा.) लि., इंदौर
65. भोजपुर फाइनवेस्ट (प्रा.) लि., इंदौर
66. कमांडो सेक्युरिटीज (प्रा.) लि., भोपाल
67. गुंजन लीजिंग एंड हायर परचेज (आई) लि., भोपाल
68. जतनश्री फाइनेंस एंड कन्स्ट्रक्शन कं. प्रा. लि., भोपाल
69. बीबी भानीजी फाइनेंस एंड (प्रा.) लि., जबलपुर
70. किरण प्रभाग होल्डिंग प्रा. लि., इंदौर
71. लिंकर सेक्युरिटीज लि., भोपाल
72. शगुन लीजिंग लि., जबलपुर
73. न्यू रॉयल प्रोम्ट-इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लि., जबलपुर
74. ओम समृद्धि लीजिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस लि., जबलपुर
75. गोंडवाना फाइनेंस (इंडिया) लि., जबलपुर-482 002
76. केनन कैपिटल एंड लीजिंग (इंडिया) लि., भोपाल

तिरुवनन्तपुरम क्षेत्र

77. अल-बकियाह फाइनेंस एजेंसी प्रा. लि., मुलाकुझा डाकघर
78. अष्ठमी कुरिस एंड लोनूस प्रा. लि., गुरूवायुर
79. छोलायिल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि., यारकाला
80. ग्रेट ओरियंटल सेक्युरिटीज प्रा. लि., एरणाकुलम
81. गुरूवायुर कुरियर एंड लोनस प्रा. लि., गुरूवायुर
82. हरीश्री फाइनेंस (प्रा.) लि., एरणाकुलम
83. हीरोस विंग जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं., त्रिचुर
84. इंस्ट्रूमेन्टल फाइनेंस (प्रा.) लि., कोची
85. इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कं. इंडिया लि., सेनापति
86. जेसन चिट एंड फाइनेंस (प्रा.) लि., कोझीकोड
87. कावेरी लीजिंग एंड हायर परचेस कं. (प्रा.) लि., एरणाकुलम
88. कृष्णाप्रसादम चिट्स एंड फाइनेंस प्रा. लि., गुरूवायुर
89. लालाश्री बिसनेस क्रेडिट्स प्रा. लि., कन्नुर
90. लिंक इंडिया कैपिटल एंड कन्सलटेंसी प्रा. लि., कोची
91. मैक्सवेल्थ लीजिंग एंड फाइनेंस इंडिया लि., मन्नुथी
92. मिडलैंड हायर परचेस एंड लिजिंग कं., कोल्लम
93. मोहता कोस्टिक्स एंड केमिकल्स लि., तिरुवनन्तपुरम
94. मुन्नुपीडिका चिट्स एंड फाइनेंस (प्रा.) लि., पेरिंजानम
95. नजरानी सेविंग्स प्रा. लि., अलापुझा
96. न्नी निधी कं. लि., तिरुवनन्तपुरम
97. पाम्पाकुडा कुरिस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., एरणाकुलम
98. पेरियार फाइनेंस प्रा. लि., कोल्लम
99. प्रिमीयम हायर परचेज (प्रा.) लि., कुन्नाकुलम
100. रैंडोम चिट्स एंड फाइनेंस (प्रा.) लि., एरणाकुलम
101. वैल्यू इन्वेस्ट लि., कोची
102. वर्ल्ड लाइन कुरिस एंड लोनूस प्रा. लि., कुन्नाकुलम

अहमदाबाद क्षेत्र

103. आर्वी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि.
104. एसीई क्रेडिकट प्रा. लि.
105. अग्रवाल फाइनस्टाक्स प्रा. लि.
106. अजबगजब इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
107. अजवा फाइनेंस लि.
108. अकरोपन फाइनेंस लि.
109. आमी पदमा फाइनमार्क लि.
110. अनार फाइन इंजीनियरिंग प्रा. लि.
111. ऐरो सेक्युरिटीज लि.
112. अरशान ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
113. अरूणोदय क्रेडिट एंड होल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
114. अशोक फाइन स्टाक लि.
115. एटलस लीज एंड फाइनेंस लि.
116. बागरेचा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
117. बिरींग फाइनेंस प्रा. लि.
118. भानुशाली फाइनेंस लि.
119. भाटिया फाइनस्टाक लि.
120. बोल्ट कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.
121. चन्द्रेश फाइनेंस लि.
122. चीनी लिजिंग एंड फाइनेंस प्रा. लि.
123. चुरूवाला इन्वेस्टमेंट एड फाइनेंस प्रा. लि.

124. सिटीलिंक फाइनसेक लि.
125. कोरडियाला इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
126. क्रिएटिव फाइनस्टाक प्रा. लि. (जूनागढ़)
127. दयाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा. लि.
128. दीपक फाइनस्टाक प्रा. लि.
129. देव कैपिटल वेंचर (इंडिया) लि.
130. धनलक्ष्मी केपलिज लि.
131. धन्ना फाइनस्टाक प्रा. लि.
132. दिनार सेक्युरिटीज प्रा. लि.
133. एरनोर फिसकेल सर्विसेज प्रा. लि.
134. एल्लार इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
135. फादिया फाइनमार्क प्रा. लि.
136. फोरपी फाइनकेप (इंडिया) लि.
137. फ्रेथ फाइनेसिंग कं. प्रा. लि.
138. गणिपितक यक्षराज कैपलिज लि.

कलकत्ता क्षेत्र

139. अपन्जान फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लि.
140. एश्युरेन्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लि.
141. आलोकमाला सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कं. (प्रा.) लि.
142. अमियाबी सेविंग्स एंड क्रेडिट लि.
143. आरगोसी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
144. आशाज्योति फाइनेंस कं. (आई) लि.
145. विश्वभारती इन्वेस्टमेंट कं. लि.
146. विश्वजी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
147. ब्रिटेक्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
148. बनियान स्माल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आई. लि.
149. ब्योयन्त हाउसिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
150. केरियोन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
151. चान्स सेविंग्स कं. लि.
152. फास्टलैंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
153. डिपेंटेबल सेविंग्स एंड फाइनेंस कं. लि.
154. एलाईट लाइफ फाइनेंस एंड क्रेडिट (आई) कं. लि.
155. दिनकल फाइनेंस एंड हायर परचेस कं. लि.
156. फाल्टा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
157. फेवरेबल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. (आई) लि.
158. ग्रानरी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
159. डोक्स फाइनेंस लि.
160. फ्युचर लाईफ फाइनको एंड इन्वेस्टमेंट लि.
161. ग्रीन बनियान फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
162. चिरंतानी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
163. आरटेक हाउसिंग डेवलप. फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कं. (प्रा.) लि.
164. कोटयी फाइनेंस एंड हायर परचेस (प्रा.) लि.
165. दुनहिल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
166. गोयनलिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
167. हैपी लाइफ स्माल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
168. चांसलर हाउसिंग डेवलप. फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
169. चैतन्या क्रेडिट एंड फाइनेंस लि.
170. चार्टर्ड जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
171. सिलेब्रेट स्माल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
172. अन्युटि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
173. अद्वितीय सेविंग्स एंड क्रेडिट कं. (आई) लि.
174. अभिस्कार स्माल इन्वेस्टमेंट कं. (प्रा.) लि.
175. देबदूत सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
176. एमदी जनरल फाइनेंस एंड सेविंग्स लि.
177. फैथफुल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
178. फेकंड लाइफ फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
179. फियोना इन्वेस्टमेंट लि.
180. इनलैंड फाइनेंस एंड स्माल इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि.
181. अग्रदूत क्रेडिट एंड फाइनवेस्ट लि.
182. कैची सेविंग्स एंड फाइनेंस लि.
183. लीजेंड फाइनेंस एंड अग्रिकल्चरल इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
184. लिम्बो हाउसिंग क्रेडिट (आई) लि.
185. लोकदर्शी सेविंग्स एंड फाइनेंस (आई) लि.
186. लकी सेविंग्स एंड क्रेडिट कं. (प्रा.) लि.
187. मातागिनी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
188. मिलोरेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.

189. मोनाली फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि.
190. नाबारश्मी इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल (आई) लि.
191. ओवरमान इन्वेस्टमेंट कं. लि.
192. पैरोट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
193. पैरोट सेविंग्स एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लि.
194. पिफल्स ऑन जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
195. प्लावर जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
196. प्रांतिक स्माल सेविंग्स (आई) लि.
197. नवकिरण सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
198. न्यू लाइफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
199. रेनाइसेस स्माल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
200. आरएफडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लि.
201. प्रातीदिन क्रेडिट (प्रा.) लि.
202. प्रिया जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
203. प्रापर लाइफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
204. दि गोल्ड रश सेविंग्स एंड फाइनेंस कं. लि.
205. दि रिलायन्स क्रेडिट लि.
206. जिलेक्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
207. जीविका फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
208. जोहरा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
209. जॉय इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
210. जुवेनाइल सेविंग्स एंड क्रेडिट प्रा. लि.
211. डीएनएस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
212. केशन लीजिंग एंड फाइनेंस (आई) लि.
213. ब्राइट फ्यूचर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
214. विकार जनरल फाइनेंस कं. लि.
215. पी.जी. फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) प्रा. लि.
216. रिजनल स्माल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
217. मिनर्वा फाइनेंस (आई) लि.
218. एशिया पैसिफिक फाइनेंसियल सर्विसेस लि.
219. सातादल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.

गुवाहाटी

220. अनुराग एनट्रेड इंडिया प्रा. लि., गुवाहाटी
221. आशा एनट्रेड प्रा. लि., गुवाहाटी
222. बालाजी सेक्युरिटीज प्रा. लि., गुवाहाटी
223. एस.जी. ट्रेडफाइन प्रा. लि., गुवाहाटी
224. ली जेम फाइनट्रेड प्रा. लि., नागांव
225. लोकप्रिय फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, गुवाहाटी
226. लियोपार्ड फाइनेंस (इंडिया) प्रा. लि., गुवाहाटी
227. लुसेंट इंडिया फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., नागांव
228. फ्लागशिप सुक्येरिटीज प्रा. लि., गुवाहाटी
229. कामाख्या लीफिन प्रा. लि., गुवाहाटी
230. कृष्णा हायर परचेज प्रा. लि., गुवाहाटी
231. क्यू. बी. फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि., शिलांग
232. स्टर्लिंग सर्विसेज प्रा. लि., गुवाहाटी
233. सिसा हायर परचेज एंड मार्केटिंग प्रा. लि., गुवाहाटी
234. शुभम कमर्शियल (प्रा.) लि., गुवाहाटी

[अनुवाद]

आई.डी.बी.आई. को विश्व बैंक ऋण

*395. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश की आधार संरचनात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषणार्थ, विश्व बैंक से आसान शर्तों पर ऋण लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपेक्षाकृत अधिक आसान शर्तों पर वित्त जुटाने के उद्देश्य से कर-मुक्त बंध पत्रों का निर्गम करने सहित, अन्य विकल्पों की भी तलाश कर रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो आई.डी.बी.आई. विश्व बैंक से किस परिणाम में आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त कर पाया है; और

(घ) आई.डी.बी.आई. देश की आधार संरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने में कहां तक समर्थ हो पाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश में आधारभूत परियोजनाओं के निधियन के लिए किसी सुलभ ऋण हेतु विश्व बैंक से संपर्क नहीं किया है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सस्ते संसाधन जुटाने के लिए किए गए अपने प्रयास के रूप में कर-मुक्त बांडों की उपलब्धता सहित विभिन्न विकल्पों की छानबीन कर रहा है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विश्व बैंक से कोई सुलभ ऋण नहीं लिया है।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश में आधारभूत परियोजनाओं के लिए 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से 41241 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है और 16895 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

[हिन्दी]

गेहूं का निर्यात

*396. **श्री नवल किशोर राय :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं और चावल का, उनकी लागत से भी कम कीमत पर निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो चालू वर्ष के दौरान फरवरी, 2001 तक कितनी मात्रा में गेहूं और चावल का निर्यात करने पर सहमति हुई है;

(ग) समझौते के अनुसार गेहूं और चावल का निर्यात मात्रावार किन दरों पर किया जाएगा; और

(घ) इस प्रकार निर्यात से कुल कितना आर्थिक घाटा होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) नवम्बर, 2000 में, सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान शुरूआत के तौर पर 20 लाख टन गेहूं का निर्यात करने का निर्णय किया था। बाद में, दिसम्बर, 2000 में सरकार ने 31.3.2001 तक 20 लाख टन चावल का भी निर्यात करने का निर्णय लिया।

भारतीय खाद्य निगम 4150 रुपये प्रति टन की दर पर निर्यात के लिए गेहूं उपलब्ध करा रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए उपलब्ध कराए जा रहे चावल की दर 6750 रुपये प्रति टन है।

(घ) आर्थिक लागत और निर्यात के लिए निर्गम मूल्य के बीच अंतर होता है। तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक, बफर मानदंडों से कहीं अधिक है और यह कि वर्तमान वर्ष में रबी की वसूली गत वर्ष में हुई गेहूं की रिकार्ड वसूली से अधिक हो सकती है, यह हानि आने वाले वर्षों में गेहूं और चावल की रख-रखाव लागत में बचत करके बहुत हद तक पूरी हो जाएगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए नीतिगत उपाय

*397. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र में और विकास करने के लिए नए नीतिगत उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में मंत्रियों के दल ने हाल में देश के उद्योग जगत के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा की थी;

(घ) यदि हाँ, तो क्या मंत्रियों के दल ने इस विचार से विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा (सेक्टोरल फारेन इन्वेस्टमेंट कैप) की समीक्षा की है ताकि सुझाए गए नीतिगत उपायों को तत्परता से लागू किया जा सके; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में और विकास करने के लिए पहले ही कई नीतिगत उपायों की शुरूआत कर दी गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :

- कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के मामले में मूल सीमा शुल्क कम कर दिया गया है।
- कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अधीन बजट प्रावधानों में वृद्धि की गयी है।
- बचत पर ब्याज दरें एक से डेढ़ प्रतिशत तक कम कर दी गयी हैं।
- चमड़े की वस्तुओं, जूतों और खिलौनों से संबंधित चौदह लघु उद्योग की मदों का अनारक्षण किया गया है।
- वित्तीय तथा पूंजी बाजार में और सुधार किए गए हैं।
- एस.आई.सी.ए. के निरसन तथा कंपनी अधिनियम में संशोधन की घोषणा की गयी।
- श्रम में लचीलापन लाया गया, औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया गया और ठेका मजूदरी अधिनियम घोषित किया गया।
- अवसंरचना क्षेत्र के लिए कर अवकाश की घोषणा की गयी।

(ग) से (ङ) मौजूदा क्षेत्रीय नीतियों और क्षेत्रीय इक्विटी की सीमाओं की समीक्षा करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगम निकायों द्वारा निवेश पर अपेक्षित परिवर्तन संबंधी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया है। सरकार द्वारा लिए गए कुछ नीतिगत उपाय निम्न हैं--(i) विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा हटाना, (ii) स्वतःमार्ग के अधीन बिजनेस टू बिजनेस ई-कामर्स के लिए और तेल शोधन हेतु 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति दी गयी, (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित, केवल कुछ ही कार्यकलापों को छोड़कर, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजैड) में सभी प्रकार के विनिर्माणकारी कार्यकलापों में 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति दी गयी; (iv) इन्टरनैट सेवा उपलब्ध कराने वालों (गेटवे के बिना), डार्क फाइबर उपलब्ध कराने वाले अवसरंचना प्रदाताओं (वर्ग-1), इलैक्ट्रॉनिक मेल और वॉइस मेल के लिए 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड

***398. श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में बैंकों के कर्मचारियों को शेयरधारकों के प्रतिनिधियों के रूप में बैंक-बोर्डों में शामिल होने से वर्जित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों के निदेशकों की निरर्हता से संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 के खंड 10 में दिसम्बर, 2000 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक समनुषंगी बैंक अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथानिर्धारित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ के पद पर हो, पूर्णकालीन निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ङ) और (च) के तहत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशक शामिल हैं को छोड़कर, तो वह बैंक के बोर्ड में निदेशक बनाए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई कर्मचारी, यदि शेयरधारक है तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निदेशक के पद पर नामांकन हेतु अर्ह नहीं होगा।

(ख) बैंक के बोर्ड में शेयरधारक निदेशकों के रूप में बैंक कर्मचारियों के प्रवेश से बैंकों के प्रबंधन में सार्वजनिक शेयरधारक निदेशकों की भागीदारी की अनुमति का प्रयोजन निष्फल हो रहा था और इससे बैंकों और शेयरधारकों के बीच माहौल खराब हो रहा था। हित एवं कर्त्तव्य में परस्पर विरोध से बचने के लिए और जनहित में योजना में संशोधन किया गया है।

[अनुवाद]

मिस्र द्वारा भारतीय चाय पर पाटन-रोधी शुल्क

***399. श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र ने केन्याई चाय पर लगाये गये 3 प्रतिशत आयात शुल्क की तुलना में भारतीय चाय पर 30 प्रतिशत आयात-शुल्क लगा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके परिणामतः पिछले तीन वर्षों के दौरान मिस्र को चाय के निर्यात में गिरावट आई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में मिस्र सरकार से बात की है;

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर मिस्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही; और

(च) मिस्र को चाय निर्यात की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आगे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) मिस्र में बल्क और पैकेट बन्द चाय के आयात पर आयात शुल्क की सामान्य दर 30 प्रतिशत है जिसमें भारत से चाय का आयात भी शामिल है। मिस्र कोमेसा का एक सदस्य है, इसलिए यह केन्या सहित अन्य सदस्य देशों को आयात शुल्क पर रियायतें प्रदान करता है। केन्या को चाय पर दी गई रियायत की दर 90 प्रतिशत है, इस प्रकार केन्या की चाय पर मिस्र में आयात शुल्क की प्रभावी दर 3 प्रतिशत हुई। इसके फलस्वरूप, मिस्र में भारतीय चाय की कीमतें लाभकारी नहीं हैं तथा मिस्र को चाय के हमारे निर्यातों में कमी आई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिस्र को चाय का निर्यात निम्नानुसार था :

वर्ष	मात्रा (मिलि. किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1998	6.65	52.32
1999	1.25	9.79
2000	0.87	4.04

(घ) से (च) सरकार/चाय बोर्ड ने भारत को भी कोमेसा सदस्य देशों को दी जा रही रियायतों के समान रियायत प्रदान करने के लिए मिस्र के प्राधिकारियों से अनुरोध किया था। परन्तु मिस्र ने इसे स्वीकार नहीं किया। वैकल्पिक तौर पर यह सुझाव दिया गया है कि चाय सहित ऐसी कुछ अन्य वस्तुओं को अभिज्ञात किया जाए जिन पर दोनों देशों द्वारा आयात शुल्क कम किया जा सकता है।

[अनुवाद]

बासमती एक्सपोर्ट हिट बाई डी.जी.एफ.टी. पॉलिसी

*400. **श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या 1 दिसम्बर, 2000 के "दि इकनॉमिक टाइम्स" में बासमती एक्सपोर्टस हिट बाई डी.जी.एफ.टी. पॉलिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) के द्वारा डी.ई.पी.बी. के अंतर्गत शुल्क वापस लेने की अनुमति देने से मना कर देने के कारण, चावल का भारी मात्रा में होने वाला निर्यात बिल्कुल कम हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस समाचार के तथ्यों की जांच की है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त निर्णय के फलस्वरूप निर्यातकों को भारी आघात पहुंचा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने के बारे में विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस) कोलकाता से प्राप्त आंकड़ों में बासमती चावल के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं दर्शाई गई है जैसा कि समाचारपत्र में छपी खबर में उल्लेख किया गया है। वस्तुतः अप्रैल-दिसम्बर, 2000 की अवधि (नवीनतम अवधि जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मूल्य और मात्रा दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 2000 में बासमती चावल का निर्यात 1,58,377.64 लाख रुपए मूल्य के 6,38,434 टन का हुआ था जबकि दिसम्बर, 1999 में 1,28,203.27 लाख रुपए मूल्य के 4,38,913 टन का निर्यात हुआ था।

1.12.2000 के इकानॉमिक टाइम्स में छपी खबर में यह उल्लेख किया गया है कि बासमती चावल के निर्यातक प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के इस्तेमाल पर 2 प्रतिशत की दर से डीईपीबी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस लाभ की मनाही से कथित तौर पर चावल निर्यातकों को नुकसान हो सकता है।

पैकेजिंग सामग्री के रूप में प्लास्टिक अथवा कागज (अथवा उसके किसी संयोजन) के इस्तेमाल हेतु चावल निर्यातक समेत अन्य निर्यातकों को 2 प्रतिशत डीईपीबी ऋण प्रदान किया जाता है ताकि ऐसी सामग्री के आयात पर प्रदत्त सीमाशुल्क के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके। किसी अन्य सामग्री (कागज अथवा प्लास्टिक को छोड़कर) के लिए यह दर 1 प्रतिशत की है। ये दरें वापस नहीं ली गई हैं और ये चावल निर्यातक समेत सभी निर्यातकों के लिए तब उपलब्ध होते हैं जब वे अपनी वस्तुओं का निर्यात डिब्बाबंद स्वरूप में करते हैं। तथापि, कुछ पत्तनों पर यह देखा गया था कि कुछ निर्यातक प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल कंटेनरों की भीतरी दीवारों की लाइनिंग हेतु कर रहे हैं। इस सामग्री को निकासी पत्तन पर हटा दिया जाता है और उपभोक्ता तक पहुँचने से पूर्व चावल को दुबारा पैक किया जाता है। अंतर मंत्रालयी डीईपीबी समिति (जिसमें राजस्व तथा अन्य तकनीकी मंत्रालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं) ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि इसे डिब्बाबंद स्वरूप में निर्यात नहीं समझा जा सकता। तथापि, चावल के निर्यातों पर यह लाभ उस स्थिति में मिलता रहेगा यदि चावल का निर्यात मानक बैगों में किया जाएगा।

नौसेना प्रमुख के आवास पर गोलीबारी

3743. डा. राम चन्द्र डोम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना प्रमुख के आवास पर 01 दिसम्बर, 2000 को सुरक्षा गार्ड द्वारा गोली चलाने की घटना को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य नहीं सौंपा जाएगा जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) गोली चलने की घटना गंभीर चिंता का विषय है। नौसेना मुख्यालय द्वारा सुरक्षा-खामी की जांच करने तथा उपायों के सुझाव देने के लिए एक जांच-बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, नौसेनाध्यक्ष की सुरक्षा की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। नौसेनाध्यक्ष की सुरक्षा के लिए तैनात सेलरों की समुचित छंटनी, चयन तथा प्रशिक्षण के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

भारतीय वायुसेना का स्तर

3744. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दो सीटों वाला बहु-उद्देशीय लड़ाकू विमान सुखोई एस.यू.-30 एम.के.आई. का रूसी-भारतीय प्रतिरूप प्राप्त करने वाला पहला देश बन जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो एस.यू.-27 यू.बी. और एस.यू.-30 विमान की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय पायलट इसकी उड़ानों और अन्य तकनीकी विशेषताओं के कहां तक अभ्यस्त हो गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) एस यू-27 यू.बी., एस.यू.-27 विमान का प्रशिक्षक रूपांतरण है और इसमें रूसी वैमानिकी लगी हुई है। एस.यू.-30 एम. के-1 विमान

हालांकि एस.यू.-27 का रूपान्तरण है, किन्तु यह कनार्ड्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग युक्त दो सीट वाला विमान है। इस विमान में पश्चिमी मूल की नवीनतम वैमानिकी लगी हुई है। एस.यू.-30 विमान एक बहुउद्देशीय "उत्कृष्ट हवाई युद्धक विमान" है।

(ग) भारतीय वायुसेना ने इस विमान का प्रचालन किया है और मौजूदा संक्रियात्मक परिवेश में इसे काम में लाने हेतु रणनीति विकसित की है।

[अनुवाद]

पटसन का उत्पादन

3745. श्री अमर रायप्रधान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितने पटसन उत्पादक भारतीय पटसन निगम के पास पंजीकृत हैं;

(ख) क्या ऐसे पटसन उत्पादकों द्वारा भी बड़ी मात्रा में पटसन का उत्पादन किया जा रहा है जो भारतीय पटसन निगम के पास पंजीकृत नहीं हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उनके पंजीकृत न होने के क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक विभिन्न राज्यों के इन अपंजीकृत पटसन उत्पादकों द्वारा अनुमानतः पटसन का कितना उत्पादन किया जा रहा है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक उत्पादक द्वारा उत्पादित पटसन की गुणवत्ता के संबंध में सरकार ने क्या अनुमान लगाया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) भारतीय पटसन निगम (जे. सी. आई.) द्वारा पटसन उपजकर्ताओं के पंजीकरण की कोई प्रणाली नहीं है। किसानों द्वारा पंजीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता के बिना पटसन का उत्पादन किया जाता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जलमार्गों में निजी कंपनियों द्वारा निवेश

3746. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्देशीय जलमार्गों के क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी हाँ। सरकार ने पहले ही एक नीतिगत पैकेज तैयार कर लिया है जिसके अंतर्गत अन्य उपायों के साथ-साथ अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए आकर्षित करने का प्रावधान है। इस नीतिगत पैकेज के तहत इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वाणिज्यिक/संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की भूमिका बढ़ाने की परिकल्पना की गई है बशर्ते कि सरकार की वित्तीय भागीदारी इक्विटी सहभागिता तक सीमित हो, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करने तक सीमित हो बशर्ते कि बीओटी परियोजना के लिए वास्तविक पूंजीगत सब्सिडी 40 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ मामला-दर-मामला आधार पर परिकलित की जाए, निवेशकों को पांच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और अगले पांच वर्षों के लिए 30 प्रतिशत कर छूट देना और इस सुविधा का लाभ 20 वर्ष की अवधि के भीतर उठाया जाए जैसाकि राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में होता है, अंतर्देशीय जलमार्गों में सामान्य रूप से प्रचालन कर रहे सभी जलयानों के लिए मूल्य ह्रास की दर 20 प्रतिशत निर्धारित करना ताकि उन्हें समुद्रगामी जलयान के समकक्ष लाया जा सके, भारतीय शिपयार्डों में विनिर्मित अंतर्देशीय जलयानों के लिए 30 प्रतिशत जलयान निर्माण सब्सिडी शुरू करना तथा वर्तमान ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम को बंद करना तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए आयोजित उपस्कर और मशीनरी न्यूनतम सीमा शुल्क वसूल करना। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को वाणिज्यिक/संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु समर्थ बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने की संभावना है। जैसे ही विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति इसको अपनी अनुमति दे देते हैं, इस उपाय को कार्यान्वित करने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। अन्य उपाय अपेक्षित प्रारंभिक कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास कोष

3747. श्री जय प्रकाश : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने योजना आयोग से पर्यटन विकास कोष बनाने हेतु स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) पर्यटन विकास निधि स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

सेना अधिनियम के अंतर्गत असैनिक रक्षाकर्मियों की स्थिति

3748. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक रक्षाकर्मियों को सेना अधिनियम, 1950 के अंतगंत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असैनिक रक्षाकर्मी "फील्ड सर्विस ड्यूटी" के लिए बाध्य हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (घ) असैनिक रक्षा कर्मियों की निम्नलिखित श्रेणियों को सेना अधिनियिम, 1950 के अंतर्गत शामिल किया गया है :

1. सेना अधिनियम, 1950 की धारा 2(1) (1) की शर्तों के अनुसार, सैनिक विधि के अध्यधीन अन्यथा न आने वाले व्यक्ति, जो सक्रिय सेवा पर, कैंप में, प्रगमन पर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सीमांत चौकी पर, नियमित सेना के किसी प्रभाग द्वारा नियोजित हों, या उसकी सेवा में हों, या उसके अनुचारी हों, या उसकी टुकड़ी, साथ चलते हों, जहां कहीं भी हों इस सेना अधिनियम के अध्यधीन होंगे। इस प्रकार रक्षा असैनिकों को सेना अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना धारा 2 (1) (1) के तहत उल्लिखित शर्तों की पूर्ति तक ही सीमित है।

2. असम राइफल की स्थापनाओं, सिविल जनरल परिवहन कंपनी तथा जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में कार्यरत सिविलियन हर समय सेना अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। सेना अधिनियम की धारा-4 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम उन पर लागू किया गया है।

2. रक्षा सेवाओं में कार्यरत सिविलियनों की तरह (फील्ड सेवा बाध्यता) अधिनियम, 1957 के अनुसार असैनिक रक्षा कार्मिक फील्ड सेवा ड्यूटी के लिए बाध्य हैं। सेना अधिनियम की धारा 2 (1) (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी, जोकि अयोधी हैं, सशस्त्र बलों के अभिन्न अंग हैं तथा आवश्यकता होने पर वे फील्ड सर्विस ड्यूटी के लिए बाध्य होंगे।

[अनुवाद]

खन्ना रेल दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

3749. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री 14.12.2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 4067 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं, दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जी.सी. गर्ग की अध्यक्षता में गठित गर्ग आयोग की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) आयोग से अपना कार्य शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

जुबली पेट्रोल पम्पों पर सुविधाएँ

3750. श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न तेल कम्पनियों के माध्यम से जुबली पेट्रोल पम्पों पर नई सुविधाएँ उपलब्ध करानी शुरू की थीं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने जुबली पेट्रोल पम्पों ने लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध करानी शुरू कर दी हैं; और

(घ) शेष जुबली पेट्रोल पम्प लोगों को ये सुविधाएँ कब तक उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों (जे.आर.ओ.) की योजना बहु सम्बद्ध सुविधाओं सहित ईंधन के लिए पर्यटकों और ट्रक चालकों जैसे यात्रियों की माँग पूरी करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी। वर्तमान में देश में 208 जे आर ओ प्रचालनरत हैं।

आगे और जे आर जो खोलने की योजना सरकार द्वारा बंद कर दी गई है।

[अनुवाद]

पक्षियों के टकराने से रक्षा विमानों की दुर्घटनाएं

3751. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में शामिल किए जाने के पश्चात् पक्षियों से टकराने के कारण कितने मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विमानपत्तनों के निकट गंदगी, मांस के टुकड़ों और अन्य खाद्य सामग्री के कारण पक्षी वहां मंडराते रहे हैं;

(ग) क्या वायुयान अधिनियम, 1934 के नियम 81ख को वायुसेना के सभी हवाई अड्डों में लागू किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वायु सैनिक अड्डों विशेषकर हिंडन हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध पशु वध को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) 15 मार्च, 2001 तक श्रेणी-1 की दुर्घटनाओं में पक्षियों के टकराने से मिग शृंखला के 67 विमान नष्ट हुए हैं।

(ख) से (ङ) सरकार को हवाई अड्डे के निकट उड़ने वाले पक्षियों से होने वाली समस्याओं की जानकारी है तथा सरकार वायुसेना स्टेशन, हिंडन समेत सभी वायु स्टेशनों में पक्षियों की हटाने हेतु किए जाने वाले उपायों संबंधी कार्यक्रम को लागू करने के लिए कदम उठा रही है।

सरकार ने 1988 में विमान अधिनियम, 1934 को संशोधित करते हुए वायुक्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि के भीतर कचरा फेंकने अथवा मृत जानवरों की खाल उतारने, बूचड़खाना अथवा पशु-शव निपटान संयंत्र खोलने का दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया है। इसे लागू किया जा रहा है। वायुसेना बेस के चारों ओर घास-फूस की नियमित रूप से सफाई कर दी गई है। इसके अलावा, कृषि मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालय भी वायुक्षेत्रों के चारों ओर के क्षेत्रों की सफाई करने के लिए कार्य-योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में गठित युद्धक विमान दुर्घटना संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सितम्बर, 1997 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर कुछ सिफारिशें की हैं, जिन्हें लागू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की जाँच करने हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना

3752. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में डीजल/पेट्रोल/मिट्टी के तेल की जाँच कराने हेतु प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 के भारत के असाधारण राजपत्र में जी.एस.आर. 772 (ई) के रूप में प्रकाशित मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल (विनियमन तथा आपूर्ति एवं वितरण तथा कदाचारों का निवारण) आदेश, 1998 की अनुसूची 3 के द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद नमूनों का परीक्षण करने के लिए काफी संख्या में प्रयोगशालाएँ पहले ही अधिसूचित कर दी हैं। ये प्रयोगशालाएँ सभी पेट्रोलियम उत्पादों के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियाँ

3753. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियाँ खोलने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज तक तेल चयन बोर्ड ने राजस्थान में कितने पेट्रोल पम्प आबंटित किए हैं; और

(ग) भविष्य में राज्य में पेट्रोल पम्पों/रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना हेतु तेल कंपनियों की क्या योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों से खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए व्यवहार्य स्थानों का पता लगाने के लिए तेल कंपनियों द्वारा आवधिक सर्वेक्षण कराए जाते हैं। व्यवहार्य पाए गए स्थानों को विपणन योजनाओं में शामिल कर लिया जाता है।

बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त राजस्थान के लिए 1999-2000 की विपणन योजना में खुदरा बिक्री डीलरशिपों के लिए 19 स्थानों को और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए 29 स्थानों को शामिल किया गया है।

31.1.2001 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में 1096 खुदरा बिक्री केंद्र प्रचालनरत थे। इनमें पहले के तेल चयन बोर्डों/डीलर चयन बोर्डों द्वारा चयन की गई डीलरों द्वारा प्रचालित डीलरशिप शामिल हैं।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में विदेशी निवेश

3754. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास के क्षेत्र में निवेश करने हेतु विदेशी कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने इस संबंध में कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) इस क्षेत्र में पहले से ही संलग्न कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, भारत सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए नौ प्रस्तावों को अनुमोदित किया। इन प्रस्तावों में लगभग 344 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संघटक शामिल है। इसमें पवन ऊर्जा क्षेत्र में 24 करोड़ रुपये, सौर प्रकाशवोल्टीय में 29 करोड़ रुपये, अपशिष्ट से ऊर्जा में 175 करोड़ रुपये और शेष राशि सामान्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए है। अनुमोदित प्रस्ताव संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों के अलावा एफ.आई.पी.बी. ने वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान बारह प्रस्तावों को अनुमोदित किया था। ये संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकीय सहयोग परियोजनाएं भी हैं जिनके लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा प्रौद्योगिकीय सहयोग मुख्यतया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए विदेशी निवेश प्रस्ताव

कार्यक्रम	सहयोग		कुल लागत (विदेशी इक्विटी)	उद्देश्य और राज्य, जहां पर परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है	वर्ष
	भारतीय	विदेशी			
1	2	3	4	5	6
1. पवन ऊर्जा					
(i)	एनरकॉन विंड फार्म इंडिया लि.	–वही–	30 करोड़ रुपये (74%)	यह प्रस्ताव कर्नाटक राज्य में स्वतंत्र पवन फार्म की स्थापना के लिए है। कोई प्रगति प्राप्त नहीं हुई है।	2000-2001
(ii)	पॉयनीयार विनकॉन लिमि.	विनकॉन ए/एस डेनमार्क	4.00 करोड़ रुपये (30%)	यह प्रस्ताव तमिलनाडु राज्य में पवन चालित विद्युत जनरेटर के निर्माण के लिए है। कंपनी निर्माण के कार्य में लगी है।	1999-2000
2. सौर प्रकाशवोल्टीय					
(i)	मैसर्स ग्लोबल एनर्जी इंटरप्राइजेज इंडिया प्रा. लिमि.	मैसर्स प्लम स्ट्रीट इंटरप्राइजेज इनको, यू.एस.ए.	4.00 करोड़ रुपये (100%)	यह प्रस्ताव भारत में पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना के लिए है जो भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार अवसरों की पहचान और विकास करेगी और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए तकनीकी और प्रबंध संबंधी समाधान उपलब्ध कराएगी। इन कार्यकलापों में अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों विशेषकर सौर प्रकाशवोल्टीय सैलों और माड्यूलों के निर्माण, डिजाइनिंग, विकास संस्थापना, निर्यात, विक्रय शामिल है और सौर ऊर्जा के उत्पादन और वितरण सहित सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय और प्रबंध संबंधी समाधान उपलब्ध कराना है। फैक्ट्री गुड़गांव, हरियाणा में लगाई गई है।	1998-99
(ii)	सोलर इलैक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमि.	सोलर इलैक्ट्रिक लाईट फंड एंड मैसर्स ई एंड कम्पनी	3.80 करोड़ रुपये (100%)	यह प्रस्ताव कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर प्रकाश प्रणालियों के संवर्द्धन के लिए है। विदेशी इक्विटी का उपयोग कर लिया गया है और परियोजना प्रगति पर है।	1997-98

1	2	3	4	5	6
	(iii) रॉयल डच/सैल ग्रुप द्वारा दुआ एसोसिएटस, नई दिल्ली	रॉयल डच/सैल यू.के.	9.87 करोड़ रुपये (100%)	यह प्रस्ताव एसपीवी प्रणालियों के निर्माण, पैकेजिंग, संवितरण और एसपीवी ऊर्जा प्रणालियों की बिक्री के बाद की सेवाओं के लिए है।	1998-99
	(iv) महर्षि सोलर, नई दिल्ली	महर्षि टैक्नोलाजी कारपोबीवी, नीदरलैंड	10.60 करोड़ रुपये (99%)	यह प्रस्ताव भारत सौर प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए है। आंध्र प्रदेश में उत्पादन सुविधा की स्थापना कर ली गई है और वाणिज्यिक उत्पादन प्रगति पर है।	1999-2000
	(v) मैसर्स एसटीईसीए इंडिया सोलर प्रा. लिमि.	मैसर्स हेलीक्स सोलर इलेक्ट्रोनिक जीएमबीएच एंड मि. कवस्टार माइकलसन	20 लाख रुपये (100%)	यह प्रस्ताव तमिलनाडु राज्य में सौर ऊर्जा प्रणालियों और उत्पादों की आयोजना, डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए है। कोई प्रगति नहीं हुई है।	1999-2000
3.	म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा :				
	(i) –	सुपर स्टोन इनको. द्वारा सुपर स्टोन इनको. 17 डब्लू, 45वां स्ट्रीट सौर्ट, 304, न्यूयार्क एनवाई 10036	175 करोड़ रुपये (100%)	यह प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य में 1500 टीपीडी म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट को प्रतिदिन 35000 गैलन ईथानोल में बदलने के लिए एक परियोजना की स्थापना हेतु है। कोई प्रगति नहीं हुई है।	1997-98
4.	सामान्य				
	(i) –	मैसर्स गुवास्कर एस.ए., स्पेन	26 मिलियन अमरीकी डॉलर (100%)	इस प्रस्ताव में, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना का विचार है। इन कार्यकलापों में इंजीनियरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने, स्टार्टअप, प्रचालन एवं प्रबंधन, उपस्कर प्राप्ति और परामर्शी सेवाएं तथा भारतीय सहयोगियों के साथ विद्युत क्षेत्र में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में डाउनस्ट्रीम निवेश करने के लिए एक होल्डिंग कम्पनी के रूप में भी कार्य करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हुए 25 मेवा. तक के माइक्रो ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की स्थापना, विकास, स्वामित्व और प्रचालन करना शामिल है। इस कम्पनी ने खत्तों से बायोगैस, चावल-भूसी गैसीकरण, मिनी टाइडल और सह-उत्पादन के लिए देश के विभिन्न राज्यों में संभावित परियोजनाओं की पहचान की है, कोई प्रगति नहीं हुई है।	1998-99

विवरण-II

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्ताव

कार्यक्रम	सहयोग		कुल लागत	उद्देश्य और राज्य, जहां पर	वर्ष
	भारतीय	विदेशी	(विदेशी इक्विटी)	परियोजनाएं स्थापित की जानी हैं	
1	2	3	4	5	6
1. पवन ऊर्जा :					
(i)	एलएम ग्लास फाईबर (आई) लिमि.	एलएम ग्लास फाईबर डेनमार्क और विकासशील देशों के लिए औद्योगिकीकरण फंड (आईएफयू), डेनमार्क	12.60 करोड़ रुपये (75%)	कर्नाटक राज्य में पवन विद्युत जनित्रों के लिए ब्लेडों का उत्पादन	1995-96
(ii)	अबान लॉयड चाईल्स ऑफसोर लिमि., चेन्नई	केनेटैक यूएसए की सहायक कम्पनी	3.15 करोड़ रुपये 100% इक्विटी स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कम्पनी	तमिलनाडु राज्य में पवन विद्युत परियोजनाओं की एसेम्बली और निर्माण	1995-96
(iii)	एनरकॉन (इंडिया, लिमि.)	एनरकॉन जीएमबीएच जर्मनी	1.26 करोड़ रुपये (56%)	दमन एवं दीव में पवन चालित जनित्रों का निर्माण	1995-96
(iv)	मैसर्स मिकॉन	मैसर्स मिकॉन, डेनमार्क	10 करोड़ रुपये 100% इक्विटी	तमिलनाडु में पवन टरबाईन की एसेम्बिलिंग और निर्माण	1996-97
2. सौर प्रकाशवोल्टीय					
(i)	सोलर टैक इंडिया लिमि.	हिलीओस इटली	56.00 लाख रुपये (40%)	राजस्थान राज्य में सिलिकॉन वेफरों का निर्माण	1995-96
(ii)	इको सोलर सिस्टमस इंडिया प्रा., पुणे	मि. कोनार्ड जोसलिन ईटीएल., स्विट्जरलैंड	65.00 लाख रुपये (14%)	महाराष्ट्र राज्य में वैकल्पिक सामग्री सोलर सैल के निर्माण	1995-96
(iii)	अरविंद माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	सनपावर टैक्नीक जीएमबीएव, जर्मनी	1.00 करोड़ रुपये (25%)	आंध्र प्रदेश राज्य में जिला रंगा-रेड्डी में सौर प्रकाशवोल्टीय और अन्य अपारंपरिक ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए पावर कंडीसनिंग उपकरणों और उपस्करों के निर्माण के लिए एक यूनिट की स्थापना करना।	1995-96
(iv)	सोलर इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लि.	सोलर इलेक्ट्रिक लाइट फंड एवं मैसर्स ई एंड को.	10 लाख रुपये (60%)	कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर रोशनी प्रणालियों का संवर्धन	1996-97
3. बैटरी चालित वाहन					
	पीअरलैस डेवलपर्स लिमि., कलकत्ता	फ्रेजर नैस, यू.के.	20 करोड़ रुपये (18%)	पश्चिम बंगाल राज्य में बैटरियों से चलने वाले और अनुपूरित प्रकाशवोल्टीय चार्जिंग वाले सोलर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाहन का निर्माण	1994-95
4. काष्ठ बायोमास के साथ सह-उत्पादन संयंत्र					
	मैसर्स देसी पावर ओरछा, प्रा. लि.	मैसर्स फ्रेंड स्विट्जरलैंड	21.9 लाख रुपये (49.2%)	मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में टोग्राम में पेपर यूनिटों और अन्य ग्रामीण यूनिटों की कैप्टिव आवश्यक-	1996-97

1	2	3	4	5	6
				ताओं के लिए काष्ठ बायोमास गैसीफायर पर 125 केवीए विकेन्द्रित सहउत्पादन विद्युत संयंत्र की स्थापना करना।	
5. म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा					
(i)	मैसर्स फ्यूचर फ्यूल्स इंजी. इंडिया प्रा. लि., कल्याण सिटी, महाराष्ट्र	मैसर्स इको. टेक्नोलोजी ज्वाई, फिनलैंड	2.91 करोड़ रुपये (51%)	महाराष्ट्र राज्य में म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट शोधन संयंत्रों के निर्माण के लिए	1196-97
(ii)	मैसर्स वॉस आई प्रा. लि., नई दिल्ली	मि. जयशंकर मैनन, जर्मनी	25 लाख रुपये (51%)	प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने, अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की आपूर्ति, उपकरणों की संस्थापना और अपशिष्ट प्रबंधन।	1996-97

[अनुवाद]

मिग विमानों का आधुनिकीकरण

3755. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिग-25, मिग-21 और मिग-27 के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु किसी समझौते/करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने विमानों का उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है और इस पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) उन्नत प्रौद्योगिकी का स्वदेशी रूप से ही विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ग) 125 मिग-21 बिस विमान के स्तरोन्नयन के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। दो विमानों का स्तरोन्नयन रूस में किया गया है तथा शेष 123 मिग-21 बिस विमानों का स्तरोन्नयन हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक में किया जा रहा है। मिग-25 विमान का स्तरोन्नयन करने की कोई योजना नहीं है। हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक में 40 मिग-27 विमानों के स्तरोन्नयन का कार्य किया जा रहा है।

(घ) हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विमानों का स्तरोन्नयन करने के लिए बंगलौर तथा नासिक में दो केन्द्र स्थापित किए हैं।

[हिन्दी]

आर.आई.टी.ई.एस. में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

3756. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार आर.आई.टी.ई.एस. में कुल कितने फालतू कर्मचारी हैं और इनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं;

(ख) क्या आर.आई.टी.ई.एस. ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को फालतू घोषित करने में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान जिन पदों या सेवाओं में फालतू कर्मचारी उपलब्ध हैं उन्हीं में प्रतिनियुक्ति पर कितने कर्मचारी लिए गए हैं; और

(घ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को वापस भेजने और फालतू नियमित कर्मचारियों को खपाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राइट्स में कोई भी कर्मचारी फालतू घोषित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डी.आर.डी.ओ. द्वारा केरल में विकलांगों के पुनर्वास हेतु परामर्श

3757. श्री टी. गोविन्दन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से रक्षा अनुसंधान और

विकास संगठन द्वारा विकलांगों के पुनर्वास हेतु परियोजना के संबंध में परामर्श लेने का प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) केरल सरकार ने संभवतः रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित कुछ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए शारीरिक रूप से निशक्त लोगों के लिए विभिन्न सहायक उपकरणों के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में, जनवरी, 2001 में मैसर्स केल्ट्रॉन से प्राप्त समझौता ज्ञापन के प्रारूप की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

बिजली के बकाया बिल

3758. श्री रामानन्द सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के केन्द्र सरकार और उसके उपक्रमों– रेल कर्षण, भारतीय सीमेंट निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, बाल्को, नेपा मिल पर बिजली के बिलों की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश में बिजली संकट को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार अपने उपक्रमों को मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के बिजली बिलों का भुगतान करने हेतु निर्देश जारी करेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एमवीएसईबी) के अनुसार केन्द्र सरकार और इसके उपक्रमों के मुकाबले बकाया बिजली बिलों की राशि निम्नानुसार है :

	31.1.2001 के अनुसार बकाया (राशि रुपये में)
(i) रेलवे कर्षण	227.40
(ii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया	237.94
(iii) नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन	42.64
(iv) बाल्को	4.17
(v) नेपा मिल्स	15.11
(vi) अन्य (कोयला माइन्स, भिलाई स्टील प्लांट इत्यादि)	257.86
कुल	785.12

(ख) मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों की दिनांक 3 मार्च, 2001 को आयोजित सम्मेलन में अन्य बातों के साथ यह संकल्प लिया गया कि सीपीएसयूज के विगत सभी विद्युत क्षेत्र देयो और सीपीएसयूज से रा.वि. यूटिलिटियों को देय का एकमुश्त निपटान की अनुशंसा हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने 5.3.2001 को विशेषज्ञ दल का गठन कर लिया है।

न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें

3759. श्री दिलीप संघाणी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों के विरुद्ध मिली शिकायतों के शीघ्र निपटारे हेतु एक तंत्र विकसित करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किन प्राधिकारियों के पास न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की जा सकती है और इनका निपटारा किस प्रकार किया जाता है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) वर्ष 1990 में मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में न्यायिक उत्तरदायित्व के मुद्दे पर चर्चा हुई थी और विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप व्यापक सहमति के आधार पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने निम्नानुसार विचार व्यक्त किए हैं:

"उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, अपने न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम है और यदि उसे कोई शिकायत मिलती है तो वह यह पता लगाने के लिए उसकी जांच करेगा कि क्या उसकी बारीकी से जांच की जानी आवश्यक है। जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले की जांच की जानी अपेक्षित है वहां वह ऐसी रीति में तथ्यों को अभिनिश्चित करेगा जो वह अभिकथनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित समझे, यदि उसकी यह राय है कि यह मामला ऐसा है जिसकी रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को की जानी चाहिए तो वह उसकी रिपोर्ट देगा।

भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के संबंध में शिकायतों के बारे में इसी प्रकार की रीति से कार्रवाई करेगा।

अभिनिश्चित तथ्यों के आधार पर यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायपालिका के हितों को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए, ऐसी समुचित कार्रवाई करेगा, जो ठीक समझी जाए।"

2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की बाबत ऊपर वर्णित रीति से कार्रवाई की जाती है।

2.1 तथापि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या बताना संभव नहीं है।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार निचले न्यायालयों में भ्रष्टाचार संबंधी विषय-वस्तु का संबंध, संबद्ध राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण

3760. श्री एम.के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में आधारभूत सुविधाओं का अभाव के बारे में 9 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2199 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 2000-2001 के दौरान अब तक विद्युतीकरण व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा चुकी हैं और साथ ही, इन पर आए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे रेलवे स्टेशनों की स्टेशन-वार संख्या कितनी है जो विद्युतीकरण के योग्य नहीं है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, 58 रेलवे स्टेशन विद्युतीकरण के लिए पात्र नहीं है, ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

ए.1 उन स्टेशनों का ब्यौरा जहां 2000-01 के दौरान विद्युतीकरण किया गया :

क्र.सं.	विद्युतीकृत किए गए स्टेशन का नाम
1	बेगैतर

ए.2 उन स्टेशनों का ब्यौरा जहां 2000-01 के दौरान अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गईं:

क्र.सं.	उन स्टेशनों के नाम जहां अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई
1.	हैबरगांव
2.	दमचरा
3.	माहुर
4.	डिब्रूगढ़ टाउन
5.	न्यू तिनसुकिया
6.	गुवाहाटी
7.	बारपेटा रोड
8.	कोकराझार
9.	बेहटा
10.	तिनसुकिया
11.	भोजो
12.	मैराबी
13.	करीमगंज
14.	श्रीरामपुर
15.	न्यू बोंगाईगांव
16.	बोंगाईगांव
17.	सोरुपेटा
18.	पतीलादाह
19.	पटशाला
20.	तिहू
21.	नलबाड़ी
22.	सोरभोग
23.	रंगापाड़ा
24.	न्यू मिसामारी
25.	नार्थ लक्ष्मीपुर
26.	सीलापाथर
27.	गोगामुख
28.	मुरकोंग सेलेक
29.	हारमोती
30.	लमडिंग
31.	जोरहाट
32.	चापरमुख
33.	रसलचर
34.	बदरपुर
35.	धरमनगर
36.	दीमापुर
37.	न्यू अलीपुरद्वार
38.	न्यू कूच बिहार
39.	न्यू जलपाईगुड़ी
40.	दार्जिलिंग
41.	जलपाईगुड़ी
42.	राजगंज
43.	जलपाईगुड़ी रोड
44.	न्यू मैनागुड़ी
45.	धुपगुड़ी
46.	फलकाटा

क्र.सं.	उन स्टेशनों के नाम जहां अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई
47.	कूच बिहार
48.	न्यू बनेश्वर
49.	कामाख्यागुड़ी
50.	जोरई
51.	अलीपुरद्वार जंक्शन
52.	मालबाजार
53.	बाराधीगी
54.	नियोरा नदी
55.	लतागुड़ी
56.	दोमोहनी
57.	मैनागुड़ी रोड
58.	भोटपट्टी
59.	चांगराभंधा
60.	कटिहार
61.	किशनगंज
62.	फारबिशगंज
63.	सलमारी

ए.3 2000-01 के दौरान विद्युतीकरण और अन्य सुविधाओं पर किए गए खर्च का ब्यौरा :

विद्युतीकरण कार्यों पर खर्च	सिविल कार्यों पर खर्च	कुल खर्च
58 लाख रुपए	578 लाख रुपए	636 लाख रुपए

विवरण-II

उन रेलवे स्टेशनों का मंडलवार ब्यौरा जो विद्युतीकरण के लिए पात्र नहीं हैं :

मंडल	खंड	स्टेशनों की संख्या
1	2	3
कटिहार	बरसोई-राधिकापुर	4
	न्यू जलपाईगुड़ी-मालदा टाउन	4
	कटिहार-जोगबानी	3
	रानीनगर जलपाईगुड़ी-हल्दीबाड़ी	1
	कटिहार-सिलीगुड़ी जंक्शन	2
	दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी	1
	कुमेदपुर-कटिहार	1
	कटिहार-तेजनारायण पुर	2
	किशनगंज जंक्शन-कटिहार	1
	न्यू जलपाईगुड़ी-किशनगंज जंक्शन	1
	जोड़	**20**
अलीपुरद्वार	अलीपुरद्वार जंक्शन-बामनहाट	2
	नार्थ लखीमपुर-मुरकांग सेलेक	12
	रंगापाड़ा-तेजपुर	1
	न्यू बोंगाईगांव-जोगीघोपा	5
	फकीराग्राम जंक्शन-दुबरी	1
	रंगापाड़ा-नार्थ लखीमपुर	1
	रंगिया जंक्शन-न्यूबोंगाई गांव	2
	दमोहानी-न्यूमल जंक्शन	2
	जोड़	**26**
लमडिंग	रंगिया-गुवाहाटी	1
	लमडिंग-बदरपुर	1
	दुल्लाबछेरा-धरमनगर	1
	गुवाहाटी-लमडिंग	1
	कतखल जंक्शन-भैराबी	2
	जोड़	**6**
तिनसुकिया	फरकटिंग जंक्शन-मरियानी जंक्शन	3
	डिब्रूगढ़ टाउन-फरकटिंग	2
	तिनसुकिया-मरियानी	1
	जोड़	**6**
	कुल जोड़	**58**

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति संघ द्वारा कुप्रबंधन के खिलाफ आंदोलन

3761. श्री अधीर चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद डिवीजन (एवियोनिक्स) अनुसूचित जाति संघ ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कल्याणार्थ सांविधिक प्रावधानों के क्रियान्वयन न किए जाने के कारण प्रबंधन के खिलाफ 27 फरवरी, 2001 से आंदोलन शुरू किया है;

(ख) उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस संकट को सुलझाने और अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) एच.ए.एल. अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन, हैदराबाद ने निम्नलिखित मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है :

1. स्केल-10 में पदों पर पदोन्नति में आरक्षण।

2. रेडियो वायररों के 11वें, 12वें तथा 13वें बैच से संबंधित रेडियो वायररों/मैकेनिकों का 10वें बैच के उक्त कार्मिकों के बराबर पदोन्नति।

3. भर्ती तथा पदोन्नति संबंधी पिछली रिक्तियों को भरा जाए; तथा

4. दैनिक व ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण।

एच.ए.एल. प्रबंधन ने उक्त मांगों पर विचार किया है तथा निम्नलिखित स्थिति का उल्लेख किया है :

(i) स्केल-10 में वेतनमान स्केल-9 के कर्मचारियों को समयमान आधार पर अर्थात् निर्धारित सेवावधि पूरी होने पर दिया जाता है और इसके लिए आरक्षण नियम लागू नहीं होते।

(ii) हालांकि 10वें बैच के रेडियो वायररों को फिटनेस/उपयुक्तता के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों पर पदोन्नत किया गया था किन्तु 11वें से 13वें बैच के कार्मिकों को उच्च वेतन समूहों में रिक्तियों के न होने पर समयमान पदोन्नति योजना के तहत उच्च वेतनमान में पदोन्नत किया गया था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से इतर उम्मीदवारों के लिए रिक्ति आधारित पदोन्नति और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए समयमान पदोन्नति जैसी कोई भेद-भाव वाली पद्धति नहीं अपनाई गई है।

(iii) ग्रेड-1 तथा ग्रेड-2 में पदों पर पदोन्नति के लिए कोई पिछली रिक्तियां नहीं हैं। भर्ती के संबंध में स्थिति यह है कि ग्रेड-1 में अनुसूचित जनजाति का 1 तथा ग्रेड-2 में अनुसूचित जनजाति के 3 पद भरे जाने हैं। एच.ए.एल. ने ग्रेड-1 में सहायक सुरक्षा अधिकारी के 1 पद को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के कदम उठाए हैं। ग्रेड-2 में पिछली रिक्तियों को केवल नई भर्ती से ही भरा जा सकता है।

(iv) ठेके पर काम करने वाले अनुसूचित जाति के मजदूरों को एच.ए.एल. द्वारा नहीं अपितु उन ठेकेदारों द्वारा काम पर रखा जाता है जिन्होंने विशिष्ट कार्यों के लिए संविदा की हुई है। जहां तक अनुसूचित जाति के दैनिक मजदूरों का संबंध है, उन्हें नियमितीकरण के लिए पद रिक्त होने तक अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होती है।

एच.ए.एल. के प्रबंधन ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को अपना आंदोलन समाप्त करने को कहा है क्योंकि हैदराबाद डिवीजन के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों/विदेशी कम्पनियों द्वारा एल.पी.जी. का बोटलिंग संयंत्र लगाया जाना

3762. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एल.पी.जी. के बाटलिंग संयंत्र लगाने हेतु व्यक्ति विशेष, अनिवासी भारतीयों व विदेशी कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) समानांतर विपणन योजना के अधीन निजी पक्षकारों, जिनमें अप्रवासी भारतीय (अ.प्र.भा.) तथा विदेशी कंपनियाँ सम्मिलित हैं, द्वारा एल.पी.जी. भरण संयंत्र स्थापित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

मुगलसराय रेल मंडल द्वारा बिहार में दी गई सुविधाएँ

3763. श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 दिसम्बर, 2000 के "हिन्दुस्तान" (पटना संस्करण) में "मुगलसराय रेल मंडल का अधिकांश हिस्सा बिहार में, सुविधा उत्तर प्रदेश को" शीर्षक से प्रकाशित समचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो समाचार में प्रकाशित मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बिहार और उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में जल विद्युत परियोजना

3764. श्री के.पी. सिंह देव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा में जल विद्युत उत्पादन में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इस राज्य को और अधिक धनराशि देने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान (फरवरी, 2001 तक) उड़ीसा में जल विद्युत उत्पादन 4279 मि. यू. था, जबकि 1999-2000 की इसी अवधि में यह उत्पादन 4113 मि. यू. था। इस प्रकार उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों संबंधी मामले

3765. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री 17 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3811 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय और दस उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण के अनुसार है और अन्य उच्च न्यायालयों से जानकारी अभी प्राप्त होनी है।

(ग) जानकारी विभिन्न उच्च न्यायालयों से एकत्रित की जानी थी। अन्य उच्च न्यायालयों को जानकारी शीघ्र भेजने के लिए स्मरण पत्र भेजे गए हैं।

विवरण

भारत का उच्चतम न्यायालय	उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय में लंबित मामलों की सही-सही संख्या बताने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। तथापि, उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से बुजुर्ग व्यक्तियों से संबंधित मामलों की पहचान करके उन्हें पूर्विकता के आधार पर निपटाने का अनुरोध किया गया है।

उच्च न्यायालय

	उच्च न्यायालयों का नाम	उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या (अगस्त, 2000 में)	अतिरिक्त ब्यौरा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	35,878 (1.7.2000 तक आंध्र प्रदेश के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या)	वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित 48,737 मामलों की पहचान कर ली गई है जिनमें से 13,167 मामलों के निपटान किए जा चुके हैं और 10,854 मामलों में विचारण लगभग पूरा किया जा रहा है।
2.	कलकत्ता	10853 (जिला न्यायालयों में)	उच्च न्यायालय ने इन मामलों को पूर्विकता के आधार पर निपटाने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के 2001 मामलों की सुनवाई की जा रही है।
3.	गुवाहाटी	617	उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की बाहर स्थित सभी न्यायपीठों और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अधीन, अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसे मामलों को पूर्विकता के आधार पर निपटाने के अनुदेश जारी किए हैं जिनमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अंतर्वलित हैं।
4.	हिमाचल प्रदेश	725 (केरल जिला और अधीनस्थ न्यायालय)	उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को 65 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों के मामलों को पूर्विकता के आधार पर निपटाए जाने के अनुदेश जारी किए हैं।

1	2	3	4
5.	जम्मू-कश्मीर	1631	उच्च न्यायालय ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसे मामलों को जिनमें 65 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति अंतर्वलित है, शीघ्र निपटाने का निदेश दिया है।
6.	केरल	31586 (1.4.2000 को केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में)	उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों को पूर्विकता के आधार पर निपटाने के अनुदेश जारी किए हैं। ऐसे मामले समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा मानीटर किए जा रहे हैं।
7.	मध्य प्रदेश	8635 (केवल उच्च न्यायालय में)	इस संबंध में उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश का पालन कर रहा है।
8.	उड़ीसा	अभिलेख उपलब्ध नहीं है।	तथापि, वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की ओर से फाइल किए गए मामलों की, पूर्विकता के आधार पर उस दशा में सुनवाई की जाती है, जब इस बाबत कोई प्रार्थना की जाती है।
9.	पटना	10077 (जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में 1.1.2000 को यथा विद्यमान)	उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को बुजुर्ग व्यक्तियों से संबंधित मामलों का विशिष्टतः उनके मामलों का जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, पता लगाने और वर्ष 1999 के दौरान पूर्विकता के आधार पर उनका निपटान करने और ऐसे अधिकारियों को जो ऐसे मामले निपटाते हैं, सामान्य अनुक्रम में मामलों के अंतिम निपटान के लिए यूनिटों का 10 प्रतिशत अतिरिक्त श्रेय दिए जाने का निदेश दिया है।
10.	पंजाब और हरियाणा	8033 (पंजाब, हरियाणा और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में)	उच्च न्यायालय ने सभी जिला और सेशन न्यायाधीशों को ऐसे मामलों को पता लगा कर उनका पूर्विकता के आधार पर निपटान करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं जिनमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अंतर्वलित हैं।

[अनुवाद]

मिराज-लातुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3766. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मिराज-लातुर रेलवे लाइन के आमान परितर्वन का कार्य लम्बे समय से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना को कब स्वीकृति दी गई थी और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई और इस परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) परियोजना 1993-94 में स्वीकृत की गई थी। परियोजना की प्रत्याशित लागत 329 करोड़ रुपए है। इसकी स्वीकृति से अब तक इस कार्य के लिए 2000-2001 तक आबंटित कुल धनराशि 105.30 करोड़ है। 2001-2002 के दौरान 20 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य में चरणबद्ध आधार पर प्रगति हो रही है।

[अनुवाद]

आर.पी.जी. उद्यम

3767. डॉ. बलिराम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अगस्त, 2000 के "द ऑबजर्वर" में आर.पी.जी. इन्टरप्राइजेज ए क्लास इन केस ऑफ स्क्वैंड्रिन्ग इनवेस्टर्स मनी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आर.पी.जी. लाइफ साइंस ने निवेशकों के धन का अपव्यय किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) कम्पनी के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) मैसर्स आर.पी.जी. लाईफ साईंसेज द्वारा निवेशक धन के अपव्यय संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

तथापि, मैससं आर.पी.जी. लाईफ साइंसेज के 31.03.2000 के तुलन पत्र से यह ज्ञात है कि कम्पनी द्वारा मैसर्स इंस्टैन्ट ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड में निम्नलिखित निवेश कराए गए :

		लाख रुपये
1.	इक्विटी में निवेश	1007.63
2.	जीरो कूपन पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर	506.45
3.	ब्याज मुक्त ऋण	3787.59

मैसर्स इन्सटेंट ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड ने 31.03.2000 तक मैसर्स सिएट फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड में निम्नलिखित राशियां निवेश कीं।

		लाख रुपये
1.	इक्विटी में निवेश	51.49
2.	जीरो कूपन अपरिवर्तनीय डिबेंचर	3133.58
3.	शेयर आवेदन के तहत अग्रिम	2641.00
4.	डिबेंचर हेतु आवेदन	1280.00

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क के तहत सभी तीनों कम्पनियों के सम्बन्ध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

टिहरी बांध परियोजना

3768. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वैज्ञानिकों ने यह मत प्रकट किया है कि टिहरी बांध परियोजना की ऊंचाई इसके हिमालय में भूकम्प प्रवण क्षेत्र में स्थित होने के कारण सुरक्षित नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सरकार ने टिहरी बांध की भूकम्प से सुरक्षा के बारे में गंभीरता से विचार किया था और इसके लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बांध का भूकम्प संबंधी विस्तृत अध्ययन भी किया गया। नेशनल जियो-फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालियन जियोलॉजी की सहायता से रुड़की विश्वविद्यालय के भूकम्प अभियांत्रिकी विभाग तथा रूसी विशेषज्ञों द्वारा टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना (1000 मे.वा.) को क्रियान्वयन हेतु मार्च, 1994 में अनुमोदन देने से पूर्व इसकी सुरक्षित ऊंचाई का निर्धारण अध्ययन किया गया।

टिहरी बांध की भूकंप से सुरक्षा के संबंध में लगातार बनी हुई चिन्ता के मद्देनज़र इस बांध की पुनः भूकम्प संबंधी जांच करने हेतु जून, 1996 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया। दल ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि बांध का डिजाइन अधिकतम विनाशकारी भूकम्प को भी सहन कर सकता है।

[अनुवाद]

बैफल रेंज

3769. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
डॉ. एन. वेंकटस्वामी :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बैफल रेंज के लिए स्थान का पता लगाने हेतु सैन्य प्रशासन से कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में भारतीय सैनिक

3770. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में काम करते हुए कितने भारतीय सैन्यकर्मियों ने अपनी जानें दीं;

(ख) क्या उनके आश्रितों को भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए विभिन्न युद्धों में अपनी जान देने वाले अन्य सेवा के आश्रितों को दिए जाने वाले लाभ के समतुल्य लाभ दिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में काम करते हुए आज तक, 11 अधिकारियों, 4 जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य रैंकों के 81 सैन्यकर्मियों सहित कुल 96 कार्मिकों ने अपनी जानें दी हैं।

(ख) और (ग) विदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में मारे गए या निशक्त हुए भारतीय सशस्त्र बल के कार्मिक, युद्ध और युद्ध जैसी संक्रियाओं में मारे गए या निशक्त हुए कार्मिकों के समतुल्य

उदारीकृत पेंशन लाभ के हकदार हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों में काम करने के दौरान मारे गए या निशक्त हुए कार्मिकों के मुआवजे का दावा संयुक्त राष्ट्र संघ से किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुरूक्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकास

3771. श्री रतन लाल कटारिया : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार कुरूक्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस परियोजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटक/तीर्थ केन्द्रों का विकास मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार उनके साथ प्रत्येक वर्ष विचार-विमर्श कर प्राथमिकता के लिए निर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 1998-99 के दौरान 48.00 लाख रुपयों की केन्द्रीय सहायता से कुरूक्षेत्र के एकीकृत विकास की परियोजना को स्वीकृति दी गयी थी। 24.00 लाख रुपयों की प्रथम किश्त की राशि को उपयोग में लाए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

ब्लैंक पेपर टिकट

3772. प्रो. दुखा भगत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा ब्लैंक पेपर टिकट जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान महीनावार कितने रुपये मूल्य के ब्लैंक टिकट जारी किए गए और किन नियमों के अन्तर्गत ऐसे टिकट जारी किए जाने का प्रावधान किया गया; और

(घ) ब्लैंक टिकट जारी किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलों में कोरी (ब्लैंक) टिकटों की कोई संकल्पना नहीं है। बहरहाल, रेलें पूर्व प्रिंटिड टिकटों के स्थान पर टिकटों का कोरा (ब्लैंक) कागज जारी करती हैं।

(ख) से (घ) स्टेशनों को टिकटों के कोरे (ब्लैंक) कागज के स्टाक जारी किए जाते हैं। ये क्रमानुसार संख्या वाली मूल्य पुस्तकें हैं। ऐसी किसी स्टेशन के मामले में जहां प्रिंटिड कार्ड टिकटें आदि समाप्त हो जाते हैं या जहां ग्रुप टिकटें जारी करना आवश्यक हो जाता है, वहां उपयुक्त विवरण सहित ब्लैंक पेपर टिकटें भरी जाती हैं और जारी की जाती हैं। इस प्रकार जारी की गई ब्लैंक पेपर टिकटें भी प्रिंटिड कार्ड टिकटों के विषय में पूर्णतया लेखा-जोखा देती हैं।

[अनुवाद]

गैर-जरूरी रक्षा उपकरणों का आयात

3773. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान से गिराए जाने वाले हथियारों के प्रक्षेपण मार्ग के मूल्यांकन हेतु 2.60 करोड़ रुपये की लागत से आयातित उपकरण का उपयोग उसकी वांछित भूमिका के लिए उसके आयात के समय से आज तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके खरीदे जाने के पीछे तर्क क्या था; और

(ग) सार्वजनिक राजस्व के अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित मामले

3774. श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अपीलीय अधिकरण में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) वर्षवार ऐसे कितने मामले हैं जो गत 3 वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए अधिकरणों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) तारीख 1 मार्च, 2001 को आयकर अपील अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या 2,44,320 थी।

(ख) आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष गत तीन वर्ष के दौरान लंबित मामलों की संख्या निम्न प्रकार थी :

वर्ष	लंबित मामले
1997-98	299978
1998-99	300597
1999-2000	262652

(ग) से (ङ) जी, नहीं। आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए सरकार ने, तारीख 1 अप्रैल, 1997 से अधिकरण की 15 अतिरिक्त न्यायपीठें मंजूर की हैं।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र को विदेशी बैंक ऋण

3775. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 फरवरी, 2001 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार विदेशी बैंकों ने मेगा विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण में अपनी असमर्थता जतायी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाने/कदम उठाए जाने की संभावना है जिससे कि विदेशी बैंक भारत में विद्युत क्षेत्र में निवेश करने के योग्य हो सकें?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) कुछ निवेश बैंकरों की एक बैठक में, यह विचार प्रकट किया गया कि रा.वि.बो. की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की टर्मिनेशन गारंटियों से मेगा परियोजनाओं की बैंक ग्राहयता में सुधार आएगा।

(ग) सरकार वृहद विद्युत क्रय प्रणाली के लिए तथा निजी क्षेत्र में वृहद् विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद करने हेतु पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन को सहायता देने हेतु एक नई भुगतान सुरक्षा प्रणाली तैयार करने पर विचार कर रही है। प्रणाली संबंधी ब्यौरों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा वित्तीय संस्थानों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गंगावरम/काकीनाडा बंदरगाह परियोजना

3776. डॉ. श्रीमती सी. सुगुणा कुमारी : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगावरम बंदरगाह परियोजना और काकीनाडा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इन परियोजनाओं में तेजी लाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार कितना धन आबंटित किया गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) गंगावरम और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में लघु पत्तन हैं और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार लघु पत्तनों के निर्माण/विकास की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित राज्य सरकार की है।

[हिन्दी]

पोत अधिग्रहण कार्यक्रम

3777. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने नौवीं योजना के दौरान अपने पोत अधिग्रहण कार्यक्रम की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय नौवहन निगम ने अपना ध्यान अन्य कार्यक्षेत्रों पर भी केन्द्रित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो अभी तक भारतीय नौवहन निगम ने ऐसे कौन-कौन से क्षेत्रों का पता लगाया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हाँ।

(ख) 9वीं योजना के प्रारंभ में भारतीय नौवहन निगम (भा.नौ.नि.) के ढनभार खरीद कार्यक्रम में कुल 23.84 लाख डी डब्ल्यू टी के 53 जलयानों की खरीद का विचार था। तथापि, भा.नौ.नि. 31.3.2000 तक कुल 1.29 लाख डी डब्ल्यू टी के 4 जलयान ही खरीद सका। भा.नौ.नि. ने मार्च, 2000 में अपना जलयान खरीद कार्यक्रम संशोधित किया है और 9वीं योजना की शेष अवधि में कुल 16.85 लाख डी डब्ल्यू टी के 21 जलयानों की खरीद की योजना बनाई है। लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(i) अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा बाजार में निरंतर मंदी

(ii) परियोजनाओं पर कार्रवाई करते समय व्यापार पद्धति में परिवर्तन

(iii) विदेशी वाणिज्यिक ऋण की भारी राशि जुटाने में समस्याएं

(iv) भा.नौ.नि. की आवश्यकतानुसार पुराने उचित जलयानों की अनुपलब्धता

(v) प्रक्रियागत मुद्दे जिनसे परियोजनाओं का अनुमोदन प्रभावित हुआ

(vi) भा.नौ.नि. बोर्ड की सीमित वित्तीय शक्तियां

(ग) सरकार ने फरवरी, 2000 में भा.नौ.नि. को "मिनी रत्न" का दर्जा प्रदान कर दिया है जिसके फलस्वरूप भा.नौ.नि. बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, अपने कार्य निष्पादन में सुधार कर सकेगा तथा पूर्वानुमानित व्यवसाय अवसरों और भा.नौ.नि. तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर 9वीं योजना की शेष अवधि में अधिक जलयान खरीद सकेगा। भा.नौ.नि. ने इस चालू वर्ष में 8 जलयानों के निर्माण के लिए भी आर्डर दिया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि, भा.नौ.नि. ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) का परिवहन शामिल करने के लिए अपने क्रिया-कलापों में परिवर्तन किया है तथा दामोल विद्युत परियोजना के लिए एल.एन.जी. की ढुलाई हेतु भित्सुई ओ.एस.के., जापान और एनरान के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। यह एक नया कार्य है जिसमें भा.नौ.नि. के लिए काफी संभावनाएँ हैं।

एन.टी.पी.सी., सिपत द्वारा पुनर्वास योजना

3778. डॉ. चरणदास महंत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनटीपीसी, सिपत ने समझौते के अनुसार वृद्धों के लिए पुनर्वास योजना प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) की सिपत परियोजना के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए जिला कलैक्टर द्वारा अनुमोदित पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है।

(ख) आरएपी में पुनर्वास प्रावधानों को एनटीपीसी द्वारा प्रभावित व्यक्तियों, प्रभावित गांवों की पंचायतों के प्रधान, जन-प्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन को शामिल करके एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया। इस तरह की परामर्श प्रक्रिया के द्वारा तैयार किए गए तथा जिला कलैक्टर द्वारा अनुमोदित अंतिम आरएपी में सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, चाहे वे वृद्ध हैं अथवा नहीं, के पुनर्वास हेतु विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनज़र प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

परामर्श संबंधी पत्रों पर सरकार की प्रतिक्रिया

3779. श्री अरुण कुमार : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र और राज्य सरकारों ने उन्हें जारी किए गये परामर्श संबंधी पत्रों पर अपने विचार संविधान समीक्षा आयोग के समक्ष रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) संविधान पुनर्विलोकन आयोग ने भी सार्वजनिक वाद-विवाद के लिए उसके द्वारा जारी किए गए परामर्श-पत्र केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और समस्त राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को भेजे हैं। अभी तक केन्द्रीय सरकार के तीन मंत्रालयों/विभागों और दो राज्य सरकारों ने आयोग को अपने उत्तर भेजे हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की परियोजनाएं

3780. श्रीमती हेमा गमांग : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं, विशेषतौर पर उड़ीसा के आदिवासी जिलों की विद्युतीकरण से संबंधित परियोजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए दी गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना से कितने खंड, गांव लाभान्वित हुए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) :(क) भारत सरकार ने आदिवासी गाँवों, दलित बस्तियों के विद्युतीकरण तथा अन्य कमजोर वर्गों के हितों से संबंधित विद्यमान स्कीमों की समीक्षा करने तथा देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति को तीव्र करने हेतु संशोधन सुझाए जाने हेतु एक मंत्रिदल का गठन किया है।

(ख) और (ग) आरईसी की स्कीमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों (आदिवासी) तथा आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाओं हेतु स्वीकृत ऋण सहायता का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	स्वीकृत ऋण की राशि लाख रुपये में	विद्युतीकृत दर्ज किए गए आदिवासी गांव (संख्या)
1997-98	528	179
1998-99	2864	162
1999-2000	1900 एसटी ऋण	250

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युत योजना का विस्तार

3781. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी राशि खर्च किए जाने का अनुमान है; और

(ग) मध्य प्रदेश में इस योजना से किन लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जैसा कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा रिपोर्ट दी गई है, नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-2002) के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य निम्नवत है :

वर्ष	गाँव	पम्प	अनुसूचित जाति की बस्तियां	हेमलेट
1997-98	350	12,000	500	500
1998-99	350	12,000	500	500
1999-2000	350	12,000	500	500
2000-2001	350	12,000	500	500
2001-2002	350	12,000	500	500
कुल	1,750	60,000	2,500	2,500

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-2002) के दौरान जनवरी, 2001 तक किया गया अनुमानित व्यय 623.65 करोड़ रुपए है।

(ग) म.प्र.वि. बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि उक्त योजना अवधि के दौरान जनवरी, 2001 तक मध्य प्रदेश में गांवों के विद्युतीकरण द्वारा 2.305 लाख ग्रामीण जनता लाभान्वित हुई है।

[अनुवाद]

कोची-कायमकुलम रेल लाइन का दोहरीकरण

3782. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मूल प्रस्ताव बरास्ता कोट्टायम के स्थान पर कोची से कायमकुलम बरास्ता अलाप्पुजा रेल लाइन का दोहरीकरण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोची से तिरुवनन्तपुरम तक की रेल लाइन के विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एर्णाकुलम-कोचीन हार्बर टर्मिनस का विद्युतीकरण इराडे-एर्णाकुलम-कोचीन परियोजना का भाग है। एर्णाकुलम तक विद्युतीकरण पहले से ही पूरा हो गया है। एर्णाकुलम और कोचीन हार्बर टर्मिनस के बीच का कार्य नौ सेना के प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त न होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका है। एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम खंड के लिए विद्युतीकरण का कार्य एक अलग कार्य के रूप में स्वीकृत है। इस खंड के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्य को मार्च, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

रक्षा मंत्रालय में स्टोर कीपरों/लिपिकवर्गीय स्टाफ की भर्ती संबंधी नीति

3783. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय में स्टोरकीपिंग और लिपिकवर्गीय स्टाफ की भर्ती स्थानीय तौर पर क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है और उन्हें समयानुसार पर्यवेक्षी स्टाफ और अधिकारियों के रूप में पदोन्नत कर दिया जाता है;

(ख) क्या उनके कार्य के स्वरूप और जटिल और महंगे उपस्करों के संचालन में उनके कार्यनिष्पादन के प्रभाव को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि कार्मिकों में भर्ती संबंधी मानकों की समीक्षा की जाए;

(ग) यदि हाँ, तो क्या स्टोरकीपिंग और लिपिकवर्गीय स्टाफ की भर्ती और पदोन्नति संबंधी नीति की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हाँ। भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुरूप, सशस्त्र सेना मुख्यालयों तथा अंतर सेवा-संगठन में प्रवेश स्तर पर स्टोरकीपिंग तथा लिपिकीय ग्रेडों के पद स्थानांतरण, पदोन्नति तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती स्थानीय तौर पर रोजगार कार्यालयों तथा रोजगार समाचार आदि में विज्ञापन के माध्यम से की जाती है। ऐसे पदां पर कार्यरत कार्मिकों को उच्च ग्रेडों पर सेवा नियमों के अनुसार यथासमय पदोन्नति दी जाती है।

(ख) से (घ) रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत बड़ी संख्या में विरचनाएँ स्टोरकीपिंग तथा लिपिकीय स्टाफ के लिए भर्ती नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता नहीं समझती हैं। अतः मंत्रालय सामान्यतः इन संवर्गों के लिए भर्ती नीति की समीक्षा नहीं करता। तथापि इन संवर्गों के लिए अर्हताओं को बढ़ाए जाने के अनुरोध संबंधी आयुध निर्माणी बोर्ड और नौसेना मुख्यालय से प्राप्त दो प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

निकट संबंधियों को पेट्रोल की डीलरशिप दिया जाना

3784. श्री राजनारायण पासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप ऐसे व्यक्ति के सगे संबंधी को न दी जाए जिसके पास पहले ही इस प्रकार की डीलरशिप हो; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने तथ्यों को छुपाकर इस प्रकार की डीलरशिप प्राप्त की हो?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/वितरकों के चयन से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति को नई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दी जाएगी यदि उसके अथवा नीचे दिए गए उसके किन्हीं निकट संबंधियों (सौतेले संबंधियों समेत) में से किसी के पास पहले ही किसी तेल कंपनी का आशय पत्र अथवा डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है :

शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लोगों (शा.वि.) के अलावा अन्य		शारीरिक रूप से विकलांग (शा.वि.) श्रेणी	
(क)	पति, पत्नी	(क)	पति, पत्नी
(ख)	माता/पिता	(ख)	माता/पिता
(ग)	भाई/भाई की पत्नी (महिला आवेदकों के लिए लागू नहीं)	(ग)	पुत्र/पुत्र वधू
(घ)	पुत्र/पुत्र वधू		

(ख) यदि कोई ऐसा मामला प्रमाणित होता है जहाँ चयनित आबंटिती/डीलर ने इस तथ्य को छिपाया है कि उनसे निकट संबंधियों (नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार) के पास पहले ही देश में किसी तेल कंपनी की डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं तो ऐसी स्थिति में नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए गए आशय पत्र को वापस लेने अथवा ऐसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

दमन से एल.पी.जी. पाइपलाइन

3785. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन से बहुत कम दूरी से कोई एल.पी.जी. पाइपलाइन गुजर रही है;

(ख) क्या दमन में घरों और उद्योगों को एल.पी.जी. की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा दमन को इस पाइपाइन से जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित एल.पी.जी. पाइपलाइन को चालू करने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दसवीं त्रैवार्षिकी

3786. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं त्रैवार्षिकी की शुरूआत करके भारत 21वीं सदी में विश्व कला रूझानों का पहला आदर्श देश बना गया है जैसा कि दिनांक 23 जनवरी, 2001 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'फर्स्ट मेगा इवेंट आफ द ईअर बिगिन्स' शीर्षक के अंतर्गत समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोजन में कितने देशों ने भाग लिया और इसके लिए कितने भारतीय कलाकारों का चुनाव किया गया;

(घ) क्या सरकार ने इस आयोजन में किसी पुरस्कार की घोषणा की है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मुगलकालीन कला से संबंधित किसी कलाकार को पुरस्कृत किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस आयोजन पर कुल कितना व्यय किया गया?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) जी, हाँ। ललित कला अकादमी ने 'दसवीं त्रिवार्षिकी भारत' नामक अन्तर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन जनवरी, 2001 में किया गया। भारत सहित अट्ठाइस देशों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। इस प्रदर्शनी के लिए सैंतीस भारतीय कलाकारों की कृतियों का भी चयन किया गया।

(घ) और (ङ) ललित कला अकादमी ने, अन्तर्राष्ट्रीय जूरी की सिफारिशों के आधार पर 10वीं त्रिवार्षिकी भारत के आयोजन के दौरान 9 कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से दो भारतीय कलाकार थे तथा शेष सात कलाकार अन्य देशों के थे।

(च) और (छ) चूँकि त्रिवार्षिकी भारत एक अन्तर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है, इसलिए मुगल काल से संबंधित कलाकृति को पुरस्कृत किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) दसवीं त्रिवार्षिकी भारत पर अभी तक 32.27 लाख रु. की राशि व्यय की गयी है।

[अनुवाद]

विदेशों में अधिकारियों की तैनाती

3787. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ अधिकारियों को विदेशों में तैनात किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित नियमों और मार्गनिर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन करके विदेशों में कुछ अधिकारियों की तैनाती की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, जाँ।

(ख) देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) जी नहीं, विदेशों में भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों में, पर्यटन विभाग के अधिकारी, विभाग द्वारा तैयार दिशा-निदेशों के आधार पर तैनात किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देशवार विदेशों में पदों का ब्यौरा

क्रम सं.	देश का नाम	अधिकारियों की संख्या (भारत में रहने वाले)
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	3
2.	सिंगापुर	2
3.	जर्मनी	3
4.	फ्रांस	3
5.	मास्को	1
6.	नीदरलैंड	2
7.	इटली	1
8.	स्पेन	1
9.	स्वीडन	1
10.	इजराइल	1
11.	यू.एस.ए.	5
12.	अर्जेंटीना	1
13.	कनाडा	2
14.	दुबई	2
15.	दक्षिण अफ्रीका	1
16.	जापान	2
17.	लंदन	3

[अनुवाद]

बिजली के मूल्यों पर नाफ्था का प्रभाव

3788. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नाफ्था पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को घटाए जाने की आवश्यकता है ताकि कायमकुलम जैसी विद्युत परियोजनाएं बिजली के मूल्य को वहनीय स्तर तक कम कर सकें;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) नाफ्था आधारित निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के कुछ प्रवर्तकों एवं कुछ राज्य सरकारों आदि से विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाफ्था के सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क से मुक्त करने के संबंध में अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विदेशों में रेलवे की बिक्री एजेंसियाँ

3789. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सामान्य बिक्री एजेंसियों की सेवाएं ली हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान देशवार कितनी एजेंसियों की सेवाएं ली गईं;

(ग) क्या ऐसी एजेंसियों की सेवाएं लिए जाने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एजेंटों के माध्यम से रेलवे को कितना वार्षिक लाभ हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ, बहरहाल, पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी देश में इस प्रकार की कोई एजेंसी काम पर नहीं लगाई गई है।

(ग) और (घ) जी हाँ, विदेश में इंडरेल पासों की बिक्री के लिए सामान्य बिक्री एजेंटों को लगाने से संबंधित मार्ग निर्देशों में राष्ट्रीय पर्यटन संगठन या प्रत्यायन के देश के यात्रा एजेंटों के राष्ट्रीय संघ से मान्यताप्राप्त ट्रेवल एजेंसी को चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, ट्रेवल एजेंसी की वित्तीय सक्षमता आदि का प्रावधान है। विदेश में सामान्य बिक्री एजेंटों के माध्यम से इंडरेल पासों की बिक्री आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दी गई एक सुविधा है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन हो पाएगा। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। सामान्य बिक्री एजेंट अपना कमीशन काटने के पश्चात् इंडरेल पासों की बिक्री से प्राप्त धन को भारतीय रेलों के पास जमा करा देते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2000 से दिसंबर, 2000) इंडरेल टिकटों की बिक्री से 4,05,386 अमरीकी डालर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई।

पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

3790. श्री पी.आर. खुँटे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली निजी कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हाँ। भारत में पहले से प्रचालनरत संयुक्त उद्यमों और तेल क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वातावरण उत्पन्न करती है और यह आमतौर से उपभोक्ताओं के हित में है।

विवरण

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	प्रवर्तक	व्यवसाय
1	2	3	4
1.	इंडो-मोबिल लिमिटेड	आई ओ सी और मोबिल पेट्रोलियम कंपनी इंक	मोबिल ब्रान्ड के स्नेहकों का आयात, मिश्रण और विपणन
2.	एवी-आयल इंडिया लि.	आई ओ सी, बामर लारी और नाईको एस ए, फ्रांस	विमानन स्नेहकों के लिए
3.	इंडिया आयल टैंकिंग लि. (आई. ओ. टी. एल.)	आई ओ सी, आई बी पी और आयल टैंकिंग, जीएमबीएच, जर्मनी	पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास
4.	लुब्रीझाल इंडिया लि.	आई. ओ. सी. और लुब्रीझाल का., यू. एस. ए.	स्नेहक योगजों का विनिर्माण
5.	पेट्रोनेट इंडिया लि. (पी. आई. एल.)	आई. ओ. सी., बी. पी. सी., एच. पी. सी., आई. सी. आई. सी. आई., एस. बी. आई., ई. ओ. एल, आई. एल. एफ. एस. और आर. पी. एल.	निर्धारित भावी उत्पादक पाइपलाइन परियोजनाओं का कार्यान्वयन
6.	पेट्रोनेट वाडीनार, कांडला लि.	आई. ओ. सी., पी. आई. एल. और अन्य	पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन (वाडीनार-कांडला)
7.	पेट्रोनेट चैन्नई-त्रिची-मदुराई लि.	आई ओ सी, पी आई एल और अन्य	पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए (चेन्नई-त्रिची-मदुराई)
8.	पेट्रोनेट एल एन जी लि. (पी एल एल)	आई ओ सी, गेल, बी पी सी, ओ एन जी सी और अन्य कार्यनीतिक भागीदार और वित्तीय संस्थान	एल. एन. जी. के आयात और उपयोग के लिए सुविधाओं का विकास
9.	इंडियन आयल पेट्रोनास लि. (आई पी एल)	आई ओ सी और पेट्रोनास, मलेशिया	हल्दिया में एल पी जी आयात सुविधाओं की स्थापना के लिए
10.	इंडियन आयल पानीपत पावर कन्सोर्टियम लि. (आई पी पी सी एल)	आई ओ सी और मारूबेनी का.	पानीपत में विद्युत परियोजना की स्थापना
11.	इंडियन आयल टी सी जी पेट्रोकेम लि.	आई ओ सी, चटर्जी ग्रुप (टी सी जी)	पेट्रोरसायन व्यवसाय को अपनाना, प्रचालन करना और उसका प्रबंध करना

1	2	3	4
12.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (एम आर पी एल)	एच पी सी एल और बिरला ग्रुप की कंपनियां	कच्चे तेल का शोधन
13.	हिन्दुस्तान कोलास लि. (एचआईएनसीओएल)	एच पी सी एल और मैसर्स कोलास, फ्रांस	बिटुमेन इमल्शन का उत्पादन और विपणन करना
14.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि. (पी पी एल)	एच पी सी एल, आई सी आई सी आई, टी डी आई सी आई और एच डी एफ सी	हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लिए
15.	साउथ एशिया एल पी जी कंपनी लि. (एस ए एल पी जी)	एच पी सी एल और मैसर्स टोटल, फ्रांस	विशाखापत्तनम में एक एल पी जी आयात टर्मिनल का निर्माण करना
16.	पेट्रोनेट मंगलौर हासन बंगलौर लि. (पी एम एच बी एल)	एच पी सी एल और पेट्रोनेट इंडिया लि.	बंगलौर के पास मंगलौर से देवानगुन्थी तक पाइपलाइन बिछाना
17.	पेट्रोनेट सी आई पी एल लिमिटेड	आई ओ सी, पी आई एल, आर पी एल, ई ओ एल, बी पी सी एल	आर पी एल, ई ओ एल और आई ओ सी एल की गुजरात रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों का निष्कर्षण करने के लिए
18.	भारत ओमान रिफाइनरीज लि. (बी ओ आर एल)	बी पी सी एल और ओमान आयल कंपनी	बीना (म.प्र.) में एक रिफाइनरी की स्थापना करना
19.	भारत शैल लिमिटेड (बी एस एल)	बी पी सी एल और शैल ओवरसीज इन्वेस्टमैंट्स बीवी	शैल ब्रान्ड के स्नेहकों का विपणन करना
20.	महानगर गैस लि. (एम जी एल)	गेल और ब्रिटिश गैस	मुंबई नगर में पाइप वाली गैस और सी एन जी की आपूर्ति
21.	इन्द्रप्रस्थ गैस लि. (आई जी एल)	गेल, बी पी सी एल और रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार	रा. रा. क्षे., दिल्ली में पाइप वाली गैस और सी एन जी की आपूर्ति
22.	बामर लारी-वेन लीर लिमिटेड, मुंबई	बामर लारी (बी एल) मैसर्स वेनलीर, नीदरलैण्ड	बैरल क्लोजरों और फिटिंगों का विनिर्माण
23.	इंडियन कंटेनर लीजिंग कं. लि., कलकत्ता	बी एल, आई सी आई सी आई, टी डी आई सी आई, ट्रांस अमेरिका, यू एस ए	घरेलू क्षेत्र में कन्टेनराइजेशन की संकल्पना को बढ़ावा देना
24.	कोचीन रिफाइनरीज बामर लारी लि. कोचीन	बी एल, के आर एल	पोली-आई एस ओ-ब्यूटेन का उत्पादन
25.	बामर लारी फेट कंटेनर्स लि., मद्रास	बी एल, मैसर्स टैक्टरान्स, जर्मनी और ओकूरा, जापान	मद्रास में मैरीन फेट कन्टेनरों का विनिर्माण और निर्यात

रेलवे का विभाजन

3791. श्री तूफानी सरोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में "भारतीय रेल पर अमेरिकी कंपनी की गिद्ध दृष्टि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या विश्व बैंक भारतीय रेल को छोटी-छोटी कंपनियों में विभाजित कर दिए जाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल खानपान और पर्यटन निगम

3792. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में खानपान सेवाओं के प्रबंधन और उन्नयन के लिए भारतीय रेल खानपान और पर्यटन जिम्मेवार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस निगम ने किस सीमा तक खानपान सेवाओं को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) निगम ने विभिन्न खान-पान संबंधी परियोजनाओं के लिए जिसमें ऑन बोर्ड खान-पान सेवाएं शामिल हैं, खान-पान संबंधी उद्योग से अपनी रुचि अभिव्यक्त करने का आमंत्रण दिया है।

[हिन्दी]

ओटाई और प्रैसिंग उद्योग को राजसहायता

3793. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में चल रहे ओटाई और प्रैसिंग उद्योग को सरकार द्वारा राजसहायता दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य अनुसंधान, किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रसार करना, विपणन अधसंरचना में सुधार लाना तथा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण करना है। इस मिशन में चार लघु मिशन शामिल हैं जिनमें से मिशन 1 और 2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

लघु मिशन-4 के अंतर्गत जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण से संबंधित उद्यमी को 20 लाख रु. प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा तक, आधुनिकीकरण के लागत की 25 प्रतिशत का, पूंजी प्रोत्साहन दिया जाता है।

फरवरी, 2001 तक राज्यवार ब्यौरे निम्न अनुसार हैं :

राज्य	स्वीकृति जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों की संख्या	अनुमानित परियोजना लागत	भारत सरकार का अंशदान
महाराष्ट्र	52	53.71	10.70
गुजरात	23	19.77	4.52
मध्य प्रदेश	23	23.02	4.39
कर्नाटक	01	1.26	0.20
उड़ीसा	01	1.37	0.02

[अनुवाद]

गेल द्वारा राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना

3794. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने समूचे देश के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड स्थापित करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रिड की आर्थिक व्यवहार्यता की जाँच कर ली गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रिड को कार्यक्षम बनाने में कितना अनुमानित समय लगेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने प्रायः सभी राज्यों को शामिल करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय गैस ग्रिड की परिकल्पना की है, जिसमें अतिरिक्त 6400 किलोमीटर लम्बी उच्च दबाव, बड़े व्यास वाली ट्रंक पाइपलाइनों का बिछाया जाना शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस गैस ग्रिड का क्रियान्वयन आर्थिक व्यवहार्यता, गैस की उपलब्धता तथा अन्य प्रतिस्पर्द्धी गैस स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसलिए इस अवस्था में इस गैस ग्रिड के लिए किसी समय-सीमा का अनुमान करना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में रेलवे परियोजनाएं

3795. श्री सुबोध राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल में अट्ठारह रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और सत्रह सेवाओं का उद्घाटन किया;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी परियोजनाएं और सेवाएं शुरू हो चुकी हैं; और

(ग) शेष परियोजनाओं और सेवाओं के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) 18 परियोजनाओं में से तकरीबन 14 परियोजनाएं और 17 सेवाओं में से तकरीबन 16 सेवाएं अब शुरू की जा चुकी हैं।

(ग) शेष परियोजनाओं तथा सेवाओं में शुरू करने के लिए अभी तक कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बिटुमेन की माँग

3796. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में बिटुमेन की माँग और आपूर्ति की क्या स्थिति है; और

(ख) सरकार द्वारा कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बिटुमेन एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है तथा राज्य सरकारों इत्यादि को इसकी आपूर्ति माँग के अनुसार तेल कंपनियों के द्वारा की जाती है। बिटुमेन की कोई कमी नहीं बताई गई है।

विवरण

राज्यवार आपूर्ति किया गया बिटुमेन

(आंकड़े टी.एम.टी. में)

क्षेत्र/राज्य	1997-98 आपूर्ति	1998-99 आपूर्ति	1999-2000 आपूर्ति
1	2	3	4
उत्तरी			
चंडीगढ़	5.6	5.3	0.8
दिल्ली	15.3	21.7	24.8
हरियाणा	65.5	90.5	121.9
हिमाचल प्रदेश	13.9	29.7	33.8
जम्मू और कश्मीर	16.8	12.2	10.0
पंजाब	113.6	126.6	181.1
राजस्थान	127.0	144.4	145.0
उत्तर प्रदेश	220.9	257.5	276.8
मध्य क्षेत्र	38.2	24.0	33.1
योग	616.8	711.9	827.3
पूर्वी			
अंडमान और निकोबार	2.4	1.4	3.5
अरूणाचल प्रदेश	0.3	1.2	0.9
असम	21.9	22.5	31.7
बिहार	88.5	136.6	88.0
मणिपुर	0.0	1.9	0.9
मेघालय	3.7	2.0	2.4
मिजोरम	5.7	0.0	2.5
नागालैण्ड	1.3	1.1	18.3
उड़ीसा	24.3	30.4	50.5
सिक्किम	0.1	0.0	0.0
त्रिपुरा	4.7	3.7	2.0
पश्चिम बंगाल	116.2	139.9	148.2
मध्य क्षेत्र	43.9	30.5	31.3
योग	293.0	371.2	380.2
पश्चिमी			
दादर और नगर हवेली	1.2	0.5	0.0
दमन और दीव	1.0	0.1	0.0
गोवा	5.5	2.8	4.3
गुजरात	221.8	243.6	288.0
मध्य प्रदेश	73.8	81.0	78.6
महाराष्ट्र	390.7	397.1	377.0
मध्य क्षेत्र	0.6	0.2	0.0
योग	694.6	725.3	747.9
दक्षिणी			
आन्ध्र प्रदेश	145.3	141.3	183.0
कर्नाटक	59.6	42.6	83.4
केरल	92.9	78.8	103.7
पांडिचेरी	3.6	0.8	0.0
तमिलनाडु	238.9	293.5	274.5
मध्य क्षेत्र	13.7	0.2	0.0
योग	554.0	557.2	644.6
कुल योग	2158.4	2365.6	2550.0

[अनुवाद]

राजस्थान को आरएपीपी से विद्युत का आबंटन

3797. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाभिकीय ऊर्जा निगम ने आरएपीपी की दोनों इकाइयों 3 और 4 से विद्युत के पूर्ण आबंटन हेतु राजस्थान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या 1 मार्च, 2001 से आरएपीपी की इकाइयों से उत्पन्न सारी विद्युत को राजस्थान को आबंटित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) दिनांक 14.10.2000 को उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड में हुई बैठक में हुए संकल्प के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने राणा प्रताप परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 की समस्त विद्युत (220 मे.वा.) को राजस्थान को आबंटित कर दी गई है। यूनिट-3 से 85 प्रतिशत विद्युत को 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रारंभ में आबंटित किया गया है तथा जिसको 2 वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। यूनिट-3 की शेष 15 प्रतिशत अनाबंटित विद्युत को भी अगले आदेश तक विशेष मामले के रूप में राजस्थान को ही आबंटित किया गया है। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-4 (220 मे. वा.) दिसम्बर, 2000 में वाणिज्यिक प्रचालन में आई है। फिलहाल, राजस्थान तथा हरियाणा दोनों को ही इसके उत्पादन का 50-50 प्रतिशत आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

सत्यनारायण पेठ में उपरिपुल का निर्माण

3798. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेलारी, कर्नाटक में सत्यनारायण पेठ में अधोगामी अथवा उपरिपुल का निर्माण आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त कार्य को मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) लागत में हिस्सेदारी के आधार पर 2000-2001 के बजट में बेल्लारी और हादूदिनागुन्डु के बीच कि.मी. 209/12-13 पर सत्यनारायण पेठ में मौजूदा समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 6.58 करोड़ रुपये है जिसमें रेलवे का हिस्सा 2.82 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का हिस्सा 3.76 करोड़ रुपए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अर्जित मुनाफा

3799. श्री जोरा सिंह मान :
श्री नवल किशोर राय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों की विद्युत उत्पादक कंपनियों को अपनी पूंजीगत लागत पर 16 प्रतिशत मुनाफा कमाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें पूंजीगत लागत पर कितने प्रतिशत मुनाफा कमाने की अनुमति दी गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा-43ए की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा दिनांक 30.3.1992 को दो भागों में जारी की गयी दर-निर्धारण अधिसूचना के अनुसार संचालन के मानवीय स्तरों पर इक्विटी (प्रदत्त तथा अंशदायी) पर 16 प्रतिशत तक के लाभांश की अनुमति है अर्थात् उत्पादक कम्पनियों द्वारा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उन्हें 68.5 प्रतिशत संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) की अनुमति है। इस स्तर से अधिक विद्युत उत्पादन करने पर, पीएलएफ में प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि के लिए इक्विटी का 0.7 प्रतिशत (प्रदत्त तथा अंशदायी) की सीमा की शर्त के अधीन तय की गयी दरों पर प्रोत्साहन की अनुमति है।

उत्तरांचल में पर्यटन का विकास

3800. श्रीमती शीला गौतम : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल राज्य के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं में लगभग ठहराव आ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुलों के नवीकरण हेतु आबंटन

3801. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या रेल मंत्री रेल पुलों का नवीकरण के बारे में 3 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1942 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तट रेलवे, जिसका नियंत्रण इस समय दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा किया जाता है, में पुलों के नवीकरण हेतु धनराशि की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अन्तर है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पुलों के सुरक्षा पहलुओं के मद्देनजर उनके नवीकरण हेतु धनराशि के आबंटन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के तहत चल रही परियोजनाएं

3802. श्री संतोष मोहन देवः
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री समर चौधरी :
श्री एम.के. सुब्बा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के तहत चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन पर कितना खर्च आया और वर्ष 2001-2002 के दौरान परियोजना-वार इनके लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा लागत वृद्धि से बचने के लिए इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित, सहित चालू रेल परियोजनाओं, उनकी मौजूदा स्थिति, किया गया खर्च और 2001-02 के लिए प्रस्तावित परिव्यय संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) लक्ष्य के अनुसार यथा अपेक्षित निधियाँ और सामग्रियाँ मुहैया करायी जा रही हैं। कार्य की प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जा रही है।

(घ) इन परियोजनाओं का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्र. सं.	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना	लंबाई (किमी. में)	राज्य	लागत करोड़ रुपए में	मार्च, 2001 तक अनुमानित खर्च (करोड़ में)	बजट परिव्यय 2001-02 (करोड़ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अंतर्गत चल रही रेल परियोजनाओं की स्थिति								
		योजना : ए नई लाइन						
1.	1983-84	जोगीघोपा-गुवाहाटी	142	असम	677.1	523	15	कार्य पूरा कर लिया गया है और 15.4.1998 को यातायात के लिए खोल दिया गया है।
2.	1984-85	इकलाखी-बलूरघाट@	87	प. बंगाल	266.2	89.2	50	इकलाखी से गजौल तक (14 किमी.) पहला ब्लाक खंड पूरा हो गया है। गजौल से बुनियादपुर (किमी. 14 से 28) तक 80% मिट्टी संबंधी कार्य भी पूरा हो गया है। इस भाग में छोटे पुल संबंधी कार्य पूरे होने वाले हैं। 80 किमी. भाग में भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। शेष 7 किमी. भूमि शीघ्र ही अधिग्रहित किए जाने की संभावना है। मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य (28 किमी. से 45 किमी.) के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। गजौल से बुनियादपुर (14 किमी.) को 2001-02 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। गजौल से इतहार (31 किमी.) तक आधारभूत आशोधन के रूप में बजट 2001-02 में शामिल नया कार्य।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	1992-93	दूधनाई-देपा	15.5	असम और मेघालय	22.83	1.82	0.1	यह कार्य 1992-93 में स्वीकृत किया गया था। बहरहाल, मेघालय सरकार ने स्थानीय जनता के विरोध के कारण इस परियोजना के लिए अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। बहरहाल, भूमि अधिग्रहण के लिए कागजात जुलाई 1997 में सौंप दिए गए हैं। बहरहाल, मेघालय सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित की जानी है। इस परियोजना पर कार्य भूमि उपलब्ध होते ही शुरू कर दिया जाएगा और भूमि उपलब्ध कराने के दो वर्षो के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
4.	1996-97	हरमूती-ईटानगर	33	असम और अरूणाचल प्रदेश	156	10.0	5	यह कार्य राज्य सरकार के अनुरोध पर रोक दिया गया है जो अब हलेम से ईटानगर जिसके लिए सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई है, तक एक वैकल्पिक संरेखण चाहती है।
5.	1996-97	कुमारघाट-अगरतला	109	त्रिपुरा	825	104	40	भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। परियोजना के लिए वन भूमि सहित लगभग 1950 एकड़ कुल भूमि अधिग्रहित की जानी है। इसमें से 1300 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है। अगरतला में कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगरतला से 40 किमी और कुमारघाट से 20 किमी के भाग में मिट्टी और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। 52 लाख घनमीटर मिट्टी संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है और अगरतला और जिरनियां और कुमारघाट-मनू खंड के बीच 25 छोटे पुलों का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। अगरतला और जिरनियां और कुमारघाट-मनू खंड के बीच सभी बड़े पुलों के लिए ठेके दे दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। चूंकि अब लाइन ब.ला. के रूप में दिखाई जानी है अतः घाट खंडों में नए सिरे से राइट्स के माध्यम से अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है और रिपोर्ट शीघ्र ही पूरी होने की आशा है। शेष खंड पर कार्य संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने और भूमि उपलब्ध हो जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
6.	1997-98	बोगीबिल ब्रिज**	46	असम	1000	10	14.9	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि पर संरेक्षण अंकित कर दिया गया है। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट और अनुमान राइट्स द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति भी सिद्धान्तः प्राप्त कर ली गई है। रेल एवं सड़क पुल की लागत में भागीदारी का विनिश्चय जोगीघोपा पुल के लिए की गई भागीदारी के अनुसार किया गया है। राइट्स ने क्षेत्र सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच, भूकंपीय अध्ययन आदि पूरे कर लिए हैं। हाइड्रोलिक मॉडल, यातायात, पुल का अभिकल्प, बचाव निर्माण कार्य आदि के संबंध में अध्ययन प्रगति पर है। रिपोर्ट इस वर्ष के अंत तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। कार्य मॉडल अध्ययनों सहित सवेक्षण पूरा होने और संरेखण निर्धारित होने और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	1997-98	दिफू-कारोंग फेस I	123	असम और नागालैण्ड	1600	25.3	5	यह कार्य रोक दिया गया है क्योंकि मणिपुर सरकार ने इस कार्य के लिए वैकल्पिक संरेखण के रूप में जिरीबाम-इम्फाल का सुझाव दिया है जिसके लिए सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव बोर्ड के विचाराधीन है।
8.	2000-01	न्यू मायनागुरी-जोगीघोपा	245	प. बंगाल और असम	733	6	20	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के लिए आंशिक विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। न्यू मैनागुड़ी छोर से पहले दो ब्लॉक खंडों (28 किमी.) में सर्वेक्षण कार्य विभागीय तौर पर शुरू कर दिया गया है।
	योजना :	**बी आमान परिवर्तन**						
1.	1992-93	न्यू गुवाहाटी-लम्बडिंग	209	असम	194.1	192	1.61	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
2.	1993-94	लमडिंग-डिब्रूगढ़	628	असम	738.5	687	2	लम्बडिंग से डिब्रूगढ़, तिनसुकिया से लेखापानी तक मुख्य लाइन और फरकटिंग से मरियानी और सिमलगुड़ी-मोरनहाट तक शाखा लाइनों का कार्य पूरा कर लिया गया है। आमगुडी-तुली और माकुम-डांगरी पर आमान परिवर्तन कार्य प्रगति पर है और 2001-02 में पूरा कर लिया जाएगा।
3.	1996-97	एम.एम. सहित लमडिंगजंक्शन - सिलचर का बदरपुर से भरिया ग्राम तक विस्तार	—	असम	696	69.8	40	कुछ भू-तकनीकी जांच जो चल रही है को छोड़ कर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण योजना और कागजातों की तैयारी शुरू कर दी गई है। राइट्स ने संपूर्ण लम्बाई के लिए पेपर संरेखण पहले ही पूरा कर लिया है और 150 किमी. में संरेखण की स्टेकिंग पूरी कर ली है। 90 किमी. लम्बाई (लम्बडिंग छोर से 40 किमी. और सिलचर छोर से 50 किमी.) में लम्बडिंग और सिलचर के बीच मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य अब प्रगति पर है। इस 90 किमी लंबाई में मिट्टी संबंधी कार्य का 40 प्रतिशत और इस लंबाई में 138 में से 60 छोटे पुलों का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इस कार्य के मौलिक आशोधन के रूप में सिलचर-जिरीबाम आमान परिवर्तन कार्य किया जा रहा है। बदरपुर से बरई ग्राम (44 किमी.) आधारभूत आशोधन के रूप में बजट 2001-02 में शामिल आमान परिवर्तन कार्य।
4.	1997-98	कतखल-बैराभी	84	असम और मिजोरम	200	0.1	5	अपेक्षित स्वीकृतियाँ अब प्राप्त कर ली गई हैं। कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
5.	1997-98	न्यू जलपाई गुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव	280	असम और प. बंगाल	535.9	129	80	कार्य अच्छी प्रगति पर है और उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसे दिसंबर, 2003 तक पूरा कर लिए जाने की योजना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
6.	1997-98	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-राधिकापुर सहित)**	108	बिहार	257	10	15	कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात् शुरू किया जाएगा। कटिहार-राधिकापुर का आमान परिवर्तन मुख्य कार्य के मूलभूत आशोधन के रूप में शुरू किया जाएगा।
	योजना :	**सी दोहरीकरण**						
1.	1990-91	किशनगंज-दलकोलहार	28	प. बंगाल	49.42	47.4	1	पूरा खंड अब पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष का कनकी-दलखोला (14 किमी.) का लक्षित कार्य पूरा हो गया है और 16.1.2001 को खोल दिया गया है।

[अनुवाद]

बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने संबंधी मामला

3803. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 49 अभियुक्तों में से आठ अभियुक्तों जिनमें तीन केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, के विरुद्ध बाबरी मस्जिद को विध्वंस किए जाने संबंधी मामले में आरोप लगाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सात वर्ष से अधिक समय के विलंब की ऐसी क्रियाविधि संबंधी चूक पर उच्च न्यायालय के निर्णय की घोषणा पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी हाँ।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि तारीख 9 सितंबर, 1993 की अधिसूचना का संशोधन करने वाली तारीख 8 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना अवैध अधिकारिता के बिना और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11(1) और साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के उपबंधों का अतिक्रमण करने वाली है क्योंकि पश्चात्वर्ती अधिसूचना उच्च न्यायालय के परामर्श से जारी नहीं की गई थी।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और इससे भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि अधिसूचना जारी करने में हुई गलती उपचारणीय है और राज्य सरकार इस कानूनी खामी को ठीक कर सकती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में तेल और गैस के भण्डार

3804. श्री उत्तम राव पाटील :
श्री रामदास आठवले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक जिसमें महाराष्ट्र, विशेषकर आदिवासी और दलित बहुल क्षेत्रों सहित देश में किन-किन स्थानों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मिलने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) अन्य राज्यों में आदिवासी और दलित बहुल क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाई गई है और तेल की खोज में लगी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) इस संबंध में भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के पांढरपुर में तेल के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेना में खिलाड़ियों की भर्ती

3805. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने कभी सशस्त्र बलों में खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया गया है और रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर हमारे देश के खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) जी, हाँ। सशस्त्र बलों में श्रेष्ठ खिलाड़ियों को सीधे ही जूनियर कमीशन अफसर तथा उसके समकक्ष भर्ती किए जाने से संबंधित एक प्रस्ताव सैन्य खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रधान कार्मिक अफसर समिति को प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

3806. श्री कांतिलाल भूरिया :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री आर.एल. जालप्पा :
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक जोन-वार कुल कितने किलोमीटर रेलवे लाइनों का आमान परिवर्तन किया गया है;

(ख) परियोजना-वार रेल लाइनों के चल रहे आमान परिवर्तन के कार्य को पूरा करने के संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर परियोजना-वार अब तक कितना खर्च आया और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(घ) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 01.04.1992 को एक आमान परियोजना के आरंभ होने के बाद से आमान परिवर्तित की गई रेल लाइनों की जोन-वार लम्बाई निम्नानुसार है:

जोन	लम्बाई (किलोमीटर में)
मध्य रेलवे	150
पूर्व रेलवे	कुछ नहीं
उत्तर रेलवे	1572
पूर्वोत्तर रेलवे	964
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	836
दक्षिण रेलवे	2346
दक्षिण मध्य रेलवे	1593
दक्षिण पूर्व रेलवे	278
पश्चिम रेलवे	1104
जोड़	8789

(ख) से (घ) चालू आमान परिवर्तन कार्यों के संबंध में की गई प्रगति, उन पर किया गया खर्च, परियोजना की लागत और पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित किया गया धन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

चालू आमान परिवर्तन कार्य

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	परियोजना	लागत	परिव्यय 99-2000	परिव्यय 2000-01	मार्च 2001 तक प्रत्याशित परिव्यय	परिव्यय 2001-02	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
मारे							
	मिरज-लातूर	329	46.5	15.00	105.3	20	इस कार्य की प्रगति चरणों में की जा रही है। प्रथम चरण में कुर्डवाडि से पंधारपुर (52 किमी) पूरा किया गया है। इस खंड में अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है। लातूर रोड-लातूर (42 किमी) में मिट्टी संबंधी कार्य और बड़े एवं छोटे पुलों संबंधी कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी संग्रहण पूरा होने वाला है। कुर्डवाडि और येदशी (113 किमी) के बीच कुर्डवाडि-लातूर (143 किमी) पर कार्य आरंभ किया गया है। 173 छोटे पुलों में 29 और 8 बड़े पुलों में से 5 ओस्मानाबाद मार्ग परिवर्तन (30 किमी) पर कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया है। मिरज पंधारपुर (137 किमी) चरण IV का कार्य इस परियोजना के अंतिम चरण के रूप में आरंभ किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वोत्तर							
	गोंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ चरण I**	48	0.001	0.10	0	1	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
	समस्तीपुर-खगड़िया**	70	0.001	0.10	0	5	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
	जयनगर-दरभंगा-नरकटियांगज	335.77	10	8.00	8.55	10	जयनगर-दरभंगा प्रथम चरण में किया जाना है। कार्य प्रगति पर है। 32 किमी के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी संबंधी कार्य और मिट्टी आपूर्ति के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। दरभंगा से नरकटियागंज तक चरण II के कार्य के लिए मिट्टी संबंधी कार्य हेतु निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हाल ही में नरकटियागंज-भीकनातोरी शाखा लाइन के आमान परिवर्तन के लिए वस्तुपरक आशोधन इस परियोजना के भाग के रूप में स्वीकृत किया गया है। तद्नुसार रेलवे को वस्तुपरक आशोधन अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
	मानसी-सहरसा, दौरम माधेपुर तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित	89.49	10	3.00	23.51	3	कार्य प्रगति पर है। 29.17 किमी. में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। 13 छोटे पुलों में से 9 पूरे हो गए हैं। 10 बड़े पुलों में से 1 पूरा हो गया है। बागमती नदी पर 2 पुल प्रगति पर हैं। कोसी नदी पर 2 बड़े पुलों (पुल सं. 44, 45) के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ओपन लाइन में 2 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण हो रहा है। इन पुलों के पूरा होने में 2-3 वर्ष लग जाएंगे। सहरसा से दौरम माधेपुर तक आमान परिवर्तन का विस्तार (21 किमी) वस्तुपरक आशोधन के रूप में 2001-02 के बजट में शामिल किया गया है। यह कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।
	हाजीपुर-बछवाड़ा	75.56	1	3.00	74.33	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है। गिट्टी की कमी को दूर किया जा रहा है। लम्बी झली हुई पटरियों का कार्य पूरा हो गया है।
	मथुरा-अचनेरा	33.67	0.001	1.00	0.1	2	यह कार्य कानुपर-कासगंज-मथुरा के साथ-साथ किए जाने की योजना है।
	खड्डा-गोरखपुर	102.49	2.5	1.00	98.49	9	यह कार्य पूरा हो गया है। गिट्टी का कुशन बढ़ाने और लम्बी झली हुई पटरियों में परिवर्तन के अवशिष्ट कार्य शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।
	कानुपर-कासंगज-मथुरा-बरेली, बरली से लालकुआं तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित	609.04	26	26.00	52.44	26	यह कार्य 4 चरणों में पूरा किया जाने की योजना है। चरण-I : कानुपर-फरुक्काबाद (140 किमी) मिट्टी संबंधी कार्य पूरा होने के निकट है और 169 छोटे पुलों में से 103 पूरे हो गए हैं। 5 बड़े पुलों में 2 का कार्य प्रगति पर है। चरण-II : फरुक्काबाद-कासगंज (108 किमी) मिट्टी और पुल संबंधी कार्य आरंभ किया गया है। चरण-III : कासगंज-मथुरा (105 किमी) : इस दूरी में अभी तक कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया है। चरण-IV : कासगंज-बरेली (107 किमी.) मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
	आनंद नगर नौतनवा सहित गोंडा-गोरखपुर लूप**	250	0.001	0.10	0	1	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
	इंदारा-फेफना	35	1	0.10	34.48	0.1	यह कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है।
	नरकटियागंज-बाल्मीकिनगर	67.87	1.5	3.00	61.88	5	यह कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है। गिट्टी का कुशन बढ़ाने और लम्बी झली हुई पटरियों का अवशिष्ट कार्य शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।
	समस्तीपुर-दरभंगा	41.54		0.10	37.88	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है।
	काशीपुर-लालकुआं	58.89	20	9.98	55.43	2	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है।
	छपरा-औणिहार	170.93	1	0.10	169.91	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है।
	मुजफ्फरपुर-राक्सौल	121.86	4	2.00	121.76	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है।
	(राक्सौल-बीरगंज)						बीरगंज से राक्सौल (5 किमी) का कार्य जो वस्तुपरक आशोधन के रूप में आरंभ किया गया था, भी पूरा हो गया है।
	कप्तानगंज-ठावे-सिवान-छपरा**	268	0.001	0.10	0	1.1	यह अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
पू.सी.रे.							
	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-राधिकापुर सहित)**	257	0.0001	10.00	10	15	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा। कटिहार-राधिकापुर का आमान परिवर्तन मुख्य कार्य वस्तुपरक आशोधन के रूप में आरंभ किया जाएगा।
	लमडिंग-सिलचेर, बदरपुर से भरियाग्राम तक विस्तार के वस्तुपरक आशोधन सहित	696	40	40.00	69.77	40	कुछेक भूतकनीकी जांच जो प्रगति पर हैं, को छोड़कर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेजों की तैयारी आरम्भ की गयी है। राइट्स समूची लम्बाई के लिए दस्तावेजी सरेक्षण पहले ही पूरा कर चुका है और 150 किमी में सरेक्षण की निशानदेही हो गयी है। अब 90 किमी की दूरी में (लमडिंग छोर से 40 किमी और सिलचेर छोर से 50 किमी) लमडिंग और सिलचेर के बीच मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। 90 किमी की इस दूरी में 40 प्रतिशत मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और इस दूरी में 138 छोटे पुलों में से 60 पूरे हो गए हैं। सिलचेर-जीरीबाम के आमान परिवर्तन का कार्य भी इस कार्य के वस्तुपरक आशोधन के रूप में आरम्भ किया गया है। बदरपुर से भरियाग्राम तक (44 किमी) के आमान परिवर्तन का कार्य वस्तुपरक आशोधन के रूप में 2001-02 के बजट में शामिल किया गया है।
	न्यू गुवाहाटी-लमडिंग	194.1	0.0001	0.20	192.49	1.61	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है।
	कटखल-भैरावी	200	2	0.10	0.1	5	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
	न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव	535.88	69	80.00	128.74	80	यह कार्य अच्छी प्रगति पर है और इसे उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसे दिसम्बर 2003 तक पूरा किए जाने की योजना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

1	2	3	4	5	6	7	8
	सम्बद्ध शाखा लाइनों सहित लमडिंग-डिब्रूगढ़@	738.34	2	10.00	687.34	2	लमडिंग से डिब्रूगढ़ तक, तनिसुकिया-लेखपानी मुख्य लाइन और फरकातिंग से मरियानी तथा सिमलगुड़ी-मोरनहाट शाखा लाइनों का कार्य पूरा हो गया है। अमगुडी-तूली और माकुम-डांगरी के आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है और 2001-02 में पूरा हो जाएगा।
उत्तर							
	भिलड़ी-समदड़ी	244.92	5	5.50	3.69	4.5	यह कार्य 1990-91 के दौरान कांडला-भटिंडा रेल संपर्क के भाग के रूप में स्वीकृत किया गया था। यह कार्य हाल ही में पुनः चालू किया गया है। धन आबंटित कर दिया गया है। कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
	लूनी-बाडमेर-मुनाबाव@	283.94	30	25.00	42.14	25.4	लूनी-समदरी (50 किमी) के बीच मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और समदरी एवं बाडमेर के बीच प्रगति पर है। 104 छोटे पुलों में 61 पूरे हो गए हैं और 9 बड़े पुलों में से भी 4 पूरे हो गए हैं। गिट्टी संग्रहण प्रगति पर है। 6.25 लाख घन मीटर गिट्टी में से 2.1 लाख घन मीटर गिट्टी प्राप्त हो गई है। लूनी से समदरी, समदरी से जसई और फिर जसई से आगे चरणों में कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। यह कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार अगले 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा।
	लूनी-मारवाड एवं जोधपुर-लूनी	118.77	2	0.10	111.76	0.6	यह कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय समायोजन किए जा रहे हैं। धुरा काउंटरों से ब्लाक जांच का अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है और 2001-02 में पूरा हो जाएगा।
	श्रीगंगानगर-सरूपसर**	68.71	0.001	0.10	0.08	0.1	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
	रेवाड़ी-सदूलपुर**, सदूलपुर-हिसार से वस्तुपरक आशोधन सहित	282.76	0.001	0.10	0.01	2	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा। सदूलपुर से हिसार तक आमान परिवर्तन का नया कार्य वस्तुपरक आशोधन के रूप में 2001-02 के बजट में शामिल किया गया है।
	फुलेरा-जोधपुर-पिपाड रोड बिलाड़ा	21.46	1	0.10	0	0.1	फुलेरा-जोधपुर का कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है। पिपाड रोड़ से बिलाड़ा तक का शेष खंड वस्तुपरक आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है। पिपाड रोड़-बिलाड़ा खंड पर निम्न परिचालनिक प्राथमिकता और अत्यधिक कम यातायात के कारण कार्य अस्थायी रूप से लंबित कर दिया गया है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसकी प्रगति की जाएगी।
द.म.रे.							
	गुंतूर-गुंतकल और गुंतकल-कल्लारू @ पेंडाकल्लू से गूटी तक नई लाइन	516.09	10	10.50	440.05	20	गुंतूर से गुंतकल पूरा हो गया है। गुंतकल-कल्लारू में संरेखण और ढाल का आकलन किया जा रहा है। अब धर्मावरम-पकाला की स्वीकृति, जिसके लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है, के कारण गुंतकाल-पकाला का आमान परिवर्तन एक चरण में किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
							पेंदाकल्लू-गूटी तक नई लाइन पर कार्य अच्छी प्रगति पर है और 2001-02 में पूरा हो जाएगा बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।
	सिकंदराबाद-मुदखेड़ एवं जनखमपेट-बोधान	287.83	20	20.00	35	19.87	मुदखेड़-निजामाबाद (96 किमी) तक प्रथम चरण में कार्य आरंभ किया गया है। 2,34,000 घन मीटर गिट्टी में से 1,50,650 घन मीटर गिट्टी स्थल पर संग्रहित हो गयी है। मुदखेड़-निजामाबाद खंड में सात पहुंच मार्गों में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और शेष 13 पहुंच मार्गों में प्रगति पर है। शेष खंडों में भी कार्य आरंभ किया गया है। इसके पूरा होने में तेजी लाने की दृष्टि से आंशिक कार्य के लिए निजी वित्तपोषण प्राप्त करने की संभावना तलाशी जा रही है।
	मुदखेड़-अदिलाबाद	170.51	1	2.00	37.6	20	यह कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया था। एजेंसी वित्तपोषण समस्याओं के कारण कार्य की प्रगति करने में समर्थ नहीं हो पायी। एजेंसी ने वित्तपोषण के लिए मैसर्स हुडको के साथ समझौता किया है। वित्त उपलब्ध हो जाने के मामले में इस परियोजना के 18 माह के समय के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है।
	सोलापुर-गदग	263.91	7	10.00	130.04	10	यह कार्य चरणों में किया जा रहा है। सोलापुर-होटगी और होटगी से बीजापुर का कार्य पूरा हो गया है। बीजापुर से गदग तक शेष खंड का कार्य प्रगति पर है जो संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से क्राइड्स के माध्यम से वित्तपोषण के प्रयास किए जा रहे हैं।
	कटपाडि-पकाला-तिरुपति	173.5	20	12.00	41.69	20	19 बड़े पुलों में से 15 पूरे हो गए हैं और 4 प्रगति पर हैं। समूचे खंड में मिट्टी संबंधी कार्य और गिट्टी आपूर्ति की प्रगति (60%) पर है। कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।
	अकोला-पूर्णा	228		10.00	10	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूर्णा से हिंगोली (95 किमी) तक प्रथम खंड में मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य आरंभ करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
	सिकंदराबाद-द्रोणाचेल्लम	351.05	5	5.00	334.45	0.55	यह कार्य पूरा हो गया है।
	धर्मावरम-पकाला**	251.22	0.001	0.10	0.1	1	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
द.पू.रे.							
	गोंदिया-चांदाफोर्ट	242.82	6	1.26	242.32	0.1	यह कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय समायोजन किए जा रहे हैं।
	नौपाडा-गुनूपुर**	66.35	0.0001	5.10	5.14	0.1	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
	रुपसा-बांगरीपोसी	80	14	1.00	9.64	4	समूची लम्बाई में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। 0 किमी से 51 किमी तक पहले दो खंडों में पाद स्तर तक कार्य पूरा हो गया है। शेष खंड प्रगति पर है। रुपसा से बारीपाडा तक (51 किमी) छोटे पुलों की प्रीकास्ट बाक्स सेगमेंट पूरे हो गए हैं।
	तोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारदगा	185.31	10	3.00	15.97	4	चरण-I रांची-लोहारदगा खंड में मिट्टी और छोटे पुलों संबंधी कार्य आरंभ किया गया है। 14 मेहराब पुलों तथा आरसीसी बक्सों की ढलाई का कार्य प्रगति पर है। एक बड़े पुल के लिए निविदा सौंप दी गई है और शेष 3 बड़े पुलों के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है। तोरी-लोहारदगा (नई लाइन): अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
	बांकूरा-दामोदर रीवर परियोजना, बोवईचंदी से खन्ना से नई लाइन के विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित	266.23	5	40.00	40.45	50	किमी 0.6 से 57.1 तक मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है और शेष खंड के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। बोवईचंदी से खाना (22 किमी) तक नई लाइन कार्य का विस्तार वस्तुपरक आशोधन के रूप में 2001-02 के बजट में शामिल किया गया है।
	जबलपुर-गोंदिया, बालाघाट-कटंगी सहित	386.3	22	16.80	16.2	15	बड़े पुलों की भू-तकनीकी जांच सहित बालाघाट-कटंगी सहित गोंदिया से बालाघाट तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बालाघाट-जबलपुर के बीच सर्वेक्षण प्रगति पर है। बालाघाट तक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। गोंदिया और बालाघाटा के बीच तल्प कार्य, पुल कार्य और गिट्टी आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है।
द.रे.							
	दिंडीगुल-त्रिची	131.07	9	5.50	95.85	0.5	यह कार्य पूरा हो गया है और खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है।
	त्रिची-मानमदुरै	175		7.00	4	10	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। विस्तृत योजना का कार्य आरंभ कर दिया गया है।
	कुड्डालूर-सेलम बरास्ता वृद्धाचलम**@	198.68	0.0005	1.00	1	6	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
	येलहंका-चिकबल्लापुर और कोलार-बंगारपेट	57.54	2	0.10	57.44	0.1	स्वीकृत कार्य पूरा हो गया है और खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है।
	यशंवतपुर-सेलम	176.29	2.99	0.10	175.34	0.5	यह कार्य पूरा हो गया है। बन्यापन्नाहल्ली से सेलम तक खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है। बहरहल, हेब्बल और लिंग्रायपुरम में ऊपर सड़क पुल के लिए जन आंदोलन के कारण बन्यापन्नाहल्ली-यशवंतपुर खोला नहीं जा सका है। इसको शीघ्र खोले जाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया जा रहा है।
	तंजावूर-विषुपुरम मुख्य लाइन**	331	10	10.00	6.03	10	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
	मदुरै-रामेश्वरम	240	5	5.00	5.39	10	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य आरंभ किया गया है। अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
	विषुपुरम-पांडिचेरी	30	0.0005	1.00	0.9	5	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
	तिरुचिरापल्ली-नागौर-कैराकल	146.11	2	3.00	81.23	13	त्रिची से तंजावूर (50 किमी) तक खंड पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। नागापत्तीनम-वाल्लनकानी इस कार्य के वस्तुपरक आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है लेकिन राज्य सरकार के परामर्श के साथ सरेखण संशोधित किया जा रहा है।
	चेन्नई बीच-तिरुचिरापल्ली और अरकोण्णम-चेंगलपट्टू	696.83	67.5	35.50	409.52	0.5	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। बहरहाल, 12 क्रासिंग स्टेशनों की व्यवस्था की जानी शेष है जिसमें 2000-01 के दौरान 5 और 2001-02 में शेष पूरे हो जाएंगे।
	विषुपुरम-कटपाडि	175		5.00	2.23	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। विस्तृत योजना का कार्य आरंभ किया गया है।
	कोल्लम-तिरुनेलवेली-त्रिचांदूर एवं तेनकासी-विरुदनगर	327.61	10	15.00	21.97	20	रवरुदनगर-तेनकासी और तिरुनेलवेली-त्रिचांदूर में पुल कार्य और मिट्टी संबंधी कार्य आरंभ किया गया है। ब.ला. के अनुरूप ढाल और मोड़ों को कम करने के लिए पुणालूर और तेनकासी के बीच घाट खंड में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति की जा रही है।
	मैसूर-चामराजनगर**	175	0.001	0.10	0.01	1	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
	मैसूर-हसन	193.39	10	10.00	184.39	0.5	लक्ष्मण तीर्थ पुल को छोड़कर, जिसका निर्माण एक मार्ग परिवर्तन पर किया जा रहा है, कार्य पूरा हो गया है। यह पुल मार्च, 2001 तक पूरा हो जाएगा।
	अरसीकरे-हसन-मंगलौर	325.98	28	26.00	136.38	58.1	अरसीकेरे-हसन-सकलेशपुर पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है। शेष खंड में मिट्टी, पुल, गिट्टी संग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। मंगलौर और कबाकापुत्तूर (44 किमी) के बीच तल्प तैयार है और कबाकापुत्तूर से सुब्रामाण्या रोड के बीच इस वर्ष पूरा हो जाएगा। घाट खंड में फिसलन और ढाल की खराबी की रोकथाम के लिए जियोनेट ट्रीटमेंट के साथ घाट खंड में तट को चौड़ा करने और सुरंगों को गहरा करने का कार्य आरंभ किया गया है। यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस कार्य के पूरा होने में तेजी लाने के लिए केआरडीसी के माध्यम से वित्तपोषण के प्रयास किए जा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
	बेंगलूरु-हुबली-बिरुर-शिमोगा	427.7	3	2.00	397.66	0.5	बेंगलूरु-हुबली एवं बिरुर एवं शिमोगा के बीच लाइन का कार्य पूरा हो गया है। शिमोगा-तालगुप्पा पर कार्य प्रगति पर है। शिमोगा-कामसी (25 किमी) और सागरा-तालगुप्पा (15 किमी) में मिट्टी संबंधी कार्य आरंभ किया गया है जहां प्रगति 90 प्रतिशत है। इस खंड पर कम यातायात है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति की जा रही है।
	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद@	632.38	39	15.00	618.85	13.5	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
	अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़, उदयपुर से उमरा तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित	294.69	25	10.00	19.18	15	प्रथम चरण में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच कार्य प्रगति पर है। 17.41 लाख घन मीटर में से 4.57 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य, कुल 202 छोटे पुलों में से 86 पुलों का उपसंरचना का कार्य पूरा हो गया है और अन्य 12 पुलों का कार्य प्रगति पर है। कुल 8 बड़े पुलों में से एक सभी संदर्भों में पूरा हो गया है और 4 अन्य पुलों की उपसंरचना पूरी हो गयी है। अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। उदयपुर से उमरा तक (11 किमी) तक नए कार्य को वस्तुपरक आशोधन के रूप में 2001-02 के बजट में शामिल किया गया है।
	आगरा-बांदीकुई	178.03	10	9.09	20.6	10	मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है। 193 अदद छोटे पुलों में से 60, 9 अदद बड़े पुलों में भी 4 की उपसंरचना और 8 छोटे पुल पूरे हो गए हैं तथा 3.07 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य में से 1.3 लाख घन मीटर पूरा हो गया है। इस कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है।
	भिलडी (मेहसाणा-पाटन) वीरमगाम @	134.75	7	6.90	15.4	15	मेहसाणा-पाटन मीला खंड को बहाल कर दिया गया है। मिट्टी, छोटे और बड़े पुलों संबंधी कार्य के लिए निविदाएं सौंप दी गयी हैं। सभी बड़े 3 पुलों और सभी छोटे 77 पुलों की उपसंरचना पूरी हो गयी है। 1.12 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य में से 78000 पूरा हो गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। पाटन-भिलडी के बीच नई लाइन का कार्य रुका हुआ है।
	धांगध्रा-कुडा साइडिंग	10.17	1	0.01	0.01	2	यह कार्य लागत में एक-तिहाई भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है जिसमें रेल मंत्रालय, गुजरात सरकार और उद्योग मंत्रालय सहभागीदार हैं। मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और संपूर्ण गिट्टी आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है। मध्य रेल से इस्तेमालशुदा पटरियों की व्यवस्था की जा रही है। 2001-02 के दौरान कार्य पूरा होने की संभावना है।
	सुरेंद्रनगर-भावनगर-राजूला-महुआ, पिपावाव एवं सिहोर-पालीटाना तक विस्तार सहित @	441.63	30	40.00	46.66	34.4	कार्य अच्छी प्रगति पर है। कुल 59 बड़े पुलों में से 57 बड़े पुलों और 280 छोटे पुलों में से 264 छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है। कुल 25.11 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य में से 9.37 लाख घन मीटर के लिए निविदाएं सौंप दी गयी हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
							185 छोटे, 54 बड़े पुलों की उपसंरचना और 6.27 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। राजूला शहर से पिपावाव तक नई लाइन हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु दस्तावेज राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। तल्प और पुल संबंधी कार्य अच्छी प्रगति पर हैं। रेलपथ, सिगनल प्रणाली आदि के कार्य एक विशेष प्रयोजन योजना के माध्यम से किए जाने जिसमें रेल मंत्रालय और जीपीपीएल शामिल हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। आगे की अनुवर्तन कार्रवाई की जा रही है। लक्ष्य तिथि दिसम्बर, 2002 है। सुरेन्द्रनगर-धांगधा आमान परिवर्तन वस्तुपरक आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है।
	वांकानेर-मलिया मियाना	100.85	35	30.00	88.42	5.5	कार्य अच्छी प्रगति पर है। मलिया मियाना से नवलाखी बरास्ता दाहिंसरा प्रथम चरण पूरा हो गया है और 30.9.1999 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। एटीएचई परियोजना के लिए मैगा ब्लाक आरंभ हो गया है। रेलपथ लिंकिंग पूरी हो गयी है। शेष खंड पर कार्य 2001-02 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
	नीमच-रतलाम	116.74	5	5.00	14.81	15	दीर्घकालिक मदों पर कार्य आरंभ किया गया है। सभी 31 बड़े पुलों पर उपसंरचना का सुदृढ़ीकरण पूरा हो गया है। 123 छोटे पुलों में से 110 की उपसंरचना का सुदृढ़ीकरण पूरा हो गया है। 6 बड़े पुलों और 110 अदद छोटे पुलों की अधिसरंचना भी पूरी हो गयी है। आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य की प्रगति की जाएगी।
	गांधीधाम-भुज	50.75	20	20.00	43.32	1	यह कार्य पूरा हो गया है।
	राजकोट-वेरावल, वांसजलिया से जेतलसर तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित	291.61	3	10.00	25.58	20	मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे पुलों का कार्य तथा बड़े पुलों का सुदृढ़ीकरण आरंभ किया है और प्रगति पर है। 4.71 लाख घन मीटर में से 2.82 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य, 32 बड़े पुलों में से 27 बड़े पुलों की उपसंरचना, 156 अदद छोटे पुलों में से 156 और 3.94 लाख घन मीटर गिट्टी में से 1.38 लाख घन मीटर पूरा हो गया है। सभी पुलों की अधिसरंचना के लिए संविदाएं सौंप दी गयी हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में इस कार्य को पूरा किए जाने की संभावना है। जेतलसर से वांसजलिया (90 किमी) तक नया कार्य वस्तुपरक आशोधन के रूप में 2001-02 के बजट में शामिल किया गया है।
	गांधीधाम-पालनपुर	370.74	10	3.00	0.05	15	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी हैं। नक्शे और अनुमानों की तैयारी आरंभ की गयी है।

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/पर्यटकों के लिए स्मारकों तक पहुंच को सुगम बनाना

3807. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री चन्द्र विजय सिंह :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कौन-कौन से स्मारकों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति/पर्यटक पहुंच सकते हैं;

(ख) उन स्मारकों में किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और इस संबंध में किस प्रकार की सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस संबंध में उनके लिए रैम्पों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विचार कौन-कौन से स्मारकों में उक्त सुविधा प्रदान का है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने कि स्मारकों तक पहुंचने के उद्देश्य से बनाए गए रैम्प और अन्य ढांचे जिनसे स्मारक की पवित्रता पर प्रभाव न पड़े अथवा इसकी वास्तविक सुन्दरता नष्ट होती प्रतीत न हो, क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में उल्लिखित 16 विश्वदाय स्मारकों और 18 अन्य स्मारकों को पर्यटक सुविधा उन्नयन के लिए पहचाना गया है जहां पहिया कुर्सियों पर आने वाले शारीरिक रूप से विकलांग आगन्तुकों के लिए प्रवेश द्वार पर एक अलग रास्ते के साथ-साथ पहिया कुर्सी पर जाने के लिए विशेष रूप से निर्मित प्रसाधन कक्ष भी होगा।

(ग) जी, हाँ।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार है।

(ङ) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर शारीरिक रूप से विकलांग आगन्तुकों के लिए सुविधाएं प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह स्मारक सौन्दर्य खराब न करे।

विवरण

उन्नयन हेतु अभिनिर्धारित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम	राज्य
विश्व दाय स्मारकों की सूची		
1.	ताज महल	उत्तर प्रदेश
2.	आगरा किला	उत्तर प्रदेश
3.	फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश
4.	अजन्ता गुफाएं	महाराष्ट्र
5.	एलौरा गुफाएं	महाराष्ट्र
6.	ऐलिफेंटा गुफाएं	महाराष्ट्र
7.	हम्पी स्मारक समूह	कर्नाटक
8.	पट्टडकल स्मारक समूह	कर्नाटक
9.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	उड़ीसा
10.	खजुराहो स्मारक समूह	मध्य प्रदेश
11.	सांची स्मारक समूह	मध्य प्रदेश
12.	गोवा में चर्चे तथा कान्वेंट	दमन
13.	वृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर	तमिलनाडु
14.	स्मारक समूह, ममलापुरम	तमिलनाडु
15.	कुतुब मीनार	दिल्ली
16.	हुमायूं का मकबरा	दिल्ली
अन्य स्मारकों की सूची		
1.	गोलकोंडा किला	आन्ध्र प्रदेश
2.	स्मारक समूह सिबसागर	असम
3.	भीष्मक नगर के अवशेष	अरूणाचल प्रदेश
4.	नालन्दा	बिहार
5.	लाल किला	दिल्ली
6.	किला तथा चर्चे	दमन
7.	रानी की बाव, पाटन	गुजरात
8.	शेख चिल्ली मकबरा जिला कुरूक्षेत्र	हरियाणा
9.	कांगड़ा किला, कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
10.	हेमिस गोम्पा	जम्मू और कश्मीर
11.	बेकल किला	केरल
12.	विष्णु मंदिर, विष्णुपुर	मणिपुर
13.	नर्तिंग का पत्थर स्मारक	मेघालय
14.	दीमापुर फोर्ट	नागालैंड
15.	मुगल सराय दक्खिनी, जालन्धर	पंजाब
16.	चित्तौड़गढ़ किला	राजस्थान
17.	अनाकोटी	त्रिपुरा
18.	हजार दूबारी महल, मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में हिस्सेदारी

3808. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 के दौरान और 2000-2001 जनवरी तक महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित विद्युत में हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) उसमें सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन में हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान भारतीय पुनःप्रयोज्य ऊर्जा विकास अभिकरण ने महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में कोई भूमिका निभाई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में विद्युत उत्पादन में इस अभिकरण को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) सरकार और निजी क्षेत्र परियोजनाओं द्वारा महाराष्ट्र में पवन विद्युत क्षमता संयोजन की वर्षवार हिस्सेदारी नीचे दी गई है:

वर्ष	सरकारी परियोजनाएं (मेवा.)	निजी क्षेत्र परियोजनाएं (मेवा.)	कुल (मेवा.)
1998-99	1.84	21.46	23.30
1999-2000	—	50.30	50.30
2000-01 (जनवरी, 01 तक)	—	77.50	77.50

(ग) और (घ) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कुल 47 मेवा. क्षमता की 25 परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया है। कुल ऋण राशि 164 करोड़ रु. है। वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	समग्र क्षमता (मेवा.)
1998-99	20.06
1999-2000	12.67
2000-01	14.57

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टर्बो जेनरेशन गैस चैम्बर में दुर्घटना

3809. श्री भर्तृहरि महताब : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के तलचर सुपरथर्मल में टर्बो-जेनरेशन गैस चैम्बर में कोई घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस घटना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कितने अधिकारी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस घटना की विभागीय जांच की जा रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) एनटीपीसी के तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन में 27.1.2001 को एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था तथा एक अन्य घायल हो गया था।

(ख) इस जानलेवा दुर्घटना के बाद पुलिस ने 28.1.2001 को एनटीपीसी के 5 कार्मिकों को हिरासत में लिया।

(ग) पुलिस द्वारा हिरासत में लिए पांचों एनटीपीसी कर्मचारियों के नाम हैं :

श्री बी.बी. त्रिपाठी, सीनियर सुपरिटेंडेंट

श्री सी. सरकार, सुपरिटेंडेंट

श्री यू.ए. पाणिग्रही, डिप्टी सुपरिटेंडेंट

श्री जी.के. कुंडु, वरिष्ठ अभियन्ता

श्री पी.के. नन्दा, सुपरवाइजर

(घ) कार्यकारी निदेशक पूर्वी क्षेत्र द्वारा दुर्घटना की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

(ङ) परियोजना में टर्बो जेनरेटर गैस चैम्बर में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदम/जारी किए गए आदेश निम्नानुसार हैं:

(i) हाइड्रोजन (एच-2) में कार्बन डाइआक्साइड (सीओ-2) की शुद्धता विनिर्माता द्वारा अनुशंसित 95 प्रतिशत के मानक की तुलना में 98 प्रतिशत जारी रखा जाए। सीओ-2 की 98 प्रतिशत शुद्धता प्राप्ति के बाद किसी को भी कार्य शुरू करने की अनुमति देने में प्रत्येक एक घंटे पूर्व तीन बार लगातार इसका अध्ययन किया जाए।

(ii) ऑन-लाइन मीटर में दर्शाए गए सीओ-2 प्रतिशत का आबंटन उपकरण के जरिए पुनः जांच।

(iii) निजी सुरक्षात्मक उपकरणों के प्रयोग को और भी सुदृढ़ किया गया।

[हिन्दी]

सूरत/भुसावल रेल लाइन पर रेल दुर्घटनाएं

3810. श्री वाई.जी. महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे के सूरत-भुसावल मार्ग में कितनी रेल दुर्घटनाएं/पटरी से गाड़ी के उतरने की घटनाएं हुईं;

(ख) इन सभी दुर्घटनाओं में रेलवे को कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या इन सभी दुर्घटनाओं की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो दुर्घटना-वार सभी जांच रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पश्चिम रेलवे में सूरत-भुसावल मार्ग पर पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98 से 1999-2000 तक के दौरान 11 अनुवर्ती रेल दुर्घटनाएं/पटरी से उतरने की दुर्घटना हुई थी।

(ख) उपर्युक्त दुर्घटनाओं में रेलवे संपत्तियों को 16.35 करोड़ रुपए लागत की हानि हुई थी।

(ग) जी हाँ, दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक दुर्घटना की जांच या तो रेलवे अधिकारियों की समिति और या रेलवे संरक्षा कमीश्नर द्वारा की गई थी।

(घ) जांचों के परिणामों के अनसार, 11 दुर्घटनाओं में से 8 दुर्घटनाएं रेलवे कर्मचारियों की असफलता के कारण हुईं, 1 दुर्घटना उपकरण की असफलता के कारण हुई, 1 दुर्घटना असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के कारण हुई और 1 दुर्घटना का कारण स्थापित नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3811. श्री पवन कुमार बंसल :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संबंध में अपनाई गई प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या होटलों के मामलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु निर्धारित वेतन के दिनों की संख्या को अत्यधिक कम कर दिया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में कामगार संघों के प्रतिनिधियों से कोई बातचीत की गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में उनका प्रत्युत्तर क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) लोक उद्यम विभाग के दिनांक 5.5.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(32)/97-डी पी ई (डब्ल्यू सी) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यान्वयन के लिए परिचालित संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के आधार पर भारत पर्यटन विकास निगम ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है। निगम की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी :

- अब तक की कुल सेवा के प्रत्येक वर्ष के 35 दिनों तथा सेवानिवृत्ति तक सेवाकाल की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के 25 दिनों के वेतन (मूल+महंगाई भत्ता) के बराबर प्रतिपूरक/अनुग्रह वेतन मान्य उच्चतम सीमा के अनुसार देय होगा।
- सेवाकाल की शेष अवधि की सेवा शर्तों के अनुसार एक/तीन माह की सूचना पर आधारित वेतन।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे कर्मचारी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, बोनस, अवकाश नकदीकरण, यात्रा भत्ता का लाभ भी प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ग) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम ने ऊपर उल्लिखित केवल एक ही योजना तैयार की है।

(घ) से (च) प्रस्तुत योजना सरकारी दिशानिर्देशानुसार है। इसलिए बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र में गैस का जलना

3812. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र के अंदर उन विभिन्न स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहाँ गैस जल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मात्रा कितनी है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप ओएनजीसी/गेल को कितनी धनराशि के राजस्व का घाटा हुआ है;

(घ) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने धधक रही गैस के विपणन से इंकार कर दिया है और इंकार करने के क्या कारण है;

(ङ) क्या गैस उपभोक्ताओं को "जहाँ है जैसा है" के आधार पर आपूर्ति नहीं की जा सकती है ताकि वे इसके उपयोग के समाधान निकाल पाने में सक्षम हो सकें; और

(च) यदि हाँ, तो वे कौन-कौन से विकल्प हैं जो इसका समाधान निकालने में सटीक समझे जाते हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) ने वर्तमान वर्ष 2000-01 (अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 तक) गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र में गैस दहन के कारण प्रतिदिन लगभग 23.5 लाख रुपये की काल्पनिक क्षति का अनुमान लगाया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सरकार द्वारा ओएनजीसी को गुजरात में दूरदराज के क्षेत्रों में प्रतिदिन एक लाख घन मीटर गैस का विपणन करने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने अंकलेश्वर क्षेत्र में सीधे विपणन योजना के तहत "जैसे और जहाँ भी" के आधार पर कुछ उपभोक्ताओं को निम्न दबाव गैस की आपूर्ति पहले ही आरम्भ कर दी है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अंकलेश्वर क्षेत्र में क्षेत्रवार प्राकृतिक गैस का उत्पादन, उपयोग और दहन

(मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन)

क्र.सं.	क्षेत्र	उत्पादन	उपयोग (बिक्री और आंतरिक योग)	दहन	उपयोग प्रतिशत %
1	2	3	4	5	6
1.	अंकलेश्वर	0.088+0.311*	0.286	0.113	71.8
2.	मोतवान+सिसोदर + कुदारा	0.054	0.044	0.010	81.5
3.	अण्डादा	0.00004	0.00004	0.000	100.0
4.	कोसांबा	0.008	0.0075	0.0005	94.0
5.	किम	0.011	0.004	0.007	36.5
6.	ओल्पाद	0.014	0.014	0.000	100.0
7.	गंधा+दहेज	5.772	4.843	0.929	84.1
8.	नाडा	0.069	0.058	0.012	83.4
9.	पालेज	0.001	0.001	0.000	100.0
10.	डाबाका+जंबुसार	0.078	0.072	0.006	92.7
11.	गजेरा	0.036	0.036	000	100.0

* हजीरा से अंकलेश्वर में स्थानांतरित गैस

[अनुवाद]

ठेके के कामगारों को नियमित करना

3813. श्री विकास चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पार्सल और माल अनुभाग में ठेके आधार पर हजारों कामगार वर्षों से निरन्तर बिना बर्खास्त किए कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सक्षम प्राधिकारी के पास इन कामगारों द्वारा अपील और अभ्यावेदनों के लिए जाने के बावजूद इन्हें स्थायी नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन ठेके के कामगारों को नियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) रेलवे के लिए माल और पार्सल संभलाई यातायात स्तर में घट-बढ़ के साथ लाइन से अलग कार्यकलाप है। परिचालनिक सुविधा तथा अर्थव्यवस्था के हित में इस कार्य को सम्हलाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा करवाया जाता है और इस कार्य के लिए मजदूरों की सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है। ठेकेदार ठेका कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित मजदूरों को नियोजित करता है। मजदूरों को सेवा जारी रखने और रेल सेवा में उनको नियमित करने की रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग पर प्रतिबंध

3814. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प उद्योग पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के बहाने कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रतिबंधों के कारण राज्य का हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में पेट्रोल पम्प/रसोई गैस एजेन्सी

3815. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय रसाई गैस, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और डीजल बिक्री केन्द्रों के आबंटन हेतु कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) ये आवेदन कब से लंबित हैं और उनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित मामलों के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पास गुजरात राज्य में 155 स्थानों पर एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए 68 स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें खोलने के लिए और 8 स्थानों पर मिट्टी तेल की डीलरशिपें खोलने के लिए प्रस्ताव लम्बित हैं। उपर्युक्त स्थानों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए सरकार ने दो डीलर चयन बोर्डों (डी एस बी) का गठन किया है और चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

"डीजल फ्लैश प्वाइंट"

3816. श्री सुरेश पासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे पड़ोसी देशों सहित विश्व के अधिकांश देशों में डीजल का फ्लैश प्वाइंट 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर निर्धारित है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत में डीजल का मानक मानदंड क्या है, जो पहले 66 डिग्री सेल्सियम से अधिक था और इससे डीजल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए डीजल में अन्य अवयवों को मिलाने हेतु समय-समय पर संशोधित कर इसे कम करके वर्तमान स्तर पर लाया गया है; और

(ग) डीजल के उच्च फ्लैश प्वाइंट जो सार्वजनिक जान-माल के लिए खतरनाक होता है तथा अपमिश्रण व सरकारी कोष के घाटे का कारण बनता है, को बनाए रखने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं। यू एस ए, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान जैसे प्रमुख विकसित देशों में डीजल का फ्लैश प्वाइंट विनिर्देश क्रमशः 38° सें/55° सें/ 40° सें, 55° सें और 50° सें न्यूनतम है। पड़ोसी देशों में भी इस विनिदेश में व्यापक अंतर है।

(ख) शीर्ष राष्ट्रीय निकाय भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) जो डीजल सहित विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विनिर्देशों को अंतिम रूप देता है, ने प्रथमतः डीजल के फ्लैश प्वांइट का निर्धारण 1959 में न्यूनतम 55° सें. पर किया था (आई एसः 1460), डीजल की उच्च माँग और मध्य आसुत के आपूर्ति एवं माँग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित करके 55° सें. 38° सें. कर दिया गया था। 1985 में फ्लैश प्वाइंट में संशोधन करके 32° सें. कर दिया गया। दिसम्बर, 2000 में इसे संशोधित करके 35° सें. न्यूनतम कर दिया गया है।

(ग) डीजल का वर्तमान फ्लैश प्वाइंट विनिर्देश न्यूनतम 35° सें. अधिक नहीं है। इस विनिर्देश से न तो सुरक्षा खतरा बढ़ता है और न ही मिलावट को बढ़ावा मिलता है।

[अनुवाद]

पत्तन न्यास के विकास हेतु परियोजनायें

3817. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेषकर तमिलनाडु में पत्तन न्यास को विकसित करने हेतु कोई परियोजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने कार्गो सम्भलाई की प्रक्रिया में पत्तन न्यास के कार्यों की जांच हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रमुख पत्तन न्यास में किए गए कार्गो प्रबंधन और अर्जित आय का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) महापत्तनों का अवसंरचना विकास/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। तमिलनाडु में चेन्नै और तूतीकोरिन स्थित दो महापत्तन हैं। चालू वर्ष 2000-2001 के दौरान चेन्नै और तूतीकोरिन महापत्तन न्यासों की विकास स्कीमों के लिए क्रमशः 228.50 करोड़ रु. और 72.60 करोड़ रु. का अनुमोदित योजना परिव्यय है। चेन्नै पत्तन न्यास द्वारा 183.76 करोड़ रु. और तूतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा 26.26 करोड़ रु. के योजनागत परिव्यय के उपयोग का पूर्वानुमान है।

तमिलनाडु में चेन्नै के उत्तर में 25 कि.मी. की दूरी पर इन्नौर में तीसरा महापत्तन भी 1058.52 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत से काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। इन्नौर पत्तन 1 फरवरी, 2001 से चालू है।

(ग) और (घ) कार्गो हैंडलिंग प्रक्रिया में पत्तन न्यासों के कार्य की जांच के लिए सरकार द्वारा अभी हाल में किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों द्वारा हैंडल किए गए कार्गो और अर्जित प्रचालन अधिशेष के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महापत्तन-गत 3 वर्षों के दौरान हैंडल किया गया यातायात (मिलियन टन) और प्रचालन अधिशेष (करोड़ रु.)

क्र.सं.	पत्तन का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		यातायात	प्रचालन अधिशेष	यातायात	प्रचालन अधिशेष	यातायात	प्रचालन अधिशेष
1.	कलकत्ता (हल्दिया सहित)	28.16	275.56	29.38	242.61	31.02	206.15
2.	पारादीप	13.30	73.41	13.11	59.36	13.64	61.07
3.	विज़ाग	36.01	95.82	35.65	92.50	39.51	105.53
4.	चेन्नै	35.53	101.86	35.20	94.78	37.44	71.76
5.	तूतीकोरिन	9.98	38.08	10.15	40.79	9.99	37.89
6.	कोचीन	12.32	44.19	12.67	33.41	12.80	33.16
7.	नव मंगलूर	15.28	71.94	14.21	72.41	17.60	76.50
8.	मुरगांव	21.18	27.16	18.02	20.47	18.23	30.32
9.	ज.ला. नेहरू	8.90	150.34	11.72	196.22	14.98	140.18
10.	मुम्बई	32.10	211.15	30.97	172.91	30.41	109.89
11.	कांडला	38.90	100.95	40.64	146.02	46.30	98.77
	जोड़	251.66	1190.46	251.72	1171.48	271.92	971.22

[हिन्दी]

राजस्थान को प्राकृतिक गैस का आबंटन

3818. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन की दृष्टि के मद्देनजर राज्य के लिए 14.60 एम.एम.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस का आबंटन किए जाने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में किन-किन परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक गैस की आवश्यकता है;

(ग) क्या एच.बी.जे. पाइपलाइन राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार से प्राकृतिक गैस के आबंटन के लिए अनुरोध कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राजस्थान राज्य सरकार ने रामगढ़ में गैस आधारित विद्युत परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त प्राकृतिक गैस के आबंटन हेतु अनुरोध किया था। 0.55 मिलियन स्टैंडर्ड घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) प्राकृतिक गैस के मौजूदा आबंटन के अतिरिक्त डाण्डेवाला/तनोत में ऑयल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों में उपलब्ध गैस का आबंटन, रामगढ़ विद्युत परियोजना को आपूर्ति करने के लिए, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हाँ।

(ङ) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एच.बी.जे. पाइपलाइन प्रणाली से 3.504 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की सीमा तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति राजस्थान में एन.टी.पी.सी. विद्युत परियोजना, अण्टा, चम्बल फर्टीलाइजर्स, गदेपण और सामकोर ग्लास, कोटा को जा रही है।

[अनुवाद]

पत्तनों की क्षमता में वृद्धि किया जाना

3819. श्री सुबोध मोहिते : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पत्तनों की क्षमता में वृद्धि हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) ये लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा टर्मिनलों की उत्पादकता में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान 67.86 मिलियन टन (एम टी) की नियोजित क्षमता वृद्धि के मुकाबले में वास्तव में 45.98 एम टी की वृद्धि की गई जिससे महापत्तनों की कुल क्षमता 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार 169.23 एम टी से बढ़कर 31.3.1997 को 215 एम टी हो गई। बाद में बढ़ी हुई उत्पादकता, अनुकूल कार्गो मिश्रण आदि को ध्यान में रखते हुए 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार महापत्तनों की कुल क्षमता 219.55 एम टी आंकी गई। नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान आठवीं योजना की बकाया विभिन्न स्कीमों और नौवीं योजना की नई स्कीमों के माध्यम से 159 एम टी नियोजित क्षमता विस्तार के मुकाबले में महापत्तनों की कुल क्षमता में 157 एम टी वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) अभी हाल में शुरू किए गए विकास कार्यक्रम निम्नलिखित पहलुओं पर जोर देते हैं जिनका उद्देश्य भारतीय महापत्तनों और उनकी उत्पादकता स्तर में वृद्धि करना है :

- नई बर्थों का निर्माण और उन्हें सुसज्जित करना
- उभरते कार्गो मिश्रण की पूर्ति के लिए अत्याधुनिक उपस्करों की खरीद
- इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज की स्थापना (ई डी आई)
- जलयान यातायात प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना (वीटीएमएस)
- श्रमिक प्रशिक्षण और कल्याण
- गैर-सरकारी क्षेत्र की अधिक भूमिका
- महापत्तनों का निगमीकरण।

[हिन्दी]

कोई स्थान रिक्त नहीं की स्थिति

3820. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली से खुलने वाली पूर्व और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए टिकट संबंधित रेलगाड़ियों के खुलने के एक-दो दिनों पहले "प्रतीक्षा सूची" में भी उपलब्ध नहीं होती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रतीक्षा सूची में टिकट की अनुपलब्धता के कोई स्थान उपलब्ध नहीं (नो रूम) की स्थिति में टिकट प्राप्त करना बहुत दुष्कर कार्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार "नो रूम" की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में टिकट जारी करने हेतु मौजूदा नियमों के सरलीकरण और दिल्ली से छूटने वाली पूर्व और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस की गाड़ियों में अग्रिम आरक्षण कराने की अवधि 60 दिन है। गर्मी की छुट्टी, पूजा की छुट्टियों, क्रिसमस और त्यौहारों आदि जैसे अत्यधिक भीड़-भाड़ की अवधि को छोड़कर दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशनों से प्रारंभ होने वाली पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को जाने वाली गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों में पुष्टिशुदा/प्रतीक्षा सूची टिकट आमतौर पर गाड़ी के प्रस्थान के दिन तक भी उपलब्ध रहते हैं।

(ख) यात्रियों को प्रतीक्षा सूची में रखने के लिए प्रतीक्षा सूची की सीमा पर्याप्त रूप से काफी ऊंची रखी गई है। निर्धारित प्रतीक्षा सूची की सीमा पूरी हो जाने पर कम्प्यूटर प्रतीक्षा सूची के टिकट जारी करना बंद कर देता है और "कोई स्थान नहीं" दर्शाने लगता है और "कोई स्थान नहीं" के टिकट जारी करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि इस टिकट के पुष्टिशुदा होने की संभावना लगभग नहीं ही रहती है। बहरहाल, आपवादिक मामलों में प्रतीक्षा सूची की सीमा को "कोई स्थान नहीं" स्थिति के बावजूद भी इसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के विशेष अनुमोदन से बढ़ा दिया जाता है।

(ग) और (घ) मौजूदा प्रतीक्षा सूची की सीमाएं उदार हैं और प्रतीक्षा सूची पर पर्याप्त रूप से बड़ी संख्या में टिकट जारी करने की अनुमति है। बहरहाल, प्रतीक्षा सूची में असीमित संख्या में व्यक्तियों को टिकट जारी करना व्यावहारिक नहीं है। जहां तक गाड़ियों की संख्या को बढ़ाने का संबंध है, इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जैसाकि रेलवे बजट में बताया गया है, 2001-2002 के दौरान दिल्ली से पूर्व और पूर्वोत्तर दिशाओं को निम्नलिखित गाड़ियां चलाई जाएंगी:

1. गया के रास्ते नई दिल्ली और रांची/हटिया के बीच साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस
2. नई दिल्ली और गोरखपुर के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी
3. नई दिल्ली-सियालदाह राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 4 दिन करके इसकी बारंबारता में वृद्धि करना
4. सप्ताह में दो दिन चलने वाली नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी का एक दिन डिब्रूगढ़ टाउन तक विस्तार

इसके अलावा, गर्मी की भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए निम्नलिखित विशेष गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं:

1. 14.04.2001 से 12.06.2001 तक नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी,

2. 10.04.2001 से 04.0.7.2001 तक नई दिल्ली और बरौनी के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी, और

3. 29.4.2001 से 17.6.2001 तक नई दिल्ली और हावड़ा के बीच दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।

[अनुवाद]

कोशी जल विद्युत केन्द्र संबंधी प्रस्ताव

3821. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोशी जल विद्युत केन्द्र की दोनों इकाइयां कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार कोसी जल विद्युत केन्द्र की यूनिट सं. 2 एवं 3 (5 मे.वा. की 4 यूनिटें) विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध हैं। अप्रैल, 2000-फरवरी, 2001 की अवधि के दौरान इस विद्यतु केन्द्र का उत्पादन 9 मि.यू. कार्यक्रम की तुलना में 4 मि.यू. रहा है।

(ग) कोसी जल विद्युत केन्द्र के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा दर वृद्धि के संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

सीमेन्ट और खाद्यान्नों से आय अर्जन

3822. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा कतिपय उत्पादों जैसे सीमेन्ट और खाद्यान्नों से आय अर्जन में पिछले वर्षों में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा माल की ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी की प्रतिशतता को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ, सीमेंट और खाद्यान्नों सहित कुछेक पण्यों के संबंध में कुछ वर्षों से माल यातायात में रेलवे की भागीदारी में कमी आई है।

(ख) अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के दौरान परिवहन के विभिन्न साधन विकसित होने से रेल परिवहन की भागीदारी में कमी आ जाती है। बहरहाल, 1997 में रेल इंडिया टेक्नीकल और इकोनोमिक सर्विसेस (राइट्स) द्वारा किया गया एक अध्ययन दर्शाता है कि 300 किमी. से ज्यादा दूरी के यातायात के संचालन के लिए रेलवे ही उपयुक्त साधन है और इसमें रेलवे की भागीदारी 65 प्रतिशत थी।

पूर्णतः भी देखें तो रेलवे का यातायात 1950-51 में 73.2 एमटी के स्तर से 6 गुना से अधिक बढ़कर 1999-2000 में 456.3 एमटी हो गया।

(ग) रेलवे का उद्देश्य उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है। रेलवे उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए उच्च घनत्व वाले गलियारों को सुदृढ़ करना, विभिन्न यातायात सुविधाओं और टर्मिनलों का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, भारतीय कंटेनर निगम लि. के जरिए गैर-थोक फुटकर माल यातायात प्राप्त करने के लिए मल्टी मॉडल अवसंरचना मुहैया करना, साइडिंगों से संबंधित नियमों को सरल बनाना, रेल टर्मिनलों के निकट वेयर हाउसिंग सुविधाओं की स्थापना करना, बहु उद्देशीय प्राइवेट टर्मिनलों की स्थापना करना, ग्राहकोन्मुखी विशिष्ट किस्म के माल डिब्बों का विकास करना, बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना, वर्धमान यातायात के लिए वोल्युम डिस्काउंट स्कीम तैयार करना, डोर टू डोर संग्रहण और सुपुर्दगी सेवा मुहैया करने के लिए ट्रकों में रोल-आन-रोल आफ की नई संकल्पना का विस्तार करना, ब्रेकयान/पार्सल यान को पट्टे पर देना, मेट्रो के बीच मिलेनियम पार्सल एक्सप्रेस सेवा शुरू करना, वास्तविक समय पर आधारित परिचालनिक सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर आधारित मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली की शुरूआत करना और ग्राहकों को इसे मुहैया करना, आदि विभिन्न कदम रेलवे द्वारा उठाए गए हैं।

न्यायिक सुधार

3823. श्री सईदुज्जमा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने के कृपा करेगे कि :

(क) क्या दिनांक 12 फरवरी, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार अभियुक्तों/वादियों के विरुद्ध न्यायालयों का निर्णय याचिका पर याचिका दायर करने और न्यायालयों से स्थगन आदेश लेने के कारण विलंब होता है; और

(ख) यदि हाँ, तो न्यायिक प्रणाली में इस प्रकार की खामियों से निपटने के लिए रास्ता निकालने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हाँ।

(ख) न्याय प्रदान करने में विलंब का संबंध सरकार और न्यायपालिका दोनों से है। दलीलों की स्वीकृति और स्थगन आदेश दिया जाना ऐसे विषय हैं जिनका संबंध न्यायाधीशों के न्यायिक कृत्यों से है और आमतौर पर सरकार इसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती है।

तथापि, न्याय विभाग ने इस वर्ष न्यायिक प्रणाली में विलंब कम करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। इनमें पुराने बकाया मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना भी सम्मिलित है, इनमें विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामलों और दो वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित सभी सेशन मामलों को पूर्विकता प्रदान की जाती है।

देश की न्यायिक प्रणाली को कारगर बनाने के लिए अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जो अनवरत और सतत प्रक्रिया है। विधि आयोग, मलिमथ समिति आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए और मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 संसद् में पुरःस्थापित किया गया है। विधि आयोग ने भी अपनी 154वीं रिपोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर अनेक सिफारिशें की हैं। मलिमथ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में मामलों को कम करने और उनके बकाया होने पर नियंत्रण करने के लिए उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कार्यवाहियां की गई हैं। अन्य उपायों में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि करना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना करना, विशेष न्यायिक/मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करना और माध्यस्थम् और सुलह जैसे विवाद समाधान के अनुकल्पी तरीकों को अपनाया जाना भी सम्मिलित है। लोक अदालतों को विवादों के समाधान के लिए पूरक फोरम के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है। जिला न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों की अवसंरचना में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करके, सुधार लाने के लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है जिसके अधीन जनवरी, 2001 तक 407.69 करोड़ रुपए की रकम जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

स्मारकों के रख-रखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी

3824. श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए अपने प्रयासों के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुलभ इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ चयन किए गए स्थलों का राज्य-वार/स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके पूरा होने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों के विकास में योगदान हेतु निजी क्षेत्र को अब अनुमति दे दी गई है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, हाँ, चुनिन्दा स्मारकों में जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने के वास्ते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा सुलभ इण्डिया इन्टरनेशनल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। निर्माण के प्रत्येक मामले में धन दानकर्ताओं से प्राप्त होगा।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) चूंकि यह एक दानकर्ता विशिष्ट कार्यक्रम है, अतः कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तहत व्यक्ति, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों की पर्यटक सुविधाओं, पर्यावरण संबंधी विकास एवं उनके संरचनागत संरक्षण के उन्नयन के लिए विशेष योगदान कर सकते हैं।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पर्यटक असंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए व्यवहार्य स्थल–सुलभ शौचालय

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारक का नाम/स्थल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	(क) लेपाक्षी मंदिर, जिला हिन्दुपुर
		(ख) नागार्जुनकोंडा, जिला गुन्टूर
		(ग) शैलकृत गुफाएं, उंडावेल्ली
		(घ) गोलकोंडा किला, संग्रहालय परिसर के लिए
		(ङ) अमरवती, गुन्टूर
2.	बिहार	(क) नालंदा
3.	हरियाणा	(क) शेख चिल्ली मकबरा, कुरूक्षेत्र
4.	हिमाचल प्रदेश	(क) कांगड़ा किला, कांगड़ा
		(ख) नूरपुर, जिला नूरपुर
5.	कर्नाटक	(क) गोल-गुबंज, बीजापुर
		(ख) शैलकृत गुफाएं, बादामी

1	2	3
		(ग) स्मारक समूह, पट्टदकल
		(घ) महा दुर्गा मन्दिर, एहोल, बीजापुर
		(ङ) एहोल के स्मारक
		(च) स्मारक समूह, हम्पी
6.	महाराष्ट्र	(क) अजंता गुफाएं
		(ख) एलोरा गुफाएं
		(ग) दौलताबाद किला
		(घ) एलीफेंटा गुफाएं
		(ङ) कन्हेरी गुफाएं
7.	उड़ीसा	(क) राजा रानी परिसर, भुवनेश्वर
		(ख) कोणार्क मंदिर, कोणार्क
8.	पंजाब	(क) दखनी सराय, जिला जालंधर
		(ख) संधोल, जिला फतेहगढ़ साहिब
9.	राजस्थान	(क) रणथंभौर किला, जिला सवाई माधोपुर
10.	तमिलनाडु	(क) महाबलीपुरम, जिला चिंगलेपूट
		(ख) जिंजी विला, जिंजी
		(ग) बृहदीश्वर मंदिर, तंजावूर
11.	उत्तर प्रदेश	(क) ताजमहल, आगरा
		(ख) फतेहपुर सीकरी, आगरा
		(ग) बाड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ
12.	पश्चिम बंगाल	(क) रास मंच, जोर बंगला मंदिर, विष्णुपुर
		(ख) हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद
		(ग) राजा महल, कूच बिहार
		(घ) गौर पांडुआ, मालदा जिला

[अनुवाद]

ऊर्जा परियोजना में अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

3825. डॉ. जसवंतसिंह यादव : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति क्या है जिन्हें अपशिष्ट पदार्थों के निपटान से ऊर्जा परियोजनाओं हेतु नगर निगम के स्तर पर राज्य के विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा दिया गया है;

(ख) क्या अनेक ऐसी परियोजनाओं को आरंभ नहीं किया गया है जिससे पर्यावरण के अनुकूल नई आर्थिक प्रौद्योगिकियों को आरंभ नहीं किया जा सकता है;

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों द्वारा अब तक दी गई म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति पर 19 परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) दो परियोजनाएं, विजयवाड़ा और चेन्नई, प्रत्येक में एक, आरंभ नहीं की जा सकी चूंकि प्रमोटरों ने प्रतिवर्तन कर लिया है। तथापि, इन परियोजनाओं के कारण नई किफायती पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्यागिकियों के प्रवेश में रुकावटें नहीं आई हैं क्योंकि कई नई परियोजनाएं विकसित की गई हैं तथा दो परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए अनुकूल नीतियों की घोषणा करने हेतु सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों से आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त, जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनारों और व्यापारिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए राजकोषीय और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

विभिन्न नगरों में विभिन्न नगर प्राधिकरणों द्वारा दी गई म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा पर परियोजनाओं की स्थिति।

क्र.सं.	नगर	क्षमता	स्थिति
1	2	3	4
1.	चेन्नई	5.00 मे.वा.	अगस्त, 1996 में मंजूर की गई परियोजना को किसी वास्तविक प्रगति के न होने/राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन को वापस ले लेने के कारण नवम्बर, 1997 में रद्द कर दिया गया।
2.	विजयवाड़ा	16 टन प्रतिदिन फ्यूल पैलेट्स	मार्च, 1998 में मंजूर की गई परियोजनाओं को अगस्त, 1999 में रद्द कर दिया गया क्योंकि प्रमोटर ने प्रतिवर्तन कर लिया। वित्तीय संकट की रिपोर्ट दी।
3.	नागपुर	4.00 मे.वा.	स्थापनाधीन
4.	हैदराबाद	210 टन प्रतिदिन फ्यूल पैलेट्स	स्थापनाधीन। 105 टोपीडी की एक लाइन पूरी हुई।

1	2	3	4
5.	लखनऊ	5.00 मे.वा.	वित्तीय समझौते पूरे हुए/प्रारंभिक स्थल जाँच और इन-हाउस इंजीनियरिंग को पूरा कर लिया गया।
6.	चेन्नई	14.85 मे.वा.	चेन्नई नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार के साथ आवश्यक समझौते अंतिम चरण में हैं।
7.	भोपाल	10.80 मे.वा.	संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आशय पत्र जारी किया गया। अन्य समझौते प्रगति पर हैं।
8.	मुम्बई	10.00 मे.वा	–वही–
9.	मुम्बई	10.00 मे.वा.	–वही–
10.	मुम्बई	10.00 मे.वा.	–वही–
11.	पुणे	4.00 मे.वा.	–वही–
12.	कल्याण	3.00 मे.वा.	–वही–
13.	दिल्ली	9.60 मे.वा.	संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आशय पत्र जारी किया गया। अन्य समझौते प्रगति पर हैं।
14.	गाजियाबाद	5.00 मे.वा.	–वही–
15.	कानपुर	21.6 मे.वा.	–वही–
16.	बरेली	5.40 मे.वा.	–वही–
17.	मेरठ	10.80 मे.वा.	–वही–
18.	विजयवाड़ा	6.00 मे.वा.	–वही–
19.	हैदराबाद	11.00 मे.वा.	–वही–

[अनुवाद]

वस्त्र संबंधी पैकेज

3826. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र नीति को जारी रखने के लिए वर्ष 2000-2002 के केन्द्रीय बजट के हिस्से के रूप में एक वस्त्र संबंधी पैकेज लाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के केन्द्रीय बजट में एक वस्त्र पैकेज की घोषणा की गई थी। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. अनारक्षित सिले सिलाए परिधान उद्योग को उत्कृष्ट अधसंरचना सहित आधुनिक एककों को स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए एकीकृत अपैरल पार्कों की स्थापना करने की योजना। वर्ष 2001-2002 के लिए 10 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

2. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (TUFS) धनराशि से वर्ष 2004 तक कम से कम 50,000 नये शटलरहित करघों तथा 2.5 लाख सादे करघों को आधुनिक बना कर उन्हें स्वचालित करघों में परिवर्तित कर सुदृढ़ परिधान उद्योग के लिए एक सुदृढ़ व आधुनिक बुनाई क्षेत्र बनाना।

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत आवंटन को मौजूदा 50 करोड़ से बढ़ा कर 200 करोड़ रु. करना।

4. कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए प्रावधान को 15 करोड़ रु. से बढ़ाकर 25 करोड़ रु. करना तथा

5. वस्त्र मंत्रालय के लिए वर्ष 2000-2001 के 457 करोड़ रु. के बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करके वर्ष 2001-2002 के लिए 650 करोड़ रु. तक बढ़ाना।

[अनुवाद]

राजस्थान के लिए विद्युत के आवंटन में वृद्धि

3827. श्री भेरूलाल मीणा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर.ए.पी.पी. इकाई-1 को लम्बी अवधि कम से कम तीन महीनों के लिए सितम्बर, 2000 से बंद कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप राजस्थान को प्रतिदिन लगभग 35 लाख यूनिट के उत्पादन का घाटा हो रहा है;

(ख) क्या कम वर्षा के कारण बी.बी.एम.बी. परिसर के जलाशयों में जल की कम उपलब्धता से इस स्रोत से विद्युत की उपलब्धता में प्रतिदिन लगभग 15 लाख यूनिट के कम उत्पादन होने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) राजस्थान आणविक विद्युत केन्द्र की यूनिट-1 (100 मे.वा.) (वार्षिक रख-रखाव और कूलेंट चैनलों में आंशिक बदलाव के लिए 26 सितम्बर, 2000 से बन्द पड़ी हुई है। बन्द के दौरान इसके नॉर्थ ऐंड शील्ड में कुछ जल रिसाव का पता लगा था। सुधार कार्य प्रगति पर है और इस यूनिट के मई, 2001 के मध्य तक चालू होने की आशा है। इस यूनिट के बंद होने से पहले, इस यूनिट से लगभग 86 मिलियन यूनिट प्रति माह विद्युत उत्पादन होता था।

(ख) और (ग) वर्ष 2000-01 में भाखड़ा और पोंग के जलाशय का स्तर क्रमशः पिछले 7 वर्षों और 10 वर्षों के दौरान सबसे कम था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में मानसूनी वर्षा का प्रतिशत 93 प्रतिशत था। 1 अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 के दौरान बीबीएमबी के जल विद्युत केन्द्रों से जल विद्युत के उत्पादन में कुल 3.2 प्रतिशत की कमी आई थी।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्र

3828. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा, ताप्ती या चम्बल घाटी भी भूकम्प प्रवण है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार मध्य प्रदेश में विद्युत की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) बी.आई.एस. भूकम्प कोड आई.एस. 1893-1984 देश को पांच भूकम्पीय क्षेत्रों में विभाजित करता है। क्षेत्र I कम भूकम्प उन्मुखी है जबकि क्षेत्र V अधिक भूकम्प उन्मुखी है। बी.आई.एस. कोड के अनुसार चम्बल घाटी क्षेत्र I व II में पड़ती है। नर्मदा तथा ताप्ती घाटियां अधिकांशतः क्षेत्र III में जबकि इन घाटियों का कुछ हिस्सा क्षेत्र I व II में पड़ता है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश को पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से 1116 मे.वा. का आवंटन किया गया है। इस सुनिश्चित आवंटन के अलावा मध्य प्रदेश को पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों के अनावर्तित कोटे में से 246 मे.वा. का भी आवंटन किया गया है तथा पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों के अनावटित कोटे में से 250-300 मे.वा. का भी आवंटन किया गया है। मध्य प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता सुधारने के लिए किए अन्य उपायों में ये उपाय शामिल हैं: (i) विद्यमान क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना। (ii) पुराने विद्युत संयंत्रों को नवीकरण तथा आधुनिकीकरण और दर वृद्धि। (iii) संचारण एवं वितरण हानियों में कमी। (iv) क्षमता कार्य वृद्धि इत्यादि।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां

3829. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में कितने नए डीजल पेट्रोल पम्प और रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में स्थान-वार कितनी रसोई गैस एजेंसियां कार्य कर रही हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों प्रत्येक के लिए 3 स्थान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए वर्ष 1999-2000 की विपणन योजनाओं में शामिल किए गए हैं। विपणन योजनाओं में शामिल किए गए स्थानों के विषय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरों/वितरकों के चयन के लिए तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं। डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू करने के लिए साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया 6 ये 12 माह का समय लगता है।

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 106 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में थीं।

[अनुवाद]

लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड को नाफ्था की आपूर्ति

3830. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड की कम मूल्य पर नाफ्था की आपूर्ति की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आई ओ सी एल एनरान को कम मूल्य पर नाफ्था की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है और क्या लैंको कोंडापल्ली पावर संयंत्र को कम मूल्य पर नाफ्था की आपूर्ति हेतु एच पी सी एल को इसी तरह के निर्देश जारी किए जाएंगे;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन से कोच्ची रिफाइनरी लिमिटेड तक पाइपलाइन बिछाना

3831. श्री पी.सी. थामस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस या अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु कोचीन से कोच्ची तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्य सौंप दिया गया और यदि हाँ, तो ठेके का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कार्य किस चरण में है;

(घ) क्या कोच्ची रिफाइनरी लिमिटेड को कम मूल्य पर और बड़ी मात्रा में ईंधन की आपूर्ति का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) कोच्ची रिफाइनरीज लिमिटेड (के आर एल) ने अपनी रिफाइनरी के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया है। परियोजना की सुविधाओं में कच्चे तेल की प्राप्ति के लिए सिंगल बुआय मूरिंग (एस बी एम) की स्थापना सम्मिलित है। एस बी एम सुविधाओं में उप समुद्री पाइपलाइन के साथ-साथ एस बी एम विशेष सम्मिलित हैं। इन सुविधाओं की अनुमानित लागत 258 करोड़ रुपए है। अनुमानित लाभ में कच्चे तेल की परिवहन लागत में अत्यधिक कमी है। के आर एल की विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजना निवेश अनुमोदन प्रदान करने के लिए सरकार के विचाराधीन है।

तेजू नदी पर जलमार्ग के विकास का प्रस्ताव

3832. श्री के.ए. सांगतम : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेजू नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और नागालैंड और म्यांमार के बीच आर्थिक संबंध बनाने हेतु क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) देश में प्रमुख जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा रहा है तथा उसके बाद भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा नौचालन और नौवहन कार्यों के लिए उनका विकास किया जा रहा है, जबकि छोटी नदियों का विकास संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। तथापि, केन्द्र सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 50 : 50 के आधार पर सहायता प्रदान करके ऐसी नदियों के विकास में राज्य सरकारों की सहायता करती है।

नागालैंड राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत भारत-म्यांमार सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तीजू नदी में अंतर्देशीय जल परिवहन की साध्यता के लिए जलीय सर्वेक्षण और भू-तकनीकी जांच हेतु एक स्कीम का प्रस्ताव किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस स्कीम की जांच कर रहा है।

अवसंरचना संबंधी संपर्क स्थापित करके सीमा पार व्यापार, पर्यटन और सीमा क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करना सरकार की नीति है।

ओएनजीसी की निविदाएं

3833. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी में नामांकन के आधार पर एक करोड़ से ज्यादा मूल्य की कितनी निविदाओं पर ठेके दिये गये;

(ख) क्या नामांकन के आधार पर चुनी गई निविदाएं नियमों और विनियमों के अनुसार थीं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चल रही परियोजनाओं के लिए धनराशि

3834. श्री दिन्शा पटेल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में संसाधनों की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि उपलब्ध है, उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धन की कमी के कारण सरकार द्वारा नई परियोजना शुरू नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा संसाधन जुटाने हेतु क्या प्रयास किए गए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र में प्रस्तावित योजनावधि स्कीमों के लिए निधि की कोई समस्या नहीं है। हालांकि विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों में वृद्धि करने हेतु सरकार ने 1991 में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 एवं विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में संशोधन कर विद्युत क्षेत्र को निजी क्षेत्र भागीदारी के लिए भी खोल दिया जहां सरकार की इस नीति पर निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया उत्साहजनक है वहीं निजी क्षेत्र की भागीदारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इसका मुख्य कारण रा.वि.बो. की कमजोर वित्तीय स्थिति थी।

इसके बावजूद सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में क्रमिक रूप से नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। के.वि.प्रा. की सूचना के अनुसार केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र में चालू विद्युत परियोजनाओं के लिए लगभग 42000 करोड़ रुपये की शेष निधि की जरूरत है। के.वि.प्रा. ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2012 तक मांग पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अगले 10-12 वर्षों में 1,00,000 मे.वा. की अतिरिक्त क्षमता की जरूरत होगी। के.वि.प्रा. ने पहले ही उन अनंतिम परियोजनाओं की एक सूची तैयार कर ली है, जिनकी कुल क्षमता 1,06,000 मे.वा. है तथा जिन्हें चालू किया जा सकता है। संसाधनों को एकत्रीकरण अन्य मामलों के सरकार ने विद्युत क्षेत्र हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक कृतक दल गठित किया है। यह दल विद्युत क्षेत्र हेतु आवश्यक निधियों का विस्तृत अनुमान तथा इसका प्राप्ति स्रोत पता लगायेगा।

[अनुवाद]

चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन

3835. डॉ. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रत्येक दस वर्ष बाद परिसीमन आयोग गठित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो अगला परिसीमन आयोग कब गठित किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार को यह पता चला है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बड़ी संख्या में पलायन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप उत्तर में विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आस-पास आबादी बहुत बढ़ गई है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चुनाव क्षेत्रों में एक संसद् सदस्य 15 से 30 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है;

(घ) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है और परिसीमन आयोग गठित कर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 107(3) में उपबंधित अनुसार, निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनः समायोजन के लिए संसद् द्वारा विधि द्वारा अवधारित किए जा सकने वाला कोई प्राधिकारी, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर नियुक्त किया जाता है। तथापि, इस समय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनःसमायोजन किए जाने पर सांविधानिक रोक लगी हुई है। यदि ऐसी रोक का और विस्तार नहीं किया जाता है तो चालू दशक की गणना के आंकड़ों के प्रकाशन पर यह व्यपगत हो सकती है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1972 में, परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधिनियमन के अनुसरण में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था जिसने प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के विषय में अपनी रिपोर्ट 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित की थी। तत्पश्चात् संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा सांविधानिक रोक अधिरोपित की गई थी। तारीख 13.5.2000 को हुई राजनीतिक दलों की बैठक में प्राप्त सहमति के आधार पर, सरकार ने जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी कार्यसूची का अनुसरण करने में राज्य सरकारों को समर्थ बनाने के लिए प्रेरणात्मक उपाय के रूप में वर्ष 2026 तक उपरोक्त रोक का विस्तार करने का विनिश्चय किया है। इस विनिश्चय को प्रभावी बनाने के लिए, सरकार ने तारीख 27.11.2000 को लोक सभा में संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 पुरःस्थापित किया है जो वर्ष 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनःसमायोजन किए जाने के लिए उपरोक्त सांविधानिक रोक का विस्तार करने और निर्वाचक निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित है, विधायी निकायों में राज्यों को आबंटित स्थानों में फेरफार किए बिना 1991 की जनगणना के आधार पर पुनःसमायोजन और सुव्यवस्थीकरण के लिए भी है। यह उपाय विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या उत्प्रवास में असमान वृद्धि के कारण हुए असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से है। विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए संबद्ध विभाग से संबंधित गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है। उक्त विधेयक के अधिनियमन के पश्चात् परिसीमन आयोग के गठन के लिए एक अन्य विधेयक अपेक्षित हो सकता है।

[अनुवाद]

नारियल के खुदरा बिक्री केन्द्र के परिचालन हेतु श्रम ठेकेदारों को भुगतान

3836. डॉ. रमेश चन्द तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निगमों विशेषकर एचपीसीएल ने नारियल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के परिचालन हेतु श्रम ठेकेदारों को एकमुश्त भुगतान करना शुरू कर दिया है जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार ठेकेदारों का पारिश्रमिक, वाहन सुरक्षा, स्टाक हानि और श्रमिकों को भुगतान की राशि शामिल है;

(ख) क्या उक्त नीति सभी तेल कंपनियों पर लागू होती है;

(ग) क्या ऐसे जुबली और नारियल पम्पों को चलाने के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी तेल कंपनियों द्वारा जुटाई जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में नई नीति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) सहित तेल विपणन कंपनियों की श्रमिक संविदाकारों को कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रचालन के लिए एकमुश्त भुगतान करने की एक समान नीति है। इसमें संविदाकार के पारिश्रमिक, सवारी व्यय, स्टाक क्षति, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को भुगतान और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है।

(ग) और (घ) जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों और कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए कार्यशील पूंजी का मामला संबंधित तेल कम्पनी की नीति पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

भारतीय सांस्कृतिक स्थलों को विश्वदाय का दर्जा

3837. श्री जय प्रकाश : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को को प्रस्तुत भारतीय संस्कृति या प्राकृतिक स्थलों के ग्यारह प्रस्तावों में से किसी भी प्रस्ताव को विश्वदाय सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को भारत द्वारा भेजे गए नामांकन में कमियों के संबंध में यूनेस्को से कोई औपचारिक सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) क्योंकि यूनेस्को विश्वदाय स्थलों हेतु मनोनयनों की जाँच करने हेतु अनुसूची को संशाधित कर रहे हैं, अतः प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित कर दिया गया है। इस बीच, यूनेस्को के विश्वदाय कार्यालय ने एक संशोधित प्ररूप में प्रस्तावों का पुनः सूत्रीकरण करने की सलाह दी है। इस प्रयोजन के लिए यूनेस्को से प्रारंभिक सहायता आगे आ रही है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के स्मारकों में अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण

3838. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित उन प्राचीन स्मारकों के क्या नाम हैं जहां अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण हुआ है; और

(ख) इन स्मारकों से अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) उड़ीसा में 11 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण की रिपोर्ट मिली है जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण को हटाने में सहायता के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों की सदैव सहायता माँगी जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।

विवरण

उड़ीसा में भुवनेश्वर मंडल के स्मारकों के अतिक्रमण का ब्यौरा

क्र.सं.	स्मारक का नाम
1.	ललितंणरि में उत्खनित बौद्ध स्थल
2.	उदयगिरि में बौद्ध स्थल
3.	कटक में बारावती किला
4.	अशोक कालीन शिलालेख, जौगढ़
5.	सूर्य मन्दिर, कोणार्क
6.	प्राचीन स्थल, हरीपुरगढ़
7.	खंडगिरि एवं उदयगिरि, भुवनेश्वर
8.	यैताल दयोल तथा सिसिरेस्वर मंदिर, भुवनेश्वर
9.	भगवान लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर
10.	अनंत वासुदेव मंदिर, भुवनेश्वर
11.	पापनासिनी हौज, भुवनेश्वर

[अनुवाद]

सारापाड़ी विद्युत परियोजना

3839. श्री जी.एस. बसवराज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सारापाड़ी विद्युत परियोजना पर कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने विद्युत वित्त निगम के सहयोग से एक आस्ट्रेलियाई कंपनी से ऋण उगाहने के लिए गारंटी देने पर भी विचार किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपरोक्त के मद्देनज़र प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कर्नाटक में पेट्रोल पम्पों/रसोई गैस एजेंसियों और सीएनजी के खुदरा बिक्री केन्द्र

3840. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कर्नाटक में कितनी पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियाँ आबंटित की गईं,

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में सीएनजी के कितने बिक्री केन्द्र खोले गए;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में और अधिक सीएनजी बिक्री केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 (जनवरी, 2001) तक के दौरान कर्नाटक में 26 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और 65 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में सीएनजी का कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल की खोज

3841. डॉ. रामचन्द्र डोम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों में हाइड्रोकार्बन की खोज का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य में क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या हाइड्रोकार्बन की बड़े पैमाने पर खोज और उत्पादन कार्य शुरू किया जाएगा; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत हाइड्रोकार्बनों के लिए अन्वेषण कार्य दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) अर्थात् आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के द्वारा किया गया है। 1 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार अन्वेषी प्रयासों के आधार पर आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने असम तथा त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत क्रमशः 633.89 एमएमटी तथा 41.28 एमएमटी स्थानिक हाइड्रोकार्बन प्रामणित किए हैं। इसी प्रकार 1 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अुनसार आयल इंडिया लिमिटेड ने असम तथा अरूणाचल प्रदेश राज्यों के अंतर्गत क्रमशः 774.22 एमएमटी तथा 39.83 एमएमटी स्थानिक हाइड्रोकार्बन प्रमाणित किए हैं।

(ग) और (घ) जहाँ तक इन दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों का संबंध है, अन्वेषण एवं उत्पादन प्रचालन 9वीं योजना अनुमानों के अनुसार किए गए हैं। विगत तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 1997 से मार्च, 2000 तक के दौरान इन दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा भूकंपीय संर्वेक्षणों, अन्वेषी वेधन तथा कच्चे तेल के उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

मद	1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2000 तक के दौरान उपलब्धि	
	ओ एन जी सी	ओ आई एल
भूकम्पीय		
द्विआयामी	2055 जी एल के	1203.82 जी एल के
त्रिआयामी	5038 जी एल के	500.01 व.कि.मी.
अन्वेषी कूपों की संख्या	संख्या-60	संख्या-29
कच्चे तेल का उत्पादन	5.602 एमएमटी	9.671 एमएमटी

जहाँ तक निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालकों का संबंध है, उत्तर-पूर्वी राज्यों के अंतर्गत तीन ब्लाकों अर्थात् ए ए पी-ओ एन-94/1 (असम एवं अरूणाचल प्रदेश), सी आर-ओ एन-90/1 (असम एवं मिजोरम) तथा ए ए-ओ एन/7 (असम एवं नागालैण्ड) के लिए संविदाओं में हस्ताक्षर किए गए हैं। ब्लाक ए ए पी-ओ एन-94/1 के अंतर्गत अन्वेषण कार्य अभी हाल ही में आरम्भ हुआ है जबकि अन्य दो ब्लाकों के अंतर्गत अन्वेषण कार्य अभी आरम्भ होना है।

काकीनाडा में एल.एन.जी. टर्मिनल परियोजना

3842. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा सी.आई.आई. के सातवें साझेदारी सम्मेलन के दौरान नई परियोजना के लिए 35000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन परियोजनाओं में आन्ध्र प्रदेश के काकीनाडा में हाइड्रोकार्बन के एल.एन.जी. टर्मिनल को स्थापित करने की परियोजना शामिल है;

(ग) यदि हां, तो क्या फरवरी, 2001 में परियोजना रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई; और

(घ) यदि हाँ, तो इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई. ओ. सी. एल.) के नेतृत्व वाले काकीनाडा इंडियन आयल एल. एन. जी. परिसंघ (के. आई. ओ. एल. सी.) ने काकीनाडा गहन जल पत्तन में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल. एन. जी.) परियोजना की स्थापना सहित नई परियोजनाओं के लिए 10 जनवरी, 2001 को सी.आई.आई. सातवीं भागीदारी शिखरवार्ता के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ मार्च, 2001 के पहले सप्ताह में परियोजना रिपोर्ट पर एक आरम्भिक चर्चा आयोजित की गई है।

(घ) प्रत्येक घटक की व्यवहार्यता और आर्थिक साध्यता के अधीन परियोजना के अगस्त, 2005 तक पूरा हो जाने का अनुमान है।

[अनुवाद]

मुम्बई में पैदल उपरिपुल का निर्माण

3843. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुम्बई में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर वर्ष-वार कितने पैदल उपरिपुल स्वीकृत किए गए, कितनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया, कितनों पर काम जारी है और कितनों पर कार्य शुरू किया जाना है;

(ख) इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पैदल उपरिपुल उपलब्ध न होने के कारण लाइन पार करते समय कई दुर्घटनाएं हुई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन स्टेशनों पर कुछ और पैदल उपरिपुलों के निर्माण का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान मुम्बई में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्वीकृत सड़क ऊपरी पुलों का ब्यौरा और उनकी स्थिति नीचे दी गई है :

वर्ष	स्वीकृत	पूरा किया गया कार्य	चालू कार्य	शुरू करने हेतु कार्य
1998-99	1	–	1	–
1999-2000	6	2	2	2
2000-2001	3	3	–	–

(ख) इन परियोजनाओं में कुल लागत राशि 7.96 करोड़ रुपए है।

(ग) मुंबई के सभी स्टेशनों पर सड़क उपरिपुल/भूमिगत रास्ते मुहैया कराए गए हैं। दुर्घटनाएं केवल उस समय होती हैं जब व्यक्ति/यात्री रेलपथ को अनधिकृत तरीके से पार करते हैं।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) भविष्य में मुंबई क्षेत्र में निर्माण के लिए ऊपरी पैदल पार पुलों की प्रस्तावित सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	लागत (लाख रुपयों में)
1.	वंगानी	35.17
2.	डॉकयार्ड	31.94
3.	कॉटन ग्रीन	30.38
4.	डोंबीवली	281.00
5.	घाटकोपर	231.00
6.	माटुंगा रोड	25.15
7.	बांद्रा (मौजूदा ऊपरी पैदल पार पुल का विस्तार)	48.02
8.	अंधेरी (मौजूदा ऊपरी पैदल पार पुल का विस्तार)	73.19

पूर्वोत्तर राज्यों में गैस भण्डार

3844. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य-वार गैस का अनुमानित भण्डार कितना है;

(ख) इनमें से कितने भण्डार का अब तक पता लगाया गया है;

(ग) क्या क्षेत्र में कोई नए भण्डार का पता चला है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्षेत्र में सभी संसाधनों के दोहन के लिए क्या योजना बनाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) 1 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत गैस के अनुमानित स्थानिक भंडार, राज्यवार, नीचे दिए गए हैं :

राज्य	राष्ट्रीय तेल कंपनियाँ (एन.ओ.सीज) (बी.सी.एम.)	निजी/संयुक्त उद्यम (सं.उ.) कंपनियां (बी.सी.एम.)
असम	318.48	–
अरूणाचल प्रदेश	4.90	0.77
नागालैण्ड	2.68	–
त्रिपुरा	41.28	–

बी.सी.एम. – बिलियन घन मीटर

(ख) जहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत अवस्थित क्षेत्रों से राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात् आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) तथा आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) के द्वारा संचयी गैस उत्पादन 1 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार 61.63 बिलियन घन मीटर है, वहीं संयुक्त उद्यम/निजी कंपनियों ने इस क्षेत्र में अवस्थित अपने क्षेत्रों से 0.048 बिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन किया है।

(ग) और (घ) अन्वेषी प्रयासों के परिणामस्वरूप 9वीं योजना के दौरान असम एवं त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय तेल कंपनियों के द्वारा कई खोजें की गई हैं। इससे, त्रिपुरा तथा असम के अंतर्गत अवस्थित उनके प्रचालनीय क्षेत्रों में क्रमशः आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के द्वारा गैस (मुक्त) की 3.983 बिलियन घन मीटर स्थानिक भण्डार वृद्धि तथा आयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा गैस की लगभग 6.1 बिलियन घन मीटर स्थानिक भण्डार वृद्धि हुई है।

(ङ) दीर्घावधिक गैस उत्पादन रूपरेखा के अनुसार 9वीं योजना के समापन वर्ष अर्थात् 2001-2002 के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन का गैस उत्पादन असम में प्रतिदिन लगभग 1.608 मिलियन मानक घन मीटर (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) तथा त्रिपुरा में प्रतिदिन 1.075 मिलियन मानक घन मीटर (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) होने की आशा है। आयल इंडिया लिमिटेड का इस वर्ष के दौरान असम तथा अरूणाचल प्रदेश राज्यों से क्रमशः प्रतिदिन लगभग 4.46 मिलियन मानक घन मीटर (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) तथा 0.06 मिलियन मानक घन मीटर (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) गैस उत्पादन करने का विचार है।

[अनुवाद]

सेना मुख्यालय द्वारा कंप्यूटरों की खरीद

3845. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. और केन्द्रीय भण्डार ने पहले जनवरी, 2001 और फिर सितंबर, 2000 के दौरान भी डीजीक्यूए और एडीजीआईटी/सेना मुख्यालय को कुछ कम्पैक ब्राण्ड कंप्यूटरों की तीस से चालीस हजार रु. तक बाजार मूल्य से अधिक दर पर आपूर्ति की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) बहुत सी कंप्यूटर कंपनियां अथवा उनके प्राधिकृत डीलर्स केंदीय भण्डार, सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. के साथ पंजीकृत हैं। ये एजेंसियाँ केंद्रीय भंडार, सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. द्वारा अनुमोदित कीमतों पर सरकारी विभागों को कंप्यूटरों की आपूर्ति करती हैं। इस विषय पर सरकारी आदेशों के अनुसार, कंप्यूटरों सहित स्टेशनरी और अन्य मदों की खरीद केंद्रीय भंडार/सुपर बाजार/एन.सी.सी.एफ. से की जानी होती है। ए.डी.जी.आई.टी./ए.एच.क्यू. ने मैसर्स एन.सी.सी.एफ. से सितंबर, 2000 और जनवरी, 2001 में तत्कालीन अनुमोदित दरों पर 7 लॉटों में 30 कंप्यूटर खरीदे हैं। गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने इस अवधि के दौरान कोई 'कॉम्पेक' ब्रांड कंप्यूटर नहीं खरीदा है। अतः बाजार दर से अधिक कीमत पर कंप्यूटरों की आपूर्ति किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियों में इंडियन आयल कारपोरेशन का निवेश

3846. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने मुम्बई में सामजिक गतिविधियों पर काफी धनराशि खर्च की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या तटीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं पर काफी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसा कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो सामाजिक गतिविधियों के संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा वित्तपोषण हेतु पंचायतों को किन-किन मानदण्डों को पूरा करना होता है; और

(ङ) आवेदनों को किस माध्यम से इंडियन आयल कारपोरेशन तक पहुंचाया जा सकता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2000-2001 में अब तक मुम्बई में समुदाय विकास क्रियाकलापों पर 4.80 करोड रुपये की धनराशि खर्च कर चुकी है। इसमें मुम्बई के पास मनोरी-क्रीक के आर-पार एक पेय जल पाइपलाइन बिछाने के लिए किया गया 4.78 करोड़ रुपये का व्यय भी शामिल है।

(ग) और (घ) आई.ओ.सी. विभिन्न राज्यों में स्वच्छ पेय जल के लिए परियोजनाओं सहित समुदाय विकास क्रियाकलाप पहले ही चला रही है। ऐसी परियोजनाओं का क्रियान्वयन दानों/अंशदानों और समुदाय विकास क्रियाकलापों के लिए कारपोरेशन की नीति के अंतर्गत किया जाता है। इस नीति के अनुसार समुदाय विकास क्रियाकलापों के तहत स्वच्छ पेय जल और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल पर अधिकाधिक जोर दिया जाता है।

(ङ) आई.ओ.सी. देश के ऐसे विभिन्न भागों में संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के साथ परामर्श से समुदाय विकास क्रियाकलाप चलाती है जहाँ इसके अपने प्रतिष्ठान हैं।

कंपनी परिचालित पेट्रोल पंपों पर तैनात अधिकारियों के उत्तरदायित्व

3847. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनी के स्वामित्व और परिचालन वाले पेट्रोल पंपों पर तैनात रेजिडेन्ट अधिकारियों के उत्तरदायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन फुटकर बिक्री केन्द्रों पर नियुक्त श्रमिक ठेकेदारों से इन बिक्री केन्द्रों पर कार्यशील पूंजी पर किसी धनराशि का निवेश अपेक्षित नहीं है;

(ग) क्या तेल निगमों ने आग, दुर्घटना और डकैती के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए इन पेट्रोल पंपों की नकदी, भंडार और अन्य परिसंपत्तियों के लिए बीमा की कोई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्र पर तैनात ''स्थानिक प्रबंधक'' की जिम्मेदारियों में संलग्न विवरण के अंतर्गत उल्लिखित जिम्मेवारियां शामिल हैं।

(ख) कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए नियुक्त किए गए श्रम ठेकेदारों से कार्यशील पूंजी की दिशा में कोई निवेश करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) तेल कंपनियों ने संबंधित तेल कंपनी की नीति के अनुसार आग, दुर्घटनाओं, डकैतियों, इत्यादि के कारण होने वाले जोखिम से बचाव करने के लिए बीमे की व्यवस्थायें की हैं।

विवरण

कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों पर तैनात 'स्थानिक प्रबंधक' की जिम्मेवारियां

1. उत्पादों का प्रापण, भंडारण एवं संभाल, जिसमें उत्पादों के विषय में मांग पत्र प्रस्तुत करना, उत्पादों की प्राप्ति, उत्पादों का विक्रय इत्यादि शामिल है।
2. खुदरा बिक्री केन्द्र पर बिक्री किए जा रहे उत्पाद की यथा नीचे दिए गए तरीकों से गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करना :
   - प्राप्ति के समय मात्रा, घनत्व, फरफ्यूरल परीक्षण इत्यादि की जांच।
   - टी टी से प्रक्रियानुसार नमूना लेना।
   - निस्तारण इकाइयों की सुपुर्दगी, घनत्व इत्यादि की दैनिक आधार पर जांच एवं आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव।
3. अपेक्षित अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने/इनके नवीकरण समेत सांविधिक नियमों एवं विनियमों का अनुपालन।

4. कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों से विक्रयों का सवर्द्धन।
5. कार्यगत ठेकेदार की कार्यप्रणाली की निम्नांकित के माध्यम से पर्यवेक्षण करना :

– यह सुनिश्चित करना कि उपयुक्त मानवशक्ति उपलब्ध कराई गई है।

– सुरक्षा विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

– सफाई एवं गृह व्यवस्था रखी जा रही है।

– स्टाक हानि के विषय में आवधिक समाधान, यदि यह सीमाओं के परे है तो प्रतिप्राप्ति सुनिश्चित करना।

– यह सुनिश्चित करना कि संविदाकार करार के अनुसार संविदागत दायित्वों को पूरा करता है तथा आवश्यक नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करता है।

6. यदि कार्यगत ठेकेदार बैंक गारंटी के प्रति आपूर्तियां प्राप्त कर रहा है तो ऐसे मामले में दैनिक बिक्री प्राप्तियों को वसूली लेखे में जमा करना।
7. थोक स्टाक लेजर, ए सी-3/4, दैनिक वसूली रिपोर्टस, नकदी मेमोज, बैंक मिलान विवरणों इत्यादि समेत आवश्यक अभिलेखों एवं लेखाओं का रख-रखाव सुनिश्चित करना तथा संभागीय/राज्य/क्षेत्रीय कार्यालयों को वांछित रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
8. कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्र पर सुविधा स्टोर के प्रचालन की देखभाल।
9. अग्रदाय की संभाल/प्रस्तुति।
10. दूरभाष, विद्युत, जल इत्यादि से संबंधित बिलों का भुगतान।
11. संभागीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई कार्य/क्रियाकलाप।

एस्कार्ट्स फाइनेन्स द्वारा जमाराशि पर ब्याज का भुगतान न किया जाना

3848. श्री अधीर चौधरी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एस्कार्ट्स फाइनेन्स लिमिटेड, फरीदाबाद/नई दिल्ली के खिलाफ गत तीन वर्षों के दौरान जमाकर्ताओं को जमाराशि पर ब्याज का भुगतान न करने और मूल जमाराशि वापस न लौटाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन कदाचारों के लिए कम्पनी के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एन.बी.एफ.सीज्) के कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं। एन.बी.एफ. सीज द्वारा जमाओं के पुनर्भुगतान में जहां कोई चूक होती है, कम्पनी विधि बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 क्यू. ए. के अन्तर्गत आदेश पारित करने की शक्तियां दी गई हैं। कम्पनी विधि बोर्ड के आदेशों के गैर-अनुपालन के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58 (ङ) के अन्तर्गत एन.बी.एफ.सीज् के विरुद्ध शास्तिक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

पिछले तीन वर्षों में मैसर्स एस्कार्ट्स फाइनेन्स लिमिटेड के विरुद्ध कम्पनी विधि बोर्ड में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

तुगलकाबाद के निकट वायुसेना की इमारतें

3849. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तुगलकाबाद के निकट वायु सेना की इमारतों का कथित रूप से जनता द्वारा प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सच्चाई का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या निष्कर्ष रहा और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) वायुसेना स्टेशन, तुगलकाबाद ने अपने कार्मिकों के लिए सैन्य-विवाहित आवासों का निर्माण शुरू किया था, किंतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नवंबर, 2000 में बताया कि कुछ भवन ग्यासुद्दीन के मकबरे से 100 मीटर की निषिद्ध दूरी के भीतर आते हैं। अतः अपेक्षित स्थान छोड़कर निर्माण स्थल को पुनः निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, वायुसेना प्राधिकारियों ने 100 मीटर से 300 मीटर तक के बीच पड़ने वाले नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने हेतु पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आवेदन भी किया है।

[हिन्दी]

हैलीकाप्टर के लिए अनुरक्षण उपकरण

3850. श्री रामजी मांझी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैलीकाप्टर्स 'ए' के व्यापक परिचालन क्षेत्र के लिए अनुरक्षण उपकरणों की स्वीकृति में विलम्ब से इनकी उपलब्धता सीमित हो गई है और विमानवाहक की मुख्य भूमिका प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय की भूमि पर खेती

3851. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना की एक इकाई ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए निजी पक्षों/पूर्व-भूस्वामियों से रक्षा मंत्रालय की भूमि

पर खेती कराई और 1988-97 के दौरान 69.29 लाख रु. अर्जित किए और नॉन पब्लिक फन्ड में जमा कराए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) वायुसेना स्टेशन, हलवाड़ा में रक्षा मंत्रालय की भूमि पर खेती सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त मजदूरों के रूप में नियुक्त भूमि के पूर्व स्वामियों के माध्यम से, न कि निजी पक्षों द्वारा, तत्कालीन अनुदेशों के अनुसार करवाई गई थी। दिसंबर, 1995 में रक्षा मंत्रालय की भूमि पर खेती संबंधी नीति में संशोधन कर दिए जाने के पश्चात् भी वायुसेना स्टेशन, हलवाड़ा उक्त भूमि के पूर्व स्वामियों के माध्यम से उक्त भूमि पर खेती करता रहा और इसके लिए 93.00 लाख रु. के कुल लाभ में से 23.11 लाख रु. पब्लिक फंड में और 69.29 लाख रु. नॉन-पब्लिक फंड में जमा करवाएं।

(ख) लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की वर्ष 2000 की रिपोर्ट सं. 8 में इस मामले का उल्लेख किया गया है जिसकी जांच की जा रही है।

टेलीविजन नेटवर्क के विरुद्ध शिकायतें

3852. श्री राम मोहन गाइडे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः
श्री शिवाजी माने :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग को टेलीविजन नेटवर्कों के विरुद्ध ग्राहकों पर "पे चैनलों" के बहाने अधिक राशि प्रभावित करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग जो कि एक अर्द्धन्यायिक निकाय है ने रिपोर्ट किया है कि इसके पास टेलीविजन नेटवर्कों के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें ऐसी व्यापार प्रथाओं को अपनाने का आरोप लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप कीमतों आदि में हेराफेरी होती है;

(i) आर टी पी ई 2/2001: यह श्री निर्मल जैन द्वारा एम आर टी पी अधिनियम, 1969 की धारा 12क तथा 10(क) (i) के अन्तर्गत इन्डसिड मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन लिमिटेड तथा 6 अन्य टेलीविजन नेटवर्क के विरुद्ध दायर किया गया आवेदन/शिकायत है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई व्यापार प्रथाओं का प्रतिस्पर्द्धा, मूल्यों की हेराफेरी तथा विभिन्न अवरोधक अनुचित तथा एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं की विकृति तथा प्रतिबंधिता को रोकने पर प्रभाव पड़ता है।

अधिनियम की धारा 10(क) (i) तथा 12-क के अन्तर्गत सात प्रतिवादियों नामशः इन्डसिड मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन लिमिटेड, न्यूज टेलीविजन (इंडिया) लिमिटेड, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (इण्डिया) लिमिटेड, टर्नर इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, डिसकवरी कम्यूनिकेशन्स इंडिया लिमिटेड, ई एस पी एन साफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड एण्ड मोदी एन्ट-रमेंट नेटवर्क लिमिटेड को नोटिस जारी कर दिया गया है। मामला आयोग के समक्ष न्यायाधीन है।

(ii) आर टी पी ई 3/2001 : यह नौएडा नेटवर्क सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिनियम की धारा 12क तथा 10 (क) (i) के अन्तर्गत स्टार टी वी तथा अन्य के विरुद्ध एक आवेदन/शिकायत है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी बार-बार व स्वेच्छा से अंशदाता फीस बढ़ा रहे हैं, भेदमूलक मूल्य रखे हुए हैं तथा इसी प्रकार की अन्य अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं। धारा 10 (क) (i) तथा 12-क के अन्तर्गत प्रतिवादियों नामशः स्टार टीवी तथा न्यूज टेलीविजन (इंडिया) लिमिटेड को नोटिस जारी कर दिया गया है। मामला आयोग के समक्ष न्यायाधीन है।

(iii) आर टी पी ई 26/2001 : यह जम्मू कम्यूनिकेशन्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिनियम की धारा 12-क तथा 10 (क) (i) के अन्तर्गत स्टार टी वी तथा अन्य के विरुद्ध एक आवेदन/शिकायत है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी अंशदाता फीस बार-बार व स्वेच्छा से बढ़ा रहे हैं और भेदमूलक मूल्य रख रहे हैं और इसी प्रकार की अन्य अवरोधक तथा अनुचित प्रथाएं हैं।

धारा 10 (क) (i) तथा 12-क के अन्तर्गत प्रतिवादियों नामशः स्टार टी वी तथा न्यूज टेलीविजन (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिया गया है। मामला आयोग के समक्ष न्यायाधीन है।

(iv) आर टी पी ई 76/1998 : यह इन्डसिड मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिनियम की धारा 10 (क) (iv) के अन्तर्गत एलजी टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड तथा चार अन्यों के विरुद्ध एक शिकायत है। यह आरोप है कि प्रतिवादी स्वेच्छा से मूल्य बढ़ा रहे हैं और विभिन्न अवरोधक तथा एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं में लिप्त हैं।

मामला आयोग के समक्ष न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों की क्षमता

3853. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख पत्तनों की पत्तनवार क्षमता क्या है;

(ख) इनकी कुल कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन पत्तनों पर मूलभूत सुविधाओं और क्षमता में वृद्धि करने का है;

(घ) क्या नई पत्तन नीति की घोषणा से विदेशी निवेशकों को बढ़ावा दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापत्तनों (पत्तन वार) की क्षमता और क्षमता उपयोग का प्रतिशत दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हाँ। महापत्तनों की अवसंरचना विकास/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। 9वीं योजना के दौरान कुल 122 मिलियन टन क्षमता की नई स्कीमों का पता लगाया गया है और ये स्कीमें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) और (ङ) नई पत्तन नीति नाम की कोई नीति नहीं है। तथापि, अक्तूबर, 1996 में महापत्तन विदेशी निवेश सहित गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिए गए।

विवरण

महापत्तनों की क्षमता और उसका प्रतिशत उपयोग

क्र. सं.	महापत्तन का नाम	31.3.2000 को क्षमता (मिलियन टन में)	1999-2000 के दौरान हैंडल किए गए यातायात के आधार पर क्षमता उपयोग का प्रतिशत
1.	(क) कलकत्ता	8.30	124
1.	(ख) हल्दिया	28.70	72
2.	पारादीप	12.85	106
3.	विशाखापत्तनम	30.80	128
4.	चेन्नै	27.62	135
5.	तूतीकोरिन	12.50	80
6.	कोचीन	13.45	95
7.	नव मंगलूर	20.25	87
8.	मुरगांव	19.48	93
9.	जवाहर लाल नेहरू	14.60	103
10.	मुंबई	30.50	99
11.	कांडला	39.00	118
	जोड़	258.05	105

[हिन्दी]

डा. अम्बेडकर स्मारक

3854. श्री रतन लाल कटारिया : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजघाट की भांति मुम्बई में चैतन्य भूमि में भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के स्मारक का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने महाराष्ट्र में डा. बी.आर. अम्बेडकर का एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन

3855. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र नीति निगम की मिलों की सभी इकाइयों का व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इकाईवार और मिलवार अब तक कितनी इकाइयों का पुनरुद्धार किया गया/कितनों को बन्द किया गया और कितनों के पुनरुद्धार/बन्द किए जाने का प्रस्ताव है और इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) बन्द की गई इकाइयों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के विकल्पों का ब्यौरा क्या है और अब तक इससे इकाईवार/मिलवार कितने कामगार लाभान्वित हुए हैं और इस पर कितना व्यय हुआ है;

(घ) 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को राज्य-वार कितना लाभ और घाटा हुआ; और

(ङ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के पुनरुद्धार हेतु सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) वस्त्र अनुसंधान संघों ने 8 सहायक निगमों की एनटीसी मिलों का तकनीकी-आर्थिक, अर्थक्षमता अध्ययन पूरा कर लिया है तथा उसे प्रचालन एजेंसियों को प्रस्तुत कर दिया है। प्रचालन एजेंसियों द्वारा तैयार की गयी मसौदा पुनरुद्धार योजनाओं के आधार पर बी आई एफ आर को पुनरुद्धार की जाने वाली तथा बंद की जाने वाली मिलों का अनुमोदन करना है।

(ग) बंद किए जाने के लिए प्रस्तावित एककों के कामगारों को पेश की जा रही आकर्षक वी आर एस/बी एस एस योजना का अनुमोदन कर दिया गया है जिसमें सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 5.5.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(32)/97-डी पी ई (डब्ल्यू सी) में निर्धारित लाभ के अतिरिक्त वी आर एस के अंतर्गत परिकलित किए जाने वाले लाभ में एच आर ए भी जोड़ा गया है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान एनटीसी की प्रत्येक मिल द्वारा अर्जित लाभ और उनके हुए घाटे को मार्च, 2000 के बाद ही परिकलित किया जाएगा।

(ङ) सरकार ने एनटीसी के आठ रुग्ण सहायक निगमों की सभी मिलों के लिए निम्नलिखित व्यापक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है:

(1) कोई एकक पुनरुद्धार योग्य है अथवा गैर-पुनरुद्धार योग्य इसका निर्णय लेने के लिए अलग-अलग एकक का मूल्यांकन किया जाएगा।

(2) सभी पुनरुद्धार योग्य एककों का पुनरुद्धार किया जाएगा।

(3) गैर-पुनरुद्धार योग्य एककों को बंद कर दिया जाएगा तथा कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दिया जाएगा।

सरकार ने वेतन और मजदूरियों का भुगतान करने में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2000-2002 में (अब तक) 410 करोड़ रु. की बजटीय सहायता भी प्रदान की है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का विकास

3856. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी रेलवे स्टेशन के आदर्श रेलवे स्टेशन में परिवर्तन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) क्या सरकार को रेलवे स्टेशनों के विस्तार/आधुनिकीकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(घ) राज्य-वार किन-किन रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया है और इस पर कितना व्यय हुआ है तथा इन स्टेशनों पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ङ) राज्य-वार किन-किन रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने हेतु पहचान की गई और किन-किन सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और 2001-2002 हेतु कितना आबंटन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) शुरूआत में प्रत्येक मंडल के एक महत्वपूर्ण स्टेशन को चयन करने का मानदंड अपनाया गया था। बाद में, कुछ ऐसे और स्टेशनों को भी चुना गया जहाँ यात्री सुख-सुविधाओं को अपग्रेड करना जरूरी समझा गया, अंत में "क" श्रेणी के सभी स्टेशनों को भी कुछ अन्य स्टेशनों, जो विशिष्ट स्थानीय जरूरतों को पूरा कर रहे थे, के साथ शामिल कर लिया गया।

(ख) समय-समय पर रेलवे स्टेशनों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं।

(ग) रेलवे स्टेशनों का विस्तार/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा ये कार्य के संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य सापेक्षतः प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) अब तक 210 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में चुना गया है, जिसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आदर्श स्टेशनों के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

(i) मानक चिह्नों की व्यवस्था, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, स्वतः वेडिंग मशीनें, मोड्यूलर खानपान स्टाल तथा स्वतः मुद्रित टिकट मशीनें;

(ii) प्रतीक्षा कक्षों, विश्राम कक्षों, बुकिंग कार्यालयों तथा शौचालयों में सुधार;

(iii) परिपथन क्षेत्र का विकास;

(iv) अवसंरचना सुविधाओं/यात्री सुख-सुविधाओं की कमियों को दूर करना;

(v) परिपथन क्षेत्र तक ऊपरी पैदल पुल का विस्तार; और

(vi) शिकायतों का कंप्यूटरीकरण।

(च) प्रत्येक आदर्श स्टेशन के लिए कोर्ट निश्चित धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि विशिष्ट सुविधाएं ग्राहक संपर्क प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए हैं। यात्री तथा अन्य रेल उपभोक्ताओं की सुख-सुविधाएं तथा "कंप्यूटरीकरण" योजना शीर्षों के अंतर्गत आवंटित कुल धनराशि से रेलवे को यात्रियों की सुख-सुविधाओं को सुधार करने के लिए धनराशि खर्च करने का प्राधिकार है।

विवरण

"आदर्श स्टेशनों" के रूप में यात्री सुख-सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 210 स्टेशनों की राज्य-वार सूची

राज्य	स्टेशनों के नाम
असम	डिब्रूगढ़ (पू.सी.रे.), गुवाहाटी (पू.सी.रे.), जोरहाट टाउन (पू.सी.रे.), कामाख्या (पू.सी.रे.), कोकरझार (पू.सी.रे.), लम्बडिंग (पू.सी.रे.), न्यू बोंगाई गांव (पू.सी.रे.), न्यू तिनसुकिया (पू.सी.रे.), सिलचर (पू.सी.रे.) (9)
आन्ध्र प्रदेश	गुंतकल (द.म.रे.), गुंटूर (द.म.रे.), हैदराबाद (द.म.रे.), काचेगुडा (द.म.रे.), काकीनाडा (द.म.रे.), नेल्लौर (द.म.रे.) राजमुंदरी (द.म.रे.), सिकंदराबाद (द.म.रे.), तिरुपति (द.म.रे.), विजयवाड़ा (द.म.रे.), विशाखापत्तनम (द.म.रे.), वारंगल (द.म.रे.) (12)

बिहार	बरौनी (पूर्वी. रे.), भागलपुर (पूर्वी. रे.), छपरा (पूर्वी. रे.), दानापुर (पूर्वी. रे.), दरभंगा (पूर्वी. रे.), गया (पूर्वी. रे.), हाजीपुर जं. (पूर्वी. रे.), कटिहार (पू.सी.रे.), मोकामा (पू. रे.), मोतिहारी (पूर्वी. रे), मुजफ्फरपुर (पूर्वी. रे.), नालंदा (पू. रे.), पटना जं. (पू. रे.), समस्तीपुर (पूर्वी. रे.), सिवान जं. (पूर्वी. रे.), सोनपुर (पूर्वी. रे.) (16)
चंडीगढ़	चंडीगढ़ (उ. रे.) (1)
छत्तीसगढ़	बिलासपुर (द.पू.रे.), दुर्ग (द.पू.रे.), रायपुर (द.पू.रे.) (3)
दिल्ली	दिल्ली (उ.रे.), ह. निजामुद्दीन (उ.रे.), नई दिल्ली (उ.रे.) (3)
गुजरात	अहमदाबाद (प. रे.), भरुच (प. रे.), भावनगर (प. रे.), द्वारका (प. रे.), गांधीधाम जं. (प. रे.), राजकोट (प. रे.), सूरत (प. रे.), वड़ोदरा (प. रे.), वलसाद (प. रे.), वापी (प. रे.) (10)
गोआ	मडगांव (द.म.रे), वास्को-डि-गामा (द.म.रे.) (2)
हिमाचल प्रदेश	शिमला (उ. रे.) (1)
हरियाणा	अम्बाला कैंट (उ. रे.), फरीदाबाद (म. रे.), हिसार (उ. रे.), कालका (उ. रे.), रेवाड़ी (उ. रे.) (5)
जम्मू और कश्मीर	जम्मू तवी (उ. रे.), कठुआ (उ. रे.) (2)
झारखंड	चक्रधरपुर (द.पू.रे.), धनबाद (पू.रे.), जसडीह (पू.रे.), मधुपुर (पू.रे.), रांची (द.पू.रे.), टाटानगर (द.पू.रे.) (6)
कर्नाटक	बैंगलूरु कैंट (द. रे.), गुलबर्गा (म. रे.), हासपेट जं. (द.म.रे.), हुबली जं. (द.म.रे.), मंगलौर (द.रे.), मैसूर (द.रे.), रायचूर (द.म.रे.), शिमोगा (द.रे.) (8)
केरल	अलवाय (द.रे.), कालीकट (द.रे.), कन्नौर (द.रे.), चैंगान्नौर (द.रे.), एर्णाकुलम जं. (द.रे.), कोट्टायम (द.रे.), पालघाट जं. (द.रे.), क्यूलोन जं. (द.रे.), त्रिचूर (द.रे.), तिरुवनंतपुरम (द.रे.) (10)
मध्य प्रदेश	भोपाल (म.रे.), ग्वालियर (म.रे.), हबीबगंज (म.रे.), इंदौर (प.रे.), जबलपुर (म.रे.), कटनी जं. (म.रे.), रतलाम (प.रे.), सतना (म.रे.), उज्जैन (प.रे.) (9)
महाराष्ट्र	अकोला (म.रे.), बांद्रा टर्मिनस (प.रे.), भुसावल (म.रे.), चंदरपुर (म.रे.), दादर (म.रे.), दादर (प.रे.), कल्याण (म.रे.), कुर्ला (म.रे.), मुंबई छ.शि.ट. (म.रे.), मुम्बई सेंट्रल (प.रे.), नागपुर (म.रे.), नांदेड़ (द.म.रे.), नासिक रोड (म.रे.), पुणे (म.रे.), सोलापुर (म.रे.), थाणे (म.रे.), वर्धा (म.रे.) (17)
नागालैंड	दीमापुर (पू.सी.रे.) (1)
उड़ीसा	बाडाखंडीटा (द.म.रे.), बालासोर (द.म.रे.), ब्रह्मपुर (द.म.रे.), भुवनेश्वर (द.म.रे.), बिरी (द.म.रे.), कटक (द.म.रे.), धेनकनाल (द.म.रे.), गोलंथरा (द.म.रे.), जाजपुर-क्योंझार रोड (द.म.रे.), कपिलास रोड (द.म.रे.), खोरधा रोड (द.म.रे.), पुरी (द.म.रे.), रहेमा (द.म.रे.), राउरकेला (द.म.रे.), संबलपुर (द.म.रे.), सुर्ला रोड (द.म.रे.) (16)
पांडिचेरी	पांडिचेरी (द.र.) (1)
पंजाब	अमृतसर (उ.रे.), आनंदपुर साहिब (उ.रे.), ब्यास (उ.रे.), भटिंडा (उ.रे.), फिरोजपुर कैंट (उ.रे.), जालन्धर सिटी (उ.रे.), लुधियाना (उ.रे.), पठानकोट (उ.रे.), पटियाला (उ.रे.) (9)
राजस्थान	अबू रोड (उ.रे.), अजमेर (उ.रे.), बीकानेर (उ.रे.), चित्तौड़गढ़ (प.रे.), जयपुर (प.रे.), जोधपुर (प.रे.), कोटा (उ.रे.), उदयपुर (उ.रे.) (8)
तमिलनाडु	चेन्नै सेंट्रल (द.रे.), चेन्नै बीच (द.रे.), चेन्नै इगमोर (द.रे.), कोयम्बटूर (द.रे.), कन्याकुमारी (द.रे.), काटपाडी (द.रे.), मदुरै (द.रे.), मंबालम (द.रे.), सेलम जं. (द.रे.), तिरुचिरापल्ली (द.रे.), तिरुतानी (द.रे.) (11)
त्रिपुरा	धर्मनगर (पू.सी.रे.) (1)
उत्तर प्रदेश	आगरा कैंट (म.रे.), आगरा फोर्ट (प.रे.), अलीगढ़ (उ.रे.), इलाहाबाद, (उ.रे.), अयोध्या (उ.रे.), बादशाह नगर (पूर्वी. रे.), बलिया (पूर्वी. रे.), बरेली (उ.रे.), बस्ती (पूर्वी. रे.) देवरिया सदर (पूवी. रे.), फैजाबाद (उ.रे.), गौंडा जं. (पूर्वी. रे), गोरखपुर (पूर्वी. रे.), इज्जतनगर जं. (पूर्वी. रे.), झांसी (म.रे.), कानपुर सेंट्रल (उ.रे.), लखनऊ (उ.रे.), मऊ जं. (पूर्वी. रे.), मथुरा जं. (उ.रे.), मेरठ सिटी (उ.रे.), मंडुआडीह (पूर्वी. रे.), मुगलसराय (पू.रे.), मुरादाबाद (उ.रे.), रावतपुर (पूर्वी. रे.), सहारनपुर (उ.रे.), टुण्डला (उ.रे.), वाराणसी (उ.रे.) (27)
उत्तरांचल	देहरादून (उ.रे.), हरिद्वार (उ.रे.), काठगोदाम (पूर्वी. रे.) (3)
पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार जं. (पुसी.रे.), आद्रा (द.पू.रे.), आसनसोल (पू.रे.), बंडेल (पू.रे.), बर्धमान (पू.रे.), बोलपुर (पू.रे.), कूच बिहार (पूसी.रे.), दमदम (पू.रे.), दुर्गापुर (पू.रे.), हावड़ा (पू.रे.), खड़गपुर (द.पू.रे.), मालदा टाउन (पू.रे.), मिदनापुर (द.पू.रे.), न्यू अलीपुरद्वार (पूसी.रे.), न्यू जलपाईगुड़ी (पूसी.रे.) नाबाद्वीप धाम (पू.रे.), रानीगंज (पू.रे.), सियालदह (पू.रे.), सोनारपुर (पू.रे.) (19)

एन्नौर पत्तन का उद्घाटन

3857. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन्नौर पत्तन का उद्घाटन हो चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी माल यातायात सम्हलाई क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्तन के कार्य और अधिकार क्षेत्र क्या हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी हाँ,। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के लिए थर्मल कांयला के आयात हेतु 16 मिलियन टन क्षमता की दो कोयला बर्थों का निर्माण किया गया है। इस पत्तन का प्रबंध कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में तेल और गैस की खोज

3858. प्रो. रासासिंह रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज और खुदाई के क्षेत्र में क्या-क्या सफलताएं प्राप्त हुईं;

(ख) क्या धार मरुस्थल में सीमा के साथ-साथ तेल और गैस भंडार मिले हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान में थार मरुस्थल के नए क्षेत्रों में तेल की खोज और खुदाई के संवर्धन का है;

(घ) नई नीति के अंतर्गत राजस्थान में तेल की खोज हेतु कंपनियों को कौन-कौन से क्षेत्र सौंपे गए और स्थान-वार ये कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ङ) क्या खुदाई कार्य आरम्भ हो चुका है; और

(च) यदि हां, तो की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों नामतः आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ एन जी सी) और आयल इंडिया लि. (ओ आई एल) तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा राजस्थान में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-2000 में प्राप्त की गई उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

ओ एन जी सी द्वारा

इस अवधि के दौरान कुल 1203 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जीएलके) 2डी भूकंपीय आंकड़े प्राप्त किए गए और पांच अन्वेषक कूपों और एक विकास कूप का वेधन किया गया जिनमें से तीन कूप गैस वाले पाए गए।

ओ आई एल द्वारा

इस अवधि के दौरान चार अन्वेषक कूपों और तीन विकास कूपों का वेधन किया गया जिनमें से तीन कूप गैस वाले पाए गए।

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा

इस अवधि के दौरान कुल 1410 लाइन किलोमीटर का 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया और दो अन्वेषक कूपों का वेधन किया गया जिनमें से एक में तेल की खोज हुई। तथापि, यह खोज संविदाकारों द्वारा "स्टैंड-अलोन आधार पर" वाणिज्यिक नहीं मानी गई है।

(ख) दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों नामतः ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा किए गए अन्वेषक प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान में 11.34 बी सी एम गैस और 14.6 एम एम टी भारी तेल के स्थानिक हाइड्रोकार्बनों का होना सिद्ध हुआ है।

(ग) नौवीं योजना के अंतिम दो वर्षों अर्थात् 2000-01 और 2001-02 के दौरान ओ एन जी सी की राजस्थान में 400 जी एल के भूकंपीय आंकड़े प्राप्त करने और एक विकास कूप का वेधन करने की योजना है। वर्तमान वर्ष में ओ आई एल ने एक अन्वेषक कूप का वेधन किया है जो गैस वाला सिद्ध हुआ था। इसके अतिरिक्त उक्त राज्य में अन्वेषक प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी नीति के भाग के रूप में भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई एल पी) के प्रथम दौर में राजस्थान राज्य में चार ब्लाक और दूसरे दौर में एक ब्लाक का प्रस्ताव किया है।

(घ) राजस्थान राज्य में अब तक एन ई एल पी के तहत कंपनियों को कोई ब्लाक प्रदान नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पर्यटकों की यात्रा

3859. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और अब तक भारत की यात्रा करने वाले किन-किन देशों के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों के पर्यटक कम संख्या में भारत की यात्रा पर आए;

(ग) क्या इन देशों से पर्यटकों को भारत की यात्रा करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) वे देश जहां से अधिकाधिक पयर्टक भारत आते हैं वहां से वर्ष 1998, 1999 और 2000 (जनवरी से सितम्बर) के दौरान भारत के लिए पर्यटक आगमन के प्रतिशत में हुई वृद्धि/गिरावट संलग्न विवरण में दर्शाए गई है।

(ग) और (घ) विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय भारत में और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए बहुत से संवर्धनात्मक कार्यकलाप करते हैं जिनमें प्रिंट मीडिया और इंटरनेट पर विज्ञापन देना, ब्रोशर सहायता, यात्रा उद्योग के साथ संयुक्त संवर्धनात्मक कार्यक्रम, यात्रा मेलों में भाग लेना, सेमिनार, कार्यशालाओं, भारतीय कार्यक्रमों, श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों का आयोजन आदि शामिल है।

विवरण

पिछले वर्ष की इसी समयावधि की तुलना में पर्यटक आगमन की वृद्धि दर (प्रतिशतता)

क्र.सं.	देश	1998	1999	2000 (जनवरी से सितम्बर)
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	+0.2	+3.0	+20.9
2.	कनाडा	+2.0	+3.5	+32.0
3.	आस्ट्रेलिया	+14.1	+26.4	+30.3
4.	इजराइल	+4.7	+11.0	+3.3
5.	दक्षिण कोरिया	+6.0	+17.6	+9.0
6.	जर्मनी	−11.3	−9.5	0.1
7.	जापान	−10.2	−11.4	−5.2
8.	नेपाल	−11.5	−32.3	−2.9
9.	यूनाइटेड किंगडम	+1.6	−8.3	−3.3
10.	श्रीलंका	−3.1	+1.5	+5.8
11.	फ्रांस	+7.1	−12.3	+4.6
12.	सिंगापुर	+4.5	−1.9	−8.5
13.	मलेशिया	−21.4	+10.8	+7.6
14.	इटली	+0.4	−6.3	+5.2
15.	नीदरलैंड	+20.9	−10.0	−4.8
16.	स्विट्जरलैंड	+5.2	+4.4	−6.3
17.	बेल्जियम	+5.2	+11.8	−5.3
18.	दक्षिण अफ्रीका	−8.2	+17.2	+8.9
19.	स्पेन	+10.5	−6.4	−4.6
20.	स्वीडन	−1.1	+16.2	−9.6
21.	केन्या	+13.4	−1.4	−3.8
22.	आस्ट्रिया	+11.3	+4.6	−15.3
23.	न्यूजीलैंड	+29.0	+24.5	−23.0
24.	संयुक्त अरब अमीरात	−24.4	+11.9	+27.6
25.	मारीशस	+18.4	+20.9	−10.8

कारगिल संघर्ष में मारे गए सैनिकों की विधवाओं/उसके परिवारों को रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल पंपों का आबंटन

3860. श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री जय प्रकाश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक विशेष योजना के अंतर्गत कारगिल शहीदों के आश्रितों/निकट संबंधियों को रसोई गैस/पेट्रोल-डीजल और केरोसीन बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो रक्षा मंत्रालय ने कुल कितने व्यक्तियों की सिफारिश की थी और 31 दिसंबर, 2000 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्तियों को ऐसे बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए और कितनों को अभी आबंटित किए जाने बाकी हैं; और

(ग) बाकी व्यक्तियों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप कब तक आबंटित की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने "आपरेशन विजय" (कारगिल) में कार्रवाई के दौरान शहीद हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। इस योजना के अधीन आबंटन रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर और तेल कंपनियों द्वारा किए गए स्थानों के व्यवहार्यता अध्ययनों के बाद किए जाते हैं।

पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस योजना के अधीन आबंटन के लिए 466 व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की है जिनमें से पुनर्वास महानिदेशालय की सलाह पर एक व्यक्ति का मामला लंबित रखा गया है। अब तक सरकार द्वारा 416 व्यक्तियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन का अनुमोदन कर दिया गया है।

[अनुवाद]

मुंबई में ऊर्जा उपयोग पर सम्मेलन का आयोजन

3861. श्री जी.एस. बसवराज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 2000 के दौरान मुम्बई में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर द्वारा ऊर्जा के सतत उपयोग पर कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) इस सम्मेलन में कितने विदेशी विशेषज्ञों ने भाग लिया;

(ग) इस सम्मेलन में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और इस चर्चा के दौरान क्या सिफारिशें की गईं; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हाँ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार भविष्य को संचालन के लिए इस सम्मेलन में लगभग 45 ऊर्जा विशेषज्ञों तथा विश्व के विभिन्न भागों से 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

(ग) इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दे जिन पर विचार हुआ है, ये हैं :

- ऊर्जा विकास तथा पर्यावरणीय संकट।
- स्वच्छ ऊर्जा विकास की लागत तथा उसके दीर्घकालिक लाभ।
- वैश्वी अभिरक्षणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण विकास के लिए रणनीति योजनाएं।
- जैव ईंधन तथा ऋतु परिवर्तन।
- नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा समाधान।
- जैव ईंधनों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव में कमी लाने के लिए प्रोन्नत प्रौद्योगिकियां।
- विभाजित ऊर्जा प्रौद्योगिकियां।
- विकासशील देशों विशेषकर भारत में नवीकरण ऊर्जा विकास की सशक्यता।
- अभिरक्षणीय परिवहन विकास।
- प्रणालियां बनाने में ऊर्जा दक्षता।
- ग्राम ऊर्जा विकास।

इस सम्मेलन का समापन मुम्बई घोषणा जारी करने के साथ हुआ। घोषणा की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) इस सम्मेलन का कार्यवृत्त विद्युत मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

मुंबई घोषणा

- यह प्रायः सर्वविदित है कि मानवता दो मुख्य संकटों का सामना कर रही है पहला ऊर्जा की खराब स्थिति तथा दूसरा पर्यावरण की बढ़ रही खराब स्थिति।
- यह स्पष्ट है कि पर्यावरण के विनाश का बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादन, परिवहन तथा जैव ईंधन जैसे सापेक्ष गैर-नवीकरणीय संसाधनों की खपत से संबंधित है।
- 6.1 बिलियन लोगों में से 4.9 बिलियन व्यक्ति विकासशील विश्व में रह रहे हैं और घट रहे ऊर्जा संसाधनों की अप्रत्याशित समस्या का सामना कर रहे हैं।
- दक्षिण में कम से कम 2 बिलियन व्यक्ति ऊर्जा शरणार्थी हैं जो लकड़ी की आग पर जीवित हैं जिससे एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के देशों में महिलाओं का अधिकांश जीवन काल उपयुक्त हो रहा है।
- इसी के साथ-साथ विश्व के इन हिस्सों में वन तथा वृक्ष आवरण बहुत तेजी से कम हो रहे हैं जो इन लोगों को इस कगार की ओर धकेल रहा है।

II

- यह जानते हुए कि जैव ईंधन से संबंधित वैश्वीय स्थिति सिकुड़ रही है तथा अधिकांश तथा लोग परमाणु विद्युत की भर्त्सना कर रहे हैं।
- जानते हुए कि वैश्वीय तथा स्थानीय पर्यावरण की वर्तमान भयानक स्थिति पहले से करोड़ों लोगों की जिन्दगी असहनीय बना रही है।
- यह विश्वास करते हुए कि वर्तमान स्थिति लम्बे समय के लिए बनी नहीं रह सकती।
- हमने धारणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अन्त पर यह मुम्बई घोषणा तैयार की है।
- इस सम्मेलन के निष्कर्ष के रूप में हम इस घोषणा में पहले-पहले विकासशील देशों में तथा कालातीत समूचे विश्व में नवीकरणीय संसाधनों का दोहन करने के लिए अभिरक्षणीय विकास के लिए 21वीं सदी में मानवता के लिए मार्ग बनाने पर बल दिया गया है।
- पहले से ही अनेक देशों तथा संगठनों ने बायो गैस संयंत्रों सौर ऊर्जा प्रणालियों फाटोवोल्टिक तथा सोलर कुकर ड्रायर आदि जैसी अन्य साधारण सौर प्रणालियों के विकास के कार्य को हाथ में लिया हुआ है।
- बायो गैस संयंत्रों तथा वायु फार्म आदि जैसे विश्व प्रसिद्ध विकसित किए जा रहे अग्रणी अन्य ऊर्जा संसाधन हैं।
- सोलर विद्युत सैटेलाइट तथा लूनॉर विद्युत सैटेलाइट के क्षेत्र के लिए अनुसंचालन एवं विकास करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय संसाधनों में भू-ताप विद्युत ज्वार विद्युत आदि समाविष्ट है।

III

- इसलिए हम नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यों से संबंधित वैश्वीय तथा राष्ट्रीय नीतियों की संस्तुति करते हैं तथा साथ ही साथ पर्यावरणीय सुरक्षा भी सुनिश्चित कराना चाहते हैं।
- इस प्रयोजन के लिए इन सभी संबंधित क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य अंतर्राष्ट्रीय अधिकरणों, सरकारी, व्यापार तथा उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश अपेक्षित हैं।

- लघु तथा अभिरक्षणीय ऊर्जा विकास परियोजनाओं के विकासार्थ जन आंदोलन होना चाहिए।
- प्राथमिकता स्थापित करके ऊर्जा सरंक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा के सभी रूपों के लिए विश्व के लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रेरित करने से संबंधित मद अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

अंततः भू लोक के 30% लोगों को ऊर्जा विहीन रहने से सुरक्षित करना है।

निष्कर्ष

अब कई शताब्दियों से अनेक व्यक्ति जो ऊर्जा शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं ज्यामितिय तरीके से कम हो रहे यह पहचानते हुए कि जीवित रहने, विकास तथा प्रगति के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण है इसलिए मानवता की यह मौलिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक देश में समूचे भू लोक पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बड़े पैमाने पर विकास किया जाए। परिस्थिति गंभीर तथा चिंताजनक है और हाल की वर्तमान दर पर यह प्रवृत्ति चलती रही तो हम किसी अप्रत्याशित विनाश का सामना करेंगे। अतः हमारी केवल वर्तमान पीढ़ी के प्रति ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी जिम्मेवारी है। अभिरक्षनीय ऊर्जा के विकास के कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर हमें अपने बच्चों के स्वप्न को साकार करना है ताकि जब हम चले जाएं हमारे पीछे इस सुदर वसुंधरा पर रहने वाले एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।

[अनुवाद]

नए पत्तनों के विकास में निजी भागीदारी

3862. श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नए पत्तनों के विकास में निजी भागीदारी पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मध्यम आकार और छोटे आकार के पत्तनों का विकास इस प्रकार किया जाएगा कि वे प्रमुख पत्तनों की श्रेणी में आ जाएं; और

(ग) यदि हाँ, तो नए पत्तनों के विकास में निजी भागीदारी से कार्य-कुशलता किस सीमा तक सुधर जाएगी?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

किराये में रियायतें

3863. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों को रेल किराये में दी जाने वाली रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों ने इन रियायतों का लाभ उठाया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

विभिन्न कोटियों के लिए रेल किराए में इस समय अनुमेय रियायत का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	व्यक्तियों की कोटियां	रियायत घटक			
		एकल यात्रा टिकट		सीजन टिकट	
		प्रथम	द्वितीय/स्लीपर	प्रथम	द्वितीय
1.	शारीरिक रूप से विकलांग/अधरंगघाती व्यक्ति, एक सहचर के साथ (दोनों) किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते समय	II स्लीपर, I वातानुकूल कुर्सीयान एवं वातानुकूल 3-टियर में 75% तथा वातानुकूल 2-टियर एवं वातानुकूल I में 50%		50%	50%
2.	अकेले अथवा किसी सहचर के साथ यात्रा करते हुए अंधे व्यक्ति (दोनों के लिए) किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते समय	75%	75%	50%	50%
3.	किसी सहचर के साथ यात्रा करते हुए मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति (दोनों के लिए) किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते समय	75%	75%	50%	50%

	व्यक्तियों की कोटियां	रियायत घटक			
		एकल यात्रा टिकट		सीजन टिकट	
		प्रथम	द्वितीय/स्लीपर	प्रथम	द्वितीय
4.	बधिर एवं मूक व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों रोग एक साथ) किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते समय	50%	50%	50%	50%
5.	अकेले अथवा किसी सहचर के साथ यात्रा करते हुए कैंसर रोगी (दोनों के लिए) उपचार/आवधिक जांच के लिए	75%	75%	–	–
6.	अकेले अथवा किसी सहचर के साथ यात्रा करते हुए क्षय रोग/लूपास वैलगैरिस के रोगी (दोनों के लिए) उपचार/आवधिक जांच के लिए	75%	75%	–	–
7.	असंक्रामक कुष्ठ रोगी-उपचार/आवधिक जांच के लिए	75%	75%	–	–
8.	अकेले अथवा किसी सहचर के साथ यात्रा करते हुए थलेजिमिया रोगी (दोनों के लिए) उपचार/आवधिक जांच के लिए	75%	75%	–	–
9.	हृदय शल्य चिकित्सा के लिए अकेले अथवा किसी सहचर के साथ यात्रा करते हुए हृदय रोगी (दोनों के लिए)	75%	75%	–	–
10.	ओस्टमी रोगी-किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते हुए	–	–	50%	50%
11.	पुरुष के मामले में न्यूनतम 65 वर्ष और स्त्री के मामले में न्यनूतम 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक-किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते हुए	सभी श्रेणियों और राजधानी/ शताब्दी गाड़ियों में 30%		–	–
12.	60 वर्ष की आयु होने के बाद, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने वाले-किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते हुए	सभी श्रेणियों और राजधानी/ शताब्दी गाड़ियों में 30%		–	–
13.	श्रम पुरस्कार विजेता-उत्पादकता एवं नवविचार के लिए प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार के विजेता औद्योगिक श्रमिक-किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते हुए	–	75%	–	–
14.	राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षक-किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते हुए	–	50%	–	–
15.	राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों के साथ चलने वाले मां-बाप दोनों प्राप्त करने वाले में से एक-किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते हुए	–	50%	–	
16.	युद्ध विधवाएं-किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते हुए	–	75%	–	
17.	श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान मारे गए भारतीय शांति सेना कार्मिकों की विधवाएं-किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते हुए	–	75%	–	–
18.	आतंकवादियों और चरमपंथियों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे गए पुलिस कार्मिकों की विधवाएं-किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते हुए	–	75%	–	–
19.	1999 के दौरान कारगिल में विजय अभियान के शहीदों की विधवाएं-किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करते हुए	–	75%	–	–
20.	सदाशयी विद्यार्थी-				
	(i) 25 वर्ष की आयु तक और		50%	50%	50%
	(ii) अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों के मामले में 27 वर्ष की आयु तक -गृह नगर जाने और शैक्षणिक दौरों के लिए	–	75%	75%	75%

	व्यक्तियों की कोटियां	रियायत घटक			
		एकल यात्रा टिकट		सीजन टिकट	
		प्रथम	द्वितीय/स्लीपर	प्रथम	द्वितीय
21.	भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थी-भारत सरकार द्वारा आयोजित कैंपों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए और अवकाश के दौरान ऐतिहासिक एवं अन्य महत्व के स्थानों पर जाने के लिए भी	–	50%	–	–
22.	35 वर्ष की आयु तक के शोध विद्वान-शोध कार्य से जुड़ी यात्राओं के लिए	–	50%	–	–
23.	निम्नलिखित राष्ट्रीय एकता कैंपों में भाग वाले युवा :				
	(क) राष्ट्रीय युवा परियोजना	–	50%	–	–
	(ख) मानव उत्थान सेवा समिति	–	40%	–	–
24.	कार्य कैंपों में भाग लेने वाले विद्यार्थी और गैर-विद्यार्थी	–	25%	–	–
25.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम के लिए साक्षात्कार देने के लिए बेरोजगार युवक	–	50%	–	–
26.	मर्केंटाइल मैरीन के लिए नौसंचालन/इंजीनियरी प्रशिक्षण ले रहे कैडेट और मैरी इंजीनियरी प्रशिक्षु-घर और प्रशिक्षण जहाज के बीच यात्रा के लिए	–	50%	–	–
27.	भारत स्काउट एवं गाइड-स्काउट ड्यूटी के लिए	–	50%	–	–
28.	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शैक्षणिक दौरों के लिए	–	25%	–	–
29.	किसान और औद्योगिक श्रमिक-कृषि/औद्योगिक प्रदर्शनियों में जाने के लिए	–	25%	–	–
30.	सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष गाड़ियों में यात्रा करने वाले किसान	–	33%	–	–
31.	निम्नलिखित वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि :				
	(i) भारत कृषक समाज और	–	50%	–	–
	(ii) सर्वोदय समाज, वरधा				
32.	सामाजिक/सांस्कृतिक/शैक्षणिक महत्व के कतिपय अखिल भारतीय निकायों के वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि	–	25%	–	–
33.	नर्सें एवं दाइयां-छुट्टी और ड्यूटी के लिए	–	25%	–	–
34.	सेंट जोन अम्बुलैंस ब्रिगेड एंड रिलीफ वेलफेयर अम्बुलैंस कार्पोरेशन, कोलकाता के सदस्य-अम्बुलैंस कैंपों/प्रतियोगिताओं के लिए	–	25%	–	–
35.	भारत सेवा दल, बेंगलूरु-कैंपों/बैठकों/रैलियों/ट्रैकिंग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए	–	25%	–	–
36.	सर्विस सिविल इंटरनेशनल के स्वयंसेवक सामाजिक सेवा के लिए	–	25%	–	–

	व्यक्तियों की कोटियां	रियायत घटक			
		एकल यात्रा टिकट		सीजन टिकट	
		प्रथम	द्वितीय/स्लीपर	प्रथम	द्वितीय
37.	कलाकार-प्रदर्शन के लिए	50%	75%	–	–
38.	निम्नलिखित में भाग लेने वाले खिलाड़ी :				
	(i) अखिल भारतीय और राज्य प्रतियोगिताएं	50%	75%	–	–
	(ii) राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं	75%	75%	–	–
39.	आईएमएफ द्वारा आयोजित पर्वतारोहण अभियानों में भाग लेने वाले व्यक्ति	50%	75%	–	–
40.	प्रेस कार्य के लिए भारत सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/जिलों के मुख्यालयों से अधिकृत प्रेस संवाददाता	सभी श्रेणियों के टिकटों के लिए कूपन पुस्तकें वैध हैं जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 कि.मी. की यात्रा तक 50% की छूट दी जाती है।		–	–
41.	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 400 रुपए प्रति माह से कम आय वाले व्यक्ति-अधिकतम 100 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए	–	–	–	15 रुपए

पेट्रोलियम उत्पादों पर ढुलाई प्रभारों में वृद्धि का प्रभाव

3864. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय रेल विभाग द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के ढुलाई प्रभारों में की गई वृद्धि के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक समिति के गठन पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ढुलाई प्रभारों में वृद्धि के मद्देनजर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

असम के तेल क्षेत्रों को संयुक्त उद्यम की परियोजनाओं में देने का प्रस्ताव

3865. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के तेल क्षेत्रों के कुछ खंडों को संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विदेशी निवेश आमंत्रित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के दूसरे दौर में असम राज्य में लगभग 6215 वर्ग किमी. का एक ब्लाक अर्थात् एएस-ओएनएन-2000/1 तेल और गैस के अन्वेषण के लिए बोली हेतु प्रस्तावित किया गया है। एन ई एल पी जिसका उद्देश्य निजी पक्षकारों से अधिक निवेश आकर्षित करना है, के तहत निजी पक्षकार, विदेशी कंपनियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की और निजी कंपनियां एकल रूप से या अनिगमित अथवा निगमित संयुक्त उद्यम के माध्यम से अन्य कंपनियों के सहयोग से बोली देने के लिए स्वतंत्र हैं।

तेल क्षेत्र का विकास

3866. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल क्षेत्र में एक समान विकास सुनिश्चित करने में तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ आई डी बी) की कोई भूमिका है;

(ख) यदि हाँ, तो लाभप्रद पेट्रोलियम क्षेत्र हेतु दिशानिदेशन, सहायता और नीतियां तैयार करने में ओ आई डी बी की क्या भूमिका है;

(ग) क्या ओ आई डी बी ने देश की तेलशोधन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार तेल अर्थव्यवस्था के सकारात्मक योगदान के लिए ओ आई डी बी को अग्रिम कार्यवाही करने वाला तंत्र बनाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 (1) और तदन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ आई डी बी) ऐसे ढंग से ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी उपायों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और अन्य सहायता देगा, जो उसके विचार में तेल उद्योग के विकास के लिए अनुकूल हों। इसके द्वारा यह भूमिका निभाई जा रही है। ओ आई डी बी द्वारा ऋणों और अनुदानों के रूप में पूर्वेक्षण, उत्पादन, परिशोधन इत्यादि जैसे क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह बोर्ड सरकार को ऐसे निवेश और सहायता भी उपलब्ध कराता है जिनकी नीति निर्माण और क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता होती है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में भर्तियां

3867. श्री के.पी. सिंह देव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों में तदर्थ भर्तियां की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए श्रेणी-वार क्या मापदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में भी तदर्थ भर्तियां करने पर विचार कर रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 की अधिनियम सं. 31) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) इसे अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए भाखड़ा नांगल एवं ब्यास परियोजना कार्यों के प्रशासन, प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य देखता है जिसके लिए स्टाफ की व्यवस्था साझेदार राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा स्थानान्तरण आधार पर की जाती है। संबंधित साझेदार राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अपेक्षित स्टाफ नहीं उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में बीबीएमबी केन्द्रीय स्टाफ सलेक्शन कमीशन के जरिए सीधी भर्ती भी कराता है, जैसा कि बीबीएमबी वर्ग-III एवं IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1994 में प्रावधान किया गया है। बीबीएमबी ने सूचना दी है कि स्टाफ के विभिन्न समूहों के लिए पिछले तीन वर्षों में कोई तदर्थ भर्ती नहीं की गई तथा भविष्य में भी ऐसी तदर्थ भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज

3868. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुडा-ख स्थान पर तेल की खोज के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाला तेल पाया गया जो 4000 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है;

(ख) क्या आरंभिक परीक्षण से यह पता चला है कि इस कुएं से प्रतिदिन 2,000 बैरल तेल का उत्पादन हो सकता है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या गुडा-ख स्थित तेल विमानन कार्य के लिए उपयुक्त है, जिसका आयात हम भारी विदेशी मुद्रा निवेश द्वारा कर रहे हैं;

(घ) क्या देश के मौजूदा तेलशोधक कारखानों में पश्चिमी राजस्थान के अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे तेल के शोधन कार्य हेतु आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बाड़मेर में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) राजस्थान के बाड़मेर जिले में अन्वेषण ब्लाक आरजे-ओ एन-90/1 में कूप सं. गुडा # 2 पर अच्छी गुणवत्ता वाला तेल (38° ए पी आई) पाया गया था। वर्तमान आंकड़ों का निर्वचन रिजर्वायर का सीमित होना निर्दिष्ट करता है।

(ख) परीक्षण के दौरान इस कूप ने लगभग 2070 बैरल प्रतिदिन की दर से प्रवाहित किया।

(ग) यह कूप कच्चे तेल का उत्पादन करता है जबकि विमानन ईंधन एक परिशोधित पेट्रोलियम उत्पाद है।

(घ) आज की तारीख में यह खोज "अपनी तरह की अकेली" आधार पर वाणिज्यिक नहीं समझी जाती है।

(ङ) और (च) उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शिमोगा-दावणगेरे रेलमार्ग का निर्माण

3869. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमोगा से होन्नाली और हरिहर होते हुए दावणगेरे तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार ने सर्वेक्षण के आधार पर क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू-कश्मीर में सेना की भर्ती में दलालों का लिप्त होना

3870. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'द टाइम्स आफ इंडिया' में दिनांक 13 जनवरी, 2001 को प्रकाशित समाचार के क्रम में इस बात की जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर में समय-समय पर विभिन्न भागों में होने वाली सेना की भर्ती से दलाल ग्रामीण युवकों को सेना में सिपाही की नौकरी दिलाने के लिए फुसलाकर उनसे 25,000 से लेकर 40,000 रुपये तक ऐंठ रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) सरकार को इस रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) सेना भर्ती के लिए उम्मीदवारों, उनके माता-पिता तथा संरक्षकों को दलालों से बचने के लिए चेताती रही है। मीडिया को भी इस विषय में समय-समय पर युवाओं को सजग करने के लिए कहा जाता है।

1 अप्रैल, 1998 से लागू की गई नई भर्ती प्रक्रिया के तहत, सभी भर्तियां खुली भर्ती रैलियों द्वारा की जाती हैं। स्थानीय शाखा भर्ती कार्यालय उस भर्ती दल में शामिल नहीं रहता जो भर्ती रैलियां आयोजित करता है। भर्ती दल का गठन अन्य शाखा भर्ती कार्यालयों से किया जाता है। भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र सदस्यों को लगाया जाता है। यह प्रणाली निष्पक्ष, खुली और पारदर्शी है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की लंबित परियोजनाएं

3871. श्री उत्तमराव पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में महाराष्ट्र की कौन-कौन सी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) आज की तारीख में महाराष्ट्र राज्य में शुरू करने के लिए कोई परियोजना लंबित नहीं है। सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संग्रहालय में बहुमूल्य वस्तुओं के स्थान पर नकली वस्तुओं का रखा जाना

3872. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुओं के स्थान पर नकली वस्तुएं रख दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले की जांच के लिए सरकार ने किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय की कला कृतियों के सत्यापन के लिए वर्ष 1996 में भौतिक सत्यापन समिति का गठन किया है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने वर्ष 1997 में अपने सम्मुख दायर एक जनहित याचिका के आधार पर यह निर्देश दिया था कि इस समिति की रिपोर्टें उन्हें नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएं। इस तरह, माननीय उच्च न्यायालय इस पहलू का बारीकी से और नियमित रूप से अनुवीक्षण कर रहा है। भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट माननीय न्यायालय को नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है और वास्तव में, हाल में दिसम्बर, 2000 में न्यायालय ने उपरोक्त याचिका का निपटान कर दिया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत निधियां

3873. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 146 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना हेतु राज्य-वार कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार की ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 1999-2000 के दौरान 4678.20 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की है। स्वीकृत ऋण राशि को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुमोदित स्कीमों को दो से तीन वर्ष की अवधि में पूरा करने का कार्यक्रम है।

विवरण

1999-2000 के दौरान आर.ई.सी. द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	105	44726
2.	अरूणाचल प्रदेश	33	3014
3.	असम	–	–
4.	बिहार	0	0
5.	दिल्ली	0	0
6.	गोवा	4	229
7.	गुजरात	50	35416
8.	हरियाणा	75	21131
9.	हिमाचल प्रदेश	17	12261
10.	जम्मू एवं कश्मीर	17	8914
11.	कर्नाटक	169	51531
12.	केरल	146	38894
13.	मध्य प्रदेश	98	11399
14.	महाराष्ट्र	214	53167
15.	मणिपुर	13	4187
16.	मेघालय	–	10000
17.	मिजोरम	3	801
18.	नागालैंड	–	–
19.	उड़ीसा	–	1900
20.	पंजाब	57	48459
21.	राजस्थान	131	51936
22.	सिक्किम	0	0
23.	तमिलनाडु	149	30110
24.	त्रिपुरा	12	2025
25.	उत्तर प्रदेश	86	37723
26.	पश्चिम बंगाल	–	–
	कुल	1379	467820

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी.

3874. डा. बलिराम : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने सरकार द्वारा बड़ी परियोजनाओं की लागत के संबंध में तैयार किए गए आकलनों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तैयार किए गए आकलनों को एनटीपीसी किस प्रकार औचित्यपूर्ण नहीं मान रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त के मद्देनज़र प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

एनटीपीसी और एनएचपीसी द्वारा कार्यान्वित विद्युत परियोजनाएं

3875. श्री राजीव प्रताप रुडी : यह **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु स्वीकृत नई विद्युत परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं किए जाने के कारण कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो लम्बित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन्हें कौन-कौन से वर्ष में अनुमोदित किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ परियोजनाओं को बंद करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी औचित्य सहित ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त के मद्देनज़र प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात हेतु नए बाजार

3876. प्रो. दुखा भगत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद ने सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात हेतु विश्व में नए बाजार का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो ये बाजार कौन-कौन से हैं और इन बाजारों को कितने मूल्य के सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह परिषद् केवल चुनिंदा निर्यातकों की ही सहायता करती है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) भारत के सिले-सिलाये परिधान, विश्व के सौ से भी अधिक देशों को निर्यात किये जाते हैं। तथापि, यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के अपैरल उत्पादकों के प्रमुख बाजार हैं। अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद्, निर्यात संवर्द्धन क्रियाकलाप कर रही है जैसे विदेशी प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना, विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, मौजूदा बाजारों को सुगठित बनाने व नए बाजारों का पता लगाने की दृष्टि से व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलों को प्रायोजित करना। वर्ष 2000-01 में परिषद द्वारा शुरू किए गए संवर्धनात्मक गतिविधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(1) जून, 2000 के दौरान नीदरलैंड, यू.के. और फ्रांस में क्रेता-विक्रेता बैठक।

(2) अक्तूबर, 2000 के दौरान यू.एस.ए. और कनाडा में क्रेता-विक्रेता बैठक।

(3) मार्च, 2001 के दौरान चिली, ब्राजील व वेनेजुएला में क्रेता-विक्रेता बैठक।

(4) फरवरी, 2001 के दौरान आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में क्रेता-विक्रेता बैठक।

(5) अगस्त, 2000 में लास वेगास, यू.एस.ए. में WWD मैजिक मेला।

(6) जुलाई, 2000 और जनवरी, 2001 के दौरान हाँगकाँग में हाँगकाँग फैशन सप्ताह।

(ख) इन देशों के निर्यात-वार आँकड़े नीचे दिए गए हैं :

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डालर में)

देश	2000 में निर्यात
यूएसए	2064.00
कनाडा	249.00
नीदरलैंड	249.00
यूके	432.06
फ्रांस	408.37
चिली	211012
ब्राजील	8077
वेनेजुएला	5064
आस्ट्रेलिया	50.54
न्यूजीलैंड	12.34
हाँगकाँग	14.40

(ग) और (घ) जी, नहीं। परिषद उन सभी पंजीकृत निर्यातकों को सहायता करती है जो कि परिषद के सदस्य होते हैं क्योंकि इसमें सभी सदस्य निर्यातक भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। परिषद समाचार-पत्रों और ए.ई.पी.सी. पाक्षिक पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराती है जिनमें इन गतिविधियों के ब्यौरे दिए जाते हैं तथा इसलिए परिषद इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों को अवसर प्रदान करती है। परिषद के निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों में सहभागिता पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होती है।

[अनुवाद]

उद्योग में सबसे अधिक विद्युत शुल्क

3877. श्री विकास चौधरी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग क्षेत्र में विद्युत शुल्क विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत के पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भागों में उद्योग में प्रति यूनिट विद्युत शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सबसे अधिक शुल्क के कारण उद्योग शनैः-शनैः अपने संसाधनों से विद्युत उत्पादन करने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत में कितनी वृद्धि हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) भारत में औद्योगिक टैरिफ 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट तक होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से यह लगभग 8 सैट प्रति यूनिट है वहीं अन्य देशों का औद्योगिक टैरिफ 3 से 5 सैट तक होता है।

(ख) देश में विभिन्न राज्यों द्वारा उद्योगों से प्रभारित टैरिफों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना का एक कारण ग्रिड का उच्च औद्योगिक टैरिफ है। अन्य कारण है निरंतर सतत् और गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत की वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विद्युत की अनुमानित औसत दर दर्शाने वाला विवरण (15.3.2001 के अनुसार)

(दरें पैसे/कि.वा.घं. में)

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	लघु उद्योग 10 एच पी 25% एन एफ (1361 कि. वाट) माह	मध्यम उद्योग 50 मे.वा. L.F. (14600 KW) माह	बड़े उद्योग 1000 KW 65 LF C 4745000 KW माह	भारी उद्योग (11 के.वी) 1000 KW 60% LF 458000 Kwh/ माह	भारी उद्योग (33KV) 15000 KW, 50 LF 5475000 Kwh/ माह
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश (एपी ट्रांस्को)	04-06-2000	414.69	439.88	438.15	491.05	501.39
2.	असम	01-09-98	284.26 U 139.76 R	321.60	352.79	365.71	373.72
3.	बिहार	01-07-93	157.09	140.54	211.99	214.58	212.07
4.	गुजरात	22-12-2000	606.65	665.44F	718.68	758.96	770.10
5.	हरियाणा	01-01-2001	461.00	461.00	444.00	444.00	432.00
6.	हिमाचल प्रदेश	01-05-2000	222.00	247.00	272.00	272.00	268.25
7.	जम्मू व कश्मीर	01-04-99	164.70	164.70	164.70	164.70	–
8.	कर्नाटक	21-12-2000	341.32	406.65	446.65	459.17	467.44
9.	केरल	01-02-98	177.57	171.64	182.97	186.00	–
10.	मध्य प्रदेश	01-03-99	227.60	396.20	434.59	437.71	427.23
11.	महाराष्ट्र	01-05-2000	335.23	360.53	429.85	436.36	–
12.	मेघालय	01-09-96	149.49	168.43	156.07	157.83	–
13.	उड़ीसा (ग्रिडको)	01-12-98	245.00	290.00	325.02	333.73	344.64
14.	पंजाब	29-07-98	240.00	258.00	290.00	290.00	281.75
15.	राजस्थान	01-11-99	339.00	372.00	395.00	395.00	393.06
16.	तमिलनाडु	07-01-2000	234.53				
	चेन्नई मेट्रो			416.42	406.55	420.30	418.27
	नॉन-मैट्रो			405.92	396.05	409.80	407.77
17.	उत्तर प्रदेश	09-08-2000	411.04	409.16	431.23	433.92	419.30
18.	पश्चिम बंगाल	26-01-99	336.56 U 313.57 R	407.46	377.48	370.73	370.37
19.	अरूणाचल प्रदेश	01-03-93	185.00	195.00	250.00	250.00	–
20.	गोवा	01-03-99	225.00	286.85	337.79	348.52	354.64
21.	मणिपुर	18-03-2000	162.20	220.20	213.18	213.36	215.43
22.	मिजोरम	01-03-2000	242.65	200.00	200.00	200.00	200.00
23.	नागालैंड	01-12-95	250.00	275.00	275.00	275.00	–
24.	सिक्किम	01-05-99	201.63	135.12	149.44	151.21	–

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	01-04-99	140.00	190.00	—	—	0.00
26.	अंडमान निकोबार	01-04-98	215.30	228.63	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	01-02-2001	278.00	318.00	371.00	371.00	360.20
28.	दादर व नगर हवेली	01-02-87	170.10	170.36	180.86	181.85	—
29.	दमन व दीव	01-04-98	210.00	224.18	234.35	236.06	—
30.	दिल्ली	01-04-97	362.88	362.88	401.93	405.18	404.50
	(एन डी एम सी)	01-04-97	381.82	381.82	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	01-04-2000	450.00	450.00	—	—	—
32.	पांडिचेरी	01-06-2000	188.36	193.92	235.93	244.78	—
33.	अहमदाबाद	26-02-98	355.74	386.98	405.79	409.12	—
34.	कलकत्ता (सीईएसएसी)	20-10-98	377.01	425.50	424.12	427.14	422.80
35.	डी.वी.सी.	01-09-2000	—	—	296.72	304.63	311.19
			—	—	312.68	321.19	328.24
36.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	10-02-95	223.30	273.38	262.40	264.62	—
37.	मुम्बई	15-07-97	674.30	725.90	426.04E	429.65E	—
	वेस्ट बीएसइए	01-10-98	578.41	540.23	394.52	385.51	
	(टाटा)	01-12-98	397.74	397.74	363.60	367.24	376.73

यू-शहरी आर-ग्रामीण ई-98 पैसे/कि.वा.घं की दर से रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार एफ-10 पैसे/कि.वा.घं. रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार को छोड़कर

उपरोक्त विवरण 23-2-2001 तक एफ एस एंड प्रभाग, के.वि.प्रा. को रिपोर्ट किए गए विद्युत टैरिफ, विद्युत शुल्क और एफसीए की दरों के आधार पर तैयार किया गया।

विवरण-II

उपभोक्ता की अलग-अलग श्रेणियों में विद्युत खपत में वृद्धि

उपभोक्ता की श्रेणी	मात्रा, जीडब्ल्यूएच	1996-97 कुल का प्रतिशत	गत वर्ष में प्रतिशत वृद्धि	मात्रा जीडब्ल्यूएच	1997-98 कुल का प्रतिशत	गत वर्ष में प्रतिशत वृद्धि	मात्रा जीडब्ल्यूएच	1998-99 कुल का प्रतिशत	गत वर्ष में प्रतिशत वृद्धि
घरेलू	55266.54	19.72	6.83	60346.21	20.33	9.19	66190.22	21.19	9.68
वाणिज्यिक	17519.38	6.25	3.08	19367.51	6.53	10.55	20015.86	6.41	3.35
औद्योगिक	104164.65	37.18	0.50	104925.97	35.36	0.73	106032.65	33.94	1.05
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	2473.37	0.88	11.26	2673.28	0.90	8.08	2825.40	0.90	5.69
रेलवे	6594.21	2.35	5.96	6944.28	2.34	5.31	7269.27	2.33	4.68
कृषि	84018.95	29.99	2.00	91241.56	30.75	8.60	97595.78	31.14	6.96
लोक जल कार्य एवं मल निकास	5569.17	1.99	5.52	6083.51	2.05	9.24	6578.83	2.10	8.14
विविध	4599.91	1.64	10.85	5166.60	1.74	12.32	5893.41	1.89	14.07
कुल	280206.18	100.00	1.25	296748.92	100.00	5.90	312401.42	100.00	5.27

पेट्रोलियम और तेल क्षेत्र में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

3878. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का पेट्रोलियम और तेल क्षेत्र में निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम परियोजनाएं शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वित्तीय निवेश और अनुमानित उत्पादन की मात्रा और इसके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ वाले संयुक्त उद्यमों से पर्याप्त लाभ मिलने की आशा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रिलायंस समूह की तरफदारी की है और एनरान को पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र के संयुक्त उद्यम से अलग कर दिया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में मिथेन आयल परियोजनाओं हेतु गैस

3879. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने मिथेन ऑयल परियोजना हेतु गैस आवंटित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या राजस्थान में उपलब्ध सिलिका सैंड पर आधारित ग्लास कंटेनर परियोजना का चयन कर लिया गया है और इस ग्लास कंटेनर परियोजना हेतु कितनी मात्रा में गैस की आवश्यकता होगी;

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए गैस आंबटन हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) इस माँग को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल विद्युत और ताप विद्युत संयंत्र का आधुनिकीकरण

3880. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल विद्युत तथा ताप विद्युत परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम से आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन में मदद मिली है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु मौजूदा पुराने विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार को सर्वाधिक लागत प्रभावी विकल्प माना गया है क्योंकि इसकी निर्माण अवधि व लागत अपेक्षाकृत कम होती है। भारत सरकार ने नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के महत्व को 1984 में अभिज्ञात किया एवं इसी वर्ष देश के 34 ताप विद्युत केन्द्रों जिसमें 163 थर्मल यूनिट शामिल थे, के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम शुरू किया गया। इसके लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता को मंजूरी दी तथा कार्यक्रम 1992 में पूरा कर लिया गया जिसके फलस्वरूप लगभग 10,000 मि.यू. प्रति वर्ष का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन संभव हो सका।

आठवीं योजना के दौरान वर्ष 1990-91 में 2383 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 44 ताप विद्युत केन्द्रों, जिनमें 198 यूनिटें शामिल हैं, हेतु नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। रा.वि. बोर्डों को नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराने का कार्य पी.एफ.सी. को सौंपा गया। हालांकि आठवीं योजना के अंत तक रा.वि. बोर्डों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण सम्पूर्ण कार्य का केवल 50% कार्य ही पूरा किया जा सका। कार्य के आंशिक रूप से पूरा हो जाने पर 5000 मि. यूनिट प्रति वर्ष का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन संभव हो सका है। इसी प्रकार नौवीं योजना कार्यक्रम के दौरान नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु 191 थर्मल यूनिट (25856 मेगावाट) शामिल है एवं 56 विद्युत केन्द्रों पर 42 यूनिटों (9091 मेगावाट) का जीवन विस्तार किया जाना है। यह कार्य क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। कार्यक्रम के पूरा होने पर 11000 मि. यूनिट प्रतिवर्ष का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने की संभावना है।

इसी प्रकार आठवीं योजना के दौरान 8 हाइड्रो आर एम एंड यू स्कीमें पूरी की गईं जिनसे 559 मि. यूनिट का अतिरिक्त उत्पादन संभव हो सका। नौवीं योजना अवधि के दौरान अब तक 15 स्कीमों का काम पूरा हो चुका है जिनसे 2783 मि. यूनिट का विद्युत उत्पादन होने की आशा है।

बरौनी ताप विद्युत स्टेशन को बंद किया जाना

3881. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरौनी ताप विद्युत स्टेशन की यूनिट संख्या 4 और 5 के 1995-96 से बंद पड़े होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उक्त स्टेशन की यूनिट संख्या 6 और 7 जो भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की यूनिट है को पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराने का है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) बरौनी ताप विद्युत केन्द्र की प्रत्येक 50 मे.वा. वाली यूनिट 4 और 5 क्रमशः 24-4-96 एवं 16-3-95 से बंद है।

(ख) से (च) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमि. (भेल) की यूनिट संख्या 6 और 7 का प्रचालन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) द्वारा किया जा रहा है। बिहार में मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु बीएसईबी ने पावर फाइनैन्स कारपोरेशन (पीएफसी) से ऋण प्राप्त करने हेतु 1997-98 में पतरातू, बरौनी एवं मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। प्रस्ताव पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ चर्चा की गई और बीएसईबी ने पतरातू टीपीएस के केवल यूनिट सं. 6 एवं 10 का ही नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया हांलाकि पीएफसी ने पतरातू टीपीएस के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु दिसंबर, 1999 में 76 करोड़ रु. मंजूर किया पर उसके बाद बीएसईबी/बिहार सरकार द्वारा पीएफसी के साथ ऋण समझौता नहीं किए जाने की वजह से पीएफसी कोई निधि जारी नहीं कर सका।

मौजूदा विद्युत उत्पादन संयंत्रों के नवी. एवं आधु. के लिए रा.वि. बोर्डों के प्रयास को सफल बनाने हेतु भारत सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम नामक एक स्कीम को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत विद्युत केन्द्रों के नवी. एवं आधु. समेत उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण ऊर्जा ऑडिट एवं मीटरिंग के लिए रा.वि. बोर्डों को अनुदान एवं ऋण के रूप में निधि उपलब्ध कराई जाएगी। स्कीम के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराने के लिए राज्यों द्वारा विद्युत संबंधी सुधार शुरू किया जाना अपेक्षित है। एपीडीपी के अंतर्गत बरौनी टीपीएस के नवी. एवं आधु. (यूनिट 4, 5 और 6) हेतु प्रस्ताव, जिसकी अनुमानित लागत 48.50 करोड़ रु. है, बीएसईबी से प्राप्त हुई है। हालांकि बीएसईबी द्वारा वर्तमान में एपीडीपी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण वर्ष 2000-01 के दौरान एपीडीपी के अंतर्गत प्रस्ताव पर वित्तपोषण हेतु विचार नहीं किया जा सका। पीएफसी नवी. एवं आधु. स्कीम का भी वित्त पोषण करेगा, बशर्ते कि पीएफसी की आवश्यक शर्तों को बीएसईबी/बिहार सरकार पूरा करे।

दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

3882. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2000 में शुरू की गई "दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना" को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य को अब तक इस योजना के अंतर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, हाँ। स्कीम विस्तृत दिशा-निर्देशों सहित दिनांक 30 अगस्त, 2000 को आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर तथा तमिलनाडु सरकारों को 858.81 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में कुप्रबंध

3883. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को नियंत्रित करने वाले न्यास के विरुद्ध न्यास विलेख में परिवर्तन करने के लिए जिसके द्वारा इसके वर्तमान अध्यक्ष को आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया, कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संस्था में निजी हस्तक्षेप के बिना सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने में सरकारी नियंत्रण हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) कानूनी सलाह के आधार पर, सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र का पुनर्गठन, दिनांक 7 जनवरी, 2000 को उन 12 न्यासियों को सेवानिवृत्त करके किया जिनका कार्यकाल न्यास विलेख के प्रावधानों के अन्तर्गत समाप्त हो गया था और उनके स्थान पर 12 नये न्यासियों को नामांकित किया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उन तीन न्यासियों की रिक्तियों को भी भरा, जिन्होंने पहले त्यागपत्र दिया था अथवा जिनका स्वर्गवास हो गया था। पुनर्गठित न्यास द्वारा डा. एल.एम. सिंघवी को न्यास का अध्यक्ष पहले ही चुना जा चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र न्यास का पुनर्गठन करके, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि न्यास मार्च, 1987 के मूल न्यास विलेख के अनुसार कार्य करे।

[हिन्दी]

पटना-गया रेल लाइन का दोहरीकरण

3884. श्री अरुण कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना-गया रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) पटना और गया रेल लाइन के बीच कितनी लम्बाई के खंड का दोहरीकरण किया गया है और इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ग) शेष खंड की लम्बाई कितनी है जहाँ अभी दोहरीकरण किया जाना है और इस खंड के दोहरीकरण न हो पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) शेष खंड का दोहरीकरण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) पटना-गया खंड पर पटना से तरेगना तक 29.52 किमी. के दोहरीकरण का कार्य चरणों में स्वीकृत किया गया है। पटना से परसा बाजार (6.2 किमी.) तक दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया है और इस पर 31.12.2000 तक 13.10 करोड़ रु. खर्च हो चुके हैं। परसा बाजार-पुनपुन-तरेगना (29.31 किमी.) खंड में कार्य प्रगति पर है। आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति होगी और इसे पूरा किया जाएगा। वर्ष 2001-02 के दौरान 7.10 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) शेष खंड तरेगना से गया जहां अभी दोहरीकरण स्वीकृत नहीं किया गया है, की लम्बाई 62 किमी. है। जब एकल लाइन खण्डों की यहन क्षमता संतृप्त हो जाती है तब उनका दोहरीकरण शुरू किया जाता है। पटना-गया खंड के शेष भाग पर यातायात अभी दोहरीकरण के औचित्य के स्तर पर नहीं पहुंचा है फिर भी यातायात की दृष्टि से अपेक्षित होने पर इस पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

रसोई गैस राजसहायता

3885. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की रसोई गैस कंपनियों ने रसोई गैस राजसहायता को समाप्त करने वाली 1997 की नीति पर शीघ्र अमल करने का अनुरोध किया है ताकि वे घरेलू बाजार में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार को रसोई गैस पर दी जाने वाली राजसहायता के कारण होने वाले घाटे का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति को चरणों में समाप्त करने के सरकार के नवम्बर, 1997 के संकल्पानुसार घरेलू एलपीजी पर राजसहायता आयात समता मूल्य के 15 प्रतिशत की सीमा तक रहेगी और यह राजकोषीय बजट से दी जाऐगी। निजी विपणनकर्ताओं को राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी बेचने के लिए अनुमति देने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फरवरी, 2001 के प्रशुल्क समायोजित आयात समता रिफाइनरी द्वारा मूल्य के आधार पर घरेलू एलपीजी पर राजसहायता की राशि प्रति सिलेंडर 152.50 रुपये है।

[हिन्दी]

ब्रिटेन से प्राचीन वस्तुएं

3886. श्री रामानन्द सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सतना जिले के अंतर्गत भरहुत बुद्धकालीन प्राचीन वस्तुओं से भरा पड़ा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भरहुत की इन मूल्यवान प्राचीन वस्तुओं को ब्रिटिश काल के दौरान लंदन (ब्रिटेन) ले जाया गया था जो अभी भी इंग्लैण्ड के एक संग्रहालय में हैं;

(ग) क्या भरहुत की कुछ प्राचीन वस्तुओं को कलकत्ता और इलाहाबाद के संग्रहालय में भी रखा गया है;

(घ) क्या सरकार बुद्धकालीन प्राचीन वस्तुओं को लंदन से और कलकत्ता तथा इलाहाबाद संग्रहालयों से भी भरहुत वापस लाने के लिए कदम उठा रही है ताकि वह अपनी पुरानी गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकें; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई पुष्टियोग्य सूचना नहीं है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम का पुनर्गठन

3887. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :
डॉ. रमेश चंद तोमर :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय नौवहन निगम का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम की टनभार क्षमता को बढ़ाया जाएगा; और

(घ) यदि हाँ, तो किस सीमा तक?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समय-समय पर व्यापार क्षेत्र की बदलती प्रवृत्तियों के अनुसार भारतीय नौवहन निगम (एस.सी.आई.) पुराने टनभार के प्रतिस्थापन के लिए और नए टनभार के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कदम उठाता रहा है।

(घ) नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान एससीआई की पहले से ही क्रयादेश दिए गए टनभार के अतिरिक्त एक अत्यधिक विशाल क्रूड कैरियर, दो एल आर-II आकार के टैंकरों, दो केपसाइज बल्क कैरियरों, दो अम्ल/रसायन कैरियरों का अधिग्रहण करने/क्रयादेश देने की योजना है।

कार्यशालाओं पर खर्च की गई धनराशि

3888. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल बोर्ड को विभिन्न कार्यशालाओं में कर्मचारियों की संख्या और रिक्तियों के बारे में जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो बोर्ड इन कार्यशालाओं के कार्यकरण पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण किस तरह स्थापित कर रहा है;

(ग) क्या पांच कार्यशालाओं के लिए मूलतः लगभग 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे जिनमें 1995-96 में 43 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई थी लेकिन मंत्रालय ने तीन कार्यशालाओं पर केवल 1.79 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे; और

(घ) यदि हाँ, तो 200 करोड़ रुपए को घटाकर 1.79 करोड़ रुपए करने के क्या कारण हैं और इसका आयोजन तथा आधुनिकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। वर्कशापों में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या की स्थिति बोर्ड कार्यालय में रखी जाती है। बहरहाल, जहाँ तक कार्य भार के आधार पर पदों का रिक्त होना और उन्हें भरने का संबंध है यह एक सतत् प्रक्रिया है और इस पर लगातार निगरानी रखी जाती है।

(ख) विभिन्न कार्य सूचकांकों से संबंधित वर्कशापों के कार्य पर रेलवे बोर्ड द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है। समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन और दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं ताकि आवश्यक स्तर की कार्यकुशलता गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्राप्त की जा सकें।

(ग) और (घ) जी, हाँ। चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं को देखते हुए, वर्कशापों के आधुनिकीकरण की योजना की समीक्षा की गई और मी. ला. वर्कशापों को ब.ला. वर्कशापों को बदलने की नीति अपनाई गई जिससे मौजूदा अवसंरचना का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। 31 मार्च, 1996 तक 1.79 करोड़ रु. खर्च किया गया था जबकि संशोधित स्वीकृत लागत 43.38 करोड़ रु. की तुलना में अब तक 1.79 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। बहरहाल, अब तक 43.38 करोड़ रुपए का पूरा खर्च किया जा चुका है और योजना के अनुसार अवसंरचना सुविधाएं पहले ही सृजित की जा चुकी हैं।

किलों में सेना यूनिटों की तैनाती

3889. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल किला, आगरा किला इत्यादि जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर गैरीसनों की स्थापना करना और अपनी विरासत को देखने के लिए नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाना सैन्य दृष्टि से उचित है;

(ख) क्या ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को खाली करने और उनकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पर छोड़ देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सेना का इन स्थलों को कब तक खाली करने का विचार है; और

(घ) ऐतिहासिक स्थलों में सेना की मौजूदगी जारी रखने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) समय-समय पर कुछ किलों में गैरीसिन स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। तथापि, सुरक्षात्मक कारणों से इन स्थानों में आम लोगों का प्रवेश केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित है।

(ख) और (ग) जहां कहीं भी व्यवहार्य है, इन स्थानों में ऐतिहासिक मूल्य के महत्वपूर्ण हिस्सों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है।

(घ) कुछ किलों में सेना परंपरागत रूप से मौजूद रही है। इन किलों से सेना को हटाने के परिणामस्वरूप उन्हें अन्यत्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित भूमि तथा आधारभूत संरचना के निर्माण की लागत के रूप में राजकोष पर भारी व्यय-भार पड़ेगा।

डीलरशिप समाप्त करना

3890. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारण बताओ नोटिस की प्रतिक्रिया में डीलरों द्वारा दिए गए उत्तरों पर विचार करने के पश्चात् डीलरों की डीलरशिप समाप्त करने के निदेश दिए हैं;

(ख) तेल निगमों जी.एम./ई.डी. द्वारा डीलरशिप समाप्त करने के लिए जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी कौन है;

(ग) क्या कुछ डीलरशिप समाप्त होने की स्थिति में उन्हीं डिपुओं/टर्मिनलों द्वारा विरोध करने के पश्चात् इन पेट्रोल उत्पादों के उन्नयन हेतु तेल निगमों द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद पाए गए अपमिश्रित पेट्रोल और एच.एस.डी. संग्रहीत करने का प्रावधान है;

(घ) क्या बाजार में अपमिश्रित उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए तेल निगमों द्वारा इस प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने तेल कंपनियों को समय-समय पर यह निदेश दिया है कि वे डीलरशिप करार के तहत उन खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई करें जो कदाचारों/अनियमितताओं में लिप्त पाए जाते हैं।

(ख) कोई ऐसा डीलर जो डीलरशिप की समाप्ति पर पीड़ित है, मध्यस्थता के लिए डीलरशिप करार में उल्लिखित प्रावधान का आश्रय ले सकता है।

(ग) से (ङ) सिद्ध मिलावट के मामले में तेल कंपनी द्वारा उत्पाद (एम एस/एच एस डी) सबसे समीप के स्थान पर वापस ले जाया जाता है जहाँ ऐसे मिलावटी उत्पादों की साज संभाल के लिए भंडारण सुविधाएं अलग से उपलब्ध हैं। उत्पाद क्षेत्र के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के परामर्श से सुधारा जाएगा। परिवहन, उत्पाद की पंपिंग, टैंक की सफाई, आनुषंगिक प्रभारों आदि पर सारा व्यय डीलर द्वारा वहन किया जाएगा। अगर उत्पाद का एम एस के लिए उन्नयन किया जाता है या एच एस डी के लिए दर्जा घटाया जाता है तो डीलर को एच एस डी की लागत के बराबर धनराशि दी जाएगी। अगर उत्पाद का एच एस डी की अपेक्षा दर्जा घटाया जाता है तो डीलर को दर्जा घटाए गए उत्पाद की लागत के बराबर धनराशि दी जाएगी। पर उधार वास्तव में सिर्फ उन्नयन की गई/दर्जा घटाई गई मात्रा के लिए दिया जाएगा। कोई हानि वगैरा डीलर द्वारा वहन की जाएगी।

मैच फिक्सिंग के लिए नया कानून

3891. श्री जय प्रकाश : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री मैच फिक्सिंग के लिए नया कानून बनाने के बारे में 7 दिसंबर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2976 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित वास्तविक जानकारी प्राप्त की गई है चूंकि खेलकूद भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2-राज्यसूची के अधीन 33वीं प्रविष्टि है अतः अनुच्छेद 162 के अधीन विधायी शक्तियां और सहवर्ती कार्यपालिका शक्तियां राज्य में निहित हैं। अतः मैच फिक्सिंग मामले में विधि की अस्पष्ट स्थिति की राज्य सरकारों द्वारा विधायी रूप से समीक्षा की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बवाना में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3892. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1100 मेगावाट की संयुक्त क्षमता से स्थापित की जाने वाली बवाना-I और बवाना-II विद्युत परियोजना प्रस्तावों को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब से उद्योगों को बवाना ले जाने का काम बाधित होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो औद्योगिक एककों की विद्युत आवश्यकताओं को किस तरह पूरा किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि बवाना में अंतरित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों की तत्काल विद्युत आवश्यकता को 400 कि.वा. बवाना उपकेन्द्र में अधिष्ठापित किए जा रहे 100 एमवीए 220/66 के.वी. विद्युत ट्रांसफार्मर/के माध्यम से पूरा किये जाने का प्रस्ताव है। 11 के.वी. नेटवर्क की परिधीय सेवा का भार फूट खूर्द उपकेन्द्र में अधिष्ठापित किए जा रहे 66 के.वी./11 के.वी. ट्रांसफार्मर से पूरा किया जाएगा। इस क्षेत्र में दो 220 के.वी./66 के.वी. उपकेन्द्रों सहित दो 66 के.वी./11 के.वी. उपकेन्द्र तथा सम्बद्ध संचारण लाइन और 11 के.वी. नेटवर्क उत्थापित किए जा रहे हैं, 220 के.वी. उपकेन्द्र का चरण बवाना 400 के.वी. उपकेन्द्र से नरेला 220 के.वी. उपकेन्द्र तक 220 के.वी. डी/सी टावर लाइन से होगा जो इन दो 220 के.वी. उपकेन्द्रों में लूप-इन तथा लूप-आउट होगी। यह लाइन लगभग 400 मे.वा. विद्युत के संचारण में सक्षम है। 66 के.वी. तथा 11 के.वी. नेटवर्क का कार्य पहले ही हाथ में लिया जा चुका है तथा यह आयोजना/निविदा की अवस्था में है। विद्युत आवश्यकता की पूर्ति उत्तरी ग्रिड से की जाएगी।

पी.जी.सी. द्वारा कर्नाटक में पारेषण लाइन

3893. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का विचार कर्नाटक में विद्युत पारेषण के लिए पारेषण लाइनों को सदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया राज्य में पारेषण लाइन को सुदृढ़ करने के लिए कर्नाटक में और अधिक सब स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) ने कर्नाटक सहित दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए तालचेर (उड़ीसा) से कोलार (कर्नाटक) तक 2000 मेगावाट एचवीडीसी बाइपोल का कार्य शुरू किया है। पीजीसीआईएल इस क्षेत्र में 400 के.वी. ऐसी सर्किट कि.मी. लाइनों का भी निर्माण कर रही है जिससे कर्नाटक को विश्वसनीय रूप से और अधिक विद्युत प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(ग) और (घ) पीजीसीआईएल ने राज्य में विद्युत की स्थिति को सुधारने के लिए कर्नाटक में 400/220 के.वी. के दो उपकेन्द्र, कोलार में (500 एमवीए, रूपान्तरण क्षमता) और हिरीपुर में (315 एमवीए रूपान्तरण क्षमता) शुरू किए हैं/योजना बनाई है।

विशाखापत्तनम का सब स्टेशन चालू किया जाना

3894. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कार्पोरेशन का विचार 2001 के दौरान विशाखापत्तनम स्थित 400 के.वी. सब स्टेशन को चालू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर अनुमानित कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) जी, हाँ। के.वि.प्रा. ने आंध्र प्रदेश में विजाग एवं सिम्हाद्री टीपीएस से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली को दिसम्बर, 1996 में ही तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी थी। विजाग उपकेन्द्र की अनुमानित लागत 6886.64 लाख रुपये है एवं इसे एप. ट्रांस्को द्वारा दिसम्बर, 2001 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र में रसोई गैस भराई संयंत्र

3895. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रसोई गैस भराई संयंत्रों का अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में कम से कम है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में और एलपीजी भराई संयंत्रों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) एल पी जी भरण संयंत्र डिब्बाबंद एल पी जी की माँग संभाव्यता के विषय में विचार करने के पश्चात् तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत कुल प्रतिस्थापित भरण क्षमता 816 टी एम टी पी ए है जो इस राज्य में डिब्बाबंद एल पी जी की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। डिब्बाबंद एल पी जी की भविष्यगत माँग को पूरा करने के लिए तेल उद्योग द्वारा 1.4.2002 तक महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत एल पी जी भरण क्षमता को बढ़ाकर 1140 टी एम टी पी ए तक करने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं।

रिक्तियों को भरा जाना

3896. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 2 मार्च, 2001 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "वेकेन्सीज अबाउन्ड इन रेलवेज वर्कर्स आइडल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार, रेलवे की कार्यशालाओं में बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां खाली पड़ी हैं, जबकि भाप के सभी इंजनों को चरणबद्ध रूप से हटा लेने के बाद इन कार्यशालाओं में कामगार बेकार बैठे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन रिक्तियों के बेकार बैठे मजदूरों में से न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे की कोई योजना भाप के इंजनों का निर्माण/मरम्मत करने वाली कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण की है;

(घ) यदि हाँ, तो इन कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा समय पर रिक्तियों को भरने, जनशक्ति का उपयोग करने और समय पर कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के कारखानों में अधिवर्षिता और अन्य कारणों से रिक्तियों का उत्पन्न होना तथा उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। भाप के इंजनों को सेवा से हटाए जाने के कारण फालतू होगा,

अनुरक्षण कर्मचारियों को वर्षों से डीजल इंजनों, बिजली इंजनों, बिजली मल्टीपल यूनिटों, डीजल मल्टीपल यूनिटों, टावर वैगनों की ओवरहालिंग आदि के कार्यों में लगाया गया है। इसके अलावा, 5वें वेतन आयोग के वेतनमानों के आधार पर वर्धमान प्रोत्साहन दरों के कार्यान्वयन के कारण 12 प्रतिशत स्तर तक का उत्पादकता सुधार मान्यताप्राप्त श्रमिकों के साथ तय किया गया था और तदनुसार, प्रोत्साहन योजना में शामिल कार्यकलापों के संबंध में अनुमेय समय में उपयुक्त अधोमुखी संशोधन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप फालतू हो गए कर्मचारियों की भी सामान्यतः पुनर्तैनाती की गई है।

(ख) फालतू हो गए कर्मचारियों को कोटि-वार और ग्रेड-वार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर यथासंभव अधिक सीमा तक तैनात किया जाता है। पुनर्तैनाती के लिए, जहां कहीं आवश्यक होता है, कर्मचारी को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(ग) उन कारखानों में जहां पहले भाप इंजनों की मरम्मत की जाती थी, नए डिजाइन के चल स्टॉक की मरम्मत करने के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण/ग्रेडोन्नयन पहले ही किया जा चुका है। जहां तक भाप इंजनों के निर्माण का प्रश्न है, यह कार्यकलाप चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में निष्पादित किया जाता था और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में आवश्यक साधन-सामग्री मुहैया कराई गई है। इस समय बिजली इंजनों का निर्माण कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रिक्तियों का उत्पन्न होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। कारखानों द्वारा निर्वाह करे जाने वाले कार्यभार के आधार पर रिक्तियों को भरा जा रहा है। यातायात आवश्यकताओं तथा धन की उपलब्धता को भी ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सुविधाओं का आधुनिकीकरण/ग्रेडोन्नयन भी किया जा रहा है। इनकी योजना बनाई जा रही है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा रुग्ण संयंत्रों का खरीदा जाना

3897. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) राज्य विद्युत बोर्डों से रुग्ण और अलाभकारी ताप संयंत्रों को खरीदने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने खरीद के लिए ऐसे रुग्ण संयंत्रों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का विचार ऐसे संयंत्रों का दोबारा डिजाइन तैयार करके उन्हें लाभदायक स्थिति में लाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड से पुराने बकाया देय राशियों के भुगतान के रूप में तीन विद्युत केन्द्रों का अधिग्रहण कर लिया है। अधिग्रहण किए गए विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

विद्युत केन्द्र का नाम	क्षमता (मे.वा.)	प्राप्ति की तिथि	किससे प्राप्त की/ किया
ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र	420	13-2-1992	उत्तर प्रदेश
तालचेर ताप विद्युत केन्द्र	460	3-6-1995	उड़ीसा
टाण्डा थर्मल पावर स्टेशन	440	14-1-2000	उत्तर प्रदेश

बीएसईबी ने हाल ही में अपनी बकाया राशि के भुगतान के रूप में एनटीपीसी को अपना एक विद्युत केन्द्र हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) ऐसे संयंत्रों के अधिग्रहण के बाद एनटीपीसी इनका गहन अध्ययन करता है तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनका नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करता है ताकि उन्हें कार्यकुशल बनाया जा सके और इसके कार्य निष्पादन में सुधार किया जा सके। एनटीपीसी द्वारा इन केन्द्रों को अधिग्रहण किये जाने के पूर्व एवं इसके द्वारा इंजीनियरिंग, अल्पावधि/दीर्घावधि नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य करने के बाद केन्द्रों का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है :

क्र. सं.	स्टेशन	अधिग्रहण के पूर्व पीएलएफ का %	फरवरी, 2001 तक (अधिग्रहण के बाद) पीएलएफ का %
1.	ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन	20.77%	86.50%
2.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	18%	82%
3.	टाडा थर्मल पावर स्टेशन	19.8%	29.4%

(ङ) उक्त केन्द्रों के संबंध में एनटीपीसी की नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना निम्नानुसार है :

क्र.सं.	स्टेशन	स्थित	आर एंड एम स्कीम की संख्या	स्थिति
1.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	उड़ीसा	72 (चरण-I)	नवी. एवं आधु. कार्य प्रगति पर तथा मार्च, 2001 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना।
			30 (चरण-II)	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर तथा मार्च, 2004 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना।
2.	टांडा थर्मल पावर स्टेशन	उ.प्र.	नवी. एवं आधु. कार्य अंतिम अवस्था में है।	अल्पकालिक कार्य आंशिक रूप से 2000-01 के दौरान शुरू किए गए है तथा शेष नवीं एवं आधु. कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके 2005-06 तक पूरा हो जाने की आशा है।

समुद्री सैन्य अभियान (सी ऑपरेशन) के दौरान सोनार केबल का समय से पहले बदला जाना

3898. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री सैन्य अभियान के दौरान सोनार केबल को समय से पहले बदलने की जांच करने में नौसेना मुख्यालय की विफलता और जीवन काल की समाप्ति के बाद भी केबल का उपयोग करने के कारण सोनार गुंबद को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मामले की जांच की गयी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) एक भारतीय नौसेना जहाज से सितंबर, 1998 में टोड सोनार का इलेक्ट्रानिक्स सिरा गुम हो गया था। जांच बोर्ड का निष्कर्ष था कि टोइंग केबलों के जोड़ों पर थोड़े से क्षेत्र में जंग लगने के कारण यह नुकसान हुआ। मूल उपस्कर निर्माता ने भी इस निष्कर्ष का समर्थन किया था। मूल उपस्कर निर्माता की सिफारिश के अनुसार केबल पर उन्नत सुरक्षात्मक धातु का प्रयोग करके जंग से बचाव के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय लागू किए गए हैं। जंग से बचाव के लिए समय-समय पर जांच की प्रणाली भी बना ली गई है।

डी.जी.ओ.एफ. की महंगी दरें

3899. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा 1990 में मूल्य सूची (इन्वेंटरी) प्रबंधन संबंधी कराये गये अध्ययन से यह पता चला है कि डी जी ओ एफ और सरकारी उपक्रमों द्वारा लिये जाने वाले प्रमुख समय (लीड टाईम) का स्टॉक होल्डिंग के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है और डी जी ओ एफ की दरें निजी क्षेत्र द्वारा कोट की गई दरों की तुलना में अस्वीकार्य रूप से अधिक हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) सरकार को भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा कोई ऐसा अध्ययन किए जाने की जानकारी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

3900. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सरकार ने कुल कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किये;

(ख) बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र योजना–राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान स्थापित बायोगैस संयंत्रों, जो पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों और सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी) कार्यक्रम की व्यवस्था करता है, की कुल संख्या का उल्लेख नीचे किया गया है :

योजना	पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित संयंत्रों की संख्या		
	1997-98	1998-99	1999-2000
एनपीबीडी	1.75 लाख	1.50 लाख	1.69 लाख
सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी कार्यक्रम	258	314	403

(ख) अब तक स्थापित बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संचयी कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हाँ।

(घ) क्रमशः 1.80 लाख अधिक पारिवारिक प्रकार के तथा 400 अधिक सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के वास्तविक लक्ष्य के साथ वर्ष 2000-2001 के दौरान एनपीबीडी और सीवीपी/आईबीपी/एनबीपी दोनों कार्यक्रम जारी रखे गए। ये योजनाएं संयंत्रों की पूंजीगत लागत पर केन्द्रीय सब्सिडी; तीन वर्षों की मुफ्त रखरखाव वारंटी सहित टर्न-की कार्यशुल्क; राजमिस्त्री, निर्माता और उपयोगकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम; राज्य स्तरीय बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्र; प्रचार और विस्तार सहायता आदि उपलब्ध कराती हैं।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना जो पारिवारिक प्रकार के संयंत्रों और सामुदायिक संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी कार्यक्रम की व्यवस्था करते हैं, के आरंभ से विभिन्न राज्यों में अब तक स्थापित बायोगैस संयंत्रों की संचयी कुल संख्या।

(संयंत्रों की सं.)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	पारिवारिक प्रकार के संयंत्र	सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित संयंत्र
आंध्र प्रदेश	301135	109
असम	47935	2
बिहार	118948	39
गुजरात	336881	147
हरियाणा	41427	48
हिमाचल प्रदेश	43106	7
जम्मू व कश्मीर	1962	4
कर्नाटक	476646	51
केरल	73680	62
मध्य प्रदेश	186078	116
महाराष्ट्र	658060	431
मेघालय	1579	2
उड़ीसा	167203	33
पंजाब	61580	626
राजस्थान	65611	64
तमिलनाडु	197833	215
उत्तर प्रदेश	352028	1243
पश्चिम बंगाल	182871	51
अन्य राज्य एवं संघ शासित प्रदेश	15596	95
कुल	3330159	3345

जम्मू और कश्मीर में अशांति के कारण पर्यटन उद्योग को घाटा

3901. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में अशांति के कारण पर्यटन उद्योग को कितना घाटा हुआ है; और

(ख) पर्यटन उद्योग को पहले जैसी लाभकारी स्थिति में लाने और उसके महत्व को पुनःस्थापित करने के उद्देश्य से इसके पुनरुद्धार के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जम्मू और कश्मीर में अशांति के कारण पर्यटन उद्योग को हुए घाटे का आकलन करने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) विभिन्न पंजीकृत पर्यटन आधारित एककों को 31-8-1997 से बकाया ब्याज के साथ-साथ ऋणों की प्रस्तावित छूट सहित राज्य में पर्यटन को पुनः स्थापित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग के विशिष्ट घटकों को अग्रिम साधारण ऋण दिए जा रहे हैं। पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए जम्मू और कश्मीर को पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)
1997-98	10	293.35
1998-99	6	192.85
1999-2000	16	306.43

[अनुवाद]

गुलबर्गा क्षेत्र के लिए विद्युत बोर्ड

3902. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने गुलबर्गा क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक उपाय रूप में कर्नाटक-हैदराबाद क्षेत्र हेतु एक पृथक् विद्युत बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोनों राज्य गुलबर्गा क्षेत्र को विकसित करने में सहयोग करने पर सहमत हो गये हैं;

(ग) क्या गुलबर्गा क्षेत्र में पम्पसेटों के लिए 65,000 से भी अधिक आवेदन और 1,25,000 मकानों में विद्युत कनैक्शन के लिए आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गुलबर्गा क्षेत्र की मांगों को किस सीमा तक पूरा किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

रेलवे की आय

3903. श्री सुरेश रामराव जाधवः
डॉ. जसवंतसिंह यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलवे की आय बजटीय अनुमान से कम है;

(ख) यदि हाँ, तो गत वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत आय हुई है; और

(ग) सरकार ने रेलवे की आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ, फरवरी, 2001 के अंत तक आमदनियां 31816 करोड़ रुपये हैं जो संशोधित अनुमानों के आधार पर आनुपातिक लक्ष्य की तुलना में 179 करोड़ रुपये कम है। ये पिछले वर्ष प्राप्त किये गये 90.1 प्रतिशत की तुलना में संशोधित अनुमान लक्ष्य का 89.6 प्रतिशत है।

(ग) आमदनियों को बढ़ाने के लिये रेलों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं :

- ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क को सुधारने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अन्यों से अधिक यातायात अदा करने के लिए उपयुक्त विपणन प्रबंध कौशल बनाने के लिये क्षेत्रीय और मंडलीय रेलों का व्यापक शक्तियां प्रत्यायोजन।
- विभिन्न पण्यों के लिये वाल्यूम डिस्काऊंट योजना।
- नामित स्टेशनों के लिए दो बिन्दु रैक लदान सुविधाएं।
- वाणिज्यिक प्रोत्साहन और गारंटी युक्त पारगमन अवधि सेवा।
- महत्वपूर्ण स्टेशनों और व्यावसायिक केन्द्रों के बीच विशेष पार्सल गाड़ियां और यात्री गाड़ियों के एसएलआर को पट्टे पर देना।
- ग्राहक संव्यवहार में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का परिनियोजन।
- आप्टिकल फाइबर केबलों को बिछाने के लिये मार्गाधिकार को पट्टं पर देना, रेलवे भूमि व वायु स्थान (एयर स्पेस) का वाणिज्यिक उपयोग और चल स्टाकों और स्टेशन भवनों पर वाणिज्यिक प्रचार जैसे गैर-परंपरागत स्रोतों से राजस्व का सृजन।
- बकाया देय राशियों की वसूली के लिये अभियान चलाना।
- उन्नत परिसम्पत्तियों का उपयोग।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्त सहायता योजना

3904. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सहायता निधि को राज्य सरकारों के बदले सीधे राज्य सरकार पर्यटन निगम को देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्त सहायता योजना संबंधी दिशा-निर्देश पुनः तैयार करने हेतु कृतक बल गठित किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो कृतक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) पर्यटन निगम को सीधे धन उपलब्ध कराने की योजना से विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं को कहां तक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो कृतक बल सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) राज्य सरकारों के साथ प्रति वर्ष विचार-विमर्श कर प्राथमिकता प्रदत्त विशिष्ट परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों की सिफारिश के आधार पर ही पर्यटन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार पर्यटन निगम को धनराशि देता है।

(ख) से (घ) पर्यटन विभाग दिशानिर्देशों की समीक्षा करता रहता है।

(ङ) और (च) परियोजनाओं को समय से पूरा किए जाने के क्रम में अनावश्यक विलम्ब से बचने की दृष्टि से ही कार्यपालक एजेंसी यथा राज्य पर्यटन विकास निगम को धनराशि आवंटित की जाती है।

जूट थैलों के लिए बाह्य बाजार सहायता योजना का विस्तार

3905. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जूट निर्मित वस्तुओं के लिए बाह्य बाजार सहायता (ई.एम.ए.) योजना का, 1 अप्रैल, 2001 से एक वर्ष के लिए विस्तार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जूट निर्मित निर्यात योग्य वस्तुओं की आठ पात्र श्रेणियों हेतु सहायता दर समान रूप से आधी कर दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार ने पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जे एम डी सी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही बाह्य बाजार सहायता (ई एम ए) योजना को 1 अप्रैल, 2001 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। सहायता की दर में सभी पात्र श्रेणियों की पटसन की वस्तुओं की निर्यात मदों के लिए वर्ष 2000-2001 के लिए अनुमोदित दर के 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। उपकर के मौजूदा ढांचे और पटसन विनिर्माण विकास परिषद द्वारा प्राप्त अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों और बढ़ रही ई एम ए देयता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

विवरण

ई एम ए योजना के अंतर्गत पात्र पटसन की वस्तुएं

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	वसूल किए गए एफ. ओ. बी. मूल्य पर 1-4-2001 से ई एम ए की दर
1.	पटसन अथवा पटसन ब्लेंडिड/यूनियन फैब्रिक (50000 रु./टन से अधिक एफ ओ बी मूल्य)	5% (5000 रु./टन की अधिकतम उच्चतम सीमा के अध्यधीन)
2.	पटसन/ब्लेंडिड/यूनियन/कालीन/चटाइयां/बिछावन	5%
3.	(क) पटसन यार्न/पटसन ब्लेंडिड/कवरड यार्न (20000 से अनधिक डेसीटेक्स)	2.5%
	(ख) पटसन की काडेज, केबिल, रस्से व सुतलियां (20000 से अनधिक डेसीटेक्स)	2.5%
4.	पटसन हस्तशिल्प	5%
5.	पटसन की दीवार लटकन	5%
6.	पटसन व पटसन ब्लेंडिड परिधान और मेड अप्स	5%
7.	खाद्य ग्रेड के पटसन उत्पाद	5%
8.	जियो वस्त्र	2.5%

प्रमुख तेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब

3906. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख तेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत क्या थी; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शीघ्रता लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं जहाँ क्रियान्वयन में कुछ विलंब हुआ है, ऐसे विलंब के कारण और उन परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं का नियमित पुनरीक्षण,

(2) भुगतान न करने वाले विक्रेताओं/ठेकेदारों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठक,

(3) आवश्यकता के आधार पर आफ लोडिड कार्य और शामिल की गई नई/अतिरिक्त एजेंसियों पर भरोसा करना,

(4) आदेश/निविदा प्रक्रिया समय को न्यूनतम बनाने के लिए कुछ तेज रफ्तार परियोजनाओं के लिए शक्ति प्रदत्त समिति पद्धति का गठन किया गया,

(5) मानसून के दौरान अविरल कार्य हेतु विशष वर्षा प्रतिरक्षण प्रबंध किए गए,

(6) विलंबशुदा भारी मालमात्राओं के परिवहन के लिए विशेष संचालक,

(7) जहाँ आवश्यकता हो, आयातित सामग्री का वायुपरिवहन किया जाता है,

(8) निर्माण स्थलों पर बढ़ाए गए कार्य घंटों का सहारा लिया गया,

(9) राज्य सरकारों के साथ उनकी सहायता के लिए जब कभी जरूरी हुआ मामले उठाए गए,

(10) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोर प्रबधन दल का गठन,

(11) क्षेत्र स्तर के कार्यकारियों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन,

(12) समग्र निगरानी पद्धति को सुदृढ़ बनाना।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का क्रियान्वयन करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र	परियोजना की आरंभिक अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	विलंब (महीनों में)	विलंब के कारण
1.	पारादीप रिफाइनरी परियोजना, अभयचन्दरपुर	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	8270.00	17	कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा परियोजना से निकलना
2.	सेंट्रल इंडिया रिफाइनरी, बीना	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	5277.00	63	पर्यावरणीय स्वीकृति में विलंब और परियोजना भागीदारी में इक्विटी के लिए ओमान आयल से निर्णय में विलंब
3.	स्थानिक दहन, बलोल (मुख्य)	आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन	118.49	50	मैसर्स बीएचपीवी द्वारा सुपुर्दगी कार्यक्रम के पालन न करने के कारण मैसर्स स्पिक एसएमओ द्वारा मुख्य टर्नकी को पूरा करने, मरम्मत कार्य के लिए ठेका देने में विलम्ब और जी एस एस की स्थापना के उन्नयन/मरम्मत के लिए भूमि के अधिग्रहण में विलंब
4.	कटेलिटिक डीवैक्सिंग यूनिट, हल्दिया	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	422.00	3	पर्यावरणीय स्वीकृति और प्रक्रिया पैकेज में विलंब
5.*	एकीकृत पैराजाइलीन पीटीए, पानीपत	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	4228.00		पर्यावरणीय स्वीकृति में विलंब
6.*	पानीपत रिफाइनरी विस्तार परियोजना	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	3365.00		पर्यावरणीय स्वीकृति में विलंब
7.*	अवशिष्ट उन्नयन, गुजरात रिफाइनरी	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	4392.00		पर्यावरणीय स्वीकृति में विलंब

* इन परियोजनाओं का अनुमोदन पर्यावरणीय स्वीकृति के अध्यधीन कार्यान्वयन के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा किया गया था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

बायोगैस विद्युत संयंत्र की स्थापना

3907. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा में बायोगैस विद्युत के तीन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, हरियाणा सरकार ने म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट पर आधारित तीन विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी हेतु तीन कंपनियों का चयन किया है। इन संयंत्रों में से एक अम्बाला शहर के लिए प्रस्तावित है जिसमें बायोगैस प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्युत के उत्पादन की परिकल्पना है। इस संयंत्र की अनुमानित क्षमता 20 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 2 मेवा. है।

आधुनिक संचार सुविधाएं

3908. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिकतम रेडियो संचार सुविधाओं हेतु पर्याप्त धन नहीं जुटाया है;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में आधुनिक संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या मौजूदा सेल्यूलर नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कोई अंतरिम कदम उठाये जा सकते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा करने में दिखाई गई लापरवाही के मूल कारण क्या हैं;

(ङ) क्या रेलगाड़ियों में चलने वाले कर्मचारियों को समुचित आधार पर हस्तचालित संचार सेटों को उपलब्ध कराने के लिए सेल्यूलर कंपनियों के साथ कोई वार्ता की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क), (ख) और (घ) भारतीय रेलों ने आपातकाल के समय ड्राइवर और गार्ड के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए सभी गाड़ियों के गार्डों और ड्राइवरों को वॉकी-टॉकी सेट मुहैया कराए हैं।

रेल परिचालन की संरक्षा के लिए रेलपथ सहित रेल परिचालनों को निरन्तर शामिल करने के लिए समर्पित संचार प्रणाली की आवश्यकता है।

भारतीय रेलों ने गाड़ी परिचालनों में संरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर और नियंत्रण अधिकारियों के बीच संचार के लिए चल गाड़ी रेडियो संचार प्रणालियां मुहैया कराने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान 2224 मार्ग किमी. के लिए 133.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चल गाड़ी रेडियो संचार प्रणालियों की व्यवस्था संबंधी कार्यों को अनुमोदित किया गया है।

(ग), (ङ) और (च) फिलहाल पब्लिक सैल्यूलर नेटवर्क का रेलपथ के निरन्तर खंडों तक कवरेज नहीं है। रेल परिचालनों के लिए भी यह तकनीकी तौर पर उपयुक्त नहीं है क्योंकि संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल परिचालनों में समर्पित संचार प्रणाली की आवश्यकता है। इसलिए रेल परिचालन के उद्देश्य से संचार व्यवस्था मुहैया कराने के लिए सैल्यूलर आपरेटरों से कोई बातचीत नहीं हुई है।

[हिन्दी]

झारखंड में विद्युत परियोजनाएं

3909. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पूर्व में बिहार सरकार तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से सीईए को झारखंड क्षेत्र विद्युत संयंत्र स्थापन के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सीईए द्वारा स्वीकृत स्कीमों/निष्पादनाधीन, ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
टीईसी प्रदत्त/क्रियान्वनाधीन के अधीन	
चांडिल एलबीसी, राज्य क्षेत्र	2×4
नार्थ कोयल, राज्य क्षेत्र	2×12
तेनूघाट टीपीपी चरण-II राज्य क्षेत्र	3×210
जोजोबीरा टीपीपी निजी क्षेत्र	2×120

इसके अलावा सरकार दो मेगा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है। ये हैं: डीबीसी व बीएसईएस के संयुक्त उपक्रम से 1000 मेवा. मैथन परियोजना और एनटीपीसी द्वारा झारखंड में 1980 मे.वा. की करमपुरा परियोजना।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित पेट्रोल पंप

3910. डा. बलिराम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा कितने पेट्रोल पंप चलाये जा रहे हैं;

(ख) अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित कोटे से अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को कितने पेट्रोल पंप हस्तांतरित किये गये;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जाँच करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक अनधिकृत आबंटियों की पहचान कर ली जायेगी और उनका आबंटन रद्द कर दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) 31-1-2001 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित), हरियाणा और दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है:

	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या	
	अ.जा.	अ.ज.जा.
उत्तर प्रदेश	233	1
हरियाणा	62	शून्य
दिल्ली	11	3

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप इन श्रेणियों के व्यक्तियों को आबंटित की जाती है।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाओं को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी

3911. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पन विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) की उन परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है जिन्हें रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की प्रतीक्षा है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) रक्षा मंत्रालय के पास ऐसी कोई परियोजना अनुमति के लिए नहीं पड़ी हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में ऐतिहासिक स्थलों पर उत्खनन

3912. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) विभाग ने तमिलनाडु में लौह युग के कब्रिस्तान (मैगालीथिक) और प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों पर उत्खनन कार्य के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) विभाग ने तमिलनाडु के मैथलीथिक कब्रिस्तान स्थलों में से किसी भी स्थल पर उत्खनन कार्य के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सानूर उत्खनन के पश्चात् मैगालीथिक कब्रिस्तान स्थलों के उत्खनन से संबंधित कोई उत्खनन रिपोर्ट प्रकाशित की है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सानूर उत्खनन और अन्य मैगालीथिक उत्खनन के दौरान प्रकाश में आयी कलाकृतियों के प्रबंध का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) केन्द्रीय पुरातत्व संग्रह, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली में सानूर की सामग्री उपलब्ध है और अमिर्था मंगलम, कुन्नाट्टुर, पेरूर, टी. कल्लुपट्टी, मोट्टूर कंबारामेडु तथा औरोविले के महापाषाणी स्थलों की सामग्री भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चेन्नई मंडल कार्यालय में रखी है।

विवरण

महापाषाणी स्मारकों एवं अस्थि-कलशों, जो दक्षिण भारत में पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, का काफी पहले 1872 में जेम्स फर्गुसन द्वारा पता लगाया गया और कार्यवाही की गयी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एलेक्जेंडर रिया ने 1889 एवं 1905 के बीच तिन्नेवेली जिला में अदीचन्नालुर तथा 1904 से 1908 में पेरूमबेयर का उत्खनन किया। बाद में अनेक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा अन्य पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु में व्यापक रूप से अन्वेषण किए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1944 के बाद विशेष रूप से दक्षिण भारत में बड़े जोर-शोर से महापाषाणी स्थलों का वैज्ञानिक अन्वेषण किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तब से 1950 तथा 1984-85 के बीच तमिलनाडु में दस महापाषाणी स्थलों का उत्खनन किया है और उनके ब्यौरे निम्न सारणी में दिए गए हैं:

क्र.सं.	स्थल का नाम	जिला	उत्खनन वर्ष	आई ए आर/ए आई में प्रकाशित
1.	सानूर	चिंगलेपट	1950 और 1952	ए. आई. 15
2.	अमिर्थामंगलम	चिंगलेपट	1954-55	आई.ए.आर. 1954-55 एवं ए.आई. 22
3.	कुन्नाट्टुर	चिंगलेपट	1955-56, 1956-57	आई.ए.आर. 1995-56,
			एवं 1957-58	1956-57 एवं 1957-58
4.	पेयमपल्ली	उत्तर आर्कोट	1964-65 एवं 1967-68	आई.ए.आर. 1964-65 एवं 1967-68
5.	पेरार	कोयम्बटूर	1970-71	आई.ए.आर. 1970-71
6.	सीत्तन्नावसाई	पुडुक्कोट्टई	1975-76	आई.ए.आर. 1975-76 ए.आई. 4
7.	टी. कल्लुपट्टी	मदुराई	1976-77 एवं 1979-80	आई.ए.आर. 1976-77 एवं 1979-80
8.	मोटुर	उत्तर आर्कोट	1978-79	आई.ए.आर. 1978-79
9.	कंबारामेडु	तंजावुर	1982-83	आई.ए.आर. 1982-83
10.	औरोविले	दक्षिण आर्कोट	1984-85	आई.ए.आर. 1984-85

नोट : आई.ए.आर. (इण्डियन आर्कोलॉजी—ए रिव्यू) ए.आई. (प्राचीन भारत)

रेलवे भर्ती बोर्ड

3913. श्री ए. नरेन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे भर्ती बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गठित किए गए विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों के लिए चयनित सदस्यों के नाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेल भर्ती बोर्डों में सदस्य का कोई पद नहीं है। रेल भर्ती बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और/या एक सहायक सचिव होते हैं। इन पदों पर नियुक्तियां भारत के राजपत्र (भाग-II -खण्ड-3 उपखंड (i)) में 13-11-2000 को अधिसूचित रेल भर्ती बोर्ड (अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सहायक सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2000 के अनुसार की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन का निर्माण

3914. श्री रामानन्द सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन की लम्बाई क्या है;

(ख) इस रेल लाइन की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उक्त रेल लाइन के निर्माण पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(घ) उक्त रेल लाइन को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नई लाइन योजना शीर्ष के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली और महोबा-खजुराहो एक परियोजना है। कुल लम्बाई 541 कि.मी. है।

(ख) 925 करोड़ रुपये।

(ग) 1999-2000 तक 0.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है और चालू वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करायी गई है।

(घ) अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

आयुद्ध वस्तु सूची

3915. श्री रामजी मांझी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे औद्योगिक विकास और स्वदेश में आयुद्ध वस्तु सूची में बड़ी मात्रा में मदों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति देखते हुए केन्द्रित एजेन्सियों से मदों की खरीद करना प्रासंगिक नहीं रह गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) केंद्रीकृत एजेंसियों के माध्यम से खरीद अभी भी प्रासंगिक है, क्योंकि बड़ी संख्या में मदें प्रतिबद्ध रक्षा उद्योगों के माध्यम से खरीदी जाती हैं। केन्द्रीकृत एजेंसियों द्वारा थोक में खरीदारी करने के कारण केंद्रीकृत खरीद से मूल्य में किफायत का लाभ उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त गुणता आश्वासन महानिदेशालय जैसी विभिन्न सरकारी अनुश्रवण एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाती है।

तथापि, हर वर्ष वार्षिक सामग्री पुनरीक्षा के आधार पर सीमित मांग के लिए स्थानीय रूप से मदों की खरीद हेतु एक सूची तैयार की जाती है तथा इसे विभिन्न क्षेत्रीय आयुध डिपुओं को प्रचालित किया जाता है। फिलहाल सेना मुख्यालय ने स्थानीय खरीद के लिए 896 मदें निर्धारित की हैं। इस सूची की हर वर्ष पुनरीक्षा की जाती है तथा वार्षिक जरूरत के आधार पर मदें जोड़ी/हटाई जाती हैं।

निजी सुरक्षा गार्ड

3916. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'प्रतिबंधित क्षेत्रों' में सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा एजेन्सियों की सेवाएं लेती है;

(ख) यदि हाँ, तो गत वर्ष के दौरान दिल्ली में कितने निजी सुरक्षा गार्डों को इस कार्य हेतु रखा गया और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो निजी सुरक्षा एजेन्सियों को कार्य देने के लिए दिल्ली के डी.आर.डी.ओ. अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या वरिष्ठ सेना अधिकारियों को अति गोपनीय कागजातों को घर ले जाने की अनुमति है; और

(ङ) यदि हाँ, तो संबंधित नियमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान केवल गैर-सामरिक तथा असंवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने के लिए तैंतालिस सुरक्षा गार्डों को किराए पर रखा गया है, जिसमें रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा रखे गए पच्चीस सुरक्षा गार्ड शामिल हैं।

(ग) रक्षा सुरक्षा कोर के प्लाटूनों की कमी के कारण निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं किराए पर ली जाती हैं। अतः कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मौजूदा नियमों के तहत, संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक से नीचे के रैंक के अधिकारी को गुप्त/गोपनीय के रूप में वर्गीकृत दस्तावेजों/मिसिलों को घर ले जाने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार, अपर सचिव या समकक्ष रैंक से नीचे के अधिकारी परम गुप्त दस्तावेजों/मिसिलों को अपने आवास पर ले जाने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

राष्ट्रीय कैडिट कोर के लिए कम्पोजिट परिसर

3917. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से राष्ट्रीय कैडिट कोर के लिए कम्पोजिट परिसर की स्थापना हेतु भूमि का चयन और उसका आबंटन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्यों द्वारा प्रस्तावित परिसर की स्थापना करने के लिए विशेषकर बंगलौर में भूमि की पहचान कर ली गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा राज्यों में विशेषकर कर्नाटक में उक्त परिसर की स्थापना करने के लिए कितनी धनराशि दी जानी प्रस्तावित है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) 13 नवंबर, 2000 को आयोजित दि ज्वाइंट स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्ज एंड डिप्टी डाइरेक्टर्स जनरल एनसीसी के सम्मेलन ने राष्ट्रीय कैडेट कोर परिसरों की स्थापना करने हेतु सिफारिश की जिसमें राज्य सरकारें इन परिसरों के लिए भूमि निर्धारित करेंगी। बंगलूर में प्रस्तावित परिसर की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक किसी भूमि की पहचान नहीं की गई है।

परिसमापन संबंधी मामले

3918. श्री अधीर चौधरी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी परिसमापकों द्वारा संबंधित कम्पनियों की आस्तियों को अपने कब्जे में लेने और कम्पनी के विरुद्ध विभिन्न दावेदारों के दावों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुम्बई उच्च न्यायालय में सरकारी परिसमापकों के पास कितने मामले लम्बित पड़े हैं और प्रत्येक सरकारी परिसमापक के पास सबसे पुराना मामला कब से लम्बित है; और

(घ) कम्पनियों के परिसमापन के सभी लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या उपाए किए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) न्यायालय आदेशों की शर्तों के अनुसार अब से शासकीय समापक द्वारा परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना अपेक्षित है। न्यायालय के निर्देशों के तहत शासकीय सम्पादक पहले या बाद में एक निश्चित दिन निर्धारित करेंगे जिस दिन कम्पनी के लेनदार अपने दावे साबित करेंगे। दावों को प्रस्तुत करने के बाद, शासकीय समापक लेनदारों की सूची बनाते हैं और इसे कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 की शर्तों के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करते हैं।

(ग) 658 कम्पनियां शासकीय समापक, मुम्बई के कार्यालय के पास समापन में हैं, जिनकी एक उपशासकीय समापक (तकनीकी) तथा एक उपनिदेशक (तकनीकी) सहायता करता है।

(घ) सरकार ने दिवालियापन से संबंधित कानून पर तथा कम्पनियों के समापन पर श्री न्यायमूर्ति वी. बालकृण इराडी (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में अन्य बातों के साथ-साथ इस पहलू पर अध्ययन करने के लिए एक उच्च समिति की नियुक्ति की है। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों के आधार पर और मंत्रियों के समूह (जीओएम) के विचारों पर विचार करने के बाद, विधेयक का पुरःस्थापना प्रगति स्तर पर है।

संदेहास्पद आई.एस.आई. के एजेन्ट के पुत्र की भर्ती

3919. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या रक्षा मंत्री 11 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7051 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस संबंध में सेना मुख्यालय द्वारा करवाई गई जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ख) इस जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हितों की रक्षा के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जांच करने पर यह पता चला था कि श्री मोहम्मद हाशिम नामक केवल एक व्यक्ति, जिसे फरवरी, 2000 में 505 आर्मी बेस यर्कशाप में इलेक्ट्रिशियन के पद पर नियुक्त किया गया था, का आईएसआई एजेंटों से जुड़े एक व्यक्ति के साथ सीधा संपर्क था।

सेना मुख्यालय ने श्री मोहम्मद हाशिम की सेवाएं 8 सितम्बर, 2000 को समाप्त कर दी हैं। इसके अतिरिक्त, सभी यूनिटों/स्थापनाओं को इस आशय के अनुदेश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को भर्ती किए जाने से पहले विस्तारपूर्वक सत्यापन करवा लिया जाए।

खेल विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं

3920. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में आए खेल विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, खेलकूद कम्पलेक्स का गलत उपयोग करने, अमान्य खेल-कूद प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने, चयन के लिए ट्राइलों का अनुचित व्यवहार, अन्तर रेलवे खेलकूद प्रतियोगिता में गैर-रेलवे प्रतियोगी का भाग लेना इत्यादि कथित अनियमितताओं के कुछ मामले प्राप्त हुए थे। इन शिकायतों पर उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आंध्र प्रदेश में मछलीपटनम में तेल टर्मिनल की स्थापना

3921. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन की आंध्र प्रदेश में मछलीपटनम में तेल टर्मिनल की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो मछलीपटनम में तेल टर्मिनल से पाइपलाइनों के मार्गों और अंतिम छोर जहाँ तक ले जाना है उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस टर्मिनल और पाइपलाइन की प्रस्तावित लागत कितनी है; और

(ङ) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा रखी गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

3922. श्री ए. नरेन्द्र : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विदेशी सहायता से निर्मित की जा रही जल विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) राज्य-वार इन परियोजनाओं में से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विदेशी सहायता से निर्मित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदेशी सहायता से चालू जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम राज्य/संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	चालू करने का आरंभिक समय	चालू करने का अद्यतन समय	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	नाथपा-झाकरी एनजेपीसी हि.प्र. 6× 250	1996-97	2003-04	बाढ़ के कारण निर्माण उपस्कर बुरी तरह प्रभावित हुए विपथन सुरंग मलबों एवं पत्थरों से भर गया है। सफाई एवं पुनरुद्धार कार्य चल रहा है। एचआरटी हेडिंग उत्खनन पूरा कर लिया गया है और 90 प्रतिशत वैचिंग उत्खनन पूरा हो गया है। 10 प्रतिशत कन्वर्ट एवं 30 प्रतिशत ओवर्ट कंक्रीटिंग पूरा हो चुका है। बांध सुरंग डिसिल्टिंग चैम्बर आदि के काम को 7/2003 तक पूरा किया जाना है ताकि 12/2003 तक परियोजना को चालू करने के लिए 3/2003 तक जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यूनिट 1-6 के लिए टीजी उपस्करों का उत्थापन विभिन्न चरणों में है।
2.	दुलहस्ती एनएचपीसी ज. एवं क. 3× 130 मे.वा.	1994-95	2003-04	विपथन सुरंग का काम पूरा। बांध डिसिल्टिंग बेसिन एचआरटीपीएच एवं तेल रेस सुरंग का काम प्रगति पर है। 60 प्रतिशत उत्खनन यू/एस एचआरटी में पूरा 130 टी क्षमता के ईओटी का उत्थापन पूरा प्रेसर साफ्ट एक्सपेसन गैलरी सर्ज टैंक एवं ड्राफ्ट ट्यूब के लिए उत्खनन कार्य पूरा जल विद्युत यांत्रिकी उपस्करों का 51.07 प्रतिशत उत्थापन एवं 94 प्रतिशत आपूर्ति पूरी 67.12 प्रतिशत टीजी उपस्कर का उत्थापन पूरा समग्र स्थिल वे एच एक कार्य 95% पूरा।

1	2	3	4	5
3.	चमेरा चरण-II एनएचपीसी हि.प्र. 3×100	10वीं योजना	2004-05	विपथन सुरंग उत्खनन कार्य पूरा एचआरटी के लिए एडिट 1 और 2 का उत्खनन पूरा एचआरटी का 51% तथा टीआरटी का 55% उत्खनन पूरा।
4.	धौली गंगा-I एनएचपीसी उ.प्र. 4×70	1998-99	2004-05	वन एवं रक्षा भूमि प्राप्त गैर-सरकारी भूमि अधिग्रहण के अधीन सभी महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा चुके हैं। टनकपुर तावाघाट सड़क के चौड़ीकरण का 75% कार्य पूरा विपथन सुरंग 753 मी का हेडिंग उत्खनन 12-2-2000 को पूरा एवं बेचिंग उत्खनन भी पूरा वेल्टीलेशन सुरंग का इन पावर हाउस उत्खनन पूरा तथा मुख्य एक्सेस सुरंग का काम प्रगति पर है। एचआरटी के एडिट-2 का उत्खनन चल रहा है।
5.	तुरियल नीपको मिजोरम 2×30	2005-07	2005-07	पूर्व निर्माण एवं आधारित कार्य प्रगति पर है समीक्षा परामर्शदाता हेतु तकनीकी प्रस्ताव दी गई। परियोजना क्षेत्र एवं कुछ जलाप्लावन प्रभावित क्षेत्र अधिग्रहीत पैकेजवार विनिर्दिष्टीकरण की तैयारी शुरू हो गई है बड़े पैकेजों के लिए निविदा जारी।
6.	घाटघर पीएसएस महाराष्ट्र 2×125	1995-96	2004-05	टीआरटी के लिए सम्पर्क सुरंग संयोजन सुरंग, जांच सुरंग एडिट निर्माण। मशीन हाल तथा ट्रांसफार्मर हाल के सेन्ट्रल ड्रिफ्ट का कार्य पूरा। टीआरटी का उत्खनन पूरा तथा तेल सर्ज के लिए कार्य प्रगति पर है। प्रेसर साफ्ट का उत्खनन प्रगति पर है पीएच काम्प्लेक्स केबल सुरंग का ऊपरी इनटेक संरचना हेतु संविदा सौंपी गई। टीजी सेट के आदेश दिए गए।
7.	श्रीशैलम एलबीपीएच आन्ध्र प्रदेश 6×150	1993-95	2000-02	पीएच कैवर्न प्रेसर शाफ्ट का उत्खनन पूरा एचआरटी का 99 प्रतिशत कार्य पूरा टीआरटी एवं सर्ज चैम्बर का उत्खनन पूरा एचआरटी में 86 प्रतिशत टीआरटी में 93 प्रतिशत तथा सर्ज चैम्बर में 99 प्रतिशत तक कंक्रीटिंग पूरा। यूनिट-1 यूनिट उत्थापन प्रायः पूरा संयोजन बाक्सिंग अप शीघ्र होने की आशा यूनिट-2 स्पाइटल जेस सेग्मेंट का बिल्डिंग पूरा। इनलेट वाल्व प्रेसर की जांच कर इसे अधोमुख किया गया। यूनिट-3 इन लेट का पेन स्टाक तक बेल्डिंग प्रगति पर है। इनलेट वाल्व को अधोमुख दिया गया। यूनिट 4, 5 एवं 6 पीयर नोज लाइनर का उत्थापन पूरा। कंक्रीटिंग चल रहा है। यूनिट 4, 5 व 6 के लिए इनलेट वाल्व संस्थापित।
8.	पुरुलिया पीएसएस प. बंगाल 4×255	2002-03	2004-06	आधारिक कार्य प्रगति पर है। तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन पूरा। जल यांत्रिकी उपस्कर के मूल्य भाग के मूल्यांकन का कार्य पूरा। मामला निर्णयाधीन। विफल पक्षों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट

3923. श्री किरीट सोमैया :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री शिवाजी माने :
श्री खारबेल स्वाइं :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के साथ सर्विस मुख्यालय को सम्बद्ध करके वर्तमान स्थापना में कुछ महत्वूपर्ण परिवर्तनों के बारे में सुझाव देने के लिए मंत्रियों के समूह को नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(च) इन सिफारिशों को लागू करके तीनों सेना मुख्यालयों में क्या मुख्य परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) किन-किन क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समग्र रूपेण समीक्षा करने और विशेषकर कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और कार्यान्वयन करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव बनाने हेतु गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को शामिल करते हुए 17 अप्रैल, 2000 को मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था।

(ग) जी, हाँ।

(घ) से (छ) चूंकि मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को सरकार द्वारा अभी स्वीकार किया जाना है अतः ब्यौरे देना संभव नहीं है।

बिहार में राजगीर में आयुद्ध निर्माणी की स्थापना

3924. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राजगीर में एक आयुद्ध निर्माणी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हासिल की गई है;

(ग) इस निर्माणी के कब तक चालू होने की संभावना है; और

(घ) स्थानीय लोगों को वहां रोजगार देने में प्राथमिकता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने फैक्टरी लगाने की मंजूरी 26 फरवरी, 1999 को दी थी। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। प्रस्तावित परियोजना के लिए बिहार सरकार के माध्यम से भूमि का अर्जन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ग) फैक्टरी में सन् 2004-05 से उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है।

(घ) बिहार स्थित राजगीर में प्रस्तावित आयुध निर्माणी के लिए कार्मिकों की भर्ती भिन्न-भिन्न श्रेणियों/पदों के लिए सरकारी नियमों/विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी। विस्थापित व्यक्तियों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते वे अपेक्षित योग्यता रखते हों और रिक्तियां उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

डीजल/इलैक्ट्रिक रेल इंजनों की प्रचालन लागत

3925. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में डीजल और इलैक्ट्रिक रेल इंजनों की प्रति किलोमीटर प्रचालन की तुलनात्मक लागत कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 31 दिसम्बर, 2000 तक विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले प्रस्तावित रेल मार्ग की लम्बाई क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कर्षण के विभिन्न साधनों द्वारा गाड़ी चालन की तुलनात्मक परिचालनिक लागत लाइन कर्षण लागत के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। वर्ष 1998-99 के लिए (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) रुपए प्रति हजार सकल टन किलोमीटर के हिसाब से डीजल और बिजली कर्षण (ब.ला.) के लिए यात्री और माल सेवाओं की लाइन कर्षण लागत निम्नानुसार है:

रुपए प्रति हजार सकल टन किलोमीटर

यातायात की किस्म	डीजल	बिजली
यात्री	129.78	137.20
माल	76.49	75.86

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विद्युतीकृत किए गए रेलपथ (मार्ग किलोमीटर) की लम्बाई निम्नानुसार है :

वर्ष	विद्युतीकृत किया गया रेलपथ
1997-98	445
1998-99	617
1999-2000	405
2000-2001 (31-12-2000 तक)	68

(ग) नौवीं योजना के शेष वर्षों के दौरान निम्नलिखित रेल मार्गों को विद्युतीकृत किए जाने की योजना है :

क्र.सं.	खंड	रेलवे
1.	दानापुर-दिलदानगर (सीतारामपुर-मुगलसराय परियोजना का शेष भाग)	पूर्व
2.	कुसुंदा-जमुनियाटांड (संपूर्ण परियोजना)	पूर्व
3.	कीटा-बोंडामुंडा (बोकारो-बरसुआं/कीरीबुरू परियोजना का शेष भाग)	दक्षिण पूर्व
4.	बाखराबाद-भुवनेश्वर-बरहामपुर (पूर्व तटीय लाइन का शेष भाग)	दक्षिण पूर्व
5.	ताबंरम-चेंगलपट्टू और चेंगलपट्टू-अरक्कोणम (ताबंरम-विषुपुरम परियोजना का भाग)	दक्षिण
6.	रूपनगर-नांगलडैम (सरहिंद-नांगलडैम मार्ग का शेष भाग)	उत्तर
7.	चालथन-नवापुर (उधना-जलगांव परियोजना का भाग)	पश्चिम

(घ) अभी निर्धारित नहीं है।

[अनुवाद]

गरसोप्पा जल विद्युत परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता

3926. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक पावर कारपोरेशन को 500 करोड़ रु. लागत वाली गरसोप्पा जल विद्युत परियोजना की पहली 60 मेगावाट यूनिट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस यूनिट ने राज्य ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति करना आरम्भ कर दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या गरसोप्पा जल विद्युत परियोजना की कुल अधिष्ठापित क्षमता 240 मेगावाट है; और

(घ) यदि हाँ, तो राज्य की विद्युत मांग को पूरा करने में इससे किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) कर्नाटक विद्युत निगम लि. द्वारा क्रियान्वयनाधीन गरसोप्पा जल विद्युत परियोजना की कुल अधिष्ठापित क्षमता 4×60= 240 मे.वा. है। 60 मे.वा. की इसकी प्रथम यूनिट को 420 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 20-2-2001 को चालू किया गया है।

(घ) अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 के दौरान कर्नाटक की विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत थी :

	ऊर्जा (मि.यू.)	व्यस्ततमकालीन (मे.वा.)
आवश्यकता	27127	4690
उपलब्धता	24717	4371
कमी	2410	319

रेलवे परियोजनाओं में गैर-सरकारी निवेश

3927. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक पूंजी और दीर्घकालीन परियोजनाओं में निवेश हेतु निवेशकों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने मेक मोर ओन वेगन और बोल्ट योजनाओं को और अधिक निवेशानुकूल तथा सफल बनाने के लिए नई पहल की है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या हाल ही में इन योजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन योजनाओं के अन्तर्गत निगमों/गैर-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अब तक किए गए निवेश और चालू वर्ष के दौरान अनुमानित निवेश का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) से (ज) सरकार ने रेल क्षेत्र में निजी क्षेत्रों के निवेश को आकर्षित करने के लिये कई योजनाएं आरंभ की हैं:

1. अपने मालडिब्बे के मालिक बने योजना को बढ़ाने, चल स्टॉक और रेलवे के संसाधनों को बढ़ाने के लिये रेलवे के मालडिब्बों

के स्वामित्व में निजी भागीदारी को आमंत्रित करने के लिये भारतीय रेलवे ने 1992 में अपने मालडिब्बे के मालिक बनो योजना आरम्भ की थी।

2. रेल अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1994 में बनाओ, मालिक बनो, पट्टा हस्तांतरण योजना को आरंभ किया था।

3. एक उपयुक्त ढांचे के तहत आमान परिवर्तन, नई लाइन और रेल अवसंरचना विकास परियोजनाओं में भागीदारी।

इन योजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। अपने मालडिब्बों के मालिक बनो योजना को हाल ही में पट्टा प्रभारों के भुगतान को मूल ऋण दर और कार्पोरेट कर और मूल्य ह्रास के लाभों से संबद्ध करके संशोधित किया गया है।

अपने मालडिब्बे के मालिक बनो योजना में प्रमुख क्षेत्रों की कई बड़ी कंपनियों जैसे तेल, सीमेंट, ऊर्जा उत्पादन, उर्वरक, इस्पात इत्यादि ने पहले ही भागीदारी की है। 2001 जनवरी तक 1112.80 करोड़ के आर्डरों में से लगभग 1081.61 करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित मालडिब्बे प्राप्त हो चुके हैं। मौजूदा ग्राहकों की शिकायतों को सुलझाने के लिये एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया है।

बोल्ट योजना में अब तक लगभग 15 करोड़ रु. का निवेश हो चुका है तथा चालू वर्ष में कोई और निवेश की संभावना नहीं है।

294 करोड़ रु. की लागत से पिपावाव के बंदरगाह को बड़ी लाइन से जोड़ने की परियोजना में गुजरात पिपावाव पोत लि. कंम्पनी ने रेल मंत्रालय के साथ 50% इक्विटी का योगदान देकर एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखाई है। परियोजना की 2/3 लागत को इक्विटी के जरिये वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है तथा 1/3 भाग स्थापित की जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा ऋण जुटाने का प्रस्ताव है। गुजरात अदानी बंदरगाह लि. ने गांधीधाम-भुज लाइन पर मुंद्रा बंदरगाह से आदिपुर तक 53 कि.मी. लम्बी लाइन अपने खर्चे से बनाने में रुचि दिखाई है।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके संयुक्त उद्यम कंपनियों को स्थापित किया है जिससे कि उनके अपने राज्यों में कुछ पहचानी गई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। एक बार संयुक्त उद्यम कंपनियों के स्थापित हो जाने के बाद यदि जरूरी एवं व्यावहारिक हुआ तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित कर सकती है।

अम्बाला-अमृतसर रेल मार्ग पर पटरियों में टूट-फूट

3928. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर और अम्बाला के बीच रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) इस रेल मार्ग में कितनी पटरियों में टूट-फूट के मामलों की पुष्टि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे देश के किसी भी हिस्से में पटरियों की टूट-फूट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में असक्षम है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अप लाइन 249 कि.मी., डाउन लाइन 249 कि.मी.।

(ख) वर्ष 2000-2001 (फरवरी, 2001 तक) के दौरान अमृतसर-अम्बाला रेलपथ पर 17 पटरियों पर दरारों की पुष्टि हुई है। 9 मामले झलाई में खराबी आने के कारण और 8 मामले पटरी में खराबी आने के कारण हुए।

(ग) और (घ) भारतीय रेलों द्वारा पटरियों की अल्ट्रासानिक जाँच कराई जा रही है ताकि ऐसी दोषपूर्ण पटरियों और झलाइयों का पता लग सके और उन्हें समय पर हटाया जा सके, जिनमें रेल और झलाई की विफलता होने की संभावना होती है। भारतीय रेलों पर पटरियों की अल्ट्रासानिक जांच को और तेज किया गया है और इसमें निरन्तर सुधार किया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय रेलें आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा ले रही हैं। बहरहाल, सभी पटरी/झलाई विफलताओं को इस पद्धति या किसी अन्य पद्धति द्वारा दूर करना सम्भव नहीं है। पटरी और झलाई की खराबी और इसके कारण कुछ गाड़ियों का पटरी से उतरना एक सार्वभौम तथ्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते वाहनों के माध्यम से एलपीजी उपलब्ध कराना

3929. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की आपूर्ति चलते-फिरते वाहनों के माध्यम से कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी वितरक सिलेंडरों के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य वसूल रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा ऐसे एलपीजी वितरकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ तन्जौर (तमिलनाडु), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), संगरूर (पंजाब) में प्रायोगिक आधार पर एलपीजी ग्रामीण विपणन वाहन (आरएमवी) और गुजरात में देवघर में स्किड माउन्टेड सुविधा का प्रचालन कर रही हैं।

(ग) और (घ) प्रभारित की जाने वाली दरें ग्रामीण क्षेत्रों सहित सारे बाजारों के लिए तेल उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तथापि, किसी ऐसे स्थान के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर के विपणन प्रचालन के बाहर है, जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त परिवहन लागत ग्राहकों से वसूल की जाती है। जब कभी किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अधिक पैसा लेने का मामला सरकार/तेल कंपनियों की जानकारी में आता है, तब डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

टिकट एजेंटों की नियुक्ति

3930. डा. बलिराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में रेल टिकट एजेंट नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एजेंटों की नियुक्ति कब तक कर ली जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नौसेना द्वारा फोटो व्यवस्था केन्द्र का उपयोग न करना

3931. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना ने अगस्त, 1995 से 'फोटो रिले मिशन' नहीं चलाए हैं और इस उद्देश्य हेतु खरीदा गया 16.65 करोड़ की लागत वाला उपकरण तथा 40 लाख रुपए की लागत से स्थापित फोटो व्यवस्था केन्द्र बिना उपयोग किए पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उपकरणों की खरीद तथा केन्द्र की स्थापना का क्या औचित्य है;

(ग) क्या कोई जिम्मेदारी तय की गई है और दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विदेशी दौरे

3932. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बहुत से विदेशी दौरे किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे विदेशी दौरों पर कितना खर्च किया गया;

(ग) क्या अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने प्रत्येक दौरे विशेषकर पुराकाल संबंधी मामलों के संबंध में स्विट्जरलैंड के अपने दौरे से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो उनके दौरों के क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) पुराकाल से संबंधित मामलों के संबंध में पुराकाल हेतु निदेशक के स्थान पर स्विट्जरलैंड दौरे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उनका चयन करने के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया था।

विवरण

क्र.स.	दौरे का देश	वर्ष	हुआ व्यय (रु.)	दौरे का प्रयोजन	परिणाम	क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की
1.	फ्रांस	1998	83,787/-	अंतर्जल सांस्कृतिक दाय की सुरक्षा के लिए प्रारूप-कन्वेशन पर चर्चा हेतु यूनेस्को की बैठक में भाग लेने के वास्ते।	विचार-विमर्श पूरे नहीं हुए थे।	हाँ
2.	स्विट्जरलैंड	1999	2,04,046/-	पुरातत्वों के सम्बन्ध में केंटन कोर्ट, जेनेवा में चल रहे कोर्ट केस के सम्बन्ध में।	मामला अदालत में है।	हाँ
3.	सिंगापुर	1999	आयोजक ने भुगतान किया	सिंगापुर में मूलगंद कुटी विहार से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के अनाकरण में भाग लेने के लिए।	सद्भावना पैदा हुई।	हाँ
4.	चीन	2000	84,003/-	भारत-चीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर के लिए भारत सरकार के शिष्टमण्डल के भाग के रूप में।	सहयोग तथा सद्भावना पैदा करने के लिए।	हाँ
5.	फ्रांस	2000	1,57,868/-	अंतर्जल सांस्कृतिक दाय की सुरक्षा के लिए प्रारूप कन्वेंशन पर चर्चा के लिए यूनेस्को की बैठक में भाग लेने के वास्ते।	विचार-विमर्श पूरे नहीं हुए थे।	हाँ

सम्बन्धित भारतीय मिशन/दूतावास द्वारा दी गई सूचना के अनुसार।

जुबली पेट्रोल पंप योजना को रद्द किया जाना

3933. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा जुबली योजना के अंतर्गत पेट्रोल पंपों के आवंटन में बहुत सी असंगतियों की ओर ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत रद्द किए गए पेट्रोल पंपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन लोगों से वसूलियाँ कर ली गई हैं जिन्हें पेट्रोल पंप आबंटित किए गए थे;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक वसूलियां कर ली जाएंगी; और

(च) ऐसे पेट्रोल पंपों के आबंटन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (च) वर्तमान नीति के अनुसार जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों (जे आर ओ) का प्रचालन संबंधित तेल विपणन कंपनी द्वारा स्वयं "कंपनी, स्वामित्व कंपनी प्रचालित (कोको)" आधार पर किया जाता है। कंपनी का एक अधिकारी जुबली खुदरा बिक्री का पूर्ण प्रभारी होता है। कंपनी के अधिकारी को श्रम सहायता किसी श्रम संविदाकार द्वारा प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

हीराकुंड, उड़ीसा परियोजना में मध्य प्रदेश का हिस्सा

3934. श्री रामानन्द सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुंड जल विद्युत परियोजना (उड़ीसा) में मध्य प्रदेश के हिस्से का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को उसके हिस्से की विद्युत आपूर्ति न करने के बदले मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो बकाया राशि कितनी है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) हीराकुंड हाइडल पावर परियोजना (संस्थापित क्षमता 270 मेगावाट) में मध्य प्रदेश का हिस्सा 5 मेगावाट है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा, मध्य प्रदेश को न तो 5 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रही है और न ही इस हिस्से का उपयोग करने के लिए उसकी प्रतिपूर्ति अदा कर रही है। एमपीईबी से प्राप्त सूचना के अनुसार फरवरी, 2001 तक उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड (अब जी आर आई डी सी ओ) के पास कुल 65.92 (अस्थायी) करोड़ रुपए बकाया है, यह एक द्विपक्षीय मामला है, जिस पर इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए दोनों राज्य विचार-विमर्श कर रहे हैं।

[अनुवाद]

वेस्टर्न पैकेस (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध दावे

3935. श्री अधीर चौधरी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वेस्टर्न पैकेस (इंडिया) लिमिटेड की परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेने और कम्पनी के विरुद्ध विभिन्न दावेदारों के दावों के निपटारे के लिए मुम्बई उच्च न्यायालय में एक सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न दावेदारों के दावों के निपटारे की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) दावों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हाँ।

(ख से (घ) दिनांक 07-08-1997 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय मुम्बई से सम्बद्ध शासकीय समापक को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सामान्य शक्तियों के साथ मैसर्स वेस्टर्न पैकेस (इंडिया) लिमिटेड का अनंतिम समापक नियुक्त किया गया है। तदनन्तर, दिनांक 13-01-1999 के एक आदेश द्वारा उक्त कम्पनी के समापन का आदेश दिया गया तथा शासकीय समापक को उक्त कम्पनी का समापक नियुक्त किया गया। जब वसूली पर फंड उपलब्ध होंगे, कम्पनी (कोर्ट) नियम, 1959 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 से 530 तक के अनुसार दावे आमंत्रित/निपटान किए जाएंगे।

खुदरा विक्रय केन्द्रों के दोहरे परिचालन की मंजूरी

3936. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए/अनुमोदित किए गए खुदरा विक्रय केन्द्रों के दोहरे परिचालन की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में तेल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उन खुदरा विक्रय केन्द्रों जो सिविल न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत आपूर्ति कर रहे हैं के दोहरे परिचालन को बंद करने के निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या तेल निगमों का सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने की जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने हाल ही में उक्त योजना को आंशिक रूप से प्रारम्भ करने की नीति को पुनः प्रारम्भ किया है और यदि नहीं, नो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सरकार ने 18-10-2000 को तेल विपणन कंपनियों को खुदरा बिक्री केन्द्रों के दोहरे प्रचालन को रोकने के निर्देश दे दिए हैं। तदनुसार, इन कंपनियों ने ऐसे दो खुदरा बिक्री केन्द्रों को छोड़कर जो न्यायालय के आदेशों के कारण ''दोहरे प्रचालन के आधार पर'' चलाए जाते हैं, सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों के दोहरे प्रचालन को बंद कर दिया है।

वर्तमान नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्रों के आंशिक रूप से स्थान परिवर्तन की अनुमति कुछ शर्तों पर उपलब्ध है।

पनडुब्बियों का निर्माण

3937. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नौसेना के जल के नीचे, सतह पर और वायु शाखाओं को और सक्षम बनाने के प्रयास के रूप में उनमें लम्बी दूरी की क्षमता वाली मिसाइलें लगाकर 24 'हंटर' और 'किलर' पनडुब्बियां निर्मित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस संबंध में फ्रांस तथा रूस के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 24 'हंटर' तथा 'किलर' पनडुब्बियों के विनिर्माण की प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने पनडुब्बियों के निर्माण और उनके विनिर्माण कार्य में राष्ट्रीय सक्षमता अर्जित करने के लिए एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना अनुमोदित की है।

हमारे स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित तकनीकी सहायता का पता लगाया जा रहा है। तथापि, इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इनर्वेटरी धृति

3938. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असंतुलित इनवेंटरी धृति के संभावित कारणों का ब्यौरा क्या है और इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए;

(ख) क्या इन असंतुलित इनवेंटरी धृतियों में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक निधियां लगी हुई हैं;

(ग) अप्रयुक्तप्रायः भंडारों को रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) निरंतर सतर्क न रहने तथा इनवेंटरी नियंत्रण की समीक्षा न करने और बर्बादी की निगरानी न रखने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) ''आयुध सेवाओं में माल-सूची प्रबंधन की पुनरीक्षा'' पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वर्ष 2000 की संख्या 7-ए के संदर्भ के तहत प्रकाशित हुई थी। महानिदेशक, रक्षा लेखा सेवा के एक दल द्वारा वर्ष 1999 और 2000 के दौरान पांच केंद्रीय आयुध डिपुओं अर्थात् आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर तथा केन्द्रीय कवचित युद्धक वाहन डिपु, किर्की का दौरा कर इस विषय पर अध्ययन करने के उपरांत भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने यह रिपोर्ट तैयार की थी।

इस अध्ययन का उद्देश्य माल-सूची प्रबंधन की नीतियों, कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की विशेष रूप से पुनरीक्षा करना था ताकि केंद्रीय आयुध डिपुओं द्वारा धारित माल-सूची के प्रबंधन को बेहतर बनाए जाने के लिए उपाय सुझाए जा सकें। तदनुसार, इस रिपोर्ट में विशेष रूप से सेना आयुध कोरों तथा इससे जुड़े अन्य संगठनों जैसे रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय और मानकीकरण निदेशालय एवं सरकार द्वारा विचार करके लागू किए जाने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं।

दिनांक 22 दिसंबर, 2000 को संसद में प्रस्तुत रक्षा सेवाओं संबंधी रिपोर्ट, 2000 में माल-सूची धारण में असंतुलन के निम्नलिखित संभावित कारण बताए गए हैं :

1. आवश्यकताओं का गलत पूर्वानुमान।
2. दोषपूर्ण मापन।
3. विविध क्रय एजेंसियां।
4. परिहार्य विलंब।

इस आधार पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने कई सिफारिशें की हैं जिनमें से अधिकांशतः सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

पर्यटक केन्द्र

3939. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने पर्यटक केन्द्र हैं;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में इन केन्द्रों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार से संबंधित कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पर्यटक रुचि के केन्द्रों की पहचान और विकास का कार्य मुख्यतः उनसे सम्बद्ध राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार हर वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ विचार-विमर्श कर प्रस्ताव की परस्पर प्राथमिकता तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता तथा प्रदत्त विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

रेल पटरियों में दरारों का पता लगाना

3940. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने "मैग्नीफाइंग ग्लासों" का उपयोग करके रेल पटरियों में दरारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि रेल पटरियों की दरार का पता लगाने के लिए महंगी मशीनें तथा उपकरण बिना प्रयोग किए हुए पड़े हैं;

(ग) यदि हाँ, तो रेल पटरियों में खराबी का पता लगाने के लिए आधुनिक विधियों का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेल पटरियों की दरारों के संबंध में 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान अब तक जोन-वार सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ। पटरियों के फिश प्लेट हिस्सों में रेलपथ की दरारों का पता लगाने के लिए भी यह तरीका इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। मशीन तंत्र का निर्धारित अनुसूची के अनुसार पटरियों तथा झलाई के परीक्षण के लिए गहन उपयोग किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्षेत्रीय रेलवे	1996-2000 में सर्वाधिक प्रभावित खंड	2000-2001 (जनवरी तक) में सर्वाधिक प्रभावित खंड
मध्य	लोणावला-पुणे	लोणावला-पुणे
पूर्व	झाझा-पटना-मुगलसराय	झाझा-पटना-मुगलसराय
उत्तर	मुरादाबाद-गाजियाबाद	मुरादाबाद-गाजियाबाद
पूर्वोत्तर	कटिहार-बरौनी	कटिहार-बरौनी
पूर्वोत्तर सीमा	गुवाहाटी-माल्दा	गुवाहाटी-माल्दा
दक्षिण	चेन्नै-अरक्कोणम	चेन्नै-अरक्कोणम
दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम	विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम
दक्षिण पूर्व	रायपुर-बिलासपुर	रायपुर-बिलासपुर
पश्चिम	उधना-जलगांव	मदार-पालनपुर

तेल क्षेत्रों के उत्पादन में हिस्सेदारी वाले ठेके

3941. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खोजे गए 11 तेल क्षेत्रों के लिए उत्पादन में हिस्सेदारी वाले ठेकों पर सहमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य अथवा अपतटीय स्थान कौन-कौन से हैं;

(ग) पहले से खोजे गए तेल क्षेत्रों की उत्पादन में हिस्सेदारी का उद्देश्य क्या है;

(घ) 2001-2002 से शुरू होने वाले इन 11 तेल क्षेत्रों से सालाना कितने तेल का उत्पादन होगा;

(ङ) क्या इन 11 तेल क्षेत्रों में से अधिकांश कम क्षमता के हैं; और

(च) यदि हां, तो उन 11 खोजे गए क्षेत्रों का कुल अनुमानित आकार कितना है जहां उत्पादन में हिस्सेदारी संबंधी समझौता लागू है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) निजी प्रतिभागिता के लिए दिए गए ग्यारह लंघु आकारीय खोजे गए क्षेत्रों में से नौ क्षेत्रों के लिए सरकार ने 23-2-2001 को उत्पादन हिस्सेदारी संविदायें (पी एस सीज) हस्ताक्षर की हैं। इन नौ क्षेत्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) इन तेल/गैस क्षेत्रों में निजी प्रतिभागिता के लिए प्रस्ताव देने के विषय में निर्णय निम्न कारणों की वजह से लिया गया था:

(1) क्षेत्रों के लघु भंडार

(2) पर्याप्त निवेश अपेक्षित

(3) उत्पादन वृद्धि

(4) संसाधन कमी को पूरा करना तथा

(5) वर्द्धित तेल निकासी (ई ओ आर) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(घ) से (च) इन क्षेत्रों से बर्द्धमान उत्पादन इन क्षेत्रों के भविष्यगत विकास कार्यक्रमों तथा भंडार के आकार पर निर्भर है।

विवरण

उन 9 क्षेत्रों की सूची जिनके लिए 23-2-2001 को उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य
1.	उत्तर बलोल	गुजरात
2.	कनवारा	—यही—

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य
3.	अलोरा	गुजरात
4.	उनावा	—वही—
5.	उत्तर कथाना	—वही—
6.	ढोलासन	—वही—
7.	सौंगनपुर	—वही—
8.	मोढेरा	—वही—
9.	आमगुड़ी	असम

हथरकघा विकास योजनाएं

3942. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा उद्योग के विकास और प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हथकरघा बुनकरों को राहत प्रदान करने के क्रम में वर्ष 1997-98 के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा योजना शुरू की गई थी;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार को अब तब एक पैसा नहीं दिया गया;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या "निर्यात योग्य उत्पादों का विकास और उनकी विपणन योजना" नाम की एक अन्य योजना के अंतर्गत भी इन राज्यों को कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की गई जो वर्ष 1995-96 के दौरान शुरू की गई थी;

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, हाँ। केन्द्र सरकार हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए कल्याणकारी तथा विकासात्मक स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उसकी एक स्कीम अर्थात् नई बीमा स्कीम भी वित्तीय वर्ष 1997-98 में आरम्भ की गई थी।

(ग) से (छ) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को नई बीमा स्कीम अथवा निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा विपणन के अंतर्गत कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। इन राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जा सकता है।

रक्षा विभाग द्वारा लेखन सामग्री की खरीद

3943. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और सी ए ओ ने हाल ही में लगभग 18 लाख रुपए मूल्य के 'गेटवे' ब्रांड के ए-4 आकार के फोटो स्टेट कागज के 15000 रिमों की आपूर्ति हेतु कागज की विशिष्टता का उल्लेख किए बिना, केन्द्रीय भंडार और एन सी सी एफ आई को दर संबंधी जांच पत्र भेजा था;

(ख) यदि हाँ, तो मामले की जांच करने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने और ब्रांड नामों में और कागज की विशिष्टताओं का उल्लेख किए बिना सामग्री मंगाने को बंद करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से दर संविदा पर कागज न खरीदने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार और एन सी सी एफ केवल तीन ऐसी अनुमोदित एजेंसियां हैं जहां से दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा स्टेशनरी की स्थानीय खरीद की जाती है।

ए.एस.आई. अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. जांच

3944. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने ए.एस.आई. बंगलौर सर्कल के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने धन के गबन तथा भ्रष्टाचार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बंगलौर मंडल के निम्नलिखित अधिकारियों के खिलाफ 30/4/98 को एक मामला दर्ज किया था :

1. श्री के.पी. पुनाचा,

   पूर्व अधीक्षण पुरातत्वविद्

2. श्री सी. रंगप्पा,

   सहायक अधीक्षण इंजीनियर

3. श्री एच.एस. रूद्रप्पा,

   कनिष्ठ लेखा अधिकारी

मामले की जाँच की जा रही है।

निवेशक शिकायत निवारण मंच

3945. श्री किरीट सोमैया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशक शिकायत निवारण मंच, मुम्बई छोटे निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए निशुल्क सेवा प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका विभाग छोटे निवेशकों की शिकायतों के निवारण में मंच को कोई सहायता प्रदान कर रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हाँ, तो छोटे निवेशकों की शिकायतों के निवारण में मंच की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) विभाग के पास निवेशक शिकायत निवारण फोरम की गतिविधियों के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है।

(ग) से (ङ) विभाग ने फोरम के द्वारा निपटान के लिए भेजी गई शिकायतों को कम्पनियों के समक्ष उठाकर संभव सहायता में वृद्धि की है।

भारत-जर्मनी सुरक्षा वार्ता

3946. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 फरवरी, 2001 के 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में 'इंडो-जर्मन सिक्यूरिटी डायलॉग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जर्मनी 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के पश्चात् लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने पर सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) जर्मनी के विदेश मंत्री तथा उनके शिष्टमंडल ने फरवरी, 2001 में भारत का दौरा किया था। जर्मनी तथा भारत के शिष्टमंडलों के मध्य शिष्टमंडल स्तर की वार्ताएं हुई थीं जिनमें दोनों देशों की सुरक्षा चिंताओं पर विचार-विमर्श हुआ था। तथापि, दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग से संबंधित किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इस विचार-विमर्श के दौरान भारतीय रक्षा उद्योग तथा अनुसंधान एवं विकास संगठनों को प्रभावित करने वाले विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी।

[हिन्दी]

राजस्थान का मरू-त्रिकोण

3947. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के मरू-त्रिकोण के अंतर्गत कौन-कौन से जिले आते हैं;

(ख) इन जिलों में सरकार द्वारा पर्यटकों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह क्षेत्र भूकम्प के कारण पर्यटकों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो राजस्थान में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर-बाड़मेर एक अभिनिर्धारित यात्रा परिपथ है जो "राजस्थान के मरू-त्रिकोण" के नाम से जाना जाता है।

(ख) नौवीं योजनावधि के दौरान, पर्यटन विभाग, सरकार द्वारा इस क्षेत्र में स्वीकृत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपए लाखों में)
1997-98	2	22.17
1998-99	3	53.20
1999-2000	—	—
2000-2001	1	40.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रचार, महत्वपूर्ण स्मारकों में संरक्षण कार्य, पर्यटक अवसंरचना सृजन और मेले तथा उत्सवों आदि का आयोजन राजस्थान में और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से है।

भूकम्प रोधी विद्युत उपकेन्द्र

3948. श्री रामपाल सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भूकम्प रोधी विद्युत उप केन्द्रों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) भारत को भूकम्प की तीव्रता के आधार पर पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इससे संबंधित भारतीय मानकों में भूकम्प प्रतिरोधी पावर

सब स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों की डिजाइनिंग का प्रावधान है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संबद्ध भारतीय मानकों के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों का डिजाइन और रख-रखाव किया जाता है और भूकम्प को रोका जा सकता है।

800 किलोवाट वाली अनपाड़ा-उन्नाव लाइन के निर्माण में धोखाधड़ी

3949. श्री धर्मराज सिंह पटेल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 800 किलोवाट वाली अनपाड़ा-उन्नाव लाइन के निर्माण में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकारी एजेन्सी ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश/यूपीपीसी से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सिगनल उपकरणों की चोरी

3950. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में रेल ट्रैक के सेक्शनों में सिगनलिंग उपकरणों को क्षति पहुंचाई गई है और उनकी चोरी की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दक्षिण मध्य रेलवे के सुरक्षा कर्मियों ने ऐसी गतिविधि वाले संभावित स्थानों का पता लगाया है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेल ट्रैकों के साथ-साथ कोई गश्त शुरू की गई थी; और

(ङ) दक्षिण-मध्य रेलवे में चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ। गोडामगुरा रेलवे स्टेशन, विररूर-मुकुदी, मानिकगढ़-घाटचन्दूर, बेल्लमपल्ली रेलवे स्टेशन, औरंगाबाद, उप्पलवाई, सफीलगुडा, इंडलवई, पुणे-मिरज, मनुबोल, वेंकटाचलम-वेदयपलेम सम्भावित स्थल हैं।

(ग) और (घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अल्प अवधि की गश्तों के लिए रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं तथा सुभेद्य स्थलों पर स्थायी टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं।

(ङ) दक्षिण मध्य रेलवे पर रेल पथों पर सिगनल उपस्कर की चोरी का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) सभी पोस्ट और आउट पोस्ट प्रभारियों को सिगनल उपस्करों की चोरी के संबंध में अपराध आसूचना एकत्रित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

(ii) दोष सिद्ध हुए व्यक्तियों और सिगनल व दूरसंचार से संबंधित दोषियों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

(iii) जब कभी ऐसे मामले दर्ज किए जाते हैं तो इन मामलों को सुलझाने और चुराई गई रेल सम्पत्ति को शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाता है।

(iv) निगरानी के उद्देश्य से छोटे स्टेशनों पर स्थायी टुकड़ियां तैनात की जाती हैं।

[हिन्दी]

भूकम्प से रेल के जल टैंकों को क्षति

3951. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कुछ रेल टैंकों में 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए भूकंप के कारण दरारें पड़ गई थीं जिसके कारण इसमें से भारी रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टैंकों की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़क परिवहन

3952. प्रो. दुखा भगत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन को वरीयता देने के कारणों से संबंधित कोई अध्ययन कराया गया है जबकि रेल से यात्रा करना अपेक्षाकृत सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ, राइट्स, जो रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, ने 1996 में भूतल यातायात की तुलना में भारतीय रेलवे के हिस्से में आई कमी का अध्ययन किया था।

(ख) और (ग) रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि रेलवे के हिस्से में कमी आने का कारण मांग का उपलब्ध क्षमता से अधिक होना है। क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे ने विभिन्न मार्गों पर उत्तरोत्तर नई सेवाएं शुरू की हैं और कुछ मौजूदा सेवाओं में स्थान भी बढ़ाया है।

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा

3953. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में निजी क्षेत्र को स्वीकृत की गई विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता/ऋण उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की नियमित मानीटरिंग की जाती है और इस संबंध में सीईए और विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। टीईसी स्वीकृति प्राप्त निजी विद्युत परियोजनाएं जो चालू जी जा चुकी हैं और जो निर्माणाधीन हैं, प्रत्येक की एक सूची संलग्न विवरण-I व II पर है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार सीईए द्वारा अभी तक टीईसी स्वीकृति दी गई 57 निजी परियोजनाओं में से अभी तक केवल 17 परियोजनाओं ने वित्तीय समापन प्राप्त किया है। वित्त टाई-अप की विफलता के प्रमुख कारण राज्य विद्युत बोर्डों की कमजोर वित्तीय हालत, एसईबी में ऋणदाताओं का कम विश्वास और एसईबी में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंधों की कमी है। उन 40 टीईसी परियोजनाओं की सूची जो वित्तीय समापन प्राप्त करने के असमर्थ रहे हैं, विवरण-III पर संलग्न है।

विवरण-I

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी विद्युत परियोजनाएं जो कि पूर्णतः चालू हो गई हैं (1991 से)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
गुजरात		
1.	पगुथन सीसीजीटी (मै. गुजरात पावर जेन. एनर्जी कार्पोरेशन लि.)	654.7
2.	हजीरा सीसीजीटी (मै. एस्सार पावर लि.)	515.0
3.	बड़ौदा सीसीजीटी (मै. गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कार्पोरेशन लि.)	167.0
4.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै. गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कार्पोरेशन लि.)	250.0
महाराष्ट्र		
5.	डाभोल सीसीजीटी चरण-I (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज कं.)	740
आंध्र प्रदेश		
6.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड)	216
7.	गोदावरी सीसीजीटी (मै. स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि.)	208
8.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (लेनको कोंडापल्ली पावर कार्पोरेशन लि.)	350
कर्नाटक		
9.	तोरांगल्लू टीपीएस (मै. जिन्दल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लि.)	260
तमिलनाडु		
10.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै. जीएमआर वासवी पावर कार्पोरेशन लि.)	200
11.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै. समलपट्टी पावर कंपनी प्रा. लि.) तमिलनाडु	105.66
	कुल	3666.36

आंशिक रूप से चालू परियोजनाएं (चालू की गई क्षमता)

1. जोजोबेरा टीपीएस (मै. जमशेदपुर पावर कं. लि.) बिहार 120 मे.वा.

विवरण-II

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी विद्युत परियोजनाएं जिन्होंने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है और जो निर्माणाधीन हैं।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	राज्य	प्रवर्तक
निजी विद्युत परियोजनाएं				
*	डाभोल सीसीजीटी चरण-2	1440	महाराष्ट्र	मै. डाभोल पावर कंपनी
1.@	जोजोबेरा टीपीपी	240	बिहार	मै. जमशेदपुर पावर कंपनी
2.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर	330.5	तमिलनाडु	मै. पीपीएन पावर जेनरेटिंग कंपनी
3.	नैवेली टीपीपी	250	तमिलनाडु	मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी
4.	मलाना एचईपी	86	हि.प्र.	मै. राजस्थान स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड
5.	समयानल्लूर डीजीपीपी	106	तमिलनाडु	मै. बालाजी पावर कार्पोरेशन प्रा. लि.
6.	बास्पा एचईपी	300	हि.प्र.	मै. जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि. (जेएचपीएल)
		1312.5		

*डाभोल चरण-1 (चालू) और चरण-2 (निर्माणाधीन) को एक टीईसी दी गयी है। @ 120 मे.वा. पहले ही चालू है।

विवरण-III

वे निजी विद्युत परियोजनाएं जिन्होंने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है किन्तु जिन्हें अभी वित्तीय समापन प्राप्त किया जाना है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
1.	विष्णु प्रयोग एचईपी (मै. जेपीआईएल)	400
2.	रोजा टीपीपी (मै. इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स)	567
3.	श्रीनगर एचईपी (मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि.)	330
	राजस्थान	
4.	धौलपुर सीसीजीटी (मै. आरपीजी धौलपुर पावर कं. लि.)	702.7
5.	बरसिंगसर टीपीपी (मै. हिन्दुस्तान विद्युत कार्पोरेशन लि.)	500
	मध्य प्रदेश	
6.	महेश्वर एचईपी (मै. एस. कुमार्स लि.)	400
7.	कोरबा (पूर्व) टीपीपी (मै. डेवू पावर)	1070
8.	बीना टीपीपी (मै. बीना पावर सप्लाई कं. लि.)	578
9.	नरसिंहपुर सीसीपीपी (मै. जीबीएल पावर)	166
10.	कोरबा (पश्चिम) विस्तार (मै. आईटीपीएल)	420
11.	गुना सीसीजीटी (मै. एसटीआई पावर इंडिया लि.)	330
12.	पेंच टीपीपी (मै. पेंच पावर लि.)	500
13.	भिलाई टीपीपी (मै. भिलाई पावर सप्लाई कंपनी)	574
14.	रायगढ़ टीपीपी (मै. जिन्दल पावर लि.)	550
15.	भाण्डेर सीसीजीटी (मै. भाण्डेर पावर लि.)	1342
16.	पीठमपुर डीजीपीपी (मै. शपूर पालोनजी पावर कं. लि.)	119.7
17.	रतलाम डीजीपीपी (मै. जीवीके पावर (रतलाम) लि.	118.63
18.	खण्डवा सीसीजीटी (मै. मध्य भारत एनर्जी कार्पोरेशन लि.)	171.17
	गुजरात	
19.	जामनगर टीपीपी (मै. रिलायंस पावर लि.)	500.0
	महाराष्ट्र	
20.	भद्रावती टीपीएस (मै. सेंट्रल इंडिया पावर)	1072
21.	पातालगंगा सीसीजीटी (मै. रिलायंस पातालगंगा पावर)	447.1
	आंध्र प्रदेश	
22.	विजाग टीपीएस (मै. एचएनपीसीएल)	1040
23.	रामागुण्डम "बी" टीपीपी (बीबीएल ग्रुप)	520
24.	कृष्णापटनम "बी" टीपीपी (बीबीआई कृष्णापटनम कं.)	520
25.	वेमागिरि सीसीजीटी (इस्पात पावर लि.) आईसीबी रूट पर	492
	कर्नाटक	
26.	मंगलौर टीपीएस (मै. कोजेंट्रिक्स)	1013.2
27.	नागार्जुन टीपीपी (मै. नागार्जुन कार्पोरेशन लि.)	1015
28.	बंगलौर सीसीपीपी (मै. पीन्या पावर)	107.6
	तमिलनाडु	
29.	नार्थ मद्रास टीपीएस (मै. वीडियोकोन पावर)	1050
30.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-5 (मै. एपीआईसी)	525
31.	नार्थ मद्रास टीपीपी (मै. त्रि-शक्ति एनजी प्रा. लि.)	525
32.	कुड्डालोर टीपीपी (मै. कुड्डालोर पावर कंपनी)	1320
33.	वेम्बर सीसीजीटी (मै. इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स लि.)	1873
	केरल	
34.	विपीन सीसीजीटी (मै. सियासिन एनर्जी प्रा. लि.)	679.2
35.	कन्नूर सीसीजीटी (मै. कन्नूर पावर प्रोजेक्ट्स लि.)	513
	उड़ीसा	
36.	इब वैली टीपीएस (यूनिट-5 और 6) (एईएस इब वैली कार्पोरेशन)	500
37.	दुबरी टीपीपी यूनिट-1 और 2 (कलिंग पावर कार्पोरेशन)	500
	पश्चिम बंगाल	
38.	बालागढ़ टीपीएस (मै. बालागढ़ पावर कंपनी)	500
39.	बक्रेश्वर टीपीपी (बक्रेश्वर पावर जेनरेशन कं. लि.)	420
40.	गौरीपुर टीपीपी (मै. गौरी पावर कंपनी)	150

[हिन्दी]

राजनीति का अपराधीकरण

3954. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री समर चौधरी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त से राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के प्रयासों के मामले में कोई टिप्पण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को इस संबंध में कोई उत्तर भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) भारत-निर्वाचन आयोग निर्वाचन सुधार विधि के विभिन्न पहलुओं पर सरकार को समय-समय पर पत्र लिखता रहा है। अभी हाल ही में सरकार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से तारीख 15-7-1998 तथा 22-11-1999 को दो पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के विषय पर सुझाव दिया है और यह सिफारिश की है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे अपराध से सिद्धदोष ठहराया गया हो और छह मास या इससे अधिक अवधि के कारावास से दंडाविष्ट हुआ हो, उसे कुल मिलाकर उस पर अधिरोपित अवधि और छह वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक, निर्वाचन लड़ने से वर्जित करने का उपबंध करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 को सशक्त किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जाने पर, निरर्हित, किया जाना चाहिए।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इन पत्रों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है तथापि, निर्वाचन विधियों में सुधार के लिए उसके द्वारा किए गए प्रत्येक उपाय पर आयोग के साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन के संचालन का समग्र रूप से भारसाधक है और निर्वाचन प्रक्रिया/प्रथाओं और उनसे सहबद्ध समस्या/कठिनाइयों की व्यावहारिक सच्चाई से सहबद्ध/अवगत है, इस संबंध में उसके विचार/सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। सरकार के पास दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, भारत के विधि आयोग, आदि जैसे अनेक निकायों, व्यष्टिकों द्वारा की गई सिफारिशें भी हैं और भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों सहित उनकी सिफारिशों पर आधारित विभिन्न प्रस्तावों को उपयुक्त समय पर राजनैतिक दलों के साथ चर्चा की जानी और उन्हें मूर्तरूप प्रदान किया जाना अपेक्षित है। तथापि, निर्वाचक विधि में सुधार, सतत् और अनवरत प्रक्रिया है और वह राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के माध्यम से ही की जा सकती है जो कि अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में किसी समय-सीमा का सुझाव नहीं दिया जा सकता है। तथापि, सरकार निर्वाचन सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों के साथ बातचीत जारी रखना चाहती है।

[अनुवाद]

सेना के जवानों के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ना

3955. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सवारी डिब्बों की कमी और रेलगाड़ियों में भारी भीड़ के कारण सेना के जवानों को रेल यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार जम्मू रेलवे स्टेशन पर सेना के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बों को उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) छुट्टियों और यातायात के अत्यधिक भीड़भाड़ के समय के दौरान फौज के जवानों सहित यात्रियों द्वारा कुछ कठिनाइयों का सामना किया जाता है।

(ख) से (घ) परिचालनिक व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात का औचित्य होने पर ही विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जाती हैं और रेलगाड़ियों के भार में वृद्धि की जाती है।

चुनाव लड़ने के लिए सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराना

3956. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री रामदास आठवले :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनाव सुधारों संबंधी इन्द्रजीत गुप्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए सरकार द्वारा धन उपलब्ध करवाने की व्यवहारिकता की जांच की है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों और विशेषज्ञों से राय मांगी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) एक विवरण, जिसमें निर्वाचनों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण संबंधी समिति (इन्द्रजीत गुप्ता समिति) की सिफारिश का सार है, संलग्न है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों और भारत-निर्वाचन आयोग की टीका-टिप्पणियां/उनके विचार मांगे गए हैं तथा उनमें से अनेक ने इस संबंध में अभी तक अपने उत्तर नहीं दिए हैं। उनकी टीका-टिप्पणियां/उनके विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात् निर्वाचन विधि में सुधार की प्रक्रिया के भाग रूप में उन पर उपयुक्त समय पर राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया जा सकेगा। तथापि, निर्वाचन विधि में सुधार एक सतत और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से ही क्रियान्वित किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लग सकता है। अतः इस विषय पर कोई विनिश्चय/कार्रवाई करने के लिए किसी समय-सीमा का सुझाव नहीं दिया जा सकता है। तथापि, सरकार इस संबंध में राजनीतिक दलों से बातचीत जारी रखना चाहती है।

विवरण

निर्वाचनों के सरकारी वित्त पोषण से संबंधित समिति की सिफारिश का सार

1. निर्वाचनों का सरकारी वित्त पोषण :

समिति ने यह सिफारिश की है कि आरंभ में, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को, वस्तु के रूप में ही, कुछ सुविधाओं के रूप में आंशिक सरकारी सहायता इस प्रकार की जाए कि उससे उनकी न केवल अपनी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों को चलाने और अपने अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार संबंधी अनिवार्य मदों की लागत को भागतः पूरा करने में ही मदद मिले, अपितु, इससे उन्हें निर्वाचन इतर अवधि के दौरान, दिन-प्रतिदिन के कार्य के चालू प्रशासन में भी भागतः सहायता मिले। धीरे-धीरे उनके व्यय का अधिकाधिक भाग क्रमिक रूप से राज्य को अंतरित किया जा सकता है ताकि अन्ततोगत्वा उनका सारा विधिसम्मत व्यय राज्य पर भार हो सके। इस संबंध में समिति ने एक पृथक् निर्वाचन निधि के सृजन की सिफारिश की है, जिसमें केन्द्रीय सरकार दस रुपए प्रति निर्वाचक की दर से लगभग 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अभिदाय करेगी और राज्य सरकारें भी, कुल मिलाकर, निधि में प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए का आनुपातिक रूप से अभिदाय कर सकेंगी।

अपनी रिपोर्ट में समिति ने, सरकारी लागत पर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों और उनके अभ्यर्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की प्रकृति भी विनिर्दिष्ट की है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(1) मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के लिए :

(i) उसके मुख्यालय के लिए उपयुक्त किराया मुक्त आवास।

(ii) एस.टी.डी. सुविधा सहित एक किराया मुक्त टेलीफोन और किसी उपभोक्ता को अनुज्ञात निःशुल्क कालों से ऊपर एक विनिर्दिष्ट संख्या में टेलीफोन कालों की सुविधा।

(iii) राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया पर पर्याप्त निशुल्क प्रसारण समय, डाले गए मतों के आधार पर कुछ अतिरिक्त समय, उनके प्रचार के लिए आबंटित समय का जिस प्रकार वे चाहें, उस प्रकार और अनिवार्यतः केवल भाषणों के लिए ही नहीं, उपयोग करने की अनुमति।

(iv) सभी दलों के विचारों के निष्पक्ष और संतुलित प्रस्तुतिकरण के लिए प्राइवेट चैनलों का विनियमन।

(2) मान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के लिए :

(i) पेट्रोल/डीजल की विनिर्दिष्ट मात्रा।

(ii) मुद्रण के लिए कागज की विनिर्दिष्ट मात्रा।

(iii) कुछ विनिर्दिष्ट रकम की डाक टिकटें।

(iv) इस समय निर्वाचक नामावालियों की नियमानुसार जितनी प्रतियां दी जा रही हैं, उनके अतिरिक्त, निर्वाचक नामावलियों की पांच प्रतियां।

(v) विधान सभा निर्वाचन के लिए लाउडस्पीकर का एक सेट और संसदीय निर्वाचन के लिए अधिकतम छह सेटों के अधीन रहते हुए प्रत्येक विधान सभा खंड के लिए लाउडस्पीकर का एक सेट।

(vi) विधान सभा निर्वाचन के लिए निशुल्क कालों की विनिर्दिष्ट संख्या सहित एक टेलीफोन और संसदीय निर्वाचन के लिए अधिकतम छह टेलीफोन के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विधान सभा खंड के लिए एक टेलीफोन।

(vii) मतदान के दिन, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थियों के केम्प के लिए कुछ न्यूनतम व्यवस्था की जा सकेगी।

(viii) मतगणना हाल के भीतर मतगणना अभिकर्ताओं को स्वल्पाहार और खाद्य पेकेटों का प्रदाय।

2. राजनीतिक दलों द्वारा लेखा रखा जाना और उनकी लेखा परीक्षा :

(i) राजनीतिक दलों को नियमित रूप से, उसकी प्राप्ति और व्यय के सभी ब्यौरे दर्शाते हुए आय-कर प्राधिकारियों को अपने वार्षिक लेखा, अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।

(ii) किसी भी राजनीतिक दल को, जो आय-कर अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अपनी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा है, किसी सरकारी वित्त पोषण के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।

(iii) चार्टर्ड अकाउटेंट का चयन, राजनीतिक दल स्वयं कर सकेगा। तथापि, आय-कर प्राधिकारी, दलों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों की अपने अभिकरणों द्वारा और जांच-पड़ताल कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) ऐसे प्रत्येक राजनीतिक दल को, जो सरकारी सहायिकी प्राप्त कर रहा है, निर्वाचन के दौरान अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा, निर्वाचक आयोग द्वारा विहित फारमेट पर, आयोग को भी फाइल करेगा।

(v) किसी भी दल को, दस हजार रुपए से अधिक की रकम के सभी अभिदाय, दान चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त होने चाहिएं और दल के लेखा में उनका उल्लेख होना चाहिए।

3. कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान पर रोक :

इस प्रश्न पर कि क्या राजनीतिक प्रयोजनों के लिए कंपनियों और निगमित निकायों द्वारा दान पर कोई रोक होनी चाहिए, सरकार और संसद् द्वारा अपने सामूहिक विवेक से विनिश्चय किया जा सकेगा। राजनीतिक प्रयोजनों के लिए सरकारी कंपनियों द्वारा दान पर रोक बनी रहेगी।

4. निर्वाचन व्यय की परिसीमा के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में राजनीतिक दलों के व्यय का समावेशन :

इस प्रश्न पर कि राजनीतिक दलों और अन्य निकायों या संगमों या व्यष्टिकों के निर्वाचक व्यय, अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखा में

सम्मिलित किए जाने चाहिए अथवा नहीं, सरकार/संसद् द्वारा अपने सामूहिक विवेक से विनिश्चय किया जा सकेगा। तथापि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 1 और भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के उपबंधों के बीच स्पष्ट विरोधाभास को दूर किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि पूर्ववर्ती उपबंध, राजनीतिक दलों और सभी अन्य निकायों या संगमों या व्यक्तियों को किसी अभ्यर्थी के लिए, उसके प्राधिकार के बिना, निर्वाचन व्यय करने के लिए अनुज्ञात करता है जबकि पश्चात्वर्ती उपबंध इसका प्रतिषेध करता है।

5. प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व निर्वाचन व्ययों की सीमा नियत करने के लिए भारत-निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना :

निर्वाचन व्ययों का कालिक पुनरीक्षण जैसा कि इस समय होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत-निर्वाचन आयोग के परामर्श से किए जाने के लिए जारी रखा जाएगा।

[हिन्दी]

राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन

3957. श्री जय प्रकाश : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने हाल के वर्षों में आर्थिक दृष्टि से निर्धन राज्यों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से धनी राज्यों को अधिक मिट्टी के तेल के आबंटन किए जाने पर आपत्ति उठाई है और कहा है कि प्रति व्यक्ति वार्षिक आवंटन करते समय समान मानदंड नहीं अपनाया गया;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सभी राज्यों को मिट्टी के तेल का समान आबंटन सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) मिट्टी तेल का आबंटन पूर्व आधार पर किया जाता है अर्थात् यह पिछले वर्ष के आबंटन जमा अन्तरराज्यीय असमानता कम करने के लिए कम प्रति व्यक्ति उपलब्धता वाले राज्यों को अधिक वृद्धि देने के सिद्धान्त के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर दी गई वृद्धि में से अतिरिक्त आबंटन के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

3958. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कंपनी रजिस्ट्रार के सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या शुरू में कंपनी रजिस्ट्रार के लिए कार्यालयों को कागज रहित बनाए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) कम्पनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। कंपनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों के काउंटरों पर नाम अनुमोदन तथा पावतियों का कार्य पहले ही कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

(ग) कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय कम्प्यूटरीकरण पूरा होने के साथ ही कम कागज का इस्तेमाल करेंगे।

तेल कंपनियों के विरुद्ध सीबीआई मामले

3959. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आई ओ सी, आई बी पी, एच पी सी एल, बी पी सी सी और गुजरात राज्य बिक्री कर विभाग और 13 निजी फर्मों के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1997 और 2000 के बीच भारी राजस्व घाटे के संबंध में मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें संलिप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यप्रणाली अपनाई गई है;

(घ) क्या जाँच पूरी कर ली गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या विभागी कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी, हाँ। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गुजरात ने आई ओ सी, आई बी पी, एच पी सी एल, बी पी सी एल तथा गुजरात बिक्री कर विभाग के अज्ञात अधिकारियों एवं 13 अन्य निजी पक्षकारों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है।

(घ) से (च) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने अभी तक जाँच-पड़ताल पूरी नहीं की है।

रियालंस पेट्रोलियम द्वारा तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण

3960. श्री विकास चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायंस पेट्रोलियम ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा खोजे और खोजे गए कुछ तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो रिलायंस पेट्रोलियम कंपनी को ऐसे कितने संभावित क्षेत्र दिए गए हैं और प्रत्येक राज्य में इसके अंतर्गत कितना भूभाग राज्यवार शामिल है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों से तेल निकालना आरंभ कर लिया गया है या नहीं; और

(घ) यदि हाँ, तो तेल का प्रतिदिन उत्पादन कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भारत सरकार ने मैसर्स एनरान आयल एण्ड गैस इंडिया लि. (ई.ओ.जी.आई.एल.) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर.आई.एल.) के परिसंघ के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) के पन्ना एवं मुक्ता क्षेत्र और मध्य एवं दक्षिण ताप्ती नामक दो तेल और गैस क्षेत्रों से तेल और गैस के विकास और उत्पादन के लिए हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों क्षेत्रों पश्चिमी अपतट में स्थित हैं और क्रमशः 1207 व.कि.मी. और 1471 व.कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन क्षेत्रों में ओ. एन. जी. सी., ई. ओ. जी. आई. एल. और आर. आई. एल. का हिस्सा क्रमशः 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 30 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) इन क्षेत्रों से फरवरी के महीने के दौरान तेल/आसुत और गैस का औसत दैनिक उत्पादन निम्नानुसार है :

क्षेत्र का नाम	तेल (टीपीडी)*	गैस (एमएमएससीएमडी)**	आसुत (टीपीडी)*
पन्ना एवं मुक्ता तेल क्षेत्र	4167	2.7	–
मध्य एवं दक्षिण ताप्ती गैस क्षेत्र	–	5.51	275

* टीपीडी–टन प्रतिदिन

** एमएमएससीएमडी–मिलियन स्टैंडर्ड घन मीटर प्रतिदिन

[हिन्दी]

विदेशों से प्राप्त धन का उपयोग

3961. डा. अशोक पटेल :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री रामदास आठवले :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में फरवरी, 2001 तक देश में विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशों से कुल कितनी धनराशि प्राप्ति की गई है; और

(ख) इसमें से कितनी राशि व्यय की गई है और कितनी राशि शेष है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) परियोजना के लिए प्रतिबद्ध निधियों को परिव्यय संबंधी जरूरतों के आधार पर चरणबद्ध रूप में जारी किया जाता है। पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष में जनवरी, 2001 तक विद्युत परियोजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी सहायता के समुपयोजन एवं शेष राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	संशोधित अनुमान (करोड़ रुपये)	वास्तविक उपयोग (करोड़ रुपये)	शेष राशि (करोड़ रुपये)
1997-98	4372.85	3868.21	504.64
1998-99	4004.00	4012.09	(–) 8.09
1999-2000	3138.58	3242.94	(–) 104.36
2000-2001 (जनवरी, 2001 तक)	3753.60	1845.19	1908.41

पेट्रोलियम डीलरों के लिए चयन प्रक्रिया

3962. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोलियम डीलरों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और इस संबंध में एक समान प्रक्रिया अपनाने के निदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया में क्या संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है और इसे किस तरह से पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने चयन के लिए पारदर्शी, समान, उत्तम और तीव्रतर प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के दिशानिर्देशों में हाल ही में संशोधन किया है। सरकार ने डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए पूरे देश में निम्न संगठन के साथ 59 नए डीलर चयन बोर्डों (डी एस बी) का गठन किया है:

1. उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश/सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश – अध्यक्ष
2. संबंधित तेल कंपनी का एक अधिकारी जिसका पद उपलब्धता के आधार पर उप महाप्रबंधक या मुख्य प्रबंधक से कम न हो। – सदस्य
3. किसी अन्य तेल कंपनी का एक अधिकारी जिसका पद उपलब्धता के आधार पर उप महाप्रबंधक या मुख्य प्रबंधक से कम न हो। – सदस्य

पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए विज्ञापनों के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्रों की जाँच करने के बाद पात्र पाए गए उम्मीदवारों का डीलर चयन बोर्डों द्वारा गुणदोष के आधार पर चयन के लिए साक्षात्कार लिया जाता है।

[अनुवाद]

सस्ती दरों पर स्नेहक की बिक्री

3963. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 21 दिसंबर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5017 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल आयोग खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों की तुलना में अपने स्नेहक वितरकों और विशेष शोरूमों को स्नेहक सस्ती दरों पर बेच रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मौजूदा डीलर कमीशन ढांचे में डीलर लाभप्रद मूल्य के लिए कोई प्रावधान नहीं है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या ए पी एम के अंतर्गत शामिल उत्पादों के लागत ब्यौरे में से मुक्त व्यापार उत्पादों के लाभ को कम किया जा सकता है; और

(ङ) उक्त व्यवस्था को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) स्नेहक नियंत्रणमुक्त उत्पाद हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों, खुदरा बिक्री के डीलरों जैसे विभिन्न बाजार क्षेत्रों के लिए स्नेहकों के मूल्य विपणन कार्यनीति विशेष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। स्नेहक वितरकों और इंडियन आयल कार्पोरेशन के खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों के लिए उद्धृत आधारभूत मूल्य एक जैसे हैं। तथापि, स्नेहक वितरकों को अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे खुले बाजार में प्रतिस्पधा कर सकें। अपने स्नेहक वितरकों के लिए आई बी पी कं. का मूल्य खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों के लिए मूल्य की तुलना में कम है। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड स्नेहक डिस्ट्रीब्यूटरों और खुदरा बिक्री डीलरों के लिए स्नेहकों का बिलिंग मूल्य एकसमान होता है। तथापि समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रोत्साहन और बिक्री संवर्धन योजनाएं प्रस्तावित की जाती हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड अपने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों को स्नेहकों की बिक्री कंपनी के आधारभूत बिक्री मूल्य पर करती है जबकि स्नेहकों के वितरकों को स्नेहकों की आपूर्ति आधारभूत बिक्री मूल्य में छूट देकर की जाती है।

(ग) से (ङ) स्नेहकों के मूल्यों की तरह तेल कंपनियां स्नेहकों की बिक्री के लिए डीलरों के कमीशन को भी प्रशासित करती हैं। सरकार स्नेहकों का मूल्य निर्धारण नहीं करती।

एच पी सी एल द्वारा प्रायोजित मंगलौर-बंगलौर पाइपलाइन में आई ओ सी एल की इक्विटी

3964. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने हिन्दुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित मंगलौर-बंगलौर पाइपलाइन में 26 प्रतिशत इक्विटी की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस इक्विटी की माँग करने वाले इंडियन आयल कार्पोरेशन के लिए विशेष प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन के पास निवेश करने के लिए पर्याप्त निधि है; और

(घ) यदि हाँ, तो आज की तिथि के अनुसार इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास अतिरिक्त निधियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) ने पेट्रोनेट एम एच बी लिमिटेड में 26 प्रतिशत इक्विटी लेने के लिए अपनी रुचि दर्शाई थी जो मंगलौर-हासन-बंगलौर पाइपलाइन के निर्माण और प्रचालन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (पी आई एल) द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

चूंकि आई ओ सी एल रिफाइनरियों, पाइपलाइनों और विपणन के व्यवसाय में है और दक्षिणी क्षेत्र में इसका 50.6 प्रतिशत बाजार हिस्सा है इसलिए आई ओ सी एल के लिए इस पाइपलाइन में इक्विटी लेना लाभप्रद माना जाता है।

तथापि पी आई एल के बोर्ड ने पेट्रोनेट एम एच बी लिमिटेड में आई ओ सी एल की प्रतिभागिता का अनुमोदन नहीं किया।

श्रमजीवी एक्सप्रेस में आग लगना

3965. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 फरवरी, 2001 के "दि हिन्दु" में प्रकाशित समाचार "ट्रेन कोचेज कैच फायर" की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए और उनमें से प्रत्येक को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कायवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस दुर्घटना में कोई यात्री मारा अथवा घायल नहीं हुआ था और अभी तक किसी दावेदार द्वारा रेल दावा अधिकरण में दावा दायर नहीं किया गया है, अतः कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) इस दुर्घटना की रेल संरक्षा आयुक्त/उत्तर सर्कल द्वारा जांच की जा रही है और अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

कांगो से हीरे का आयात

3966. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का पालिशिंग और कटिंग के लिए कांगो से हीरे खरीदने का विचार है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई संविदा की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस व्यापार से बिचौलिया प्रणाली को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी जे ई पी सी), जो व्यापार का एक स्वायत्तशासी प्रतिनिधि निकाय है, द्वारा हीरा खनन देशों से अपरिष्कृत हीरों का सीधे ही आयात करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करती रही है। जी जे ई पी सी ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को एक नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था ताकि सोसाइटे मिनेर डि बकबंगा (एम आई बी ए) द्वारा जारी निविदाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी करके अपरिष्कृत हीरों की खरीद की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

[हिन्दी]

पेंशन निधि

3967. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित क्षेत्र "प्रोजेक्ट ओएसिस" हेतु पेंशन निधि स्थापित करने के लिए दवे समिति के सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) स्कीम के प्रचालनात्मक ढांचे के संबंध में निर्णय लेने हेतु विचार-विमर्श चल रहा है तथा इसमें कई एजेंसियां शामिल हैं। अतः अंतिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

[अनुवाद]

आर्थिक विकास

3968. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आई.आई. ने इस विचार का समर्थन किया है कि 8 से 10 प्रतिशत तक के आर्थिक विकास को बनाए रखा जा सकता है;

(ख) यदि हा, तो क्या सी.आई.आई. ने स्थिति का विश्लेषण करके यह सुझाव दिया है कि अप्रैल, 2001 से आगे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब अल्प-कालिक सूचकों के स्थान पर मध्यम और दीर्घावधि दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या इन निर्णयों से उद्योग जगत इस बात के लिए आश्वस्त है कि अगले दशक में अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में 9 से 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने कहा है कि 8 प्रतिशत वार्षिक की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि हासिल की जा सकती है और उसे बनाए रखा जा सकता है। सी.आई.आई. ने 2001 से आगे देखते हुए इस मध्यावधिक पूर्वानुमान के 24 कारण गिनाए हैं। इसके अतिरिक्त सी.आई.आई. का विश्लेषण दर्शाता है कि यदि सुधार संबंधी कार्य सूची को प्रत्याशा से अधिक तेजी से कार्यान्वित किया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में वास्तव में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो सकती है। आर्थिक नीतियां तैयार करते समय विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों और सिफारिशों और अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाता है। योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) तैयार करने की प्रक्रिया अभी-अभी शुरू की है। इन प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप मैं वैकल्पिक विकास परिदृश्यों की जांच की जा रही है।

लैटिन अमरीकी देशों को निर्यात

3969. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लैटिन अमरीकी देशों को होने वाले भारत के निर्यात में 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों से इस क्षेत्र में भारत में निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार इस स्थिति में आगे और सुधार करने हेतु कितनी आश्वस्त है;

(घ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान लैटिन अमरीका के साथ कुल कितना आयात-निर्यात हुआ; और

(ङ) पिछले वर्ष की तुलना में ये आकड़े कितने अधिक हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।

(घ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान लैटिन अमरीका से कुल आयात तथा निर्यात।

(मिलियन यू एस डाल में)

वर्ष	आयात	निर्यात
1999-2000 (अप्रैल-मार्च)	863.64	693.75
2000-2001 (अप्रैल-अक्तूबर)	410.78	525.30

(ङ) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर तुलना।

(मिलियन यू एस डालर में)

वर्ष	निर्यात	परिवर्तन	आयात	परिवर्तन
1998-99 (अप्रैल-मार्च)	611.31	-	730.69	-
1999-2000 (अप्रैल-मार्च)	693.75	(+)82.44	863.64	(+)132.95
1999-2000 (अप्रैल-अक्तू.)	389.96	-	557.04	-
2000-2001 (अप्रैल-अक्तू.)	525.30	(+)135.34	410.78	(-)146.26

स्टेट बैंक आफ इंदौर में रिक्त पद

3970. डा. एस. वेणुगोपालः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्टेट बैंक आफ इंदौर द्वारा अब तक शाखा-वार मुख्य लिपिकों के कितने पद विशेष सहायक में परिवर्तित किए गए हैं;

(ख) अब तक मुख्य लिपिकों के कितने पदों को परिवर्तित नहीं किया गया है;

(ग) इन पदों को अब तक परिवर्तित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि बैंक ने 14 दिसम्बर, 2000 को परिपत्र जारी किया था और बैंक के कुछ कर्मचारियों ने परिवर्तन हेतु अपने विकल्प दिए थे जिन पर अब तक विचार नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो पद परिवर्तित किए जाने हेतु उनके अनुरोध को स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) विशेष सहायक में परिवर्तित करने के उनके विकल्पों पर बैंक द्वारा कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि वर्ष 1992-93 से बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में मुख्य लिपिकों के 254 पद विशेष सहायक में परिवर्तित किए गए हैं। तथापि, मुख्य लिपिकों के छः पदों को विशेष सहायक के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(ग) बैंक ने छः व्यक्तियों के पदों को परिवर्तित नहीं किया है क्योंकि 4 ने परिवर्तन के लिए विकल्प नहीं दिया और शेष दो मामलों में एक अपात्र है और एक मामले में अनुशासनिक मामला लम्बित पड़ा है।

(घ) जी, हां। 7 पात्र मुख्य लिपिकों से प्राप्त हुए विकल्प को स्वीकार कर लिया गया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय फिल्म उद्योग पर श्वेत पत्र

3971. श्री एन.एन. कृष्णदासः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कौन-कौन से फिल्म फाइनेंसर और निर्माता हैं और उनसे गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना आयकर एकत्रित किया गया;

(ख) इस प्रकार बड़ी मात्रा में धन एकत्रित करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई है;

(ग) क्या सरकार भारतीय फिल्म उद्योग पर श्वेत पत्र जारी करने पर विचार कर रही है क्योंकि फिल्म उद्योग माफिया, डॉन और काला धन रखने वालों द्वारा नियंत्रित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बी.आई.एफ.आर. को भेजे गये कम्पनियों के मामले

3972. श्री टी. गोविन्दनः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केल्ट्रोन रेक्टिफायर्स लिमिटेड और केन्ट्रोन पावर डिवाइसिस लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार प्रस्ताव पर विचार करने और बी आई एफ आर की परिधि से उन्हें निकालने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

3973. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आर्थिक कार्य विभाग ने नवम्बर, 1994 में गैर-सरकारी संगठनों को एक करोड़ रुपए की धनराशि समयपूर्व जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठन का ब्यौरा क्या है और समय से पहले धनराशि जारी करने के क्या कारण हैं और क्या इस मामले की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करन के लिए कि भविष्य में किसी गैर-सरकारी संगठन को समय से पहले धनराशि जारी न की जाए, क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वर्ष 1994-97 के दौरान गांधी जी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ, विनोबा जी की जन्मशती तथा स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के संबंध में, विनोबा जी द्वारा स्थापित आचार्यकुल को सितम्बर, 1994 में 30.00 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया था जिससे पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता कार्यों संबंधी आंशिक व्यय को पूरा किया जा सके। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि आगामी दो वर्षों के दौरान आचार्यकुल के लिए अनुदान के रूप में 1.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जाएगा।

नवम्बर, 1994 में आचार्यकुल को 1.00 करोड़ रुपए (सितम्बर, 1994 में जारी 30.00 लाख रुपए की राशि के अतिरिक्त) की एक और अनुदान राशि जारी की गई थी। ये सहायता अनुदान अन्य बातों के साथ-साथ, गांधी जी की आर्थिक विचारधारा और मार्ग-दर्शन, प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात

3974. श्री राजो सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात कितना रहा; और

(ख) इन बैंकों द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन विशेषकर कृषि क्षेत्र हेतु पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) का ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिचालन के अपने संबंधित क्षेत्रों में उधारकर्ताओं की सभी वास्तविक ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 1994-95 में 2316 करोड़ रुपए के कुल संवितरण की तुलना में वर्ष 1999-2000 में 6938 करोड़ रुपए का सुधार हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए उत्पादन के साथ-साथ निवेश ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। वे स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) की अवधारणा का प्रवर्तन करके और उन्हें बैंक ऋण से जोड़कर, किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से कृषि फसल ऋण की व्यवस्था आदि करके नवोन्मेष ऋण वितरण तंत्र के माध्यम से निर्णायक भूमिका भी निभा रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण उद्योग, कारीगरों, खुदरा व्यापार/कारोबार, लघु परिवहन परिचालन, व्यावसायिक/स्वरोजगार व्यक्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग एवं अन्य उद्देश्यों के लिए भी ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन आदि में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1998-2000 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार ऋण जमा अनुपात		
		1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	50.5	49.2	48.2
2.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	40.2	41.7	40.9
3.	हिसार-सिरसा क्षे. ग्रामीण बैंक	64.4	68.0	70.0
4.	अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक	61.8	65.5	66.8
5.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	22.6	21.9	23.8
6.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	29.2	23.9	24.2
7.	जम्मू रूरल बैंक	22.4	20.7	19.1
8.	इलाकी देहाती बैंक	30.8	16.7	14.4
9.	कामराज रूरल बैंक	20.0	19.6	16.9
10.	शिवालिक क्षे. ग्रामीण बैंक	30.9	29.2	27.5
11.	कपूरथला-फिरोजपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	50.2	42.7	37.9
12.	गुरदासपुर-अमृतसर क्षे. ग्रामीण बैंक	40.0	32.9	29.2
13.	मालवा ग्रामीण बैंक	61.1	59.2	58.4
14.	फरीदकोट-भटिंडा क्षे. ग्रामीण बैंक	54.6	60.6	58.6
15.	जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	23.4	23.2	29.4
16.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक	32.9	32.8	33.2
17.	शेखावटी ग्रामीण बैंक	48.9	42.0	36.7
18.	मरूधर क्षे. ग्रामीण बैंक	30.6	34.5	39.8
19.	अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक	37.1	39.7	46.8
20.	अरावली क्षे. ग्रामीण बैंक	50.2	50.0	49.1
21.	हडोती क्षे. ग्रामीण बैंक	44.9	45.8	45.7
22.	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	28.4	28.4	31.0
23.	थार आंचलिक ग्रामीण बैंक	40.2	40.2	45.7

1	2	3	4	5
24.	बुंदी-चित्तौड़गढ़ क्षे. ग्रामीण बैंक	59.7	61.6	61.7
25.	भिलवाड़ा-अजमेर क्षे. ग्रामीण बैंक	68.6	57.7	60.8
26.	डुंगरपुर-बंसवाड़ा क्षे. ग्रामीण बैंक	40.7	42.2	42.9
27.	श्रीगंगानगर क्षे. ग्रामीण बैंक	57.1	54.8	54.4
28.	बीकानेर क्षे. ग्रामीण बैंक	57.1	57.3	73.2
29.	अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	85.9	99.0	111.9
30.	प्राग्यजोतिष गोयनलिया बैंक	44.8	39.0	33.5
31.	लक्ष्मी गोयनलिया बैंक	18.5	17.3	16.7
32.	काचर ग्रामीण बैंक	25.5	22.4	23.9
33.	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	36.7	30.3	28.3
34.	सुबांसिरी गोयनलिया बैंक	24.8	20.7	18.4
35.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	46.7	43.2	34.5
36.	खासी जयंतिया ग्रामीण बैंक	27.3	28.5	26.9
37.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	33.5	28.9	34.8
38.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	27.4	37.8	30.3
39.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	46.7	38.3	32.6
40.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक	35.5	34.8	30.8
41.	चम्पारन क्षे. ग्रामीण बैंक	28.2	25.1	25.0
42.	मगध ग्रामीण बैंक	30.8	27.4	24.3
43.	कोसी क्षे. ग्रामीण बैंक	32.2	29.5	21.1
44.	वैशाली क्षे. ग्रामीण बैंक	36.7	24.6	17.8
45.	मुंगेर क्षे ग्रामीण बैंक	31.3	23.4	22.3
46.	संथाल परगणा ग्रामीण बैंक	24.7	24.5	24.6
47.	मधुबनी क्षे. ग्रामीण बैंक	32.1	24.4	17.8
48.	नालंदा ग्रामीण बैंक	34.6	27.9	21.3
49.	सिंहभूम क्षे. ग्रामीण बैंक	30.3	24.5	22.7
50.	मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	29.4	18.3	15.3
51.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22.5	21.3	21.2
52.	पलाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	33.4	31.3	31.7
53.	रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	29.4	29.3	28.8
54.	गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	21.6	17.5	14.0
55.	सरल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.1	27.0	26.4
56.	सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	20.2	18.2	17.1
57.	गिरीडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.2	28.8	31.4
58.	हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	21.9	21.8	21.6
59.	पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक	28.1	28.0	26.3
60.	भागलपुर बंका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	49.6	43.7	35.3
61.	बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24.5	18.5	19.4
62.	पुरी ग्रामीण बैंक	48.6	54.5	59.8
63.	बोलनगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक	46.2	41.9	39.3
64.	कटक ग्रामीण बैंक	58.9	47.1	46.4
65.	कोरापत पंचवटी ग्रामीण बैंक	67.2	69.7	66.4
66.	कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक	67.3	59.7	64.4
67.	बैतरणी ग्रामीण बैंक	43.2	40.7	41.4
68.	बालसोर ग्रामीण बैंक	64.1	53.8	34.9
69.	रिशीकूल्या ग्रामीण बैंक	50.5	42.7	41.0
70.	धेनकनाल ग्रामीण बैंक	75.3	71.3	70.8
71.	गौड़ ग्रामीण बैंक	44.7	42.5	38.2
72.	मल्लाभूम ग्रामीण बैंक	34.2	33.9	34.7
73.	मयूराक्षी ग्रामीण बैंक	37.5	37.1	33.0
74.	उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	44.6	39.5	38.9
75.	नदिया ग्रामीण बैंक	37.2	36.4	30.9
76.	सागर ग्रामीण बैंक	26.5	23.1	21.5
77.	बर्धमान ग्रामीण बैंक	31.6	27.9	28.8
78.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	27.5	26.5	25.5
79.	मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक	35.3	32.5	34.0
80.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद	52.5	52.3	49.0
81.	बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	30.0	32.7	28.1
82.	रेवा-सिंधी ग्रामीण बैंक	33.8	28.3	25.7
83.	बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	29.5	25.8	26.7
84.	शारदा ग्रामीण बैंक	28.4	28.0	25.3
85.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22.7	24.2	21.6
86.	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	26.4	26.5	25.0
87.	दुर्ग-राजनंदगांव ग्रामीण बैंक	40.3	39.9	33.8
88.	झाबूआ-धर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	48.5	52.1	52.8
89.	रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24.2	24.2	23.2
90.	शिवपुरी-गुना क्षेत्र ग्रामीण बैंक	30.4	31.5	32.1
91.	दमोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	21.3	21.6	22.2
92.	देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	33.3	43.1	44.3

1	2	3	4	5
93.	निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	45.8	44.2	40.6
94.	मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22.9	21.1	22.8
95.	छिंदवाड़ा-सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	33.6	33.9	36.3
96.	राजगढ़-सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	39.7	44.6	41.9
97.	सहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	20.6	19.7	20.2
98.	रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	40.2	38.2	33.2
99.	चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	46.7	37.6	43.0
100.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	30.0	21.7	22.4
101.	इन्दौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	51.9	55.0	51.7
102.	ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	48.4	42.7	41.1
103.	विदिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	52.6	48.9	51.8
104.	प्रथमा बैंक	53.4	53.0	50.4
105.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	29.2	28.3	30.1
106.	सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	16.1	12.2	12.6
107.	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	20.9	21.8	21.9
108.	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	23.8	20.5	21.3
109.	फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक	30.2	27.0	28.1
110.	भागीरथ ग्रामीण बैंक	19.1	19.3	18.2
111.	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	34.3	30.9	27.7
112.	सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	36.8	36.8	34.8
113.	अवध ग्रामीण बैंक	23.4	23.5	23.8
114.	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	33.6	32.0	31.1
115.	श्रावस्ती ग्रामीण बैंक	41.1	42.7	43.5
116.	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	54.6	43.5	32.6
117.	किसान ग्रामीण बैंक	36.2	36.4	34.3
118.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	53.2	51.0	46.9
119.	काशी ग्रामीण बैंक	35.1	30.6	28.2
120.	बस्ती ग्रामीण बैंक	29.8	29.8	28.3
121.	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	30.9	25.9	23.8
122.	प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24.9	22.5	21.0
123.	फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	25.0	22.0	23.7
124.	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	28.2	27.7	28.6
125.	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27.1	31.4	33.0
126.	देवीपटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	20.9	19.4	18.7
127.	अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43.7	42.4	40.1
128.	तुलसी ग्रामीण बैंक	39.9	38.4	37.2
129.	एटा ग्रामीण बैंक	53.1	51.5	46.0
130.	गोमती ग्रामीण बैंक	34.8	32.9	30.1
131.	छतरसाल ग्रामीण बैंक	35.3	36.1	33.2
132.	रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	38.0	39.5	34.4
133.	विदुर ग्रामीण बैंक	25.9	26.5	27.8
134.	शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	40.6	45.2	48.3
135.	नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43.5	41.8	45.7
136.	विंध्यावंशिनी ग्रामीण बैंक	50.4	45.6	47.7
137.	सरयू ग्रामीण बैंक	28.2	32.0	35.9
138.	जमुना ग्रामीण बैंक	52.9	43.9	40.5
139.	मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	29.3	31.8	31.4
140.	पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	29.5	26.2	26.4
141.	गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक	34.7	30.4	29.0
142.	अलकनंदा ग्रामीण बैंक	22.0	21.5	23.1
143.	हिण्डन ग्रामीण बैंक	27.9	30.3	29.5
144.	कच्छ ग्रामीण बैंक	32.7	36.6	36.7
145.	जामनगर ग्रामीण बैंक	50.7	51.6	59.9
146.	बनासकांठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक	46.4	46.7	50.5
147.	पंचमहल ग्रामीण बैंक	62.0	56.8	56.8
148.	सुरेन्द्र नगर भावनगर ग्रामीण बैंक	46.4	55.0	60.8
149.	वलसाद डांग्स ग्रामीण बैंक	43.8	39.9	40.3
150.	सूरत बरूच ग्रामीण बैंक	72.7	75.5	69.2
151.	साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक	38.6	39.6	34.0
152.	जूनागढ़ आमरेली ग्रामीण बैंक	45.9	47.0	49.4
153.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	55.8	56.0	49.4
154.	औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	68.0	70.5	71.8
155.	चन्द्रपुर गडचिरोली ग्रामीण बैंक	37.8	36.5	35.5
156.	अकोला ग्रामीण बैंक	62.0	38.1	45.9
157.	रतनागिरी सिंधुदुर्गा ग्रामीण बैंक	51.3	50.1	48.1
158.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	74.5	78.4	88.4
159.	बान्द्रा ग्रामीण बैंक	45.4	45.7	42.6
160.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	41.7	41.8	37.2

1	2	3	4	5
161.	बुलडाना ग्रामीण बैंक	91.2	81.5	78.7
162.	थाणे ग्रामीण बैंक	21.4	13.8	11.8
163.	नागरर्जुन ग्रामीण बैंक	52.2	49.2	50.9
164.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	85.7	79.9	71.5
165.	श्रीविशाखा ग्रामीण बैंक	52.1	50.4	51.8
166.	श्रीअनंत ग्रामीण बैंक	85.1	70.1	74.4
167.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	83.6	75.1	73.8
168.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	47.4	46.5	45.4
169.	संगमेश्वर ग्रामीण बैंक	70.1	78.0	74.9
170.	मंजीरा ग्रामीण बैंक	94.7	88.6	85.5
171.	पिनाकिनी ग्रामीण बैंक	85.3	73.1	72.6
172.	कातिया ग्रामीण बैंक	83.2	72.9	71.0
173.	चेतन्य ग्रामीण बैंक	60.5	67.1	61.9
174.	श्री सतवाहाना ग्रामीण बैंक	67.8	67.0	61.6
175.	गोलकोण्डा ग्रामीण बैंक	45.7	47.6	46.8
176.	श्रीराम ग्रामीण बैंक	83.3	69.1	64.2
177.	कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक	87.7	82.0	75.3
178.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	108.1	91.8	74.7
179.	तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	91.9	89.7	91.9
180.	मालाप्रभा ग्रामीण बैंक	95.5	81.8	79.4
181	कावेरी ग्रामीण बैंक	85.8	93.2	81.7
182.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	88.9	87.2	81.8
183.	चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक	90.6	78.4	81.9
184.	कलपुत्र ग्रामीण बैंक	65.7	60.4	62.9
185.	कोलार ग्रामीण बैंक	80.3	71.7	69.3
186.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	92.9	80.3	79.2
187.	चिकमंगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक	94.1	93.6	85.0
188.	सहयाद्रा ग्रामीण बैंक	89.9	75.7	75.2
189.	नेत्रवती ग्रामीण बैंक	75.5	77.8	82.8
190.	वर्द्धा ग्रामीण बैंक	97.0	103.1	105.0
191.	विश्वेषवरैया ग्रामीण बैंक	72.6	69.7	72.0
192.	साउथमालाबार ग्रामीण बैंक	123.8	120.2	115.0
193.	नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	130.6	118.8	118.7
194.	पान्डयान ग्रामीण बैंक	69.0	61.2	56.8
195.	अधियमन ग्रामीण बैंक	86.1	80.1	76.1
196.	वल्लालार ग्रामीण बैंक	86.5	83.2	70.5
	कुल	44.4	42.0	40.9

[अनुवाद]

दूरसंचार उपकरणों का निर्यात/आयात

3975. श्री सुरेश रामराव जाधवः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को दूरसंचार स्विचिंग उपकरणों के व्यापार की अनुमति देने से पहले विभिन्न देशों में पब्लिक स्विचिंग टेलीकॉम नेटवर्क प्रोडक्ट्स के लिए स्विचिंग उपकरणों के मूल्य संबंधी विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, मद-वार, मूल्य-वार और वर्ष-वार दूरसंचार उपकरणों के आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश से दूरसंचार उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के एक्जिम कोड सं. 85173000.50 के अंतर्गत यथा वर्गीकृत ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स/ की टेलीफोन प्रणाली को छोड़कर एसपीसी किस्म सहित इलैक्ट्रॉनिक पब्लिक स्विचिंग का आयात 1.4.1996 के पहले से मुक्त है। इलैक्ट्रानिक पब्लिक स्विचिंग प्रणाली की अन्य किस्म का आयात 1.4.1999 से मुक्त कर दिया गया था।

(ग) अपेक्षित सूचना विवरण संलग्न है।

(घ) इन मदों का निर्यात एक्जिम नीति में विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत शुल्क निष्प्रभावीकरण/छूट का पात्र है।

विवरण

दूरसंचार उपकरणों का निर्यात/आयात

मूल्य लाख रुपए में

मदें	आयात			निर्यात		
	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अक्तूबर 2000 तक)	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अक्तूबर 2000 तक)
पुश बटन टाइप	51.86	321.89	853.69	919.13	575.85	231.34
रोटरी डायल टाइप	-	3.48	0.80	-	0.02	-
कोर्डलैस	1374.76	1469.58	438.79	32.11	12.39	17.86
अन्य	1195.87	1092.78	956.94	268.49	89.33	99.80
अन्य टेलीफोन सैट तथा विडियोफोन	683.43	2208.64	1086.92	227.39	99.39	125.39
फैसीमाइल मशीन	4476.00	4154.54	2318.56	28.06	0.23	19.01
टेलीप्रिंटसं	1.50	118.21	25.95	7.52	35.22	16.29
एसट्रांजर एक्सचेंज	381.07	3349.26	2910.79	19.76	78.87	123.36
क्रोस बार एक्सचेंज	1.78	-	7.85	-	1.47	-
एसपीसी किस्म सहित इलैक्ट्रानिक स्वीचिंग	2753.77	676.64	1425.21	329.62	434.37	4.99
ईपीएबी एक्स/ईपीएक्स/इंटरकॉम	1196.44	1706.16	180.54	174.14	238.96	70.99
इंटरफेंस/मल्टीप्लेक्सर सहित डाटा कम्यूनिकेशन उपकरण	2830.47	3660.11	491.71	260.72	547.38	70.14
अन्य	4311.04	7132.53	3624.56	582.37	960.32	481.74
पीएलसीसी उपकरण	229.07	431.33	10873.27	244.70	84.58	37.79
वायस फ्रिक्वेंसी टेलीग्राफी	6.89	144.02	77.43	0.52	3.87	0.33
मोडमस (मोडुलेटर्स-डीमोडुलेटर्स)	3792.73	5601.62	3546.44	42.67	158.13	239.98
अन्य	5737.34	3074.25	6072.10	275.88	160.96	406.20
अन्य सामान	2822.94	2320.77	2951.49	603.43	331.38	98.34
टेलीफोन/टेलीग्राफ सामान के पुर्जे	14883.04	33782.61	18315.33	1532.44	2156.94	1817.50
कुल	46730.00	71248.42	56158.37	5548.95	5969.65	3861.05

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

3976. श्री अशोक अर्गल: क्या वित्त मंत्री 22 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने अभी अतारांकित प्रश्न 5248 के संबंध में पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी है। कम्पनी से सूचना प्राप्त होने पर उसे संकलित करके सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

वास्तविक विनिमय दर प्रबंधन नीति

3977. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वास्तविक विनिमय दर प्रबंधन नीति तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) विनिमय दरों में दिन प्रतिदिन की घट-बढ़ मुख्यतया भारत में विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थितियों के आधार पर निर्धारित होती है और यह कुछ हद तक अन्तर्राष्ट्रीय करेंसी बाजारों के घटना-क्रम से भी प्रभावित होती है। भारत और विदेश में वित्तीय बाजारों के घटनाक्रम को सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों बारीकी से मानिटर करते हैं और विनिमय दर के अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करने, अस्थिरताकारी सट्टेबाजी की गतिविधियों के उभार को रोकने, सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार की दशाओं का विकास करने और सुरक्षित विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों का पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए जब आवश्यक हो, उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

चाय उत्पादन लागत

3978. श्रीमती मिनाती सेन:
श्री एम.के. सुब्बा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में श्रम लागत सहित चाय उत्पादन की औसत लागत कितनी है;

(ख) भारत और श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन जैसे पड़ौसी देशों में चाय के उत्पादन की औसत लागत में कितना अंतर है; और

(ग) इन देशों और अन्य देशों से आयतित चाय की तुलनात्मक लागत क्या है और उस पर सीमाशुल्क कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में चाय की औसत उत्पादन लागत और श्रम लागत नीचे निम्नानुसार है:

उत्पादन लागत (रु/किग्रा)

जिला/राज्य	उत्पादन लागत		श्रम लागत*
	न्यूनतम	अधिकतम	
असम घाटी	54.00	67.00	34.10
कछार	49.00	59.00	29.35
दोअर्स	53.00	63.00	31.80
तराई	53.00	62.00	31.80
दार्जीलिंग	130.00	170.00	31.80
त्रिपुरा	44.00	50.00	उपलब्ध नहीं
तमिलनाडु	-	64.20	62.63
केरल	-	71.70	64.19
कर्नाटक	-	42.61	56.25

* केवल दैनिक मजदूरी को दर्शाता है। इसके अलावा, श्रमिक प्लकिंग प्रोत्साहन और आवास, चिकित्सा सुविधा, इमदाद शुदा खाद्य, शिक्षा लाभ इत्यादि जैसे अन्य लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ख) भारत में चाय की उत्पादन लागत श्रीलंका सहित अन्य चाय उत्पादक देशों की उत्पादन लागत से अपेक्षाकृत अधिकृत है। उत्तर भारत में चाय की उत्पादन लागत 1.62 अमरीकी डालर/किग्रा. और दक्षिण भारत में 1.48 अमरीकी डालर प्रति किग्रा है जबकि श्रीलंका में यह 1.46 अमरीकी डालर प्रति किग्रा है। हालांकि श्रीलंकाई चाय और उत्तर भारत में उत्पादित चाय की औसत उत्पादन लागत में अंतर 0.16 अमरीकी डालर/किग्रा का है तथापि दक्षिण भारत में उत्पादित चाय के मामले में यह अंतर 0.02 अमरीकी डालर/किग्रा का है। बंगला देश और चीन में चाय की उत्पादन लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अप्रैल-नवम्बर, 2000 की अवधि के दौरान श्रीलंका, बंगला देश, चीन और अन्य देशों से आयातित चाय की यूनिट कीमत (सी आई एफ) निम्नानुसार है :

देश का नाम	यूनिट सी आई एफ मूल्य रु./किग्रा
1	2
श्रीलंका	84.25
बंगला देश	47.58
चीन	166.00
यू.के.	91.46
बेल्जियम	82.19
फ्रांस	124.02

1	2
यू एस ए	63.10
यू ए ई	25.25
इरान	30.62
तुर्की	36.06
सिंगापुर	179.93
इंडोनेशिया	59.44
वियतनाम	51.07
केन्या	101.29
प. अफ्रीका	83.90
मालावी	54.35
द. अफ्रीका	49.70
न्यूगिनी	51.41

श्रीलंका सहित किसी भी देश से चाय के आयात हेतु मूल सीमाशुल्क 70 प्रतिशत जमा अतिरिक्त शुल्क है। तथापि मुक्त व्यापार करार के तहत श्रीलंका से चाय के आयात हेतु लागू सीमाशुल्क 15 मिलियन किग्रा के आबंटित वार्षिक कोटे के लिए 7.5 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के लम्बित प्रस्ताव

3979. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार की कुछ परियोजनाएं उनके मंत्रालय में अनुमोदन के लिए लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं केन्द्र सरकार के विचाराधीन किस तारीख से हैं और इनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमति प्रदान किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) इस मंत्रालय में औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का कार्यनिष्पादन

3980. श्री अनंत गुढ़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान योजना-वार निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इसकी उपलब्धियों के संबंध में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) वैश्वीकरण के संदर्भ में इसके विस्तार, सुदृढ़ीकरण, उन्नयन और संगठन के पुनर्गठन के लिए अंतिम रूप दी गई/विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) तैयार की जा रही नई योजनाओं और विविधिकरण हेतु योजनाएं, अंतिम रूप दी गई/विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके विस्तार हेतु योजनाओं सहित विदेश में यूटीआई के कार्यों की कार्यनिष्पादन समीक्षा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) के लक्ष्यों की तुलना में इसके कार्यनिष्पादन की इनके न्यासी मंडल द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(ख) सरकार के सुझाव पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने वित्तीय क्षेत्र सुधारों तथा म्यूचुअल फंड उद्योग के घटनाक्रम के आलोक में अपनी प्रतिस्पर्धी एवं वाणिज्यिक अवस्थिति की पुनरीक्षा के लिए एक कार्पोरेट अवस्थिति समिति गठित की है। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान नए बाजारों, अपतटीय एवं ग्रामीण दोनों का विकास करने; खंडित विपणन एवं सेवाएं तथा दीर्घावधिक, उच्च निवल आस्ति वाले तथा संस्थागत निवेशकों को व्यक्तिपरक सेवा; प्रौद्योगिकी के उन्नत उपयोग; कर्मचारियों के सशक्तीकरण एवं पुनर्नियोजन, परिसंपति आबंटन कार्यनीतियों के नियमित अनुवीक्षण; पेंशन योजनाओं, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तथा वितरण सेवाओं जैसे नए व्यवसायों में प्रवेश पर जोर दिया जाएगा।

(घ) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार अपतटीय निधियों का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य 30 जून, 1999 के 1,711 करोड़ रुपए की तुलना में 2,890 करोड़ रुपये था। 30 जून, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान दो अपतटीय निधियां यथा इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तथा इंडिया मीडिया, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन फंड आरंभ की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने श्रीलंका, भूटान तथा मिस्र जैसी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यूनिट ट्रस्टों के विकास के लिए सहयोग प्रदान किया है। इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए बंगला देश तथा तंजानिया के साथ वार्ता चल रही है।

कम्पनियों द्वारा भुगतान किया गया कर

3981. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अलग-अलग कितने निगमित कर और अन्य कर का भुगतान किया गया है;

(ख) उपर्युक्त दर्शाई गई अवधि के दौरान विशेष रूप से वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा कितने आय कर का भुगतान किया गया; और

(ग) आय कर से अर्जित कुल राशि में वेतनभोगी व्यक्तियों का कितने प्रतिशत अंशदान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (फरवरी, 2001 तक) के लिए अदा किया गया निगम कर क्रमश 24528.87 करोड़ रुपए, 30692.29 करोड़ रुपए और 25061.71 करोड़ रुपए है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अदा किए गए निगम कर के कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। जहां तक धन कर और व्यय कर जैसे अन्य प्रत्यक्ष करों का संबंध है, चूंकि इन करों का भुगतान निगम और गैर-निगम दोनों करनिर्धारितियों द्वारा किया जाता है, अतः कम्पनियों द्वारा अदा किए गए ऐसे करों के विवरण अलग से नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) वेतनभोगी व्यक्तियों के संबंध में वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए स्रोत पर काटा गया कर क्रमशः 6440.76 करोड़ रुपए और 9353.55 करोड़ रुपए है जो कुल आय कर संग्रहण (निगम कर के अलावा) में से 31.82% और 36.46 बैठता है। वर्ष 2000-2001 के लिए ऐसे विवरण इस समय उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इनका संकलन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात् लेखाओं के समाप्त होने पर किया जाता है।

ग्रामीण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण

3982. श्री बी.वी.एन. रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में ग्रामीण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा चालू वर्ष में दी गई वित्तीय सहायता सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक ने चालू वर्ष के दौरान चार परियोजनाओं के लिए 387.1 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के ऋणों को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं हैं—आंध्र प्रदेश जिला निर्धनता रोधी उपाय परियोजना, राजस्थान जिला निर्धनता रोधी उपाय परियोजना, मध्य प्रदेश जिला निर्धनता रोधी उपाय परियोजना और केरल ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना। विश्व बैंक ने चारों परियोजनाओं को प्रभावी घोषित कर दिया है।

खाद्य वस्तुओं की खरीद नीति की समीक्षा

3983. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दस वर्षों के अनुभव के आधार पर हाल ही में खाद्य वस्तुओं की खरीद संबंधी नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनहित में की गई/प्रस्तावित नई और व्यवहारिक पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रशासनिक भंडारण व्यय में काफी कमी लाते हुए खाद्यान्नों की खरीद के संबंध में अगले पांच वर्षों के लिए तैयार की गई कार्य योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, देश के लिए एक दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के विचाराधीन विषयों में न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्य समर्थन प्रचालनों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली, बफर स्टाक से संबंधित नीति, खुले बाजार में हस्तक्षेप एवं निर्यात/आयात, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा अन्य कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों का आवंटन और भारतीय खाद्य निगम से संबंधित मामले, जिनमें खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में कमी करने की संभावना भी शामिल है, से संबंधित मामले शामिल हैं। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट मई, 2001 तक पूरी कर लिए जाने की आशा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायकों की भर्ती

3984. श्री सुनील खां: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय—आसनसोल मंडल द्वारा 27 जनवरी, 1996 को 275 उम्मीदवारों को सहायक संवर्ग के पैनल में रखा गया था;

(ख) क्या इस पैनल में अभी तक कोई नियुक्ति की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन उम्मीदवारों की भर्ती कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1996 में आसनसोल मण्डल में 275 अभ्यर्थियों का एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल में से 208 अभ्यर्थियों को अब तक नियमित नियुक्तियों की पेशकश पहले ही की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पैनल में बचे शेष अभ्यर्थियों को पैनल में उनके रैंक के आधार पर ही नियमित रिक्तियां उपलब्ध होने पर नियुक्तियों की पेशकश की जाएगी।

[हिन्दी]

बुनियादी ढांचा संतुलन योजना के अधीन परियोजनाएं

3985. प्रो. रासा सिंह रावतः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संतुलन योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा परियोजनावार कुल कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई;

(ग) प्रत्येक परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने किसी परियोजना की लागत में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना की शुरूआत केवल 8वीं योजना के अंतिम वित्तीय वर्ष में की गई थी। नौवीं योजना के दौरान राजस्थान सरकार की स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

परियोजना	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	जारी की गई राशि (लाख रु. में)	स्थिति
सीतापुर जयपुर में अर्थ स्टेशन	150.00	150.00	कार्य पूर्ण हो चुका है।
धेरूहरा-भिवाड़ी रोड, अल्वर की चार लेनें बनाना	400.00	400.00	कार्य पूर्ण हो चुका है।
पत्थर विकास केन्द्र, जयपुर	300.00	200.00	कार्यान्वयन के अधीन
एक्स-रे मशीन, एअर कार्गो कम्पलैक्स, जयपुर	19.00	19.00	कार्यान्वयन के अधीन
इलैक्ट्रानिक वेब्रिज, इनलैंड कंटेनर डिपो, जयपुर और जोधपुर	15.00	15.00	कार्यान्वयन के अधीन

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपरोक्त (घ) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारक

3986. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज तक भारतीय जीवन बीमा निगम के कुल कितने पॉलिसी धारक हैं; और

(ख) निजी क्षेत्र के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए निगम के व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि दि. 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार पॉलिसी धारकों की संख्या लगभग 7.87 करोड़ है।

(ख) जीवन बीमा निगम ने अपने कारोबार में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) सभी 2048 शाखा कार्यालयों में प्रचालनों का गहन कम्प्यूटरीकरण करके सेवा गुणवत्ता में सुधार करना।

(2) विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण ताकि प्रचालनों में तेजी लाई जा सके।

(3) पॉलिसी धारकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।

(4) प्रशिक्षण और दिशा-निर्देशन के जरिए संगठन में मानव संसाधनों के स्तर में सुधार करना।

(5) बीमा करवाने वाली जनता की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद शृंखलाओं को बेहतर बनाना।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

3987. श्री अशोक ना. मोहोलः
श्री ए. वेंकटेश नायकः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने वर्तमान आपदा सहायता संबंधी उपायों के साथ-साथ काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम को रोजगार आश्वासन योजना तक ही सीमित न रखा जाए;

(घ) यदि हाँ, तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार ने क्या मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1977-78 के मार्ग-निर्देशों को लागू किए जाने का कोई प्रस्ताय है;

(च) यदि हां, तो 1977-78 के मार्ग-निर्देशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(छ) राज्य सरकारों के अनुरोध पर सरकार ने और कौन-कौन से उपाय किए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

3988. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्ष पहले सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों को विनिवेश के लिए चुना गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 2001-2002 में विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का बाजार शेयर मूल्य तेजी से घट रहा है;

(घ) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के इन उनक्रमों के शेयरों का बाजार मूल्य 2 वर्ष पहले कितना था और वर्तमान मूल्य कितना है;

(ङ) इन उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) इसमें हुए विलम्ब के कारण कुल कितनी हानि हुई;

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश किए जाना है उनके शेयरों में पूंजी बाजार और स्टॉक एक्सचेंजों में हेरा-फेरी की जा रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में इस प्रकार की हेरा-फेरी को रोकने हेतु शेयरों की मानीटरिंग के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) वार्षिक विनिवेश कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा विशेषकार हर वर्ष तैयार किया जाता है। तथापि, बाजार परिस्थितियों, विचाराधीन कम्पनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन, बिक्री के निबन्धन और शर्तें, बोलीदाताओं की अभिरुचि, इच्छुक पार्टियों द्वारा विधिवत अध्यवसाय के लिए लिया गया समय इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों को लेकर विनिवेश कार्रवाई लक्षित तारीख तक पूर्ण नहीं हो पाती। यह इस तथ्य के कारण भी है कि भारत सरकार लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए जल्दबाजी में कोई विनिवेश नहीं करती है। इन परिस्थितियों में पहले के वर्षों में विनिवेश के लिए तय की गई कम्पनियों को आगामी वर्ष के विनिवेश योजना में ले जाया जाता है।

(ख) जैसा कि वित्त मंत्री ने वर्ष 2001-2002 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है, 27 कम्पनियों में विनिवेश/अनुकूल बिक्री को 2001-2002 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है। ये कम्पनियां हैं:

एयर इण्डिया, सी एम सी लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. चरण-1, हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड लि., हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., इण्डियन एयर लाइन्स, आई बी पी लि., भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि., भारतीय पर्यटन विकास निगम लि., मद्रास उर्वरक लि., खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि., राष्ट्रीय उर्वरक लि., पारादीप फॉस्फेटस लि., स्पौंज आयरन इण्डिया लि., राज्य व्यापार निगम लि., भारत पम्पस और कम्प्रेसर्स लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि., भारतीय पर्यटन विकास निगम संयुक्त उद्यम, जेसप एण्ड कम्पनी लि., नेपा लि., स्कूटर्स इण्डिया लि., तुंगभद्रा इस्पात कम्पनी लि., विदेश संचार निगम लि., प्राग टूल्स लि., भारत ब्रेक एण्ड वाल्वस लि.।

उपरोक्त के अलावा, भारतीय तेल निगम, महानगर टेलीफोन निगम लि., भारत गैस प्राधिकरण लि. और कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में अल्पांश भागीदारी के विनिवेश करने के पहले के वर्षों के निर्णयों को प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण क्रियान्वित नहीं किया जा सका है।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) विनिवेश का निर्णय और ऐसे निर्णय का अंतिम रूप से क्रियान्वयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर संबंधित विभागों/मंत्रालयों के साथ अन्तर्मन्त्रालय परामर्श करना होता है और व्यवसायिक सलाहकारों की सलाह लेनी होती है। इसके अलावा, बाजार परिस्थितियां, विचाराधीन कम्पनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन, बिक्री के निबन्धन और शर्तें, बोलीदाताओं की अभिरुचि, इच्छुक पार्टियों द्वारा विधिवत अध्यवसाय में लिया गया समय इत्यादि जैसे कारणों की वजह से विनिवेश प्रक्रिया के पूरा होने में लक्षित समय से अधिक समय लग सकता है।

(च) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाजार हिस्से की हानि सामान्य तौर पर उनके मूल्य को कम कर देती है। अतः सरकार ऐसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमां को विनिवेश योजना में शामिल करने का प्रयास करती है। चूंकि शेयरों का मूल्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है अतः केवल बाजार शेयरों में मंदी के कारण घाटे का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(छ) और (ज) जी, हां। सरकार को, कुछ माननीय संसद सदस्यों सहित, कतिपय शेयरों के मूल्य में गिरावट आने और शेयर मूल्यों में गड़बड़ी करने के आरोपों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए विभिन्न हल्कों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर मूल्यों

का व्यवहार एक ऐसा तथ्य है जो बाजार ताकतों द्वारा संचालित होता है। तथापि, देश के स्टॉक बाजारों को विनियमित करने वाला भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड इन मुद्दों पर ध्यान देता है।

टकसालों को बंद किया जाना

3989. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में स्थित सभी टकसालों को बंद किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी मात्रा में सिक्कों का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो आयातित सिक्कों की तुलना में देश में निर्मित सिक्कों का वर्तमान अनुपात क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने टकसालों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की भी घोषणा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक अल्पावधिक उपाय के रूप में सिक्कों की मांग और देशीय आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए सिक्कों का आयात किया जा रहा है। वर्ष 1997-98 और 1999-2000 के बीच 3 बिलियन अदद सिक्कों का आयात किया गया जिनका अनुपात देश में निर्मित सिक्कों के सम्बन्ध में लगभग 1:2.2 था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानक

3990. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप की जाती है और इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि का अनुसरण करते हुए सैम्पल इकट्ठे किए जाते हैं;

(ख) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम केवल पेट्रोलियम उत्पादों सहित उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले में ही लागू होता है;

(ग) क्या यह आम प्रक्रिया है कि यदि एचएसडी की ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या के समान न हो तो बरामद किए गए उत्पादों का भंडारण अंतिम निर्णय लिए जाने तक अलग-अलग टैंकों में किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान उपर्युक्त परीक्षण में कितने नमूने असफल रहे हैं और बरामद किए गए और तेल कम्पनियों के टर्मिनलों/डिपो में भंडार किए गए उत्पादों का पंपवार और कंपनीवार मूल्य कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम अनिवार्य घोषित की गई विभिन्न वस्तुओं पर लागू होते हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पाद भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

बाल्को को बंद किया जाना

3991. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री तिरूनावकरसु:

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टरलाइट प्रबंधन ने हाल ही में महत्वपूर्ण स्मैल्टर संयंत्र सहित भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बाल्को) संयंत्र के कर्मचारियों ने 3 मार्च, 2001 की पहली पारी से हड़ताल कर रखी है। संयंत्र को किसी भी प्रकार के नुकसान/क्षति से बचाने के लिए बाल्को प्रबंधन ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की कई अपीलें की हैं। लेकिन हड़ताल आज दिन तक जारी है जिस कारण प्रगलक संयंत्र की पोट लाइनें बंद कर दी गई हैं और संयंत्र को अप्राप्य क्षति पहुंची है। पिघली हुई धातु का जमना शुरू हो गया है।

(ग) सरकार, कानून व्यवस्था बनाए रखने और संयंत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य प्रशासन के साथ संपर्क में रही है। सचिव (विनिवेश) ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिन्होंने यह सूचित किया है कि राज्य सरकार बाल्को संयंत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए बहुत आतुर है और वह फैक्टरी में उत्पादन

सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करेगी। विनिवेश राज्य मंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री को भी पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की ओर आकर्षित किया है और उससे इन निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भारत सरकार को अवगत कराते रहने का अनुरोध किया है।

विदेशों पर ऋण

3992. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई देशों को एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया को ब्याज सहित ऋण की बड़ी राशि का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो मूल राशि के साथ-साथ ब्याज की राशि को अलग-अलग दर्शाते हुए देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मूल राशि और ब्याज की वसूली के लिए और प्रत्येक देश द्वारा भुगतान किए जाने के बाद भविष्य में ऋण की मानीटरिंग के लिए कोई कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) बकाया धनराशि भारत से किए गए निर्यातों के कारण रुपए में ईसीजीसी द्वारा अदा किए गए दावों के संबंध में और उन दावों के संबंध में है जिसके लिए निर्यातक आय प्राप्त करने में विफल रहे थे। ऐसी बकाया राशियों पर ब्याज की कोई सम्मत दर नहीं है। शामिल अधिकांश देश अत्यधिक गरीब और कर्ज में डूबे हुए देश हैं और वे सभी विकसित देशों से पर्याप्त ऋण राहत का लाभ उठा रहे हैं। ईसीजीसी द्वारा रुपयों में भुगतान किए गए दावे और देश-वार वसूली हेतु बकाया धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बकाया धनराशि व्यापार बकाया के स्वरूप की है। ईसीजीसी अपनी ओर से राजनयिक माध्यमों और ऋण वसूली व्यवस्थाओं के जरिए यथासंभव अधिक से अधिक बकाया राशि को वसूलने का प्रयास कर रहा है। भारत के कुछेक व्यापार भागीदारों द्वारा असंदत्त ऋण के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति ने हमारे वाणिज्यिक मिशनों के जरिए विदेशी सरकारों के साथ आंकड़ों का मिलान करने और ऋण इक्विटी समायोजन इत्यादि जैसे विभिन्न उपायों के जरिए ऋण वसूली की संभावना का पता लगाने और देश-वार ऋण समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए एग्जिम बैंक और ईसीजीसी की सहायता से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया देशवार विस्तृत ऋण संबंधी आंकड़ा आधार रखने का निर्णय लिया है।

विवरण

28.2.2001 की स्थिति के अनुसार अदा किए गए दावों और वसूली हेतु बकाया धनराशि

(करोड़ रु. में.)

देश का नाम	कुल बकाया धनराशि
ईराक	481.67
युगांडा	57.05
सूडान	34.67
क्यूबा	41.36
अंगोला	22.66
तंजानिया	4.01
मोजाम्बिक	9.52
जाम्बिया	14.74
सिरालिओन	1.50
वियतनाम	2.05
निकारागोआ	1.07
इथोपिया	23.49
सेसेल्स	1.61
मिश्र	0.12
घाना	0.04
गुआना	0.30
मालावी	0.03
रोमानिया	0.28
सीरिया	0.06
अपर वोल्टा	0.17
वेनेजुएला	0.06
वाई ए आर	0.05
ईरान	0.06
केन्या	0.02
लीबिया	0.94
नाइजीरिया	0.07
सऊदी अरब	0.37
कुल	697.97

सुपर बाजारों का कार्यसंचालन

3993. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अब तक सुपर बाजार को आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने सुपर बाजार के कार्य संचालन की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इस समीक्षा का क्या परिणाम रहा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 28.2.2001 तक सरकार द्वारा सुपर बाजार को ऋण के रूप में 8 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई तथा वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई।

(ख) और (ग) सरकार सुपर बाजार के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा करती रही है और इसके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु सुपर बाजार के प्रबंधकों को आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने सुपर बाजार के कार्यकरण की समीक्षा नहीं की है।

कुशल श्रमिक

3994. श्री सुबोध मोहिते: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुशल श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं से दूर रखने के लिए कोई फार्मूला तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुशल श्रमिकों का अभाव होने की स्थिति में सरकार द्वारा नई भर्तियां किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) आज की तारीख के अनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए व्यापक रूप से एक संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का संबंध है, लोक उद्यम विभाग द्वारा अपने दिनांक 5.5.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-2(32)/97- डी पी ई (डब्ल्यू सी) जी एल-XXII के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इनमें प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने के अधिकार दिये गये हैं कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के दायरे में मुख्यत: उन्हीं कर्मचारियों को लाया जाए, जिनकी सेवाओं को कंपनी को नुकसान पहुंचाये बिना समाप्त किया जा सकता है और उच्च योग्यता प्राप्त कामगारों और स्टाफ को यह विकल्प न दिया जाए।

(ग) और (घ) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत पैदा होने वाली रिक्तियों के प्रति कोई भर्ती नहीं की जा सकती। किंतु, सरकारी विभागों में, लागू संगत नियमों और निर्देशों के तहत भर्तियां की जा सकती हैं।

[हिन्दी]

छात्रों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर

3995. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान छात्रों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और भविष्य में उच्च शिक्षा के और अधिक महंगे होने की संभावना को देखते हुए ऋण की कठिन प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी बिड़ला अंबानी रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस रिपोर्ट में की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। तथापि, नई दिल्ली में दिनांक 13 जून, 2000 को वित्त मंत्री जी की सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में किए गये विचार-विमर्श के अनुसार विभिन्न बैंकों की मौजूदा शिक्षा ऋण योजनाओं विशेषकर ब्याज दर, संपार्श्विक प्रतिभूति और वापसी अदायगी शर्तों आदि से संबंधित पैरामीटरों की पुनरीक्षा के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया था। इस अध्ययन दल ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्री जी ने अपने 2001-2002 के बजट भाषण में एक नए व्यापक शिक्षा ऋण योजना की घोषणा की है। इस योजना में भारत एवं विदेश के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इस योजना के तहत भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपए तक और विदेश में अध्ययन के लिए 15 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध होंगे। 4 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए कोई संपार्श्विक या मार्जिन राशि नहीं होगी और बैंकों की मूल उधार दर (पी एल आर) से ब्याज दर अधिक नहीं होगी। 4 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए ब्याज दर मूल उधार दर और 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऋणों को रियायती अवधि के प्रावधान सहित 5 से 7 वर्ष की अवधि में वापस करना होगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उद्योगपतियों को अनुदान

3996. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योगपतियों को कुल लागत का एक प्रतिशत अनुदान देकर सहयोग कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने यह प्रावधान देश के अन्य राज्यों में भी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) गुजरात तथा अन्य राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को संवर्धित करने के लिए सरकार विकास केन्द्र योजनाओं के माध्यम से सहायता कर रही है। विकास केन्द्रों को विद्युत, जल, दूरसंचार तथा बैंकिंग जैसी मूल अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि उद्योगों को आकर्षित करने में उनकी सहायता की जा सके। सरकार प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए इक्विटी के माध्यम से 10 करोड़ रुपए का योगदान करके राज्य सरकारों की सहायता करती है। शेष राशि राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरण (उद्योगपतियों सहित) द्वारा जुटाई जाती है, जो परियोजना लागू करते हैं। इस प्रकार जारी राशि के उपयोग का परिवीक्षण सामान्य सरकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों में घटिया लेखन सामग्री का प्रयोग

3997. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 2001 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पुअर स्टेशनरी आब्लिटरेटिंग रिकार्डस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकारी कार्यालयों में घटिया लेखन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित कागज और स्याही के लिए लिखा है; और

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित कागज और स्याही का ब्यौरा क्या है और सरकारी विभागों को वस्तुओं की बिक्री करने के लिए अनुमोदित एनसीसीएफ और सुपर बाजार द्वारा सरकारी कार्यालयों को इनकी बिक्री न किए जाने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चूंकि बाजार में अलग-अलग गुणवत्ता वाला कागज और अलग-अलग किस्म की स्याही उपलब्ध है और वे सभी मानक गुणवत्ता वाले नहीं हो सकते हैं, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को परिपत्र जारी करके स्थायी स्वरूप के सरकारी रिकार्डों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए संगत भारतीय मानकों के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित अच्छी गुणवत्ता वाले कागज और स्याही का प्रयोग करने के बारे में लिखा है।

सुपर बाजार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मांगकर्ता विभागों द्वारा बताई गई विनिर्दिष्टियों के अनुसार लेखन सामग्री की आपूर्ति करते हैं।

क्रिकेट खिलाड़ियों के खिलाफ जांच

3998. श्री विजय गोयल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी पूर्व क्रिकेट कप्तान द्वारा अपने लॉकर में अघोषित विदेशी मुद्रा रखे जाने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) बम्बई जिमखाना के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 25.9.1999 को एक लॉकर तोड़ा गया था। लॉकर में पाए गए यात्री चैक, विभिन्न देशों के करंसी नोट और कुछ व्यक्तिगत सामान से पता चला कि लॉकर श्री सुनील गावस्कर का है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब तक की गई जांच के दौरान श्री सुनील गावस्कर ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया कि उक्त लॉकर में पाई गई विदेशी मुद्रा उनसे संबंधित है। उनका यह भी दावा है कि लॉकर में पाए गए यात्री चैक मैसर्स इंटेक्स समूह की कम्पनियों से निजी खर्चों के लिए भत्ते के रूप में प्राप्त 3000 अमरीकी डालर और 7500 यू. के. पाउंड (15000 अमरीकी डालर के बराबर) के यात्री चैकों का हिस्सा है और कि उनके निवास स्थान पर किए जा रहे नवीकरण के फलस्वरूप विदेशी मुद्राएं लॉकर में रखी गई थीं। ऐसा दावा है कि लॉकर में पाई गई शेष मुद्राएं उनके द्वारा विदेशी यात्राओं के लिए ली गई विदेशी मुद्रा की अप्रयुक्त राशि है। श्री गावस्कर ने 15000 अमरीकी डालर के बराबर यात्री चैकों के अतिरिक्त, मैसर्स इंटेक्स समूह की कम्पनियों से दिनांक 10.8.1999 के उनके करार की शर्तों के अनुसार परामर्श के लिए फीस के रूप में 75,000 अमरीकी डालर भी प्राप्त किए हैं।

भविष्य निधि और पेंशन निधि का निजीकरण

3999. श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि और पेंशन निधि के निजीकरण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधियों का निजी प्रबन्धन विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बकाया उत्पाद शुल्क

4000. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक 2002 और 386 कम्पनी की ओर से एक करोड़ रुपए से अधिक आयकर और उत्पाद शुल्क देय राशि बकाया है तथा यह कब से बकाया है और इसकी कुल राशि कितनी है और इसकी वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार सम्बद्ध कानूनों में संशोधन करने का है ताकि अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य न्यायालय स्थगनादेश देकर वसूली में अनावश्यक विलम्ब न कराएं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वसूली में शीघ्रता लाने हेतु कोई संशोधन करने का है और यदि हां, तो यह कब तक कर लिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) महोदय, 2002 कम्पनियां और 386 पार्टियां/निर्धारिती ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के प्रति एक करोड़ से अधिक आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग बकाया है। दिनांक 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार आयकर की कुल बकाया राशि 22729 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल बकाया राशि लगभग 3343 करोड़ रुपए है। चूंकि मांग कई वर्षों से संबंधित है और कर, ब्याज, अर्थदण्ड, शास्ति इत्यादि जैसे कई शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग समय पर लगाई जाती है, अतः मांग की बकाया की सही अवधि बताना संभव नहीं है।

बकाया मांग की वसूली/कटौती के कार्य को अधिक वरीयता दी जाती है और इनकी वसूली के लिए उपयुक्त प्रशासनिक, विधायी और अन्य उपाय किये जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से भी अनुरोध किया जाता है और जहाँ न्यायालयों द्वारा वसूली कार्यवाहियों पर रोक लगा दी जाती है, वहां लगी रोक को हटवाने के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन मामलों में आवश्यकता हो, तेजी से वसूली के लिए बाध्यकारी उपाय किये जाते हैं।

(ख) से (घ) वित्त विधेयक 2001 का खण्ड 78 आयकर की धारा 254 के संशोधन का प्रयत्न इस उपबन्ध हेतु करना चाहता है कि जहाँ कहीं करदाता द्वारा दायर की गई अपील से संबंधित किसी भी कार्यवाही में आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है, वहाँ अपीलीय अधिकरण स्थगन प्रदान करने के आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के अन्दर अपील का निपटान करेंगे और यदि ऐसी अपील का निपटान नहीं किया जाता तो निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद स्थगनादेश समाप्त समझा जाएगा। प्रस्तावित संशोधन आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए स्थगनादेशों के कारण वसूली में अनावश्यक विलम्ब न हो इसे सुनिश्चित करने के माध्यम से प्रत्यक्ष कर बकायों की वसूली को गति प्रदान करेगा।

जहाँ तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संबंध है बकाया की वसूली के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियमावली के अन्तर्गत उदाहरणार्थ धारा ।। के अन्तर्गत पर्याप्त उपबंध उपलब्ध हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी निर्धारिती को संदाय योग्य राशि में से ऐसी देयताओं की कटौती कर सकते हैं, निर्धारिती के उत्पाद शुल्क योग्य माल को जब्त कर सकते हैं और प्रमाणपत्र कार्रवाई कर सकते हैं। कर देयताओं की वसूली के लिए नियम 230 के अन्तर्गत निर्धारिती के माल, प्लांटों और मशीनरी पर रोक लगा सकते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामलों पर दिनांक 2.9.1997 से लागू किया गया है जो सरकार के प्रति देयताओं की वसूली के लिए चल/अचल सम्पत्तियों की जब्ती, उनकी नीलामी इत्यादि के द्वारा सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को और अधिक शक्तियां प्रदान करता है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण

4001. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) देश में राज्यवार कितने कम्प्यूटरीकृत आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार देश में और अधिक कम्प्यूटरीकृत आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार, स्थानवार, विशेषकर महाराष्ट्र के धुले और जलगांव स्थित आकाशवाणी केन्द्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालयों के साथ कम्प्यूटर पर सूचनाओं के आन लाइन आदान-प्रदान हेतु 131 आकाशवाणी केन्द्रों के पास कार्यालयीन कार्यों के लिए कम्प्यूटर की सुविधा पहले से उपलब्ध है। 10वीं योजना के दौरान, प्रसार भारती का सभी आकाशवाणी केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है। आकाशवाणी, जलगांव इन्टरनेट तथा ई-मेल सहित कम्प्यूटर की सुविधा से पहले से ही सुसज्जित है तथा ऐसी ही सुविधा आकाशवाणी, धुले में बहुत ही जल्दी स्थापित की जा रही है। देश में कोई भी दूरदर्शन केन्द्र पूर्णरूप से कम्प्यूटरीकृत नहीं है। तथापि, अधिकांश केन्द्रों में कम्प्यूटर आधारित उपकरण तथा कार्यालयीन कार्यों के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध हैं। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन केन्द्रों के लिए समय-समय पर कम्प्यूटर आधारित उपकरण एवं कम्प्यूटर प्राप्त किए जा रहे हैं तथा इन्हें स्थापित किया जा रहा है। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यालयीन कार्यों को सरल और कारगर बनाने के लिए सहयोगी उपकरणों सहित 460 कम्प्यूटरों के प्रावधान संबंधी एक स्कीम को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है।

कम्प्यूटर सुविधाओं से सुसज्जित आकाशवाणी केन्द्रों सहित आकाशवाणी केन्द्रों तथा देश में इस समय कार्यरत दूरदर्शन स्थापनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	काम कर रहे रेडियो केन्द्रों की संख्या	कम्प्यूटर सुविधाओं वाले रेडियो केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	1
3.	असम	10	5
4.	बिहार	5	2
5.	छत्तीसगढ़	5	4
6.	दिल्ली	1	1
7.	गोवा	1	1
8.	गुजरात	7	5
9.	हरियाणा	3	3
10.	हिमाचल प्रदेश	6	2
11.	जम्मू तथा कश्मीर	6	5
12.	झारखण्ड	5	2
13.	कर्नाटक	13	9
14.	केरल	7	5
15.	मध्य प्रदेश	14	10
16.	महाराष्ट्र	20	15
17.	मणिपुर	1	1
18.	मेघालय	5	1
19.	मिजोरम	3	1
20.	नागालैण्ड	4	1
21.	उड़ीसा	11	7
22.	पंजाब	3	2
23.	राजस्थान	17	11
24.	सिक्किम	1	1
25.	तमिलनाडु	9	8
26.	त्रिपुरा	3	1
27.	उत्तरांचल	6	1
28.	उत्तर प्रदेश	14	12
29.	पश्चिम बंगाल	5	2
	केन्द्र शासित प्रदेश		
30.	अण्ड. तथा निको.	1	1
31.	चण्डीगढ़	1	1
32.	पाण्डिचेरी	2	2
33.	लक्षद्वीप तथा मिनिकाय द्वीप समूह	1	1
34.	दमन तथा दीव	1	1
		208	131

विवरण-II

दूरदर्शन नेटवर्क (1.3.2000 के अनुसार)

राज्य/ संघ राज्य	स्टूडियो	प्राथमिक कवरेज (डीडी-1) ट्रां.					मैट्रो चैनल ट्रां.			
		उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.	ट्रांसपोजर	कुल	उ.श.ट्रां.	अ.श.अ.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	कुल
असम	3	3	20	1	1	25	2	1	-	3
आन्ध्र प्रदेश	2	8	64	6	1	79	2	3	-	5
अरूणाचल प्रदेश	1	1	3	40	1	45	-	1	-	1
बिहार	2	3	29	-	-	32	1	-	-	1
छत्तीसगढ़	2	2	14	6	-	22	1	-	-	1
गोवा	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1
गुजरात	2	4	60	3	-	67	1	1	-	2
हरियाणा	-	-	12	-	-	12	-	4	-	4
हिमाचल प्रदेश	1	2	8	32	2	44	1	1	-	2
झारखण्ड	2	2	17	1	1	21	1	-	1	2
जम्मू तथा कश्मीर	2	5	7	38	1	51	2	2	-	4
केरल	1	3	19	2	-	24	2	2	-	4
कर्नाटक	2	5	44	4	-	53	1	-	-	1
मध्य प्रदेश	3	4	62	4	-	70	2	-	-	2
मेघालय	2	2	2	2	1	7	1	1	-	2
महाराष्ट्र	3	5	77	18	1	101	2	2	-	4
मणिपुर	1	1	1	5	-	7	-	1	1	2
मिजोरम	1	2	-	2	1	5	-'	2	-	2
नागालैण्ड	1	2	2	6	1	11	-	2	-	2
उड़ीसा	3	4	60	17	1	82	2	6	2	10
पंजाब	1	4	5	-	1	10	-	1	-	1
राजस्थान	1	5	66	17	2	90	2	1	-	3
सिक्किम	-	1	-	5	-	6	-	1	-	1
तमिलनाडु	1	4	40	5	2	51	1	-	-	1
त्रिपुरा	1	1	2	1	1	5	1	1	-	2
उत्तर प्रदेश	6	8	52	3	1	64	5	7	1	13
उत्तरांचल	-	1	13	29	2	45	1	-	-	1
प. बंगाल	3	5	20	3	-	28	2	1	-	3
दिल्ली	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1
अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	1	-	2	10	-	12	-	1	-	1
दमन और दीव	-	-	2	-	-	2	-	-	-	0
पांडिचेरी	1	-	2	2	-	4	-	1	-	1
लक्षद्वीप समूह	-	-	1	8	-	9	-	-	1	1
चण्डीगढ़	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1
दादरा व नगर हवेली	-	-	1	-	-	1	-	-	-	0
कुल	51	89	708	270	21	1088	35	44	6	85

टिप्पणी: उपरोक्त ट्रान्समीटरों के अलावा लोक सभा तथा राज्य सभा कार्यवाहियों को रिले करने के लिए दो अ.श.ट्रां. तथा क्षेत्रीय चैनल कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए श्रीनगर, कलकत्ता तथा चेन्नई प्रत्येक में एक उ.श.ट्रां. कार्य कर रहा है।

कुल ट्रांसमीटरों की संख्या – 1178

विस्फोटक नियम, 1983 में संशोधन

4002. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला प्राधिकारियों द्वारा विस्फोटक नियम, 1983 के प्रावधान के अन्तर्गत दिए गए लाइसेन्स विशेष कार्यों तक सीमित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश भर में छोटी खानों के मालिकों को खनन हेतु विस्फोटक रखने के लिए उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा से अनुमति लेनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो क्या उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा से लाइसेन्स प्राप्त करने में इन छोटी खानों के मालिकों को हर बार अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को राजस्थान सहित कई राज्य सरकारों से छोटी खदानों और पत्थर की खानों में विस्फोट करने की सुविधा हेतु विस्फोटक नियम, 1983 के कुछ नियमों में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां। जिला प्राधिकारी विशिष्ट कार्यों के लिए फार्म 23 में लाइसेंस जारी कर सकते हैं, जैसा कि विस्फोटक नियमावली, 1983 की अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) छोटे खान मालिकों को खनन उद्देश्यों के लिए विस्फोटकों को रखने और उपयोग करने हेतु विस्फोटक नियमावली, 1983 के फार्म 22 में विस्फोटक विभाग के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (सर्किल आफिस) में लाइसेंस लेना होता है जिसके अधिकार क्षेत्र में खान पड़ती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(ग) जी, नहीं। लाइसेंस प्रदान करने हेतु विस्फोटक नियमावली, 1983 के नियम 154 (4) में निर्धारित की गयी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है और विस्फोटकों को रखने तथा उनके उपयोग हेतु फार्म 22 में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जिलाधीश से एक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" सहित अपेक्षित दस्तावेज जमा कराने होते हैं। यदि सभी दस्तावेज ठीक पाये जाते हैं तो लाइसेंस प्रदान किया जाता है और उसे निरीक्षण व समर्थन हेतु संबंधित उप-क्षेत्रीय कार्यालय (सब-सर्किल आफिस) भेज दिया जाता है। निरीक्षण अधिकारी द्वारा अनुमोदन देने के बाद लाइसेंस प्रभावी हो जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों द्वारा आयकर का भुगतान

4003. श्री मोइनुल हसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल श्रम शक्ति में से कितने प्रतिशत कामगार और कर्मचारी आयकर का भुगतान करते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : आयकर विभाग द्वारा कुल श्रमिक संख्या, इसके संघटकों अर्थात् कामगारों और कर्मचारियों और इन संघटकों द्वारा चुकाये गये करों के ब्यौरों के संबंध में सूचना का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

नशीली दवाओं की तस्करी

4004. श्री वी.एम. सुधीरन:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नशीली दवाओं के चिन्ताजनक रूप से बढ़ते खतरे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में नशीली दवाओं की तस्करी रोकने हेतु कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नशीली दवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय माफिया के खिलाफ लड़ाई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के समन्वय हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जब्ती की प्रवृत्तियों से देश में नशीली दवाओं के चिन्ताजनक रूप से बढ़ते खतरे का पता नहीं चलता है।

(ख) और (ग) संविधान में प्रतिष्ठापित निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार भारत सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजन के लिए, विभिन्न कानूनों को अधिनियमित किया गया है जिनमें स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार रोकथाम संबंधी अधिनियम शामिल है जिनमें नशीली औषधियों के अवैध व्यापारियों को कठोर दण्ड देने और बार-बार अपराध करने के विशेष मामलों में मृत्युदण्ड की व्यवस्था है। इसके अलावा, बहुत सी प्रवर्त्तन एजेंसियों को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का अधिकार प्राप्त है। अन्य महत्वपूर्ण उपायों में मुखबिरों और प्रवर्त्तन कार्य से जुड़े अधिकारियों को पुरस्कार अदा करने हेतु नीति तैयार करने, प्रवर्त्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों में मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना शामिल है।

(घ) और (ङ) नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध व्यापार एक विश्वव्यापी समस्या है। चूंकि भारत ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ विषयक संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ विषयक सार्क अभिसमय और 13 देशों के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं, अतः उसने विश्व-स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ मिल कर एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है।

चीनी उद्योग को नियन्त्रण मुक्त करना

4005. श्री वरकला राधाकृष्णनः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) नियंत्रण मुक्त किए जाने से चीनी की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार ने इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सरकार ने चीनी उद्योग से चरणबद्ध ढंग से नियंत्रण समाप्त करने का निर्णय लिया है। चीनी कारखानों का लेवी दायित्व जो 1.1.2000 से 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया था उसे 1.2.2001 से और कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया है। उपर्युक्त निर्णय चीनी क्षेत्र में सुधार करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में चीनी पर से चरणबद्ध ढंग से नियंत्रण समाप्त करने और चीनी उद्योग की स्थिति में सुधार करने तथा उन्हें गन्ने के मूल्य का समय से भुगतान करने और गन्ना मूल्य की बकाया राशि का निपटान करने के संबंध में सरकार के निर्णय के एक हिस्से के रूप में लिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने अभी तक चीनी उद्योग से नियंत्रण समाप्त नहीं किया है। 1.2.2001 से केवल लेवी दायित्व को कम करके 15 प्रतिशत किया गया है। मुक्त बिक्री की चीनी की निर्मुक्ति के लिए मासिक निर्मुक्ति तंत्र को जारी रखा गया है। खुले बाजार में मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्य कई घटकों पर निर्भर करते हैं। यह संभव नहीं है कि मूल्य व्यवहार पर किसी एक घटक के प्रभाव को अलग किया जा सके। इस प्रकार मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों पर 1.2.2001 से लेवी दायित्व को कम करके 15 प्रतिशत करने के कारण पड़ने वाले प्रभाव को बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की चोरी

4006. श्री रामपाल सिंहः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मालगाड़ी से प्रतिवर्ष खाद्यान्नों की कितनी मात्रा का परिवहन किया जाता है;

(ख) हर वर्ष परिवहन के दौरान कितने मूल्य और मात्रा में खाद्यान्न खराब होता है या कितने मूल्य और कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की चोरी होती है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की चोरी रोकने हेतु कई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान मालगाड़ी द्वारा ढुलाई की गयी खाद्यान्नों की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सूचित की गयी समूची मार्गस्थ हानियां संलग्न विवरण-I में दी गयी हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की चोरी रोकने के लिए किए गए उपायों का सारांश संक्षेप में संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण-I

(क) मालगाड़ियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के ढुलाई किये गये खाद्यान्नों की मात्रा

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	मात्रा
1996-97	223.61
1997-98	180.61
1998-99	178.97
1999-2000	212.32

(ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में मार्गस्थ हानियां

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	कीमत (करोड़ रुपये में)
1996-97	3.45	215.98
1997-98	2.78	192.05
1998-99	2.66	198.00

विवरण-II

भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. रेल मंत्रालय ने यथासंभव सीमा तक संवेदनशील खण्डों में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा बल तैनात किया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यार्डों और अन्य प्रभावी क्षेत्रों में गहन बीट पैट्रोलिंग भी की जा रही है। अपराध

आसूचना एकत्र करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को सादे कपड़ों में भी तैनात किया गया है। रेलवे ने कई अन्य उपाय भी किए हैं ताकि प्रेषणों की चोरी और उनसे उत्पन्न दावों पर रोक लगायी जा सके।

2. भारतीय खाद्य निगम ने भी भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं पर सुरक्षा कड़ी करने, कुछ डिपुओं पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लगाने, चुनिन्दा रेल शीर्षों, अन्तरपोत लदान स्थानों और गन्तव्य केन्द्रों पर विशेष दस्ते की जांच और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने सहित अचानक की जाने वाली जांच में तेजी लाने, बोरियों की मशीन से सिलाई को प्रोत्साहित करने, नियमित रूप से स्टाक का सत्यापन करने और हानियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने सहित अनेक प्रशासनिक और संभारतंत्र संबंधी उपाय किए हैं।

भारतीय पत्तनों से खाद्यान्नों का निर्यात

4007. श्री मानसिंह पटेल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय पत्तनों से खाद्यान्नों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या विदेशों को खाद्यान्नों के निर्यात में विलम्ब होता है; और

(ग) यदि हां, तो इन पत्तनों से खाद्यान्नों का समय पर निर्यात सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वायत्त न्यासों को किए गए संदान को आयकर से मुक्त किया जाना

4008. श्री रामनायडू दग्गुबाटि: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वायत्त न्यासों को किए गए संदान को आयकर से मुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार के स्वायत्त न्यास– तिरूमला तिरूपति देवस्थानम की जलन्धी योजना हेतु किए गए संदान को आयकर मुक्त करने का कोई अनुरोध केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। ऐसे न्यासों को विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत छूट उपलब्ध है यदि उसमें शर्तें विनिर्दिष्ट कर दी जाती हैं।

(ख) जी, नहीं। अनुरोध लम्बित नहीं है।

(ग) तिरूमला तिरूपति देवस्थानम ट्रस्ट के श्री वेंकटेश्वर जलनिधि स्कीम ने एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के लिए राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक कल्याण प्रोन्नति समिति से अनुमोदन हेतु आवेदन किया था। धारा 35 क ग के अंतर्गत अनुमोदित संस्थाओं के दाता उनके द्वारा किए गये व्यय क लिए 100 प्रतिशत कटौती प्राप्त करने के पात्र हैं।

उक्त अनुरोध पर विचार किया गया है और राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। उक्त ट्रस्ट ने दूसरी बार आवेदन किया था परन्तु उसे राष्ट्रीय समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका।

[हिन्दी]

बैंक की शाखाओं को बन्द किया जाना

4009. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:
चौधरी तेजवीर सिंह:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक को ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं बन्द करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेषत: सरकारी क्षेत्र के बैंकों की देश के सामाजिक-आर्थिक स्वरूप के प्रति प्रतिबद्धता के संबंध में उक्त निर्णय के व्यापक प्रभावों का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक को बैंक के पुनरुज्जीवन हेतु तैयार की गई पुनर्संरचना योजना के अनुसार अपनी अलाभकारी शाखाओं को बन्द करने की अनुमति दी है।

(ग) और (घ) पुरर्संरचना योजना में, विशेषतया महानगरीय क्षेत्रों में ग्राहकों को दी जा रही सेवा पर प्रभाव डाले बिना लागत को घटाने हेतु शाखाओं का विलयन अथवा उन्हें बन्द करके युक्तियुक्त बनाया जाना सम्मिलित है। जहां तक ग्रामीण केन्द्रों का सम्बन्ध है, बैंकों को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि युक्तियुक्त प्रक्रिया का परिणाम जनता को बैंकिंग सुविधाओं से वंचित होना न हो जाए। भारतीय रिजर्व बैंक यूको बैंक द्वारा शाखाओं को बन्द करने/विलयन करने के कारण जनता को बैंकिंग सुविधाओं की वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने को भी ध्यान में रखे हुए है।

नेपा लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण

4010. श्री भेरूलाल मीणा: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम बी.आई.एफ.आर. और केन्द्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही पुनरुद्धार पैकेज के अंतर्गत वेतन पुनरीक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन कर सकते हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की नेपा नगर स्थित नेपा लिमिटेड को वर्ष 1998 में ही रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उन कुछ उपक्रमों में वेतन पुनरीक्षण के क्या कारण हैं जो नेपा लिमिटेड के रुग्ण घोषित किये जाने से पूर्व ही रुग्ण घोषित किए जा चुके हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा दिनांक 1.1.1992 और 1.1.1997 से देय नेपा लिमिटेड की उक्त विसंगति को समाप्त करने और वेतन पुनरीक्षण को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) नेपा लिमिटेड की निवल पूंजी के ऋणात्मक हो जाने के परिणामस्वरूप, इसे बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था और मई, 1998 में इसे एक रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया। 1.1.1997 से प्रभावी वेतनमानों के संशोधन के संबंध में लोक उद्यम विभाग की वर्तमान पद्धति की अपेक्षा है कि बीआईएफआर को संदर्भित रुग्ण उपक्रमों के संबंध में वेतनमान संशोधन बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित अथवा अनुमोदित किए जाने वाले पुनरुद्धार पैकेज के अनुरूप तथा इन पैकेजों में समाविष्ट वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय का प्रावधान करने के पश्चात् होगा। मजदूरी संशोधन के लिए अलग-अलग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त अनुरोधों पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाता है। सरकार ने नेपा लिमिटेड के मामले पर विचार किया है और कर्मचारियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर वेतनमान 19.1.2001 से 1992 के वेतनमानों पर वेतन संशोधन की अनुमति दी गई है।

धान और गेहूँ की खरीद

4011. डा. चरण दास महंत: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 से आज की तारीख तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा छत्तीसगढ़ में धान और गेहूँ की खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) नए राज्य के सृजन के बाद कितने नए खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं और इन पर स्थान-वार कितना व्यय किया गया है;

(ग) वर्तमान समय में राज्य में उपलब्ध खाद्यान्नों का अतिरिक्त भंडार कितना है;

(घ) क्या भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्यान्नों की खरीद के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) खरीफ विपणन मौसम, 2000-2001 के दौरान छत्तीसगढ़ में राज्य एजेंसियों द्वारा धान की 5.13 टन मात्रा की वसूली की गई है। विपणन मौसम 2000-2001 के लिए गेहूँ की वसूली के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह मौसम 1.4.2000 को शुरू हुआ था और मध्य प्रदेश द्वारा गेहूं की वसूली 30.6.2000 को समाप्त कर दी गयी थी, जिस समय तक छत्तीसगढ़ का नया राज्य अस्तित्व में नहीं आया था।

(ख) कोई नया क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ग) अधिशेष स्टाक के रूप में राज्य में गेहूं की 2 लाख टन और चावल (सेला) की 4.09 लाख टन मात्रा उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने खरीफ विपणन मौसम, 2000-2001 के लिए लेवी चावल नीति तैयार की है। यह उन चावल मिल-मालिकों के लिए स्वैच्छिक योजना है जो इस स्कीम के अधीन अपने चावल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक दे सकते हैं।

गेहूँ और चावल का निर्यात

4012. श्री रामजीलाल सुमन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गेहूँ और चावल के निर्यात के लिए निजी व्यापारिक एजेंसियों की सहायता ली है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कौन-सी एजेंसियों को निर्यात के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ और चावल बेचा गया और उसकी मात्रा कितनी है एवं इसकी दर क्या है; और

(घ) निर्यात के लिए निजी और सरकारी एजेंसियों को बेचे जाने वाले गेहूँ और चावल के मूल्य में कितना अंतर है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी एजेंसियों जैसे राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, लोक उद्यम निगम, नेफेड, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और मार्कफेड को निर्यात के लिए गेहूं उस मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जो वर्तमान में 4150/- रुपये प्रति टन है, से कम न हो, वहीं भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए चावल उच्चतम बोली लगाने वाले निविदाकर्त्ता को 6750/- रुपये प्रति टन की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। गेहूं और चावल दोनों के निर्यात के लिए 31 मार्च, 2001 तक 20 लाख टन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के 27 उपक्रमों का विनिवेश

4013. श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री प्रभात सामन्तराय:
श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वित्त मंत्री द्वारा अपने 2001-2002 के बजट भाषण के दौरान व्यक्त की गयी नीतियों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 27 उपक्रमों का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी; और

(घ) इसे कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। यह आशा की जाती है कि वर्ष 2001-2002 के दौरान 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनकी सहायक कम्पनियों नामत: एयर इण्डिया, सी एम सी, विदेश संचार निगम लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. चरण-I, हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड लि., हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., आई बी पी लि., इण्डियन एयर लाइन्स, भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि., भारतीय पर्यटन विकास निगम लि., मद्रास उर्वरक लि., खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि., राष्ट्रीय उर्वरक लि., पारादीप फॉस्फेटस लि., स्पौंज आयरन इण्डिया लि., राज्य व्यापार निगम लि., स्कूटर्स इण्डिया लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि., भारतीय पर्यटन विकास निगम संयुक्त उद्यम, तुंगभद्रा इस्पात कम्पनी लि., भारत पम्पस और कम्प्रेसर्स लि., भारत ब्रेक एण्ड वाल्वस लि., प्राग टूल्स लि., नेपा लि., जेसप एण्ड कम्पनी में महत्वपूर्ण विनिवेश कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के लिए अपनाई गई प्रणालियों में, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से सलाहकारों का चयन, इच्छुक पार्टियों से हित की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करते हुए प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करना, घोषित मानदण्ड/आवश्यकताओं के प्रकाश में, वस्तुपरक छानबीन के बाद संभावित बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची बनाना, संभावित बोलीदाताओं द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विधिवत अध्यवसाय, बोलियों का मूल्यांकन आदि शामिल हैं। बोलियों का अंतिम चयन सभी प्रासंगिक कारकों और मुद्दों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(घ) इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया, क्रियान्वयन के विभिनन चरणों में है। इस प्रक्रिया को 31.3.2002 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

सावधि जमा राशि की वापसी

4014. श्री एन.आर.के. रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि डीसीएम लिमिटेड सावधि जमा राशि का इसके परिपक्व हो जाने के महीनों बाद भी अपने जमाकर्ताओं को दो वर्षों से सावधि जमा राशि का भुगतान नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसमें कितनी राशि अंतरग्रस्त है; और

(ग) प्रामाणिक जमाकर्ताओं और निवेशकों को धनराशि वापस करने हेतु कंपनी को बाध्य करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) कंपनी कार्य विभाग को विगत दो वर्षों के दौरान डीसीएम लिमिटेड द्वारा जमाओं का भुगतान नहीं किए जाने की 9 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें अंतर्ग्रस्त कुल राशि 2.96 लाख रुपए है।

(ग) परिपक्व जमाओं का भुगतान नहीं होने के बारे में जमाकर्ता निर्धारित शुल्क सहित विहित प्रपत्र में आवेदन के द्वारा आवश्यक आदेश के लिए कंपनी विधि बोर्ड के पास जा सकते हैं, जिसके पश्चात् कंपनी विधि बोर्ड वापसी-अदायगी का आदेश देगा। कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के अनुपालन का कंपनी पंजीयक द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है।

मोदी मनोरंजन नेटवर्क

4015. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने केबल आपरेटरों द्वारा दूरदर्शन चैनलों के ठेकों की निगरानी के लिए मोदी इन्टरटेनमेंट नेटवर्क की सेवाएं मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी कंपनियों की सेवाएं लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सेवा प्रदान करने के लिए किसी धनराशि का भुगतान भी दिया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि केबल नेटवर्क के माध्यम से दूरदर्शन चैनलों के अच्छी गुणवत्ता के सिग्नलों का प्रसारण सुनिश्चित करने तथा इसके कुछ चैनलों की मॉनीटरिंग करने के लिए दूरदर्शन ने मैसर्स मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। उपरोक्त कार्य करने के लिए दूरदर्शन के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए यह अनुबंध किया गया है।

(घ) और (ङ) अनुबंध के अनुसार दूरदर्शन को मैसर्स मोदी इटरटेनमेंट नेटवर्क को उनकी सेवाओं के लिए 16.66 लाख रु. प्रतिमाह देने हैं।

बैंक आफ गुजरात लिमिटेड

4016. श्री सवशीभाई मकवानाः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य में बैंक आफ गुजरात लिमिटेड की स्थापना के लिए गुजरात सरकार को लाइसेंस जारी किया है;

(ख) क्या लाइसेंस का उपयोग किया गया है और बैंक स्थापित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस के कब तक वैध रहने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने बैंक आफ गुजरात लि. की स्थापना करने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि उसने जनवरी, 1994 में एक बैंक की स्थापना के लिए 'सिद्धान्तः' गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं. लि. को अनुमोदित किया था जो बैंक आफ गुजरात लि. के नाम से प्रचलित था और जिसे जनवरी, 1999 में प्रवर्तक समूह संघटन में बदलाव आने तथा बैंक की स्थापना में विलम्ब होने के कारण वापिस ले लिया गया था।

पारादीप में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना

4017. श्री के.पी. सिंह देवः क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री पारादीप में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के बारे में 1 दिसंबर, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 2144 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने पारादीप में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए संभावित स्थलों की पहचान की है और केन्द्र सरकार के पास विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्मंत्रालीय समिति ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त उल्लिखित स्थान पर विशेष आर्थिक जोन की स्थापना और कार्यकरण के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर पारादीप में एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस परियोजना के सभी ब्यौरों को दर्शाते हुए राज्य सरकार के औपचारिक प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के विरुद्ध शिकायत

4018. श्रीमती श्यामा सिंहः
श्री एन. जनार्दन रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने अमरीका के नये कानून के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज की है जिसके तहत पाटन रोधी प्रतिबंधों से होने वाली आय प्रभावित अमरीकी कंपनियों को मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायत पर विश्व व्यापार संगठन की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन केवल विकसित देशों के हितों पर ही ध्यान देता रहा है और विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज करता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की आगे क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हाँ। अमरीका द्वारा 1930 के टैरिफ अधिनियम में "कन्टीन्यूड डम्पिंग एंड सबसिडी ऑफसैट एक्ट ऑफ 2000" नामक शीर्षक से किए गए संशोधन के विरुद्ध 21 दिसंबर, 2000 को भारत ने यूरोपीय संघ जापान और कुछेक अन्य देशों के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के तहत अमरीका के साथ विचार-विमर्श करने के लिए अनुरोध किया था। इस अधिनियम में अन्य देशों से हुए आयातों पर लगाए गए तथा वसूल किए गए पाटन रोधी और प्रतिसंतुलन कारी शुल्कों को अमरीका के प्रभावित घरेलू उत्पादकों में वितरित किए जाने का प्रस्ताव है। भारत तथा अन्य सह-शिकायतकर्ता देशों ने 6 फरवरी, 2001 को विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के तहत अमरीका के साथ विचार-विमर्श किया।

(ग) और (घ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंध बनाने के लिए सामान्य संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराता है। भारत इस संबंध में विकासशील देशों के हित के मामलों को सक्रिय रूप से उठाता रहा है और उनके आर्थिक विकास के संवर्धन हेतु उनकी आवश्यकताओं और चिंताओं पर पूरी तरह ध्यान देने की महत्ता पर जोर देता रहा है।

[हिन्दी]

विदेशी टी.वी. चैनलों द्वारा अर्जित राजस्व

4019. श्री राधा मोहन सिंहः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में चल रही विदेशी टी.वी. चैनल कंपनियां वर्ष 1996 से केवल 10 प्रतिशत राजस्व का ही भुगतान कर रही हैं जबकि इसी तरह की भारतीय टीवी चैनल कंपनियां 35 प्रतिशत राजस्व का भुगतान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सितम्बर-अक्तूबर, 2000 में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक राजस्व बढ़ाने के संबंध में विदेशी टी.वी. चैनल कंपनियों के शिष्टमंडल को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) का नोटिस प्राप्त हो गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी टी.वी. चैनलों पर केन्द्रीय राजस्व बकाया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के पृथक्-पृथक् नाम क्या हैं और प्रत्येक पर कितनी राजस्व राशि बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। विदेशी प्रसारण कम्पनियां (एफ टी सी) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों के लिए लागू दर पर कर का भुगतान कर रही हैं जो इस समय घरेलू कम्पनियों के लिए 35 प्रतिशत की निर्धारित दर के मुकाबले 48 प्रतिशत है। उपर्युक्त कर की दर विदेशी प्रसारण कंपनियों द्वारा विज्ञापन राजस्व से अर्जित आय के लिए लागू है, जिसका परिकलन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किए गए कमीशन को घटा कर सकल प्राप्तियों के 10 प्रतिशत पर किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेशी प्रसारण कम्पनियों के संबंध में आयकर की बकाया मांग

क्र. सं.	विदेशी कम्पनी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	आयकर की बकाया मांग (करोड़ रुपए में)
1.	सेटेलाइट टेलीविजन एशियन रीजन एडवरटाइजिंग सेल्स बी.वी.	1997-98	3.62
2.	सेटेलाइट टेलीविजन एशिया रीजन लि.	1995-96	0.06
3.	सेट सेटेलाइट सिंगापुर प्रा.लि.	1996-97	0.15
		1997-98	1.09
4.	यूनाइटेड टेलिकम्यूनिकेशन के एजेन्ट के रूप में एशिया टेलीविजन नेटवर्क	1995-96	0.15
		1996-97	1.00
5.	एम.टी.वी. एशिया एलडीसी	1998-99	0.01

[अनुवाद]

होटलों द्वारा आयकर का अपवंचन

4020. श्री तिरूनावकरसू:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई वर्षों से दिल्ली के कई होटल और रेस्तरां आयकर का अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में स्थित प्रत्येक होटल से कुल कितना आयकर वसूला गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) दिल्ली में सैकड़ों होटल और रेस्तरां हैं। ऐसे होटलों और रेस्तराओं द्वारा आयकर का अपवंचन और प्रत्येक द्वारा अदा किए गए कर के संबंध में सूचना आयकर विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती क्योंकि विभाग कर निर्धारितियों द्वारा अदा किए गए कर और अपवंचित कर के व्यवसाय-वार विवरण नहीं रखता। तथापि, जहां कर अपवंचन का पता चलता है, आयकर कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। वर्ष, 2000 के दौरान, दिल्ली में तीन होटलों/रेस्तराओं के मामलों में आयकर तलाशियां की गईं।

वेतन का भुगतान न किया जाना

4021. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि यूको बैंक पिछले दो महीनों से पूरे देश की अपनी विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में ऐसी कामगार रोधी गतिविधियों में सरकारी क्षेत्र का कोई भी बैंक शामिल न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) यूको बैंक ने सूचित किया है वह अपने सभी स्टाफ सदस्यों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान कर रहा है। तथापि, कुछ स्टाफ सदस्यों के लिए उनके लगातार काम न करने की वजह से, उचित नोटिस देने के बाद "काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर, कुछ शाखाओं में वेतन रोक लिया गया था। यह वेतन कार्य निष्पादन में सुधार दिखाई पड़ते ही तुरन्त जारी कर दिया गया था।

आन्ध्रा बैंक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4022. श्री जी. गंगा रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्रा बैंक में व्यापक संगठनात्मक परिवर्तन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं की संख्या घटाने जा रहा है और अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) आन्ध्रा बैंक ने सूचित किया है कि उसने कोई बड़ा संगठनात्मक परिवर्तन नहीं किया है। तथापि, उसने अपने आंचलिक कार्यालयों का पुनर्गठन किया है और उनकी संख्या 27 से कम करके 19 कर दी है। बैंक की शाखाओं की संख्या कम करने की कोई योजना नहीं है। बैंक द्वारा दिसम्बर, 2000 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की गई थी और वह 1.1.2001 को बन्द कर दी गई है।

[हिन्दी]

डाल्टनगंज दूरदर्शन केन्द्र, झारखंड

4023. श्री हरिभाऊ शंकर महाले:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड राज्य के पलामू जिले के डाल्टनगंज स्थान पर स्थित दूरदर्शन केन्द्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डाल्टनगंज स्थित उच्च शक्ति ट्रान्समीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और स्थानीय कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण के लिए वहाँ स्टूडियो सुविधाओं का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि डाल्टनगंज में विद्युत आपूर्ति संतोषजनक नहीं है और मुख्य लाइन से आपूर्ति बन्द होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्थापित डीजल जनरेटर से विद्युत आपूर्ति चालू करने पर हर बार लगभग दो मिनट की अवधि का थोड़ी देर के लिए व्यवधान आता है।

बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए मामले

4024. श्री राम टहल चौधरी:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.आई.एफ.आर. के गठन से लेकर आज तक उसे राज्यवार कितने मामले सौंपे गए;

(ख) 28 फरवरी, 2001 तक इस बोर्ड ने राज्यवार कितने मामलों पर अन्तिम निर्णय लिया है;

(ग) कितने मामलों में उद्योगों को बन्द करने की सिफारिश की गई और कितने मामलों में उनकी पुनर्वास योजनाओं को स्वीकृति दी गई; और

(घ) पुनरुद्धार के कितने मामलों को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और कितने मामले अस्वीकृत किए गए तथा उन्हें अस्वीकृत करने के क्या कारण थे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने सूचित किया है कि 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के उपबंधों के अधीन 3348 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का पंजीकरण हुआ था। बीआईएफआर ने 2115 मामलों के संबंध में निर्णय ले लिया है और शेष 1233 मामले बोर्ड के पास जांच के विभिन्न स्तरों पर लम्बित पड़े थे। इन 3348 मामलों के राज्य-वार अलग-अलग आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) बीआईएफआर ने 835 मामलों के संबध में समापन की सिफारिश की है और 293 मामलों में पुनर्वास योजना की मंजूरी दी।

(घ) बीआईएफआर ने 548 मामलों में पुनरुज्जीवन/पुनर्वास योजनाओं को अनुमोदन/मंजूरी दी और 697 मामलों में सन्दर्भों को गैर-अनुरक्षणीय के रूप में अस्वीकार किया। बीआईएफआर द्वारा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसरण में प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

31.1.2001 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	दर्ज मामले	मंजूर योजना	खारिज-न चलाने योग्य	जिन्हें अब रुग्ण घोषित नहीं किया गया है	परिसमापन की सिफारिश वाले	नियल क्षमता सकारा-त्मक हुई	प्रारूप योजना परिचालित	परिसमापन नोटिस जारी	जांच के अधीन	असफल रहे और पुनः खोले गए	एएआईएफ आर न्यायालय द्वारा रोक	बीआईएफ आर न्यायालय द्वारा रिमांड पर लिए गए
	निपटाए गए						लंबित					
असम	14	2	5	0	0	0	2	0	4	0	1	0
आंध्र प्रदेश	359	27	66	42	110	5	6	9	77	9	5	3
बिहार	67	5	15	5	29	1	1	4	4	2	1	1
चंडीगढ़	8	0	1	2	0	0	0	0	2	2	0	1
दादर नगर हवेली	6	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	1
गोवा	13	2	4	1	1	0	1	0	2	0	0	1
गुजरात	291	26	63	18	81	3	6	9	73	4	4	4
हरियाणा	119	10	22	13	33	0	0	1	36	1	3	0
मध्य प्रदेश	181	14	40	10	55	0	5	4	44	7	1	1
झारखंड	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	6	1	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0
केरल	83	10	22	10	16	0	1	3	13	6	1	1
कर्नाटक	192	25	41	16	51	0	4	3	46	2	2	2
महाराष्ट्र	605	49	125	52	109	14	16	19	200	9	5	7
हिमाचल प्रदेश	44	5	12	2	19	0	0	1	4	1	0	0
मणिपुर	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0
रा.रा. दिल्ली	122	4	31	1	9	1	4	0	69	0	2	1
नागालैंड	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
उड़ीसा	55	8	10	5	9	1	2	5	8	4	3	0
पांडिचेरी	12	2	3	2	3	0	0	0	1	1	0	0
पंजाब	137	10	26	9	25	0	7	5	44	3	4	4
राजस्थान	139	16	31	6	48	1	1	3	28	1	4	0
तमिलनाडु	307	23	51	26	53	4	11	16	107	7	6	3
त्रिपुरा	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	298	20	74	16	100	3	2	8	64	2	4	5
उत्तरांचल	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
पश्चिम बंगाल	275	32	50	19	77	2	7	4	61	6	13	4
कुल	3348	293	697	255	835	35	77	94	896	68	59	39

''फेरा'' मामले

4025. श्री हरिभाई चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की लापरवाही और उपेक्षा के कारण बहुत से व्यक्तियों को "फेरा" एफ.ई.आर.ए. के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ''फेरा'' के मामलों में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्त्योदय अन्न योजना

4026. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्त्योदय अन्न योजना में इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी हुई है कि "गरीबों में भी सबसे गरीब" लोगों की एक बड़ी संख्या दैनिक मजदूरी पर काम करती है न कि मासिक वेतन पर जबकि यह योजना उन्हीं लोगों के लिए उद्दिष्ट है;

(ख) क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि वे रोजाना अपने लिए खाना खरीदते हैं जबकि उद्देश्य यह था कि इस योजना के अन्तर्गत उन्हें मासिक आधार पर खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा में बिक्री की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना में निम्न आय वर्गों द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग में लाये जाने वाले मिट्टी के तेल, लेवी चीनी, खाद्य तेल और कच्चे कोयले (सॉफ्ट कोक) की बिक्री शामिल नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीब परिवारों जिनमें से अधिकतर दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर मजदूरी करने वाले हैं, की आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं की गयी है। चूंकि उनमें से अधिकांश एक किस्त में मासिक आबंटन नहीं खरीद सकते हैं इसलिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि उन्हें उचित दर दुकानों से उनके खाद्यान्नों का मासिक कोटा एक से अधिक किस्तों में खरीदने की अनुमति दें। इस सुविधा के अधीन देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे के एक करोड़ निर्धनतम परिवार, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का 15.33 प्रतिशत भाग बनता है, को कवर किया जाएगा। इन एक करोड़ परिवारों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दर पर प्रति परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) अनुमान है कि हमारी आबादी के पांच प्रतिशत भाग को वर्ष भर लगातार दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। उनकी क्रय-शक्ति इतनी कमजोर है कि वे गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर भी वर्ष भर खाद्यान्न खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। इन्हें भूख-ग्रस्त कहा जा सकता है। अंत्योदय अन्न योजना देश में इन भूख-ग्रस्त व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई है और इसमें मिट्टी का तेल, लेवी चीनी, खाद्य तेल और कच्चे कोयले (साफ्ट कोक) शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

निर्यात-आयात कारोबार में निर्यातोन्मुखी इकाइयों का हिस्सा

4027. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यात-आयात कारोबार में प्रत्येक राज्य की निर्यातोन्मुखी इकाइयों का प्रतिशत कितना-कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ग) क्या इन इकाइयों को केन्द्र सरकार से कई प्रकार की वित्तीय रियायतें मिल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उन्हें कितनी धनराशि की वित्तीय रियायत दी गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) मंत्रालय निर्यात-आयात कारोबार के राज्य-वार ब्यौरे नहीं रख रहा है।

(ख) निर्यातोन्मुख एककों (ई ओ यू) ने वर्ष 1998-99 के दौरान 12058.27 करोड़ रु. और वर्ष 1999-2000 के दौरान 14000 करोड़ रु. (अनन्तिम) की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

(ग) और (घ) निर्यातोन्मुख एकक निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित मशीनरी, कच्ची सामग्री, संघटक और उपभोज्य वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात/स्थानीय खरीद और घरेलू बाजार से की गई खरीद पर भुगतान किए गए केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी के हकदार होते हैं। ये एकक 10 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए निगम कर अवकाश का भी लाभ उठाते हैं। इन लाभों को वित्तीय रूप में आकलित नहीं किया जा सकता है।

सेंसर बोर्ड में महिला सदस्य

4028. श्रीमती शीला गौतम: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सेंसर बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं, विशेषकर महिला सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सेंसर बोर्ड फिल्मों में बढ़ती हिंसा और अश्लीलता को रोकने में प्रभावी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता को रोकने हेतु कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) वर्तमान में, फिल्म प्रमाणन बोर्ड में कुल 25 सदस्य हैं जिनमें से सुश्री आशा पारिख जो बोर्ड की अध्यक्ष हैं, के अलावा 12 महिलाएं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा-5-ख के अन्तर्गत जारी फिल्मों के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पहले से ही महिलाओं का अपमान या उनकी निंदा करने वाले दृश्यों, बलात्कार का प्रयास या उत्पीड़न जैसे महिलाओं के प्रति लैंगिक हिंसा वाले दृश्यों और फिल्मों में परिहार्य अत्यधिक हिंसा दर्शाने वाले दृश्यों के प्रस्तुतीकरण को हतोत्साहित किया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के सख्ती से पालन को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

1. प्रमाणन प्रक्रिया में अधिक लैंगिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से जांच और पुनरीक्षा समितियों में 50 प्रतिशत महिला सदस्यों को रखे जाने का प्रावधान करना;

2. मार्गदर्शी सिद्धान्तों को उपयुक्त रूप से लागू किए जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बारंबार उल्लंघन किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों की व्याख्या के संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा विशिष्ट स्पष्टीकरण जारी करना; और

3. प्रमाणन के मामले में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी फिल्म को प्रदान किए गए प्रमाणपत्र पर जांच/पुनरीक्षा समिति और फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के उन सदस्यों के नाम प्रदर्शित करना जिनकी सिफारिश पर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृति दी जाती है।

[अनुवाद]

राज्यों का लेवी चीनी का कोटा

4029. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में इस समय राज्यवार चीनी का कितना कोटा उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) क्या राज्यों को चीनी का कोटा केवल 1991 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्यों को चीनी उपलब्ध कराए जाने के मामले में क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं; और

(घ) वर्तमान जनसंख्या के आधार पर चीनी का आवंटन कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समय आबंटित किये जा रहे लेवी चीनी के कोटों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 1.2.2001 से सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी का आबंटन 1.3.2000 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर कर रही है। इसके अतिरिक्त 1.2.2001 से सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपीय प्रदेशों के मामलों को छोड़कर केवल गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित कर दी है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। आबंटन का प्रति व्यक्ति न्यूनतम मानदण्ड भी 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम प्रति मास कर दिया गया है जिससे गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को लाभ मिलेगा।

(घ) 1.2.2001 से सरकार 1.3.2000 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर लेवी चीनी का आबंटन कर रही है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मासिक लेवी चीनी का कोटा (1.2.2001 से)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक लेवी कोटा (मी.टन में)	वार्षिक त्यौहार कोटा (मी.टन में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9690	7614
2.	बिहार	20516	7527
3.	झारखंड	6948	2551
4.	चंडीगढ़	62	112
5.	दादर और नगर हवेली	48	14

1	2	3	4
6.	दिल्ली	2610	2316
7.	गोवा	120	150
8.	गुजरात	5841	4878
9.	हरियाणा	2485	1924
10.	कर्नाटक	8636	5350
11.	केरल	4103	3600
12.	मध्य प्रदेश	12441	5523
13.	छत्तीसगढ़	4512	2013
14.	महाराष्ट्र	16792	9014
15.	उड़ीसा	8707	3730
16.	पंजाब	1385	2392
17.	राजस्थान	7342	5092
18.	तमिलनाडु	10820	6790
19.	उत्तर प्रदेश	33013	15154
20.	पश्चिम बंगाल	14087	7796
21.	दमन और दीव	11	12
22.	पांडिचेरी	243	88
23.	असम	18337	2896
24.	अरूणाचल प्रदेश	834	94
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	389	74
26.	हिमाचल प्रदेश	4698	608
27.	जम्मू और कश्मीर	6962	868
28.	लक्षद्वीप	115	22
29.	मणिपुर	1763	208
30.	मेघालय	1704	200
31.	मिजोरम	666	78
32.	नागालैंड	1179	128
33.	सिक्किम	391	50
34.	त्रिपुरा	2647	302
35.	उत्तरांचल	6033	782
	कुल	216129	99950

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बीमा कम्पनियां

4030. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्रीमती जयश्री बनर्जी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी बीमा कम्पनियों को ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों की ओर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी बीमा कंपनियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कहां तक लाभान्वित किया जा सकता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2000 को जिस रूप में दि. 11.8.2000 को लोक सभा के पटल पर रखा गया है, उसके अनुसार पब्लिक या प्राइवेट क्षेत्र की सभी बीमा कम्पनियां अपने बीमा कारोबार के एक भाग को ग्रामीण क्षेत्रों में करने के लिए बाध्य हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा क्रियाकलापों के दायरे में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

"नाबार्ड" द्वारा आर.आई.डी.एफ. में वित्तपोषण

4031. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाबार्ड द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अभी तक पश्चिम बंगाल राज्य में आर.आई.डी.एफ. परियोजनाओं में कितना निवेश किया गया;

(ख) क्या नाबार्ड द्वारा पश्चिम बंगाल में आर.आई.डी.एफ. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) नाबार्ड द्वारा राज्य में परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) में से मंजूर की गई राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1997-98	173.55
1998-99	214.32
1999-2000	222.29
2000-2001	402.25
कुल	1041.41

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि आरआईडीएफ के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के साथ मंजूर परियोजनाओं को राज्य सरकार के विभागों और जिला परिषदों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा क्रियान्वयन में देरी का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में आरआईडीएफ के अन्तर्गत मंजूर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ देरी हुई है। देरी के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ, ये बातें शामिल हैं: परियोजनाओं की मंजूरी का ब्यौरा जिला क्रियान्वयन एजेंसियों के भेजने में देरी; कार्यों के मंजूर मदों से विपथन; भूमि अधिग्रहण की समस्या; उधार देने में देरी; निधि प्रवाह की समस्या; कार्यों के निष्पादन हेतु बजटीय अंतराल; क्रियान्वयन एजेंसियों में परिवर्तन के कारण देरी आदि।

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास उनके द्वारा मंजूर आरआईडीएफ परियोजनाओं की निगरानी के लिए तंत्र है। निगरानी के दौरान पता लगाई गई चूकों को त्वरित निवारण के लिए राज्य के वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठकों में उठाया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में प्रसारण सुविधा

4032. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों/कस्बों में अभी तक दूरदर्शन/आकाशवाणी के कार्यक्रमों की प्रसारण सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस प्रयोजन हेतु अभी तक किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) शोपुर, शिवपुरी, शहडोला, सिधी तथा गुना जिलों में कुछ इलाकों को छोड़कर समस्त मध्य प्रदेश रेडियो सिग्नलों द्वारा कवर किया जा चुका है। मध्य प्रदेश सहित समस्त देश में दूरदर्शन कवरेज उपग्रह मोड में उपलब्ध है। तथापि, वर्तमान में, राज्य की लगभग 75.3 प्रतिशत जनसंख्या (सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या सहित) को स्थलीय टेलीविजन कवरेज उपलब्ध होने का अनुमान है।

हालांकि, प्रसार भारती की शहरों/नगरों के स्तर पर रेडियो/टेलीविजन सुविधा प्रदान करने की नीति नहीं है। तथापि, वे मध्य प्रदेश सहित देश के अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों को रेडियो/टेलीविजन कवरेज प्रदान करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं।

मध्य प्रदेश में रेडियो कवरेज के और विस्तार के प्रयोजनार्थ राजगढ़ तथा मांडला में क्रमशः 3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर तथा 1 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं और इन्दौर में विद्यमान 100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है। टेलीविजन कवरेज के और विस्तार के लिए वर्तमान में मुख्य चैनल (डीडी-1) की कवरेज के विस्तार के लिए 8 ट्रांसमीटर परियोजनाएं अर्थात् गुना तथा शहडोल में 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर; बरेली, लखनाडोन एवं सिन्धवा में 3 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अलोट में 1 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी-1) तथा जबलपुर एवं ग्वालियर में मैट्रो (डीडी-2 सेवा के लिए 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं)।

ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें अगले दो वर्षों में चरणों में पूरा किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

रूग्ण कागज उद्योगों का पुनरुद्धार

4033. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कागज और इससे संबंधित उत्पादकों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मांग के प्रकाश में देश में रुग्ण कागज उद्योगों के पुनरुद्धार पर विशेष जोर देने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने कागज उद्योग के विकास में मदद करने और साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जन की स्थिति में सुधार करने हेतु मूल्य वर्धित कागज उत्पादों के उत्पादन में उद्योग को सक्षम बनाने की दृष्टि से कागज उद्योग को कागज उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग के आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं;

(ग) क्या सरकार ने कागज उत्पादक इकाइयों का विश्व स्तरीय आधुनिकीरण करने की आवश्यकता का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) औद्योगिक रुग्णता पर वर्तमान नीति के तहत, एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय, औद्योगि और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्या ा देखता है। रुग्ण औद्योगिक एककों को स्वस्थ एककों में मिलाकर/विलयित करके भी रुग्ण औद्योगिक एककों का पुनरुद्धार किया जाता है और इस प्रकार के विलयों को करने वाले स्वस्थ एककों को आय कर रियायतें आदि प्रदान करके इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया जाता है। निगरानी प्रणाली को मजबूत करने तथा औद्योगिक रुग्णता को आरंभिक अवस्था में ही रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। किंतु रुग्ण कागज एककों के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, सरकार को कागज उद्योग की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी/आधुनिकीकरण निधि का सृजन करने के लिए एक 'पेपर मिल्स् एसोसिएशन' से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस पर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

निर्यात आय को बढ़ाने हेतु योजनाएं

4034. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने निर्यात आय को बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई है और केन्द्र सरकार से उन्हें स्वीकृति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गत कुछ महीनों के दौरान निर्यात आय को बढ़ाने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) केन्द्र सरकार को निर्यात आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई किसी योजना की जानकारी नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें अन्य योजनाओं के साथ शामिल हैं, रियायती/शून्य शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति प्रदान करने वाली निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना, निर्यात उत्पादन हेतु अपेक्षित निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करने वाली शुल्क छूट योजना, रियायती शुल्क पर निविष्टियों के आयात तथा पुनपूर्ति की अनुमति प्रदान करने वाली रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन योजना, ई ओ यू/ई पी जैड के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने वाली योजना तथा स्थापित निर्यातकों की निर्यात घराने, व्यापार घराने, स्टार व्यापार घराने तथा सुपर स्टार घराने के रूप में मान्यता प्रदान करने की योजना।

सिंचाई हेतु नाबार्ड निधि

4035. श्री भर्तृहरि महताब: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड (एन.ए.बी.ए.आर.डी.) ने गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को सिंचाई हेतु कोई धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धनराशि का व्यय किन परियोजनाओं पर किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार 2001-2002 के दौरान और धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने गत तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा में सिंचाई उद्देश्य हेतु नीचे दर्शाए गए अनुसार निधियां मंजूर की हैं:

वर्ष	मंजूर की गई राशि	संवितरित राशि
1997-98	96.49	63.62
1998-99	98.41	34.41
1999-2000	71.01	79.78

ऊपर दर्शाए गए अनुसार संवितरित निधियां, उड़ीसा राज्य में बड़ी सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई से संबंधित 2566 परियोजनाओं के सम्बन्ध में हैं।

(घ) और (ङ) 5000 करोड़ रुपए के कारपस वाले आर आई डी एफ-VII की स्थापना की घोषणा वर्ष 2001-2002 के केन्द्रीय बजट में की गई है और इस निधि का उपयोग देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा ऋण पात्र परियोजनाओं को प्रस्तुत करने पर मंजूर किया जाएगा।

मनोरंजन कर

4036. श्री नरेश पुगलिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन कर लगाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्यों ने केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन कर लगाया है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन कर की दर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 62 के अनुसार, केवल राज्य सरकारों को ही मनोरंजन कर लगाने की शक्तियां प्राप्त हैं। चूंकि मनोरंजन कर राज्यों का एक विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को मनोरंजन कर लगाने हेतु अनुमति प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीमा एजेंट

4037. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा एजेंटों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से हाल में निजी क्षेत्र का एक महाविद्यालय खोला गया है;

(ख) क्या ऐसे महाविद्यालयों की स्थापना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन-किन राज्यों में ऐसे महाविद्यालयों को खोले जाने का विचार है; और

(घ) बीमा एजेंटों के लिए महाविद्यालयों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा अभी तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा एजेंटों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थाओं को मान्यता देने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हुए हैं। अब तक जिन 67 संस्थाओं ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया है उन्हें बी.वि. और वि.प्रा. द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गयी है।

(ग) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी की लागत में उतार-चढ़ाव

4048. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी के बफर स्टॉक की संभलाई, प्रशासनिक और भंडारण प्रभारों और परिवहन लागत में भारी उतार-चढ़ाव हुए और यह लागत 1994-95 के 1.46 करोड़ रुपये से 1997-98 में बढ़कर 177.49 करोड़ रुपये हो गई;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लागत/प्रभारों में उतार-चढ़ाव में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) केन्द्र सरकार चीनी उपक्रमों के पास उपलब्ध चीनी के स्टाक, चीनी उत्पादन की संभावनाओं, देश में उपभोग और निर्यात के लिए चीनी की आवश्यकता तथा अन्य ऐसी संगत बातें जो आवश्यक समझी जाएं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय कर सकती है कि चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चीनी की एक निश्चित मात्रा, बफर स्टाक के रूप में रखनी अपेक्षित है। बफर स्टाक के रखरखाव की अवधि के लिए केंन्द्र सरकार चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में निहित शर्तों और सीमाओं के अनुसार ब्याज, भंडारण और बीमा प्रभार के भुगतान के लिए राजसहायता की व्यवस्था करती है। ब्याज के संबंध में ऐसा भुगतान तभी किया जाता है जब बफर स्टाक किसी अनुसूचित बैंक में गिरवी रखा गया हो। साथ ही, ऐसे भुगतान चीनी मिलों द्वारा ब्याज, भंडारण और बीमा प्रभारों की राशियों का दावा करने के बाद किए जाते हैं।

1994-95 में, 1.4.93 से 30.9.93 तक रखे गए 5 लाख टन मुक्त बिक्री की चीनी के बफर स्टाक के संबंध में, उक्त वर्ष के दौरान भुगतान के लिए अंतिम रूप दिए गए दावों के आधार पर 1.46 करोड़ रुपये की राशि का राजसहायता के रूप में भुगतान किया गया था।

10.1.96 से 9.7.98 तक फिर एक बफर स्टाक बनाया गया था जो इस प्रकार है—10.1.96 से 9.1.97 तक की अवधि के लिए 5 लाख टन मुक्त बिक्री की चीनी का जिसे बाद में 9.7.98 तक बढ़ा दिया गया और 1.12.96 से 30.11.97 तक के लिए 5 लाख टन मुक्त बिक्री की चीनी का बफर स्टाक। 1997-98 में, इस प्रकार रखे गए बफर स्टाक के संबंध में वर्ष 1997-98 में अंतिम रूप दिए गए दावों के आधार पर 177.49 करोड़ रुपये की राशि का राजसहायता के रूप में भुगतान किया गया था।

हैंडलिंग और प्रशासनिक प्रभारों के लिए ये भुगतान नहीं किए गए थे और इसलिए व्यापक उतार-चढ़ाव का प्रश्न नहीं उठता। 1994-95 और 1997-98 में बफर राजसहायता पर किए गए भुगतानों में अंतर का मुख्य कारण बफर स्टाक की मात्रा, जिस अवधि के लिए वे रखी गयीं और निपटान किए गए दावों की संख्या में अंतर होना है।

चूंकि 9.7.98 से बफर स्टाक रखना बंद कर दिया गया है। अब बाद के वर्षों में बहुत कम राजसहायता का भुगतान किया गया है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड से विनिवेश

4039. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई श्रमिक संघों ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड से प्रथम चरण के विनिवेश का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो श्रमिक संघों ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड से विनिवेश के खिलाफ कौन-कौन सी मुख्य बातें उठाई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विनिवेश प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। कामगारों के कुछ संघों ने एच सी एल के विनिवेश के पहले चरण के विरोध में अभ्यावेदन दिया है। खेतरी ताम्बा श्रमिक संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया है कि:

1. निजीकृत कंपनी, खेतरी के ताम्र भण्डारों का दोहन करने में सक्षम नहीं होगी।
2. कामगारों के हित और नौकरियों की सुरक्षा बाधित होगी।
3. आम जनता कम्पनी के अस्पताल को सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएगी इत्यादि।

(ग) विनिवेश प्रक्रिया प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के द्वारा एक निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार इस प्रकार चलाई जाती है जिसमें पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। विभिन्न संबंधित विभागों/मंत्रालयों और कम्पनी के प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ, उनके विचार जानने और उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार विनिवेश प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी है और इसमें और सुधार लाने के लिए समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

बैंक की शाखाओं का विलयन

4040. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपने कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाने के बाद बैंक शाखाओं के विलयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य, विशेषतः कर्नाटक में बैंक-वार कितनी शाखाओं का विलयन किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग से संबंधित विद्यमान नीति के अनुसार, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की एकल शाखा को बन्द करने की अनुमति नहीं दी जाती है तथापि उन्हें शाखा को अनुषंगी कार्यालय में बदलने की अनुमति दी जाती है जो सप्ताह में 2/3 दिन कार्य करता है जिससे कि केन्द्र पर ग्राहकों को बैंकिंग संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। जहां तक, अर्द्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय केन्द्रों का संबंध है, बैंक अपनी शाखाओं को बन्द करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। ऐसे निर्णय लेते समय, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बन्द करने के कारण वह स्थान/वार्ड बैंक रहित न हो जाए। अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रारम्भ के बाद से, कर्नाटक अथवा अन्य किसी स्थान पर शाखाओं के बन्द करने के लिए बैंक का निर्णय, उपर्युक्त नीति के अनुसार होगा।

गेहूँ और धान की खरीद

4041. श्री लक्ष्मण सेठः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2000-2001 के दौरान गेहूँ और धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) चूंकि वसूली प्रचालन स्वैच्छिक प्रकृति के हैं और किसानों को अपने उत्पादों को राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम या खुले बाजार में, जैसा भी उनके लिए लाभप्रद हो, बेचने का विकल्प होता है, गेहूं और धान की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। तथापि, गेहूं और धान के अनुमानित उत्पादन के आधार पर प्रत्येक विपणन मौसम के आगमन से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित वसूली की मात्रा बता दी जाती है। रबी विपणन मौसम 2000-20001 के दौरान गेहूं की वसूली गत वर्ष से अधिक हुई है। 28.2.2001 की स्थिति के अनुसार गेहूं की 163.55 लाख टन की मात्रा वसूल की गई है जबकि गत वर्ष में 141.43 लाक्ष टन की मात्रा वसूल की गई थी। जहां तक चावल का संबंध है, इसकी वसूली अभी चल रही है और 18.3.2001 तक इसकी 152.33 लाख टन मात्रा वसूल की जा चुकी है, जबकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 136.75 लाख टन मात्रा वसूल की गई थी।

चीनी मिलों द्वारा चीनी की अवैध बिक्री

4042. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सरकारी निर्गम आदेश के बिना चीनी मिलों द्वारा चीनी की अवैध बिक्री संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिलों द्वारा की जाने वाली यह बिक्री समुचित निर्गम आदेश द्वारा जारी कोटे से अलग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार मांग और आपूर्ति और खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर बराबर नजर रखे हुए है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या एक बार में ही छह महीने के लिए खुली बिक्री का कोटा दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) वैध रिलीज आदेशों के बिना खुले बाजार में चीनी की बिक्री के संबंध में विभिन्न सूत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, सरकार ने विभिन्न फैक्ट्रियों द्वारा चीनी की बिक्री तथा प्रेषण से संबंधित स्थिति की जांच करने के लिए अधिकारी भेजे थे। अभी तक प्रथम दृष्टि में 12 चीनी फैक्ट्रियां रिलीज आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाई गई हैं तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(ङ) और (च) उचित मूल्यों पर चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार खुले बाजार में चीनी के मूल्यों की निरन्तर मानीटरिंग कर रही है। चीनी के उत्पादन, स्टाक, आवश्यकता, गुड़, खाण्डसारी जैसे अन्य वैकल्पिक मीठाकारकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक खपत के लिए खुली बिक्री की चीनी के मासिक कोटे की मात्रा निश्चित की जाती है और इसकी घोषणा अग्रिम रूप से तिमाही आधार पर की जाती है।

(छ) और (ज) केन्द्रीय सरकार ने 10.1.2001 को एक प्रैस रिलीज में घोषणा की थी कि खुली बिक्री की चीनी की मासिक निमुर्क्तियां अग्रिम रूप से छमाही आधार पर की जाएंगी क्योंकि इससे चीनी में फ्यूचर्स कॉन्ट्रेक्ट शुरू करने में सुविधा होगी और उससे कुछ हद तक मूल्य स्थिर रखे जा सकेंगे।

हैम रेडियो

4043. श्री के. येरननायडू: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फिलहान कितने हैम रेडियो ट्रांसमीटर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार और अधिक हैम रेडियो ट्रांसमीटर की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि देश में लगभग 15908 लाइसेंसशुदा एच.ए.एम. रेडियो आपरेटर हैं।

(ख) और (ग) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, एच.ए.एम. आपरेटरों को राज्य प्रशासनों की ओर से तृतीय पक्ष संदेशों को संचालित करने की अनुमति दी जाती है और ऐसे प्रयोजनों के लिए दूरसंचार विभाग से कोई विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु प्रकोष्ठ

4044. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनमें इस प्रकार के प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किए हैं; और

(ग) सभी उपक्रमों में इस प्रकार के प्रकोष्ठों की शीघ्र स्थापना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

भारतीय उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह दी गई है कि वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के शिकार की शिकायतों के निवारण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य के मामले में दिए गए निदेशों के अनुसार एक शिकायत निवारण तंत्र का गठन करें। सरकारी उपक्रमों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने आचरण, अनुशासन एवं अपील (सी डी ए) नियमावली में भी आवश्यक संशोधन करने की सलाह दी गई है। ऐसे मामलों से सम्बन्धित जानकारी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है, क्योंकि ये मामले सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

बुनियादी ढांचे हेतु विशेषज्ञ दल

4045. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बुनियादी ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) देश के बुनियादी ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों में कुल कितना निवेश किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाने हेतु तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1994 में आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के वाणिज्यीकरण के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह ने 22 जून, 1996 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेषज्ञ समूह, द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार आधरभूत ढांचा क्षेत्र के लिए वांछित कुल निवेश 1996-97 से 2000-2001 के बीच 4,31,860 करोड़ रुपये और 2001-02 से 2005-06 के दौरान लगभग 7,45,460 करोड़ रुपए है। अनुमानित आधारभूत ढांचा निवेश का क्षेत्रवार विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	1996-97 से 2000-2001	2001-02 से 2005-06
1. बिजली, गैस, जल आपूर्ति	211610	338110
2. रेलवे	48430	77400
3. अन्य परिवहन	120990	248750
4. भण्डारण	780	1220
5. संचार	50050	79980
जोड़	431860	745460

(घ) विशेषज्ञ समूह की अधिकांश प्रमुख सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उपयुक्त नीतिगत उपायों की घोषणा की गई है।

जमा राशियों का भुगतान न होना

4046. श्री अधीर चौधरी:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री पुष्प जैन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निजी कम्पनियों/निजी वित्तीय कम्पनियों, विशेषत: क्रैस्ट फाइनेंस लिमिटेड में ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ कम्पनियों ने परिपक्वता अवधि के दो वर्ष बाद भी जनता द्वारा सावधि/संचयी जमा के रूप में जमा की गई राशि और इसके ब्याज का भुगतान नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनी विधि बोर्ड के 1998 के आदेश के अनुसार आम जनता को देय राशि का शीघ्र भुगतान कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस कम्पनियों में विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	विशेष अधिकारी की नियुक्ति की तारीख
1.	क्रेस्ट फिनलीज लि.	10.1.2000
2.	सिनजी एक्सचेंज लि.	(अब व्यक्तिगत आधार पर त्यागपत्र दिया)
3.	सनमेक मोटर फाइनेंस लि.	
4.	एम सी सी फाइनांस लि.	17.5.1999 (कम्पनी के समापन के कारण अब त्यागपत्र दिया)
5.	श्री राम इन्वेस्टमेन्ट लि.	10.6.1998
6.	श्रीराम सिटी यूनियन फाइनांस लि.	
7.	श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनांस लि.	
8.	किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि.	1.9.1999
9.	लियोडस फाइनांस लि.	1.4.2000
10.	डी सी एम फाइनांशियल सर्विसेज लि.	12.5.2000

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इन कम्पनियों में जनता द्वारा निवेश की गई राशि की वापसी अदायगी, श्रीराम इन्वेस्टमेन्ट्स लि.; श्रीराम सिटी यूनियन फाइनांस लि. एवं श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनांस लि., जिन्होंने चूक नहीं की है, के मामले के सिवाए परिपक्वता के बाद 2 वर्षों से अधिक तक नहीं की गई, जबकि लियोडस फाइनांस लि. के मामले में, कुल विलम्ब के साथ कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश के अनुसार, वापसी अदायगी की जानी है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने इन कम्पनियों के सम्बन्ध में विभिन्न कार्रवाई की है, जैसे, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के जारी करने के लिए कम्पनी के आवेदन-पत्र को अस्वीकार करना, आपराधिक शिकायतें दर्ज करना, समापन याचिका और कम्पनी की पुनर्संरचना, आदि।

बैंकों में ए.टी.एम.

4047. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की राज्य-वार, विशेषत: लखीमपुर खेड़ी जिले में स्वचालित गणक मशीन (ए.टी.एम.) सुविधा युक्त कौन-कौन सी शाखाएं हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निकट भविष्य में और अधिक स्वचालित गणक मशीनें लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी जिले में एटीएम नहीं स्थापित किया है। एटीएम की बैंकवार और राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एटीएम की राज्यवार और बैंकवार स्थिति

क्र.सं.	बैंक का नाम / राज्य का नाम	इलाहाबाद बैंक		आन्ध्रा बैंक		बैंक आफ बड़ौदा		बैंक आफ इंडिया		बैंक आफ महाराष्ट्र		केनरा बैंक		सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया		कार्पोरेशन बैंक		देना बैंक		इण्डियन बैंक	
		स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है
1.	अंडमान एवं निकोबार	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	-	1	9	4	-		1	9	-	1	2	7	2	2	-	14	-		3	3
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4.	असम	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5.	बिहार	1	1	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		-	-
6.	चण्डीगढ़	-	2	-	1	-		1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		-	1
7.	गोवा	-	-	-	-	-		1	3	-	-	-	-	-	-	-	7	1		-	1
8.	गुजरात	-	-	-	-	4		1	10	-	1	-	2	1	-	-	10	3		-	4
9.	हरियाणा	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-		1	2
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
11.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
12.	झारखंड	1	-	-	-	1		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
13.	कर्नाटक	-	1	-	-	2		1	9	-	1	7	21	1	2	2	30	-		3	-
14.	केरल	-	-	-	-	-		-	2	-	-	-	2	-	-	-	5	1		-	-
15.	मध्य प्रदेश	1	2	-	-	-		-	2	-	1	-	-	-	-	-	4	1		-	-
16.	महाराष्ट्र	3	4	1	-	13		11	15	10	7	11	12	6	2	6	24	14		13	3
17.	मणिपुर	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
18.	मेघालय	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
19.	मिजोरम	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
20.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
21.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	3	2	-	1	1		4	8	-	1	5	15	1	3	2	20	2		4	2
22.	उड़ीसा	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
23.	पाण्डिचेरी	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-
24.	पंजाब	1	-	-	-	-		-	2	-	-	-	2	-	-	-	3	-		-	-
25.	राजस्थान	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1
26.	सिक्किम	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
27.	तमिलनाडु	-	1	-	1	3		1	9	-	1	3	19	1	1	-	17	2		16	15
28.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
29.	उत्तर प्रदेश	2	9	-	-	1		-	3	1	-	-	2	1	2	-	3	1		-	-
30.	उत्तराखण्ड	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		1	-
31.	पश्चिम बंगाल	1	4	1	-	-		1	4	-	-	-	5	1	-	-	7	1		1	2

40 एटीएम विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाने हैं

25 एटीएम विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाने हैं

एटीएम की राज्यवार और बैंकवार स्थिति

क्र.सं.	बैंक का नाम	इंडियन ओवरसीज बैंक		ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स		पंजाब नैशनल बैंक		पंजाब एण्ड सिंध बैंक		सिंडिकेट बैंक		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया		यूको बैंक		विजया बैंक	
	राज्य का नाम	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है	स्थापित किए जा चुके	स्थापित किया जाना है
1.	अंडमान एवं निकोबार	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.	आन्ध्र प्रदेश	1	2	-		-	3	-	-	1		-	2	-	-	-	1	-	
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-		-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
4.	असम	-	-	-		-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
5.	बिहार	-	-	-		-	20	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
6.	चण्डीगढ़	-	-	-		2	3	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	
7.	गोवा	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
8.	गुजरात	-	1	-		-	7	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	
9.	हरियाणा	1	-	-		1	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-		-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
11.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-		-	2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
12.	झारखंड	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
13.	कर्नाटक	1	-	-		-	1	-	-	6		-	-	-	-	-	1	2	
14.	केरल	1	-	-	प्रक्रिया चल रही है	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	
15.	मध्य प्रदेश	-	-	-		-	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
16.	महाराष्ट्र	3	1	2		6	10	2	-	9		9	-	2	1	4	-	3	
17.	मणिपुर	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
18.	मेघालय	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
19.	मिजोरम	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
20.	नागालैण्ड	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
21.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	10	7	2		6	14	2	-	2		1	-	1	1	-	1	2	
22.	उड़ीसा	-	-	-		-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
23.	पाण्डिचेरी	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
24.	पंजाब	2	1	1		3	9	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.	राजस्थान	-	-	1		1	11	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
26.	सिक्किम	-	-	-		-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
27.	तमिलनाडु	4	8	-		1	6	-	-	1		-	-	-	1	-	1	1	
28.	त्रिपुरा	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.	उत्तर प्रदेश	1	2	-		9	34	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	
30.	उत्तराखण्ड	-	-	-		-	3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
31.	पश्चिम बंगाल	1	1	-		-	6	-	-	-		-	-	4	-	6	1	-	

सुपर बाजार द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया जाना

4048. डा. बी.वी. रमैयाः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सुपर बाजार ने नवम्बर, 2000 के बाद से अपने कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सुपर बाजार के निजीकरण या इसे किसी अन्य एजेंसी को सौंपे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उसके कर्मचारियों को नवम्बर, 2000 तक के वेतन का भुगतान किया गया है। सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति अत्यंत अस्थिर है क्योंकि वह घाटे में चल रहा है। बिक्री और लाभकारिता में कमी आ जाने के कारण सुपर बाजार अपने कर्मचारियों को मासिक मजदूरी का भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहा। सुपर बाजार का प्रबंधक मंडल वेतन का यथाशीघ्र भुगतान कराने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है।

(ग) और (घ) सुपर बाजार के कारोबार और प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में निर्णय लेने हेतु इसका अपना निदेशक मंडल है। उपलब्ध सूचना के अनुसार फिलहाल सुपर बाजार के निजीकरण अथवा किसी अन्य एजेंसी को सौंपे जाने के बारे में कोई प्रस्ताव निदेशक मंडल के विचाराधीन नहीं है।

आधारभूत सुविधा विकास योजना

4049. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डीः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी जल आपूर्ति और अन्य ढांचागत विकास योजनाओं के वित्तपोषण हेतु राज्य सरकारों को कर मुक्त बांड जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, शहरी म्युनिसिपल आधारभूत सुविधा के वित्तपोषण के लिए कर मुक्त म्युनिसिपल बांड जुटाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी तथा सभी राज्य सरकारों को परिपत्रित किए गए दिशानिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सं.के-14011/41/96-यूडी-III

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांकः 8.2.2001

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– कर मुक्त म्युनिसिपल बांड जारी करना।

केन्द्र सरकार ने वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (15) में एक नया खंड (vii) जोड़ा है जिसके द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों को बांड जारी करने से प्राप्त ब्याज आय को आय कर से मुक्त किया गया है।

2. स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों द्वारा कर मुक्त म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए दिशानिर्देश एतद्द्वारा परिचालित किये जाते हैं। अनुरोध है कि ये दिशानिर्देश व्यापक रूप से परिचालित किए जाएं ताकि संबंधित राज्य/स्थानीय निकाय कर मुक्त म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए केन्द्र सरकार अर्थात् शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को प्रस्ताव पेश कर सकें।

हस्ता/-

(एस.के. भटनागर)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी राज्य सरकारें/संघ शासित सरकारें

(सचिव (श.वि.)/सचिव (स्थानीय स्व शासन) को नाम से)

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (श्रीमती दीपा कृष्णन, निदेशक)

2. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली। श्री अशोक लसावा, संयुक्त सचिव (एडीबी एण्ड आई) और श्री सिद्धार्थ बेहुरा, संयुक्त सचिव को अलग-अलग प्रतियां।

3. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली श्री बी.एस. भंडारी, निदेशक (सीएम एण्ड ईसीबी-1)

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा यथावत जांच किए गए दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न है।

हस्ता/-

(एस.के. भटनागर)

कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए दिशानिर्देश

1. पात्र जारीकर्त्ता

कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड के पात्र जारी कर्त्ता होंगे:

(क) स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय, अन्य स्थानीय प्राधिकरण अथवा संसद के अधिनियम अथवा राज्य विधानमंडल के तहत यथा गठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;

(ख) राज्य सरकार के संबंधित कानूनों के तहत गठित अन्य स्थानीय प्राधिकरण जैसे जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड/प्राधिकरण, जो पैरा (2) में दी गई सूची के अनुसार किसी उचित प्रयोजन के प्रावधान से संबंधित हैं;

(ग) किसी वित्तीय मध्यस्थ जैसे डीएफआई अथवा वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से उक्त उप धारा (i) और (ii) के अंतर्गत यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकरणों/निकायों का समूह;

(घ) शर्त यह होगी कि धारा (i) और (ii) में उल्लिखित जारीकर्त्ता आय कर अधिनियम की धारा 2(36-क) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हों।

आय कर अधिनियम की धारा 2(36-क) को इस प्रकार पढ़ा जाए:–

"सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी" का आशय किसी ऐसे निगम से है जिसकी स्थापना किसी केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत की गई हो अथवा वह कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी हो;

कंपनी अधिनियम की धारा 617 को इस प्रकार पढ़ा जाए:–

इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकारी कंपनी का अर्थ उस कंपनी से है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी केन्द्र सरकार अथवा किसी/किन्हीं राज्य सरकार/सरकारों द्वारा अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा अंशतः धारित हो और इसमें यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी भी शामिल है।

2. प्राप्त धन का उपयोग

कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड से प्राप्त आय का उपयोग शहरी अवस्थापना में निम्नलिखित में से एक या अधिक की व्यवस्था के लिए पूंजी निवेश हेतु किया जायेगा:–

(क) पेय जल आपूर्ति;

(ख) सीवरेज या सफाई;

(ग) जल निकासी;

(घ) कचरा निपटान;

(ङ) सड़कें, पुल और सड़कोपरि पुल; तथा

(च) शहरी परिवहन (यदि यह संबंधित राज्य कानून के अंतर्गत म्यूनिसिपल कार्य हो)।

पूंजी निवेश निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए होगा:–

क. नयी परियोजना(ओं) की स्थापना;

ख. मौजूदा प्रणाली का विस्तार, वृद्धि या सुधार।

3. अनिवार्य पूर्व शर्तें

क. परियोजना विकास

(क) प्रस्तावित इश्यू की आय स्पष्ट रूप से एक निर्धारित परियोजना अथवा परियोजनाओं के लिए नियत की जायेगी;

(ख) कर मुक्त बांड वास्तव में जारी करने से पूर्व निम्नलिखित कार्य पूरे किये जायेंगे:–

i. परियोजना घटकों के लिए एक निवेश प्लान, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी के बोर्ड, जो भी हो, द्वारा अनुमोदित प्रावस्थाक्रम और वित्त पोषण योजना दिखाई जाए;

ii. समग्र परियोजना(ओं) के तहत सभी प्रस्तावित घटकों के लिए शुरू और पूरा करने के लिए बेंच मार्क निर्धारित करना जिसमें लक्ष्य पूर्ति की तारीखें भी शामिल हैं;

iii. प्रस्तावित परियोजना के लिए बोलीदाताओं की पूर्व अर्हताएं पूरी की जाएंगी और सभी पूर्वअर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को पूर्व निविदा दस्तावेज जारी किए गए हों;

iv. परियोजना के लिए आवश्यक भूमि बांड जारीकर्त्ता के कब्जे में होगी और/या भूमि अधिग्रहण तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं, यदि कोई हों, की कार्रवाई शुरू कर दी गयी हो।

ख. वित्तीय उपादेयता

(क) परियोजनाएं वित्तीय रूप से उपादेय होंगी;

(ख) यहां वित्तीय उपादेयता से तात्पर्य यह है कि परियोजना(ओं) से इतना राजस्व अवश्य प्राप्त हो ताकि उससे परियोजना के लिए यथेष्ठ वित्तपोषण हो सके।

(ग) जारी कर्त्ता विनिर्दिष्ट राजस्व से बांड आय की ऋण सर्विसिंग के लिए "एस्क्रो एकाउंट" सृजित करेगा। "एस्क्रो" व्यवस्था से राजस्व का विनिर्दिष्टीकरण डीयूआई जैसे स्वतंत्र ट्रस्टी या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मानीटर किया जायेगा।

ग. अन्य शर्तें

(क) जारी कर्त्ता संबंधित राज्यों के संबंधित म्यूनिसिपल कानूनों (1 (1) में यथा निर्दिष्ट) अथवा कुल उधारों से संबंधित अन्य कानूनों के तहत नियमों से बंधे हों।

(ख) i. आगे जारी कर्त्ता अतिरिक्त ऋण प्रसंविदा (डिट कावनेंट) उपलब्ध कराने के लिए लिखित सहमति देगा, जिसके अंतर्गत कम से कम 1.25 का ऋण सर्विस कवरेज अनुपात कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड के पूरे कार्यकाल में बनाये रखा जायेगा।

ii. ऋण सर्विस कवरेज अनुपात का आशय जारीकर्त्ता के सभी दायित्वों व देनदारियों को पूरा करने के बाद शुद्ध आय के अनुपात से है किन्तु इसमें दीर्घकालीन ऋण दायित्व (मूलधन व ब्याज) से लेकर दीर्घकालीन ऋण अदायगी दायित्व शामिल नहीं है।

iii. शुद्ध आय के आकलन के लिए परियोजना विशिष्ट राजस्व और व्यय की बजाय सकल उपयोगिता/निगम के आय व्यय को हिसाब में लिया जायेगा।

iv. सभी राजकीय अनुदान और जारीकर्त्ता को अंतिम राशियां "एस्क्रो एकाउंट" में जमा की जाएंगी तथा बांड इश्यू में उस प्राथमिकता क्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसके अनुसार उद्यम से उत्पन्न राजस्व विभिन्न प्रयोजनों हेतु आबंटित किया जायेगा।

v. ऋण सेवा कवरेज अनुपात का आकलन वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होगा।

घ. परियोजना एकाउंट और मानीटरिंग

(क) उपर्युक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किए गए जारीकर्त्ता कार्यालय कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड द्वारा अर्जित राशि का अलग हिसाब रखेंगे जिसे केवल परियोजना से संबंधित व्यय हेतु उपयोग किया जायेगा।

(ख) जारीकर्त्ता एक अलग परियोजना कार्यान्वयन कक्ष स्थापित करेंगे और एक परियोजना अधिकारी का पद बनायेंगे जो परियोजना(ओं) की प्रगति की मानीटरिंग करने और यह सुनिश्चित करने कि कर मुक्त म्यूनिसिपल बांडों द्वारा अर्जित राशि केवल उन्हीं परियोजना(ओं) के लिए उपयोग की जायेगी जिनके लिए बांड जारी किये गये हैं, के लिए उत्तरदायी होगा।

4. विलेख, परिपक्वता और वापस खरीद

(क) कर मुक्त बांडों की निम्नतम परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होगी। जारीकर्त्ता डीप डिस्काउंट बांड देने या मुख्यतः बांड का मूल्यांकन बढ़ाने के लिए अन्य नूतन वित्त विकल्प दे सकते हैं।

(ख) जारीकर्त्ताओं को तीन वर्ष की संलग्न अवधि के बाद किसी भी व्यक्तिगत निवेशक से बांडों के अंकित मूल्यों पर वापस खरीद व्यवस्था रखने का विकल्प होगा।

5. इश्यू का स्वरूप और कर लाभ

(क) सार्वजनिक इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में या दोनों प्रकारों को मिलाकर राशि जुटाने का विकल्प जारीकर्त्ता पर निर्भर होगा।

(ख) 10.50 प्रतिशत तक की ब्याज दर से प्राप्त आय बिना किसी सीमा के आयकर अधिनियम 1961 के तहत आय कर से मुक्त होगी।

6. किसी परियोजना के लिए कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड की राशि की अधिकतम सीमा

(क) उपर्युक्त मद 2 में सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए बांडों की इश्यू राशि प्रति प्रकरण भारत सरकार के शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जायेगी। कुल परियोजना लागत (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में कर मुक्त म्यूनिसिपल बांडों की अधिकतम राशि 33.3 प्रतिशत या 50 करोड़ रुपये जो भी कम हो, होगी।

(ख) परियोजना का ऋण इक्विटी अनुपात 3 : 1 से अधिक नहीं होगा। पालिका प्राधिकरणों के मामलों में जारीकर्त्ता आंतरिक स्रोतों अथवा अन्य अनुदानों अथवा इन दोनों से परियोजना लागत की कम से कम 20 प्रतिशत राशि प्रदान करेगा।

7. अनिवार्य ऋण रेटिंग

जारीकर्त्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने से पहले अनुमोदित भारतीय रिजर्व बैंक तथा प्रतिष्ठित ऋण रेटिंग एजेंसी से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त करे। ऋण रेटिंग एजेंसी प्रारंभिक रेटिंग देते समय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी हैं और वह करमुक्त म्यूनिसिपल बांड के कार्यकाल के दौरान अपने मानीटरिंग दायित्व के एक अंग के रूप में इसकी निगरानी भी करेंगी।

8. कानूनी तथा प्रशासनिक अपेक्षाएं

(क) जारीकर्त्ता समय-समय पर लागू अन्य सभी कानूनी और प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करेंगे;

(ख) सार्वजनिक इश्यू जारी करने के मामले में जारीकर्त्ता भारत के सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

9. कर में छूट और अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी

(क) वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग वित्त वर्ष के दौरान जारी किये जाने वाले म्यूनिसिपल बांड की मात्रा निर्धारित करेगा और इस मात्रा तथा किसी अन्य क्षेत्रीय अथवा सेक्टोरल प्रतिबंध जो भी तय किये जाएं, के बारे में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को सूचित करेगा।

(ख) कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार नोडल एजेंसी होगा। यह मंत्रालय म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त करेगा और उन पर कार्रवाई करके उन्हें उस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसका गठन आर्थिक कार्य विभाग और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रतिनिधियों से किया जायेगा। समिति अपनी सिफारिशें आर्थिक कार्य विभाग को भेजेगी जो निर्धारित बांडों की वित्त मंत्री के अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

(ग) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित म्यूनिसिपल बांड आय कर अधिनियम की धारा 10 (15) (vii) के तहत कर में छूट के पात्र होंगे।

10. बाह्य मानीटरिंग

प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति में छह माह के अंदर एस्क्रो एकाउंट और परियोजना एकाउंट की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मान्यता

प्राप्त सनदी लेखाकारों के पैनल से राज्यों के शहरी विकास विभाग द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार फर्म द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी और पूर्ण अनुपालनायुक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को पेश की जायेगी।

11. बांडों को सूचीबद्ध करना

इन कर मुक्त बांडों को स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जायेगा।

इंजीनियरी सामान का निर्यात

4050. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान कुल कितने मूल्य के इंजीनियरी सामान का निर्यात किया गया;

(ख) क्या अच्छी गुणवत्ता वाले इंजीनियरी सामान के निर्यात और विश्व बाजार में ब्रांड नाम स्थापित करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इंजीनियरी सामान का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्यातकों को क्या सहायता दी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए इंजीनियरी सामान का कुल मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	मिलियन अमरीकी डालर
1997-98	4603.19
1998-99	4086.18
1999-00	4611.12

स्रोत: ई ई पी सी

(ख) और (ग) सरकार विनिर्माताओं और निर्यातकों को अपने उत्पाद हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता मानक हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उत्पाद उन्नयन को आसान बनाने के लिए सरकार शुल्क की रियायती दर पर पूँजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात की अनुमति प्रदान करती है। डी ई पी बी योजना के अंतर्गत सरकार ने भारत में निर्मित अनुमोदित ब्रांडेड उत्पादों की मूल्य सीमा संबंधी नियंत्रण को हटा लिया है जिससे इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिली है। इंजीनियरी सामान के निर्यातक शुल्क छूट योजना, शुल्क वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच एच सी के अंतर्गत छूट और बाजार विकास सहायता जैसी विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

[हिन्दी]

बैंक शाखा का स्थान परिवर्तन

4051. श्री सुबोध राय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा के स्थान परिवर्तन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या स्थानीय पुलिस/प्रशासन से बैंक और ग्राहकों की सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट मांगी जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या भागलपुर जिले में भारतीय स्टेट बैंक नाथनगर शाखा का स्थानीय पुलिस/प्रशासन की रिपोर्ट के विपरीत स्थान परिवर्तन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक उन शाखाओं के स्थानान्तरण की अनुमति देता है, जो घाटा उठा रही हों या बाढ़, भूकम्प, कानून एवं व्यवस्था की समस्या, जीर्ण-शीर्ण परिसर, आदि के कारण प्रभावित हों। तथापि, बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि स्थानान्तरण के कारण इलाका/हलका/केन्द्र बैंकिंग सुविधा से वंचित न रह जाएं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभी पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट के आयात से प्रतिबंध उठाना

4052. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट के आयात पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया है;

(ख) किन नियमों और शर्तों के अधीन सीमेंट के आयात की अनुमति दी जाएगी;

(ग) सीमेंट के आयात से किस हद तक सीमेंट के मूल्य स्थिर होंगे; और

(घ) सरकार द्वारा सीमेंट का मूल्य स्थिर करने हेतु अन्य क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के एक्जिम कोड शीर्ष 25.23 के तहत वर्गीकृत सीमेंट का आयात 1996 से मुक्त है। सीमेंट के 14 निर्दिष्ट ग्रेडों के आयात को 117 अन्य उत्पादों के साथ दिनांक 24.11.2000 की अधिसूचना सं. 44 के तहत अनिवार्य गुणवत्ता संबंधी मानकों के अधीन ला दिया गया है।

सीमेंट के इन ग्रेडों के घरेलू उत्पादक पर पहले ही इन मानकों के अनुपालन का दायित्व है। पोर्टलैंड सीमेंट के आयात पर मूल सीमाशुल्क वर्ष 2001-2002 के बजट में 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। चूंकि सीमेंट का आयात मुक्त है इसलिए कोई भी निजी कंपनी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग, आपूर्ति और कीमत स्थिति के आधार पर इस उत्पाद का आयात कर सकती है।

[अनुवाद]

अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर छापा

4053. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ाः
श्री सी. श्रीनिवासनः
श्री तिरूनावकरसूः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो (फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन) ने हाल ही में अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक के परिसर पर छापा मारा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अमेरिका के कानूनी उपबंधों के उल्लंघन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमेरिका और अन्य देशों में कार्य करने वाले सरकारी बैंक उस देश के कानूनी उपबंधों का अनुसरण करें क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) उन दोषी अधिकारियों, जिनके कारण ऐसे अशोभनीय कदम उठाए गए हैं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) ने सूचित किया है कि यू एस डिपार्टमेन्ट ऑफ कॉमर्स (यू एस डी ओ सी) द्वारा 7 फरवरी, 2001 को इसकी न्यूयार्क शाखा की जांच की गई। यह जांच यू एस एस के निर्यातकों को भारत में सूचीबद्ध सत्ताओं की ओर से किए गए भुगतान, यदि कोई हो, से संबंधित थी, जो यू एस डी ओ सी विनियम द्वारा कवर किया जाता है। 1998 में यू ए ए द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप यू एस डी ओ सी के निर्यात प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर 'सूचीगत सत्ताओं' को अधिसूचित किया जाता है जिसमें अधिकांश रक्षा उत्पादन एवं अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं जैसे, बी ए आर सी, परमाणु ऊर्जा आयोग, बी एच ई एल, आई एस आर ओ, डी आर डी ओ इत्यादि। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि यू एस डी ओ सी तथा निर्यात प्रशासन विभाग के मार्ग निर्देशों के विनिर्दिष्ट उल्लंघन से सम्बन्धित सूचना बैंक के ध्यान में नहीं लायी गयी है।

खिलाड़ियों द्वारा भुगतान किया गया आय कर

4054. श्री एन.एन. कृष्णदासः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष क्रिकेट, गोल्फ, बिलियर्ड, शतरंज और टेनिस खिलाड़ियों की अनुमानित आय कितनी है और उन्होंने कितने आय कर का भुगतान किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : आयकर विभाग गोल्फ, बिलियर्डस, शतंरज और टेनिस के खिलाड़ियों की आय और चुकाये गये आयकर के अलग से ब्यौरे नहीं रखता है।

[हिन्दी]

बिहार में प्रसारण सुविधाएं

4055. श्री राजो सिंहः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार के किन-किन शहरों/नगरों में दूरदर्शन/आकाशवाणी की प्रसारण सुविधाएं अब तक प्रदान नहीं की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन स्थानों पर भी प्रसारण सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सुविधा को शीघ्र प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) बिहार को जनसंख्या के साथ-साथ क्षेत्र की दृष्टि से आकाशवाणी संकेतों द्वारा पूर्णतः कवर किया जाता है जबकि दूरदर्शन कवरेज उपग्रह पद्धति से बिहार सहित सम्पूर्ण देश में उपलब्ध है। तथापि, फिलहाल राज्य की लगभग 93.3 प्रतिशत जनसंख्या (सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या सहित) को स्थलीय टी.वी. कवरेज उपलब्ध होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती के पास राज्य में प्रत्येक शहर/कस्बे में टी.वी. ट्रान्समीटर/आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की नीति नहीं है लेकिन इसका देश के कवर न किए गए क्षेत्रों के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन कवरेज का विस्तार करने का सतत् रूप से प्रयास रहता है। बिहार में टी.वी. कवरेज के और विस्तार के लिए निम्नलिखित पांच ट्रांसमीटर परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैंः

डीडी-1 सेवा हेतु - रामनगर, किशनगंज और बांका में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।

डीडी-2 एफ सेवा हेतु - मुजफ्फरपुर में उच्च शक्ति ट्रान्समीटर और गया में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।

ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

चोरी हुए चावल हेतु बीमे का दावा

4056. श्री किरीट सोमैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 फरवरी, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "भुज्स ट्रेडर्स क्लेम इन्श्योरेंस फार रूपीज 1.36 करोड़ वर्थ स्टोलन राइस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भुज में चोरी हुए चावल के घोटाले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन

4057. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1996 में उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अप्रमाणिक, असुरक्षित अथवा खतरनाक वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवाओं के प्रदान किए जाने के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटाने के लिए अधिनियम के तहत गठित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों की सक्षमता से संबंधित प्रावधानों का विस्तार करने के लिए अधिनियम को संशोधित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

इक्विटी इंटाइटिलमेंट पास बुक योजना

4058. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 दिसम्बर 2000, के "द बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "द डी ई पी बी डीले हिटिंग एक्सपोर्टर्स एफ आई एस एम ई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में की गई टिप्पणियों और मामले के तथ्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अन्य स्थानों पर इक्विटी इन्टाइटिलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) योजना के तहत खेपों संबंधी प्रक्रिया की स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

धर्मार्थ निधियों का वितरण

4059. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा धर्मार्थ निधियों के वितरण के अधिकार पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त प्रतिबंधों को हटाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा धर्मार्थ निधियों के वितरण के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। विद्यमान निदेशों के अनुसार शहरी सहकारी बैंक पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ की एक प्रतिशत समग्र उच्चतम सीमा के साथ साधारण चन्दा देने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा बैंक राष्ट्रीय निधियों और राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त/ प्रायोजित अन्य निधियों में भी चन्दा दे सकते हैं। तथापि एक वर्ष के दौरान कुल चन्दा पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि आर बी आई को महाराष्ट्र में कुछ प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा भारी मात्रा में चन्दा देने की अनुमति के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। महाराष्ट्र की सहकारी सीमतियों के रजिस्ट्रार ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि केवल एक वर्ष में ही भारी मात्रा में राशि का चन्दा के रूप में दिया जाना जमाकर्त्ताओं/बैंकों के हित में नहीं है और इसलिए आर बी आई द्वारा निर्धारित की गई उच्चतम सीमा अर्थात् पिछले वर्ष प्रकाशित किए गए लाभों का एक या दो प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक चन्दे के लिए आवश्यक समझा जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम की बिना दावे वाली पालिसियां

4060. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पालिसियां पूरी होने के बाद धनराशि के लिए दावा नहीं करने वाले व्यक्तियों की विशाल धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम के पास पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने दावा नहीं करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें देय धनराशि वापिस करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि पालिसी संबंधी दावों की राशियां जिनका निपटान नहीं हुआ होता उन्हें राजस्व खाते में डाल दिया जाता है। पिछले 5 वर्षों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	राजस्व खाते में डाली गई राशियां (करोड़ रुपए)	अदा की गई राशियां, जो राजस्व खाते में डाली गई थीं (करोड़ रुपए)	जीवन निधि खाते में जमा दावा न की गई निवल राशियां (करोड़ रुपए)
1995-96	19.37	7.37	12.00
1996-97	28.31	9.40	18.01
1997-98	31.39	12.05	19.34
1998-99	29.00	13.62	15.38
1999-2000	31.31	12.31	19.00

(ग) पालिसीधारक/दावेदार को खोजने के उद्देश्य से जीवन बीमा निगम द्वारा सुव्यवस्थित तरीका अपनाया गया है। पहली स्थिति में एक साधारण पत्र भेजा जाता है, इसके बाद एक अनुस्मारक तथा तीन महीने के बाद एक पंजीकृत पत्र प्रेषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम द्वारा दावेदारों को तथा उनका नया आवासीय पता, यदि कोई हो, खोजने के लिए फील्ड कार्मिकों को भी इस कार्य पर लगाया गया है। ऐसे दावे जीवन बीमा निगम की पुस्तकों में 5 वर्ष की अवधि के लिए बकाया रखे जाते हैं। यदि पालिसीधारक/दावेदार का पता नहीं चलता तो दावे संबंधी राशियों को राजस्व खाते में डाल दिया जाता है। तथापि, यदि बाद में पालिसीधारक/दावेदार दावा पेश करे तो निगम दावे की वास्तविकता के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसका निपटान करता है।

निर्यात संबंधी अवसंरचना हेतु सहायता

4061. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात संबंधी अवसंरचना के सृजन हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रदान किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के कुल निर्यात में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी में किस हद तक वृद्धि हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ "निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता हेतु योजना" नामक एक नई योजना तैयार की है। इस योजना में विशिष्ट रूप से इन क्रियाकलापों को लक्ष्य बनाया जाएगा—कृषि निर्यातों के संवर्धन हेतु कोल्ड चेन का विकास करना, सम्पूरक बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, नए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा मौजूदा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों में ऐसी सुविधाओं को बढ़ाना, राज्य विशिष्ट प्रजातीय उत्पादों के लिए डिजाइन केन्द्रों के विकास सहित अनुसंधान, विकास एवं विपणन, छोटे पत्तनों तथा जेटियों का विकास करना, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना, निर्यातक इकाइयों के लिए सामान्य निस्सारण उपचार संयंत्र स्थापित करना, निर्यात एंक्लेवों में उत्पादन संबंधी बुनियादी सुविधाएं, सेवा एवं सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना, बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी इत्यादि। वर्तमान बजटीय आबंटन 97 करोड़ रु. है जिसे पिछले वर्ष की तुलना में निर्यातों की समूची मात्रा और निर्यातों की वृद्धि दर के वास्तविक मापदण्डों के अनुसार समानुपाती आधार पर राज्यों के बीच आबंटित किया जाएगा।

फैरो सिलिकॉन के आयात पर नियंत्रण

4062. श्री ए. ब्रह्मनैया:
श्री अनन्त नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उक्रेन, इरान, रूस और चीन से फैरो सिलिकॉन के आयात को नियंत्रित करने हेतु घरेलू फैरो सिलिकॉन उद्योग से मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक इन देशों से अलग-अलग फैरो सिलिकॉन का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) क्या इन देशों से फैरो सिलिकॉन के कथित पाटन में पाटनरोधी प्राधिकरण द्वारा कोई जांच शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या जांच पूरी कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले; और

(च) इन देशों से फैरो सिलिकॉन के पाटन पर नियंत्रण करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (च) जी, हां। 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपबंधों के अधीन पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई पूर्णतः प्रलेखित याचिकाओं के आधार पर फैरो सिलिकॉन के रूस और चीन से हुए आयातों के खिलाफ दिनांक 5 जून, 2000 को और उक्रेन से हुए आयातों के खिलाफ दिनांक 9.3.2001 को पाटनरोधी जांच शुरू की गई है। ईरान से हुए फैरो सिलिकॉन के आयातों के खिलाफ पाटनरोधी जांच शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि ये आयात न्यूनतम थे। रूस और चीन से हुए फैरो सिलिकॉन के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 16.11.2000 को प्रारम्भिक निष्कर्ष जारी किए गए हैं और दिनांक 26.12.2000 को शुल्क लगा दिया गया है। देश में फैरो सिलिकॉन के आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है। फैरो सिलिकॉन के आयात संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(मात्रा : मी. टन में)

देश	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000 (अप्रैल-अक्तू.)
रूस	2949.8	1514.8	6159.89	1854.96
चीन	2209	80.29	2675	1362
ईरान	142.8	शून्य	280	शून्य
उक्रेन	शून्य	20	887.12	1357.85

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

पाटनरोधी कार्रवाइयों को पूरा करने और अंतिम निष्कर्षों को प्रस्तुत करने हेतु अनुमत्य सामान्य समय-सीमा जांच प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष की होती है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

4063. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को हाल ही में द्वितीय श्रेणी के विकास अधिकारियों के रूप में परिवर्तित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने अभ्यर्थियों का दिल्ली में साक्षात्कार किया गया, कितने अभ्यर्थियों का परिवर्तन किया गया, उनके चयन का मानदंड क्या था, उनके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और उनके लिए क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई थीं;

(घ) क्या यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का विचार भी न्यू इंडिया एश्योरेंस की भांति तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को विकास अधिकारियों में परिवर्तन करने की योजना शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी में इस नीति को न अपनाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेशमी वस्त्रों का अधिकतम मूल्य

4064. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने निर्यात हेतु रेशमी वस्त्रों पर अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) क्या रेशमी वस्त्रों के निर्यातकों ने ड्यूटी इन्टाइटिलमेंट पास बुक योजना के नवीकरण की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेशमी वस्त्रों के निर्यात के संबंध में अन्य क्या निर्णय लिए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का रेशमी वस्त्रों के निर्यात पर अधिकतम मूल्य निश्चित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वाणिज्य मंत्रालय में, विदेश व्यापार महानिदेशक ने रेशमी वस्त्रों के निर्यात पर शुल्क हकदारी पास बुक (शु.हक.पा.बुक) का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए रेशमी वस्त्रों पर अधिकतम मूल्य अधिसूचित किए हैं ताकि बेईमान निर्यातकों को अनामिष्ट लाभ उठाने से रोका जा सके। रेशमी वस्त्रों पर अधिकतम मूल्य प्रति अदद 750 रुपये अधिसूचित किया गया है।

(ग) और (घ) शुल्क हकदारी पास बुक (शु.ह.पा.बुक) स्कीम का नवीकरण किए जाने हेतु सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) वाणिज्य मंत्रालय में विदेश व्यापार महानिदेशक ने रेशमी वस्त्रों तथा रेशम से बनाई गई वस्तुओं के निर्यात पर शुल्क छूट पास बुक हकदारी के प्रति रेशमी वस्त्रों पर 250/- रुपये प्रति वर्गमीटर का अधिकतम मूल्य भी अधिसूचित किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम के तहत हकदारी के लिए कढ़ाई किए हुए रेशमी वस्त्रों, फैब्रिकों तथा तैयार वस्त्रों के निर्यात को भी सम्मिलित कर लिया है। इन प्रभारों को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 2.3.2001 को अधिसूचित कर दिया गया है।

शिक्षा हेतु एफ.एम. चैनल

4065. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिक्षा हेतु अलग एफ.एम. चैनल की व्यवस्था करने और एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना का कुल परिव्यय कितना है;

(ग) यह परियोजना कब कार्य करना शुरू करेगी; और

(घ) यह परियोजना लोगों के लिए किस हद तक सहायक होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर सरकार ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को 40 केन्द्रों में एफ.एम. शैक्षणिक चैनल को संचालित करने की अनुमति दी है। वर्तमान में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) परियोजना के लिए कुल परिव्यय का ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) समझौते के अनुसार, आवर्तिता आबंटन की तारीख से 3 वर्ष के अन्दर इसे चालू कर दिया जाना चाहिए।

(घ) ज्ञान वाणी एफ चैनल 4 महानगरों तथा 36 केन्द्रों को कवर करेगा तथा दूरवर्ती शिक्षार्थियों के व्यापक नेटवर्क एवं देश की अभी तक कवर न की गई जनसंख्या को कवर करेगा।

एच.डी.एफ.सी. द्वारा ऋण का वितरण

4066. श्री राजीव प्रताप रूडी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन (एच.डी.एफ.सी.) ने समूह 'क' के शहरों यथा दिल्ली, मुम्बई, चैन्ने, बंगलौर तथा कोलकाता में अधिकांशतः ऋण का वितरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य शहरों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसे ऋण प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.) ने सूचित किया है कि उसने अपना अधिकांश ऋण संवितरण समूह 'क' शहरों में नहीं किया है। आवास विकास वित्त निगम द्वारा अनुमोदित 2580 करोड़ रुपये के कुल ऋण में से अप्रैल से दिसम्बर, 2000 के दौरान आवास विकास वित्त निगम द्वारा अनुमोदित व्यक्तिगत आवास ऋण की राशि समूह 'क' शहरों में मुम्बई (217 करोड़ रुपये), नई दिल्ली (69 करोड़ रुपये), चेन्नई (170 करोड़ रुपये), बेंगलूर (79 करोड़ रुपये) और कोलकाता (62 करोड़ रुपये) है जो कुल 597 करोड़ रुपये है। यह कुल व्यक्तिगत ऋणों का 23 प्रतिशत है।

(ग) आवास विकास वित्त निगम विस्तार (आउट रीच) कार्यक्रम आयोजित करता है जो देशभर में 80 स्थानों पर फैले हुए हैं जिससे एचडीएफसी 2400 से अधिक शहरों एवं नगरों में ऋण देने में सक्षम हुआ है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, एचडीएफसी की गुवाहाटी में एक स्वयंपूर्ण शाखा है जो असम के विभिन्न हिस्सों में विस्तार कार्यक्रम चलाती है और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में ऋण भी उपलब्ध कराती है।

उड़ीसा में कॉफी उत्पादन

4067. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उड़ीसा में निजी क्षेत्र को कॉफी उत्पादन में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां कॉफी उत्पादन निजी क्षेत्र में प्रारम्भ हो गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में इन क्षेत्रों में कॉफी का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) भारत में उत्पादित कॉफी के लगभग 98 प्रतिशत भाग का उत्पादन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किया जाता है और इन राज्यों में समूचा उत्पादन अलग-अलग निजी क्षेत्र के कंपनी बागान क्षेत्रों में किया जाता है। उड़ीसा में 460 हैक्टेयर में कॉफी बागान निजी क्षेत्र में हैं। निजी क्षेत्र में राज्य-वार कॉफी बागान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	बागान क्षेत्र	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
कर्नाटक	37300	192500
केरल	75900	84100
तमिलनाडु	13300	30600
आंध्र प्रदेश	27900	13200
उड़ीसा	60	460
पूर्वोत्तर राज्य	5715	8641

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की जोतों में कॉफी का राज्यवार वार्षिक उत्पादन निम्नानुसार रहा है:

राज्य	1998-99 (मी. टन में)	1999-2000 (मी. टन में)	2000-2001 (मी. टन में)
कर्नाटक	182900	209100	208400
केरल	61150	60470	64430
तमिलनाडु	18300	19400	18950
आंध्र प्रदेश	1792	2176	2230
उड़ीसा	137	152	180
पूर्वोत्तर राज्य	221	202	199

असम सरकार के कर्मचारियों को वेतन

4068. श्री एम.के. सुब्बा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने असम सरकार और अन्य कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिसम्बर, 2000 के अंत तक असम सरकार राज्य के कर्मचारियों को बकाया वेतन के भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बकाया धनराशि के भुगतान हेतु प्रतिबंध हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बताया गया है जनवरी, 2001 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। राज्य के कोषागारों के खोलने के बारे में आवश्यक प्रक्रिया तथा अन्य पहलुओं के पूरा होते ही राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत भुगतान का ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन संशोधन

4069. श्री भेरूलाल मीणा: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 240 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.यू.) में से कुछ उपक्रमों ने अभी तक 1.1.1992 तथा 1.1.1997 से देय वेतन संशोधन लागू नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कितने हैं और ऐसे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1.1.1997 से देय वेतन संशोधन लागू नहीं किया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में वेतन/मजूरी संशोधन समय-समय पर जारी निर्धारित शर्तों/अनुबन्धों को पूरा करने पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम इन शर्तों को पूरा नहीं करते, वे अपने कर्मचारियों के लिए देय तिथियों से वेतन संशोधन नहीं कर सकते। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन/मजूरी संशोधन लागू करने का दायित्व प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय आधार पर विवरण नहीं रखा जाता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का बफर स्टॉक

4070. श्री रघुनाथ झा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1991-99 के दौरान खाद्यान्नों के बफर स्टॉक पर प्रति इकाई प्रशासकीय उपरिप्रभारों, मालभाड़ा प्रभारों, ब्याज प्रभारों तथा भंडारण प्रभारों में वर्ष दर वर्ष व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रभारों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रभारों और रखरखाव लागत में उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं/ किये जा रहे हैं:

(i) यद्यपि अनाज की वसूली मौसमी होती है तथापि, भण्डारण लागत को कम करने के लिए 75 प्रतिशत औसत क्षमता उपयोगिता हासिल करना;

(ii) भाड़े पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा वसूली और संचलन के अनुपात के यथा निर्धारित 1:1.35 के मानदण्ड का अनुपालन करना;

(iii) रेलवे डेमरेज प्रभारों की घटनाओं को रोकने के प्रयास करना;

(iv) बफर स्टाक को कम करने के लिए खुले बाजार में अधिशेष स्टाक जारी करना;

(v) कर्मचारियों की संख्या और प्रशासनिक खर्च कम करके प्रशासनिक लागत को नियंत्रित करना; और

(vi) पुराना स्टाक/श्रेणी ग और घ के स्टाक का निपटान करने का प्रयास करना।

विवरण

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनंतिम)	1998-99 (अनंतिम)	1999-2000 (अनंतिम)
प्रशासनिक उपरि-प्रभार	5.60	10.65	8.21	6.91	9.05	9.41	14.81	14.79	13.56
भाड़ा	-	-	6.99	7.66	-	-	-	-	-
हैंडलिंग	7.23	8.51	8.02	8.73	10.62	13.87	19.95	17.29	19.11
भंडारण प्रभार	24.27	40.13	24.32	23.83	32.91	46.61	50.81	44.26	43.40
ब्याज	34.28	36.70	62.97	72.06	78.37	75.52	74.66	87.07	85.35
मार्गस्थ कमियां	-	-	1.13	1.31	-	-	-	-	-
भंडारण कमियां	6.17	7.66	5.52	4.96	9.89	17.33	11.84	8.33	8.10

खाद्यान्नों के बफर स्टाक के प्रशासनिक उपरि-प्रभारों, भाड़ा प्रभारों, ब्याज प्रभारों आदि में उतार-चढ़ाव मुख्यतया मुद्रास्फीति के प्रभाव, खर्च में वृद्धि, अत्यधिक वसूली के कारण बफर की रखरखाव लागत के ब्याज प्रभारों में वृद्धि, बिक्री और वसूली में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण क्षमता उपयोगिता में उतार-चढ़ाव, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण कमियों की प्रति क्विंटल लागत में वृद्धि, मजदूरी में संशोधन के कारण हुई वृद्धि और महंगाई भत्ते में वृद्धि आदि के कारण हुआ है।

[हिन्दी]

दिल्ली और मुम्बई दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

4071. डा. बलिरामः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली दूरदर्शन तथा मुम्बई दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा 28 फरवरी, 2001 तक कितना राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया और वास्तव में कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या राजस्व आय में कोई कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों पर राजसहायता

4072. श्री नवल किशोर रायः
श्री जोरा सिंह मानः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न वस्तुओं पर राजसहायता की राशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान अलग-अलग कुल कितनी राजसहायता दी गई;

(ग) उर्वरकों और खाद्यान्नों पर अलग-अलग कितनी राजसहायता दी गई;

(घ) क्या सरकार का उर्वरकों तथा खाद्यान्नों पर राजसहायता प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) पिछले अनेक वर्षों में विभिन्न मदों (उर्वरकों और खाद्यान्नों सहित) पर दिए गए सब्सिडी के ब्यौरे व्यय बजट 2001-02 खण्ड-1 के अनुबन्ध 3.1 में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) व्यय सुधार आयोग ने सब्सिडी की शासन प्रणाली युक्तियुक्त बनाने के लिए सिफारिशें की हैं। वित्त मंत्री ने 28.2.2001 को संसद में प्रस्तुत अपने बजट भाषण में सरकार द्वारा अपनाया जा रहा दृष्टिकोण इंगित किया है।

[अनुवाद]

किसानों को ऋण

4073. श्री प्रभुनाथ सिंहः
श्री रामजी मांझीः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एस डी एफ नियम, 1983 में 21 नवम्बर, 1997 को गन्ने की खेती के लिए उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशकों की खरीद के लिए गन्ना विकास योजनाओं के अंतर्गत किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु एक प्रावधान किया गया था परन्तु वह केवल 31 मार्च, 1998 तक जारी रहा और इसके पश्चात् कोई ऋण वितरित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1998 के पश्चात् कोई ऋण वितरित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों की सहायता हेतु ऋण प्रदान कराने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गन्ने का कितना उत्पादन हुआ और यह पूर्ववर्ती तीन वर्षों में गन्ने के उत्पादन की तुलना में कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में दिनांक 21.11.1997 की अधिसूचना के द्वारा एक उपबंध शामिल किया गया था ताकि बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की खरीद के लिए किसी चीनी उपक्रम (गन्ना उत्पादकों/किसानों के लिए नहीं) को ऋण स्वीकृत किया जा सके। चीनी विकास निधि नियमावली में इस उपबंध का समावेश चीनी मिलों को उस समय वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया था जब चीनी उद्योग धन और संसाधन जुटाने की समस्या का सामना कर रहा था। इस उपबंध के अधीन चीनी उपक्रमों द्वारा ऋण की स्वीकृति के लिए 31.3.1998 तक आवेदन देने की अनुमति थी। इस उपबंध के अधीन वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक ऋण संवितरित किए गए थे।

(ग) चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के अनुसार, चीनी विकास निधि से चीनी उपक्रमों द्वारा नियमित गन्ना विकास ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस व्यवस्था से बड़ी संख्या में घटक सहायता के लिए पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा, ऋण की 3 वर्ष की आस्थगन अवधि है और उसके बाद 4 समतुल्य वार्षिक किस्तों में भुगतान करना होता है। अनुमत ऋण की अधिकतम सीमा अर्थात् 3.00 करोड़ रुपये भी अल्पकालिक ऋणों की तुलना में काफी अधिक है।

(घ) देश में विगत छः वर्षों के दौरान हुआ गन्ने का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:

	लाख टन
1994-95	2755.40
1995-96	2811.00
1996-97	2775.60
1997-98	2795.41
1998-99	2887.22
1999-2000	2992.27

[हिन्दी]

चीनी प्रौद्योगिकी पर आधारित मोटर साइकिलों का निर्माण

4074. श्री सुरेश रामराव जाधवः क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम द्वारा चीनी प्रौद्योगिकी पर आधारित मोटर साइकिलों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मोटर साइकिल का उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में भारत तथा चीन के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

4075. श्री पी.आर. किन्डियाः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली स्थित कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों तथा मोटर फाइनेंसिंग कम्पनियों को आम जनता से जमा राशि न स्वीकार करने तथा इसके साथ ही जमा राशि के रूप में स्वीकार की गई राशि को परिपक्वता पर अथवा 1 अप्रैल, 1994 से दो वर्ष के भीतर वापस करने के लिए परिपत्र/निर्णय जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में चल रही ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भा. रि. बैंक ने उक्त परिपत्र के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कोई दल गठित किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मोटर फाइनेंस कम्पनियों सहित अनेक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने भा.रि. बैंक के निर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन किया है और ये आम जनता से जमा राशि स्वीकार करती रही है तथा कुछ समय के पश्चात् बाजार से गायब हो गई;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार को इन कम्पनियों के विरुद्ध आम जनता से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

गैर-चमड़ा फुटवियरों का निर्यात

4076. श्रीमती श्यामा सिंहः
श्री नरेश पुगलियाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 2001 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार "इंडिया लैग्स बिहाइंड इन नॉन-लेदन फुटवियर एक्सपोर्ट" की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान गैर-चमड़ा फुटवियर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गैर-चमड़ा फुटवियर के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गय हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गैर-चमड़ा फुटवियर के निर्यातों में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1998-99 के दौरान 17.52 मिलियन अमरीकी डालर के हुए निर्यातों की तुलना में 1999-2000 में 37.73 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात हुए जिसमें 115.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

अप्रैल-दिसम्बर, 2000 के दौरान गैर-चमड़ा फुटवियर के निर्यात 15.28 मिलियन अमरीकी डालर के हो गए जिसमें पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 54.48% की वृद्धि दर्ज हुई।

सरकार की पहल पर चर्म निर्यात परिषद् ने विशिष्ट देशों में बेचे जाने वाले विशिष्ट उत्पादों की पहचान करके चर्म उत्पादों के निर्यात के लिए अधिक ध्यान देने का दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक योजना तैयार की है।

म्यूचुअल फंडों का निष्पादन

4077. श्री तिरुनावकरसू:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी स्वामित्व वाले म्यूचुअल फंडों की तुलना में भारतीय म्यूचुअल फंड के निष्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय म्यूचुअल फंडों ने आशा के अनुरूप निष्पादन नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय म्यूचुअल फंडों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) म्यूचुअल फंडों का विनियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अन्तर्गत किया जाता है। सेबी म्यूचुअल फंडों के कार्यकलापों का अनुवीक्षण उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से करता है। म्यूचुअल फंडों से अपेक्षा की जाती है कि वे असीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में दैनिक आधार पर तथा सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में साप्ताहिक आधार पर निवल परिसंपत्ति मूल्यों के अनुसार अपने निष्पादन का प्रकटन करें। म्यूचुअल फंडों द्वारा जुटाई गई निधियों, कुल परिसंपत्तियों, प्राप्त तथा स्वीकृत पेशकशी दस्तावेजों, प्रारंभ की गई योजनाओं, दैनिक खरीद तथा बिक्री आदि सहित विस्तृत आंतरिक प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार की जाती है जो सेबी की वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर भी उपलब्ध है। इस प्रकार सरकार ने विदेशी म्यूचुअल फंडों की तुलना में भारतीय म्यूचुअल फंडों के निष्पादन के संबंध में कोई अलग अध्ययन नहीं करवाया है।

(ग) और (घ) म्यूचुअल फंड योजनाओं का कार्यनिष्पादन पूंजी बाजारों को प्रभावित करने वाली विभिन्न ताकतों तथा घटकों पर निर्भर करता है। तथापि, सेबी ने निर्धारित किया है कि म्यूचुअल फंडों की परिसंपत्ति प्रबन्धन कंपनियों को निवेश निर्णय लेते समय सम्यक तत्परता तथा सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। म्यूचुअल फंडों के निवेश निर्णयों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सेबी ने म्यूचुअल फंडों की परिसंपत्ति प्रबन्धन कंपनियों को सलाह दी है कि वे प्रत्येक निवेश निर्णय के समर्थन में रिकार्डों का अनुरक्षण करें। यह भारतीय म्यूचुअल फंडों के साथ-साथ विदेशी स्वामित्व वाले म्यूचुअल फंडों पर भी लागू है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का कार्यकरण

4078. श्री अनंत गुढ़े: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और वित्तीय संस्थानों ने सरकार से नये ऋण मानदण्डों में छूट देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर की गई प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लघु निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों तथा वित्तीय संस्थानों के कार्यकरण को मजबूत बनाने के लिए विनियामक तंत्र मानिटरिंग का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से उधार देने के मानदण्डों में छूट के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) उपस्कर पट्टा एवं किराया खरीद के कार्यकलापों में लगी हुई एनबीएफसी, जिसकी कोटि निर्धारित नहीं की गई है और जिसकी कोटि कम निर्धारित की गई है, ने भारतीय रिजर्व बैंक को अभ्यावेदन दिया है कि वह उन्हें विद्यमान एनओएफ के 1.5 गुना अथवा 10 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, के विपरीत अपनी स्व-धारित निधियों (एनओएफ) के चार गुना तक जनता से जमा राशियां स्वीकार करने की अनुमति दे। एनबीएफसी ने बैंकों से उधार मानदण्डों में छूट के लिए भी निवेदन किया है। उन्होंने बड़े ऋणों (10 करोड़ रुपए और अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा) सावधि ऋण के रूप में 80 प्रतिशत और नकद ऋण के रूप में 20 प्रतिशत के मामले में ऋण के वितरण से संबंधित मानदण्डों में छूट के लिए भी आवेदन किया है।

(ग) सार्वजनिक जमाराशि की मात्रा का संयोजन, जिसे कोई एनबीएफसी अपने एनओएफ से स्वीकार कर सकती है, एनबीएफसी पर कार्य दल की सिफारिशों पर आधारित है, जिसने जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा से संगत विनियमनों के सम्पूर्ण की जांच की है। कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जमाराशि सीमा में छूट पर विचार करना जल्दबाजी करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 मई, 1999 को बैंकों से एनबीएफसी द्वारा उधारों पर सीमा को हटाकर बैंकों से उधार मानदण्डों को उदार बनाया है। वाणिज्यिक बैंकों को भी स्वतंत्रता है कि वे प्रत्येक मामले के गुण-दोषों एवं आवश्यकताओं के आधार पर सावधि ऋण और नकद ऋण की प्रतिशतता में परिवर्तन करें।

(घ) व्यापक विनियामक ढांचा तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि एनबीएफसी स्वस्थ और सुदृढ़ तरीके से कार्य करें। विनियामक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ ये सम्मिलित हैं: अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्ति का रख-रखाव, शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत आरक्षित निधि में अंतरण और भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति देना कि वह एनबीएफसी को निदेश जारी कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न चूकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के लिए दोषी एनबीएफसी के विरुद्ध विभिन्न कार्रवाई करता है। सरकार ने 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक 2000 पेश किया है जिससे आशा है कि एनबीएफसी के जमाकर्त्ताओं को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी।

[हिन्दी]

राज्यों के लिए चैनल

4079. श्री हरीभाऊ शंकर महालेः
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवलीः

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को स्वयं अपना दूरदर्शन चैनल शुरू करने की अनुमति देने का है जहां अन्य कार्यक्रमों के अलावा वह प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमों का भी प्रसारण कर सकेंगे;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ अनुरोध भी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) जी, नहीं। पूर्व में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि वे विद्यमान नीति के अंतर्गत नहीं आते थे।

[अनुवाद]

यूनाइटेड किंग्डम द्वारा भारत की सहायता

4080. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डीः क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूनाइटेड किंग्डम ने भारतीय राज्यों की मदद करने की अपनी इच्छा जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत और यूनाइटेड किंग्डम के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय राज्यों को यूनाइटेड किंग्डम ने किस प्रकार की सहायता देने पर सहमति जताई है;

(ङ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें शुरू किया जाना है और वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां इन परियोजनाओं को स्थापित किया जाना है; और

(च) इससे भारतीय राज्यों के हालात में किस सीमा तक सुधार होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) भारत को यूनाइटेड किंग्डम से सहायता विभिन्न क्षेत्रों यथा शिक्षा, गंदी बस्ती सुधार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कोयला, विद्युत, वानिकी तथा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों में परियोजनाओं के निधिपोषण के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। यह परियोजनाएं अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती हैं। यह अनुदान राशि यू.के. सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) की प्राथमिकता वाले राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कनांटक तथा आन्ध्र प्रदेश हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (28.2.2001 तक) प्राप्त यू.के. अनुदान की राशि 77.776 मिलियन पाऊंड स्टर्लिंग है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विदेशी अनुदान की राशि भारत सरकार प्राप्त करती है तथा इसके पश्चात् अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) मार्ग द्वारा इसे संबंधित राज्यों को दिया जाता है।

तमिलनाडु को नाबार्ड द्वारा ऋण

4081. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपनः क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु के लिए विशेषकर वहां के शिवगंगा और रामनद जिलों के लिए सिंचाई, जलापूर्ति, सड़क और भू-संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) स्वीकृत ऋण के निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) स्वीकृत ऋण की राशि में से कितनी धनराशि निर्गत की जा चुकी है;

(घ) क्या इस ऋण के उपयोग पर समुचित निगरानी रखी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण पुलों और सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए तमिलनाडु राज्य को वर्ष 1996-97 में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के प्रारम्भ से इसके अन्तर्गत कुल 1138.57 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। शिवगंगा और रामनाड (रामनाथपुरम) में आरआईडीएफ के अन्तर्गत मंजूर ऋण की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) मंजूर ऋण की शर्तें संलग्न विवरण I और III में दी गई हैं।

(ग) 17 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार समस्त तमिलनाडु राज्य और शिवगंगा तथा रामनाड जिले के संबंध में आरआईडीएफ के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत कुल संवितरित राशि निम्नानुसार हैः

	राशि (करोड़ रु. में)
तमिलनाडु (समस्त)	602.46
शिवगंगा जिला	54.80
रामनाड जिला	34.38

(घ) और (ङ) नाबार्ड के पास आरआईडीएफ के अन्तर्गत मंजूर परियोजना की निगरानी के लिए तंत्र है। इस तंत्र के डेस्क निगरानी, फील्ड के दौरे, पुनरीक्षा बैठकें, परियोजना पूरी होने संबंधी रिपोर्ट और ऋण जारी

किए जाने जैसे विभिन्न माध्यम हैं। परियोजना मंजूरी समिति की बैठकों में राज्य सरकार द्वारा दी गई नई परियोजनाओं को मंजूरी देते समय जारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा क्रियान्वयन के स्तर की जानकारी के लिए की जाती है।

विवरण-I

तमिलनाडु के शिवगंगा और रामनाड जिलों में आरआईडीएफ के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा मंजूर ऋण राशि का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

वर्ष/खण्ड	शिवगंगा जिला	रामनाड जिला
आरआईडीएफ- II (1996-97)	14.86	8.58
आरआईडीएफ- III (1997-98)	23.20	18.00
आरआईडीएफ- IV (1998-99)	31.83	16.65
आरआईडीएफ- V (1999-2000)	12.67	9.14
आरआईडीएफ- VI (2001-2001)	13.14	12.73
कुल	95.70	65.10

विवरण- II

ग्रामीण आधारिक विकास निधि के अन्तर्गत मंजूर ऋण की शर्तें

भाग-क राज्य सरकार के विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाएं

1. फिलहाल प्राथमिकता प्राप्त क्रियाकलापों में मध्यम और लघु सिंचाई भूसंरक्षण/जल विभाजक प्रबंधन, बाढ़ सुरक्षा/जल निकास ग्रामीण सड़क/पुलों, ग्रामीण बाजार प्रांगणों/गोदामों/समन्वित बाजार प्रांगणों समन्वित शीत ग्रह शृंखलाओं, मत्स्य जेटियों, विद्युत क्षेत्र में प्रणाली सुधार, लघु-जल परियोजनाएं, प्राथमिक।

2. कार्य पूरा किए जाने की चरणबद्ध अवधि अधिकतम तीन वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2003 तक है।

3. अद्यतन प्राक्कलित लागत के 90 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन यह ऋण परियोजना की शेष लागत तक सीमित होगी।

4. प्राथमिकता जारी योजनाओं को दी जाएगी। नई परियोजनाओं के मामले में केवल अल्पावधि पर विचार किया जाएगा जो तीन वर्ष के भीतर पूरी की जानी होंगी।

5. ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत वार्षिक होगी जो प्रत्येक तिमाही में देय होगी।

6. प्रत्येक निकासी को अलग ऋण के रूप में माना जाएगा और दो वर्ष की रियायती अवधि सहित 7 वर्षों में इसकी वापसी अदायगी करनी पड़ेगी अर्थात् प्रत्येक निकासी को 36वें महीने से शुरू 5 समान किस्तों में वापसी अदायगी अपेक्षित होगी।

7. राज्य सरकार का वित्त विभाग प्रलेखीकरण, निधियों की निकासी आदि के लिए नोडल विभाग बना रहेगा।

8. नाबार्ड प्रतिपूर्ति के आधार पर मंजूर राशि जारी करेगा।

9. आरआईडीएफ-VI के अन्तर्गत ऋण राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अधिदेश के बदले जारी किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत किया जाएगा जो सरकार के खाते को नामें डालने के लिए पत्र प्राधिकृत करेगा और राज्य सरकार द्वारा ब्याज के भुगतान और/या मूलधन की वापसी अदायगी में चूक की स्थिति में यह राशि नाबार्ड को भेज दी जाएगी।

विवरण-III

पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) स्व-सहायता समूहों (एस एच जी)/गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाएं

1. व्यक्तिगत मामलों में परियोजना की प्रकृति राज्य दर राज्य और पंचायती राज संस्थान दर पंचायती राज संस्थान अलग-अलग हो सकती है लेकिन ग्रामीण सम्पर्क सड़कें/पुलिया/छोटे पुल बंधारण सहित सामुदायिक सिंचाई, अतिरिक्त निर्माण सहित प्राथमिक स्कूल भवन, पीने के पानी की आपूर्ति, जल-विभाजक विकास कार्य, जल विकास कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु परिसर ग्रामीण हाट, शीतागार, गोदाम, बीज-फार्म आदि जैसे क्रियाकलाप इनमें शामिल होंगे।

2. कार्य पूरा करने की चरणबद्ध अवधि अधिकतम तीन वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2003 तक है।

3. यह ऋण अद्यतन प्राक्कलित लागत के 90 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन शेष परियोजना लागत तक सीमित रहेगा।

4. प्राथमिकता जारी योजनाओं को दी जाएगी। नई परियोजनाओं के मामले में केवल अल्पावधि पर विचार किया जाएगा जो तीन वर्ष के भीतर पूरी की जानी होंगी।

5. ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत वार्षिक होगी जो प्रत्येक तिमाही में देय होगी।

6. प्रत्येक निकासी को अलग ऋण के रूप में माना जाएगा और दो वर्ष की रियायती अवधि सहित 7 वर्षों में इसकी वापसी अदायगी करनी पड़ेगी अर्थात् प्रत्येक निकासी को 36वें महीने से शुरू 5 समान किस्तों में वापसी अदायगी अपेक्षित होगी।

7. राज्य सरकार का वित्त विभाग प्रलेखीकरण, निधियों की निकासी आदि के लिए नोडल विभाग बना रहेगा।

8. जहां राज्य सरकार पी आर आई/एस एच जी/एन जी ओ के बदले निधियां उधार लेती है और बाद वाली संस्थाएं सिर्फ क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएं होती हैं, वहां प्रतिभूति भाग-क के समान ही होगी। प्रत्येक निर्गम के समय उधारकर्त्ता से एक मियादी वचन पत्र के निष्पादन की अपेक्षा की जाएगी।

9. पी आर आई/एस एच जी/एन जी ओ का चयन नाबार्ड द्वारा तैयार मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

10. ऋण आमतौर पर राज्य/जिला स्तर पर परियोजना मंजूरी समिति द्वारा मंजूर किया जाएगा।

11. सम्बन्धित पी आर आई/एस एच जी/एन जी ओ नाबार्ड को तिमाही की समाप्ति से 10 दिन के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा में प्रगति का तिमाही विवरण देगा।

12. इस प्रगति की वित्त/ग्रामीण विकास/पंचायत राज संस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा राज्य/मंडल/जिला स्तर पर पी आर आई/एस एच जी/एन जी ओ-वार पुनरीक्षा की जाएगी।

आयकर संरचना

4082. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में व्यक्तिगत आयकर संरचना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए से अधिक की आय पर कर स्लैब (टैक्स स्लैब) अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः विकासशील और विकसित देशों की तुलना में हमारे यहां आयकर स्लैब (इंकम टैक्स स्लैब) में कितना अन्तर है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यक्तिगत आयकर संरचना के अन्तर्गत 1.5 लाख रुपए से अधिक के आय पर कर स्लैब (टैक्स स्लैब) को कम करन का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर कुछ नहीं।

(ग) ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर कुछ नहीं।

क्रिकेटरों के विरुद्ध आयकर

4083. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने कुछ पूर्व दागी क्रिकेट खिलाड़ियों की अघोषित आय का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक पर कितना अर्थदंड लगाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ख) तलाशी के परिणामस्वरूप, कुछ दस्तावेज पाए गए थे और जब्त किए गए थे जिनमें क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा वास्तविक अथवा प्रस्तावित वित्तीय लेन-देन और साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए निवेशों के विवरणों को भी दर्शाया गया है। इनकी सूची तैयार की गई है और आगे जांच-पड़ताल के लिए कर निर्धारण प्राधिकारियों को भेजी गई है।

कर निर्धारण अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। इस स्तर पर आय के संगोपन अथवा व्यष्टिगत क्रिकेट खिलाड़ियों पर उद्ग्रहणीय अर्थदंड के संबंध में कोई भी निश्चित निर्णय दे पाना संभव नहीं है। इनमें से अधिकतर मामलों में संवैधानिक रूप से कर निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XIV ख के उपबंधों के अनुसार दिनांक 31.7.2002 तक पूरे किए जाने हैं।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुनाफा

4084. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में कार्यरत अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिखाए जाने वाले मुनाफे में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनके पूंजी निवेश के आधार पर दिखाया गया मुनाफा कितना है; और

(ग) भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिखाए जाने वाले मुनाफे की तुलना में उपरोक्त वर्णित मुनाफा किस सीमा तक अधिक या कम है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय रूप से यह सूचना नहीं रखी जाती क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ चालू खाता लेन-देनों के तहत मुक्त रूप से प्रत्यावर्तनीय हैं।

(ग) उपरोक्त के मद्देनजर ऐसी कोई तुलना संभव नहीं है।

एफएफआई द्वारा राजस्थान को ऋण

4085. प्रो. रासासिंह रावत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण और सहायता के रूप में राजस्थान को परियोजना-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) ऐसे संस्थानों, देशों और संगठनों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा कुल ऋण पर कितना ब्याज देय है;

(घ) क्या उक्त राशि का उपयोग उन परियोजनाओं में पूरी तरह नहीं किया गया जिनके लिए ये दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विदेशी सहायता से राजस्थान में चलायी गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में सूचीबद्ध किए गए हैं।

(ग) विदेशी ऋण राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाते हैं। राज्य सरकारें विदेशी ऋण पर ब्याज का भुगतान विदेशी संस्थाओं को सीधे नहीं करती हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(आंकड़े मिलियन में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्रोत	मुद्रा	1997-98	1998-99	1999-00
				के दौरान संवितरण		
	राज्य परियोजनाएं					
1.	कृषि विकास (राजस्थान) दि. 17.12.1992	आईडीए	अमरीकी डालर	11.56	13.14	8.45
2.	राजस्थान जिला निर्धनता रोधी उपाय दि. 19.5.2000	आईडीए	अमरीकी डालर	0.00	0.00	0.00
3.	पीएडब्ल्यूडीआई परि. राजस्थान	स्विट्जरलैंड	भारतीय रुपया	0.00	6.55	0.00
4.	इंदिरा गांधी वनरोपण दि. 23.1.1991	जापान	जापानी येन	584.50	532.50	362.40
5.	अरावली पहाड़ियों का वनरोपण दि. 9.1.1992	जापान	जापानी येन	1297.50	1142.00	958.40
6.	राजस्थान वानिकी विकास दि. 28.2.95	जापान	जापानी येन	867.30	878.30	725.60
7.	पीपीएफ राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना दि. 10.2.94	आईबीआरडी	अमरीकी डालर	0.28	0.00	0.34
8.	राजस्थान कृषि जल निकास दि. 13.3.90	कनाडा	कनाडी डालर	2.50	2.00	1.46
9.	डूंगरपुर एकीकृत जलभूमि विकास दि. 4.3.92	स्वीडन	स्वीडिश क्रोनर	5.52	10.59	1.73
10.	राजस्थान लघु सिंचाई चरण-I दि. 29.4.87	जर्मनी	ड्यूश मार्क	0.18	0.48	-0.16
11.	ईईसी सिद्धमुख और नोहर सिंचाई दि. 10.5.93	ईईसी अनुदान	यूरो	–	0.00	0.00
12.	लोक जुम्बिश कार्यक्रम चरण-II दि. 26.6.95	स्वीडन	स्वीडिश क्रोनर	30.64	31.44	43.55
13.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति चरण-I दि. 17.6.1994	जर्मनी	ड्यूश मार्क	10.38	7.68	3.75
14.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति चरण-I दि. 17.6.1994	जर्मनी	ड्यूश मार्क	10.37	8.68	18.57
15.	आवासीय विद्यालय राजस्थान दिनांक 5.6.1997	जर्मनी	ड्यूश मार्क	0.00	0.00	1.56
16.	राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचे दि. 1.12.1999	एडीबी	अमरीकी डालर	0.00	0.00	0.15
	बहुराज्यीय/केन्द्रीय परियोजनाएं* (जिनमें राजस्थान एक लाभान्वित राज्य है)					
				संचयी आहरण (31.12.2000 की स्थिति के अनुसार)		
1.	पारिस्थितिकीय विकास परियोजना दिनांक 30.9.96	आईडीए, जीईएफ	अमरीकी डालर			8.60
2.	डीपीईपी-IV	आईडीए	अम. डालर			4.00
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	आईडीए	अमरीकी डालर			20.80
4.	मोतियाबिन्द अन्धता नियंत्रण	आईडीए	अम. डालर			47.86

5.	समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस-III)	आइडीए	अमरीकी डालर	17.40
6.	परिवार कल्याण (आईपीपी-IX)	आईडीए	अम. डालर	49.05
7.	प्रतिरक्षण सुदढ़ीकरण	आईडीए	अम. डालर	27.96
8.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा (आरसीएच)	आईडीए	अमरीकी डालर	76.63
9.	द्वितीय राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण	आईडीए	अमरीकी डालर	31.20
10.	टीए-राज्य सड़क संबंधी आधारभूत ढांचा विकास	आईबीआरडी	अमरीकी डालर	–
11.	राष्ट्रीय राजमार्ग	एडीबी	अमरीकी डालर	165.90
12.	शिक्षा कर्मी चरण-III	यूके	यूके पौंड	2.52
13.	लोक जुम्बिश चरण-III	यूके	यूके पौंड	2.32

*इन परियोजनाओं के लिए दिखाई गई राशि संपूर्ण परियोजना से संबंधित है।

[अनुवाद]

शून्य आधारित बजट

4086. श्री सुबोध मोहितेः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फिजूल खर्जी पर कड़ा नियंत्रण रखने हेतु सभी योजनागत और गैर-योजनागत स्कीमों के लिए शून्य आधारित बजटीय प्रणाली को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शून्य आधारित बजटीय प्रणाली को अपनाने के समय से अब तक कितनी बचत हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) सभी चालू योजनाएं कठोर शून्य-आधारित बजटीय जांच की शर्त के अधीन होंगी। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग ने दसवीं योजना तैयार करने का कार्य शुरू करते हुए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि सभी आयोजना योजनाओं को दसवीं पंचवर्षीय योजना में उनकी निरंतरता पर निर्णय से पहले शून्य-आधारित बजटीय प्रणाली प्रयोग करते हुए समीक्षा पूरी करें। सिर्फ ऐसी योजनाएं रखी जाएं, जो प्रदर्शनात्मक रूप से कार्यक्षम और आवश्यक हैं। इस संबंध में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं और यह अभ्यास चल रहा है।

(ग) शून्य आधारित बजटीय अभ्यास प्रगति पर है और यह अभ्यास लगभग 50 मंत्रालयों/विभागों में किया गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शून्य-आधारित बजटीय अभ्यास के अनुसार सभी योजनाएं जिन्हें बन्द किया जाना है उनका आगामी बजट प्रस्तावों में कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान

4087. श्री रामजी मांझीः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या राज्य-दर-राज्य बदलती रहती है;

(ख) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी की गणना करने के लिए राज्य/योजना आयोग द्वारा अपनाई गई विधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लाभ के लिए प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक वितरण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोग लाभान्वित हुए?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद नमूना सर्वेक्षण से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता का अनुमान लगाता है। गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह के रूप में परिभाषित की गई है। गरीबों का अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह (लाकड़ावाला समिति) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने राज्य विशिष्ट गरीबी अनुमान लागू किए हैं ताकि गरीब अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सके। ये राज्यवार गरीबी संबंधी अनुमान योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांक और अंतर्राज्यीय मूल्य अंतर का उपयोग करके लगाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी की प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी की आवश्यकता के मानदंड पर केन्द्रित सामान और सेवाओं के तदनुरूप 1973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये और शहरी क्षेत्रों में

56.64 रुपये के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता खर्च के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। ये प्रतिशतताएं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या का हिसाब लगाने के लिए अनुमानित आबादी पर लागू की जाती हैं। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा स नीच की आबादी की संख्या और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उनके द्वारा पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या बताने वाला विवरण-I संलग्न है।

राज्यों द्वारा की गई गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना में गरीब परिवारों का प्रतिशत गरीब परिवारों के अनुमान से अधिक होने की आशंका है क्योंकि यह सर्वेक्षण विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में लाभभोगियों के रूप में स्वयं चयन के लिए परिवारों की पहचान करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन योजना आयोग द्वारा दिए गए संयुक्त रूप से गरीबी रेखा से नीचे के अनुमानों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए) के आधार पर आवंटन किया जाता है, न कि केवल गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना के अधीन राज्यों द्वारा पहचान की गई गरीबी रेखा से नीचे की ग्रामीण आबादी के लिए किया जाता है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, जो 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान सामान्यतया गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लक्षित हैं, के लिए राज्यों को आवंटित निधियां संलग्न विवरण-II के अनुसार हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित निधियां योजना आयोग के गरीबी अनुमानों पर आधारित होती हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित सार्वजनिक वितरण के अधीन गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को जारी किए गए राशनकार्डों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रक्षेपित आबादी 2000 (लाख में)	विशेषज्ञ समूह के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की प्रतिशतता	परिवारों की संख्या 2000 (लाख में)	2000 में गरीनी परिवारों की संख्या (लाख में)	राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए गरेनी परिवार की संख्या (लाख में)	को सूचित
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	754.66	25.58	158.21	40.63	113.26	जून, 2000
अरूणाचल प्रदेश	11.92	40.86	2.42	0.99	1.2	जून, 2000
असम	261.96	40.86	44.93	18.36	19.06	30.1.2001
बिहार	999.42	54.96	162.24	89.17	84.26	21.5.1997
गोवा	15.95	14.92	3.20	0.48	0.07	—
गुजरात	482.52	24.21	87.57	21.20	33.91	1.7.2000
हरियाणा	198.31	25.05	31.48	7.89	5.86	31.1.2001
हिमाचल प्रदेश	67.11	40.86	12.57	5.14	2.89	सितम्बर, 2000
जम्मू और कश्मीर	99.45	40.86	18.02	7.35	4.96	19.2.1999
कर्नाटक	520.91	33.16	94.37	31.29	66.5	सितम्बर, 2000
केरल	322.52	25.43	61.10	15.54	20.58	31.3.2000
मध्य प्रदेश	797.47	42.52	141.15	60.01	43.65	मार्च, 2000
महाराष्ट्र	911.15	36.86	177.27	65.34	77	2.3.2000
मणिपुर	25.18	40.86	40.07	1.66	1.29	फरवरी, 1999

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	24.34	40.86	4.49	1.83	1.72	15.1.2001
मिजोरम	9.52	40.86	1.67	0.68	0.9	31.3.2000
नागालैण्ड	15.84	40.86	3.02	1.24	0.96	1.12.1997
उड़ीसा	358.57	48.56	67.91	32.98	42.85	अगस्त, 2000
पंजाब	235.36	11.77	39.76	4.68	4.9	1.4.2000
राजस्थान	535.59	27.41	88.67	24.31	23.82	6.12.2000
सिक्किम	5.59	41.43	1.05	0.43	0.48	4.4.1997
तमिलनाडु	617.74	35.03	138.82	48.53	65.51	31.8.2000
त्रिपुरा	37.82	40.86	7.22	2.95	2.31	1.4.1998
उत्तर प्रदेश	1701.88	40.85	273.61	111.77	95.48	1.7.1998
पश्चिम बंगाल	790.06	35.66	145.23	51.79	47.87	31.7.1997
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3.86	34.47	0.81	0.28	0.17	23.5.1997
चंडीगढ़	8.88	11.35	2.03	0.23	0.01	जून, 2000
दादर और नागर हवेली	1.90	50.84	0.36	0.18	0.16	सितम्बर, 2000
दमन और दीव	1.40	15.80	0.26	0.04	0.04	25.6.1997
दिल्ली	139.64	14.69	27.82	4.09	4.11	25.1.2001
लक्षद्वीप	0.71	25.04	0.11	0.03	ल. सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू नहीं की गई	
पांडिचेरी	11.11	37.40	2.24	0.84	0.9	31.8.2000
जोड़	9950.44		1803.68	652.04	766.68	

विवरण-II

1999-2000 और 2000-2001 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अधीन राज्यों को आवंटित निधियां

क्रम सं.	योजना का नाम	केन्द्रीय आवंटन (लाख रुपये में)	
		1999-2000	2000-2001
1.	रोजगार आश्वासन योजना	182,410.01	126,200.00
2.	इन्दिरा आवास योजना	159,999.00	161,369.00
3.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	165,500.00	164,549.98
4.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना	19,790.64	20,914.35
5.	राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	9,278.14	9,455.78
6.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	47,623.58	51,260.74
7.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	110,500.00	100,000.00
8.	मरुभूमि विकास योजना	4,922.48	2,282.82
9.	सूखाग्रस्त क्षेत्र योजना	8,944.23	2,813.00
10.	समन्वित बंजर भूमि विकास योजना	8,307.86	5,088.58
11.	भू-सुधार	4,248.56	3,848.97
12.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना	137,719.47	171,603.00
13.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण शौच कार्यक्रम	10,865.10	3945.00
	जोड़	870,109.07	823,331.22

विवरण-III

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जारी किए गए राशनकार्डों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे के राशनकार्ड (लाख में)		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	आन्ध्र प्रदेश	113.02	113.25	113.80
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.78	0.82	0.82
3.	असम	18.72	18.81	18.82
4.	बिहार	84.26	84.26	84.26
5.	दिल्ली*	उ.न.	उ.न.	उ.न.
6.	गोवा	0.07	0.07	0.08
7.	गुजरात	33.74	33.05	33.89
8.	हरियाणा	5.62	5.64	5.86
9.	हिमाचल प्रदेश	2.84	2.86	2.86
10.	जम्मू और कश्मीर	3.36	3.36	3.36
11.	कर्नाटक	62.55	64.74	62.67
12.	केरल	20.60	20.58	20.47
13.	मध्य प्रदेश	42.68	43.65	43.65
14.	महाराष्ट्र	57.99	58.29	58.11
15.	मणिपुर	1.13	0.67	0.67
16.	मेघालय	0.97	0.97	0.97
17.	मिजोरम*	उ.न.	उ.न.	उ.न.
18.	नागालैण्ड	0.96	0.96	0.97
19.	उड़ीसा	42.35	41.13	41.23
20.	पंजाब	4.88	4.89	5.00
21.	राजस्थान	21.16	21.15	22.87
22.	सिक्किम*	उ.न.	उ.न.	उ.न.
23.	तमिलनाडु	55.00	64.88	65.51
24.	त्रिपुरा	2.31	2.31	2.31
25.	उत्तर प्रदेश	95.48	95.48	95.48
26.	पश्चिम बंगाल	47.07	46.11	46.49
27.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.12	0.12	0.12
28.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
29.	दादर और नागर हवेली	0.17	0.16	0.16
30.	दमन और दीव	0.02	0.02	0.02
31.	लक्षदीप*	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	पांडिचेरी	0.89	0.90	0.90
	जोड़	718.74	729.93	731.14

[हिन्दी]

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले की जांच हेतु केन्द्रीय बोर्ड

4088. श्री मानसिंह पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में धोखाधड़ी के मामले की जांच हेतु केन्द्रीय बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक बोर्ड के समक्ष कितने मामले लाये गये हैं; और

(घ) 28 फरवरी, 2000 तक कितने मामलों का निपटान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में ऋण खातों के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सलाह देने के लिए 1 मार्च, 1999 से बैंक धोखाधड़ी संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सी ए बी बी एफ) गठित किया है। बोर्ड में अध्यक्ष एवं पांच अन्य सदस्य शामिल हैं।

(ग) और (घ) मार्च, 1999 से फरवरी, 2000 की अवधि के दौरान बोर्ड को 13 मामले भेजे गए थे, जिन्हें निपटा दिया गया है।

[अनुवाद]

खतरनाक रसायनों को लाइसेंस मुक्त करना

4089. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन उन्नीस खतरनाक रसायनों को लाइसेंस मुक्त करने पर विचार कर रही है, जो अनिवार्य लाइसेंस की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यावरण और वन तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालयों से इस संबंध में सलाह ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) विधियों, विनियमों, संविधियों की समीक्षा और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की कार्रवाइ क दौरान सरकार अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों की सूची की निरन्तर समीक्षा करती है। उक्त समीक्षा में विनियमन के बजाए उद्योगों के विकास और संवर्धन पर ध्यान दिया जाता है। औद्योगिक विकास में सुविधा के लिए लाइसेंसिंग मामलों,

प्रक्रियाओं और इनके कार्यान्वयन सहित औद्योगिक नीति की समीक्षा करना सरकार की एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में खतरनाक रसायन ऐसे उद्योगों की सूची में हैं जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। सरकार समीक्षा की अपनी प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों के साथ निरन्तर सपर्क में है।

सरकारी क्षेत्र के 8 उपक्रमों को बंद किया जाना

4090. श्री सुनील खांः क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के आर्थिक रूप से व्यवहार्य न रह गये उपक्रमों को बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने बीआईएफआर/विशेषज्ञ एजेंसी, जिन्होंने किसी न किसी स्तर पर सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के प्रचालन को बंद करने अथवा परिसमापन करने के संबंध में आरंभिक/अंतिम विचार व्यक्त किया है, की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तथा पुनरुद्धार की सभी संभावनाओं का पता लगाने के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के इन अजैव्य उपक्रमों को बंद करने की कार्रवाई करने का निश्चय किया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1. नेशनल बाइसकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटड (एनबीसीआइएल)

2. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन (एमएएमसी)

3. रिहैब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (आरआईसी)

4. वेवर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल)

5. टैनरी एवं फुटवियर कारपोरेशन (टैफ्को)

6. भारत प्रोसेस एंड मकैनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल)

7. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)*

8. मान्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड (एमएनपीएम)

* बीआईएफआर ने 10.7.2000 को हुई अपनी सुनवाई में, सीसीआईएल को बंद करने का आदेश दिया।

** कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.10.2000 के अपने आदेश में एमएनपीएम को बंद करने का आदेश दिया।

बिड़ला सन लाइफ बीमा कम्पनी

4091. श्री विजय गोयलः क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिड़ला सन लाइफ बीमा कम्पनी का एक संयुक्त उद्यम खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कम्पनी कब से काम करना शुरू करेगी और प्रारंभिक दौर में इसके परिचालन केन्द्र कौन-कौन से होंगे;

(ग) इस संयुक्त उद्यम में भारत सरकार की भागीदारी कितने प्रतिशत होगी; और

(घ) ग्राहकों को लुभाने के लिए इस कम्पनी द्वारा क्या सेवा प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. को कारोबार शुरू करने के लिए 31 जनवरी, 2001 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है। इसने मुम्बई और दिल्ली में अपना बीमा कारोबार पहले ही शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) संयुक्त उद्यम में बिड़ला ग्रुप ऑफ कम्पनीज की निम्नानुसार शेयरधारिता होगी।

1. इंडियन रेयॉन एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	69 प्रतिशत
2. बिड़ला ग्लोबल फाइनेंस लि.	5 प्रतिशत

आईआरडीए के अनुसार, इस कम्पनी ने शिकायतों आदि का निपटान शीघ्रतापूर्वक करके अपने ग्राहकों की सेवा करने की योजना बनाई है।

आंध्र प्रदेश से मकई की खरीद करना

4092. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार मकई के उत्पादन आधिक्य के कारण आंध्र प्रदेश के किसानों से और अधिक मकई की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से अनेक किसान तंबाकू की खेती करने जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के बाजारों में मक्का की आमद लगभग समाप्त हो गयी है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और आन्ध्र प्रदेश मार्कफेड द्वारा क्रमशः 20451 टन और 18891 टन मक्का की

वसूली की गयी है। भारतीय खाद्य निगम ने आन्ध्र प्रदेश में राज्य सरकार से परामर्श करते हुए 44 क्रय केन्द्र खोले हैं। राज्य सरकार के नामिति अर्थात् आन्ध्र प्रदेश मार्कफेड ने भी किसानों की सहायता करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूल्य समर्थन प्रचालनों के अधीन मक्का की वसूली करने के लिए 32 क्रय केन्द्र खोले हैं।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है।

कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार

4093. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.आई.एफ.आर. ने हाल ही में उड़ीसा के बंद रुग्ण उद्योगों के संबंध में कतिपय निर्णय लिये हैं;

(ख) क्या बी.आई.एफ.आर. ने चौद्वार में बंद पड़ी उड़ीसा मिल के कर्मचारियों को भुगतान करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है और इन कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन कर्मचारियों को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा और इन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने हेतु क्या उचित प्रबंध किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बोर्ड ने जून, 2000 और मार्च, 2001 के बीच संबंधित उच्च न्यायालय को उड़ीसा की पांच कम्पनियों (बन्द/रुग्ण उद्योग) के मामलों के परिसमापन की सिफारिश की है।

(ख) से (घ) बी आई एफ आर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बोर्ड ने 12.3.2001 को की गई अपनी सुनवाई में मै. उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स के परिसमापन की सिफारिश की है। योजना में आवश्यक प्रावधान करके पुनर्वास की योजनाएं मंजूर करते समय बोर्ड द्वारा, कामगारों की देय राशियों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, संबंधित उच्च न्यायालयों, को परिसमापन के लिए संस्तुत मामले में बोर्ड का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता, बशर्ते कि इसे वापस प्रतिप्रेषित न किया जाए।

प्याज का निर्यात

4094. श्री नरेश पुगलिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न चरणबद्ध एजेन्सियों विशेषकर महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पुणे को कितनी मात्रा में प्याज के निर्यात की अनुमति दी गयी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पुणे ने प्याज के निर्यात के लिए अधिक कोटा आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिय निर्यात हेतु प्याज की कुल 3,50,000 मी. टन की मात्रा जारी की गई है। विभिन्न सरणीयन एजेंसियों को आवंटित मात्रा के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

क्र.सं.	सरणीयन एजेंसी का नाम	आबंटित मात्रा
1.	नेफेड	1,95,000 मी.टन
2.	कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं निर्यात निगम लि. (केएपीपीईसी)	2,500 मी.टन
3.	कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लि. (केएससीएमएफ)	7,000 मी.टन
4.	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी)	65,000 मी.टन
5.	गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (जीएआईसी)	35,000 मी.टन
6.	आंध्र प्रदेश विपणन परिसंघ (एपीमार्कफेड)	10,000 मी.टन
7.	राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (एनसीसीएफ)	20,000 मी.टन
8.	मसाला व्यापार निगम लि. (एसटीसीएल)	11,000 मी.टन
9.	एपी राज्य व्यापार निगम (एपीएसटीसी)	4,500 मी.टन
	आबंटित कुल मात्रा	3,50,000 मी. टन

(ख) से (घ) महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) समय-समय पर निर्यात के लिए प्याज की अधिक मात्रा का आवंटन करने का अनुरोध करता रहा है। विभिन्न सरणीयन एजेंसियों के जरिए निर्यात हेतु कोटा जारी करते समय एमएसएएमबी से प्राप्त अनुरोधों पर भी विचार किया गया था। एमएसएएमबी को दिनांक 14 मार्च, 2001 को निर्यात हेतु जारी की गई 50,000 मी.टन की मात्रा में से 15,000 मी.टन की मात्रा का आवंटन किया गया है जबकि फरवरी में इतनी मात्रा जारी की गई थी।

मंत्रालयों की बढ़ती मांगें

4095. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने अधिक अनुदान मांगों तथा अधिक सकल बजटीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने गत वित्त वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान आवंटित धनराशि खर्च नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न मंत्रालयों ने अनुदानों और सकल बजटीय सहायता राशि का पूरा उपयोग न कर पाने के लिए क्या मुख्य कारण बताये हैं; और

(ङ) उनके मंत्रालय द्वारा समय पर अनुदान राशि का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का सुझाव दिया जा रहा है अथवा दिशा-निर्देश जारी किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) इस संबंध में ब्यौरे दिनांक 28 फरवरी, 2001 को संसद में प्रस्तुत व्यय बजट खण्ड-1, 2001-02 में सन्निहित हैं।

(ख) से (ङ) वर्ष 2000-01 के संशोधित अनुमान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की प्रगति और अव्ययित शेषों के आधार पर तैयार किए गए हैं। सामान्य वित्तीय नियम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करते हैं।

हल्दिया से वसूल किए गए सीमा शुल्क

4096. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हल्दिया से वसूल किये गये सीमा शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार हल्दिया में पूर्णरूपेण सीमा शुल्क कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान हल्दिया पत्तन से आयातित वस्तुओं के संबंध में वसूल की गई सीमा शुल्क की राशि निम्नानुसार थी:

वर्ष	वसूल की गई शुल्क की राशि (करोड़ रुपए में)
1998-99	317.65
1999-2000	364.25
2000-2001 (फरवरी तक)	352.94

(ख) और (ग) हल्दिया पत्तन पर एक लघु सीमा शुल्क गृह पहले से ही कार्यरत है। आयात/निर्यात कामजात से संबंधित कतिपय औपचारिकताओं को फिलहाल कोलकाता से ही करना पड़ता है। हल्दिया सीमा शुल्क के गृह में इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ई डी आई) प्रणाली को शुरू किया जा रहा है। मैसर्स कंप्यूटर मेंटनेन्स कारपोरेशन (सीएमसी) लिमिटेड, जो सरकारी उपक्रम है, ने ईडीआई प्रणाली को संस्थापित करने के लिए हल्दिया में साइट को तैयार करने के कार्य को अभी हाल ही में शुरू किया है। ईडीआई प्रणाली के शुरू हो जाने पर, आयात एवं निर्यात संबंधी सभी कागजातों को हल्दिया में दाखिल, संशोधित किया जा सकेगा तथा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा तथा आयातकों/निर्यातकों को सीमा शुल्क निकासी के लिए कोलकाता आने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का यूटीआई में विलय

4097. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय यूटीआई के साथ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के निदेशकों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। यूटीआई बैंक लि. तथा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. के विलय का प्रस्ताव दोनों बैंकों द्वारा 28 फरवरी, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) वर्तमान में, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) के निदेशक निम्नांकित हैं:

नाम

श्री रमेश गेल्ली

श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा

श्री रवि अप्पासामी

डा. जयंत माधब

प्रो. कृष्ण जी. पलेपु

श्री बडिगा रामकृष्ण

श्री आर.एस. हगर

श्री जावेद हमीद

श्री प्रकाश यारदी

श्री श्रीधर सुबसरी

दवे समिति

4098. श्री विनय कुमार सोराके: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवे समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने कितनी सिफारिशें स्वीकार/अस्वीकार की हैं और इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में उन स्कीमों और कार्यों पर सिफारिशें समाविष्ट हैं जिनके बारे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक युवा कर्मकार अपने कार्य जीवन के दौरान इतनी बचत कर ले जो उनकी वृद्धावस्था के दौरान गरीबी के विरुद्ध कवच का कार्य करे। रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशें विद्यमान पेंशन प्रावधानों में और सुधार लाने तथा ऐसे कर्मकारों के लिए एक नयी पेंशन योजना तैयार करने पर केंद्रित है जो वर्तमान पेंशन प्रावधानों में शामिल नहीं किए गए हैं लेकिन पर्याप्त धनराशि बचाने और इन बचतों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधानों में परिवर्तित करने में समर्थ हैं।

(ग) यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

नाबार्ड का कार्य-निष्पादन

4099. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में नाबार्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में यदि कोई चूक पायी गयी हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मंजूर की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं और राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी परियोजनाओं को नाबार्ड द्वारा मंजूरी दी जानी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के क्रियाकलापों की निगरानी भारत सरकार द्वारा सतत् आधार पर की जाती है। इसके परिचालन की गहन समीक्षा इसके निदेशक मंडल द्वारा की जाती है जिसमें अन्य लोगों के साथ वित्त, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। नाबार्ड की गतिविधियों की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल द्वारा भी प्रत्येक वर्ष की जाती है। नाबार्ड की गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा इसकी वार्षिक रिपोर्ट के साथ संसद के पटल पर भी रखी जाती है। नाबार्ड के निष्पादन का विश्लेषण परिमाण निर्धारण संबंधी लक्ष्यों के संबंध में किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा उपलब्ध की गई राज्य-वार पुनर्वित्त सहायता तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) महाराष्ट्र में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अधीन मंजूर राज्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां/समस्याएं अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण एवं वन समस्या, सिंचाई परियोजनाओं में प्रलेखीकरण औपचारिकताएं, राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त बजट प्रावधान तथा जल प्रयोक्ता संघों (वाटर यूजर एसोसिएशन) के गठन में कोई पर्याप्त प्रगति न होना आदि से जुड़ी हुई हैं।

(घ) नाबार्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर आरआईडीएफ परियोजनाओं का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

नाबार्ड द्वारा वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्य-वार पुनर्वित्त सहायता का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		मंजूरी	आहरण	मंजूरी	आहरण	मंजूरी	आहरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निको. द्वीप	208	180	269	265	287	276
2.	आन्ध्र प्रदेश	189689	195799	247962	230546	231538	215112
3.	अरूणाचल प्रदेश	509	509	460	460	1064	1117
4.	असम	8218	8218	14098	14113	14546	14568
5.	बिहार	29910	26531	28493	26065	28225	26767
6.	चंडीगढ़	0	0	3	3	10	10
7.	दादर एवं नगर हवेली	17	17	3	3	24	24
8.	गोवा	668	668	1402	1402	1910	1910
9.	गुजरात	66211	61866	75917	49835	80033	63084
10.	हरियाणा	99194	90641	112584	99949	118369	118290

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	हिमाचल प्रदेश	7876	7866	10978	10797	13602	13571
12.	जम्मू एवं कश्मीर	3529	3229	3449	3478	8889	8749
13.	कर्नाटक	99326	94440	121106	117734	125594	123913
14.	केरल	54602	48634	55242	42887	64751	52052
15.	लक्षद्वीप	15	15	20	20	21	21
16.	मध्य प्रदेश	114527	103429	110093	83265	120958	96519
17.	महाराष्ट्र	58825	46557	78933	61279	109681	86838
18.	मणिपुर	354	968	325	939	203	817
19.	मेघालय	1553	1359	1313	1268	2133	2074
20.	मिजोरम	448	418	351	351	1386	1386
21.	नागालैंड	373	373	319	319	1032	1032
22.	राष्ट्रीय राज. क्षेत्र, दिल्ली	0	0	105	105	100	100
23.	उड़ीसा	57555	54909	56721	53877	85492	77624
24.	पांडिचेरी	196	196	247	247	844	809
25.	पंजाब	75511	70214	94387	92184	101244	98650
26.	राजस्थान	71755	65993	90958	80426	98413	91321
27.	सिक्किम	134	134	167	167	1500	1400
28.	तमिलनाडु	117492	86152	129394	104969	145149	120659
29.	त्रिपुरा	1774	2060	2013	2299	2710	2946
30.	उत्तर प्रदेश	141040	128129	163374	142126	180482	164877
31.	पश्चिम बंगाल	37996	36299	45349	39519	55282	48065
	कुल	1239505	1135803	1446035	1260797	1595472	143581

विवरण-II

नाबार्ड द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य सरकारों को उपलब्ध किए गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	कुल मंजूरियां	कुल संवितरण
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3.93	1.27
2.	आन्ध्र प्रदेश	2391.35	1842.90
3.	असम	179.97	79.23
4.	बिहार	282.28	192.37
5.	छत्तीसगढ	2.61	0
6.	गुजरात	970.92	514.05
7.	हरियाणा	1368.26	1085.57
8.	हिमाचल प्रदेश	152.51	123.67
9.	जम्मू एवं कश्मीर	85.19	74.00
10.	कर्नाटक	1356.28	1166.03
11.	केरल	682.04	432.16
12.	मध्य प्रदेश	1061.71	853.97
13.	महाराष्ट्र	1038.22	622.87
14.	मणिपुर	4.30	0.26
15.	मेघालय	19.73	12.76
16.	नागालैंड	9.95	5.71
17.	उड़ीसा	729.03	590.30
18.	पांडिचेरी	9.34	6.68
19.	पंजाब	1133.65	853.40
20.	राजस्थान	1113.38	832.39
21.	सिक्किम	9.60	9.28
22.	तमिलनाडु	1520.92	1057.01
23.	त्रिपुरा	28.14	17.88
24.	उत्तर प्रदेश	1728.38	1400.51
25.	पश्चिम बंगाल	489.61	440.37
	कुल	16380.30	12204.64

विवरण-III

नाबार्ड द्वारा वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान मंजूर आरआईडीएफ परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आरआईडीएफ-III	आरआईडीएफ-IV	आरआईडीएफ-V
1.	आन्ध्र प्रदेश	304	386	1174
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	7
3.	असम	11	39	100090
4.	बिहार	424	3	145
5.	गोवा	-	3	145
6.	गुजरात	1226	154	9799
7.	हरियाणा	49	44	6
8.	हिमाचल प्रदेश	29	67	735
9.	जम्मू एवं कश्मीर	164	88	132
10.	कर्नाटक	492	537	371
11.	केरल	312	162	237
12.	मध्य प्रदेश	281		153
13.	महाराष्ट्र	722	912	1549
14.	मेघालय	21	16	61
15.	मिजोरम	-	-	27
16.	नागालैंड	-	1	54
17.	उड़ीसा	53	41	93
18.	पंजाब	51	161	104
19.	राजस्थान	264	47	513
20.	सिक्किम	-	112	27
21.	तमिलनाडु	563	489	651
22.	त्रिपुरा	-	24	89
23.	उत्तर प्रदेश	9279	2656	1216
24.	पश्चिम बंगाल	150	106	959
	कुल	14395	6294	118192

एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स में विनिवेश

4100. श्री रामशेठ ठाकुरः
श्री ए. वेंकटेश नायकः

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स के विनिवेश का आरक्षित मूल्य निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को एअर इंडिया तथा इंडियन एअरलाइन्स के लिए कम संख्या में तकनीकी निविदाएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स के लिए नयी निविदाएं जारी करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या नयी निविदाओं को आकर्षित करने के लिए स्थापित नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है;

(च) यदि हां, तो क्या इससे विदेशी निवेशों को गलत संकेत मिलेगा; और

(छ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) अभी तक जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई.आई.टी.एफ., 2001

4101. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधीः क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार आईआईटीएफ, 2001 में अधिक से अधिक अन्य देशों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ और कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आरगेनाइजेशन (आईटीपीओ) इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) सहित प्रगति मैदान में

प्रतिवर्ष 17 मेलों का आयोजन करता है। आईआईटीएफ एक सामान्य स्वरूप का मेला है जिसमें सभी प्रकार के उत्पाद अर्थात् भारी मशीनरी से लेकर छोटे उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर हस्तशिल्प तक शामिल होते हैं। चूंकि अब विशिष्ट उत्पादोन्मुखी मेलों का आयोजन करने की प्रवृत्ति चल रही है इसलिए चर्म एवं चर्म उत्पाद मेला, टैक्सस्टाइल मेला, प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी मेला इत्यादि जैसे मेलों के लिए अधिक विदेशी भागीदारी आमंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। आईआईटीएफ में मुख्य ध्यान ऐसे व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित करने पर दिया जाता है जो आकर यह देख सकें कि भारत क्या प्रस्तुत कर सकता है। आइआईटीएफ, 2000 में 22 देशों के भागीदार तथा 49 देशों के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल आए थे।

भारत में आयोजित मेलों में और अधिक भागीदारी जुटाने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भारत में विदेशी मिशनों, विदेशों में भारतीय मिशनों, व्यापार संवर्धन संगठनों, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, विदेशों में व्यापार एवं उद्योग एसोसिएशनों को मेले में भागीदारी हेतु आमंत्रित करना।

(ii) विदेशों में उन विभिन्न व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी फोल्डरों का वितरण करना जिनमें आईटीपीओ द्वारा भागीदारी का आयोजन किया जाता है।

(iii) प्रदर्शनी स्थल के लिए अल्प विकसित सार्क देशों को किराए पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान करना।

(iv) विभिन्न देशों के व्यापार संवर्धन संगठनों को उनके देशों में आईटीपीओ को मुक्त स्थल की सुविधा प्रदान करने के एवज में ऐसी ही सुविधा प्रदान करना।

वित्तीय संस्था संबंधी समिति

4102. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म वित्तपोषण के मानदंड और प्रक्रिया तैयार करने हेतु आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई द्वारा गठित अन्तर-संस्थानीय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) आईडीबीआई द्वारा फिल्म उद्योग समेत मनोरंजन उद्योग के वित्तपोषण पर गठित संयुक्त संस्थागत समिति को सरकार को अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच कपास के निर्यात को लेकर विवाद

4103. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन ने भारत से निर्यात की जाने वाली सूती चादरों पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाये गये पाटन-रोधी शुल्क के विरुद्ध भारत का पक्ष लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरोपीय संघ ने भारतीय वस्त्र के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के विनिर्णय का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने भी यूरोपीय संघ के रवैये के प्रति आपत्ति प्रकट की है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा विवाद को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) जी, हां। भारत के अनुरोध पर, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) ने भारत से काटन टाइप बेड लिनेन के आयातों पर यूरोपीय संघ द्वारा अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबंधित विवाद में एक पैनल का गठन किया था। पैनल ने यह निष्कर्ष निकाला था कि यूरोपीय संघ ने पाटनरोधी करार के कतिपय प्रावधानों के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप कार्य नहीं किया है।

यूरोपीय संघ ने 1 दिसम्बर, 2000 को इस विवाद में पैनल की रिपोर्ट पर अपील करने के अपने निर्णय को सूचित किया था। भारत ने भी परिकलित सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए ईयू द्वारा अपनाई गई पद्धति के बारे में पैनल द्वारा की गई कानूनी व्याख्या और कुछेक कानूनी मुद्दों पर अपील की थी। बाद में अपीलीय निकाय ने अपनी 1 मार्च, 2001 की रिपोर्ट में यूरोपीय संघ के दावे को अस्वीकार करते हुए भारत द्वारा किए गए दावे को बरकरार रखा। पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्ट 12 मार्च, 2001 को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) द्वारा स्वीकार कर ली गई है और डीएसबी ने यूरोपीय संघ से अनुरोध किया है कि वह अपने उपायों को पाटनरोधी करार के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप बनाएं। विवाद निपटान को शासित करने वाले नियम एवं क्रियाविधि संबंधी डब्ल्यूटीओ समझौते के प्रावधानों के अनुसार, पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्टें स्वीकार करने की तारीख के बाद 30 दिनों के भीतर यूरोपीय संघ, डीएसबी के निणय एवं सिफारिशों को लागू करने के बार में अपनी मंशा से डीएसबी को अवगत कराएगा। इसके अलावा, यदि इन निर्णयों एवं सिफारिशों को तुरंत लागू करना अव्यवहारिक हो तो, यूरोपीय संघ को ऐसा करने के लिए एक समुचित समयावधि मिलेगी।

[हिन्दी]

निर्यात प्रसंस्करण जोन

4104. डा. बलिराम:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में प्रत्येक निर्यात प्रसंस्करण जोन से कौन-कौन से उत्पादों का निर्यात किया गया और निर्यात किये गये उत्पादों का मूल्य क्या था;

(ख) प्रत्येक निर्यात प्रसंस्करण जोन से कितना निर्यात और आयात किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान देश के कुल निर्यात एवं आयात में प्रत्येक जोन का प्रतिशत क्या रहा; और

(ग) इन निर्यात प्रसंस्करण ज़ोनों द्वारा किये गये आयात और निर्यात में कितना अन्तर रहा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात संसाधन जोनों (ईपीजैड)/विशेष आर्थिक जोनों (एसईजैड) से हुए वस्तु क्षेत्र-वार निर्यातों के साथ-साथ इन जोनों द्वारा किए गए आयात एवं निर्यात और देश के कुल निर्यातों और आयातों में इनका प्रतिशत हिस्सा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीजेड/एसईजैड से हुए वस्तु क्षेत्र-वार निर्यात

(करोड़ रु. में)

जोन	वर्ष	इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर	इलैक्ट्रानिक साफ्टवेयर	इंजीनियरिंग सामान	रत्न एवं आभूषण	चमड़ा	वस्त्र एवं परिधान	भेषज एवं रसायन	प्लास्टिक एवं रबड़ का सामान	खाद्य एवं कृषि उत्पाद	अन्य	कुल
	1997-98	-	-	66.29	-	-	97.51	263.17	16.40	-	20.68	464.05
कांडला	1998-99	-		30.19		-	84.88	219.72	34.33	-	22.69	391.81
एसईजैड*	1999-2000	-	-	35.77	-	-	81.85	339.06	66.33	-	20.65	413.66
	1997-98	433.61	627.97	-	1456.10	-	-	-		-		- 2517.68
सीप्ज	1998-99	324.59	876.48	-	2080.77	-	-	-		-		- 3281.84
एसईजैड*	1999-2000	678.39	1041.71	-	2426.47	-	-					- 4146.57
	1997-98	77.94	99.39	102.37	121.00	13.43	93.78	38.48	24.17		33.53	604.09
नोएडा	1998-99	108.76	150.35	118.48	120.67	16.95	111.74	40.78	23.81		60.53	752.07
ईपीजैड	1999-2000	165.98	139.31	120.12	129.45	12.70	134.13	46.22	29.50	-	68.22	845.63
	1997-98	571.71	56.40	87.90	5.74	32.90	169.20	37.82	25.62	1.92	14.77	1003.98
मद्रास	1998-99	34.74	109.79	72.77	7.79	41.23	180.45	45.33	20.48	1.54	21.82	535.94
ईपीजैड	1999-2000	21.97	118.00	92.34	14.63	47.45	160.70	58.61	18.95	1.50	11.27	545.42
कोचीन	1997-98	72.74	0.14	5.21		-	9.43		34.94	21.03	31.02	174.51
एसईजैड*	1998-99	87.87	0.35	5.39	-	-	23.40	-	27.00	42.71	13.33	200.05
	1999-2000	120.81	1.63	5.87	-	-	29.35	-	19.60	24.31	39.43	241.00
फाल्टा	1997-98	-	-	2.89	-	-	6.11	37.84	2.56	1.17	2.37	52.94
ईपीजैड	1998-99	-	0.10	11.80	-	2.57	23.31	7.93	11.24	9.74	6.08	72.77
	1999-2000	2.70	-	42.70	-	10.98	165.92	4.69	25.41	11.05	3.15	266.60
विशाखा-	1997-98	-	-	-	0.05	-	-		-	-	-	0.05
पत्तनम	1998-99	-	-	8.71	9.11	-	-	-	-	-	0.18	18.00
इपीजैड	1999-2000	-	2.86	51.14	63.40	-	0.70		0.03	0.23	0.68	119.04
सूरत	1997-98	-	-	-	-	-	-		-		-	-
एसईजैड*	1998-99	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	1999-2000	-	-	-	0.46	-	-	-	0.24	-	-	0.70

* दिनांक 1.11.2000 से ईपीजेड को एसईजैड में बदल दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीजैड/एसईजैड द्वारा किए गए निर्यात एवं आयात और देश के कुल निर्यातों एवं आयातों में इनका प्रतिशत हिस्सा

(करोड़ रुपए में)

जोन	वर्ष	निर्यात	देश के कुल निर्यातों में ईपीजैड/एसईजैड का प्रतिशत हिस्सा	आयात	देश के कुल आयातों में ईपीजैड/एसईजैड का प्रतिशत हिस्सा	आयात एवं निर्यात के बीच अंतर
कांडला	1997-98	464.05	0.36	142.30	0.09	321.75
एसईजैड	1998-99	391.81	0.28	119.68	0.07	272.13
	1999-2000	543.66	0.33	133.45	0.07	410.21
सीप्ज	1997-98	2517.68	1.93	1263.00	0.82	1254.68
एसईजैड	1998-99	3281.84	2.35	1262.61	0.71	2019.23
	1999-2000	4146.57	2.59	1925.21	0.96	2221.36
नौएडा	1997-98	604.09	0.46	310.23	0.20	293.86
ईपीजैड	1998-99	752.07	0.54	323.90	0.18	428.17
	1999-2000	845.63	0.52	404.88	0.20	440.75
मद्रास	1997-98	1003.98	0.77	730.73	0.47	273.25
ईपीजैड	1998-99	535.94	0.38	305.28	0.17	230.66
	1999-2000	545.42	0.33	281.65	0.14	263.77
कोचीन	1997-98	174.51	0.13	120.34	0.07	54.17
एसईजैड	1998-99	200.05	0.14	117.01	0.06	83.04
	1999-2000	241.00	-	132.68	0.07	108.32
फाल्टा	1997-98	52.94	0.52	51.94	0.03	1.00
ईपीजैड	1998-99	72.77	0.05	65.42	0.37	7.35
	1999-2000	266.60	0.16	64.07	0.03	202.53
विशाखा-	1997-98	0.05	-	43.08	0.02	(-)43.03
पत्तनम	1998-99	18.00	-	39.83	0.02	(-)21.83
ईपीजैड	1999-2000	119.04	0.07	137.78	0.07	(-)18.74
सूरत	1997-98	-	-	-	-	-
एसईजैड	1998-99	-	-	-	-	-
	1999-2000	0.70	-	-	-	-

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

4105. श्री राजो सिंह: क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं और तत्संबंधी उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों की विनिवेश प्रक्रिया के दौरान कार्मिकों के हितों का संरक्षण करने हेतु संबंधित उपक्रमों को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ग) इन निदेशों का उल्लंघन करने वाले उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश, समय-समय पर प्रतिपादित सरकार की घोषित नीति के अनुसार किया जा रहा है। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:

- संभावय रूप से व्यवहार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुरसंरचना और पुनरुद्धार;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों को बंद करना जिनका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता;

- सभी गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत अथवा यदि आवश्यक हो उससे कम स्तर तक नीचे लाना; और
- कर्मचारियों के हितों को पूरा संरक्षण प्रदान करना।

यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामरिक उद्यम निम्न क्षेत्रों में से होंगे:

1. हथियार और गोला-बारूद और रक्षा उपस्कर, सुरक्षा विमान और युद्धपोतों से संबद्ध मदें।
2. परमाणु ऊर्जा (अणु शक्ति के सृजन और विकिरण और रेडियो आइसोटोप को कृषि औषधियों में उपयोग और गैर-महत्वपूर्ण उद्योगों से संबंधित क्षेत्रों को छोड़ कर)
3. रेल यातायात।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-महत्वपूर्ण उद्यमों की सरकारी हिस्सेदारी में 26 प्रतिशत की कमी अपने आप नहीं होगी और ऐसा करने के ढंग और रफ्तार के बारे में मामले दर मामले के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। विनिवेश की प्रतिशतता अर्थात् सरकार की हिस्सेदारी का 51 प्रतिशत से कम या 26 प्रतिशत तक नीचे लाने के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जायेगा:

(i) क्या औद्योगिक क्षेत्र को, निजी हाथों में शक्ति केन्द्रित होने से रोकने के लिए बराबर की शक्ति के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आवश्यकता होगी; और

(ii) क्या औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण करने से पूर्व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक उपयुक्त नियामक तन्त्र की आवश्यकता होगी।

(ख) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में विनिवेश का निर्णय सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है न कि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिशा-निर्देश जारी करने का कोई प्रश्न नहीं है। जैसाकि वित्त मंत्री ने वर्ष 2000-2001 के अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है, सरकार कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन नियंत्रण के हस्तान्तरण वाले विनिवेश के मामलों में शेयरधारक करार और शेयर खरीद करार के लिए समुचित प्रावधान किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

4106. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संबंध में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पुनर्गठन के संबंध में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बोर्ड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री डी. बसु की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने 4 दिसम्बर, 2000 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिए थे:

(i) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक समयावधि में एक पूर्ण लाइसेंसीकृत मीयादी ऋण बैंक के रूप में बदल दिया जाना चाहिए।

(ii) परियोजना वित्त का अश घटाकर इसे परियोजना पश्चात् एवं अल्पावधि वित्तपोषित कारोबार के साथ-साथ मीयादी शुल्क आधारित सेवाओं में बदल दिया जाना चाहिए।

(iii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को नए उत्पादों एवं सेवाओं का विकास करके एक उपयुक्त ऋण एवं निवेश नीति निर्धारित करनी चाहिए।

(iv) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को वर्तमान अनुपयोज्य आस्तियों को कम से कम 500 करोड़ रु. प्रति वर्ष कम करने के लिए एक कंपनी वसूली योजना बनानी चाहिए।

(ग) इन सुझावों पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एवं सरकार द्वारा आईएफसीआई के पुनर्गठन पर निर्णय लेते समय सुनिश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

पूर्वोत्तर राज्यों में टी.वी. नेटवर्क

4107. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का पूर्वोत्तर राज्यों में वर्तमान नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतमालाओं वाले इलाकों में प्रसारण के संबंध में होने वाली समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए सरकार द्वारा कौन से नवीन कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर-पूर्व राज्यों में कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश के उत्तर-पूर्व राज्यों के पर्वतीय भू-भाग से उत्पन्न प्रसारण समस्याओं का निराकरण करने तथा विशेष रूप से उत्तर-पूर्व राज्यों के छाया क्षेत्रों में दूरदर्शन की कवरेज में सुधार लाने के अपने प्रयासों में प्रसार भारती, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए यथा संभव सीमा तक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा ट्रांसपोजर स्थापित कर रहा है।

विवरण

उत्तर-पूर्व राज्यों में कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन परियोजनाएं (1.3.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र.स.	राज्य	परियोजना	स्थान
1.	अरूणाचल प्रदेश	अ.अ.श.ट्रां.	संग्राम
		अ.अ.श.ट्रां.	एतालिन
		अ.अ.श.ट्रां.	देवमाली
2.	असम	ट्रांसपोजर	गुवाहाटी
3.	मणिपुर	उ.श.ट्रां.	चुराचांदपुर
4.	मिजोरम	अ.श.ट्रां.	लांगतलई
5.	नागालैण्ड	ट्रांसपोजर	बड़ा बस्ती
6.	सिक्किम	अ.अ.श.ट्रां.	जोरथांग
7.	त्रिपुरा	अ.श.ट्रां.	अमरपुर
		अ.श.ट्रां.	जोलाईबरी
		अ.श.ट्रां.	अम्बासा

उ.श.ट्रां. - उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
अ.श.ट्रां. - अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
अ.अ.श.ट्रां. - अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

4108. श्री अनंत गुढ़े: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकास हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों को राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की नीति को आगे जारी रखने रहने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विनिवेश करने के माध्यम से धनराशि जुटाने के लिए राज्य-वार जिन लक्ष्यों का प्रस्ताव किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 946 राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यम हैं जिनमें से 241 काम नहीं कर रहे हैं, 551 घाटे में चल रहे हैं जबकि 100 उद्यम अपने लेखे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश/निजीकरण के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं और विनिवेश/निजीकरण में लगी हुई हैं। कुछ राज्यों ने इस संबंध में एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक आदि से अन्तर्राष्ट्रीय सहायता ली है/ले रहे हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने विनिवेश आयोग की स्थापना की है और 17 राज्यों में, जिनसे जानकारी एकत्र की जा चुकी है, 46 राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। चूंकि राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण/विनिवेश संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः राज्य अपनी विनिवेश योजना/नीति के अनुसरण में कार्रवाई कर रहे हैं।

विशेष रूप से महिलाओं के लिए टेलीविजन चैनल

4109. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक टेलीविजन चैनल शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस चैनल की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी; और

(ग) इसे कब तक शुरू किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दी जाने वाली सामग्री को पाना

4110. श्री रामदास आठवले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के जनजाति तथा अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के जरिए दी जाने वाली सामग्री की समय पर प्राप्ति में कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का जनजाति बहुल, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए समय पर खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जनजातीय और अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिन्सों के समय पर प्राप्त न होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न राज्यों को वितरण के महीने से एक माह पूर्व ही चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल का आवंटन करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन जिन्सों का समय पर वितरण कराना संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी होती है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना

4111. श्री रामजी मांझी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने का कार्य पूरा नहीं किया है, जो कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी हेतु एक पूर्वापेक्षा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को कब पूरा कर लिया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अन्तर्गत चलाई जाती है। जहां केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिन्सों की वसूली करने और उन्हें भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है, वहीं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना और उचित दर दुकानों के तंत्र के माध्यम से कार्डधारकों को खाद्यान्नों का वितरण कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। लाभभोगियों अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की राज्यवार संख्या स्वर्गीय प्रो. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित "गरीबों के अनुपात और संख्या के आकलन पर विशेषज्ञ समूह" की कार्यविधि को अपनाकर वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों पर आधारित है।

लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अपनी-अपनी कुशलता के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान कर ली है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसकी गरीबी रेखा से परिवारों की गतिशीलता को ध्यान में रखने के लिए नियमित अंतराल पर पुनरीक्षा करनी होती है। राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या को हिसाब में न लेते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न योजना आयोग के गरीबी रेखा से नीचे की अनुमानित संख्या के आधार पर जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

न्यूजीलैण्ड, चिली और कुवैत के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध

4112. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूजीलैण्ड, चिली और कुवैत ने भारत के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने किन-किन राज्यों तथा क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) क्या इस संदर्भ में, इन देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ कोई बैठक आयोजित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग की समीक्षा भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक संयुक्त व्यापार समिति द्वारा समय-समय पर की जाती है। संयुक्त व्यापार समिति की बैठकें प्रत्येक वर्ष एक-दूसरे देश में आयोजित की जाती हैं। बैठक के दौरान दो तरफा व्यापार को बढ़ाने के तौर-तरीकों समेत द्विपक्षीय एवं पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है। न्यूजीलैण्ड के उच्चायुक्त की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री/राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रायः बैठकें होती रहती हैं।

2. वर्तमान में चिली और भारत के बीच कोई व्यापार करार नहीं है। तथापि, दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार करार किए जाने हेतु कार्रवाई चल रही है।

3. पिछले कुछ समय में कुवैत ने भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए न तो कोई विशेष प्रस्ताव किया है और न ही कुवैत के राजदूत के साथ कोई बैठक हुई है। तथापि, कुवैत दूतावास ने विदेश मंत्रालय को सूचित किया था कि उनका व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय ट्रिप्स, ट्रिम्स इत्यादि और अन्य डब्ल्यूटीओ मामलों में भारत की विशेषज्ञता हासिल करने हेतु एक शिष्टमण्डल भेजना चाहता है।

[अनुवाद]

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के प्रबंधनार्थ कम्पनी

4113. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के प्रबंधनार्थ एक कंपनी बनाने के संबंध में सरकार के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के प्रबंधन हेतु प्रस्तावित इस कंपनी के गठन की रूपरेखा तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या आईडीबीआई तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं इस प्रकार के विविधीकरण तथा ऐसी ही गतिविधियों पर संसाधनों को जाया कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के प्रघटन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) वित्त मंत्री ने वर्ष 1998-99 के लिए यूनियन बजट पेश करते समय घोषणा की थी कि अधिक अनुपयोज्य आस्तियों वाले कुछ बैंकों को प्रायोगिक आधार पर आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो अपने प्राप्य मूल्य पर बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां खरीदेंगी और अपने को अन्तरित आस्तियों के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त करने हेतु देय राशियों की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करेंगी। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ परामर्श करके देश में आस्ति पुनर्गठन कंपनियां गठित करने के लिए एक विधायी ढांचा बनाने के लिए आस्ति पुनर्गठन कंपनी विधेयक का मसौदा तैयार किया है। अनुपयोज्य आस्तियों को एक पृथक् विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरण, एआरसी को अन्तरित करने से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपनी अनुपयोज्य आस्तियां कम करने में सहायता मिलेगी। अतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधनों को गंवाने का प्रश्न नहीं उठता। सरकार प्रस्ताव की जांच कर रही है।

गन्दे और कटे-फटे नोटों का चलन

4114. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों में, गन्दे और कटे-फटे करेंसी नोटों, जो अधिकाशंतया 5 रुपये और 2 रुपये के मूल्यवर्ग के हैं, का चलन बड़े पैमाने पर जारी है;

(ख) सरकार ने गुवाहाटी स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा भण्डार के जरिए सिक्के जारी करके, इस प्रकार के करेंसी नोटों के चलन को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए हैं;

(ग) क्या जनता की ओर से इस बारे में लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि जब ऐसे करेंसी नोटों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विनिमयार्थ दिया जाता है, तो वे सहयोग का रवैया अपनाते हैं अथवा इंकार कर देते हैं;

(घ) क्या सरकार का पूर्वोत्तर स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस आशय के अनुदेश जारी करने का विचार है कि वे जनता द्वारा ऐसे करेंसी नोटों का प्रदाय स्वीकार करें; और

(ड) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के कुछ भागों में गंदे और कटे-फटे नोटों विशेष रूप से 5 रुपए और 2 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों के चलन के मामलों की जानकारी है।

(ख) पूर्वोत्तर प्रदेश की बैंक शाखाओं को सिक्कों और नोटों की आपूर्ति बढ़ा दी गई है। लोगों द्वारा प्रस्तुत गंदे एवं कटे-फटे नोटों को स्वीकार करने तथा बदलने के लिए पूरे क्षेत्र में फैली हुई सभी करेंसी तिजोरी शाखाओं को विशेष काउण्टर खोलने के अनुदेश दिए गए हैं। गुवाहाटी में मोबाइल वैन के माध्यम से अदला-बदली में सुविधाएं प्रदान करने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के गुवाहाटी कार्यालय में विशेष काउण्टर खोले गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को इन सुविधाओं के बारे में सूचना भी दी है तथा 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए के अपने गंदे एवं कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) से (ड) लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए गंदे एवं कटे-फटे नोटों को बदलने के संबंध में बैंकों का सहयोग न प्राप्त होने के बारे में कुछेक शिकयतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को जनता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर इन नोटों को बदलने के लिए निदेश दिए हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा करेंसी तिजोरियां रखने वाले कुछ गैर-सरकारी बैंकों को जनता से फटे हुए/खराब नोटों को स्वीकार करने तथा उन्हें बदलने के लिए शक्तियां भी प्रत्यायोजित की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इन अनुदेशों को समय-समय पर दोहराता रहा है।

वन्य जीवों की खालों की तस्करी

4115. श्री राजीव प्रताप रूडी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश के विभिन्न भागों में और अंतर्राष्ट्रीय हवाई हड्डों पर चीते और बाघ जैसे वन्य-जीवों की खालों की तस्करी के बहुत से मामले पकड़े गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खालों के अवैध व्यापार को संरक्षण देने में सीमा-शुल्क अधिकारियों और कुद विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वन्य जीवों की खालों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस तरह की जाने वाली तस्करी के केवल एक मामले का ही पता चला है जिसमें राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान चेन्नई विमानपत्तन पर 1.40 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की सर्प चर्म को जब्त किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) सीमा शुल्क विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रीय कार्यालय, वन्य जीवों की खाल सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सजग तथा चौकस रहते हैं।

आयकर विभाग में कार्मिकों की आवश्यकता

4116. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग में कार्मिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयकर विभाग में कार्मिकों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में कर-वसूली लागत को घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) करदाताओं के आधार में अत्यधिक वृद्धि के कारण कार्यभार की मात्रा में वृद्धि और इसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी को लागू करने की जरूरत को देखते हुए, सरकार ने आयकर विभाग के लिए पुनर्गठन योजना अनुमोदित की है जो प्रौद्योगिकी को लागू करने के माध्यम से विभाग में उत्पादकता की वृद्धि करने के उद्देश्य पर आधारित है, जिसमें नियंत्रण की अवधि को पुनः परिभाषित करने, व्यवसाय प्रक्रिया का पुनः डिजाइन तैयार करने और मानवशक्ति को पुनः प्रशिक्षण करने के माध्यम से मौजूदा मानवशक्ति की पुनः तैनाती शामिल है।

(घ) पुनर्गठन प्रक्रिया में उत्पादकता में वृद्धि शामिल है। यह प्रक्रिया स्वयं ही कर वसूली की लागत को कम करेगी।

करों को कम करना

4117. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के बजट में अनेक वस्तुओं पर से उत्पाद शुल्क और करों को कम कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि करों में की गई इस कमी का लाभ आम आदमी को मिले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। इस वर्ष के बजट में, कुछेक मदों पर उत्पाद शुल्क की दरों को कम किया गया है।

(ख) वस्तुओं पर शुल्क में कमी का लाभ उपभोक्ताओं का देने के लिए उत्पाद शुल्क कानून में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। वस्तुओं की कीमतें बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा ये उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति की स्थिति तथा कराधान का स्तर आदि जैसे बहुत से कारकों पर निर्भर करती हैं। उत्पाद शुल्क, उत्पादन के स्तर पर लगाया जाता है तथा उत्पादन के स्तर एवं उपभोक्ता के बीच बिचौलियों की एक लंबी शृंखला है जो कारखाना मूल्य में अपनी लागत और लाभ को जोड़ देते हैं।

इक्विटी शेयर से प्राप्त लाभांश

4118. श्री किरीट सोमैया: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इक्यिटी शेयर पूंजी से कितना लाभांश प्राप्त हुआ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी शेयर पूंजी से प्राप्त होने वाले लाभांश में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इक्विटी शेयर पूंजी से प्राप्त लाभांश की धनराशि सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों में किये गए निवेश के अनुसार नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी के बदले में बेहतर लाभांश प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) वष 1999-2000 तथा 1998-1999 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभांश अर्थात् सामान्य शेयर पूंजी से प्रतिफल से सम्बन्धित सूचना दिनांक 27.2.2001 को विधिवत रूप से संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1999-2000 के विवरण संख्या 8 में दी गई है तथा यह एक प्रकाशित दस्तावेज है। लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1999-2000 के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घोषित लाभांश वर्ष 1998-99 के दौरान 4931.56 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1999-2000 के दौरान 5455.48 करोड़ रुपए हो गया है।

(घ) और (ङ) लाभांश घोषित करने तथा लाभ अर्जित करने के अलावा, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रोजगार के अवसर सृजित करने, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना सृजित करने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास का संवर्धन करने इत्यादि जैसे सामाजिक उद्देश्यों का निष्पादन भी करना पड़ता है, जिनका वित्तीय रूप से मात्रात्मक

निर्धारण सम्भव नहीं है। इसलिए, यह निर्धारित करना कठिन है कि क्या सामान्य शेयर पूंजी से प्राप्त प्रतिफल सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए निवेश के अनुरूप है।

(च) प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धनों द्वारा समय-समय पर कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं, ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उनकी इक्विटी पर अच्छे प्रतिफल प्राप्त किए जा सकें। तथापि, किए गए कुछ उपायों में मामले के अनुसार प्रबन्धकीय व वित्तीय पुनर्गठन, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, संयंत्र एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण, लागत नियंत्रण उपाय, कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण तथा बेहतर विपनण रणनीतियां इत्यादि शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति

4119. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "मंत्री दल" को सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की स्थिति के संबंध में अपनी सिफारिशें देने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री दल ने केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) नवरत्न और मणिरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सूची में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का जोड़ने और उस सूची से इनको हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली पर विचार करने और उनके कार्य-निष्पादन की निगरानी करने के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

करेंसी नोटों की छपाई

4120. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसी निजी भारतीय कंपनी को आस्ट्रेलियाई कंपनी के सहयोग से करेन्सी नोटों की छपाई के लिए अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रस्ताव की सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनी को अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को बैंकों से ऋण

4121. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के लघु उद्योगों की इकाइयों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से बैंकों को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान और आज तक राज्य-वार कितने आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किये गए;

(ग) क्या बैंकों ने आवेदकों/लघु उद्योगों की इकाइयों को रुग्ण होने से बचाने के लिए समय पर ऋण जारी किये हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऋणों को जारी करने में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित कितने मामले पकड़े गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि इसकी प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) बैंकों द्वारा राज्य-वार प्राप्त अनुमोदित/अस्वीकृत लघु उद्योग इकाइयों के आवेदनों की संख्या से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, आरबीआई ने मार्च, 1997, मार्च, 1998 एवं मार्च, 1999 में समाप्त होने वाले वर्षों के लिए लघु उद्योग इकाइयों के खातों की संख्या तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दिए गए अग्रिम राशि से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र सहित प्रस्तुत किया है तथा यह ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आरबीआई ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा शुरू किए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विशिष्ट लघु उद्योग इकाई बैंक की शाखाओं के अध्ययन से यह पता चला है कि बैंक ऋण आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित समयावधि का अनुपालन कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) आरबीआई के अनुसार प्रबंध सूचना प्रणाली ऋण के जारी करने में हुई अनियमितताओं से संबंधित पता लगाए गए मामलों की संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराती है।

विवरण

मार्च 1997, 1998 और 1999 को समाप्त वर्षों के लिए लघु उद्योगों को दिए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों (जम्मू एवं कश्मीर सहित राज्य-वार, खाता संख्या-वार और बकाया राशि-वार) को दर्शाने वाला विवरण

	लघु उद्योग 1997		लघु उद्योग 1998		लघु उद्योग 1999	
	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि
हरियाणा	72080	11017963	43414	13235218	43875	17041406
हिमाचल प्रदेश	19073	1496906	18625	1841855	17493	1876943
जम्मू एवं कश्मीर	9569	1097441	10067	1317758	10086	1424994
पंजाब	102389	21264337	97056	26064423	100567	29635752
राजस्थान	95903	9392952	90231	14047365	79475	15136525
चंडीगढ़	4832	2340966	4285	2530198	3378	2734851
दिल्ली	42138	25265357	46313	31637041	42941	36688433
उत्तरी क्षेत्र	345984	71875922	309991	90674658	297815	104538904
असम	61946	2487905	61935	2629315	58231	2741362
मणिपुर	14272	401574	15011	407974	15367	456120
मेघालय	4248	96261	4350	133929	4303	170376
नागालैण्ड	5976	213992	4348	202925	3657	215829
त्रिपुरा	16569	206868	17852	212745	17488	217895
अरूणाचल प्रदेश	1371	37731	1353	41447	1426	45148
मिजोरम	2137	64678	2388	68385	2258	79963
सिक्किम	892	45553	2206	53643	1993	81740
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	107411	3554372	109443	3750383	104623	4008433
बिहार	221267	8705597	211727	9132639	201787	10789488
उड़ीसा	343968	4498043	130991	5199851	134723	5922475
पश्चिम बंगाल	626585	20572464	559921	23307405	547705	25618425
अंडमान और निकोबार	654	32638	1183	40036	844	42783
पूर्वी क्षेत्र	1192474	3808742	903922	37679931	885059	42373171
मध्य प्रदेश	122945	11864312	114037	14508265	118315	16364303
उत्तर प्रदेश	316306	27896569	272273	32286535	256003	35291556
मध्य क्षेत्र	439251	39750881	386310	46794800	374318	51655859
गुजरात	96040	22175981	72855	28145832	72663	30491522
महाराष्ट्र	133367	53239874	110683	67909798	96147	78634756
दमन एवं दीव	126	37080	95	41957	99	49642
गोवा	3809	1160259	3943	1613281	4040	2242807
दादरा और नगर हवेली	70	29009	127	90200	117	132600
पश्चिमी क्षेत्र	233412	76643003	187703	97801068	173066	111551327
आन्ध्र प्रदेश	157264	20340106	122206	23870130	119870	26463198
कर्नाटक	104727	19088545	96701	22277770	105540	25616250
केरल	261600	10323759	120593	11538736	119972	12379787
तमिलनाडु	240875	39562081	241839	43982509	238979	46956442
पांडिचेरी	6398	321462	6071	342408	6202	363016
लक्षद्वीप	32	846	23	600	18	562
दक्षिणी क्षेत्र	740896	8963799	587433	102012153	590581	111779245
अखिल भारत	3059428	315269219	2484702	378712993	2425462	425906939

मशीनरी का निर्यात

4122. डा. जसवंत सिंह यादवः क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मशीनरी, विशेषकर उपकरणों और औजारों के निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में चार सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) मशीनरी, औजार, उपकरण इत्यादि जैसे उप-क्षेत्रों के निर्यात के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते है। तथापि, इंजीनियरिंग निर्यात संवधंन परिषद द्वारा इन मदों के निर्यात के लिए समय-समय पर अनुमान लगाए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, मशीनरी इत्यादि जैसी इंजीनियरी सामान के बेहतर निर्यात निष्पादन को प्राप्त करने के उद्देश्य से वैश्विक बाजार स्थितियों पर निर्भर करते हुए समय-समय पर कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन कार्य-योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्टीकृत व्यापार मेलों में भागीदारी, लक्षित बाजारों में व्यापार शिष्टमंडल भेजना और सहयोग तथा कार्यनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए ब्रांड संवर्धन, राडशो एव सेमिनारों जैसे अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलाप चलाना इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

उचित दर दुकानों की संख्या में कमी

4123. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का उचित दर दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्य विक्रय केन्द्रों की संख्या को कम करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप निजी व्यापारियों को और अधिक उत्तरदायित्व प्रदान किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार की इस नई पहल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ङ) क्या देश में कहीं इस तरह का प्रयोग करके देखा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अन्तर्गत चलाई जाती है। उचित दर दुकानों के तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिन्सों का वितरण करने की प्रशासनिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या की स्थानीय आवश्यकताओं और दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए उचित दर दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्य बिक्री केन्द्रों को खोलने/बंद करने के संबंध में निर्णय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लिया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र की स्थलाकृति आदि शर्तों के अधीन प्रति 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर दुकान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। उनको यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि किसी उपभोक्ता/कार्डधारी को अपनी उचित दर दुकान तक पहुंचने में तीन किलोमीटर से ज्यादा न जाना पड़े। देश में अधिकांश उचित दर दुकानें निजी व्यापारियों की हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां

4124. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजव बैंक ने उपकरणों को पट्टे पर लेने, हायर-पर्चेज, हाउसिंग फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस जैसे विशिष्ट क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा निभायी जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है;

(ख) क्या बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से भिन्न, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने बकायों की वसूली को धीमे कानूनी तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता है और यदि हां, तो क्या इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अनुपयोज्य आस्तियां वास्तविक रूप से और सापेक्षिक रूप से बढ़ गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बकाया धनराशि की वसूली के लिए वित्तीय कंपनियां विनियमन विधेयक, 2000 में आवश्यक उपबंधों को सम्मिलित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजव बैंक (आरबीआइ) ने सूचित किया है कि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को अपने उधारकर्ताओं से ऋण वसूली के लिए भूमि के सामान्य नियमों का सहारा लेना पड़ता है। आरबीआई को सौंपे गए एनबीएफसी की अनुपयोज्य आस्तियों के

तुलनात्मक अध्ययन ने व्यक्त किया कि कुल आस्तियों की तुलना में सकल अनुपयोज्य आस्ति अनुपात में सितम्बर 1998 के 11.51% की तुलना में मार्च 2000 तक 15.10% तथा सितम्बर 2000 तक की स्थिति के अनुसार 16.22% की बढ़ोत्तरी हुई है। कुल आस्ति की तुलना में निवल अनुपयोज्य आस्ति अनुपात सितम्बर 1998 से सितम्बर 1999 के बीच 9.53% से 11.95% बढ़ा था तथा उसके बाद सितम्बर 2000 में यह घटकर 7.70% हो गया।

(ग) से (ङ) सरकार ने 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में एनबीएफसी के और प्रभावी ढंग से विनियमन के लिए वित्तीय कंपनी विनियम विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया। उक्त विधेयक में एनबीएफसी की देयराशि की त्वरित वसूली के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इस प्रकार के प्रावधान पर विचार एनबीएफसी क्षेत्र के स्पष्टीकरण के पश्चात् ही किया जा सकता है। इस विधेयक को माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) का विशाखीकरण

4125. श्री ए. बहमनैया: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) ने वर्ष 2001-2002 से एडवांस गैस ग्लास टरबाइन के उत्पादन के विशाखीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) प्रश्न संभवतः उच्च श्रेणी की गैस टरबाइनों के संबंध में है। भेल, हैदराबाद ने मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक, यूएसए के अनुरूप पहले ही उच्च श्रेणी की गैस टरबाइनों के क्षेत्र में विविधीकरण पहले ही कर लिया है। इन तीन सेटों (70 मेगावाट क्षमता के) में से पहले दो सेट, वर्ष 2000-2001 के दौरान, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी (टीएनईबी) को उनकी कोविलकलप्पल तथा पेरूंगुलम परियोजनाओं के लिए मुहैया कर दिए गए हैं।

आर्थिक सुधार

4126. श्री किरीट सोमैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् ने सिफारिश की है कि सरकार के लिए नीति और क्रियान्वयन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के आर्थिक सुधार पर राष्ट्रव्यापी आम राय बनाने का समय आ गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में आर्थिक सुधार पर आम राय के लिए समिति द्वारा सुझाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय घाटा और आयकर-दर में कमी करने के संबंध में समिति ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) सलाहकार परिषद् की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् ने "आर्थिक सुधार मध्यावधिक परिदृश्य" संबंधी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और अलग-अलग राज्यों तथा सम्पूर्ण देश को उच्चतर उत्पादकता और विकास के पथ पर ले जाने की एक राष्ट्रव्यापी और व्यापक आधार वाली आम सहमति पहले ही बन चुकी है। इस समय जरूरत इस सहमति को आगे बढ़ाने और उसके आधार पर नीतियां तैयार करने एवं उनका कार्यान्वयन करने की है।

(ग) परिषद ने नीतिगत कार्रवाई हेतु कुछ अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित करने की सिफारिश की है जिससे 3 से 4 वर्ष की अवधि में केन्द्र के राजकोषीय घाटे में महत्वपूर्ण रूप से कमी आ जाएगी। संसाधन जुटाव के संबंध में की गई सिफारिशों में कर दरों को न्यूनतर करने और कराधान का विस्तार करने की बुनियादी रणनीति को जारी रखना, सीमा-शुल्कों में कमी करना और उत्पाद-शुल्क प्रणाली की कमियों को दूर करना शामिल है। व्यय पक्ष में इसने नियंत्रित ब्याज दर प्रणाली की संवीक्षा करने, केन्द्रीय नौकरशाही का आकार कम करने, आर्थिक सहायता (सब्सिडी) का यौक्तिकीकरण, पेंशन सुधार आदि के सुझाव हैं।

(घ) प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् की सिफारिशें जांच एवं उचित कार्रवाई हेतु भिन्न-भिन्न मंत्रालयों को परिचालित की गई हैं। इस संबंध में प्रगति को मानीटर किया जा रहा है।

बंगलौर दूरदर्शन द्वारा टेली-फिल्में बनाना

4127. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र ने कुछ महीनों के अंतराल के बाद पुनः टेली-फिल्में बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एक नई परियोजना के एक हिस्से के रूप में इस केन्द्र ने "अंतर्जाल" नामक एक टेली-फिल्म का निर्माण किया जिसका प्रसारण फरवरी, 2001 में किया गया;

(ग) क्या इन फिल्मों का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में टेली-फिल्म निर्मित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, कमीशन्ड टेलीफिल्म "अंतर्जाल" जिसका निर्माण वर्ष 1999 में किया गया था, को 12.2.2001 को प्रसारित करने के लिए सूचीबद्ध किया था क्योंकि दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में प्रसारण हेतु कोई उपयुक्त फीचर फिल्म उपलब्ध नहीं थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक

4128. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने विदेशी संस्थागत निवेशक सेबी के साथ पंजीकृत हैं;

(ख) क्या सेबी ने उसके पास पंजीकृत होने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए दिशानिर्देश निधारित किए हैं;

(ग) क्या घरेलू और विदेशी संस्थानों के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 20.3.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की संख्या 525 है।

(ख) जी, हां। एफआईआई से यह अपेक्षित है कि वे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम, 1995 के तहत सेबी के साथ पंजीकरण करवाएं।

(ग) और (घ) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, विदेशी सस्थागत निवेशकों द्वारा सेबी के साथ पंजीकरण करवाना आवश्यक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत म्यूचुअल फंडों द्वारा सेबी के साथ पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। घरेलू संस्थाएं अर्थात् आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई इत्यादि को उनके विधान द्वारा अभिशासित नहीं किया जाता और अपने विनिवेश क्रियाकलापों के संबंध में उनके द्वारा सेबी के साथ पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है। घरेलू बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण करवाना आवश्यक है।

निजी चैनलों के कारण बढ़ती प्रतियोगिता

4128. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी टेलीविजन चैनलों द्वारा दी जा रही चुनौतियों का मुकाबला करने की दूरदर्शन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन क्षेत्रीय समाचार चैनलों की उपेक्षा कर रहा है और क्षेत्रीय समाचार इकाइयां ठीक से समाचार एकत्रित नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने दर्शकों की संख्या बनाए रखने के लिए दूरदर्शन के कार्यकरण में सुधार और उसे चुस्त-दुरुस्त बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनायी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां। निजी चैनल मनोरंजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं जबकि लोक सेवा प्रसारक के रूप में दूरदर्शन की भूमिका भिन्न है। दूरदर्शन अपने दर्शकों की संख्या को बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु निरन्तर प्रयास कर रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्र मूलरूप से क्षेत्रीय समाचारों का प्रसारण करते हैं, क्षेत्रीय महत्व के समाचारों पर बल देते हैं और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों पर स्वस्थ समाचार उपलब्ध कराते हैं।

(ग) दूरदर्शन ने अपने अधिकांश चैनलों का अभी हाल ही में 24 घंटे के चैनल के रूप में उन्नयन किया है, चैनलों का पैकेज बनाया है, उनकी विषयवस्तु में सुधार किया है और उनके कार्य का व्यवसायीकरण करने का प्रयास कर रहा है।

(घ) चैनलों के निर्धारित बिन्दु चार्ट तथा कार्यक्रम सारिणी की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि चैनलों की कार्यक्रम आवश्यकता के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। चैनल संचालक कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए समाचार शैली के समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं। विभिन्न शैली के कार्यक्रम वास्तविकता पर आधारित टेलीविजन शो, संगीत प्रतिभाओं की खोज के लिए कार्यक्रम आदि तैयार किए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को हमारे इतिहास तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा दिए गए योगदान के बारे में शिक्षित करने के लिए भारत के महान व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी आदि पर भी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा दर्शकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए निपुर्ण प्रदर्शन हेतु चैनलों के पैकेजिंग का कार्य भी समय-समय पर निष्पादित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रियायती दरों पर खाद्यान्न

4130. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुंभ मेले के अवसर पर गरीब तीर्थयात्रियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुंभ मेले में वितरण के लिए खाद्यान्नों की कितनी मात्रा आवंटित की गई थी; और

(घ) आवंटित खाद्यान्नों का कितना प्रतिशत रियायती दर पर गरीबों को दिया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार को कुम्भ मेले के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर 13500 टन गेहूं और 7800 टन चावल आबंटित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर

कुम्भ मेले के तीर्थ यात्रियों को 674 टन गेहूं (654 टन आटे सहित) और 611 टन चावल का वितरण किया है।

(घ) आबंटित मात्रा की तुलना में कुम्भ मेले में तीर्थयात्रियों को गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर वितरित खाद्यान्नों की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

गेहूं	4.99 प्रतिशत
चावल	7.83 प्रतिशत

[अनुवाद]

हिन्दी बुलेटिन बन्द किया जाना

4131. श्री सुरेश रामराव जाधवः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 1980 के दशक के मध्य में आकाशवाणी केन्द्र, जालन्धर द्वारा बन्द किया गया हिन्दी समाचार बुलेटिन अब तक दुबारा शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दी समाचार बुलेटिन का प्रसारण कब से पुनः आरम्भ किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी, जालन्धर द्वारा सितम्बर, 1992 से चण्डीगढ़ के क्षेत्रीय समाचार एकक से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन को रिले करना बन्द कर दिया गया था। तथापि, दिल्ली से प्रसारित एवं आकाशवाणी, जालन्धर से रिले किये जा रहे हिन्दी के किसी भी समाचार बुलेटिन को बन्द नहीं किया गया था।

(ग) वर्तमान में, आकाशवाणी, जालन्धर द्वारा अतिरिक्त समाचार बुलेटिन के रिले को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संस्कृत समाचार बुलेटिन के समय में वृद्धि

4132. श्री टी. गोविन्दनः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान संस्कृत समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) धनराशि और जनशक्ति की कमी के कारण।

नकली बैंक मुहरों वाले आयकर चालान

4133. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में ऐसा एक मामला आया है जिसमें कि आयकर की राशि दरअसल सरकार के खाते में जमा नहीं की गई है और नकली बैंक मुहरों वाले आयकर चालान आयकर विभाग, दिल्ली में जमा किए गए हैं और यह विभाग उन चालानों की प्रामाणिकता की जांच करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का पूरा-पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत दिनांक 19.10.2000 को तलाशी और जब्ती कार्रवाइं के दौरान एक कर सलाहकार के संबंध में एक ऐसा मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है।

(ख) ऐसी कार्यवाहियों के दौरान बैंक ऑफ इण्डिया, पंचशील शाखा की नकली रबड़ मुहरें, नकली और जाली कर भुगतान चालान, आयकर विभाग की प्राप्ति संख्या वाली कोरी आयकर विवरणियां और कार्यालय मुहरें, बिक्री कर चालानों के खाली हिस्से, गैर-न्यायिक स्टैम्प कागजात आदि जैसी विभिन्न अभिशंसी वस्तुएं/दस्तावेज पाये गये और जब्त किए गए। बैंक ऑफ इण्डिया, पंचशील शाखा से पूछताछ करने पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि प्राप्ति रसीद मुहर के निशान वाले ये चालान झूठे और नकली हैं।

(ग) और (घ) दिनांक 22.11.2000 को पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी), नई दिल्ली के पास एक शिकायत दर्ज की गई है जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने कर सलाहकार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 936/2000 दर्ज की है। कर सलाहकार और उसके सहायक अब न्यायिक हिरासत में हैं और भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं। कर निर्धारण को अन्तिम रूप दिए जाने तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1281-ख के अन्तर्गत अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों की अचल सम्पत्तियों को कुर्क कर दिया गया है।

संगठनों का विलय

4134. श्री टी. गोविन्दनः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनका विलय प्रसार भारती के गठन के लिये किया गया है;

(ख) क्या इस संस्था के कार्यकरण हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन जो पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालयों के रूप में कार्य कर रहे थे अब 23.11.1997 से प्रसार-भारती के अंग हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। 1.4.2000 से, प्रसार भारती को सहायता अनुदान (राजस्व खर्च के लिए) और ऋण (पूंजीगत व्यय के लिए) के रूप में इसकी अपनी निधियां उपलब्ध करा दी गई हैं। इसे अपनी वाणिज्यिक आय का भी अनुमति दी गई है। वर्ष 2000-2001 के लिए प्रसार भारती को उपलब्ध करायी गई निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

	स्वीकृत बजट अनुदान 2000-2001	संशोधित अनुमान 2000-2001
गैर-योजना राजस्व	919.98	906.42
योजना राजस्व	42.98	70.94
योजना पूंजीगत	170.30	139.30

मॉडर्न फूड्स लिमिटेड का निजीकरण

4135. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 2001 के 'द टाइम्स आफ इण्डिया' में 'मॉडर्न फूड्स इम्पलाईज अपोज प्राइवेटाइजेशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को मॉडर्न फूड्स लिमिटेड के निजीकरण के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) मॉडर्न फूड्स इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड 31.1.2000 तक एक सरकारी कम्पनी थी। 31.1.2000 से पूर्व अपनाई गई लेखा प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी ने यहां तक कि 5 वर्ष से अधिक की बकाया वसूलियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था जबकि कम्पनी के नए प्रबन्धन ने 3 वर्ष से अधिक समय की सभी प्रकार की बकाया वसूलियों के लिए इस आधार पर प्रावधान किया है कि लेखा सिद्धान्तों को कड़ाई से लागू करने के लिए ऐसा करने की अनिवार्यता है। इस प्रकार तैयार किए गए खातों के अनुसार, वर्ष 1999-2000 के दौरान मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लि. का घाटा 4822.88 लाख रुपए था जिसमें से 3519.00 लाख रुपया पिछले वर्षों के लिए किए गए प्रावधानों के लिए था। 1.4.2000 से 31.12.2000 तक की अवधि के दौरान का घाटा, 1604.081 लाख रुपए था। पिछले 3 वर्षों से मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लि. का कार्य निष्पादन घट रहा था। तथापि, इसके कार्य निष्पादन में धीरे-धीरे सुधार के लक्षण दिखाई दिए हैं और दिसम्बर, 2000 के अंतिम सप्ताह तक ब्रैड की साप्ताहिक बिक्री में लगभग 44 लाख एस एल की वृद्धि हुई है, जो अप्रैल 2000 के आंकड़े की तुलना में 10 प्रतिशत वृद्धि है।

(ग) से (घ) मुट्ठीभर उन कर्मचारियों से विभिन्न अप्रमाणिक आरोपों से युक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जो कर्त्तव्य की अवहेलना और कदाचार के आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियां

4136. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने वर्ष 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरे जाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो बकाया रिक्तियों के संदर्भ में जो वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, वर्ष 1993 से इस मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या कोई कार्यवाही नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1 जनवरी, 1993 तक वित्त मंत्रालय और इसके स्वायत्त/सांविधिक/संबद्ध कार्यालयों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित ऐसी कितनी रिक्तियां हैं जो भरी नहीं गई हैं और इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियां कितनी थीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

आकाशवाणी नैमित्तिक समाचार वाचक

4137. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी में अलग-अलग कितने नैमित्तिक समाचार वाचक हैं;

(ख) क्या सरकार का उनकी सेवाओं को नियमित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा की आर्थिक स्थिति

4138. श्री भर्तृहरि महताब: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार की आर्थिक स्थिति मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अपनाने के बाद खराब हो गई है जबकि अन्य राज्यों में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निकट भविष्य में उड़ीसा के विकास को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) उड़ीसा समेत सभी राज्यों की राजकोषीय दशा में आम गिरावट अनेक घटकों जैसे पिछले उधारों के लिए उच्च ब्याज भुगतान, पांचवें वेतन आयोग के प्रभाव तथा प्राप्तियों यय में बढ़ते असंतुलन, के सम्मिश्रण का परिणाम है।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों की प्राप्ति और व्यय का विस्तृत आकलन किया है और राज्यों के लिए अंतरणों तथा अनुदानों की सिफारिश की है ताकि राज्यों की राजकोषीय व्यवहार्यता, जो कि राज्य के आर्थिक विकास में सहायक होगी, में सुधार हो सके।

विदेशो में भारतीय कम्पनियों द्वारा अधिग्रहण

4139. श्री पी.आर. खूंटे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक विदेशों में भारतीय कम्पनियों द्वारा अधिग्रहण की निगरानी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा विदेशों में अधिग्रहण किया गया है;

(ग) क्या जांच हेतु कुछ मामले फैरा (एफ.ई.आर.ए.) के हवाले किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विदेशों में अधिग्रहणों के निष्पादन को निवेशकर्ता कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानीटर किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, उन भारतीय कम्पनियों जिन्होंने 1 जनवरी, 1998 से 28 फरवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत और अधिक की इक्विटी भागीदारी के साथ उनमें अभिग्रहण किया है, के नाम, इन निवेशों की राशि तथा इन कम्पनियों द्वारा किए गए वास्तविक प्रेषण अनुबंध में दिए गए हैं। इस विवरणी में भारतीय कम्पनियों द्वारा अधिग्रहीत केवल विद्यमान विदेशी कम्पनियां शामिल हैं और इसमें नए संयुक्त उद्यमों/विदेश में पूर्णत: स्वामित्व प्राप्त सहायक कम्पनियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

(ग) और (ङ) संलग्न विवरण में सूचीबद्ध किसी भी कम्पनी की जांच हेतु मामला प्रवर्तन निदेशालय को नहीं भेजा गया है।

विवरण

भारतीय कम्पनियों द्वारा 1 जनवरी, 1998 से 28 फरवरी, 2001 तक विदेशों में अभिग्रहणों (अधिसंख्यक भागीदारी) के लिए अनुमोदनों की सूची

राशि मिलियन अमरीकी डालर में

							अनुमोदित निवेश	
क्र.सं.	भारतीय प्रमोटर कम्पनी	अनुमोदन की तारीख	देश	विनिमय	इक्विटी	ऋण (एल)/ गारंटी (जी)	इक्विटी का प्रतिशत	वास्तविक पारेषण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सिलिकॉन ऑटोमेशन लि.	17.3.1998	जापान	-	0.08	-	100	0.080
2.	सिलिकॉन सॉफ्टवेयर डिजाइन	29.7.1998	यू.के.	-	0.04	-	100	0.001
3.	उषा बेल्ट्रान लि.	17.9.1998	सं.रा.अ.	-	0.13	-	100	0.058
4.	गण यान्त्रिक सिस्टम्स	12.10.98	सं.रा.अ.	-	0.002	-	50	-
5.	डाटा सॉफ्टवेयर रिसर्च	5.11.98	सं.रा.अ.	-	0.50	-	50	-
6.	रमेश फ्लावर्स लि.	1.10.1999	सं.रा.अ.	-	0.07	-	70	0.010
7.	एम एस आई लि.	3.11.1999	सं.रा.अ.	2.760	-	-	100	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	ओगिल्वी एंड मेथर लि.	19.3.1999	श्री लंका	-	0.42	-	75	0.452
9.	एस वी जी सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	19.3.1999	सं.रा.अ.	-	0.05	-	66.67	0.019
10.	पॉन म्यूजिक एंड मैगजीन्स	5.3.1999	फ्रांस	-	0.10	2.30	100	2.400
11.	सेजाल जेम्स प्रा. लि.	5.3.1999	सं.रा.अ.	-	0.05	-	90	0.045
12.	सुवी इंफोरमेशन सिस्टम	31.5.1999	सं.रा.अ.	-	000*	-	100	-
13.	एपलिटेक सोल्युशन्स लि.	14.6.1999	सिंगापुर	-	0.14	-	100	-
14.	एपलिटेक सोल्युशन्स लि.	14.6.1999	आस्ट्रेलिया	-	000*	-	100	-
15.	एपलिटेक सोल्युशंस लि.	14.6.1999	सं.रा.अ.	-	0.02	-	100	-
16.	गुजरात गलास लि.	22.7.1999	श्रीलंका	-	9.05	-	100	-
17.	इंफोटेक इंटरप्राइजेज	26.7.1999	यू.के.	1.761	1.761	100	100	
18.	उषा बेल्ट्रान लि.	27.7.1999	यू.के.	-	7.75	(जी) 3.00	100	2.853
19.	टेकमेटिक इंडिया प्रा.लि.	16.8.1999	यू.के.	-	000*	-	100	-
20.	टीटागढ़ इंडस्ट्रीज लि.	28.8.1999	बेल्जियम	-	0.762	-	86.57	0.091
21.	जी टेलीफिल्मूस लि.	23.9.1999	बी.वी.आई.	470.789	-	-	100	#
22.	जेनिथ इंफोटेक लि.	10.9.1999	सिंगापुर	-	0.03	-	100	-
23.	एस एन आर सॉफ्टेक प्रा.लि.	18.10.1999	सं.रा.अ.	-	0.005	-	51	-
24.	उषा बेल्ट्रान लि.	20.10.1999	बी.बी.आई.	1.976	00	-	100	#
25.	ईस्टर्न सॉफ्टवेयर सिस्टम	21.10.1999	इंडोनेशिया	-	0.36	-	100	0.180
26.	जे.के. इंफोमेटिक्स लि.	29.10.1999	सं.रा.अ.	0.025	-	-	100	#
27.	ईस्ट इंडिया होटल्स लि.	12.7.1999	बी.वी.आई.	-	8.10	-	100	7.260
28.	स्टर्लिंग इंफोटेक लि.	23.12.1999	सिंगापुर	-	0.68	-	87.5	0.774
29.	सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज	27.12.1999	सं.रा.अ.	46.250	-	-	100	#
30.	इंफोनेट वर्ल्डवाइड लि.	28.12.1999	सं.रा.अ.	-	3.50	-	50	1.50
31.	इंड टेलीसोफ्ट प्रा.लि.	18.1.2000	सं.रा.अ.	-	0.07	-	100	-
32.	इंड टेलीसोफ्ट प्रा.लि.	18.1.2000	सं.रा.अ.	-	0.01	-	100	-
33.	गोआ कार्बन्स लि.	31.1.2000	मॉरिशस	-	0.03		100	0.030
34.	जी टेलीफिल्मूस लि.	24.2.2000	बी.बी.आई.	63.920	148.26	-	50	148.260
35.	बर्जर पेन्ट्स इंडिया लि.	2.5.2000	नेपाल	-	0.69	(एल) 0.29	100	-
36.	के एल जी सिस्टम लि.	3.1.2000	सं.रा.अ.	-	5.87	-	51	5.865
37.	जी.इं. इंडियन सर्विसेज हो.	22.3.2000	मॉरिशस	-	0.002	-	100	-
38.	लीडिंग एंज सिस्टम्स	31.3.2000	बरमुडा	-	1.393	100	-	
39.	बोस्टन मेनेजमेन्ट कंसलटेंटस प्रा. लि.	26.7.2000	स.रा.अ.	-	0.300	-	100	-
40.	जेनसिस टेक्नोलोजी लि.	4.1.2000	सं.रा.अ.	-	0.10	-	100	0.100
41.	जेन्सन एंड निकल्सन (आई) लि.	2.5.2000	नेपाल	-	0.003	-	95	-
42.	सिस्टम अमेरिका (इंडिया)	4.5.2000	कनाडा	-	0.18	(जी)	100	0.016
43.	स्ट्राइडस एक्रोलैब लि.	5.1.2000	सं.रा.अ.	-	8.01	4.02	100	-
44.	रियल टाइम्स होल्डिंग्स (पी)	20.5.2000	सं.रा.अ.	0.495	-	-	100	#
45.	नेटा क्रास होल्डिंग्स एंड इंवे.	16.5.2000	मॉरिशस	0.419	-	-	100	-
46.	राम इंफारमेटिक्स लि.	24.6.2000	सं.रा.अ.	5.734	0.44	-	100	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	सिनर्जी लोगिन सिस्टम	20.5.2000	सिंगापुर	-	0.44	-	100	-
48.	सुबेक्स सिस्टम्स लि.	6.1.2000	सं.रा.अ.	0.300	6.413	-	100	3.566
49.	टाटा टी लि.	6.3.2000	यू.के.	-	101.69	-	86.11	23.720
50.	ट्रिगीन टेक्नोलॉजीज लि.	31.3.2000	बरमुडा	139.397	-	-	100	#
51.	अरासान इंटरनेशनल	6.5.2000	सं.रा.अ.	-	0.27	-	100	-
52.	श्रीराम ग्लोबल टेक्नो.	26.7.2000	सं.रा.अ.	-	0.50	-	100	-
53.	वी एम एफ सॉफ्टेक लि.	6.9.2000	सं.रा.अ.	-	0.35	-	100	-
54.	रेव टेक्नोलोजीज	14.6.2000	यू.के.	1.589	-	-	100	#
55.	डाटा लाइन ट्रांसक्रिप्शन	26.7.2000	सं.रा.अ.	-	0.150	-	100	-
56.	टीम एशिया सेमीकंडक्टर (इं) लि.	8.5.2000	मॉरिशस	-	6.48	-	100	-
57.	बांखार्ड लि.	8.5.2000	सं.रा.अ.	50.000	20.000	-	100	-
58.	एमेक्स इंफोरमेशन टेक्नो. लि.	12.5.2000	जर्मनी	-	-	(एल) 0.200	100	0.111
59.	बी एफ एल सोफ्टवेयर लि.	8.6.2000	सं.रा.अ.	168.028	-	-	100	#
60.	श्री एम एम सोफ्टेक लि.	18.8.2000	सं.रा.अ.	84.55	-	-	100	#
61.	स्पाइक टेक्नोलोजीज	23.8.2000	सं.रा.अ.	74.00	-	-	100	#
62.	यू टी वी सोफ्टवेयर कम्यूनिकेशन्स	23.8.2000	सिंगापुर	5.494	-	(जी) 5.60	100	#
63.	यू टी वी सोफ्टवेयर कम्प्यू.	23.8.2000	बी.वी.आइलैंड	0.238	-	-	100	#
64.	इंडिया फो. कॉम प्रा. लि.	25.8.2000	सं.रा.अ.	-	3.738	-	100	-
65.	ओ. सी. एस. इंटरनेशनल प्रा. लि.	22.9.2000	ओमान	0.738	-	-	-	
66.	बोस्टन एजुकेशन	26.9.2000	सं.रा.अ.	-	0.30	-	100	#
67.	आई टी सी लि.	6.10.2000	सं.रा.अ.	-	000*	-	50	-
68.	के एल जी सिस्टम लि.	13.4.2000	सं.रा.अ.	5.635	5.865	-	100	5.865
69.	मयर्सक इंडिया लि.	10.4.2000	नेपाल	-	0.01	-	95	-
70.	मोदी इंटरटेनमेंट नेट.	10.4.2000	मॉरिशस	-	0.10	-	100	
71.	नवयुग इंफोटेक प्रा.लि.	10.10.2000	सं.रा.अ.	-	0.04	(एल) 0.11	100	-
72.	ट्रिगीन टेक्लोलोजीज लि.	10.10.2000	सं.रा.अ.	-	9.00	-	100	-
73.	एस एस आई सोफ्टवेयर सर्वि.	15.11.2000	सं.रा.अ.	-	2.00	-	100	-
74.	इनसिस्ट टेक्नोलोजीज लि.	11.12.2000	बी वी आई.	-	3.83	-	100	-
75.	हेलिओस एंड मेथेसन टेक. लि.	12.12.2000	सं.रा.अ.	-	13.00	-	100	-
76.	मेलस्टार इंर्फोमेशन टेक. लि.	13.12.2000	यू.के.	1.74	5.10	-	100	-
77.	सन अर्थ सिरामिक्स लि.	27.12.2000	नीदरलैंड	-	4.49	-	100	-
78.	मल्टीपैक सिस्टम्स प्रा. लि.	16.1.2001	सं.रा.अ.	-	0.25	-	100	-
79.	बी2बी सोफ्टवेयर टेक्नो.	17.1.2001	सं.रा.अ.	-	0.30	-	100	-
80.	मोल्डटेक टेक्नोलोजीज लि.	20.1.2001	सं.रा.अ.	0.20	0.24	-	100	-
81.	इंफोबैन टेक्नोलोजीज लि.	23.1.2001	सं.रा.अ.	0.52	0.9	-	100	-
82.	क्रेस्ट कम्यूनिकेशन्स लि.	15.2.2001	मॉरिशस	-	2.00	-	100	-

*निवेश राशि 10,000 अमरीकी डालर से कम

कोई पारेषण शामिल नहीं

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया

4140. श्री अमर रायप्रधानः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों का परिसंघ, नई दिल्ली से प्रेस काउंसिल को बंद करने का अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस पर की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999 और 2000 के दौरान सरकार को प्रेस काउंसिल आफ इंडिया में अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के कितने सदस्यों/प्रतिनिधियों ने त्यागपत्र दिये और त्यागपत्र किस आधार पर दिए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) अखिल भारत लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ, नई दिल्ली ने भारतीय प्रेस परिषद को बन्द किए जाने की मांग की है क्योंकि सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कई अन्य एककों को बंद करने की मशा है। भारतीय प्रेस परिषद संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय होने के कारण इसे मंत्रालय के अन्य एककों की तरह बंद नहीं किया जा सकता है।

(ग) और (घ) सरकार को भारतीय प्रेस परिषद में अनियमितताओं और निधियों के कथित दुरुपयोग के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) 1999 तथा 2000 के दौरान तीन सदस्यों ने भारतीय प्रेस परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया था जिनमें से एक ने प्रकाशित लेखों के लिए प्रेस परिषद की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने तथा दूसरे ने प्रेस परिषद के सदस्यों के प्रति तथाकथित सम्मान न देने के कारण और अंतिम व्यक्ति ने वैयक्तिक कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था।

निजी टेलीविजन चैनल

4141. श्री पी.डी. एलानगोवनः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय निजी टेलीविजन चैनलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या निकट भविष्य में देश में कुछ और निजी टी.वी. चैनल शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन निजी चैनलों के माध्यम से कितनी आय प्राप्त हुई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) सरकार भारत में संकेतों का प्रसारण करने वाले विदेशी चैनलों का रिकार्ड नहीं रख रही है। तथापि, 25 चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। कुछ निजी कम्पनियों ने भारत से अपने चैनल अपलिंक करने हेतु आवेदन किया है और इन आवेदनों पर भारत से अपलिंक करने संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। इन मार्गनिर्देशों की एक प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट एम.आई.बी.एन.आई.सी.आई.एन. पर रखी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन निजी टी वी चैनलों के जरिए अर्जित आय नीचे दी गई है:

1. संचार मंत्रालय के बंतार योजना एवं समन्वयन स्कन्ध द्वारा अर्जित राजस्व–	3.86 करोड़ रुपए (लगभग)
2. विदेश संचार निगम लि. द्वारा अर्जित राजस्व–39 करोड़ रुपए (लगभग)।	
कुल	52.86 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

मुम्बई हवाई अड्डे पर तस्करी

4142. श्री रामशेठ ठाकुरः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुम्बई हवाई अड्डा देश में तस्करी का मुख्य मार्ग बन गया है;

(ख) क्या गत 11 महीनों में अकेले महाराष्ट्र में ही 497 करोड़ 70 लाख रुपए मूल्य की तस्करी का सामान जब्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने मुम्बई के हवाई अड्डों से तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) वर्ष 2000 में देश के अन्य हवाई अड्डों से कितने मूल्य की तस्करी का सामान जब्त किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने विगत 11 माह के दौरान अर्थात् अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 तक, महाराष्ट्र में 52.85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा तथा तस्करी की वस्तुओं को जब्त किया है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई स्थित विमानपत्तनों के रास्ते आने वाली वस्तुओं सहित सभी प्रकार की निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सजग तथा चौकस रहते हैं।

(घ) वर्ष 2000 के दौरान, अन्य विमानपत्तनों (मुम्बई विमानपत्तन को छोड़कर) पर 95.54 करोड़ रुपए मूल्य की तस्करी की वस्तुओं को जब्त किया गया है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन प्रसारण के दौरान अचानक तेज आवाज के साथ विज्ञापन

4143. श्री के. करुणाकरनः क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन और केबल प्रसारणों के दौरान विज्ञापनों और फिल्म के गीतों की अचानक तेज आवाज हो जाने की जानकारी है जिससे दर्शकगण ध्वनि प्रदूषण का शिकार होते हैं;

(ख) यदि हां, तो विकसित देशों की तुलना में भारत में ऐसे विज्ञापनों और गीतों के प्रसारण में ध्वनि स्तर की स्वीकृत सीमा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) हालांकि विज्ञापनों और गीतों के प्रसारण के ध्वनि स्तर की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथापि, इस मामले में प्रसारक से दर्शकों/श्रोताओं की सुविधा को ध्यान में रखने की प्रत्याशा की जाती है।

[हिन्दी]

संचार माध्यमों से जुड़े व्यक्तियों को मानदेय

4144. श्री जगदम्बी प्रसाद यादवः क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय और संचार माध्यमों की अन्य इकाइयों में गत वर्ष 'हिन्दी दिवस' और 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रसार हेतु संयोजकों को संचार माध्यम-वार दिए गए पुरस्कारों और निर्णायक मंडल के सदस्यों/अधिकारियों को मानदेय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय देने के मामले में कुछ अनियमितताओं का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) प्रचार के लिए आयोजकों को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। जहां तक इस मंत्रालय के अधीन मीडिया एककों में निर्णायक मडल के सदस्यों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान का संबंध है, संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मंत्रालय के नियंत्रणाधीन मीडिया एककों में हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा के अवसर पर निर्णायकों/कर्मचारियों को भुगतान किये गये मानदेय का मीडियावार विवरण

क्र.सं.	मीडिया एकक का नाम	दिया गया मानदेय (राशि रु. में)
1.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	16498.00
2.	आकाशवाणी महानिदेशालय	37250.00
3.	दूरदर्शन महानिदेशालय	33400.00
4.	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	4500.00
5.	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय	4000.00
6.	प्रकाशन विभाग	8500.00
7.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय	2732.00
8.	फिल्म प्रभाग	8350.00
9.	गवेषणा, सन्दर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	500.00
10.	भारतीय जन संचार संस्थान	–
11.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	–
12.	मुख्य लेखा कार्यालय	–
13.	गीत और नाटक प्रभाग	–
14.	भारतीय प्रेस परिषद	–
15.	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	–
16.	फिल्म समारोह निदेशालय	–
17.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	–
18.	फोटो प्रभाग	–
19.	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	–
20.	सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	–
21.	बाल चित्र समिति, भारत	–
22.	पत्र सूचना कार्यालय	10800.00

[अनुवाद]

बरहामपुर में टी.वी. केन्द्र

4145. श्रीमती कुमुदिनी पटनायकः क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार लोगों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के बरहामपुर में दूसरा टी.वी. केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसकी स्थापना कर दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय बरहामपुर में मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है। उड़ीसा में दूरदर्शन सेवाओं का और विस्तार प्रसार भारती के पास संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

चीनी विकास निधि, 1983

4146. श्री राम मोहन गाड्डेः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार चीनी मिलों द्वारा विद्युत और परिवहन में पेट्रोल के साथ उपयोग किए जाने वाले इथेनॉल के साथ-साथ उत्पादन में सहायता करने के लिए चीनी विकास निधि के शासी नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में चीनी मिलों से विद्युत का कितना उत्पादन होने की आशा है और प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या सरकार ब्राजील से आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने/उसके अध्ययन पर विचार करेगी क्योंकि ब्राजील बहुत ही लाभकारी तरीके से शीरे से इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इष्टतम सह-उत्पादन के माध्यम से मौजूदा चीनी मिलों से लगभग 3500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। यह मानकर कि प्रत्येक वर्ष 180 से 200 दिन की विशिष्ट पेराई अवधि के दौरान अधिशेष विद्युत का उत्पादन होगा और इष्टतम प्रौद्योगिकी पैकेज का इस्तेमाल किया जायेगा तो विद्युत उत्पादन की यूनिट लागत 1.50 रुपये से 2.75 रुपये प्रति यूनिट के रेंज में होगी।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि इथानोल के उपयोग पर पायलट परियोजना स्थापित की जाए ताकि इसके आटो फ्यूल के रूप में उपयोग करने के पर्यावरण, प्रचालन, वित्तीय और अन्य पहलुओं की जांच की जा सके।

कर्मचारियों से अभ्यावेदन

4147. श्री शमशेर सिंह दूलोः क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मंच ने एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें उन्होंने पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को इनके मंत्रालय के अंतर्गत विदेशों में तैनाती करने/कार्य सौंपने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार वित्त मंत्रालय से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने व्यक्ति उक्त पदों/सौंपे गए कार्यों के लिए कार्य कर रहे हैं और उनमें अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्ति कितने हैं, और कुल पदों/कार्यों की संख्या की तुलना में इनका प्रशित कितना है; और

(घ) 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000 के दौरान उक्त पदों पर सौंपे गए कार्यों के लिए कितने व्यक्ति तैनात किए गए और उक्त अवधि के दौरान इनमें से तैनात किए गए कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

कर्नाटक के अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के छात्रों के लिए रियायती दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति

4148. श्री जी.एस. बसवराजः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए चलाए जा रहे छात्रावासों के लिए रियायती दरों पर खाद्यान्न देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस रियायत का लाभ प्राप्त करने वाले छात्रावासों की संख्या और राज्य के अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों हेतु संचालित छात्रावासों के लिए अपेक्षित खाद्यान्न की मात्रा के संबंध में जानकारी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने कनार्टक राज्य को खाद्यान्न जारी करने के विषय में कोई अंतिम निर्णय लिया है और जारीकर्ता अभिकरणों को कोई दिशा निर्देश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (च) अक्तूबर, 1994 में शुरू की गई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति की योजना के अधीन ऐसे छात्रावासों को जिनमें इन श्रेणियों के दो-तिहाई छात्र रहते हैं, को खाद्यान्नों की 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से आपूर्ति की जाती है। राज्य सरकारें छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के खान-पान की रुचियों के अनुसार खाद्यान्नों को चावल और/अथवा गेहूं के रूप में ले सकती हैं। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों के प्राधिकृत नामितियों को खाद्यान्न जारी करता है। वर्तमान में खाद्यान्न गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों पर जारी किए जा रहे हैं।

स्टाक मार्केट में हेरा-फेरी

4149. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने जून, 1998 में स्टरलाइट और दो अन्य कम्पनियों के शेयरों में हेरा-फेरी के आरोपों से उत्पन्न भुगतान संकट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने स्टरलाइट उद्योग को बाल्को कम्पनी सौंपे जाने से पूर्व मूल्यों में हेरा-फेरी के आरोपों की जांच करने पर विचार किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सेबी ने सूचित किया है कि उन्होंने जून, 1998 में बी.पी. एल. लिमिटेड, वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि. तथा स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज के स्क्रिपों के मूल्यों में हेरा-फेरी की जांच करवाई थी। जांच से प्रथम दृष्टया यह उद्घाटित हुआ कि उक्त कंपनियों के स्क्रिपों के मूल्यों में हेरा-फेरी उन कंपनियों की सांठ-गांठ से हर्षद मेहता द्वारा की गई थी। जांच के उपरात हर्षद मेहता, उसके सम्बद्ध निकायों, बी.पी.एल. लिमिटेड, वीडियोकॉन इंटरनेशलन लि. तथा स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज एवं इन कंपनियों के कुछ निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें उनसे यह पूछा गया था कि सेबी (छलपूर्ण एवं अनुचित व्यापार प्रथाएं) विनियम 1995 के विनियम 11 के साथ पठित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 ख के अंतर्गत उपयुक्त अवधि के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने तथा शेयरों का लेन-देन करने से मना करने के निवेशों सहित उपयुक्त निदेश उनके विरुद्ध क्यों न जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त, कार्यवाहियां जिनकी प्रकृति अर्द्ध-न्यायिक है, चल रही हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं

4150. डा. वी. सरोजा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विशेषकर सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा चूककर्ताओं के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋण सहभागिता सूचना प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आवास विकास वित्त निगम लि. के साथ संयुक्त रूप से तथा डून एंड ब्रेडस्ट्रीट इन्फार्मेशन सर्विस (इंडिया) प्रा. लि. एवं ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल आइएनसी के साथ तकनीकी सहयोग से ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लि. की स्थापना की है। ब्यूरो उपभोक्ताओं के बारे में उपभोक्ता एवं वाणिज्यिक ऋण संबंधी आंकड़े जमा करेगा तथा उस आंकड़े का प्रयोग करते हुए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं व्यवसाय जो निरंतर और नियमित आधार पर ब्यूरो को संगत आंकड़े देने पर सहमत होंगे, के लिए ऋण रिपोर्ट सृजित पैकेज, करेगा और उसका विपणन विक्रय एवं वितरण करेगा। इस संबंध में, आवश्यक विधान लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सौ करोड़ रुपये का शुल्क वापसी भुगतान संबंधी घोटाला

4151. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या वित्त मंत्री 18 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4103 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 17.46 करोड़ रुपये के घोटाले में संबंधित पक्षों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) सक्षम प्राधिकारी के पास न्यायनिर्णयन के लिए लंबित कारण बताओ नोटिसों की स्थिति क्या है; और

(ग) इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी कौन है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन हेतु न्यायालय में शिकायत सामान्यत: सीमाशुल्क अधिनियम के तहत शुरू की गई न्याय-निर्णयन कार्यवाही के पश्चात् दाखिल की जाती है।

(ख) जारी किए गए कारण बताओ नोटिस सक्षम न्याय-निर्णयन प्राधिकारी द्वारा न्याय-निर्णयन हेतु लंबित हैं।

(ग) इन सभी मामलों में आयुक्त, सीमाशुल्क, इनलैंड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली सक्षम न्याय-निर्णयन प्राधिकारी है।

मकान किराया भत्ते के लिए दिशानिर्देश

4152. डा. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कुछ अधीनस्थ कार्यालय मकान किराया भत्ते का दावा करने के लिए लिए प्रमाणिक निवासी के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जोर दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में मकान किराया भत्ते के दावे की पात्रता के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) आदेशों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसका कार्य स्थल एक शहर की अर्हक सीमा के अन्तर्गत आता है, मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा, चाहे उसका निवास स्थान ऐसी सीमा के अन्दर हो अथवा बाहर। ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिनका कार्य स्थल अर्हक शहर की सीमा के अन्तर्गत आता हो और जो अनिवार्यतः शहर के अन्दर ही रहते हों, को मकान किराया भत्ता दिया जा सकता है, बशर्ते प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इस बात से सन्तुष्ट हो कि:

1. कार्य स्थल और नगरपालिका सीमा की परिधि के बीच की दूरी अर्हक शहर से आठ किलोमीटर से अधिक दूर न हो।

2. सम्बन्धित कर्मचारी आवश्यकतानुसार अर्हक शहर की सीमा के भीतर ही निवास करता हो अर्थात् अपने कार्य स्थल से निकट रहने की वजह से।

सरकारी आवास आवंटित सरकारी कर्मचारी अथवा अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य, जिसे सरकारी आवास आवंटित हो, के साथ रहने वाला कर्मचारी मकान किराया भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा।

अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशों से धनराशि भेजा जाना

4153. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि अपने लक्ष्य तक काफी विलम्ब से पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात उद्योग का विनिवेश

4154. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान स्टील दुर्गापुर, अलाय स्टील दुर्गापुर और इंडियन आयरन और स्टील कंपनी, बर्नपुर में विनिवेश पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) 31 मार्च, 2000 की तिथि तक आंकी गयी सरकारी क्षेत्र की उपरोक्त तीनों इकाइयों की सम्पत्ति का मूल्य कितना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और मिश्रित इस्पात संयंत्र, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की इकाइयां हैं। इस समय भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में सरकारी इक्विटी के विनिवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी (आई.आई.एस.सी.ओ.) के पुनरुद्धार को ध्यान में रखते हुए जो कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, अल्पांश भागीदारी को बनाए रखते हुए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के साथ इसे एक संयुक्त उद्यम में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) 31.3.2000 के वार्षिक लेखों के अनुसार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र और भारतीय लौह इस्पात कम्पनी की परिसम्पत्तियों का मूल्य क्रमशः 4547.46 करोड़, 149.52 करोड़ और 348.01 करोड़ रुपए है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

4155. श्री रामजीवन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन शीर्षस्थ समन्वय एजेंसी के रूप में 1986 में स्थापित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को वर्षभर नशीली दवाओं की अवैध बिक्री से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो से जांच कराने की स्थिति में निर्धारित और लम्बित मामलों के निपटान पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के संबंध में दर्ज किये गये मामलों को सरकार किस प्रकार सुलझायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) भारतीय के असाधारण राजपत्र में दिनांक 1.1.86 को प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 6/86 से 8/86 (फा. सं. 664/75/86–अफीम) के अनुसार स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को नशीली

दवाओं से संबंधित मामलों में जांच-पड़ताल करने का अधिकार है। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुलवंत सिंह बनाम सरकार के मामले में दिनांक 13.12.2000 के अपने निर्णय में यह अभिमत दिया है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41,42,53 अथवा 67 के अधीन कार्य निष्पादन का अधिकार नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में एक अपील तथा स्थगन हेतु आवेदन पत्र दायर किया है। उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश को मंजूर कर दिया है। अतः स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की जांच-पड़तालों के आधार पर लम्बित पड़े तथा निर्णीत मामलों और उन मामलों की स्थिति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिन्हें स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया है। चूंकि मामला न्यायाधीन है, अतः फिलहाल कोई उपचारी कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1996 में संशोधन

4156. डा. वी. सरोजाः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1996 में "घोषणा संबंधी अपेक्षाओं" में "कम्पनियों द्वारा चूक" को शामिल करने के मद्देनज़र संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ख) सरकार का निवेशक सुरक्षा के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में विधायी परिवर्तनों का प्रस्ताव करने का इरादा है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 8वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुशंसा की है कि प्रकटीकरण अपेक्षाओं में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि अगर कोई प्रवर्तक, जिसने निधियों का विपथन किया है, अन्य कम्पनियों के निदेशक मण्डल का भी सदस्य है और वह कम्पनी इक्विटी और/अथवा ऋण जुटाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करती है, तो विवरणिका तथा पेशकश दस्तावेजों में इस तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए। सेबी ने सूचित किया है कि स्थायी समिति की इस अनुशंसा के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकारी दस्तावेज़ की चोरी

4157. श्री रघुनाथ झाः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में नेहरू पार्क से सीमा शुल्क विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की कार से संवेदनशील विभागीय दस्तावेज़ चुरा लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी के असावधानीपूर्वक अपनी कार में संवेदनशील दस्तावेज ले जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या इस मामले की छानबीन की गई है और कर्तव्यहीनता के लिए सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्यात

4158. श्री पवन कुमार बंसलः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के सेक्टर द्वारा निर्यात से सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ;

(ख) अन्य एशियाई देशों के मुकाबले यह कितना है;

(ग) ऐसी कम वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग के विकास के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते को लागू करने के लिये क्या तारीख निर्धारित की गई है; और

(च) इसका स्वदेशी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार हार्डवेयर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर का निर्यात 18700 करोड़ रुपए की राशि का था जिसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ख) विश्व विकास रिपोर्ट 2000-01 में सूचित सापेक्षिक संकेतक के अनुसार, 1998 में विनिर्माण निर्यातों के प्रतिशत के रूप में उच्च प्रौद्योगिकी निर्यातों का हिस्सा 5 प्रतिशत था, जबकि इंडोनेशिया के लिए यह अनुपात 10 प्रतिशत, चीन के लिए 15 प्रतिशत, हांगकांग के लिए 21 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया के लिए 27 प्रतिशत, थाइलैंड के लिए 31 प्रतिशत, मलेशिया के लिए 54 प्रतिशत और फिलीपीन्स के लिए 71 प्रतिशत था।

(ग) भारतीय साफ्टवेयर उद्योग का निष्पादन जहां निरन्तर अच्छा रहा है, वहीं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग अन्य बातों के साथ-साथ नए निवेशों की कमी, उच्च टैरिफ शुल्क, कमजोर आधारभूत ढांचा, पूंजी की उच्च लागत, प्रतिबंधात्मक श्रम कानून और निर्यात व आयात से सम्बन्धित जटिल प्रक्रियाओं और विनियमनों के कारण एक संक्रमण काल से गुजर रहा है।

(घ) सरकार सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग के महत्व और विकास, रोजगार तथा देश के निर्यात में योगदान करने में इसकी क्षमता को स्वीकार करती है। सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में निर्यात के लिए स्थापित यूनिटों में शतप्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति, कम्प्यूटरों और उसके सहायक उपकरणों के लिए त्वरित मूल्यह्रास मानदण्ड, घरेलू शुल्क क्षेत्र (डोमस्टिक टैरिफ एरिया) तक पहुंच और ई.ओ.यू./ई.पी.जैड/ई.एच.टी.पी. के अधीन क्षेत्र विस्तार, कर को रोकने से छूट और अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों के लिए उच्चतर भारांशित कटौती शामिल है। एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भी अधिनियमित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों में सतत आधार पर तेजी लाने के लिए जब कभी आवश्यक हों, नीतिगत परिवर्तन किए जाएंगे।

(ङ) भारत द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी करार (आई.टी.ए.) के अधीन आबद्ध 217 टैरिफ श्रेणियों में से, क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने वाले टैरिफों की समय सूची में वर्ष 2000 तक 95 टैरिफ श्रेणियों पर, वर्ष 2003 तक 4 टैरिफ श्रेणियों पर, वर्ष 2004 तक 2 टैरिफ श्रेणियों पर और वर्ष 2005 तक 116 टैरिफ श्रेणियों पर शुल्क दरों में शून्य प्रतिशत तक कटौती निर्धारित की गई है।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी करार से स्वदेशी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उद्योगों के विकास में मदद मिलने की आशा है क्योंकि इससे सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में विश्व व्यापार का विस्तार होने की आशा है। भारत को इस विकासोन्मुख क्षेत्र में अनुसंधान व विकास में पूंजीगत निवेशों से लाभ पहुंचने की सम्भावना है। आई.टी.ए. से सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर अन्य उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार आने की भी आशा है।

[हिन्दी]

बिहार को आबंटित की गई राशि

4159. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए बिहार राज्य सरकार को कुल कितनी राशि आबंटित की गइ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने उक्त राशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) केन्द्र सरकार राज्यों को केन्द्रीय स्कीमों और राज्य योजना, दोनों के तहत् निधियां जारी करती है। इसके अलावा राज्य सरकारें वित्त आयोग के निणय के अन्तर्गत भी निधियां प्राप्त करती है। पिछले दो सालों में योजना आयोग और वित्त आयोग द्वारा जारी आबंटन निम्नवत है:

(करोड़ रु. में)

	वर्ष 1998-99 के लिए आबंटन	वर्ष 1999-2000 के लिए आबंटन
सामान्य केन्द्रीय सहायता	1191.76	1420.17
न्यूनतम मूलभूत सेवाएं	383.32	419.04
झुग्गी-झोंपड़ी विकास स्कीम	24.25	26.68
ई.ए.पी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	236.14	236.14
केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	4476.67	4998.03
लघु बचत ऋण	1200.00	1700.00
आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.)	43.22	45.05
ए.आई.बी.पी.	60.00	200.00
ए.सी.ए. (अन्य)	75.11	41.00
बी.ए.डी.पी.	—	7.00
एन.एफ.सी.आर.(एन.सी.सी.एफ.)	11.45	38.18
स्तरोन्नयन/विशेष समस्याएं	97.33	210.17
स्थानीय निकाय	215.41	430.70

(ख) और (ग) राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता सकल ऋणों और सकल अनुदानों के रूप में जारी की जाती है। राज्यों का वित्तीय प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है और उपलब्ध कराई गई निधियां विकास कार्यक्रमों पर समुचित रूप से खर्च की जाए यह सुनिश्चित भी सम्बद्ध राज्य सरकार को ही करना है। भारत सरकार अनुमादित योजना परिव्यय की उपलब्धि में कमी होने पर केन्द्रीय सहायता में कटौती लागू करती है। विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत् निगमन तथा मानीटरन और हरेक स्कीम पर किए गए व्यय का पर्यवेक्षण भी स्कीम में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए कम मूल्य का बीजक बनाना

4160. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1995 से जून, 2000 के दौरान शराब निर्माता कंपनियों को आयात की जाने वाली वस्तुओं को बीजक में कम मूल्य पर दिखाने का तरीका अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां। आयातों के कम मूल्य के बीजक बनाने का एक संदिग्ध मामला ध्यान में आया है।

(ख) और (ग) मैसर्स सीग्राम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा दिसम्बर, 1994 से जून, 2000 की अवधि में किए गए सांद्रणों के आयातों के मामले में राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा की गई जांच-पड़तालों में बहुत ही अनियमितताएं देखने में आई हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से सांद्रणों का कम मूल्यांकन करने का मामला भी शामिल है। एक विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें उन पर 37.96 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क अपवंचन का आरोप लगाया गया है। 22.12.2000 को अभियोजन चलाने हेतु एक शिकायत भी दर्ज की गई है और इस पर क्षेत्राधिकारिक अदालत में कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय संस्थानों पर बसु समिति की रिपोर्ट

4161. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बसु समिति ने आईएफसीआई, आईडीबीआई जैसी वित्तीय संस्थाओं के कतिपय अधिकारियों पर अनियमितता का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति ने क्या आरोप लगाये हैं; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद शुल्क के लंबित मामले

4162. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1.4.99 की स्थिति के अनुसार उत्पाद शुल्क के मामलों में 47911 मामले न्यायनिर्णयाधीन थे जिनमें 8060 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त थे। इसकी तुलना में 1.4.98 को 47911 मामले लंबित थे;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने मामले न्यायनिर्णीत थे और वसूल की गई उत्पाद शुल्क की धनराशि कितनी थी;

(ग) दिनांक 1 अप्रैल, 2000 और 1 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार लंबित न्याय-निर्णयाधीन मामलों की स्थिति क्या है और इनमें कितनी धनराशि शामिल है;

(घ) क्या सरकार द्वारा मुख्य आयुक्तों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों से इन मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए कहा गया था लेकिन यह प्राधिकारी इन आदेशों के क्रियान्वयन में बुरी तरह विफल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का लंबित न्यायनिर्णयाधीन उत्पाद शुल्क के मामलों के परिसमापन करने और सम्पूर्ण देश में उत्पाद शुल्क का बड़े पैमाने पर अपवंचन को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

समाचार एककों की स्थापना

4163. श्री सुबोध राय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानीय समाचारों के प्रसारण के लिये आकाशवाणी, भागलपुर में समाचार प्रभाग की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग कंपनियां

4164. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री रामानन्द सिंह:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री अमर रायप्रधान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां काम कर रही हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1997 से 31 दिसम्बर, 1999 की अवधि के दौरान जनता द्वारा इन कंपनियों में कितनी धनराशि जमा की गई;

(ग) उक्त कंपनियों में से ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं जो 1 जनवरी, 1997 और 28 फरवरी, 2001 के बीच जमा की गई राशि लेकर गायब हो गई;

(घ) 1 जनवरी, 2000 के बाद गायब हुई कंपनियों के क्या नाम हैं;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(च) सरकार का ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से ऐसी कंपनियों के कार्यों की निगरानी किस तरह से करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत में परिचालन कर रहे गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की संख्या, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या पर आधारित राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जनता द्वारा 1.1.1997 एवं 31.12.1999 के दौरान इन कंपनियों में जमा की गई राशि का ब्यौरा उनके पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31.3.1998 एवं 31.3.1999 के अंत तक जुटाई गई सार्वजनिक जमाराशि से संबंधित एनबीएफसी द्वारा दिया गया ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष के अंत तक के दौरान	श्रेणी 'क' में सूचना देने वाली कंपनी की संख्या	जुटाई गई सार्वजनिक जमा राशि (करोड़ रु. में)
31.3.1998	1288	7903.20
31.3.1999	899	3732.16

*जमा राशि स्वीकार करने वाली कंपनियां

(ग) और (घ) 25 फरवरी, 2000 से भारतीय रिजर्व बैंक सभी लुप्त एनबीएफसी (वैसी एनबीएफसी जो पंजीकृत पते पर भी अनुकरणीय नहीं है या जहां एनबीएफसी को भेजा गया पत्र वापस आ गया है) के नाम संबंधित राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई के लिए भेजता रहता है। लुप्त एनबीएफसी के नाम जिनके बारे में संबंधित राज्य सरकारों को सूचित किया गया है, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) व्यापक विनियमन रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है तथा यह सुनिश्चित करना भी है कि एनबीएफसी सुचारू रूप से कार्य कर रही है। विनियमन ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्ति की व्यवस्था, निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत आरक्षित निधि में स्थानांतरण तथा एनबीएफसी के लिए मार्गनिर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सक्षम बनाना आदि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विपथगामी एनबीएफसी के विरुद्ध विभिन्न चूकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों तथा उनके तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए विभिन्न कार्रवाइं की है। सरकार ने 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में "वित्तीय कपनी विनियम विधेयक, 2000" प्रस्तुत किया है। यह विधेयक लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

विवरण-I

दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार भारत में कार्यरत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या
गुजरात, दमन एंड दीव, दादर एवं नगर हवेली	1481
कर्नाटक	624
मध्य प्रदेश	588
उड़ीसा	62
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12852
पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़	1667
तमिलनाडु पाण्डिचेरी	2646
पूर्वोत्तर राज्य	272
आन्ध्र प्रदेश	1524
राजस्थान	614
जम्मू व कश्मीर	149
उत्तर प्रदेश	1475
महाराष्ट्र एंड गोवा	5090
दिल्ली एंड हरियाणा	7397
बिहार	507
केरल लक्षद्वीप	451
अखिल भारत	37399

विवरण-II

संबंधित राज्य सरकारों को भेजे गये उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नाम जो विभाग में उपलब्ध पते पर नहीं पाई गई

भुवनेश्वर क्षेत्र

1. आल्विन एंड हाउसिंग फाइनांस लि., बालासौर
2. सिटी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस लि., भुवनेश्वर
3. समालस्वरी जनरल फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट लि., साम्बलपुर
4. सुपर फाइनांस डेवलपमेंट लि. संकल्प फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट लि., कटक
5. संकल्प फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट लि., क्योंझर

6. मिलान इंडिया इन्वेस्टमेंट लि., कटक
7. कैपिटल चैम्बर फाइनांशियल्स लि., कटक
8. मेमोरियल एग्रो प्रोजक्टस लि., साम्बलपुर
9. जीवन विकास जनरल फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
10. सेवक फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि.

गुवाहाटी क्षेत्र

11. असम आलबटरोस इस्टेट एंड फाइनांस लि., करीमगंज
12. बोहागी फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट लि., गुवाहाटी
13. इंडो प्रभात इन्वेस्टमेंट लि.
14. कलोंग वैली फाइनांस इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि.
15. करबी ट्रेड इन्डस्ट्रीज प्रा.लि., तिनसुकिया
16. कुमेरू फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि., गुवाहाटी
17. महारथी फाइनांस एंड हायर प्रचेज प्रा. लि., नौगांव
18. कर्मभूमि जनरल एंड हाउसिंग फाइनांस लि., कामरूप
19. बेर्नीसन फाइनास लि., गुवाहाटी
20. एबीबी सक्योरिटीज एंड फाइनांस लि., गुवाहाटी
21. रत्नायोगी फाइनांस एंड ट्रेडिंग प्रा. लि., नौगांव
22. पबरन फाइनांस प्राइवेट लि., नौगांव
23. पंचशील इन्वेस्टमेंट एंड फिनट्रेड प्रा.लि., नौगांव

भोपाल क्षेत्र

24. मिराज एक्जिम एंड फिनवेस्ट लि., भोपाल
25. निरपेक्ष होम फाइनांस लि., भोपाल
26. ओसियन फिनट्रेट (प्रा.) लि., भोपाल
27. रिजेन्सी फिनट्रेड प्रा. लि., भोपाल
28. सैकरूपा फिनलीज लि., भोपाल
29. इमेज फिनवेस्ट प्रा. लि., इन्दौर
30. क्षिप्रा लीज एंड फाइनांसियल प्रा. लि., इंदौर
31. मिंटो यस्टर फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., इंदौर
32. नासा फाइनांस प्रा. लि., इंदौर
33. पारा फाइनांस प्रा. लि., इंदौर
34. पीक गैन फिनसेक प्रा. लि., इंदौर
35. प्रियंका फिनकैप प्रा. लि., इंदौर
36. राप फिनसैक प्रा. लि., इंदौर
37. सौकार इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कं. प्रा. लि. 10, पालडनका, इंदौर
38. स्टीन फाइनांस प्रा. लि., इंदौर
39. सुल फिनसैक प्रा. लि., इंदौर
40. सुशमिता फिनसैक प्रा. लि., इंदौर
41. टोरेंशियल फाइनसेक प्रा. लि., इंदौर
42. वाइनर्स फाइनवेस्ट (आई) लि., इंदौर
43. पदमावती होल्डिंग लि., उज्जैन
44. सन मनी केयर गीव एंड टेक मनी प्रा. लि., उज्जैन
45. जय लाहारी फाइनेंस प्रा. लि., रायपुर
46. महानदी फार्मूस एंड फाइनेंस एंड लीजिंग प्रा. लि., रायपुर
47. श्यामबाबा फाइनेंस प्रा. लि., रायपुर
48. मैहर कमर्शियल एंड फाइनेंस कं. लि., बिलासपुर
49. जन भक्ती फाइनेंस लीजिंग एंड हाउसिंग लि., जबलपुर
50. मध्य क्षेत्र लीजिंग लि., जबलपुर
51. मालवा फाइनकैप लि., गुणा (म.प्र.)
52. साइफको फाइनवेस्ट लि., ग्वालियर
53. तरण अंगद लीजिंग प्रा. लि., ग्वालियर
54. सागर फिन लि., सागर
55. महाकाली जनरल फाइनेंस एंड लीजिंग प्रा. लि., भोपाल
56. सेनेटोरियल इंडिया लीजिंग एड फाइनेंस लि., भोपाल
57. आईटीएल फाइनवेस्ट लि., इंदौर
58. सुखमनी इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. इंदौर
59. यार्ड सेक्युरिटीज प्रा. लि., इंदौर
60. सोनाली रिसोर्सेस प्रा. लि., ग्वालियर
61. स्ट्रैटवे मार्केटिंग प्रा. लि., कटनी 483 501
62. अंजूली फाइनसेक (प्रा.) लि., इंदौर
63. अनमोल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., इंदौर
64. भाग्यरेखा कैपिटल मार्केट (प्रा.) लि., इंदौर
65. भोजपुर फाइनवेस्ट (प्रा.) लि., इंदौर
66. कमांडो सेक्युरिटीज (प्रा.) लि., भोपाल
67. गुंजन लीजिंग एंड हायर परचेज (आई.) लि., भोपाल
68. जतनश्री फाइनेंस एंड कन्स्ट्रक्शन कं. प्रा. लि., भोपाल
69. बीबी भानीजी फाइनेंस एंड (प्रा.) लि., जबलपुर
70. किरण प्रभाग होल्डिंग प्रा. लि., इंदौर
71. लिंकर सेक्युरिटीज लि., भोपाल
72. शगुन लीजिंग लि., जबलपुर
73. न्यू रॉयल प्रोम्ट-इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लि., जबलपुर

74. ओम समृद्धि लीजिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस लि., जबलपुर
75. गोंडवाना फाइनेंस इंडिया लि., जबलपुर-482 002
76. केनन कैपिटल एंड लीजिंग इंडिया लि., भोपाल

तिरुवनन्तपुरम क्षेत्र

77. अल-बकियाह फाइनेंस एजेंसी प्रा. लि., मुलाकुझा डाकघर
78. अष्ठमी कुरिस एंड लोनूस प्रा. लि., गुरूवायुर
79. छोलायिल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि., यारकाला
80. ग्रेट ओरियंटल सेक्युरिटीज प्रा. लि., एरणाकुलम
81. गुरूवायुर कुरियर एंड लोनूस प्रा. लि., गुरूवायुर
82. हरीश्री फाइनेंस (प्रा.) लि., एरणाकुलम
83. हीरोस विंग जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं., त्रिचुर
84. इस्टमेन्टल फाइनेंस प्रा. लि., कोची
85. इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनस कं. इंडिया लि., सेनापति
86. जेसन चिट एंड फाइनेंस (प्रा.) लि., कोझीकोड
87. कावेरी लीजिंग एंड हायर परचेस कं. (प्रा.) लि., एरणाकुलम
88. कृष्णाप्रसादम चिट्स एंड फाइनेंस प्रा.लि., गुरूवायुर
89. लालाश्री बिसनेस क्रेडिट्स प्रा. लि., कन्नुर
90. लिंक इंडिया कैपिटल एंड कन्सलटेंसी प्रा. लि., कोची
91. मैक्सवेल्थ लीजिंग एंड फाइनेंस इंडिया लि., मन्नुथी
92. मिडलैंड हायर परचेस एंड लिजींग कं., कोल्लम
93. मोहता कोस्टिक्स एंड केमिकल्स लि., तिरुवनन्तपुरम
94. मुन्नुपीडिका चिट्स एंड फाइनेंस प्रा. लि., पेरिंजानम
95. नजरानी सेविंग्स प्रा. लि., अलापुझा
96. न्री निधी कं. लि., तिरुवनन्तपुरम
97. पाम्पाकुडा कुरिस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., एरणाकुलम
98. पेरियार फाइनेंस प्रा. लि., कोल्लम
99. प्रिमीयम हायर परचेच प्रा. लि., कुन्नाकुलम
100. रैंडोम चिट्स एंड फाइनेंस प्रा. लि., एरणाकुलम
101. वैल्यू इन्वेस्ट लि., कोची
102. वर्ल्ड लाइन कुरिस एंड लोनूस प्रा. लि., कुन्नाकुलम

अहमदाबाद क्षेत्र

103. आर्वी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि.
104. एसीई क्रेडिट प्रा. लि.
105. अग्रवाल फाइनस्टाक्स प्रा. लि.
106. अजबगजब इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
107. अजवा फाइनेंस लि.
108. अकरोपन फाइनेंस लि.
109. आमी पदमा फाइनमार्क लि.
110. अनार फाइन. इंजीनियरिंग प्रा. लि.
111. ऐरो सेक्युरिटीज लि.
112. अरशन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
113. अरूणोदय क्रेडिट एंड होल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
114. अशोक फाइनस्टाक लि.
115. एटलस लीज एंड फाइनेंस लि.
116. बागरेचा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
117. बिरींग फाइनेंस प्रा. लि.
118. भानुशाली फाइनेंस लि.
119. भाव्या फाइनस्टाक लि.
120. बोल्ट कन्सलटन्टस प्रा. लि.
121. चन्द्रेश फाइनेंस लि.
122. चीनी लिजींग एंड फाइनेंस प्रा. लि.
123. चुरूवाला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्रा. लि.
124. सिटीलिंक फाइनसेक लि.
125. कोरडियाला इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
126. क्रिएटिव फाइनस्टाक प्रा. लि., जूनागढ़
127. दयाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा. लि.
128. दीपक फाइनस्टाक प्रा. लि.
129. देव कैपिटल वेंचर (इंडिया) लि.
130. धनलक्ष्मी केपलिज लि.
131. धन्ना फाइनस्टाक प्रा. लि.
132. दिनार सेक्युरिटीज प्रा. लि.
133. एरनोर फिसकेल सर्विसेज प्रा. लि.
134. एल्लार इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
135. फादिया फाइनमार्क प्रा. लि.
136. फारपी फाइनकेप (इंडिया) प्रा. लि.
137. फ्रेथ फाइनेसिंग कं. प्रा. लि.
138. गणिपितक यक्षराज कैपलिज लि.

कलकत्ता क्षेत्र

139. अपन्जान फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लि.
140. एश्युरेन्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लि.

141. आलोकमाला सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कं. (प्रा.) लि.
142. अमियाबी सेविंग्स एंड क्रेडिट लि.
143. आरगोसी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
144. आशाज्योति फाइनेंस कं. (आई) लि.
145. बिश्वभारती फाइनेंस कं. लि.
146. बिश्वजी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
147. ब्रिटेक्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
148. बनियान स्माल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
149. ब्योयन्त हाउसिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
150. केरियोन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
151. चान्स सेविंग्स कं. लि.
152. फास्टलैंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
153. डिपेंटेबल सेविंग्स एंड फाइनेंस कं. लि.
154. एलाइट लाइफ फाइनेस एंड क्रेडिट (आई) कं. लि.
155. दिनकल फाइनेंस एंड हायर परचेस कं. लि.
156. फाल्टा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
157. फेवरेबल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. (आई) लि.
158. ग्रानरी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
159. डोक्स फाइनेंस लि.
160. फयुचर लाईफ फाइनको एंड इन्वेस्टमेंट लि.
161. ग्रीन बनियान फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
162. चिरंतानी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
163. आरटेक हाउसिंग डेबलप. फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कं. (प्रा.) लि.
164. कोव्यी फाइनेंस एंड हायर परचेस (प्रा.) लि.
165. दुनहिल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
166. गोयनलिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
167. हैपी लाइफ स्माल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
168. चांसलर हाउसिंग डेवलप. फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
169. चैतन्या क्रेडिट एंड फाइनेंस लि.
170. चार्टर्ड जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
171. सिलेब्रेट स्माल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
172. अन्युटि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
173. द्धितीय सेविंग्स एंड क्रेडिट कं. (आई) लि.
174. अभिस्कार स्माल इन्वेस्टमेंट कं. (प्रा.) लि.
175. देबदूत सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
176. एमदी जनरल फाइनेंस एंड सेविंग्स लि.
177. फैथफुल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
178. फेकंड लाइफ फाइनेंस इनवेस्टमेंट (आई) लि.
179. फियोना इन्वेस्टमेंट लि.
180. इनलैंड फाइनेंस एंड स्माल इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि.
181. अग्रदूत क्रेडिट एंड फाइनवेस्ट लि.
182. कैची सेविंग्स एंड फाइनेंस लि.
183. लीजेंड फाइनेंस एंड अग्रिकल्चरल इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
184. लिम्बी हाउसिंग क्रेडिट (आई) लि.
185. लोकदर्शी सेविंग्स एंड फाइनेंस (आई) लि.
186. लकी सेविंग्स एंड क्रेडिट कं. (प्रा.) लि.
187. मातांगिनी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
188. मिलोरेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
189. मोनाली फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि.
190. नाबारश्मी इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल (आई) लि.
191. ओवरमान इन्वेस्टमेंट कं. लि.
192. पैरोट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
193. पैरोट सेविंग्स एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लि.
194. पिपल्स ऑन जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
195. प्लावर जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
196. प्रांतिक स्माल सेविंग्स (आई) लि.
197. नवीकरण सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
198. न्यू लाइफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
199. रेनाइसेस स्माल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
200. आरएफडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लि.
201. प्रातीदिन क्रेडिट (प्रा.) लि.
202. प्रिया जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
203. प्रापर लाइफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
204. दि गोल्ड रश सेविंग्स एंड फाइनेंस कं. लि.
205. दि रिलायन्स क्रेडिट लि.
206. जिलेक्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
207. जीविका फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
208. जोहरा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
209. जॉय इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
210. जुवेनाइल सेविंग्स एंड क्रेडिट प्रा. लि.

211. डीएनएस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.
212. केशन लीजिंग एंड फाइनेंस (आई) लि.
213. ब्राइट फ्यूचर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
214. विकार जनरल फाइनेंस कं.लि.
215. पी.जी. फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) प्रा. लि.
216. रिजनल स्माल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.
217. मिनर्वा फाइनेंस (आई) लि.
218. एशिया पैसिफिक फाइनेंसियल सर्विसेस लि.
219. सातादल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.

गुवाहाटी

220. अनुराग एनट्रेड इंडिया प्रा. लि., गुवाहाटी
221. आशा एनट्रेड प्रा.लि., गुवाहाटी
222. बालाजी सेक्युरिटीज प्रा. लि., गुवाहाटी
223. एस जी ट्रेडफाइन प्रा. लि., गुवाहाटी
224. ली जेम फाइनट्रेड प्रा. लि., नागांव
225. लोकप्रिय फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, गुवाहाटी
226. लियोपार्ड फाइनेंस (इंडिया) प्रा. लि., गुवाहाटी
227. लुसेंट इंडिया फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि., नागांव
228. फलागशिप सुक्योरिटीज प्रा. लि., गुवाहाटी
229. कामाख्या लीफिन प्रा. लि., गुवाहाटी
230. कृष्णा हायर परचेज प्रा. लि., गुवाहाटी
231. क्यू.बी. फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.), शिलांग
232. स्टर्लिंग सर्विसेज प्रा. लि., गुवाहाटी
233. सिसा हायर परचेज एंड मार्केटिंग प्रा. लि., गुवाहाटी
234. शुभम कमर्शियल प्रा. लि., गुवाहाटी

कार्यक्रमों के चयन में हेरा-फेरी

4165. श्री ए. वेंकटेश नायकः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दूरदर्शन द्वारा गठित समितियों से परामर्श किए बिना ही बाहरी निर्माताओं को कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए;

(च) क्या सरकार ने बाहरी निर्माताओं को कमीशंड कार्यक्रम प्रदान करने में हेरा-फेरी को रोकने के लिए नए मार्गनिर्देश तैयार किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सभी कमीशन्ड कार्यक्रम, दूरदर्शन की लागत निर्धारण समिति द्वारा प्रस्ताव पर विधिवत रूप से विचार किए जाने के बाद बाह्य निर्माताओं को दिए जाते हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) और (छ) कमीशन्ड कार्यक्रमों के चयन के लिए दूरदर्शन में दिशा-निर्देश पहले ही मौजूद है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीकों से अच्छी गुणवत्ता के कार्यक्रम प्राप्त किए जाएं, इन दिशा-निर्देशों को बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी द्वारा धोखाधड़ी

4166. श्री पदमसेन चौधरीः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी विशेषकर कुबेर ग्रुप आफ कंपनीज के द्वारा निवेशकों से धन ठगने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कंपनी से निवेशकों के धन की वसूली को सरल बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि कुबेर समूह की कंपनियों में तीन मुख्य गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) शामिल हैं। इन कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. कुबेर ऑटो जनरल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड : भारतीय रिजर्व बैंक ने महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली में कंपनी के विरुद्ध एक आपराधिक शिकायत दायर की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कंपनी के विरुद्ध समापन याचिका भी दायर की है और सुनवाई की अगली तारीख 25 जुलाई, 2001 को तय हुई है।

2. कुबेर फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड : बैंक ने निरीक्षण के परिणामों के आधार पर कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए किए गए आवेदन को 19 अप्रैल, 1999 को रद्द कर दिया है। कंपनी पहले से ही प्रतिबंध आदेश के अधीन है।

3. कुबेर म्युचुअल बेनीफिट लिमिटेड : कुबेर म्युचुअल बेनीफिट लिमिटेड कंपनी कार्य विभाग (डीसीए) भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एक अधिसूचित "निधि" कंपनी थी। कंपनी कार्य विभाग ने 26 मार्च, 1999 को कंपनी की अधिसूचना रद्द कर दी। अनुवर्ती उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न कदम उठाए, जैसे कंपनी को 5 अप्रैल, 1999 को प्रतिबंधक आदेश जारी करना, 18 जून, 1999 को आपराधिक शिकायत दायर करना और कपनी के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 25 अक्तूबर, 1999 को समापन याचिका दायर करना। माननीय उच्च न्यायालय ने कंपनी को उसकी आस्तियों के निपटान के लिए रोक लगा दी है। मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के नियामक के रूप में समूह कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न कदम उठाए हैं। तथापि कुबेर म्युचुअल बेनीफिट लिमिटेड और कुबेर ऑटो जनरल फाइनेंस लिमिटेड के जमाकर्ताओं और ऋणदाताओं को प्रतिसंदाय समापन याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

प्रसार भारती में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

4167. डा. मन्दा जगन्नाथः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 15 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4210 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जानकारी एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और जानकारी के कब तक एकत्रित कर लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) 1.1.2000 तक की स्थिति के अनुसार प्रसार भारती बोर्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं का निर्यात

4168. श्री चन्द्र भूषण सिंहः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दो मिलियन टन गेहूं निर्यात की अधिकतम मात्रात्मक सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक कितना लक्ष्य हासिल किया गया;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियों ने सरकार से 4150 रुपये प्रति टन के निर्धारित मूल्य पर दो मिलियन टन गेहूं के निर्यात से संबंधित मंत्रियों के दल की सिफारिशों का लाभ उन्हें देने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) 12.3.2001 तक भारतीय खाद्य निगम से निर्यात के लिए गेहूं की 13.70 लाख टन मात्रा का उठान किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी एजेंसियों जैसे राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, लोक उद्यम निगम, नेफेड, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और (पंजाब) मार्कफेड को निर्यात के लिए गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।

कर्नाटक कराधान विधि विधेयक, 1999 में संशोधन

4169. श्री आर.एस. पाटिलः
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से कर्नाटक कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 गृह मंत्रालय में 24 मई, 1999 को प्राप्त हुआ था। इस विधेयक में कर्नाटक विक्रय कर अधिनियम, 1957 तथा माल प्रविष्टि संबंधी कर्नाटक कर अधिनियम, 1979 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताय है ताकि बजट भाषण में किए गए प्रस्तावों को लागू किया जा सके।

(ग) गृह मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि इस विधेयक को संगत मंत्रालयों एवं विभागों को परिचालित किया गया था तथा उनसे प्राप्त हुई टिप्पणियों को स्पष्टीकरणों हेतु राज्य सरकार को 20 मार्च, 2001 को सूचना दे दी गई है।

प्रसार भारती बोर्ड में अभ्यावेदन

4170. श्री राजनारायण पासी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रसार भारती बोर्ड में अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवियों को शामिल करने के लिए आकाश दर्शन बैक्वर्ड क्लासेज एंपलाइज एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई श्वेत पत्र जारी करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती अधिनियम की धारा 4(3) में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। चयन समिति द्वारा इस सांविधिक ढांचे के अन्तर्गत कार्य किया जाना अपेक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जिला प्रतिनिधियों की नियुक्तियां

4171. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए जिला प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) महाराष्ट्र के किन जिलों में वर्तमान में जिला प्रतिनिधियों के पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) उक्त रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्टॉक मार्केट में अचानक गिरावट

4172. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री तिरूनावकरसू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 2001-2002 का बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् स्टॉक मूल्यों में आई अचानक गिरावट की कोई जांच शुरू की है और बी.एस.ई., डी.एस.ई. और सी.एस.ई. से कुछ स्टॉक दलालों के व्यापार पैटर्न के ब्यौरे एकत्रित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कुछ अग्रणी स्टॉक दलालों के विरुद्ध पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की भूमिका की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन बैंकों के विरुद्ध जांच की गई है; और

(च) भारतीय रिजर्व बैंक इस जांच से किस निष्कर्ष पर पहुंचा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि इसने यह ज्ञात करने के लिए जांच-पड़ताल शुरू की है कि क्या मार्च, 2001 के प्रारंभ में बाजार को कृत्रिम रूप से प्रभावित करने तथा मूल्य खोज का विरूपण करने का जान-बूझ कर प्रयास किया गया था/का पता चला था।

(ख) और (ग) शेयर बाजार में हेरा-फेरी के मामलों पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 तथा उसके तहत विनियमों के अन्तर्गत विचार किया जाता है तथा यह सेबी के क्षेत्राधिकार एवं कार्यक्षेत्र में आते हैं। सेबी के अनुसार केवल आपराधिक प्रकृति के मामलों में, जहां भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, पुलिस प्राधिकरियों को सूचना देने का मामला उठता है तथा ऐसा कोई अवसर वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.01 बजे

(लोक सभा मध्याह्न बारह बज कर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।)

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की 70वीं पुण्यतिथि है।

राष्ट्र उन क्रांतिकारियों के बलिदान को कभी नहीं भुला सकता, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

अब सदस्यगण इन शहीदों और अन्य शहीदों की स्मृति में उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, हमें अपनी क्रिकेट टीम को बधाई देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.1½ बजे

(इस समय, सरदार बूटा सिंह, श्री रामदास आठवले, कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुरी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुरी का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3483/2001]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3484/2001]

(ग) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3485/2001]

(घ) (एक) असम अशोक होटल निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3486/2001]

(ङ) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3487/2001]

(च) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3488/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, डा. मुरली मनोहर जोशी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3489/2001]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय मैं आर्थिक समीक्षा, 2000-2001* के शुद्धि पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3490/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री शरद यादव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3491/2001]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम अधिनियम, 1990) की धारा 34 के अन्तर्गत, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) विनियम, 2000 जो 1 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.एन.-10/3/2000-पीबी सेल खंड I में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3492/2001]

(2) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 20 के अन्तर्गत, भारतीय प्रेस परिषद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3493/2001]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में चवालीसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3494/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 575(अ) जो 12 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स आयुष्जय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया और उसके अधिकृत कानूनी प्रतिनिधियों को महाराष्ट्र के धुले जिले में सड़क शुल्क की वसूली और उसे अपने पास रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का.आ. 576(अ) जो 13 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैससं आइडियल बिल्डर्स इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अथवा उसके अधिकृत कानूनी प्रतिनिधियों को महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर पनवेल के मेहद-पणजी मार्ग पर प्रमुख पुलों का उपयोग करने वाले यांत्रिक वाहनों पर शुल्क की वसूली तथा उसे अपने पास रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(तीन) का.आ. 646 (अ) जो 7 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के पुणे-सतारा मार्ग पर चार लेनों के लिए भूमि अधिगृहित करने के लिए स्पेशल लैंड एक्वीजिशन संख्या 2 को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चार) का.आ. 647 (अ) जो 7 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पुणे को महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के पुणे-सतारा मार्ग पर चार लेनों

*आर्थिक सर्वेक्षण, 2000-2001 को 23.2.2001 को सभा पटल पर रखा गया।

के लिए भूमि अधिगृहित करने के लिए स्पेशल लैंड एक्वीजिशन संख्या 17 को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(पांच) का.आ. 765 (अ) जो 17 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 766 (अ) जो 17 अगस्त, 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17क और 17ख स्थित 'वर्ना' को मार्मुगांओ पत्तन को सौंपा जाना है।

(सात) का.आ. 1145 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चीफ इंजीनियर पी.डब्ल्यू. रीजन, मुम्बई अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क की वसूली करने और उसे अपने पास रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(आठ) का.आ. 194 (अ) जो 2 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स अशोक बिल्डर्स लिमिटेड अथवा उसके कानूनी प्रतिनिधि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के नागपुर-रायपुर खंड में वेनगंगा नदी के आर-पार प्रमुख पुल का उपयोग करने वाले यान्त्रिक वाहनों पर शुल्क की वसूली करने तथा उसे अपने पास रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(नौ) का.आ. 161 (अ) जो 26 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अहमदाबाद बड़ौदरा खंड में वात्रक नदी के आर-पार वर्तमान और नये पुल तथा उसके पहुंचमार्गों का उपयोग करने वाले यांत्रिक वाहनों पर शुल्क के उद्ग्रहण के बार में है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (एक) से (आठ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3495/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्रीमती वसंधुरा राजे की ओर से मैं नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्माल बिजनिस डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3496/2001]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीखित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3497/2001]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3498/2001]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, दामोदर घाटी निगम के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3499/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3500/2001]

(3) (एक) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3501/2001]

(5) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3502/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 163 जो 5 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय अनगढ़े हीरों और अन्य बहुमूल्य अथवा अर्द्ध बहुमूल्य रत्नों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3503/2001]

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3504/2001]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): महोदय, मैं बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (3) के अंतर्गत, बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) संशोधन नियम, 2001 जो 1 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3505/2001]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

1. मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि सोमवार, 12 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा 1 मई, 2001 से प्रारम्भ और 30 अप्रैल, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सात सदस्यों को सहयोजित करने के लिए सहमत हो और ऐसी रीति से उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य निर्वाचित करे जैसा अध्यक्ष निर्देश दें।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:

1. डा. वाई. राधाकृष्ण मूर्ति
2. श्री के. रहमान खां
3. श्री सतीश प्रधान
4. प्रो. राम गोपाल यादव
5. श्री अनंतराय देवशंकर दवे
6. श्री एस.आर. बोम्मई
7. श्री आन्वार्ड एल. नांग्दु

(ii) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि सोमवार 12 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा 1 मई, 2001 से प्रारम्भ और 30 अप्रैल, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए सहमत हो और ऐसी रीति से उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्यों का निर्वाचन करे, जैसा अध्यक्ष निर्देश दें।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:

1. श्री रंजन प्रसाद यादव
2. श्री जीवन राय
3. श्री सी.पी. तिरूनावकरसू
4. श्रीमती अंबिका सोनी
5. श्री सुरेश कलमाड़ी
6. श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल
7. श्री के. कलावेंकट राव

(iii) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि सोमवार, 12 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

"कि सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2001 से प्रारम्भ और 30 अप्रैल, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में सम्मिलित और उक्त समिति में कार्य करने के लिए संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राज्य सभा के दस सदस्यों को निर्वाचित करें।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:

1. श्री नागेन्द्र नाथ ओझा
2. श्री श्याम लाल
3. श्री राम नाथ कोविन्द
4. श्री कांशी राम
5. सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर
6. श्री पालदेन शेरिंग गिम्सौं
7. डा. फगुनी राम
8. श्री एन. थलवें सुन्दरम
9. श्री राजू परमार
10. डा. अलादी पी. राजकुमार

(iv) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2001 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 2001 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(v) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) विधेयक 2001 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 2001 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(vi) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा काग्र संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 2001 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(vii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग विधेयक, 2001 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 2001 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी हैं।"

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03½ बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने सभा में दिनांक 21 मार्च, 2001 को प्रस्तुत अपनी छठी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को, उनमें से प्रत्येक के नाम के आगे उल्लिखित अवधि के लिए, सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाएः

(1) श्री लक्ष्मण गिलुवा	24 जुलाई, 2000 से 25 अगस्त, 2000 और 20 नवम्बर, 2000 से 15 दिसम्बर, 2000
(2) श्री वी. एम. सुधीरन	20 नवम्बर, 2000 से 5 दिसम्बर 2000
(3) श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	20 नवम्बर, 2000 से 22 दिसम्बर, 2000
(4) श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल	20 नवम्बर, 2000 से 22 दिसम्बर, 2000
(5) स्वर्गीय श्री इन्द्रजीत गुप्त	20 नवम्बर, 2000 से 22 दिसम्बर, 2000 (सदस्य की मृत्यु हो गई-अनुपस्थिति को माफ कर दिया गया)
(6) श्रीमती कैलाशो देवी	19 फरवरी, 2001 से 23 मार्च, 2001 तक
(7) श्री विनोद खन्ना	19 फरवरी, 2001 से 23 मार्च, 2001 तक

क्या सभा की अनुमति है कि जैसा कि समिति ने सिफारिश की है, अनुमति दे दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदयः अनुमति दी जाती है। तदनुसार संबंधित सदस्यों को सूचित कर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03¼ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद (लक्षदीप) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

लोक लेखा समिति

उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल): मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) लोक लेखा समिति (2000-2001) का "भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में लेखापरीक्षा समीक्षा" संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(2) लोक लेखा समिति (2000-2001) का "भारतीय रेल विनियोग लेखे (1997-98)" संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04¼ बजे

याचिका समिति

सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, मैं, श्री बसुदेव आचार्य की ओर से याचिका समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री प्रभात सामंतराय (केन्द्रपाड़ा): मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबद्ध कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04¾ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं, वर्ष 2000-2001 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न् 12.05 बजे

शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, मैं शहरी रोजगार तथा गरीबी उपशमन विभाग (शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05½ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

[अनुवाद]

चौथा प्रतिवेदन

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): मैं सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय—संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन के प्रस्तावों के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन, आज के लिए सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे माने जाएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) झारखंड में रांची में एक बाईपास का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची): झारखंड् के रांची शहर की आबादी लगभग 15 लाख है। बाईपास न होने से शहर के बीच सड़कों पर आये दिन यातायात जाम रहता है जिससे लोगों को काफी असुविधा होती है और उन्हें अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में काफी देरी लगती है। पेट्रोल पदार्थ की खपत और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। छोटे-छोटे शहरों में आजकल बाईपास की व्यवस्था है तो एक प्रदेश की राजधानी में बाईपास का अभाव आश्चर्यजनक है।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रांची जिले में अविलम्ब बाईपास का निर्माण करने की कार्यवाही शीघ्र करे।

[अनुवाद]

(दो) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अपर इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना के लिए तीसरी नहर प्रणाली (थर्ड केनाल सिस्टम) का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, कालाहांडी में पहले ही सर्वे की गई थर्ड केनाल सिस्टम (पहले लिफ्ट केनाल) अब अपर इन्द्रावली बहुउद्देशीय परियोजना के 'फ्लो केनाल' को एआईबीपी

*सभा पटल पर रखे माने गए।

कार्यक्रम के अधीन शुरू किया जाए ताकि कालाहांडी के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा विशेषकर कोकसरा प्रखंड और धर्मगढ़ प्रखंड के भागों में सिंचाई सुविधा का संवधन किया जा सके। साथ ही थर्ड केनाल की प्रारम्भिक व्यवहारिकता की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी गई है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहां इस केनाल के लिए पर्याप्त जल भी है जो बड़े कृषि भूभाग की सिंचाई भी कर सकता है।

मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे।

(तीन) महाराष्ट्र में पाचोरा-जामनेर में संकरी (नैरोगेज) लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव में मध्य रेलवे पर पाचोरा-जामनेर मार्ग पर छोटी रेल लाइन (नैरोगेज) है। जलगांव जिले के पाचोरा तथा जामनेर ये दो महत्वपूर्ण तहसील इस रेल लाइन से जुड़े हुए हैं, तीन वर्ष पूर्व इस छोटी रेल लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तित करने हेतु सर्वेक्षण कार्य रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन (ब्रॉडगेज) में परिवर्तित करके जामनेर से आगे बोदवड तक बढाने की काफी आवश्यकता है। इससे इस क्षेत्र का विकास होगा। यहां पर विश्व-प्रसिद्ध अजंता गुफाएं इस रेल लाइन के पहूर स्टेशन से सिर्फ 30 कि.मी. की दूरी पर हैं। अगर इस छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन (ब्रॉडगेज) में परिवर्तित किया जाता है तो देश-विदेश के पर्यटकों को अजंता जाने के लिए सुविधा हो सकती है। इस क्षेत्र में कपास की बहुत अधिक पैदावार होती है, लेकिन छोटी रेल लाइन होने के कारण व्यापारियों तथा किसानों एवं आम नागरिकों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनहित में मध्य रेलवे के भुसावल मण्डल के अन्तर्गत पाचोरा-जामनेर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन (ब्रॉडगेज) में परिवर्तित करने के लिए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(चार) मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच जिलों में कम शक्ति वाले ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मध्य प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र में मदसौर तथा नीमच में यद्यपि दूरदर्शन प्रसारण की सुविधा है तथापि वर्तमान में इसके आसपास के अनेक स्थान प्रसारण केन्द्र की रेंज में न आने के कारण दूरदर्शन के कार्यक्रमों से वंचित हैं, ऐसे स्थानों में प्रमुखतः मंदसौर जिले का सुवासरा तथा नीमच जिले का जावद व सिंगोली हैं। वहां के नागरिकों द्वारा समय-समय पर सरकार से इस बारे में अनुरोध किया जाता रहा है। आज जबकि संचार और दूरदर्शन सुविधाओं का व्यापक रूप से विस्तार हो रहा है, ऐसी दशा में उपरोक्त स्थानों को भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए।

अतः मेरा सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त स्थानों पर दूरदर्शन की सुविधा प्राप्त हो सके इस हेतु अल्प-शक्ति प्रसारण केन्द्र खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि क्षेत्र के नागरिकों को उक्त सुविधा का लाभ मिल सके।

(पांच) मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले की लघु सिंचाई परियोजनाओं का नवीकरण करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला अपने कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई क्षमता रखने वाला जिला है जहां 17 लघु सिंचाई योजनाएं हैं जो 90 वर्ष से अधिक पुरानी भी हैं। देश की आजादी के बाद 1977 से 1980 के बीच इन्हीं पुरानी अनेक लघु सिंचाई योजनाओं की क्षमता में वृद्धि भी की गई थी। परिणामस्वरूप 60 वर्ष से 90 वर्ष पुरानी ये लघु सिंचाई योजनायें अपने निर्धारित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक कृषि भूमि सिंचित करती हैं। इन सिंचाई परियोजनाओं की इसी अच्छाई ने इन्हें उपेक्षित बना दिया है। परिणामस्वरूप इनके पुनउद्धार के प्रस्ताव को इसी अच्छी क्षमता के कारण मंजूरी नहीं मिल पा रही है। नहरें जीर्णशीर्ण हो गई हैं, जमुनिया जलाशय का तटबंध टूटने लगा है। इस वर्षा काल में बांध टूटते-टूटते बचा है।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि ऐसी अति प्राचीन एवं उच्चकोटि की क्षमता रखने वाली सिंचाई परियोजनाओं के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध करायें।

(छह) कर्नाटक में कुछ दंत चिकित्सा कालेजों की मान्यता को समाप्त किए जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर): यह गंभीर चिन्ता का विषय है कि कर्नाटक के कुछ दंत और चिकित्सा महाविद्यालयों से पास किए हुए कई छात्रों का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि केन्द्र सरकार ने इन महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है। हाल ही में स्थापित 13 दंत महाविद्यालयों के लगभग 2000 से अधिक छात्र अब अपने आप को उच्चतर शिक्षा पाने अथवा राज्य के बाहर रोजगार ढूंढने में असमर्थ पा रहे हैं क्योंकि केन्द्र सरकार के एक अध्यादेश के जरिए नए महाविद्यालयों को मजूरी प्रदान करने से पहले केन्द्र की अनुमति को अनिवार्य बना दिया है। इतने अधिक छात्रों के भविष्य को हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता। साथ ही प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी तय की जाये।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन महाविद्यालयों से उत्तीर्ण किए हुए छात्रों को कनाटक के कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षा में बैठने को कहा जाए तथा उनकी डिग्रियों को मान्यता प्रदान की जाए। यदि दूसरे महाविद्यालय भवन, प्रयोगशाला और क्लीनिकल सुविधाओं, पर्याप्त डाक्टर-रोगी अनुपात के सदर्भ में सभी आधारभूत सुविधाओं को पूरा करते हो, तो इन महाविद्यालयों को मान्यता दी जाए तथा उसके द्वारा इन छात्रों को बचाया जा सकता है।

(सात) पीतल उद्योग में लगे श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद तक गैस पाइपलाइन का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): मुरादाबाद के पीतल उद्योग में हजारों की सख्या में दस्तकार लगे हुए हैं जो लम्बे समय से पीतल की दस्तकारी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भारत के कुल हस्तशिल्प का 37.8 प्रतिशत निर्यात इन्हीं लोगों के माध्यम से होता है। अगर इनकी समस्याओं के समाधान का समुचित प्रयास किया गया होता तो आशा से कहीं अधिक निर्यात में वृद्धि होती।

इनकी और भी मूल समस्याएं हैं जैसे पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण की। कोयले की भट्टियों में पीतल गलाने से उठने वाला धुंआ एवं गैस से दस्तकारों को फेफड़े से संबंधित अनेक बीमारियां एवं तपेदिक बीमारियां हो जाती हैं। मुरादाबाद से कुछ दूर तक गैस पाइप लाइन डिबाई तक पड़ी हुई है। मेरा सुझाव है कि इस गैस पाइप लाइन को मुरादाबाद तक बढ़ा कर डाल दिया जाये जिससे उद्यमी कोयले के स्थान पर गैस का प्रयोग पीतल गलाने में कर सकें। इसके प्रयोग से पर्यावरण की समस्या नहीं रहेगी तथा दस्तकारों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

सबसे प्रमुख समस्या कच्चे माल को लेकर है जो कच्चा माल डिफेंस, रेलवे, संचार एंव पेट्रोलियम डिपों आदि से निकलता है उसे बिचौलियों को नीलाम करने के बजाय आबंटन के आधार पर इन उद्यमियों को दे दिया जाये।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन उद्यमियों तथा दस्तकारों की समस्याओं का निदान शीघ्र किया जाये।

(आठ) तमिलनाडु से युवाओं के मालदीव में अवैध आप्रवासन की जांच किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): तमिलनाडु के शिवगंगा संसदीय निवाचन क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को अवैध रूप से मालदीव ले जाया जा रहा है। ऐसा उनके जीवन की कीमत पर किया जाता है। भारत सरकार उनकी सुरक्षा, स्वदेश वापसी और उन्हें उचित मुआवजा प्रदान करने हेतु इस संबंध में जांच करे।

(नौ) उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से कालिंदी एक्सप्रेस में शायिकाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी) : फर्रुखाबाद से दिल्ली की कालिन्दी एक्सप्रेस में "मैनपुरी" से 2टायर की एक बोगी या 20/30 सीटों की रिजर्वेशन बर्थ बढ़ाने की मांग यहां के असंख्य मजदूरों, पैसंजरों एवं जनता ने काफी लम्बे समय से की है लेकिन आज तक यह मांग रेलवे ने पूरी नहीं की। कई सांसदों ने भी इस बारे में संबंधित रेल अधिकारियों एवं रेल मंत्री को लिखा है लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बहुत सी संस्थाओं ने भी यह मांग की है।

अतः मेरी मांग है कि कालिन्दी एक्सप्रेस में मैनपुरी के कम से कम 20/30 रिजर्वेशन बर्थ का कोटा किया जाये।

(दस) इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन जंक्शन और सिविल लाइंस के बीच आम रास्ते को पुनः खोल जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश पासी (चायल): इलाहाबाद रेलवे स्टेशन जंक्शन से सिविल लाइन तक वर्षों पुराना मार्ग आम जनता के लिए बना था लेकिन रेलवे ने ढाई वर्ष पहले उस रास्ते को बंद कर दिया जिससे आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा लोगों को लगभग 500 मीटर घूम कर आना पड़ता है।

अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में उक्त रास्ते को खुलवाने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(ग्यारह) तमिलनाडु में अर्कोनम जंक्शन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. एस. जगतरक्षकन (अर्कोनम) : अर्कोनम जंक्शन पर इस समय कुछ रेलगाड़ियां नहीं रुकती हैं हालांकि इसकी यहां भारी मांग है और अर्कोनम पर चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि अर्कोनम जंक्शन पर निम्नलिखित गाड़ियों के रुकने के निर्देश जारी करें।

1. 2639/2640 चेन्नई-बंगलौर सुपर फास्ट एक्सप्रेस
2. 1063/1064 चेन्नई-दादर एक्सप्रेस
3. 6319/6320 चेन्नई-त्रिवेन्द्रम मेल

इस समय, अर्कोनम के इंजीनियरिंग वर्कशॉप को काम के अधिक ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं और कई बार इस वर्कशॉप का अधिकतम प्रयोग नहीं होता है। इस वर्कशाप को बढ़ावा देने और पर्याप्त कार्य आदेश उपलब्ध कराने के लिए कामगारों को कुछ आवश्यक प्रशिक्षण देकर इसे मकैनिकल वर्कशॉप बनाया जाए। इससे न केवल रेलवे को अपने वर्कशॉप का अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

अर्कोनम बस स्टैंड के सामने एक उप-नगरीय रेल टर्मिनल बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा जंक्शन शहर से बहुत दूर है। इससे दैनिक यात्रियों को अपनी आजीविका और गंतव्यों तक पहुंचने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता है।

(बारह) उड़ीसा में महानदी बेसिन में अन्वेषण परियोजना को बंद किए जाने के ऑयल इंडिया लि. के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): ऑयल इण्डिया लिमिटेड, उड़ीसा महानदी बेसिन में खोज परियोजना शुरू की है। हाल ही के वर्षों में विभिन्न भूकम्पीय भूरसायन सर्वेक्षण और बेसिन मॉडल सर्वेक्षण किए गए हैं, भूभौतिकीय मतानुसार महानदी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार होने की प्रबल संभावना है।

ऑयल इण्डिया लिमिटेड की रिपोर्ट खोज और उत्पादन नीति (1985-2005) के अनुसार, महानदी बेसिन में अनुमानतः भंडार इस प्रकार हैं:

महानदी तटीय	50 एम एम टी
महानदी अपतटीय	110 एम एम टी
एन इ मा अपतटीय	1160 एम एम टी

किंतु वांछित गहराई तक और संपूर्ण भारत के औसत के अनुसार पर्याप्त संख्या में कुएं खोदे बिना ऑयल इंडिया लिमिटेड विभिन्न दलीलों के आधार पर इस परियोजना को बंद करने का निर्णय कर रहा है। जबकि पारादीप, उड़ीसा में तेलशोधक परियोजना लगाई जा रही है जो ऑयल इण्डिया लिमिटेड महानदी बेसिन में खोज गतिविधियां बंद कर रहा है जो पारादीप रिफाइनरी के लिए क्रूड ऑयल की सप्लाई का सबसे निकटतम स्रोत हो सकता है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि ऑयल इण्डिया लिमिटेड को महानदी बेसिन में खोज परियोजना बंद करने के निर्णय पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया जाए।

(तेरह) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय पांच और ठेका श्रम आधेनियम की धारा 10 में संशोधन करने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय पांच और ठेका श्रम अधिनियम की धारा 10 में संशोधन के माध्यम से सरकार द्वारा लागू किए जा रहे दूसरी पीढी के आर्थिक सुधारों से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के हजारों कामगारों के जीवन में अभूतपूर्ण कठिनाइयां आ जाएंगी।

एक ओर इससे न केवल कठिनता से प्राप्त लोकतांत्रिक मजदूर संघ के अधिकारों पर ही चोट पहुंचेगी बल्कि दूसरी ओर इससे कामगारों का भी पूरी तरह विनाश हो जाएगा। इन सुधारों से कामगारों का शोषण बढ़ेगा, उच्चतम न्यायालय के समान कार्यों के लिए समान वेतन के निर्णय का उल्लंघन होगा, चारों ओर बेरोजगारी और उपद्रव होंगे।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित सुधारों को लागू न किया जाए।

(चौदह) पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): सुन्दरबन के लोगों के लिए टेलीफोन संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि सुन्दरबन में छोटी-छोटी नदियों से बने कई द्वीप हैं अतः टेलीफोन संपर्क संचार का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। यह सेवा एम ए आर आर प्रणाली से उपलब्ध कराई जाती है। अधिकतर ग्राम पंचायतें, स्कूल, अस्पताल, डाक घर और सार्वजनिक स्थान एम ए आर आर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। किंतु लम्बे समय से यह प्रणाली पूरी तरह ठप हो गई है। इससे लोगों को बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। इसके अलावा एम ए आर आर प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है और यह नियमित, रात दिन और भरोसेमंद सेवा देने में सक्षम नहीं रही है। इसे देखते हुए इस प्रणाली के स्थान पर डब्ल्यू ए एल एल प्रणाली लगाने का प्रस्ताव भी किया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार, सुन्दरबन में छोटे टेलीफोन एक्सचेंज लगाने पर भी विचार कर रही है।

मेरा सुझाव है कि ये एक्सचेंज, दक्षिण 24 परगना में मोलाखली और जामटोला और उत्तर 24 परगना में संदेशखली और सारबेरीया में लगाए जाने चाहिएं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एम ए आर आर प्रणाली को डब्ल्यू ए एल एल प्रणाली से बदलने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। इसके साथ-साथ छोटे एक्सचेंज जल्द से जल्द लगाने के लिए भी तुरंत कदम उठाए जाएं।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र में शोलापुर जिले में कुर्डवाड़ी रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंतर्गत कुर्डवाड़ी और मुम्बई में माटूंगा और परेल वर्कशाप की स्थिति बहुत ही खराब है तथा कुर्डवाडी रेलवे वर्कशॉप तो बंद होने के कगार पर है। यह वर्कशाप कभी एशिया का माना हुआ रेलवे वर्कशाप हुआ करता था। इस रेलवे वर्कशाप के जीर्णोद्धार की परम आवश्यकता है, क्योंकि यदि समय रहते इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया तो फिर वहां कार्यरत रेलवे कर्मचारी बेरोजगार होकर भुखमरी की स्थिति में पहुंच जाएंगे।

कुर्डवाड़ी रेलवे स्टेशन पर रेलवे बुकिंग की स्थापना किए जाने और वहां पर गुडस शटल ट्रेन रुकने के परिणामस्वरूप यात्रियों को जो असुविधा होती है, उसका दूर किए जाने के लिए प्लेटफार्म की स्थापना किए जाने तथा वहां से गुजरने वाली विशेषकर चैन्नई मेल (चैन्नई - मुम्बई) में स्लीपर क्लास में बर्थों का कोटा बढ़ाये जाने की भी सख्त आवश्यकता है। इसकी वहां के लोगों द्वारा निरंतर मांग की जा रही है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में समुचित निदेश देकर इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा सोमवार, 16 अप्रैल, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 16 अप्रैल, 2001/26 चैत्र, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 23 मार्च, 2001/2 चैत्र, 1923 (शक)
का
शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
306	15	संलग्न विवरण-I	संलग्न विवरण-II
210	12	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत में राज्यमंत्री	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री
331	17	4048	4038
370	नीचे से 11	संलग्न विवरण-I और-III	संलग्न विवरण-II और-III
421	नीचे से 12	4128	4129

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली--110 008 द्वारा मुद्रित।